प्रेषक,

अपर्णा उपाध्याय,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
16, ए0पी0सेन रोड, मण्डी परिषद भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याः–एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2022–23/ 5529–2 **दिनांक : 02.11.2022**

विषयः–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की जनपदीय कार्ययोजना की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0नं0–10(12)/2022–एन0एच0एम0–। दिनांक 01.08.2022 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2022–2024 की राज्य कार्ययोजना पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 एन0यू0एच0एम0, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टीनेन्स एवं इम्युनाइजेशन काइण्ड ग्राण्ट सहित वर्ष 2022–23 हेतु रु0 13,22,912.48 लाख एवं वर्ष 2023–24 हेतु रु0 13,42,327.31 लाख की धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपर्युक्त के क्रम में वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना है। आप अवगत ही हैं कि विगत वर्ष से संचालित योजनाओं को यथावत वर्ष 2022–23 में संचालित किये जाने के लिए माह मार्च, 2022 में आपको दिशा–निर्देश भेजे गये थे। साथ ही जो नवीन गतिविधियां वर्ष 2022–23 में संचालित की जानी हैं, उनके क्रियान्वयन हेतु भी राज्य मुख्यालय से समय–समय पर निर्देश भेजे जा रहे हैं।

तत्क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित किये जाने के उद्देश्य से आपको विस्तृत दिशा–निर्देश तथा मदवार धनराशियों का आवंटन FAMS portal के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 एवं 10 सितम्बर, 2022 को प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपदों को आवंटित धनराशि की फांट एवं भौतिक दिशा–निर्देशों की संकलित 'रेफरेन्स पुस्तिका' प्रेषित की जा रही है एवं भविष्य में भी कतिपय गतिविधियों हेतु आवश्यकतानुसार अनुपूरक धनराशि एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर से प्रेषित किये जायेंगे।

वर्ष 2022–23 में समस्त गतिविधियों हेतु विभिन्न नवीन एफ0एम0आर0 कोड में धनराशि स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है कि उक्त एफ0एम0आर0 कोड में ही धनराशि का व्यय अंकित किया जाय। पूर्व के वर्षों की भांति ही इस वर्ष भी जनपद हेतु निर्धारित आवंटन के अनुसार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशानुसार धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय, कि जनपद स्तरीय चिकित्सालयों/ब्लॉक हेतु भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय फांट सहित वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाय।

विगत वर्ष की भांति ही FAMS portal के माध्यम से गतिविधिवार/ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने में जनपदों को सुविधा होगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि ब्लॉकवार धनराशि का आवंटन तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपदीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन करें ताकि आवंटन तैयार किये जाने में उनका भी सहयोग प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात जनपद स्तर से संचालित की जाने वाली गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए पूरे जनपद की कार्ययोजना तैयार कराकर ज़िला स्वास्थ्य समिति से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

साथ ही जिन चिकित्सा इकाइयों को गतिविधियों के संचालनार्थ धनराशि आवंटित की जा रही है, उन इकाइयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को गतिविधि के क्रियान्वयन एवं धनराशि के व्यय से सम्बन्धित समुचित दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना मुख्य चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

समस्त कार्यक्रमों के संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय तथा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के स्तर से किया जा रहा है। अतः समय–समय पर इनके स्तर से अथवा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई स्तर से यदि किसी कार्यक्रम के संशोधित दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं, तो उनका पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की जाय।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर संविदा कर्मी तैनात हैं अथवा तैनात किये जाने हैं, उनकी तैनाती/अनुबन्ध नवीनीकरण, अवकाश आदि के सम्बन्ध में निम्न नियमानुसार कार्यवाही की जायः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियो की तैनाती के संबंध में सामान्य नियमः–

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
2. सभी चयन/तैनाती के सम्बन्ध में जो दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं, उन पर सर्वप्रथम जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत गठित शासी निकाय में चर्चा/विचार–विर्मश किया जायेगा। चर्चा/विचार विर्मश के उपरान्त उक्त पर सहमति प्राप्त की जायेगी। यदि शासी निकाय की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो अध्यक्ष–शासी निकाय से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जाये। इस आदेश में जो दिशा–निर्देश दिये गये हैं उन दिशा–निर्देशो के क्रम में कार्मिकों की तैनाती/अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा।
3. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदों में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) रख लिये जाते हैं और उनका वेतन भी निर्गत किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी जनपद द्वारा ऐसा किया गया तो सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
4. यह संज्ञान में आया है कि कुछ (कतिपय) जनपदो में अधिकतम मानदेय हेतु स्वीकृत बजट को प्रतिमाह वेतन के रूप में आहरित किया जाता हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा। यदि किसी भी जनपद में इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. कुछ (कतिपय) जनपदों से यह भी शिकायत प्राप्त हुई है कि राज्य मुख्यालय से स्वीकृत किये गये पदो के सापेक्ष उसी वित्तीय वर्ष में अधिक मानव संसाधन (कार्मिक) तैनात कर लिये गये। भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन रखा गया तो यह नियमा विरूद्ध/गैरकानूनी की श्रेणी में आता है। यदि किसी जनपद के द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत पदो के सापेक्ष अधिक मानव संसाधन रखा गया तो उसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रशासनिक आधार पर कार्यवाही की जायेगी।
6. प्रत्येक संविदाकर्मी का छमाही मूल्यांकन Appropriate Authority द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जायेगा, उक्त प्रारूप पर सूचना पूर्ण रूप से संकलित/भरकर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा। Appraisal प्रारूप न होने की स्थिति में संविदा कर्मियों के वेतन आहरण पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के स्तर से रोक लगाई जा सकती हैं (प्रथम छमाही अप्रेजल किये जाने के पश्चात् किसी संविदाकर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उसे चेतावनी–पत्र इस आशय के साथ निर्गत किया जायेगा कि वह अपने कार्य व व्यवहार का अतिशीघ्र सुधार कर लें)। प्रथम छमाही अप्रेजल उपरान्त किसी भी संविदाकर्मी की सेवा–समाप्ति नहीं की जायेगी।
7. यह पुनः लिखित रूप से अवगत कराया जाता है कि समस्त संविदा कर्मियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही किया जायेगा।
8. संविदा कर्मियों/चिकित्सकों इत्यादि की तैनाती स्थान विशेष के लिये होगी। जिन चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद भरे हुए हैं, उन इकाईयों पर यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती नहीं की जाएगी। यदि चिकित्सा इकाईयों पर नियमित पद के सापेक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा के आधार पर तैनाती होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

9. ऐसे संविदाकर्मी जो बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थिति/कार्य छोड़कर चले गये एवं जिनको सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति ने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया हो तो ऐसे संविदाकर्मी को उस पद पर पुनः कार्य की अनुमति/योगदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. पैरामेडिकल कर्मियों के पदों का एक ''पूल'' दिया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के पैरामेडिकल कार्मिक सम्मिलित हैं (पैरामेडिकल कर्मियों का प्रकार, कार्यक्रम विशेष द्वारा वर्णित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) के अनुसार होगा)। (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर 80–85 प्रतिशत पैरामेडिकल तैनात किये जायें तथा आवश्यकतानुसार मात्र 15–20 प्रतिशत ही जनपदीय महिला /पुरूष एवं संयुक्त चिकित्सालयों में तैनात किये जायें। किसी भी दशा में जनपद हेतु आवंटित संख्या से अधिक पैरामेडिकल कार्मिक न रखे जायें।

11. जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर तैनात किये गये संविदा कर्मियों/चिकित्सकों हेतु प्राविधानित मानदेय की छः माह की धनराशि इन इकाइयों पर क्रियाशील पूल खाते में स्थानान्तरित की जाएं। जिन इकाइयों पर पूल एकाउंट नहीं खुले हैं वहॉ पर आवश्यक धनराशि रोगी कल्याण समिति के खाते में स्थानान्तरित की जाए। रोगी कल्याण समिति के खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि का विवरण पृथक से रखा जायें।

12. समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके कार्यो हेतु विस्तृत मूल्यांकन प्रपत्र दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान हेतु आवश्यक है कि वह अपने लिए चिन्हित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जायेगा। भारत सरकार से श्रेणीवार मानव संसाधन की स्वीकृति के क्रम में प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग श्रेणी के कर्मियों का आवंटन संलग्न जनपदवार फॉट में दिया जा रहा है। फॉट में दी गई संख्या से अधिक संख्या में मानव संसाधन की तैनाती किसी भी दशा में अनुमन्य/मान्य नहीं होगा। यदि किसी जनपद में किसी श्रेणी विशेष के स्वास्थ्य कर्मी/चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ की अत्यन्त आवश्यकता होती है, तो उक्त जनपद मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को पृथक से पत्र लिखकर अपनी इकाई के कार्यभार, इकाई की गतवर्ष की उपलब्धि एवं आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव औचित्यपूर्ण/संतोषजनक पाये जाने पर अलग से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी/चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय से अनुमोदनोंपरान्त पुनअनुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाये।

14. प्रत्येक माह की 07 तारीख तक विगत माह के मानदेय की धनराशि संविदा/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों को अनिवार्य रूप से उनके खाते में मानव सम्पदा साफ्ट्वेयर के ''पे–कैलकुलेशन माड्यूल'' के माध्यम से स्थानान्तरित की जायें। 01 माह से अधिक मानदेय लम्बित/न निर्गत किये जाने पर उक्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

15. वित्तीय वर्ष 2022–23 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संविदा पर तैनात कर्मियों का मानदेय अलग–अलग दर पर स्वीकृत किया गया है जिसके सम्बन्ध में श्रेणीवार विस्तृत विवरण आगामी प्रस्तरो में दिया गया है।

16. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की सेवा संतोषजनक पूर्ण कर ली है।

    (A) ऐसे संविदा कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2022–23 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि कर्मी के योगदान माह की प्रथम (पहली) तिथि से प्रदान की जायेगी।

    (B) ऐसे संविदाकर्मी जो 01 अप्रैल 2022 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी।

(C) वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा कर्मियो को संतोषजनक परफॉरमेन्स के आधार पर 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिये राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 तथा जिला स्वास्थ्य समिति हेतु अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया गया हैं।

17. भारत सरकार द्वारा संविदाकर्मियों के लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदा कर्मी पात्र होगें जिनके द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में एक ही पद पर निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण की गयी हों।

    1. ऐसे संविदाकर्मी जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में एक ही पद पर 03 वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक पूर्ण कर लिया गया हो उन्हें 10 प्रतिशत एवं 05 वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण करने के उपरान्त शेष 05 प्रतिशत का लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
    2. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवाकाल का 03 वर्ष का कार्यकाल संतोषजनक पूर्ण किया गया हो उनको 03 वर्ष की कार्यकाल–अवधि पूर्ण करने के अगले माह के प्रथम तिथि से 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा।
    3. जिन संविदाकर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवाकाल का 05 वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण किया गया है उनको 05 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के अगले माह के प्रथम तिथि से शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस देय होगा। (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 5 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।
    4. ऐसी महिला संविदाकर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर संतोषजनक सेवा पूर्ण की हों। ऐसी महिला संविदाकर्मी लॉयल्टी/ एक्सपीरियन्स बोनस की पात्र होंगी।
    5. ऐसे पुरुष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2022–23 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, ऐसे पुरूष संविदाकर्मी लॉयल्टी/ एक्सीपीरियन्स बोनस के पात्र होंगे।
    6. जिन संविदा कर्मियों का 03 वर्शों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है उन संविदा कर्मियों के अवकाश के समय (03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षो में कुल 08 माह) को सेवाकाल में आकंलन न किया जायें।
    7. सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को लॉयल्टी/एक्सीपीरियन्स बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा।

18. नियत मासिक मानदेय पर तैनात किये गये समस्त संविदा कर्मियो एवं चिकित्सक, नियमित सेवाओं के कर्मी एवं चिकित्सक की भांति ही नियत रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे तथा प्रभारी अधिकारी की सहमति से इन्हें आकस्मिक अवकाश (वर्ष में अधिकतम 14), चिकित्सकीय अवकाश (वर्ष में अधिकतम 16) तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होंगे।

19. **(A)** समस्त महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 एवं मानव संसाधन नीति में वर्णित नियमो के तहत 180 दिन का मातत्व अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।

    (B) समस्त पुरूष संविदा कर्मियों को पितृत्व अवकाश, एच0आर0 पॉलिसी में वर्णित नियमो के अनुसार अनुमन्य होगा।

20. **(A)** भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 10.03.2016 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे कार्यरत पात्र संविदा कर्मियों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को लागू किया गया है। उक्त के भुगतान हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश (गाइडलाइन) का पालन किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2022–23 में प्रदान की गयी हैं। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रू0 15,000.00 प्रतिमाह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुये प्राप्त हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा। ई0पी0एफ0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देशों को लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

(B) भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मे सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रू0 21,000.00 प्रतिमाह (रू0 25,000.00 प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी जोकि सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत हैं उन्हे ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2022–23 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय–समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया गया हैं। जिसे जनपदों द्वारा ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

21. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियों की कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, किन्तु संविदा पर कार्यरत चिकित्सा कार्य हेतु चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0) को शारीरिक एव मानसिक रुप से स्वस्थ्य होने पर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है तथा इनकी अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तक की होगी (आयुष चिकित्साधिकारी एवं आयुष विशेषज्ञ की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष ही होगी जिस हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्याः 03/SPMU/NHM/AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06. 2019 से प्रेषित किया गया)। **नोटः–चिकित्साधिकारी एम0बी0बी0 एस0 एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदो पर भर्ती करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।**
22. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमो के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू के माध्यम से संविदा विशेषज्ञ एवं चिकित्साधिकारी एम0बी0बी0एस0 के रिक्त पदो पर भर्ती प्रक्रिया हेतु समस्त जनपदो को वॉक्–इन–इंटरव्यू की प्रक्रिया के संबंध में पत्र संख्याः 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वॉक्–इन/2020–21/2367 दिनांक 13.08.2020, पत्र संख्याः 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वॉक्–इन/2020–21/4106 दिनांक 16.10. 2020 व पत्र संख्याः 179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू/ 2021–22/5335 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किया गया। डिस्ट्रिक्ट–वॉक्–इन–इंटरव्यू हेतु उक्त दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।
23. यदि कोई संविदाकर्मी बिना किसी विशेष (विशिष्ट) कारण अथवा पूर्व सूचना के अपने कार्यस्थल (ड्यूटी) से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
24. संविदाकर्मी/चिकित्सक सेवा–अवधि के लिए पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसे सेवा–अवधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा
25. संविदाकर्मी/चिकित्सक अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
26. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुसार समस्त संविदा कर्मियो की तैनाती में आरक्षण का यथासम्भव पालन किया जायेगा।
27. संविदा पर कार्यरत चिकित्सक/कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर उनकी सेवाये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से समाप्त की जा सकती है।
28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत संविदाकर्मियो हेतु मानव संसाधन नीति समस्त संविदाकर्मियो पर लागू होगी। मानव संसाधन नीति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पोर्टल www.upnrhm.gov.in पर गाइडलाइन सेक्शन में उपलब्ध है।

29. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपरोक्त राशि का व्यय ऑपरेशनल दिशा–निर्देश/गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जायेंगी।
30. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपदो में कार्यरत संविदा कर्मचारियो द्वारा कार्य में अनियमितता पाये जाने पर पत्रांक संख्याः 197/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच0आर0/जी0आर0सी0/2018–19/12394 (75)–11 दिनांक 01.03.2019 में वर्णित दिशा–निर्देशो के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।
31. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा कर्मियो हेतु मानव संसाधन नीति लागू की गयी पत्रांक संख्याः 501/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एच0आर0पॉलिसी/2019–20/7790 दिनांक 13.12.2019 का अवलोकन करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों में दिये गये दिशा–निर्देशो के साथ–साथ सम्बन्धित संविदा कर्मियों के विषय में भी दिशा–निर्देश सम्मिलित किये गये हैं, जिनका संज्ञान अवश्य लिया जाये।

प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य/नवीन बिन्दुओं का समावेश करते हुए संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित निर्देश आगामी पृष्ठों में अंकित किये जा रहे हैं। यदि किसी भी गतिविधि के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, तो आपको अलग से बिन्दुवार निर्देश पुनः प्रेषित किये जायेंगे।

आर0एम0एन0सी0एच0+ए0

(पार्ट–ए)

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. ''जननी सुरक्षा योजना''

प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''जननी सुरक्षा योजना'' शासनादेश सं0–जी0आई0 176/5–9–07–9 (113)/05 टी0सी0 दिनांक 08.06.2007, शासनादेश सं0–3668/5–9.7–9(113)/2005, दिनांक 19.01.2008 तथा शासनादेश सं0–3667/5–9–08–9 (113)/05, दिनांक 05.03.2008 के अधीन संचालित की जा रही हैं।

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 की स्वीकृतियों के अनुसार ''जननी सुरक्षा योजना'' वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव के लक्ष्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जननी सुरक्षा योजना हेतु आर0ओ0पी0 में स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित की जा रही है–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	वित्तिय आगणन हेतु भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)	आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में जनपदों को आवंटित धनराशि	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400 की दर से	RCH.1.3.DBT.1	25,01,000	3,15,12,60,000	1,37,90,00,000	1,77,22,60,000
2	शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000 की दर से	RCH.1.3.DBT.2	2,89,000	26,01,00,000	11,08,80,000	14,92,20,000
3	बी0पी0एल0 घरेलू प्रसव रू0 500 की दर से	RCH.1.3.DBT.3	615	3,07,000	0	3,07,000
4	आशाओं को प्रोत्साहन धनराशि रू0 600 की दर से	RCH.1.3.ASHA	23,74,800	128,23,92,000	55,59,98,400	72,63,93,600
5	जनपद स्तरीय प्रशासनिक मद	RCH.1.3.OOC	4%	18,77,62,360	0	18,77,62,360
कुल जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि				**488,18,21,360**	**2,04,58,78,400**	**2,83,59,42,960**

कार्यक्रम कियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. गर्भवती महिलाओं का आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशनः–

भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2016 से जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु लाभार्थियों का एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसको आर0सी0एच0 पोर्टल में परिवर्तित कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना का भुगतान उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनका आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ हो, अतः सभी जे0एस0वाई0 के लाभार्थियों का भुगतान किये जाने हेतु छाया वी0एच0एस0एन0डी0 /यू0एच0एस0एन0डी0 के समय चिन्हित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का भी आर0सी0एच0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रसव पूर्व जाँचों के आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को दी गयी सेवाओं का पोर्टल पर अपडेशन भी सुनिश्चित किया जाना है।

2. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधानः–

वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा के भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–657/पॉच–9–2013–9(113)/05 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुपालन में मिशन निदेशक द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/13–14/934–75 दिनांक–30.05.2013 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना'' एक निरन्तर संचालित की जाने वाली योजना है एवं इसका लाभ राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, अन्य जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीनस्थ समस्त स्वास्थ्य इकाइयों पर लागू है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

- ग्रामीण प्रसवों का भुगतान रू0 1400/–प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.1
- शहरी प्रसवों का भुगतान रू0 1000/–प्रति लाभार्थी की दर से स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.2

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/–प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.DBT.3)A

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–176/5–9–07–9(113)/05 टीसी दिनांक 08.06.2007 के प्रस्तर पाँच में दिये गये निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुये नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं, जो घर पर कुशल सेवाप्रदाता (ए.एन.एम/एल.एच.वी./स्टाफ नर्स/सिस्टर अथवा चिकित्सक) के माध्यम से प्रसव कराती हैं, को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बच्चे के जन्म पर प्रति प्रसव रू0– 500/– की आर्थिक सहायता अनुमन्य की गयी है, जिसके लिये आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पत्रांक–373/पाँच–9–2014–9 (113) 05 दिनांक 04 मार्च 2014 के द्वारा निर्गत किये गये हैं।

- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 600/–की दर से ग्रामीण प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–300/– प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0–300/– प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA
- आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि रू0 400/–की दर से शहरी प्रसवों हेतु (राजकीय प्रसव इकाईयों में संस्थागत प्रसव हेतु गर्भवती महिलाओं को सहयोग प्रदान करने के लिये रू0–200/– प्रति लाभार्थी एवं लाभार्थी के एम0सी0पी0 कार्ड पर आर0सी0एच0 नम्बर, मानकानुसार पूर्ण ए0एन0सी0 चेकअप हेतु रू0–200/– प्रति लाभार्थी) स्वीकृत एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.ASHA

3. <u>जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत (प्रशासनिक मद हेतु)</u>– जनपद स्तर पर जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि की 4 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक मद के अन्तर्गत आवंटित की गयी है, जनपदों में जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रसव भार के अनुसार आंवटित धनराशि का 4 प्रतिशत (प्रशासनिक मद हेतु) का आंवटन भी सुनिश्चित किया जाये है। इस धनराशि का उपयोग एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.3.OOC से निम्नवत् किया जाना हैः–

- ए0एन0सी0, लेबर रूम एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी रजिस्टरों का मुद्रण एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री।
- जे0एस0वाई0 वार्ड एवं लेबर रूम हेतु रख रखाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था।
- जनपद में मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों की कम्प्यूटराज्ड रिपोर्टिंग हेतु आवश्कतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था।

4. <u>मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव कराने की व्यवस्था–</u>

आयुष्मान भारत योजना के अर्न्तगत मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय में Health benefit package में पात्र लाभार्थियों हेतु जटिल प्रसवों एवं सिजेरियन प्रसवों की सुविधा प्रदान की जा रही है, अतः जे0एस0वाई0 के अर्न्तगत गतवर्षों में मान्यता प्राप्त प्राईवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालय को सिजेरियन प्रसव हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

5. <u>जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान –</u>

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के भुगतान में पारदर्शिता लाने, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को रोकने तथा एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था स्थापित करने के लिये भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 04.02.15 के द्वारा सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों/महिलाओं का 'आधार' क्रमांक अथवा आधार

लिन्कड बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के समय अथवा एन्टीनेटल चेकअप के दौरान आर0सी0एच0 पोर्टल डेटाबेस/एम.सी.पी. कार्ड में अंकित किये जाने का प्राविधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार डी0बी0टी0 योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में ही किया जायेगा। आशा द्वारा लाभार्थियों का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाता खुलवाने तथा उसे आधार से लिंक कराना अपेक्षित है। ए0एन0एम0 द्वारा भी गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर उनके खाते खुलवाने एवं आधार कार्ड से सम्बद्ध कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। ***समस्त जे0एस0वाई0 भुगतान केवल लाभार्थी महिला के खाते में ही किये जायेंगे।***

चिकित्सालय से छुट्टी के समय जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी को पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल के माध्यम से उसके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। धनराशि की जानकारी ''जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र'' के माध्यम से दे दी जाये, जिसकी एक प्रति लाभार्थी को एवं एक प्रति चिकित्सालय पर संरक्षित की जाये। सभी इकाईयों को जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी भुगतान प्रमाण पत्र एक बुकलेट के रूप में मुद्रित कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान इस बुकलेट के उपयोग की समीक्षा की जाये। जे0एस0वाई0 फार्म का प्रारूप समस्त प्रसव इकाईयों पर उपलब्ध करायें। इसे सभी प्रसव इकाईयों पर बी0पी0एल0 लाभार्थियों के घरेलू प्रसव के भुगतान हेतु भी आवश्यक कर दें।

राज्य स्तर से प्रेषित पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0वाई0/8–9/2021–22/2611–2 दिनांक 13.08.2021 में दिये गये निर्देश के अनुसार–

- गर्भवती महिलाओं के बैंक खाता के पूर्ण विवरण सहित आर0सी0एच0 पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। बैंक खाता का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड एवं आर0सी0एच0 रजिस्टर पर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीकरण उपरान्त जिन लाभार्थियों के पास बैंक खाता संख्या उपलब्ध नही है, आशाओं के माध्यम से उनके खाते खुलवाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये। प्रत्येक दशा में प्रसव पूर्व समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवा लिये जायें, ताकि प्रसव उपरान्त जे0एस0वाई भुगतान में कोई विलम्ब न हो।
- दिशा निर्देश के अनुसार जे0एस0वाई के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव हेतु लाभार्थियों का भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाना आवश्यक है एवं भुगतान विलम्बित होने पर जनपद स्तर से साप्ताहिक समीक्षा की जाये तथा भुगतान न होने की स्थिति मे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायें।

6. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त रिपोर्ट एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जायेंगी। समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रो एवं राज्य आधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर समस्त आंकड़ो को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी है। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है कि समस्त आंकड़ों को दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता के साथ फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मासिक समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकड़ो/सूचना के आधार पर जनपदों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में जे0एस0वाई0 की त्रैमासिक रिपोर्ट **''प्रपत्र 18''** पर प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के बाद 05 दिवसों के अन्दर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारण एवं वित्तीय आवंटन–

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जननी सुरक्षा योजना की जनपदों से उपलब्ध करायी गयी त्रैमासिक भौतिक प्रगति **''प्रपत्र 18''** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल 27,90,000 लाभार्थियों के संस्थागत प्रसव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में जननी सुरक्षा योजना हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत की धनराशि जनपदों को आंवटित

की गयी है। जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।

उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना हेतु कुल रू0 488,18,21,360/– **(रू0 चार सौ अठासी करोड अठारह लाख इक्कीस हजार तीन सौ साठ मात्र)** की धनराशि आंवटित की गयी है, शेष 10 प्रतिशत जनपदों को छः माह की प्रगति की समीक्षा के आधार पर धनराशि आवंटित की जायेगी। यह धनराशि जनपदों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के आंकलन के आधार पर आवंटित की जायेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ससमय व पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

2. ''जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम''

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2011 से संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय देखभाल व प्रसव सम्बन्धी सेवायें पूर्णतया निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पाँच निःशुल्क सेवाएं– निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कंज्यूमेबिल्स) निःशुल्क जाँचे, एवं निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी कार्यनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं हेतु इस अति संवेदनशील अवधि (प्रथम 48 घंटे) में चिकित्सकों की देख–रेख में होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है, जिससे प्रसूताओं को चिकित्सालय परिसर में ससम्मान रहने का अवसर प्राप्त हो।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. **निःशुल्क जाँच की व्यवस्थाः–**
   - जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु रैपिड टेस्टिंग किट्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स आदि की व्यवस्था की जानी है, परन्तु जनपदों में अति आवश्यक जांचों हेतु उपयोग होने वाले रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु 20 प्रतिशत धनराशि आंवटित की जा रही है। जनपदों द्वारा इस धनराशि का उपयोग रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स, कन्ज्युमेबिल्स एवं अल्ट्रासाउण्ड हेतु इकाई पर सुविधा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इकाई में रीएजेन्ट, रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा कन्ज्युमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये जनपद स्तर से यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यकतानुसार सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये।
   - पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आने वाली 1.5 लाख गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर रू0 300/– की दर से अल्ट्रासाउण्ड जाँच की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
   - वी0एच0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच किट ले जाने की व्यवस्था हेतु 23,331 वी0एच0एन0डी0 सत्रों में रू0 40/– प्रति सत्र की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

क्र.सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु ई रूपी वाउचर के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था रू0 300/– की दर से	RCH.1.4.DI.1	1,31,000 अल्ट्रासाउण्ड हेतु	3,93,00,000
2	23,331 छाया वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती महिलाओं हेतु	RCH.1.4.DI.2	23,331 वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र	9,70,56,960

	एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जाँचें रू0 40/–की दर से ए. वी. डी.			
3	गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँचें रू0 200/–की दर (20 प्रतिशत धनराशि)	RCH.1.4.DI.3	50,00,000 ए0एन0सी0	20,00,00,000
	कुल योग			**33,63,56,960**

- **<u>निःशुल्क जाँच हेतु सामान्य निर्देशः–</u>**

प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर की जाँच, एक बार ब्लड ग्रुपिंग/Rh Typing, जी0डी0एम0 (गर्भजनित मधुमेह), एच0आई0वी0 एवं सिफिलस की जाँचें भी की जायेगी। छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 पर होने वाली गर्भवती महिलाओं की जांचों में यदि उपरोक्त सभी जांचें नहीं हो पा रही हैं तो 09 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसी प्रकार प्रसव के दौरान एवं प्रसव के पश्चात् भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रत्येक माह की 09 एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की जाँच की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निम्नवत हैं–

- पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा छाया वी0एच0एस0एन0डी0 (आउटरीच)/यू0एच0एन0डी0 स्तर पर–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), एच0आई0वी एवं सिफिलस की निःशुल्क जाँच।
- L-2 स्तर की ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ–हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर), ब्लडग्रुप/Rh Typing, जी0डी0एम0, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, एच0आई0वी एवं सिफिलस की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप/Rh Typing, OGTT, HbsAg, VDRL, HIV, T3/T4/TSH एवं सेमी ऑटो एनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।
- T3, T4, TSH तथा अन्य आवश्यक जाँचों हेतु सेवाओं की अनुपलब्धता की दशा में जनपदों के जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियमानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध डायग्नोस्टिक सर्विसेज का लाभ भी लिया जा सकता है।
- गर्भावस्था जनित मधुमेह (जी0डी0एम0) कार्यक्रम के अर्न्तगत गर्भवती महिला की जाँच तथा उपचार के लिए 75 gm Glucose packets, Insulin Vial, Metformin Tablets, Insulin Syringe, Lancet & Glucometer strips इत्यादि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी आपूर्ति यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के माध्यम से जनपदों को की जायेगी।
- वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर गर्भवती महिलाओं हेतु एच0आई0वी0 एवं सिफलिस की जांच हेतु वी0एच0एन0डी0 सत्र पर किट (ए0वी0डी0) ले जाने की व्यवस्था है।
- प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन स्वास्थ्य इकाइयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध USG मशीनों को प्रयोग में लाने हेतु आवश्यक व्यवस्था मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाये। पी0पी0पी0 मोड पर 75 जनपदों की चयनित चिकित्सा इकाईयों पर गर्भवती महिलाओं हेतु अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध करायी जानी है।

- पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था के लिये सी0जी0एच0एस0, लखनऊ के निर्धारित मानकों के अनुरूप एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 300/– प्रति केस तथा नॉन–एन0ए0बी0एल0 एक्रेडेटेड अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के लिये रू0 255/– प्रति केस की दर निर्धारित की गयी है। चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप क्रियाशील रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के प्रबन्धकों से सहमति प्राप्त कर उपर्युक्त निर्धारित दरों पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरषिप (पी0पी0पी0) के आधार पर अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था सुनिष्चित की जाये।

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के चयन के लिये निर्धारित मानकः–

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट–1994 के अन्तर्गत अधिकृत पंजीकृत सेन्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से निकटता (1–2 कि0मी0)।

जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी उनके जनपद की चयनित स्वास्थ्य इकाई के नजदीक स्थित पंजीकृत अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर इस सेवा को सुनिश्चित करायें। अल्ट्रासाउण्ड कार्यभार के दृष्टिगत एक से अधिक सेन्टर से अनुबन्ध अपेक्षित है। मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा चिन्हित केन्द्रों से अनुबन्ध करने के पश्चात जिला स्वास्थ्य समिति को इस गतिविधि के विषय में अवगत कराना अपेक्षित है।

लाभार्थी का चयन एवं रेफरल की प्रक्रियाः–

सामान्यतः गर्भावस्था की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रसव पूर्व जाँचों हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को 01 अल्ट्रासाउण्ड जाँच से आच्छादित किया जाना अपेक्षित है। गर्भावस्था की विशेष परिस्थितियों यथा विगत गर्भावस्था में जन्म दोष क्रोमोसोमल डिसआर्डर अथवा स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा चिन्हित होने की दशा में आवश्यकतानुसार 01 से अधिक बार भी अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की जा सकती है। ध्यान रहें कि अनावश्यक अल्ट्रासाउण्ड की जाँचें न करायी जाये। अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से अपेक्षित है कि वह लाभार्थी की परीक्षण रिपोर्ट उसी दिन लाभार्थी को उसके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में स्टैपल करते हुये उपलब्ध करायेंगे।

भुगतान की व्यवस्थाः–

वित्तीय वर्ष 2022–23 से अल्ट्रासाउण्ड का भुगतान ई रूपी वाउचर के माध्यम से किया जाएगा जिसकी विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा। माह सितम्बर 2022 तक के अल्ट्रासाउण्ड हेतु पूर्व की व्यवस्था यथावत रहेगी।

अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर से प्राप्त तृतीय प्रति का स्कैन अपने पास सुरक्षित रखते हुये प्रत्येक माह की समाप्ति पर इस तृतीय प्रति एवं एक्सेल शीट पर लाइन लिस्टिंग की सॉफट कॉपी को, भुगतान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी को प्रस्तुत करेगा, जिसका प्रारूप निम्नवत है–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	उम्र	पति का नाम	आर0सी0एच0 नं0	जेस्टेशनल ऐज	विशेषज्ञ टिप्पणी

प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक सम्पादित अल्ट्रासाउण्ड की संकलित सूचना एवं एकत्रित वाउचर की प्रति अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर द्वारा 23 तारीख तक प्रभारी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विवरण प्राप्त होने पर सम्बन्धित सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में अल्ट्रासाउड सेन्टर का भुगतान माह की समाप्ति पर (विवरण प्राप्त होने के 01 सप्ताह के भीतर) सुनिश्चित कर दिया जाये।

2. **निःशुल्क उपचार व्यवस्थाः–**

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रदेश में सम्भावित 67.06 लाख गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 की राज्य कार्ययोजना में कुल 50 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शासनादेश संख्या–23/2017/1981/पॉच–1–2016–5 (36)/2017 दिनांक 03 अक्टूबर 2017 के अनुसार औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स का क्रय उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरशन द्वारा किया जाना है परन्तु राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 मई 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार औषधियों हेतु

स्वीकृत धनराशि की 80 प्रतिशत धनराशि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कार्पोरेशन को निर्गत की जायेगी तथा 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों द्वारा स्थानीय क्रय किये जाने हेतु आवंटित की जायेगी।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2022–23 के संचालन हेतु प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरान्त दी जाने वाली औषधि की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से की जा रही है। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जनपद स्तरीय एल 1, एल 2 व एल 3 चिकित्सा इकाई में प्रसव के दौरान उपयोग में आने वाली अति आवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स हेतु स्वीकृत धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से अधिकांश औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति की जा रही है। अतः जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि से जे0एस0एस0के0 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स की सूची के अनुसार अतिआवश्यक औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स, क्रय किये जाने हैं, जो उस अवधि में यू0पी0एम0सी0एल0 द्वारा सप्लाई न किये जा रहे हों। इस सम्बन्ध में इकाई में औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आवश्यकता का आंकलन करते हुये यू0पी0एम0एस0सी0एल0 से समन्वय स्थापित करने उपरान्त उनके द्वारा उपलब्ध न कराये जाने की दशा में सीमित मात्रा में ही क्रय किया जाये। किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति एवं वित्तीय अनियमितता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0एस0डी0) एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

- **राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्थाः–**

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 22 राजकीय मेडिकल कॉलेज को (आगरा, बस्ती, अयोध्या, झांसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, इटावा, कन्नौज, मेरठ, आजमगढ़, वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, जालौन, गौतमबुद्धनगर, बदायू, बांदा, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थ नगर, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0आई0एम0एस0, लखनऊ) को प्रसव हेतु औषधि एवं कन्ज्युमेबिल्स के लिये धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

समस्त प्रसव इकाई हेतु औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स हेतु निम्नवत् व्यवस्था की गयी है–

क्र. सं.	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/– की दर से (20 प्रतिषत धनराषि)	RCH.1.4.DS.5	26,32,000	21,05,60,000
2	मेडिकल कॉलेजों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एल 3 चिकित्सा इकाई में सामान्य प्रसव हेतु औषधि तथा कन्ज्यूमेबिल्स रू0 400/–की दर से	RCH.1.4.DS.5	38,000	1,52,00,000
	कुल योग		**26,70,000**	**22,57,60,000**

नोट– *इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था के उपरान्त मेडिकल कॉलेजों से अपेक्षा की जाती है कि मेडिकल कॉलेज में होने वाले प्रसव (सामान्य अथवा जटिल) के लिये लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा। इसके लिये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज द्वारा अपने यहां प्रसव के लिये होने वाले व्यय (ड्रग्स, कन्ज्यूमेबिल्स) को उपरोक्त धनराशि से वहन किया जायेगा। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ए0एन0सी0 ड्रग्स यू0पी0एम0एस0सी0एल0 द्वारा आपूर्ति करायी जा रही है। अतः जनपदों में संचालित मेडिकल कॉलेजों में भी लाभार्थियों को निःशुल्क ए0एन0सी0 ड्रग्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

- **निःशुल्क उपचार हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–**

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं तथा प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इस प्रकार गर्भावस्था में 180 गोलियां एवं **प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ गर्भवती महिला को दी जानी है, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी**। एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी एवं प्रसव पश्चात भी 06 माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इसी प्रकार एनीमिक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में 360 गोलियां एवं प्रसवोत्तर 180 गोलियाँ दी जानी है। प्रदेश में 50 प्रतिशत एनीमिक गर्भवती महिलाओं के दृष्टिगत समस्त गर्भवती महिलाओं के लिये 450 आई0एफ0ए0 गोली प्रति महिला आवश्यक होंगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में गम्भीर एनीमिया में आयरन सुक्रोज भी दिया जाना है।

सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में कैल्शियम की, 02 गोली (1–1 गोली सुबह शाम) दिया जाना है। **प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्शियम (1–1 गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद दी जानी हैं, जो छुट्टी के समय एवं बच्चें के टीकाकरण के समय आने पर दी जायेगी।** इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को **कैल्शियम** की **720 गोली** दी जानी है।

ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स प्रत्येक गर्भवती को द्वितीय त्रैमास में एलबेन्डाजॉल की 01 गोली छाया वी0एच0एस0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 सत्र अथवा पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।

प्रथम त्रैमास में प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 माइक्रो ग्रा0 फोलिक एसिड की 1 गोली दी जानी है।

नोट– किसी भी प्रसूता से बाहर से औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स अथवा कोई अन्य सामग्री नहीं मंगवायी जानी है।

निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में **01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये**। उचित होगा कि प्रविष्टि के समय आर0सी0एच0 पोर्टल से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3. निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 कार्यालय द्वारा पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

4. निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधा

उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी शिशु सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह (पात्र) होंगी।

रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। कृपया इस सम्बन्ध में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।**

5. निःशुल्क परिवहन सुविधाः–

प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित ''102'' एम्बुलेन्स से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं को घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सन्दर्भन की सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रसूतायें समय से पूर्व ही जल्दी घर चली जाती हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे को विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि **चिकित्सा इकाइयों से 102 की ड्रॉप–बैक सुविधा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।**

6. **ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्थाः–**

- ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर प्रचारित दिया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
- गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित ग्रीवान्स रिड्रेसल हेतु 104 एवं सुमन पोर्टल का उपयोग किया जाए।
- प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों का निस्तारण किया जाये।

- **योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार**

यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

  - जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।
  - समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सत्त रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अन्तर्वैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाये। पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधियों व जाँचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

रिपोर्टिंगः–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय भौतिक प्रगति हेतु मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित करने हेतु व सूचनाओ को नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया गया है।
जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की ब्लाकवार समीक्षा के उपरांत प्रत्येक माह की जिला स्तरीय भौतिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह 5 तारीख तक प्रत्येक द्शा में नवीन एच0एम0आई00एस0 एवं यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड सुनिशित की जाए ।
वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये। सभी भौतिक प्रगति के आंकड़ों का आर0सी0एच0 पोर्टल से मिलान आवश्यक है।

3. ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)''

आप अवगत हैं कि भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' का संचालन शासनादेश संख्या–30/2016/634/पॉच–9–2016–9 (127)/12 टी0सी0 दिनांक 19 मई 2016 द्वारा किया गया है।

इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह की 09 तारीख एवं 24 तारीख को समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ की द्वितीय/तृतीय त्रैमास में राजकीय चिकित्सालयों में ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक'' का आयोजन कर कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की देख–रेख में निःशुल्क प्रसव पूर्व गुणवत्तापरक जाँचों एवं उपचार से आच्छदित किया जा रहा है।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रत्येक माह की 09 तारीख को यह अभियान समस्त ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों, जनपदीय महिला चिकित्सालयों व शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल कॉलेजों तथा प्रत्येक माह की 24 तारीख को समस्त एफ0आर0यू0 पर पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस का संचालन किया जा रहा है। अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्राइवेट चिकित्सक भी राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपना योगदान दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं–

- समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय/तृतीय त्रैमास में कम से कम एक बार एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार सेवाएं प्रदान की जायें।

- निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों/चिकित्सकों को हर महीने उनके जिलों के सरकारी चिकित्सालयों में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
- समस्त ए0एन0एम0 एवं आशा के द्वारा गर्भावस्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रथम बार ए0एन0सी हेतु डियू लिस्ट तैयार करें एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु भी बुलावा पर्ची भेजें।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर समस्त ए0एन0एम0 एवं आशाओं को गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों पर मोबिलाइजेशन हेतु निर्देशित करे।
- अभियान दिवस पर स्वास्थ्य इकाई में आयी गर्भवती महिलाओं के बैठनें की व्यवस्था एवं जल–पान की व्यवस्था की जायेगी।
- अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं की ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक खून की जांचें, एच0आई0वी0/सिफलिस, पेशाब, अल्ट्रासाउण्ड तथा पेट की निःशुल्क जाँचें एवं ग्रुप काउन्सलिंग/परामर्श प्रदान किया जाये। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नही है, तो जांच हेतु उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया जाये।
- समस्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाये।
- पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में सभी लाभार्थियों को निःशुल्क औषधि एवं डाइग्नोस्टिक सेवायें प्रदान करने के दृष्टिगत चिकित्सालय में ए0एन0सी0 सर्विसेस दे रहे चिकित्सकों को स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध औषधियों एवं डाइग्नोस्टिक सेवाओं की विस्तृत सूची उपलब्ध करा दी जाये।
- प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँच कराने आयी गर्भवती महिला का आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण उसी दिन कराना सुनिश्चित करें।
- पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्ण जाँच सुनिश्चित किया जाये एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस में आई सभी गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड पर **पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस** की मोहर लगाऐं।
- गर्भवती महिलाओं के एम0सी0पी0 कार्ड नियमित रूप से भरे जायेगें एवं ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन भी किया जायेगा। अति जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनके मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग एच0आर0पी0 मोहर लगायी जाये। एच0आर0पी0 महिलाओं का उनके प्रसव की कार्ययोजना सहित रिकॉर्ड स्वास्थ्य इकाई पर सुरक्षित रखा जाये।
- स्वास्थ्य इकाइयों पर उपलब्ध ए0एन0सी0 रजिस्टर में अभियान के दौरान सेवायें लेने आयी गर्भवती महिलाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखते हुये पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर सूचना को अपलोड कराने हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी सम्बन्धित को निर्देशित करेगें। प्रत्येक दशा में जनपद की संकलित रिपोर्ट प्रतिमाह पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर अवश्य ही अपलोड कर दी जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आने वाली गर्भवती महिलाओं की जाँच, काउन्सलिंग व उपचार आदि के लिये काउन्टर्स तथा छायादार बैठने के स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। चिकित्सालय में चिकित्सकों, लैब टेक्नीशियन्स तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी होने पर समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सकों एवं अन्य मानव संसाधन को पूल कर सुगमात से सेवायें प्रदान की जाये।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक स्थापित किया जाये। यह मॉडल क्लीनिक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में परिकल्पित क्लीनिक के रूप में विकसित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 संख्या एवं फैम्स कोड	लक्ष्य / इकाइयाँ	दर	स्वीकृत धनराशि
1.	त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक	RCH.1.6.OOC.1	75 ×4 बैठक	3,000	9,00,000
2.	निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवा प्रदाता चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने हेतु मोबिलिटी	RCH.1.6.OOC.2	50 सेवा प्रदाता ×12 माह	1,000	6,00,000
3.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु आशा को प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.6.ASHA.1	2,00,000 एच0आर0पी0×03 विजिट	100	6,00,00,000
4.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0)	RCH.1.6.ASHA.2	2,00,000 एच0आर0पी0	500	10,00,00,000

	गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोंपरान्त 45 दिनों तक देखभाल हेतु आषा को प्रोत्साहन धनराशि				
5.	चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला को चिकित्सक/स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांचें कराने हेतु गर्भवती महिला को यात्रा व्यय	RCH.1.6.DBT	2,00,000 एच0आर0पी0 × 03 विजिट	100	6,00,00,000
6.	जनपद स्तरीय **1 Pledge for 9 Achievers** सम्मान समारोह समारोह	RCH.1.6.OOC.3	75 सम्मान समारोह समारोह	40,000	30,00,000
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि					22,45,00,000

1 <u>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान त्रैमासिक जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक –</u>

मातृत्व स्वास्थ्य के सभी कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 3,000/– प्रति समीक्षा बैठक की दर से व्यवस्था की गयी है।

सभी बैठकों में आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं को सुझाव एवं सहयोग हेतु आमंत्रित किया जाये। जनपद स्तरीय पी0एम0एस0एम0ए0 समिति के सुझावों पर अमल तथा शिकायतों का निवारण किया जाये। बैठकों के कार्यवृत्त रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जायें। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच/ पी0एम0एस0एम0ए0 नोडल इस हेतु उत्तरदायी होगें।

2 <u>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में योगदान देने वाले प्राइवेट चिकित्सकों हेतु मोबिलिटी –</u>

पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान पोर्टल पर पंजीकृत स्वयं सेवी प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर योगदान देने हेतु रू0 1000/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस मोबिलिटी की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक चिकित्सक को आवागमन हेतु स्वयं के साधन का प्रयोग करना होगा। ग्रामीण चिकित्सा इकाई द्वारा वाहन उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रत्येक योगदान के लिये एक मुश्त रू0 1000/– की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा हस्तान्तारित की जायेगी। ***यह धनराशि नगरीय क्षेत्र में योगदान देने वाले चिकित्सकों को देय नही होगी।***

3 <u>प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर आयी गर्भवती महिलाओं हेतु जल–पान की व्यवस्था</u>

पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर राजकीय स्वास्थ्य इकाइयों में अपनी जांच हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को 6–8 घण्टे अस्पताल में व्यतीत करने पड़ते है। इसको ध्यान में रखकर गर्भवती महिलाओं के लिये पेयजल एवं अल्पाहार उपलब्ध कराने हेतु प्राविधान किया गया है–

- प्रत्येक माह की 09 तारीख को आयोजित किये जाने वाले पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु समस्त पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक को एकमुश्त को रू0 2,000/–प्रति इकाई दर से,
- प्रत्येक माह की 24 तारीख को आयोजित किये जाने वाले पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस हेतु जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय को रू0 2,000/–प्रति इकाई की दर से,
- प्रत्येक माह की 24 तारीख को सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर आयोजित होने वाले दिवस हेतु रू0 1,500/–प्रति पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की दर से, धनराशि की व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन के मद में अलग से एफ0एम0आर0 संख्या एवं फैम्स कोड RCH.1.4.OOC.2 के अर्न्तगत की गई है। अल्पाहार में प्रसूताओं को दी जा रही जे0एस0एस0के0 निःशुल्क भोजन के दिशा–निर्देश के अनुसार उसी भांति फल एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिष्चित किया जाये एवं किसी कारणवश गर्भवती महिला को भर्ती किया जाता है तो सम्बन्धित को जे0एस0एस0के0 निःशुल्क भोजन मद से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए।

4 <u>गर्भवती महिलाओं हेतु पी0पी0पी0 मोड पर अल्ट्रासाउण्ड जाँच की व्यवस्था–</u>

वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर अल्ट्रासाउण्ड व्यवस्था न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को जनपद स्तरीय इकाइयों पर सन्दर्भित करना पड़ता है। इस कारण काफी अधिक संख्या में गर्भवती महिलायें अल्ट्रासाउण्ड सुविधा से वंचित रह जाती है। इसके दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं को पी0एम0एस0एम0ए0 दिवसों पर प्रसव पूर्व के दौरान के चयनित उच्च प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पी0पी0पी0 मोड से अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की गई है। इस हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के

अन्तर्गत निःशुल्क डाइग्नोस्टिक के मद में अलग से एफ0एम0आर0 संख्या एवं फैम्स कोड RCH.1.4.DI.2 में व्यवस्था की गई है।

5 मॉडल प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की व्यवस्था

प्रचार प्रसार व मानव संसाधन प्रबंधनः –

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के मॉडल क्लीनिक के विषय वस्तु को आई0एम0ए0, रोटरी, फॉग्सी, लॉयन्स तथा अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि,सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ ए0एन0एम0 व आशा के साथ साझा किया जाये।
- सेवा प्रदाताओं व स्वास्थ्य इकाई के स्टाफ को कार्य दायित्व सौपा जाये।
- आशा के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को वी0एच0एस0एन0डी0 के दौरान सूचित व पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक की साज सज्जा ऐसी कि जाये की पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस विशेष दिवस के रूप में दिखे।

मॉडल क्लीनिक की व्यवस्था :–

- ओ0पी0डी0 पंजीकरण कक्ष में गर्भवती महिलाओं को बता दिया जाये कि उन्हें किस विशेष कक्ष/ पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में जाना है।
- मॉडल पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के स्वागत कक्ष में सर्वप्रथम उनके एम0सी0पी0 कार्ड जॉच लिए जाये एवं यदि एम0सी0पी0 कार्ड न बना हो तो वहीं बना दिया जाये।
- यदि आर0सी0एच0 पोर्टल पर पंजीकरण न हुआ हो तो तत्काल पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाये।
- ए0एन0सी0 रजिस्टर पर अंकन किया जाये।
- इसके बाद वहीं उनके वजन एंव ब्लड प्रेशर की जांच की जाये।
- खून एवं पेशाब के नमूनें एकत्र कियें जायें एवं जांच के लिए लैब भेजा जाये।
- अल्ट्रासाउन्ड जांच की जाये।
- इसके बाद जांच की रिपोर्ट आने तक के अन्तराल के दौरान गर्भवती महिलाओं की परामर्शदाता द्वारा काउन्सलिंग की जाय एवं सूक्ष्म जलपान दिया जाये।
- सारी जांच की रिपोर्ट के साथ गर्भवती महिला को स्त्री रोग विषेषज्ञ चिकित्सक के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा जाये।
- स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जांच के उपरान्त पुनः विशेष कक्ष में ही दवाईयो का वितरण किया जाये एवं जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर लाल रंग की एच0आर0पी0 मोहर लगायी जायें। जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को परामर्शदाता द्वारा जोखिम की विशेष काउन्सलिंग भी कि जाये।
- परामर्शदाता (Counselor) द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित किया जाये तथा अति जोखिम युक्त गर्भवती महिला को अगली फॉलो–अप विजिट के विषय में बताया जाये।
- प्रत्येक उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव एफ0आर0यू0 अथवा उससे उच्च चिकित्सा इकाई पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

6 I Pledge for 9 Achievers अवार्ड वितरण समारोह की व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट सेवा एवं योगदान हेतु राज्य व जनपद स्तर पर I Pledge for 9 Achievers Awards का सलाना आयोजन 09 मार्च 2023 पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक के तुरन्त बाद दिया जाना है। जनपद में पी0एम0एस0एम0ए0 के दौरान श्रेष्ठ सेवायें देने वाले प्राईवेट तथा राजकीय सेवा के चिकित्सकों को सम्मानित किया जाये। बैठकों हेतु निर्धारित धनराशि से प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह का वितरण किया जाना है। इस हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत एकमुश्त रू0 40,000/–प्रति जनपद की दर से धनराशि की व्यवस्था की गई है।

7 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत एच0आर0पी0 ट्रैकिंग हेतु अभियान के विस्तारणः–

- प्रत्येक आशा की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह अपने क्षेत्र की प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर चिन्हित स्वास्थ्य इकाइयों पर आने हेतु प्रोत्साहित करेगी।

- पी0एम0एस0एम0ए0 क्लीनिक में चिन्हित समस्त उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार एवं परामर्श दिया जायेगा। साथ ही स्वास्थ्य इकाइयों एवं आशा/ए0एन0एम0 द्वारा लाइन लिस्टिंग तैयार की जाए एवं पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर आने वाली उच्च जोखिमयुक्त गर्भवती महिलाओं की सूची प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय में भी उपलब्ध रहे।
- गर्भवती महिला जैसे उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला के रूप में चिन्हित हो जायेगी वैसे ही आशा/ए0एन0एम0 द्वार विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा प्रसूति रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उनकी 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जाँच कराना सुनिश्चित करेंगी। इन अतिरिक्त 03 जाँचों के दौरान आषा चिन्हित गर्भवती महिला के साथ आयेगी।
- यह आवश्यक होगा कि समस्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट अगले पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस अथवा उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा सुझावित चिकित्सा केन्द्र पर किया जायेगा।
- यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार की जटिलता के दृष्टिगत समस्त चिन्हित उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं का उपचार किये जाने हेतु निकटतम प्रथम सन्दर्भन इकाई पर लिंक करते हुये सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जाये।
- आशा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रसव के समय प्रथम सन्दर्भन इकाई पर ले जाने हेतु निःशुल्क परिवहन की सुविधा हो।
- पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0 पर तैनात समस्त चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक रूप से BEmONC (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, ताकि गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान की जा सके।
- जहाँ प्रशिक्षित चिकित्सकों अनुपलब्धता है वहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात OBGY Specialist / CEmONC/BEmONC trained doctor को माह में एक बार पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस पर भेजा जाये।
- ऐसी स्वास्थ्य इकाइयां जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है वहाँ पर टेली कन्सल्टेशन की व्यवस्था की जाये।

8 वित्तीय व्यवस्था एवं आवश्यक निर्देश–

- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु रू0 100/– प्रति विजिट आशा को प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान।
- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव एवं प्रसवोंपरान्त देखभाल 45 दिनों बाद ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा माँ एवं शिशु के स्वस्थता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर आषा को रू0 500/– प्रसूता महिला प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान।
- चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला को चिकित्सक/स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 जांचें कराने हेतु पी0एम0एस0एम0ए0 दिवस/ चिकित्सालय आने पर रू0 100/– प्रति विजिट धनराशि दिये जाने का प्राविधान।

9 पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

- पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर प्रत्येक त्रैमास प्रारम्भ होने के पॉच दिन पूर्व पंजीकृत स्वास्थ्य इकाइयों के स्व–मूल्यांकन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
- RMNCH+A पार्टनर एवं राज्य स्तरीय मॉनीटर के साथ DQACs जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का प्लान बनाकर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी Key Stake Holders एवं राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग के साथ साझा करें।
- जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्लान के अनुसार Key Stake Holders के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह की 09 तारीख को भ्रमण किया जाये एवं निर्धारित प्रारूप में भ्रमण आख्या चिन्हित गैप के साथ जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को 10 तारीख तक सौंपा जायें एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेक लिस्ट पोर्टल पर 11 तारीख तक अपलोड किया जाये।
- प्रत्येक माह 15 तारीख से पूर्व पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल की समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) स्तर पर रिपोर्ट को अपलोड करायें एवं समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन

अपने स्तर से भी करते हुये सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयो को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

- जब तक आर0सी0एच0 पोर्टल के साथ पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल एकीकृत (integrated) नहीं हो जाता है, तब तक रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन एवं भुगतान पी0एम0एस0एम0ए0 रजिस्टर के माध्यम नियमित रूप से किया जायेगा।
- इस हेतु पी0एम0एस0एम0ए0 रजिस्टर में निम्न अतिरिक्त कॉलम जोडे जायेगें–
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) गर्भवती महिला की 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट हेतु कॉलम (द्वितीय विजिट,तृतीय विजिट एवं चतुर्थ विजिट)।
  - गर्भवती महिला के सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु इकाई का चिन्हीकरण।
  - प्रसव का समय, दिनांक एवं प्रकार (सामान्य प्रसव/सिजेरियन प्रसव)।
  - प्रसवोंपरान्त 45 दिन तक माँ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति।
  - चिकित्साधिकारी/ए0एन0एम0 (हस्ताक्षर सहित) द्वारा माँ एवं नवजात शिशु का स्वस्थता प्रमाणीकरण।
- **निम्न संकेतकों के आधार पर राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन–**
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) के सापेक्ष 03 अतिरिक्त ए0एन0सी0 विजिट करने वाली गर्भवती महिला का प्रतिशत।
  - चिन्हित उच्च जोखिम युक्त (एच0आर0पी0) के सापेक्ष 45 दिन तक माँ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति का प्रतिशत।
- पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल पर प्रत्येक त्रैमास प्रारम्भ होने के पॉच दिन पूर्व पंजीकृत स्वास्थ्य इकाइयों के स्व–मूल्यांकन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड किये जायें।
- RMNCH+A पार्टनर एवं राज्य स्तरीय मॉनीटर के साथ DQAs जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का प्लान बनाकर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी Key Stake Holders एवं राज्य स्तर पर मातृ स्वास्थ्य अनुभाग के साथ साझा करें ।
- जनपद स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्लान के अनुसार Key Stake Holders के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक माह की 09 एवं 24 तारीख को भ्रमण किया जाये एवं निर्धारित प्रारूप में भ्रमण आख्या चिन्हित गैप के साथ जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति को 10 एवं 25 तारीख तक सौंपा जायें एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण चेक लिस्ट पोर्टल पर 11 एवं 26 तारीख तक अपलोड किया जाये।
- प्रत्येक माह 15 एवं 27 तारीख से पूर्व पी0एम0एस0एम0ए0 पोर्टल की समस्त पंजीकृत स्वास्थ्य इकाई (चिकित्सा इकाई) पर रिपोर्ट को अपलोड करायें एवं समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन अपने स्तर से भी करते हुये सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाइयो को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
- कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।
- मुख्य चिकित्साधिकारी व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अनुश्रवण आख्या का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- ***जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।***

4. ''Maternal Death Surveillance and Response (MDSR) ''

प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं राज्य स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुये महत्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) 2017–19 के अनुसार उ0प्र0 का मातृ मृत्यु अनुपात 167 प्रति 1 लाख जीवित जन्म है, जिसे सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अर्न्तगत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु जनपदों में MDSR कार्यक्रम के क्रियान्वयन के विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग–

- आशा द्वारा अपने क्षेत्र में होने वाली 15–49 वर्ष के आयु की प्रत्येक महिला की मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द दूरभाष पर सम्बन्धित ए0एन0एम0 को 24 घण्टे के अन्दर तथा ए0एन0एम0 द्वारा प्रारूप–1 पर ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराई जायेगी।
- 15 से 49 वर्ष की समस्त महिलाओं की मृत्यु की सूचना प्रत्येक माह प्रारूप–2 पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सुरक्षित की जायेगी।
- समस्त संसूचित 15 से 49 वर्ष की महिलाओं की मृत्यु की सूचना में से मातृ मृत्यु समीक्षा के उपरान्त चिन्हित वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना प्रारूप–3 पर सुरक्षित की जायेगी।
- ***जनपद में हुई समस्त मातृ मृत्यु की ब्लॉकवार लाइन लिस्ट की सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक निर्धारित प्रारूप (Google sheet) पर अपडेट कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड, केसशीट की छाया प्रति राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा हेतु भेजना सुनिश्चित करें ।***
- मातृ मृत्यु की सूचना देना न्यायोचित है। कोई भी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता तथा समुदाय का कोई भी व्यक्ति मातृ मृत्यु की सूचना दे सकता है। अतः मातृ मृत्यु की सूचना देने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/सेवा प्रदाता को दण्डित न किया जाये।
- किसी भी वास्तविक मातृ मृत्यु की सूचना जानबूझकर छिपाने वाली आशा के निष्कासन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को सूचित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। क्षेत्रीय ए0एन0एम0 तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भी ऐसी परिस्थिति में चेतावनी दी जायेगी तथा पुनरावृत्ति की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक दशा में प्रभारी चिकित्साधिकारियों द्वारा बी0सी0पी0एम0 के सहयोग से मासिक क्लस्टर मीटिंग के दौरान आशाओं को मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर देने की उपयोगिता तथा सूचना को छिपाने के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में भली भांति नियमित अवगत कराया जायेगा। इस योजना का जनपद/ब्लॉक स्तरीय बैठकों में वृहद प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रवासी (Migrant) मातृ मृत्यु–

अन्य जनपद/राज्य की मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में फैसिलिटी आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा उसी इकाई में की जायेगी, परन्तु समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये सम्बन्धित जनपदीय एवं राज्य नोडल को सूचित करते हुये समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। प्रवासी मातृ मृत्यु के सम्बन्ध में मातृ मृत्यु का जनपद गर्भावस्था में अधिकांश समय व्यतीत करने वाला/मृत्यु का कारण प्रारम्भ होने वाला जनपद माना जायेगा एवं उसी जनपद में यह मातृ मृत्यु संगणित की जायेगी।

3. सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (CBMDR)–

- प्रत्येक मातृ मृत्यु (संस्थागत/एम्बुलेन्स/घर इत्यादि) की सामुदयिक स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा अपेक्षित है। इसके लिये 03 सदस्यीय टीम बनायी जाये जिसके सदस्य चिकित्साधिकारी/ स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/ एल0एच0वी0/क्षेत्र की ए0एन0एम0 एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आदि हो सकते है। यदि चिकित्सा अधिकारी इस दल के सदस्य होगें तो मृत्यु का कारण उनके द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर टीम द्वारा की गयी वर्बल आटॉप्सी के आधार पर मृत्यु के कारणों को चिन्हित किया जायेगा। **यह सुनिश्चित किया जाये की टीम में एक महिला सदस्य अवश्य हो।**
- इस गतिविधि के फलस्वरूप मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्र–5 व 6 पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये। प्रत्येक माह मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र–3 (Template-3) पर अवश्य बनायें।
- प्रत्येक समुदाय आधारित मातृ मृत्यु समीक्षा के लिये रू0 600/–की धनराशि (एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1) प्राविधानित है। इस धनराशि का विभाजन दलों के 03 सदस्यों (चिकित्साधिकारी/एल0एच0वी0 अथवा क्षेत्र की ए0एन0एम0एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) को वास्तविक रूप में मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु भ्रमण करने पररू0 200/–प्रति सदस्य देय होगा ।

- ब्लॉक नोडल मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक में एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठकों में फैसेलिटी व फील्ड स्टाफ को जागरूक किया जायेगा।

4. फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (FBMDR) –

- प्रत्येक संस्थागत–मेडिकल कॉलेज, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाली मातृ मृत्यु की फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा (MDSR) अपेक्षित है।
- **जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सन्दर्भित हुयी गर्भवती महिलायें, जिनकी मृत्यु रास्ते में हुयी हो (In Transit) का FBMDR, सन्दर्भित करने वाली स्वास्थ्य इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।**
- इस हेतु प्राविधानित प्रारूप–4 व 6 को पूर्ण रूप से भरकर जमा किया जाये।
- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मातृ मृत्यु सम्बन्धी सूचना मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर दूरभाष/प्रारूप–1 पर प्रभारी नोडल अधिकारी को देते हुये 24 घण्टे के भीतर फैसेलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा सुनिश्चित करेगें एवं सम्बन्धित केस शीट की छाया प्रति भविष्य में समीक्षा के लिये संलग्न करेंगे।
- फैसिलिटी स्तर पर मातृ मृत्यु समीक्षा की एक प्रति इकाई पर सुरक्षित रखते हुये दूसरी प्रति जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु नोडल अधिकारी को उसी माह प्रेषित करेंगे।
- प्रत्येक माह होने वाली मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या मातृ मृत्यु समीक्षा हेतु मानक क्रियान्वयन निर्देश पुस्तिका के प्रारूप–3 (Template-3) (एम0डी0आर0 हेतु केस सारांश) पर अवश्य बनायें।
- फैसिलिटी नोडल मेडिकल ऑफिसर स्वास्थ्य इकाई पर एम0डी0एस0आर0 सम्बन्धी प्रत्येक व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होगें एवं मातृ मृत्यु से प्राप्त समस्त सूचनाओं को 24 घण्टे के भीतर जनपद स्तरीय नोडल ऑफिसर को प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा फैसेलिटी पर उपलब्ध समस्त आँकड़ों की समीक्षा करते हुये मासिक बैठक में फैसेलिटी स्टाफ को संवेदित किया जायेगा।

मातृ मृत्यु कारणों का वर्गीकरण –

M01- Pregnancies with abortive outcome (Maternal death: Direct)
M02- Hypertensive disorders in pregnancy, childbirth and puerperium (Maternal death: Direct)
M03- Obstetric hemorrhage (Maternal death: Direct)
M04- Pregnancy related infections (Maternal death: Direct)
M05- Other obstetric complications (Maternal death: Direct)
M06- Unanticipated complications of Management (Maternal death: Direct)
M07 - Non obstetric complications (Maternal death: Indirect)
M08- Unknown/ undetermined (Maternal death: unspecified)
M09- Co-incidental causes (Death during pregnancy, child birth and puerperium)

Annexure II provides a detailed enumeration of causes for each of the above categories which must be referred to while filling up the MDSR formats. All medical officers/faculties in the facility must be trained on MCCD, MDSR guidelines and use of FBMDSR form.

5. जनपद स्तर पर MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- जनपद स्तर पर प्रत्येक माह में एक बार, मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला नोडल अधिकारी (MDSR) सुनिश्चित करेंगे। इसमें सभी मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग एवं मातृ मृत्यु (समुदाय आधारित एवं स्वास्थ्य इकाई आधारित) की समीक्षाओं का विस्तृत अनुश्रवण किया जाये। इस बैठक में प्रारूप– 4, 5 एवं 6 भी प्रस्तुत होंगे जिससे एकत्रित सूचनाओं की गुणवत्ता का आंकलन किया जा सके। इसी बैठक में जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले केसों का चयन किया जाये, जिनमें संवेदनशील कार्यवाही योग्य बिन्दु हों। प्रत्येक माह जनपद स्तर पर उक्त आयोजित की गयी बैठक के कार्यवृत्त निर्धारित Template-2 के अनुसार ही बनाये जाये।
- जनपद स्तर पर प्रत्येक 3 माह में एक बार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर MDSR कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाये। इस बैठक में मातृ मृत्यु के विभिन्न कारकों, देरियों और मृत्यु के स्थान में से कुछ चुने हुये केसों की समीक्षा रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाये। विशेषकर मातृ मृत्यु के सामाजिक कारणों जिन पर अन्य विभागों के सहयोग की

आवश्यकता हो, को इस बैठक में प्रस्तुत किया जाये। क्षेत्रवार मातृ मृत्यु के क्षेत्रीय कारणों का विश्लेषण कर विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने वाले कार्यवाही पर भी चर्चा की जाये एवं गत बैठक में लिये गये निर्णयों पर प्रगति भी प्रस्तुत की जाये। इस बैठक को डी0एच0एस0 के साथ अथवा जनपदीय एम0डी0आर0 रिव्यू बैठक के साथ ही किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

- इन बैठकों के कार्यवृत्त को मण्डल स्तर पर त्रैमासिक रिव्यू के समय अवश्य प्रस्तुत किया जाये। प्रत्येक माह सभी मातृ मत्यु समीक्षा (MDSR) नवीन प्रारूप 1, 2 व 3 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मृत्यु के कारणों का विश्लेषण व सुधार के लिये की गयी कार्यवाही पर आख्या बनाई जाये।
- ब्लॉक/जनपद/मण्डल स्तरीय बैठकों में सुझायी गयी रणनीतियों पर परिणामी कार्यवाही करें, जिससे क्षेत्र में सम्भावित मातृ मृत्यु में प्रभावी कमी लायी जा सके। इस विषय पर की कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- जनपद स्तरीय कुल 12 मासिक (प्रत्येक माह में एक बार) बैठकों के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.3 पर रू0 1,500/– प्रति बैठक के दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000/– (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) प्राविधानित है।

6. मण्डल स्तर पर त्रैमासिक MDSR कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन–

- मण्डल स्तर पर अपर निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करें। इस बैठक में मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के कार्यक्रम प्रभारी व सभी जनपदीय समितियों के अध्यक्ष प्रतिभाग करें। सभी जनपदों के प्रभारी इस बैठक के आयोजन से पूर्व जनपद स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।
- बैठक में प्रत्येक जनपद में किये जा रहे रिव्यू की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु भरे हुये प्रारूप 4, 5 एवं 6 के अनुसार मृत्यु के कारणों एवं प्रपत्रों की गुणवत्ता का विश्लेषण करें।
- इन बैठकों का अच्छा मीडिया कवरेज सुनिश्चित किया जाये। मीडिया के समक्ष मातृ मृत्यु कम करने सम्बन्धी जनपदों/मण्डल के प्रयासों को उजागर किया जाये। इस बैठक का कार्यवृत्त अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर भी प्रेषित किया जाये। इन बैठकों के कार्यवृत्त मातृ स्वास्थ्य अनुभाग एस0पी0एम0यू0 एवं एम0सी0एच0 अनुभाग परिवार कल्याण महानिदेशालय को क्रमशः gmmhup2019@gmail.comएवं mchjsy@gmail.com अवश्य प्रेषित किये जायें।
- मण्डल स्तरीय बैठक हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/– की दर से 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/–(रू0 सात लाख बीस हजार) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 पर प्राविधानित है।

7. मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्र की वार्षिक छपाई–

मातृ–मृत्यु से सम्बन्धित फॉर्म्स एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र की छपाई हेतु सभी जनपदों को रू0 30/– प्रति रिपोर्टिंग प्रपत्र के दर से कुल 13500 प्रपत्र हेतु कुल धनराशि रू0 3,08,100/–(रू0 तीन लाख आठ हजार एक सौ मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9.IEC.1 पर अनुमन्य है। इस धनराशि से सभी इकाईयों पर मातृ मत्यु समीक्षा नवीन प्रपत्र–1, 2, 3, 4, 5 व 6 की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

8. सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृ मृत्यु की सूचना देने वाला प्रथम व्यक्ति (Primary Informant) हेतु प्रोत्साहन धनराशि–

सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रदाता (Primary Informant) हेतु रू0 1,000/–प्रति मातृ मृत्यु की दर से कुल धनराशि रू0 35,91,000/–(रू0 पैंतीस लाख इक्यान्बे हजार मात्र) की प्रोत्साहन धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रेषित आर0ओ0पी0 में स्वीकृत हुयी है।

''प्रथम सूचना प्रदाता के अन्तर्गत आशा, आंगनवाडी कार्यकत्री, पंचायती राज विभाग का कोई भी व्यक्ति तथा सामुदाय से कोई भी व्यक्ति (स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मी को छोडकर) इस प्रोत्साहन धनराशि को प्राप्त करने हेतु अर्ह होंगे।''

9. एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सम्बन्धी तालिका निम्नवत हैं–

क्रम सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड	दर (रू0 में)	राज्य स्तर से निर्धारित लक्ष्य	जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रू0 में)
1.	कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू–ब्लॉक दल को	RCH.1.9 SRRE.1	600	9952	59,71,200

2.	प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट	RCH.1.9.IEC.1	30	10270	3,08,100
3.	जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार)रू0 1,500/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.3	1500	450	13,50,000
4.	मण्डल स्तर पर 04 त्रैमासिक समीक्षा बैठकों हेतु रू0 10,000/ प्रति बैठक की अधिकतम सीमा तक	RCH.1.9 SRRE.4	10,000	72	7,20,000
5.	सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत Primary informantहेतु रू0 1,000/प्रति मातृ मृत्यु हेतु प्रोत्साहन धनराशि	RCH.1.9 SRRE.2	1,000	2989	29,89,000
जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि					1,13,38,300

- ब्लॉक स्तर दल को कम्युनिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू हेतु दी जाने वाली धनराशि एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.1 में रू0 600/–प्रति रिव्यू की दर से कुल सम्भावित मातृ मृत्यु (9952) हेतु कुल धनराशि रू0 59,71,200/–(रूपये उनसठ लाख इकत्तर हजार दो सौ मात्र) संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार आंवटित की गयी है।
- प्रिटिंग ऑफ एम0डी0एस0आर0 फॉर्मेट हेतु एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 IEC.1 में प्रति सम्भावित मातृ मृत्युओं के लिये रू0 30/–की दर से कुल धनराशि रू0 रू0 03,08,100/–(रूपये तीन लाख आठ हजार एक सौ मात्र) हेतु आंवटित की जा रही है।
- मण्डल स्तरीय त्रैमासिक मातृ मृत्यु कार्यक्रम समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु प्रति मण्डल प्रति बैठक रू0 10,000/–की दर से कुल 04 त्रैमासिक बैठकों के लिये कुल धनराशि रू0 7,20,000/– (रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) एफ0एम0आर0 एवं फैम्स कोड RCH.1.9 SRRE.4 में एवं जनपद स्तर पर 12 समीक्षा बैठकों हेतु (प्रत्येक माह में एक बार) के लिये एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.9 SRRE.3 में रू0 1,500/– प्रति बैठक की दर से कुल धनराशि रू0 13,50,000/– (रू0 तेरह लाख पचास हजार मात्र) की दर से जनपदों को आंवटित की जा रही है।
- उपर्युक्त हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को कुल धनराशि रू0 1,13,38,300/–(एक करोड़ तेरह लाख अड़तीस हजार तीन सौमात्र) राज्य स्तर से जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आंवटन की जा रही है।

10. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग –

- प्रत्येक माह मातृ मृत्यु की लाइन लिस्टिंग एवं समीक्षा की सूचना ई–मेल आई0डी0 gmmhup2019@gmail. com /mdsrup@gmail.com & mchjsy@gmail.com पर प्रेषित की जाये।
- एम0डी0एस0आर0 कार्यक्रम सम्बन्धी सूचनाओ को एम0पी0सी0डी0एस0आर0/एच0एम0आई0एस0/आर0सी0 एच0 पोर्टल पर शत्प्रतिशत अपलोड किया जाये। यह सूचना जनपद/ब्लॉक स्तर वेलिडेशन कमेटी के सत्यापन उपरांत ही पोर्टल पर अपलोड की जाये।
- जिला नोडल अधिकारी एम0डी0एस0आर0 मातृ मत्यु समीक्षा प्रपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पोर्टल में समस्त त्रुटि रहित सूचनाओं का अंकन तथा उसकी समीक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक जनपद मातृ मत्यु समीक्षा के पश्चात् प्रत्येक त्रैमास 2–3 केस स्टडी का डॉक्यूमेन्टेशन कर मण्डल को प्रेषित करे। मण्डल स्तर पर संकलित इन केस स्टडीज़ की एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाये।

विभिन्न स्तर पर नोडल अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व –

मण्डलीय नोडल → जनपद स्तरीय आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं राज्य/जनपदों को फीडबैक प्रदान करना

↓

जनपदीय नोडल → ब्लॉकस्वास्थ्य इकाई स्तरीय आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं सम्बन्धित को फीडबैक प्रदान करना

↓

फैसेलिटी नोडल → स्वास्थ्य इकाई के आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं फैसेलिटी स्टाफ को फीडबैक प्रदान करना

↓

ब्लॉक नोडल → ब्लॉक में रिपोर्टेड केसों की समीक्षा आँकड़ों का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं फैसेलिटी स्टाफ/फील्ड वर्करों को फीडबैक प्रदान करना

उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि–

- किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- ***जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।***

5. हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी (उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था) का चिन्हीकरण, उपचार, फॉलो–अप व प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन

अवगत कराना है कि पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में से 05 से 10 प्रतिशत महिलाओं में उच्च जोखिम युक्त गर्भवस्था (हाई रिस्क प्रेगनेन्सी) होने की सम्भावना रहती है, जिसका समय पर चिन्हीकरण, उपचार एवं नियमित फॉलो–अप तथा संस्थागत प्रसव होना अत्यन्त ही अनिवार्य है।

हाई रिस्क प्रेगनेन्सी से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारण निम्नवत है–

- रक्तस्राव (एन्टी पार्टम/पोस्ट पार्टम)
- गम्भीर एनीमिया (Hb < 7 ग्राम/डीएल)
- गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप (Pre-eclampsia/eclampsia)
- पूर्व की गर्भावस्था की जटिलताएं
- बाधित प्रसव (Obstructed Labour)
- अन्य चिकित्सकीय बीमारियाँ जो गर्भावस्था में अनियंत्रित हो जायें जैसे– डायबिटीज, हृदय रोग, टी0बी0, मलेरिया, आदि।

गर्भवती महिला में जटिलता के चिन्हीकरण हेतु मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है–

(1) पूर्व की गर्भावस्था से सम्बन्धित हाई रिस्क फैक्टर	(2) वर्तमान गर्भावस्था के हाई रिस्क फैक्टर
• पूर्व में मृत शिशु का जन्म/नवजात शिशु की मृत्यु • पूर्व में प्री टर्म शिशु पैदा होना • पूर्व में बार–बार गर्भपात होना • नवजात शिशु का ब्लड ग्रुप/आर0एच0 सम्बन्धी विकार, हिमोलिटिक बीमारी • पूर्व में कम वजन का शिशु पैदा होना (2.5 किग्रा से कम) • एक्लेम्पसिया की हिस्ट्री या प्री एक्लेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/झटके) • पूर्व में सिजेरियन होना • पूर्व में भ्रूण में जन्मजात विकृति की हिस्ट्री • पूर्व में प्रसव में पी0पी0एच0 की हिस्ट्री	• वर्तमान के भ्रूण की असामान्य स्थिति • प्लेसेन्टा की विकृति या असामान्य स्थिति • प्री एकलेम्पसिया (हाई ब्लड प्रेशर/पेशाब में एल्ब्यूमिन/सूजन) • पेली या ओलीगोहाईड्रॉम्नियोस • मधुमेह, गुर्दा रोग • गम्भीर एनीमिया • एक्टोपिक प्रेगनेन्सी • वेजाईनल रक्त स्त्राव • अत्यधिक तम्बाकू एवं अल्कोहल का सेवन
(3) फिजिकल रिस्क फैक्टर	**(4) मेडिकल हाई रिस्क फैक्टर**
• आयु 15 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक • छोटा कद (145 से0मी0 से कम) • सर्विक्स/यूटरस की विकृति • मां का वनज कम होना (35 किग्रा0 से कम)	• सीवियर एनीमिया • उच्च रक्तचाप • हृदय रोग, गुर्दा रोग • एपिलेप्सी • क्षय रोग • थाररॉयड • TORCH पॉजिटिव • HIV/HbsAg पॉजिटिव

किसी गर्भवती महिला में उपर्युक्त कोई भी लक्षण पाये जाने पर ए0एन0एम0 मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड पर प्रदर्शित तालिका में टिक (√) लगाते हुये ***कार्ड के प्रथम पृष्ठ व काउन्टर फॉइल पर लाल HRP मोहर या लाल पेन से HRP लिखेंगी।***

वित्तीय व्यवस्था –

भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की उपलब्धियों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 2,57,000 उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं संस्थागत प्रसव का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है–

वर्ष 2022–23 में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि का विवरण –

क्र0 सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 / एफ0ए0एम्0एस0 कोड	लक्ष्य	जनपदों को आवंटित धनराशि (रू0 में)
1	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण हेतु लाइन लिस्टिंग एवं फॉलो–अप हेतु ए0एन0एम0 के लिए रू0 200/– प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि।	RCH.1.2.OOC	2,57,000	5,14,00,000
2	अत्यधिक जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण, फॉलो–अप, लाइन लिस्टिंग एवं संस्थागत प्रसव तक फॉलो–अप हेतु आशा के लिए रू0 300/– प्रति केस की प्रोत्साहन धनराशि।	RCH.1.2.ASHA	2,57,000	7,71,00,000
कुल धनराशि				**12,85,00,000**

➢ **ए0एन0एम0 हेतु प्रोत्साहन धनराशि–**

छाया ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वछता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 गर्भवती महिला की जाँच एवं पूर्व के प्रसवों/गर्भावस्थाओं के इतिहास के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिला को पहचान कर ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल में दर्ज करते हुए, एम0सी0पी0 कार्ड में अंकन कराने एवं कार्ड में लाल HRP मोहर लगाने पर ए0एन0एम0 को रू0 200/– प्रति एच0आर0पी0 की दर से प्रोत्साहन धनराशि देय होगी। इस हेतु एफ0एम0आर0 एवं एफ0ए0एम्0एस0 कोड– RCH.1.2.OOC में संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार जनपदों को कुल धनराशि रू0 5,14,00,000/– (रू0 पांच करोड चौदाह लाख मात्र) आवंटित की जा रही है।

➢ **आशा हेतु प्रोत्साहन धनराशि–**

अपने क्षेत्र में छाया ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर ए0एन0एम0 द्वारा हाई रिस्क गर्भवती महिला का चिन्हीकरण होने पर आशा –

- उसे अपने वी0एच0आई0आर0/यू0एच0आई0आर0 रजिस्टर में दर्ज करेंगी।
- ए0एन0एम0 से उसका एम0सी0पी0 कार्ड भरवाते हुए आर0सी0एच0 नं0 अंकित करवायेंगी।
- उसका ब्लाक/जिला स्तरीय चिकित्सालय पर नियमित रूप से फॉलो–अप एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करेंगी एवं गर्भवती की सुरक्षित प्रसव तक की सभी सूचनायें ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल पर अंकित करवायेंगी, इस हेतु आशा को रू0 300/– प्रति एच0आर0पी0 की प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- इस हेतु एफ0एम0आर0 एवं एफ0ए0एम्0एस0 कोड– RCH.1.2.ASHA में संलग्न जनपदवार फॉट के अनुसार जनपदों को कुल धनराशि रू0 7,71,00,000/– (रू0 सात करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) आवंटित की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त सरकारी/निजी संस्था में सुरक्षित प्रसव करवाने के पश्चात ई–कवच तथा आर0सी0एच0 पोर्टल पर इसे अंकित कराने पर भी आशा को यह प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- यह प्रोत्साहन धनराशि जे0एस0वाई के प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त होगी।

आशा का उत्तरदायित्व होगा कि ए0एन0एम0 के सहयोग से जटिलता वाली गर्भवती महिला के परिवार को जटिलता का प्रकार एवं उससे होने वाले खतरे के लक्षणों के विषय में विस्तार से समझाये। आशा को प्रत्येक गर्भवती महिला में ए0एन0सी0 हेतु Extended PMSMA के अंतर्गत कम से कम 03 विजिट कराना अनिवार्य है। इन प्रयासों से राज्य में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित संस्थागत प्रसवों को सुनिश्चित कर मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

एच0आर0पी0 के प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु पूर्व में प्रेषित पत्रांक–एन0एच0एम0/मातृ स्वा0/एच0एम0आई0 एस0–एम0सी0टी0एस0/121/2018–19/4667 दिनांक 02.08.2018 के क्रम में डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 उत्तरदायी होंगे। जनपद में जिला परामर्शदाता मातृ स्वा0/डी0सी0पी0एम0 हाईरिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण, उपचार एवं फॉलो–अप सुनिश्चित करायेंगे।

कार्यक्रम क्रियान्वयन–

- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0, इस कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
- सभी स्वास्थ्य इकाई प्रभारियों को हाई रिस्क प्रेगनेन्सी का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप सम्बन्धी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए एक रणनीति विकसित की जाये। हाई रिस्क प्रेगनेन्सी के चिन्हीकरण के लिये शीघ्र पंजीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाये।
- प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर सभी ब्लॉक प्रभारियों एवं चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की पुनः बैठक कर ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप पर चर्चा की जाये। इसी प्रकार प्रत्येक ब्लॉक पर भी एक बैठक कर इस विषय पर चर्चा की जाये जिससे कार्यक्रम का अनुश्रवण हो सकें।
- ब्लॉक स्तरीय बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0 व एच0ई0ओ0 सभी ए0एन0एम0 को ''हाई रिस्क प्रेगनेन्सी'' का चिन्हीकरण, उपचार व फॉलो–अप के विषय में विस्तार से बतायें तथा क्वालिटी ए0एन0सी0 के घटक व महत्ता पर प्रकाश डालें। आर0सी0एच0, एच0एम0आई0एस0 व ई–कवच पोर्टल पर सूचनाओं के अंकन पर भी ज्ञानवर्धन करें।
- प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने क्षेत्र की हाई रिस्क गर्भवती महिलाओ की ब्लॉकवार सूची अपने पास रखना सुनिश्चित करें।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव प्रथम सन्दर्भन इकाई सी0एच0सी0 या उससे उच्च चिकित्सा इकाइयों पर कराया जाये।
- मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों पर स्पष्ट निर्देश प्रेषित करें कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला को उपचार हेतु लगी हुई कतार में न खड़ा रहने दें, वरन उस गर्भवती महिला को विशेष महत्व देते हुये उसे जाँच एवं उपचार तुरन्त उपलब्ध करवाया जाये। सम्भव हो तो एक पृथक से हाई रिस्क क्लीनिक भी बनायी जाये।
- उच्च खतरे वाली वाली गर्भवती महिलाओं की सूचना आर0सी0एच0 रजिस्टर में ''कॉम्प्लीकेशन इन प्रेगनेन्सी'' वाले कॉलम में नियमित रूप से अंकित कर इसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।
- प्रत्येक जनपद की सभी इकाइयों पर यह प्रोटोकॉल भी प्रदर्शित किया जाये कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के उपचार की सुविधा किन चिकित्सा इकाइयों पर उपलब्ध है। इससे ए0एन0एम0 अथवा आशाओं को उचित इकाई पर सन्दर्भन में सुविधा होगी।
- प्रत्येक माह चिकित्सा इकाई के प्रभारी नयी चिन्हीकृत उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की विस्तृत सूचना एवं सुरक्षित संस्थागत प्रसव के आर0सी0एच0 पोर्टल पर अंकित डाटा का अनुश्रवण करेंगे। अपने जनपद/ब्लॉक में संभावित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की संख्या (कुल गर्भवती महिलाओं का 5–10 प्रतिशत) का आंकलन कर, उसके सापेक्ष कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- सभी प्रोत्साहन धनराशियों का आवंटन आर0सी0एच0 व ई–कवच पोर्टल पर प्रसव तक की सेवाओं के अंकन का साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने पर ही देय होगा। ब्लाक स्तर पर आर0सी0एच0 प्रभारी द्वारा यह साक्ष्य सत्यापित किया जायेगा।
- ***जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करे कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (limit) जारी की जाये।***

6. मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण :–

मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के अन्तर्गत सुचारू रूप से सेवायें प्रदान करने हेतु मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड का मुद्रण कराते हुये गर्भवती महिलाओं को वितरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रसूति सेवाओं की सूचना एकत्र करने में एकरूपता के लिये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केसशीट का सभी प्रसव इकाईयों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) में प्रयोग किया जाना है। कार्यक्रम की निरंतरता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में केसशीट का जनपद स्तर पर मुद्रण किया जाना है कृपया

आवश्यकतानुसार ससमय मुद्रण कराते हुए सभी प्रसव केन्द्रों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर उपलब्धता सुनिश्चित करायें।

यहाँ पर यह भी संज्ञान में लाना है कि पूर्व पर्यवेक्षण में पाया गया है कि जनपदों पर प्रसव इकाइयों द्वारा केसशीट एवं ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों द्वारा इन केसशीट/एम0सी0पी0 कार्ड को पूर्ण रूप से भरा जाये। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण के समय केस शीट/एम0सी0पी0 कार्ड का परीक्षण अवश्य किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में मातृ शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु निम्नानुसार वित्तीय व्यवस्था की गयी है–

क्र0सं0	गतिविधि	एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम्0एस0 कोड	भौतिक लक्ष्य	जनपदों को आवंटित कुल धनराशि (रू0 में)
1	मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) का मुद्रण	RCH.1.2.IEC	67,06,324 कार्ड का मुद्रण	11,40,07,508
2	केसशीट का मुद्रण	RCH.1.14.IEC	30,00,000 केसशीट का मुद्रण	2,79,00,000
	कुल योग			**14,19,07,508**

मातृ एवं शिशु सुरक्षा (एम0सी0पी0) कार्ड हेतु स्पेसिफिकेशन–

भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं0 T-13011/ 38/2011-CC and V(Part-1) dated 08.05.2018 के क्रम में 40 पेज के मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड को मुद्रण कराते हुये उपयोग में लाया जाना है, जिसका स्पेसिफिकेशन निम्नवत है–

कार्ड का साइज	4 इंच चौड़ा X 11.25 इंच लम्बा।
कागज की गुणवत्ता	150 जी0एस0एम0 माइक्रोन सिंथेटिक पेपर, नॉनटियरेबिल, स्मजप्रूफ पेपर, जिसपर किसी भी प्रकार के पेन से लिखा जा सके।
पृष्ठों की संख्या	40 (छपाई दोनो तरफ)–20 लीफलेट (कवर एवं बैक पेज सहित)। केवल हिन्दी में।
रंग/डिजाइन	चार रंग प्रिंटिंग/विभागीय नमूने के अनुसार बहुरंगीय।
बाइडिंग	पृष्ठों की सेन्टर स्टिच/तीन स्थानों पर स्टेपलिंग किया हुआ
परफोरेटेड लाइन से पृथक होने की व्यवस्था	अन्तिम 2 पृष्ठ (काउन्टर फाइल) के लिये।
पैकेजिंग	चिन्हित कार्टून बॉक्स में उपलब्ध करायें।

एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1 प्रसव इकाई केसशीट हेतु स्पेसिफिकेशन–

पृष्ठ साइज	ए–4 शीट पर
कागज	80 GSM
कलर	सफेद कागज पर
डिजाइन	संलग्न प्रसव इकाईवार (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) रंगीन प्रोटोटाइप के अनुसार मुद्रण

एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट के उपयोग हेतु निर्देश –

- एक ही एम0सी0पी0 कार्ड का उपयोग माँ व बच्चे के लिये किया जाना है। एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भावस्था के पंजीकरण से प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसव पश्चात एवं बच्चे की 05 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाने वाली सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं एवं जानकारियों के अंकन का प्राविधान किया गया है। अतः गर्भवती महिला के प्रथम पंजीकरण के दौरान ही प्रारम्भिक सूचनायें अंकित करते हुये, उन्हें निःशुल्क मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड उपलब्ध करा दिया जाये। परिवार के सदस्यों को इन सूचनाओं के विषय में जानकारी भी दें।

- एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सेवायें–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध है। क्षेत्रीय ए.एन.एम./स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस जानकारी को लाभार्थी तक पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होंगे। डी0एच0/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्वास्थ्य इकाईयों पर सीधे पहुँचने वाली गर्भवती महिला का पंजीकरण उसी स्वास्थ्य इकाई पर एम0सी0पी0 कार्ड भरते हुये किया जाना है। *समस्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को आगामी (ए0एन0सी0/प्रसव/प्रसव पश्चात जांच/शिशु के टीकाकरण हेतु) भ्रमण में एम0सी0पी0 कार्ड साथ लाने हेतु प्रेरित किया जाना अपेक्षित है।*
- डाइरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) योजना के अनुसार राजकीय लाभ प्राप्त करने के लिये प्रत्येक गर्भवती महिला के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता, आर0सी0एच0 नं0 एवं मोबाइल नं0 की अनिवार्यता है। अतः गर्भवती महिला के द्वितीय ए0एन0सी0 के दौरान उनके एम0सी0पी0 कार्ड पर टीकाकरण, ए0एन0सी0 जांच, औषधि वितरण तथा अन्य आवश्यक पृविष्टयों का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- जिन महिलाओं के पास पंजीकरण के समय आधार कार्ड संख्या या बैंक खाता न हो उन्हें आगामी माह के वी0एच0एस0एन0डी0 तक यह नम्बर प्राप्त कर आर0सी0एच0 नं0 के साथ ही एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित करवाने के लिये आशाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। आशा/ए0एन0एम0 को निर्देश दें कि प्रत्येक स्थिति में प्रसव के पूर्व सभी गर्भवती महिलाओं के पास आधार कार्ड से लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए, जिसके लिये समय–समय पर ग्राम प्रधानों से भी सहयोग प्राप्त करें।
- प्रत्येक एम0सी0पी0 कार्ड पर ससमय मातृ एवं शिशु आर0सी0एच0 नम्बर अंकित किया जाये। सभी प्रसव पूर्व जाँचों का विवरण एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित कराना सुनिश्चित किया जाना है। प्रसव जाँचों में हिमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन एण्ड शुगर, ब्लड शुगर ओ.जी.टी.टी. प्रथम एवं द्वितीय विजिट (24 से 28 सप्ताह) के अन्दर करा कर, एच0आई0वी0, सिफलिस एवं अल्ट्रासाउण्ड की जांच तथा वैकल्पिक जांचों में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, HbsAg आदि एम0सी0पी0 कार्ड पर अंकित की जानी है। आयरन, कैल्शियम एवं एल्बेंडाजोल की मात्रा एवं दिनांक का अंकन भी किया जाना आवश्यक है। *जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के कार्ड पर एच0आर0पी0 मुहर/लाल पेन से एच0आर0पी0 लिखकर प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करें।*
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में DIO/ACMO-RCH द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता समस्त जनपदीय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों तथा ग्रामीण/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर भी सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रिन्टिंग जनपद स्तर पर लाभार्थियों (गर्भवती महिलाओं) के लक्ष्य के अनुसार की जानी है। इस प्रकार स्वास्थ्य इकाइयों पर एम0सी0पी0 कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये एम0सी0पी0 कार्ड में गर्भवती महिला व गर्भावस्था के प्रारम्भ से लेकर प्रसव पश्चात् बच्चे की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट के मुद्रण हेतु गतिविधिवार फांट निम्नवत है–

- प्रदेश में कुल सम्भावित 67,06,324 गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण समय एम0सी0पी0 कार्ड वितरित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण हेतु रू0 17/– प्रति एम0सी0पी0 कार्ड की दर से कुल 67,06,324 एम0सी0पी0 कार्ड के मुद्रण के लिये एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम्0एस0 कोड RCH.1.2.IEC में रू0 11,40,07,508/– की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये समस्त प्रसव इकाइयों (एल0–3, एल0–2 एवं एल0–1) पर कुल 27,90,000 प्रसव हेतु केसशीट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु औसतन रू0 10/– प्रति केसशीट की दर से एफ0एम0आर0/एफ0ए0एम्0एस0 कोड RCH.1.14.IEC में रू0 2,79,00,000/– की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है।
- भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2022–23 में निर्देशित किया गया है कि– "State should follow competitive bidding process/government press may be used for printing of MCP cards."

उक्त के दृष्टिगत एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट का मुद्रण नियमानुसार, मानकानुसार एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाना है।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में ACMO-RCH/ Nodal Officer द्वारा एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट की उपलब्धता समस्त जनपदीय राजकीय मेडिकल कॉलेज, एम0सी0एच0 विंग, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाई एवं शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुनिश्चित कराने हेतु जिम्मेदार होगें तथा ब्लॉक एवं शहरी स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा यू0एच0एन0डी0 एव वी0एच0एन0डी0 सत्रों पर एम0सी0पी0 कार्ड ए0एन0एम0 को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- एम0सी0पी0 कार्ड एवं केसशीट की प्रिटिंग उपरोक्त दिये गये प्रोटोटाइप के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ACMO-RCH/ Nodal Officer पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।

7. समस्त जनपदों में सीजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये उपलब्धि आधारित प्रोत्साहन धनराशि''

अवगत कराना है कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों की प्रतिभा एवं कौशल में वृद्धि कर उनकी सेवाओं को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग कर असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील बनाने हेतु शासनादेश–चिकि0अनु0–2/628/सेक–2–पाँच–2019 दिनांक 27.02.2019 एवं संख्या–45/2020/864/पॉच–9–2020 दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

- शासनादेश की व्यवस्थानुसार, एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सको को तीन माह की अवधि के लिए उनके द्वारा चयनित असक्रिय एफ0आर0यू0 के जनपदीय चिकित्सालय में तैनात, विशेषज्ञ चिकित्सक, निश्चेतक एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (विशेषज्ञ जोड़ी) के मेन्टरिंग हेतु सम्बद्ध किया जाना है। चिकित्सक, निश्चेतक एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग (विशेषज्ञ जोड़ी) द्वारा उक्त तीन माह की अवधि में एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सको की जोड़ी को आपातकालीन प्रसूति देखभाल जैसे सी–सेक्शन एवं असिस्टेड वैजाइनल डिलीवरी आदि सेवाओं के निष्पादन में मेन्टरिंग प्रदान की जायेगी।
- एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा प्रत्येक माह स्वतंत्र रूप से कम से कम पांच–पांच सी–सेक्शन, विशेषज्ञ मेन्टर्स के पर्यवेक्षणाधीन निष्पादित करना अनिवार्य होगा जिसे विशेषज्ञ मेन्टर्स द्वारा तद्नुसार प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित किया जायेगा। LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ मेन्टर्स को इस तीन माह की मेन्टरिंग अवधि में किए गये प्रत्येक सी–सेक्शन के लिये (अधिकतम 05 सी–सेक्शन हेतु), वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- तीन माह की मेन्टररिंग की अवधि पूर्ण होने पर, विशेषज्ञ मेन्टर्स द्वारा LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सकों की कार्य कुशलता को प्रमाणित किया जायेगा कि एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उनके पर्यवेक्षणाधीन मेन्टरिंग पूर्ण कर ली गयी है।
- मेन्टरिंग अवधि समाप्त होने पर, एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा अपनी चयनित असक्रिय एफ0आर0यू0 में कार्यभार ग्रहण कर, वहाँ सी–सेक्शन सहित सभी आपातकालीन प्रसूति देखभाल संबंधी सेवायें प्रदान की जानी है, जिसकी सूचना डॉक्टर डायरी पर प्रेषित की जानी है।
- प्रशिक्षण अवधि के पश्चात् मेंटर्स द्वारा प्रत्येक माह एफ.आर.यू. पर विजिट कर on site mentoring प्रदान करते हुये पूर्ण रूप से क्रियाशील किया जाना है।
- ऐसे LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सक, जिनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उन्हें मेंटरिंग की आवश्यकता नहीं है, उन चिकित्सकों को केवल सहायक पर्यवेक्षण मेंटरिंग प्रदान की जायेगी। सहायक पर्यवेक्षण मेंटरिंग हेतु मेंटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन धनराशि भी दी जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत गतिविधि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है–

क0सं	गतिविधि	टिप्पणी	
1	एल.एस.ए.एस./ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की जोड़ी एवं अन्य	• **स्त्रीरोग विशेषज्ञ (नियमित/संविदा)**/ई0एम0ओ0सी0 – रू0 1200/– **(ऑन कॉल को छोड़कर)** • निश्चेतक **(नियमित/संविदा)** /एल0एस0ए0एस – रू0 1200/–	सम्बन्धित जनपदों को रु0 225.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। शेष

	कर्मचारियों द्वारा असक्रिय प्रथम संदर्भन इकाईयों (सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0) पर निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन @ रू0 4000/- प्रति सिजेरियन प्रसव प्रति टीम	**(ऑन कॉल को छोड़कर)** • बाल रोग विशेषज्ञ/एफ0–एम0 एन0 सी0 आई0 प्रशिक्षित चिकित्सक /मेडिकल ऑफिसर – रू0 600/– • ओ0टी0 टैक्निशियन – रू0 400/– • स्टाफ नर्स एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – रू0 600/– (रू0 400 स्टाफ नर्स + रू0 200 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	धनराशि रू0 128.80 लाख आवश्यकतानुसार आवंटित की जाएगी।

वित्तीय व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस कार्याक्रम के माध्यम से वर्तमान में 44 जनपदों में 78 सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 हेतु वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल से माह जून तक किये गये सी–सेक्शन की उपलब्धि के आधार पर Incentivization and legal indemnity-FMR Code RCH.1.17.ooc.4 के अंतर्गत सम्बन्धित जनपदों को रु0 225.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है। सभी 118 सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 जहां पर एल.एस.ए.एस./ई.एम.ओ.सी. प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारी की तैनाती है, उनकी नियमित त्रैमासिक समीक्षा करने के उपरान्त राज्य स्तर पर अवशेष धनराशि में से आवश्यकतानुसार आवंटन की जाएगी।

उपरोक्त धनराशि रु0 225.00 लाख सी0,एच0सी0–एफ0आर0यू0 पर LSAS-EMOC प्रशिक्षित चिकित्सक /विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा निष्पादित सीजेरियन प्रसव हेतु वित्तीय प्रोत्साहन राशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसे जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ब्लॉक स्तर को आवंटन किया जाय।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंगः–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रोत्साहन धनराशि के ससमय आवंटन हेतु जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी इस प्रोत्साहन धनराशि की विस्तृत जानकारी सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों को प्रदान करने के लिये जनपद स्तर पर एक बैठक का आयोजन करें। बैठक में चर्चा के माध्यम से सभी ब्लॉक प्रभारियों को प्रोत्साहन धनराशि के आंगणन हेतु जानकारी दें एवं उन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि वे ब्लॉक पर सभी स्टाफ नर्सों को इस प्रोत्साहन धनराशि की जानकारी दें।
- यह प्रोत्साहन धनराशि एल0एस0ए0एस0/ई0एम0ओ0सी0 प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं नियमित/ संविदा दोनों प्रकार के विशेषज्ञों/कर्मियों (ऑन कॉल को छोड़कर) को अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जायेगी।
- इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नियमित रूप से प्रत्येक माह किया जाये। सुनिश्चित करें कि आगामी माह की 05 तारीख तक विगत माह की प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान अवश्य कर दिया जाये।
- इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान डॉक्टर डायरी पर सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन ब्लॉक प्रभारी अथवा नामित समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से करने के पश्चात किया जायेगा। सत्यापन हेतु डाक्टर डायरी का प्रयोग किया जायेगा। सम्बन्धित द्वारा डाक्टर डायरी को नियमित रूप से अद्यतन किया जाये।

उपर्युक्त हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में सिजेरियन प्रसव को प्रोत्साहित करने हेतु एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों के लिये Incentivization हेतु कुल रू0 225,00,000/–(रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आवंटन की गयी है।

8. एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की Emergency Obstetrics Care (EmOC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षण

अवगत कराना है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्रीरोग विशेषज्ञ/निश्चेतक) की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में Emergency Obstetrics Care (EmOC) एवं Life Saving Anesthetic Skills (LSAS) प्रशिक्षित एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करके असक्रिय एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु रणनीति तैयार की गयी थी, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या–628/सेक–2–पॉच–2019 दिनांक 27.02.2019 के माध्यम से कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में शासनादेश संख्या 45/2020/864/पॉच–9–2020 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से प्रदेश में आपातकालीन प्रसूति सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ईमॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिए एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के नामांकन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी क्रम में भारत सरकार के विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार accredited LSAS & CEmONC प्रशिक्षण केन्द्रों निम्नवत हैं–

क्र. सं.	Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care (CEmONC)	Life Saving Anesthesia Skill (LSAS)
1	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ
2	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ।	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ।
3	सरोजनी नायडू, मेडिकल कॉलेज, आगरा	सरोजनी नायडू, मेडिकल कॉलेज, आगरा
4	गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर	गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर
5	इन्स्यूटीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेंज, बी0एच0यू0, वाराणसी	
6	मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज	
7		रानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी
8		लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सख्या–45/2020/864/पांच–9–2020 दिनांक 08 दिसम्बर 2020 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण के लिये एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के नामांकन निर्धारण हेतु दिशा–निर्देशों के अनुरूप चिकित्साधिकारियों को असक्रिय एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण उपरान्त ही एल0एस0ए0एस0 एवं ई–मॉक प्रशिक्षण दिया जाना है। तत्क्रम में शासनादेश सख्या File No 5-3001(099)/26/2022-3 दिनांक 02/05/2022 एवं शासनादेश सख्या–1/2022/462/पांच–8–2022 दिनांक 05 मई 2022 के माध्यम से ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु 37 चिकित्सकों को एफ0आर0यू0 पर स्थान्तरण किया गया है। तत्क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के पत्रांक–3 फ ए/टी0सी0/12/ 2022/2416 दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से अतिरिक्त 10 चिकित्सा अधिकारियों को ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किये जाने के लिये अनुरोध किया गया था। इस प्रकार 25 जुलाई 2022 से आरम्भ की गई, क्रमशः 06–06 बैच ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु कुल 47 चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा "Training of Medical Officers in Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 मद. RCH.1.12 में कुल धनराशि रू0 880.00 लाख स्वीकृत की गयी है। मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालयों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से 01–01 बैच ई–मॉक एवं एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि आवंटन किया जाना प्रस्तावित हैः

मेडिकल कॉलजों को आंवटन हेतु जनपद स्तरीय वित्तीय फांट निम्नवत् है–

S.No.	District	Medical Colleges	Funds for CEmOC training for Medical College	Funds for LSAS training for Medical College	Total funds to be allocated to the District/ Medical Colleges
1	Agra	S.N. Medical College, Agra	15,81,200	17,36,800	**33,18,000**
2	Aligarh	JLN MC, Aligarh (AMU)	15,81,200	17,36,800	**33,18,000**
3	Jhansi	MLB MC Jhansi (MLB)	0	17,36,800	17,36,800
4	Kanpur Nagar	G.S.V.M. Medical College, Kanpur	15,81,200	17,36,800	**33,18,000**
5	Lucknow	KGMU Lucknow (KGMU)	15,81,200	17,36,800	**33,18,000**
6	Meerut	LLRM MC Meerut (LLRM)	0	17,36,800	17,36,800
7	Varanasi	I.M.S., Banaras Hindu University, Varanasi	15,81,200	0	15,81,200
8	Prayagraj	M.L.N. Medical College Prayagraj	15,81,200	0	15,81,200
	Total Funds to be allocated		**94,87,200**	**104,20,800**	**199,08,000**

जिला महिला चिकित्सालय को आवंटन हेतु वित्तीय फांट निम्नवत् है–

S.No.	District	District Hospital	Funds for CEmOC training for DWH	Funds for LSAS training for DWH	Total funds to be allocated to the District/ DWH
1	Agra	DWH Agra	5,28,600	3,63,000	**8,91,600**
2	Aligarh	DWH, Aligarh	5,28,600	3,63,000	**8,91,600**
3	Jhansi	DWH, Jhansi	0	3,63,000	3,63,000
4	Kanpur Nagar	DWH, Kanpur	5,28,600	3,63,000	**8,91,600**
5	Lucknow	DWH, Awanti bai Hospital, Lucknow	5,28,600	3,63,000	**8,91,600**
6	Meerut	DWH, Meerut (LLRM)	0	3,63,000	3,63,000
7	Varanasi	DWH, Varanasi	5,28,600	0	5,28,600
8	Prayagraj	DWH, Prayagraj	5,28,600	0	5,28,600
	Total Funds to be allocated		**31,71,600**	**21,78,000**	**53,49,600**

भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रति बैच बजट व्यय किये जाने हेतु विस्तृत वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

LSAS Training Budget

1.	**Cost of Training at each Medical College training centre**			
	4 Trainees/ batch for 140 days (16+4 weeks) 4 Trainers / batch for 120 working days			
S.No	**Activity**	**No of people**	**Duration of Stay**	**Total Cost**
A	Travelling Allowance for 4 Trainees once during training @ (Rs.2500 x 4 persons, from place of posting to MC and back) (As per actual & state rules)	4	2	20,000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x140 Days	4	140	5,60,000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 140 Days	4	140	2,80,000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 x 2 persons/day x 20 weeks x 6 days each)	2	120	2,40,000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 x 4 persons/day x 20 weeks x 7 days each)	4	140	2,80,000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @Rs 2000/ trainee	4	1	8,000
g	Institutional charges (10%)			1,38,800
	SUB TOTAL			**15,26,800**
2	**Centre running cost of Medical College Training centre**			
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
c	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)		120	60,000
	SUB TOTAL			**1,50,000**
3	**Monitoring visit to DH(by Faculty MC)**			
A	1 Expert visits each training site for 2 days			
	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actual & state rules) x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	4,000
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			
	SUB TOTAL			**60,000**
	Total Recurring cost for each batch (4 participants) at Medical College (Point 1-3)			**17,36,800**

District Hospital

S.No	**Activity**	**No of people**	**Duration of Stay**	**Total Cost**
1.	**Cost of Training at each DH training centre**			
	4 Trainees/ batch for 28 days and 1 trainer for 24 working days			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees @(Rs.1250 x 4 persons x 2)MC to DH & back(As per actuals & state rules)	4	2	10,000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x28 Days	4	28	112,000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x28 Days	4	28	56,000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day x 4 weeks x 6 days each)	4	24	96,000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day x 4 weeks x 7 days each)	4	28	56,000
F	Institutional charges @ 10% (Rs. 33000 for 4 DH/ batch of 4 trainees)	4		33,000
	SUB TOTAL			**3,63,000**

CEmONCTraining Budget

S.No	**Activity**	**No of people**	**Duration of Stay**	**Total Cost**
1.	**Cost of Training at each Medical College training centre**			
	4 Trainees/ batch for 126 days (16+2 weeks, all 7 days a week) 4 Trainers / day for 108 working days (16+2 weeks, 6 days a week)			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees once during training @ (Rs.2500 x 4 persons, from place of posting to MC and back)(As per actuals & state rules)	4	2	20000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x126 Days	4	126	504000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 126 Days	4	126	252000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 x 2 persons/ day x 18 weeks x 6 days each i.e 108 days)	2	108	216000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 x 4 persons/ day x 18 weeks x 7 days each i.e 126 days)	4	126	252000
F	Teaching material, Stationery, Photocopy etc. @ Rs 2000/ trainee	4	1	8000
g	Institutional charges (10%)			1,25,200
	SUB TOTAL			**13,77,200**

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
2	Centre running cost of Medical College Training centre			
A	Coordinator (Senior Faculty/ HOD) at Medical College Training Center (@ Rs.10000/ month)	1	6	60,000
B	Nodal person at Medical College Training Center (@ Rs.5000/ month)	1	6	30,000
c	1 Administrative Assistant at Medical College Training Center (@ Rs.500/ day)		108	54,000
	SUB TOTAL			**1,44,000**
3	Monitoring visit to DH(by Faculty MC)			
A	1 Expert visits each training site for 2 days			
	Travel allowance @Rs. 2000/day(As per actual & state rules)x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
B	Accommodation @ Rs 3000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	24,000
C	Food (Breakfast + Lunch + Tea) @ Rs 500/day/person x 4 sites x 2 days	4	2	4,000
D	Honorarium @ Rs 2000/day/ person x 4 sites x 2 days	4	2	16,000
	Note- If visit is of 1 day, reimbursement to be done accordingly No accommodation, if no night stay i.e. if the visit is of<2 days			
	SUB TOTAL			**60,000**
	Total Recurring cost for each batch (4 participants) at Medical College (Point 2-5)			**15,81,200**

District Hospital

S.No	Activity	No of people	Duration of Stay	Total Cost
1.	**Cost of Training at each DH training centre**			
	4 Trainees/ batch for 42 days and 1 trainer for 36 working days			
A	Travelling Allowance for 4 Trainees @(Rs.1250 x 4 persons x 2)MC to DH & back (As per actual & state rules)	4	2	10000
B	Accommodation @ Rs 1000/day/ person (4 trainees)x 42 Days	4	42	168000
C	Food (Lunch + Tea)@ Rs 500/day/ person (4 trainees)x 42 Days	4	42	84000
D	Honorarium to Trainers @ (Rs. 1000 per day x 4 weeks x 6 days each i.e 36 days)	4	36	144000
E	Honorarium to Trainee @ Rs. 500 per day x 4 weeks x 7 days each i.e 42 days)	4	42	84000
F	Institutional charges @ 7.87% (Rs. 33000 for 4 DH/ batch of 4 trainees)	4		38,600
	TOTAL			**5,28,600**

उपरोक्तानुसार "Training of Medical Officers in "Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care (CEmONC) एवं Life Saving Anesthesia skills (LSAS)" प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 252.576 लाख सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटित की जा रही है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालय को ससमय धनराशि आंवटित की जायेगी, जिससे प्रशिक्षण की प्रक्रिया ससमय पूर्ण की जा सके।

मेडिकल कॉलेज हेतु वित्तीय व्यवस्था –

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.12.CB.5 एवं RCH.1.12.CB.6 पर जिला स्वास्थ्य समिति को आंवटित की जा रही है। जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से यह धनराशि मेडिकल कॉलेज एवं सम्बन्धित जिला महिला चिकित्सालय को आंवटित की जायेगी।
- आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

9. प्रदेश के चिन्हित एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्थाः–

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में प्रदेश के जनपदों की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ या EMOC एवं LSAS प्रशिक्षित चिकित्साधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनकॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के साथ–साथ किसी अन्य क्रियाशील एफ0आर0यू0 जहां पर विशेषज्ञ की अनुपस्थिति/अनुपलब्धता होने पर सिजेरियन कराये जाने के लिये स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था नियमित सेवा एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ को ही अनुमन्य है।

नोट–जनपद में राजकीय नियमित/संविदा सेवा के निश्चेतक/एल0एस0ए0एस0 एवं गायनेकॉलजिस्ट/ई– मॉक विशेषज्ञों को केवल एफ0आर0यू0 पर ही तैनात किया जाना है। इस हेतु स्वास्थ्य इकाइयों पर तैनात विशेषज्ञों की सूची बना कर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उन्हें एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराया जाना है। नियमित क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ जो ऑन–कॉल अटेंण्ड करने में रूचि दिखाये उनकी सूची बनाकर (empanelled on call specialist) जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत कर लिया जाये।

1. **जनपद की एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये ऑन कॉल सुविधा निम्नवत है**–
   - जिला चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण मात्र ऑन कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं होगा। अतः जनपद में प्राथमिकता के आधार पर जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय पर राजकीय नियमित विशेषज्ञों अथवा संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। **जिला चिकित्सालयों पर कोई भी निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से नियमित विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात/संबद्ध किया जाना है।** विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार ऑन–कॉल व्यवस्था का उपयोग किया जा सकता है।
   - जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एफ0आर0यू0 पर राजकीय नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण टीम अधूरी होने की स्थिति में ऑन–कॉल की व्यवस्था की जानी है।
   - जिन एफ0आर0यू0 पर ई–मॉक टीम में केवल एक–एक विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात है एवं उनमें से किसी एक के आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित/मातृत्व/शिशु देखभाल/चिकित्सकीय अवकाश/बिना सूचना के गैरहाजिर) पर जाने के कारण टीम अधूरी हो गई है, के सम्बन्ध में जनपद स्तर को अवगत कराते हुये ऑन–कॉल सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
   - ऑन–कॉल की सुविधा वाली समस्त इकाइयों द्वारा सिजेरियन का ब्योरा (लाभार्थी का विवरण, सिजेरियन की तिथि एवं समय इत्यादि तथा टीम के सदस्यों का विवरण, नाम, विशेषज्ञता, रजिस्ट्रेशन नं0 एवं मोबाइल नं0) पृथक से दिये गये प्रारूप पर अंकित किया जाना है। ऑन–कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के स्वास्थ्य इकाई छोड़ने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना है, कि लाभार्थी के Vital Stable हों तथा फॉलोअप हेतु उस समय पर उपस्थित चिकित्सक को लाभार्थी की स्थिति से अवगत करा दें।
   - एफ0आर0यू0 पर उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन के पश्चात डिस्चार्ज तक प्रसूता का फॉलोअप भलीभांति किया जाना है।
   - ऑन–कॉल पर आने वाले गायनेकॉलजिस्ट द्वारा सिजेरियन के उपरान्त 01 फॉलोअप विजिट कर प्रसूता की आवश्यक जांच किया जाना अनिवार्य है।
   - यदि किसी इकाई पर एक विजिट में ऑन कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराता है, तो ***उन्हें प्रति सिजेरियन धनराशि देय होगी परन्तु यात्रा भत्ता एक ही देय होगा।*** किसी भी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।
2. **राजकीय नियमित सेवा क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–राजकीय** नियमित सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार ऑन–कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है–
   - मण्डल/जनपद स्तर पर प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को संबधित विधा के विशेषज्ञ की अनुपलब्धता पर एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।
   - जिला चिकित्सालय एवं संयुक्त चिकित्सालय में प्रशासनिक पद (एस0आई0सी0/सी0एम0एस0) पर तैनात विशेषज्ञों तथा कार्यरत अन्य विशेषज्ञों को आकस्मिता की दशा में अन्य जिला स्तरीय महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।
   - ग्रामीण क्षेत्र में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक विशेषज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0/PPC पर कॉल अनुमन्य है। कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सिजेरियेन प्रसव करा रहे हों।

नोट– विशेष परिस्थितियों में बिन्दु संख्या 1.c–जिला स्तरीय चिकित्सालय पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 इकाइयों तथा ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर तैनात विशेषज्ञों को जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन–कॉल पर बुलाया जा सकता है।

3. **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन–कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** जनपद पर चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को सिजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार है–

- इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से जनपद की समस्त राजकीय एफ0आर0यू0 स्वास्थ्य इकाईयों में ऑन–कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त कर उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इम्पैनल करा लिया जाये। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाये।
- ऑनकॉल चिकित्सकों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान किया जाये।

4. **स्त्रीरोग विशेषज्ञों की ऑन–कॉल पर उपलब्धता न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी) को ऑन–कॉल पर बुलाये जाने की व्यवस्था–** जनपद में नियमित अथवा संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0, जनरल सर्जरी), जो जटिल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव में प्रशिक्षित हो, को सूचीबद्ध कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

5. **वित्तीय व्यवस्था–**
   - ऑन–कॉल का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा। 01 सीजेरियन प्रसव के लिये 01 ही विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) की कॉल अनुमन्य होगी, जिससे EmOC टीम के पूर्णकालिक विशेषज्ञ द्वारा सिजेरियन केस की प्रसवोपरान्त देखभाल की जा सके।
   - राजकीय क्षेत्र में कार्यरत नियमित विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को ऑन कॉल पर बुलाने हेतु मानदेय रू0 2000.00 की दर से अनुमन्य होगा।
   - राजकीय क्षेत्र में कार्यरत नियमित विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट) को ग्रामीण इकाईयों पर कॉल पर बुलाने हेतु यात्रा भत्ता रू0 1000/– की दर से अनुमन्य होगा।
   - राजकीय क्षेत्र में कार्यरत नियमित विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों (गायनेकॉलजिस्ट) को Follow-up visit पर बुलाने हेतु भुगतान रू0 1500/– (रू0 1000/– यात्रा भत्ता + रू0 500/– visit) की दर से अनुमन्य होगा।

ऑन कॉल पर विशेषज्ञ चिकित्सक को बुलाये जाने हेतु दिये जाने वाले मानदेय/यात्रा भत्ता/फॉलो–अप विजिट की वित्तीय व्यवस्था निम्न तालिकानुसार है–

S.No	Type of Specialist	Honorarium (in Rs)	Traval Allowance in case FRU is more than 3 Km from the Distance of place of Posting (in Rs)	Follow-up visit (in Rs)
1	Govt Regular Gynecologist	2000	1000	1500
2	Govt Regular Anesthetist	2000	1000	Not applicable
3	Private Gynecologist	2000	1000	1500
4	Private anesthetist	2000	1000	Not applicable
5	Contractual Gynecologist	2000	1000	1500
6	Contractual Anesthetist	2000	1000	Not applicable

वित्तीय वर्ष 2022–23 में –

- निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट को सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन कॉल पर बुलाने हेतु मानदेय एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.1 के अर्न्तगत जनपदों को सिजेरियन प्रसव भार के अनुसार रू0–29.64 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही हैं।
- राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट को एफ0आर0यू0 इकाईयों पर सिजेरियन प्रसव हेतु ऑन कॉल पर बुलाने हेतु यात्रा भत्ता एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.2 के अन्तर्गत जनपदों को रू0–14.82 लाख की धनराशि आबंटित की जा रही हैं।
- निजी एवं राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों गायनेकॉलजिस्ट विशेषज्ञों को सिजेरियन प्रसव Follow-up visit पर बुलाने हेतु एफ0एम0आर0 कोड–RCH.1.12.OOC.3 के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि रू0 11.28 लाख आवंटित की जा रही हैं।
- जनपदों की भौतिक प्रगति एवं उनकी मांग के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जायेगा। प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।

- विशेषज्ञों के अभाव में अक्रियाशील एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने हेतु ऑन कॉल की व्यवस्था करते हुए उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय कराना सुनिश्चित करें।

6. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत ''**विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था**'' की योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचा दें।
- प्रत्येक प्रभारी चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी चिकित्सा इकाई पर आने वाले ऑन–कॉल विशेषज्ञों की सूची प्रसव कक्ष में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में उपस्थित चिकित्साधिकारी/स्टॉफ नर्स द्वारा सम्बन्धित को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सके।
- ऑन–कॉल हेतु धनराशि मासिक आधार पर देना सुनिश्चित किया जाए, इस धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा कराये गये सिजेरियन प्रसवों का सत्यापन करने के पश्चात ही किया जाये।
- प्रत्येक माह जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अपने जनपदों में इस धनराशि के आवंटन की मासिक सूचना निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायी जायेगी एवं नियमित रूप से राज्य स्तर पर निदेशक परिवार कल्याण, प0क0, महानिदेशालय mchjsy@gmail.com एवं एस0पी0एम0यू0 gmmhup2019@gmail.com पर भी प्रेषित की जायेगी।
- ***विशेषज्ञों के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।***
- ***जिला लेखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जनपद की समस्त अधीनस्थ इकाइयों को ससमय वित्तीय आहरण सीमा (Limit) जारी की जाये।***

मातृ स्वास्थ्य के अर्न्तगत मानव संसाधन

1. संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों के मानदेयः–

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0282 में भारत सरकार द्वारा एफ0आर0यू0 पर स्वीकृत 250 संविदा महिला चिकित्साधिकारियों के पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	60000/–
2	बी केटेगरी	65000/–
3	सी केटेगरी	70000/–

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि भी सम्मिलित है।

- **वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व से कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उक्त दर से ही नियमानुसार भुगतान किया जाना है।**
- आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा **एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों** का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।
- **संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती जनपद के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर ही की जायेगी। एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती में वरीयता रिक्त क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को ही दी जायेगी।** यदि किसी जनपद में संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की तैनाती नॉन एफ0आर0यू0 इकाइयों पर है तो उन्हें तत्काल जनपद की एफ0आर0यू0 इकाई पर स्थानान्तरित कर दें।
- ऐसे एफ0आर0यू0 चिकित्सालय, जहाँ औसतन 200 प्रसव प्रति माह से अधिक भार हो वहाँ संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की तैनाती को प्राथमिकता दी जाये। जिला महिला

चिकित्सालयों पर 24 घण्टे नियमित सेवा के EMO की भॉति संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी को भी रोस्टर बनाकर EMO की भॉति पोस्ट किया जाये।

कार्य एवं उत्तरदायित्व–

1. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सक द्वारा गुणवत्तापरक प्रसव सेवायें प्रदान करना।
2. चिकित्सालय में आउटडोर/ए0एन0सी0/एच0आर0पी0 क्लीनिक का संचालन।
3. पी0एन0सी0 वार्ड का नियमित भ्रमण करना।
4. हाई रिस्क एवं गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग व उपचार।
5. जटिल प्रसवों का उपचार।
6. स्टाफ नर्सों के प्रसव कार्यों की समीक्षा।
7. एस0बी0ए0 मानकों पर प्रसव–कक्ष का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल।
8. परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करना।
9. ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' में सहयोग देना इनका दायित्व होगा।
10. ऑन कॉल विशेषज्ञ द्वारा किये गये सीजेरियन ऑपरेशन के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल एवं समय से महिला एवं नवजात शिशु की समस्त स्थिति केसशीट मे भरना।
11. केसशीट एवं अन्य रजिस्टरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के कुल स्वीकृत 250 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।

2 वर्तमान में संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के द्वारा की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्ध) नहीं किया जायेगा।

3 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि एवं **एफ0आर0यू0 कैटेगरी के अनुसार** ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।

4 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।

5 एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्सकों को उपर्युक्त क्षेत्रों में कुशलता वृद्धि प्रशिक्षण के लिए नामित भी किया जाना आवश्यक है।

6 कार्यरत संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7 यदि कोई संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहती है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।

8 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।

9 संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।

10 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।

11 संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।

12 कार्यरत सभी संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुबन्ध नवीनीकरण के लिए पृथक से प्रारूप प्रेषित किया जायेगा।

13 उक्त के साथ–साथ संविदा एम0बी0बी0एस0 महिला चिकित्साधिकारी हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

2. संविदा स्टाफ नर्स के मानदेयः–

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2022–23 हेतु मातृ स्वास्थ्य से सम्बन्धित संविदा स्टाफ नर्स के लिये दिशा–निर्देश निम्नवत है–

संविदा स्टाफ नर्स के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

1. संविदा स्टाफ नर्सों के पदों को आवश्यकतानुसार चिन्हित L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों पर चौबीस घंटे प्रसव सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. संविदा स्टाफ नर्सों की तैनाती किसी भी स्थिति में L-2 व L-3 प्रसव इकाईयों के बाहर अथवा ऐसी चिकित्सा इकाई जहॉ पर प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी अक्रियाशील प्रसव इकाई पर नहीं की जानी है। सभी इकाइयों के प्रसव भार तथा उपलब्ध नियमित स्टाफ नर्सों की स्थिति के आधार पर ही औचित्यपूर्ण आबंटन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रसव इकाईवार तैनाती दी जानी है।
3. नवनियुक्त संविदा स्टाफ नर्स में सर्वप्रथम प्रत्येक HWC प्रसव इकाईयों (पी0एच0सी0) पर 03 संविदा स्टाफनर्स की तैनाती अनिवार्य रूप से की जानी है।
4. संविदा स्टाफ नर्स नियमित स्टाफ नर्स की भांति ही सभी कार्य सम्पादित करेंगी। उनका उत्तरदायित्व जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। चिकित्सालय में Maternal and Newborn Health Tool Kit (एम0एन0एच0 टूल किट) में दिये गये मानकों के अनुसार लेबर रूम, ओ0टी0, ए0एन0सी0 व पी0एन0सी0 वार्ड में कार्य किया जायेगा तथा समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी/समतुल्य अधिकारी द्वारा आवंटित किये गये अन्य कार्य इनके उत्तर दायित्व होगे।
5. प्रसव कक्ष में मानकानुसार लॉजिस्टिक, ड्रग्स एवं कन्ज्यूमेबिल्स का रखरखाव।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा इन स्टाफ नर्सों को समय–समय पर अपने स्तर से प्रसव, ओ0टी0 एवं अन्य कार्यो में अभिमुखीकरण कराना एवं राज्य स्तर द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित किया जाये।
7. कार्यरत सभी संविदा स्टाफ नर्स के कार्यों के मूल्यांकन(परफारमेन्स) के आधार पर अनुबन्ध नवीनीकरण किया जायेगा।

संविदा स्टाफ नर्स का मानदेय–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड– HSS.9.184.C.S0015 में संविदा स्टाफ नर्स के कुल 6231 पदों स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनका मानदेय निम्नवत है–

क्रम	अवधि	कुल स्वीकृत पद	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस
1	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1585	29374/–	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**
2	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1215	28086/–	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**
3	पॉच वर्ष पूर्ण करने वाली स्टाफनर्स	381	25431/–	05%	05 वर्ष पूर्ण करने पर 5% नियमानुसार लायल्टी बोनस
4	एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत एवं तीन वर्ष पूर्ण करने वाली	471	22065/–	05%	**शून्य**
6	नवनियुक्ति (HWC संविदा स्टाफनर्स सहित) पदों हेतु	1047	20013/–	**शून्य**	**शून्य**

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 5% मानदेय वृद्धि भी सम्मिलित है।

सामान्य निर्देश–

1 कार्यरत संविदा स्टाफनर्स का ही मानदेय जनपदों को आंवटित किया गया है।
2 आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।
3 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संविदा स्टाफ नर्स के कुल स्वीकृत 6231 (HWC प्रसव इकाईयों पर संविदा स्टाफ नर्स सहित) पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।
4 वर्तमान में संविदा स्टाफ नर्स की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की दशा में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार प्रसव इकाइयों पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविदा स्टाफनर्स को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्ध) नहीं किया जायेगा।
5 चयनित किये गये कर्मी का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और यदि वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।
6 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
7 भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में संविदा स्टाफ नर्स के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, एवं नियमानुसार लायल्टी बोनस की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
8 पूर्व से कार्यरत/नवचयनित संविदा स्टाफ नर्स के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
9 कार्यरत संविदा स्टाफ नर्स के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10 यदि कोई संविदा स्टाफ नर्स बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।
11 संविदा स्टाफ नर्स अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।
12 संविदा स्टाफ नर्स कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
13 संविदा स्टाफ नर्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के अनुसार अवकाश देय होगें।
14 संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।

उक्त के साथ–साथ संविदा स्टाफ नर्स हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

3. प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से कार्यरत संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक) के मानदेयः–

अवगत कराना है कि मातृ एवं शिशु सम्बन्धी रोगों एवं जटिलताओं के चिन्हांकन, उनके प्रबन्धन तथा Mortality and Morbidity दर में कमी लाने हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 87 जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय एवं 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस प्रकार कुल 417 इकाईयॉ एफ0आर0यू0 के रूप में चिन्हित है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी0–वॉ–2/ 2015–16/7401–75 दिनांक 16.10.2015 द्वारा प्रदेश के प्रथम सन्दर्भन इकाइयों को जनपद एवं स्वास्थ्य इकाई की भौगोलिक स्थिति यथा जनपद मुख्यालय/तहसील/ब्लॉक इकाई मुख्यालय

से दूरी, इकाई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल/जनसंख्या, दुर्गमता, क्षेत्र का पिछड़ापन, नक्सली प्रभावित क्षेत्र तथा लम्बे समय से विशेषज्ञों की अनुपलब्धता आदि के अनुसार केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत किया गया। विभिन्न केटेगरी के लिये मानदेय के स्लैब भी निर्धारित किये गये है। इन एफ0आर0यू0 पर नियमित/संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम (प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ तथा निश्चेतक) की तैनाती की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में राज्य कार्ययोजना पर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में एफ0आर0यू0 पर कार्यरत संविदा विशेषज्ञों चिकित्सकों के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देश निम्नवत है–

1. **प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक की तैनाती–**

   वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संविदा 318 स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं 283 एनेस्थेटिस्ट के कुल स्वीकृत पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।
2. प्रदेश में पूर्व से चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) केटेगरी ए, केटेगरी बी एवं केटेगरी सी में वर्गीकृत है। तद्नुसार उनकी केटेगरी की सूची दिशा–निर्देशों के साथ प्रेषित की गई है। शेष प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) का केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत किया जाना प्रक्रियाधीन है।
3. चिन्हित नवीन प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) को केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत होने तक संविदा पर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक की वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियत मानदेय रू0 1,00,000/– पर नियुक्ति की जायेगी। प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) का केटेगरी ए, बी एवं सी में वर्गीकृत होने के उपरान्त नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक को योगदान तिथि से केटेगरी के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ/शल्यक एवं निश्चेतक हेतु मानदेय व्यवस्था–

- राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0आर0यू0 की केटेगरी ए, बी, सी के अनुसार संविदा चिकित्साधिकारियों का मानदेय का भुगतान निम्नवत किया जाना है–

क्र0सं0	एफ0आर0यू0 केटेगरी	नियत मानदेय (रू0)	दूरस्थ क्षेत्र अतिरिक्त मानदेय (रू0)	कुल देय मानदेय प्रतिमाह (रू0)
1	ए केटेगरी	100000/–	शून्य	100000/–
2	बी केटेगरी	100000/–	20000/–	120000/–
3	सी केटेगरी	100000/–	40000/–	140000/–

- यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022–23 में 01 अप्रैल, 2022 से लागू की जायेगी।
- पूर्व से कार्यरत संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निश्चेतक वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा 05 प्रतिशत मानदेय बढ़ोत्तरी स्वीकृत प्रदान की गयी है, जोकि नियत मानदेय रू0 1,00,000/– के गुणांक पर लागू होगी।
- भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाले 03 व 05 वर्ष पर दिया जाने वाले लॉयल्टी बोनस के लिये चिकित्सक का कार्यकाल 01 अप्रैल, 2020 से आगामी वर्षो में आंकणन किया जायेगा एवं नियत मानदेय रू0 1,00,000/– पर लागू होगा।
- कतिपय जनपदों में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के तैनाती स्थल स्थिर नहीं किये गये हैं, जिससे उनके मानदेय के स्लैब भी लागू नहीं किये जा सके हैं। यह सर्वथा अनुचित है। सभी पूर्व से कार्य कर रहे संविदा विशेषज्ञों के उपर्युक्त तालिकानुसार तैनाती स्थल व स्लैब में मानदेय निर्धारण का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अतिशीघ्र स्वीकृत करायें। **किसी भी परिस्थिति में नॉन एफ0आर0यू पर तैनात नहीं किया जाना है।**
- जनपदों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये गये कार्यों की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि प्रायः जनपद स्तर पर उनके कार्यों का नियमित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एफ0आर0यू0 को क्रियाशील कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 10 सीजेरियन प्रसव तथा सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 पर न्यूनतम 05 सिजेरियन प्रसव कराया जाना अपेक्षित है।
- **मुख्य चिकित्साधिकारी अधोउपलब्धि वाले विशेषज्ञों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित कर स्थानीय स्तर पर गतिरोध अथवा सहयोग की कमी का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाना है।** अतः कम उपलब्धि के लिये एफ0आर0यू0 प्रभारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 तथा मुख्य चिकित्साधिकारी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे। आवश्यकतानुसार सीजेरियन हेतु टीम

पूर्ण करने के लिये ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक के प्राविधान का उपयोग किया जाये एवं इलेक्टिव सीजेरियन प्रसव आरम्भ करने हेतु समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाना है।

4. कार्य एवं उत्तरदायित्व–

- किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 05 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (ग्रामीण इकाई पर) अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह (जनपद स्तर पर) से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। **प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की जानी है।** संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य नही कराया जाना है।
- प्रत्येक सक्रिय प्रथम सन्दर्भन इकाई (जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग अथवा एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0) के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं Severe Anemia से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में चिकित्सक सम्बन्धी सभी बिन्दुओं को पूर्णतः से भरना तथा अन्य बिन्दुओं को भी सम्बन्धित स्टाफ से पूर्ण कराना।
- इसी प्रकार संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे रूटीन इलेक्टिव सर्जरी में सहयोग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार 24 घंटे जटिल सीजेरियन प्रसव प्रबन्धन हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।
- जहाँ पर 01 से अधिक स्त्री रोग/निश्चेतक विशेषज्ञ हैं वहाँ शिफ्ट ड्यूटी रोस्टर बनाकर 24 घण्टे सीजेरियन प्रसव सुविधा उपलब्ध कराया जाना है।
- एफ0आर0यू0 पर तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की पोस्ट ऑपरेटिव केयर एक सामूहिक जिम्मेदारी होगी जो रोस्टर ड्यूटी के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी प्रथम सन्दर्भन इकाई यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित कराया जाना है।

5. सामान्य निर्देश–

- राज्य व जनपद स्तर से वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से नियुक्ति/कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट का अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपदों में एफ0आर0यू0 पर रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार अन्य एफ0आर0यू0 पर करने के लिये सक्षम होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्ध) नहीं किया जायेगा।
- जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना नियमित रूप एच0एम0आई0एस0 तथा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अंकित की जानी है तथा प्रत्येक त्रैमास में के0पी0आई0 पर सूचना अंकित करते हुये मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को अवश्य ही उपलब्ध कराया जाना है।
- जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान कराया जाना है।
- यदि कोई संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।

- संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।
- संविदा पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
- उक्त के साथ–साथ संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

6. वित्तीय व्यवस्था–

- वाक–इन–इन्टरव्यू माध्यम से कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक के मानदेय का भुगतान–**(FMR Code-HSS.9.184.C.S0113)** एवं संविदा निश्चेतकों का **(FMR Code-HSS.9.184.C.S0144)** से किया जायेगा।
- वॉक–इन–इन्टरव्यू से कार्यरत संविदा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक का उपरोक्त मानकानुसार **01 अप्रैल 2022 से स्लैब निर्धारित कर उन्हें मानदेय आवंटित किया जाये।**

4. संविदा ए0एन0एम0 के मानदेयः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S001 में कुल 17086 संविदा ए0एन0एम0 के पदों की स्वीकृत प्राप्त हुई है।

संविदा ए0एन0एम0 के कार्य एवं उत्तरदायित्व –

1. संविदा ए0एन0एम0 नियमित ए0एन0एम0 की भाँति सभी कार्य करेंगी। प्रत्येक संविदा ए0एन0एम0 अपने आंवटित क्षेत्र का सर्वे करेगी तथा आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचनाओं को अपडेट करेगी।
2. संविदा ए0एन0एम0 द्वारा वी0एच0एन0डी0 में कुशल प्रसव पूर्व सेवायें (बी0पी0, खून की जॉच एवं पेशाब की जॉच) प्रदान करने, नियमित टीकाकरण, उच्च जोखिम युक्त एवं गम्भीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को पहचान कर लाईन लिस्टिंग, उपकेन्द्रों पर प्रसव सेवायें, फालोअप एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्य प्रबन्धन आदि सेवायें प्रदान की जायेंगी।
3. आर0सी0एच0/एच0एम0आई0एस0 पोर्टल में सभी आंकड़ों को एकत्रित कर ब्लाक स्तर पर अंकित करवायेंगी जिसके आधार पर ही उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।
4. राज्य स्तर से समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी।

स्वीकृत संविदा पदों का मानदेय निम्नवत है–

क्र0सं0	अवधि	कुल स्वीकृत पद	वित्तीय वर्ष 2022–23 में	वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस	ई0पी0एफ0
1	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	2432	17801/–	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**	15000/– प्रतिमाह से कम मानदेय पर 13.36%
2	पॉच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत	1724	17026/–	05%	नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। **लायल्टी–शून्य**	15000/– प्रतिमाह से कम मानदेय पर 13.36%
3	तीन वर्ष से अधिक समय एवं पॉच वर्ष से कम समय से कार्यरत	2624	15479/–	05%	05 वर्ष पूर्ण करने पर शेष 05% नियमानुसार लायल्टी बोनस।	13.36%
4	एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष से कम समय से कार्यरत	5794	13371/–	05%	शून्य	13.36%
5	नव चयनित पदों हेतु	2971	12128/–	शून्य	शून्य	13.36%

नोट–जनपदों को आवंटित धनराशि में मानदेय के साथ 5% मानदेय वृद्धि, लायल्टी बोनस एवं ई0पी0एफ0 भी सम्मिलित है।

सामान्य निर्देश–

1 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संविदा ए0एन0एम0 के कुल स्वीकृत 17086 पदों में पूर्व के वर्षों में स्वीकृत किये गये सभी पद समाहित हैं।
2 कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 का ही मानदेय जनपदों को आंवटित किया गया है।
3 आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।
4 वर्तमान में संविदा ए0एन0एम0 की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुनर्अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे। इस अवधि में भी जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में एल–1 प्रसव इकाइयों एवं रिक्तियों की स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में इनका स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार रिक्त अथवा एल–1 प्रसव केन्द्रों पर करने के लिये सक्षम होगी। रिक्त उपकेन्द्रों को भरा जाना प्राथमिकता होगी। किसी भी स्थिति में किसी भी संविदा ए0एन0एम0 को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्ध) नहीं किया जायेगा।
5 चयनित किये गये संविदा ए0एन0एम0 का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।
6 जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा ए0एन0एम0 का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दिया जायेगा। किसी भी ए0एन0एम0 को, किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
7 भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में उन संविदा ए0एन0एम0 के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, नियमानुसार लायल्टी बोनस एवं ई0पी0एफ0 की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान प्रत्येक संविदा ए0एन0एम0 के परफारमेन्स एपेरजल के उपरान्त एवं मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
8 जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा ए0एन0एम0 के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
9 कार्यरत संविदा ए0एन0एम0 के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10 यदि कोई संविदा ए0एन0एम0 बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।
11 संविदा ए0एन0एम0 अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।
12 संविदा ए0एन0एम0 कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
13 संविदा ए0एन0एम0 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के अनुसार अवकाश देय होगें।
14 संविदा पर कार्यरत ए0एन0एम0 की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
15 संविदा ए0एन0एम0 हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।

5. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाताः–

भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P267 में संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय हेतु रू0 40,000/– प्रतिमाह प्रति परामर्शदाता की दर से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके दिशा–निर्देश निम्नवत है–

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय की व्यवस्था–

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का राज्य स्तर से एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P267 में धनराशि निम्नवत आवंटित की गयी है–

क्र0सं0	अवधि	कुल स्वीकृत पद	वित्तीय वर्ष 2022–23 में	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस
1	पूर्व से कार्यरत	60	44100/–	05%	03 वर्ष पूर्ण करने पर 10% नियमानुसार लायल्टी बोनस।

2. डैप में जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते में अवमुक्त की जायेगी तथा अन्य संविदा कर्मियों की भॉति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के खाते के माध्यम से जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का ही मानदेय जनपदों को आंवटित किया गया है।
4. आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code- RCH.1.17.PME

5. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु क्षेत्र भ्रमण एवं राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग हेतु भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.17.PME में प्रति जनपद हेतु रू0 10,000/–प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।
6. जनपद के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने पर यात्रा–व्यय रू0 750/–प्रति विजिट की दर से किसी भी माह में अधिकतम 12 विजिट का भुगतान अनुमन्य है जिसका नियमानुसार एवं मानकानुसार भुगतान किया जायेगा। जनपद में किसी भी माह में 12 विजिट से अधिक किये गये विजिट का भुगतान अनुमन्य नहीं है जिसका भुगतान निम्नवत किया जायेगा–
   - जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में उपलब्ध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन का ही भ्रमण के लिये सर्वप्रथम उपयोग किया जायेगा। भ्रमण मान्य होगा परन्तु मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन से भ्रमण करने पर यात्रा व्यय का भुगतान देय नहीं होगा।
   - जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में उपलब्ध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाहन की अनुपलब्धता अथवा आवश्यक होने पर अपने निजी वाहन/व्यय से भ्रमण किया जायेगा जिसका प्रति भ्रमण रू0 750/–देय होगा।
   - जिला मुख्यालय से 05 किलोमीटर की परिधि में किये भ्रमण का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। जिला मुख्यालय से 05 किलोमीटर की परिधि में भ्रमण के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के ही वाहन का उपयोग किया जायेगा।
   - नोडल/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा प्रयास किया जाये कि जिला स्तरीय अधिकारियों की सयुक्त रूप से भ्रमण कार्ययोजना बनवायी जायें तथा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के वाहन से दो या दो से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया।
   - भ्रमण के उपरान्त प्रतिमाह यात्रा व्यय के भुगतान हेतु भ्रमण रिपोर्ट के साथ जनपद स्तर यात्रा व्यय हेतु उपलब्ध वाउचर प्रेषित किया जाये तथा यात्रा व्यय का नोडल अधिकारी से सत्यापन उपरान्त समय भुगतान सुनिश्चित किया जायें।
7. मण्डल, राज्य स्तर एवं राज्य के बाहर कार्य हेतु यात्रा करने पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के मानकों के समतुल्य यात्रा भत्ता डी.ए. तथा बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान मानकानुसार एवं नियमानुसार जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के ऑपरेशन मद से किया जायेगा।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक से समन्वय करते हुये माह में कम से कम 8 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किये जायेंगे।
9. प्रतिमाह अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेगें। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेगे। क्षेत्र भ्रमण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के लिये जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक अथवा मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु जनपदों में उपलब्ध वाहनों का अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये उपयोग किया जाना है।

आफिस की अन्य व्यवस्था हेतु–FMR Code- HSS.11.193.PME.11

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के आफिस आपरेशन मद में वनटाइम (12 माह के लिये स्टेशनरी, कार्टेज, कन्टीजेन्सी, इन्टरनेट आदि) धनराशि रू0 10,000/–प्रति जनपद भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.11.193.PME.11 में स्वीकृत की गयी है।
2. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के कार्यालय का संचालन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय में स्थान सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की उपस्थिति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों की भॉति जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के रजिस्टर में अंकित/हस्ताक्षरित की जायेगी।
4. रिपोर्ट तैयार करने एवं अन्य कार्यो हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के कार्यालय का कम्प्यूटर/लैपटाप, प्रिन्टर एवं नेट का उपयोग किया जायेगा।

जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के दायित्व–

1. जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 के निर्देशों के अनुसरण में कार्य करेंगे।
2. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाना एवं कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु रणनीति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना/कराना।
3. सभी कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।
4. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों हेतु जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली वॉक–इन–इन्टरव्यू की समस्त प्रक्रिया (दिशा–निर्देशों के अनुसार विज्ञापन, इन्टरव्यू की प्रक्रिया को सम्पन्न कराते हुये नियमानुसार अनुमोदन हेतु समसय सूचना का प्रेषण इत्यादि) को सम्पादित कराना।
5. जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
6. जनपद स्तर पर मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों (जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ मृत्यु समीक्षा, प्रथम सन्दर्भन इकाई, मिडवाइफरी कार्यक्रम, जी0डी0एम0, नर्स मेण्टर कार्यक्रम, पी0एम0एस0एम0ए0, एम0सी0एच0 विंग, प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम तथा राज्य एवं जनपद स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना/कराना।
7. जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रसव कक्ष की क्वालिटी इम्प्रूमेन्ट हेतु किये गये लक्ष्य असेमेन्ट में पायी कमियों चिकित्सा अधीक्षिक/प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग से पूर्ण कराना।
8. नर्स मेन्टर कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा नर्स मेन्टर द्वारा किये जा रहे कार्यो का समय–समय पर मूल्यॉकन कर सहयोग प्रदान करना।
9. एम0डी0एस0आर0 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मातृ मृत्यु हेतु गठित समितियों की समन्वय स्थापित कर नियमानुसार बैठकें आयोजित करना/कराना तथा बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन करना/कराना।
10. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन का डाटाबेस बनाना एवं नियमित अपडेट करना तथा राज्य स्तर से मॉगे जाने पर ससमय प्रेषित करना।
11. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा एवं नियमित मानव संसाधन की सूचना प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र पर प्रेषित किया जाना।
12. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की उपस्थिति का समय–समय पर सत्यापन करना।
13. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों का ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित कराना।
14. राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त बैठकों में आवश्यक अभिलेखों/सूचनाओं के साथ ससमय प्रतिभाग करना।
15. राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।
16. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम की समस्त रिपोर्टिंग, एच.एम.आई.एस./आर.सी.एच./एम.सी.टी.एस./यू.पी.एच.एम.आई.एस/पी0एम0एस0एम0ए0 एवं अन्य सभी पोर्टल पर ससमय डाटा अपलोड कराना

एवं मुख्यचिकित्साधिकारी, कार्यक्रम नोडल अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के अवलोकनापरान्त राज्य स्तर पर सूचनाओं का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करना/कराना।

17. पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतीकरण करना/कराना।
18. गुणवत्तापरक सेवाओं के लिये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।
19. इकाईवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, तैयारी, प्रस्तुतीकरण, दस्तावेजों का रखरखाव।
20. राज्य एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
21. राज्य एवं जिला स्तर से जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना एवं कराना।
22. समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिये निर्देशों/दायित्वों का निर्वान्हन।
23. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना एवं पर्यवेक्षण के दौरान मातृ स्वास्थ्य एवं अन्य से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान कराने में सहयोग करेगें। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें।
24. प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
25. जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में मातृ स्वास्थ्य की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
26. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर आयोजित होने वाले समस्त प्रकार के प्रशिक्षण में शत्प्रतिशत प्रतिभाग कर सहयोग प्रदान करना। प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण की रिपोर्ट जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर साझा करना।
27. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर क्रियान्वित समस्त कार्यक्रम की बिन्दुबार प्रतिमाह समीक्षा करना तथा आख्या राज्य स्तर पर प्रेषित करना।

सामान्य निर्देश–

1. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया (वॉक–इन–इन्टरव्यू अथवा अन्य) में भी जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता का सहयोग लिया जाना है।
2. वर्तमान में रिक्त पदों पर संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे।
3. सभी संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के मानदेय का भुगतान इनके कार्यावधि एवं मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जायेगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
5. कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. यदि कोई संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाये।
7. संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाताअपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।
8. संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
9. संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के अनुसार अवकाश देय होगें।
10. कार्यरत संविदा जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 01 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।

11. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
12. उक्त के साथ–साथ समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।

6. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का मानदेय–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2021–22 हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कुल 377 संविदा पदों के मानदेय हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.9.184.C.S0061 में स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपदों हेतु प्रेषित किये जाने वाले दिशा–निर्देश निम्नवत है–

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का मानदेय–

क्र0सं0	अवधि	कुल स्वीकृत पद	वित्तीय वर्ष 2022–23 में	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05% मानदेय बढ़ोत्तरी	वित्तीय वर्ष 2022–23 में नियमानुसार 05 एवं 10% लायल्टी बोनस
1	तीन वर्ष से अधिक समय एवं पॉच वर्ष से कम समय से कार्यरत	227	22050/–	05%	03 वर्ष पूर्ण करने पर 10% नियमानुसार लायल्टी बोनस।

- कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का ही मानदेय जनपदों को आंवटित किया गया है।
- आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के कार्य एवं दायित्व–

1 संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन द्वारा एफ0आर0यू0 पर एफ0आर0यू0 के नोडल के अधीन सिजेरियन प्रसव से सम्बन्धित कार्यो का निर्वाहन करना।
2 ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई एवं स्ट्रेलाईजेशन सुनिश्चित करना, उपकरणों की ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।
3 ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
4 गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूतिरोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
5 क्रेश कार्ट में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
6 ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्ट्रर अपडेट करना।
7 इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
8 ओ0टी0 रजिस्टर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव की विस्तृत विवरण अंकित करना।
9 डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
10 संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 कॉम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के तैनाती एवं सामान्य निर्देश–

1. जिन जनपदों में 100 शैययायक्त एम0सी0एच0 विगं स्थापित है तथा वह जिला सयुक्त/ महिला चिकित्सालय के साथ एक ही इकाई के रूप में क्रियाशील है ऐसी एफ0आर0यू0 पर ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती नही की जायेगी।
2. ओ0टी0 टैक्नीशियन की तैनाती क्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ0आर0यू0) में सिजेरियन प्रसव हेतु ओ0टी में की जायेगी।

3. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन को उसके तैनाती स्थल से अन्यंत्र इकाई पर अटैच (सम्बद्व) नहीं किया जायेगा परन्तु जिला स्वास्थ्य समिति जनपद में सिजेरियन प्रसव हेतु अक्रियाशील एफ0आर0यू0 से सिजेरियन प्रसव हेतु क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर स्थानान्तरण करने के लिये सक्षम होगी।
4. रिक्त पदों पर संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है तथा अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे।
5. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
6. चयनित किये गये संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन का उच्च अधिकारी/निरीक्षण कर्ता द्वारा स्किल परीक्षण किया जाता है, और वह अपने कार्य में निपुण नहीं पाया जाता है, उस स्थिति में उसे दक्ष कराने हेतु प्रशिक्षण में नामित किया जाए, इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।
7. जनपदों द्वारा यह धनराशि कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही देय होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
8. जनपद में कार्यरत/नवचयनित संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सभी दस्तावेजो के रखरखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
9. कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन के सम्बन्ध में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना मातृ स्वास्थ्य अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ को प्रत्येक त्रैमास अवश्य ही उपलब्ध करा दें।
10. यदि कोई संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाय।
11. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।
12. संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
13. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।
14. कार्यरत संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
15. जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी सभी संविदा तैनातियों एवं पुनर्अनुबन्ध एवं औचित्यपूर्ण तैनाती के लिये उत्तरदायी
16. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
17. उक्त के साथ–साथ संविदा स्टाफ नर्स हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

7. वित्तीय वर्ष 2022–23 में 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत संविदा स्टाफ के मानदेय एवं कार्य सम्बन्धित दिशा–निर्देशः–

अवगत कराना हैं कि प्रदेश में नवनिर्मित 35 नग 100 शैययायुक्त एम0सी0एच0 विंग की क्रियाशीलता किये जाने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा स्टाफ की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गयी है।

100 शैययायुक्त 35 एम0सी0एच0 विंग मे स्वीकृत संविदा स्टाफ का मानदेय निम्नवत है–

S. N	FMR	Name of Post	Per unit sectioned post	Total 35 unit sectioned post	Salary per month in working Contractual staff (in Rs.)	Salary per month Vacant position (in Rs.)	Increment 05% working Contractual staff	Staturory Complaince (EPF) In Working and vacant position 13.36%
1	HSS.9.184.C.S0110	Gynaecologist	3	105	1,32,300.00	1,20,000.00	**05%**	NA
2	HSS.9.184.C.S0124	Pediatrician	3	105	1,32,300.00	1,20,000.00	**05%**	NA

3	HSS.9.184.C.S0141	Anaesthetics	3	105	1,32,300.00	1,20,000.00	**05%**	NA
4	HSS.9.184.C.S0178	M.O. (Pathologist)	1	35	1,32,300.00	1,20,000.00	**05%**	NA
5	HSS.9.184.C.S0165	M.O. (Radiologist)	1	35	1,43,325.00	1,30,000.00	**05%**	NA
6	HSS.9.184.C.S0012	Nursing Sister	4	140	28,189.00	25,569.00	**05%**	NA
7	HSS.9.184.C.S0011	Neotology trained Staff Nurse	27	945	20,011.00	18,150.00	**05%**	NA
8	HSS.9.184.C.S0045	Lab. Tech.	6	210	15,923.00	14,443.00	**05%**	**13.36%**
9	HSS.9.184.C.S0062	OT Technician	2	70	17,261.00	15,656.00	**05%**	NA

नोट–*जनपदों को धनराशि का भुगतान मानदेय के साथ 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं ई0पी0एफ0(लैब टैक्नीशियन हेतु) की धनराशि को जनपदवार फॉट में सम्मिलित कर दी गई है।*

- **आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में कार्यरत संविदा स्टाफ का पूर्व (04 माह) में आंवटित मानदेय को घटाकार शेष (08 माह) मानदेय आंविटत किया गया है।**

1. **संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ**–जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की महिला विंग के लिए संविदा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा आउटडोर (ओ0पी0डी), ए0एन0सी0 क्लीनिक, हाई रिस्क एवं सीवियर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का प्रबन्धन, सामान्य एवं जटिल प्रसवों का उपचार, सिजेरियन प्रसव (Elective/Emergency), प्रसव कक्ष/शल्य कक्ष की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण, भर्ती मरीजों की देखभाल, केसशीट में सभी बिन्दुओ को पूर्णरूप से भरकर केसशीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
2. **निश्चेतक विशेषज्ञ**–संविदा निश्चेतक का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रीओपरेटिव एनेस्थिटिक चैकप करते हुये इलेक्टिव एवं इमरजेन्सी सीजेरियन प्रसव में 24x7 के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. **संविदा बालरोग विशेषज्ञ** द्वारा न्यूबोर्न केयर कार्नर की क्रियाशीलता, एस0एन0सी0यू0 में मानकानुसार सेवायें, चिकित्सालय में जन्मे सभी शिशुओं की 01 घंटे के भीतर वजन एवa Inj. Vit K लगवाने का प्रबन्ध, सभी जन्मे शिशुओं को 01 घंटे के भीतर स्तनपान करवाने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण, जटिल प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव के समय उपस्थित रहते हुये सेवायें प्रदान करना, समय समय पर समस्त लेबर रूम स्टाफ की क्षमतावृद्धि हेतु Essential Newborn care/NSK के सम्बन्ध में ओरिएंटेशन करना एवं प्रतिदिन ओ0पी0डी0 सेवायें सुनिश्चित किया जाना है।
4. **संविदा चिकित्साधिकारी–पैथोलॉजिस्टः**–नियमित सेवा से तैनात पैथोलॉजिस्ट की भाँति पैथॉलॉजी से सम्बन्धित सभी कार्यो का सम्पादन किया जायेगा तथा पैथॉलॉजी की सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।
5. **संविदा चिकित्साधिकारी–रेडियोलाजिस्ट**–समस्त प्रकार के एक्स–रे की सेवायें प्रदान करना, अल्ट्रासाउण्ड एवं डॉपर, कलर डॉपर, एम0आर0आई0, एवं सी0टी स्केन आदि सभी सेवायें प्रदान करना तथा सभी सेवायें 24x7 के रूप से प्रदान की जायेगी।
6. **संविदा नर्सिंग सिस्टर**– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत नियमित नर्सिग सिस्टर को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0 अथवा आवश्यकता एवं मानकानुसार) में तैनाती एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन किया जायेगा, कार्यरत संविदा नर्सिग सिस्टर को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा, कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स की ऑन जॉब ट्रेनिग, प्रसव कक्ष का सुदृढ़ीकरण, वार्ड के क्वालिटी पूर्ण संचालन में पूर्ण दायित्व होगा तथा वार्ड, प्रसव कक्ष एवं ओ0टी0 में कार्यरत समस्त स्टाफ के बीच क्वार्डीनेशन एवं कम्युनिकेशन करना एवं सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।
7. **संविदा नियोटोलॉजी प्रशिक्षित स्टाफ नर्स**–प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक द्वारा एम0सी0एच0 विंग मे कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को इकाई के विभिन्न पटलों (प्रसव कक्ष, एस0एन0सी0यू0, ओ0टी0) में तैनाती की जायेगी, एवं समय–समय रूटीन बेस पर पटलों में परिवर्तन (Rotational posting) किया जायेगा, कार्यरत नियोटोलॉजी प्रशिक्षित संविदा स्टाफ नर्स को

नर्सिंग सिस्टर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन कार्य करना होगा तथा सभी सेवायें 24x7 प्रदान की जायेगी।

8. **संविदा ओ0टी0 टैक्नीशियन–**
   - ओ0टी0 की समुचित व्यवस्था का दायित्व जैसे शल्य चिकित्सा से पहले ओ0टी0 तैयार करना, ओ0टी की साफ–सफाई सुनिश्चित करना, स्टेरिलाईजेशन, उपकरणों एवं ड्रेसिंग आदि को ऑटोक्लेव करना।
   - ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरणों की प्रतिदिन परीक्षण कर, क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
   - गर्भवती महिला का सिजेरियन प्रसव के दौरान स्त्री एवं प्रसूतिरोग/सर्जन एवं निश्चेतक विशेषज्ञ चिकित्सक को पूर्ण सहयोग प्रदान करना।
   - क्रेश कार्ड में रखी समस्त दवाओं की एक्सपायरी चेक करना एवं ओ0टी0 में प्रयोग होने वाले गैस सिलेण्डर की नियमित जॉच तथा स्टाक रजिस्टर अपडेट करना।
   - ड्रग एवं कन्जूमेबिलस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्टाक रजिस्टर अपडेट करना।
   - इलेक्टिव सिजेरियन प्रसव हेतु पूर्व से ओ0टी0 बुक करना।
   - ओ0टी0 रजिस्टर में प्रत्येक सिजेरियन प्रसव की विस्तृत विवरण अंकित करना।
   - डिपार्टमेन्टल आडिट एवं रिसर्च में प्रतिभाग करना।
   - संक्रमण रोकथाम हेतु ओ0टी0 काम्पलेक्स में जोन (Protective, Clean, Sterile, Disposal) का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना।

9. **लैब टेक्नीशियन**–लैब से सम्बन्धित समस्त (ब्लड सेम्पल लेना, जॉच करना, रिपोर्ट तैयार करना आदि) सेवायें प्रदान की जायेगी एवं लैब के समस्त उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे। इनका डयूटी रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाय कि एम0सी0एच0 विंग में 24X7 पैथोलॉजी सेवायें सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण दिशा निर्देश–

1. सभी एम0सी0एच0 विग, जिला महिला चिकित्सालय की तरह 24X7 के रूप में कार्य करेंगे।
2. जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय की प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग की नोडल होगी।
3. एम0सी0एच0 विंग में तैनात समस्त विशेषज्ञ एवं अन्य पैरामेडिकल प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय के अधीनस्थ कार्य सम्पादित करेंगे।
4. किसी भी माह में शून्य अथवा औसतन 10 सीजेरियन सेक्शन प्रति माह से कम उपलब्धि वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों (स्त्रीरोग एवं निश्चेतक) को चेतावनी निर्गत कर प्रशासनिक सहयोग से उपलब्धि बढ़ाने का प्रयास करें। **प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद स्तर पर संविदा विशेषज्ञों द्वारा कम उपलब्धि होने पर उनका मानदेय रोक दिया जाता जो कि उचित नहीं है। वरन् लगातार तीन माह तक अधोप्रगति होने पर अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर इसकी सूचना प्रेषित की जानी है।** संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों से मेडिको लीगल/पोस्टमार्टम कार्य नही कराया जाना है।
5. पोस्ट ऑपरेटिव केयर हेतु एम0सी0एच0 विंग में तैनात सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्सों (नियमित अथवा संविदा) की सामूहिक जिम्मेदारी होगी एवं वे ड्यूटी रोस्टर के आधार पर इसे सम्पादित करेंगे। इस हेतु प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल, एम0सी0एच0 विंग, यथासम्भव सहयोग देते हुए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता एवं समन्वय सुनिश्चित करायेंगे।
6. उपरोक्त सभी मानव संसाधन का चयन मात्र नवनिर्मित 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग को क्रियाशील करने हेतु की गयी है।
7. समस्त विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
8. सभी जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता प्रत्येक माह एम0सी0एच0विंग की प्रगति रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 के सहयोग से तैयार कर मण्डलीय कार्यालय को तथा gmmhup2019@gmail.com पर ससमय प्रेषित करें।
9. वर्तमान में जनपदों द्वारा संविदा विशेषज्ञ की वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से जनपदों द्वारा एवं पैरामेडीकल स्टाफ की नियुक्ति राज्य स्तर से की जा रही है। सभी का अनुबन्ध एवं पुर्नअनुबन्ध

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्तर से प्रेषित मानव संसाधन पालिसी के नियमों का पालन करते हेतु नियमानुसार किया जाना है। सभी अनुबन्ध 31 मार्च 2023 तक के लिये ही किये जायेंगे। समस्त तैनाती मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा की जायेगी।

10. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी। सभी संविदा स्टाफ को मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के अधीन/निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
11. समस्त चिकित्सकों द्वारा नियमित प्रतिदिन एम0सी0एच0 विंग में ओ0पी0डी0 की जायेगी।
12. क्रियाशील 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत संविदा स्टाफ को अन्य किसी चिकित्सा इकाई में किसी भी परिस्थिति में स्थानान्तिरित अथवा सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।
13. सभी संविदा स्टाफ द्वारा अपनी सेवायें 24x7 के रूप प्रदान की जायेगी।
14. समस्त अभिलेखों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर संकलित किया जाये।
15. अपने जनपद में सभी स्वीकृत संविदा पदों पर कर्मियों की औचित्यपूर्ण तैनाती का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का ही है।
16. जनपदों द्वारा यह धनराशि 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत मानव संसाधन की वास्तविक संख्या एवं कार्य अवधि के आधार पर व्यय की जायेगी। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय इनके कार्यावधि के आधार पर ही दे होगा तथा वित्त अनुभाग, एन0एच0एच0, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देशों में अंकित व्यवस्था अनुसार भुगतान किया जायेगा।
17. भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में पूर्व वर्ष से कार्यरत मानव संसाधन के लिये 05 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि, धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसका भुगतान मानव संसाधन अनुभाग, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के नियमानुसार किया जायेगा।
18. संविदा कर्मी अपने विनियमितिकरण एवं स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेगें।
19. संविदा कर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होगें।
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पूर्व में समय–समय पर जो भी मानव संसाधन हेतु अवकाश स्वीकृत किये गये है उसी के अनुरुप अवकाश देय होगें।
21. संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेंगी।
22. उक्त के साथ–साथ 100 बेडेड एम0सी0एच0 विंग में कार्यरत मानव संसाधन हेतु समस्त नियम मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देश भी अनुमन्य होंगे।

2. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

2.1 सिक न्यूबोर्न केयर इकाई (SNCU)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंभीर नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयो में सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों चरणवद्ध रूप से क्रियाशील की गई हैं अथवा क्रियाशील की जा रही हैं। पूर्व में प्रेषित सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट एवं संविदा/आउट सोर्सिंग मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये थे। तद्नुसार कार्यक्रम का संचालन किया जाना है।

2.1.1 ऑपरेशनल कॉस्ट–FMR Code-RCH.3.24.OOC.01

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे सिक न्यूबोर्न केयर इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट की 60 प्रतिशत धनराशि औषधियों, कन्जूमेबिल्स, डायपर, शिशु मिल्क पाउडर (न्यूट्रीशनल सप्लीमेन्ट के रूप में उपयोग किये जाने हेतु Govt. of India FBNC Operational Guidelines के अनुसार) कंगारू मदर केयर (KMC) इकाई हेतु आवश्यक सामग्री आदि तथा 40 प्रतिशत धनराशि से ए0एम0सी0 एवं उपकरणों के अनुरक्षण एवं इकाई को क्रियाशील बनाये रखने हेतु छोटे–मोटे उपकरण के क्रय एवं अन्य आवश्यक सामग्री एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज की आवश्यकतानुसार क्रय किये जायें। जिन उपकरणों के अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य बायो मेडिकल इक्यूपमेन्ट मेन्टीनेन्स के अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा किया जा रहा है, उनका रखरखाव उपरोक्त सेवा प्रदाता के माध्यम से ही किया जाये। प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मेडिकल कालेजों के विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग द्वारा बिना एस0एन0सी0यू0 इन्चार्ज के लिखित परामर्श से धनराशि का उपयोग न किया जाये। ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की जा रही है।

2.1.2 एस0एन0सी0यू0 डाटा मैनेजमेन्ट–

FMR Code **RCH.3.24.IEC.5** पर Printing of SNCU Case Record & Monitoring Sheet/treatment and Discharge Card (केश रिकार्ड शीट, मानीटीरिगं डिस्चार्ज कार्ड आदि Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों प्रति इकाई हेतु रू0 1.00 लाख प्रति इकाई के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

- **FMR Code RCH.3.24.PME.1** पर Stationary, Printer Cartridge, Paper Rim, Internet, Mobile Recharge Monthly Expenses etc.- (कम्प्यूटर सम्बन्धी स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, पेपर रिम, इन्टरनेट एवं मोबाइल आदि) का उपयोग Mother and newborn Care unit (MNCU) के अन्तर्गत Sick Newborn care Unit (SNCU)/KMC Lounge/Step down वार्ड में भर्ती नवजात शिशुओं हेतु भी उपयोग किया जायेगा)। क्रियाशील/क्रियाशील की जा रही इकाईयों हेतु रू0 60,000.00 प्रति इकाई के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.1.3 एस0एन0सी0यू0 में भर्ती नवजात शिशुओं को निःशुल्क जांच की सुविधा

FMR Code- RCH.3.28.DI.1 पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अन्तर्गत जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय/मेडिकल कालेजों में संचालित एस0एन0सी0यू0 में भर्ती एवं डिस्चार्ज हो चुके नवजात शिशुओं को फालोअप के समय 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो जांचें चिकित्सालय में उचित इलाज प्रदान करने हेतु नहीं हो पा रहीं है वह जांच अन्य चिकित्सालयों/संस्थानों से कराने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.1.4–नवीन 07 एस0एन0सी0यू0 की स्थापना

- FMR Code-RCH.3.24.IC.1 & 3 पर 07 नवीन एस0एन0सी0यू0 की स्थापना किये जाने हेतु छोटी–मोटी मरम्मत हेतु New SNCU Repair & Renovation Cost प्रति इकाई **रू0 4.00 लाख** की दर से एवं New

SNCU One time Establishment Cost हेतु प्रति इकाई **रू0 12.00 लाख** की दर से धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

- FMR Code RCH.3.24.EQ.2 पर 02 नवीन एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से क्रय करने हेतु प्रति इकाई **रू0 25.00 लाख** की दर से धनराशि निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

One time Establishment Cost including Minor Repair & Renovation & Procurement of equipment for SNCUs					
	RCH.3.24.IC.1 and IC.3 & EQ.2				
S.N.	District	Name of Unit SNCU	One time Establishment Cost including Minor Repair & Renovation SNCU	Procurement of equipment for SNCUs	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	Lucknow	New SNCU RSM 100 Bedded Combined Hospital Lucknow	1600000	2500000	**4100000**
2	Hapur	New SNCU Combined Hospital Hapur	1600000	2500000	**4100000**
3	Ayodhya	Medical College Ayodhya	1600000		**1600000**
4	Basti	Medical College Basti	1600000		**1600000**
5	Banda	Medical College Banda	1600000		**1600000**
6	Azamgarh	Medical College Azamgarh	1600000		**1600000**
7	Budaun	Medical College Budaun	1600000		**1600000**

2.1.5 पूर्व से क्रियाशील 09 एस0एन0सी0यू0 के उपकरण FMR Code-RCH.3.24.EQ.1

जनपदों के व जिला महिला चिकित्सालयों में पूर्व से क्रियाशील 09 एस0एन0सी0यू0 के उपकरणों का क्रय जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार **"Gem Portal" से क्रय** किये जाने हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों को निम्न विवरण के अनुसार जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

	FMR Code-RCH-3.24 Facility Based New born Care				
S.N.	**District**	Unit	Number of bed Extension	Per Unit cost (12 bed) as per FBNC Guideline	**Total Fund Allocation To DHS (In Rs.)**
1	**Bareilly**	SNCU DWH Bareilly	6	2500000	**1250000**
2	**Kanpur Dehat**	SNCU DWH Kanpur Dehat	6	2500000	**1250000**
3	**Bulandshahar**	SNCU, DWH Bulandshahar	4	2500000	**850000**
4	**Jallaun**	SNCU DWH Orai	6	2500000	**1250000**
5	**Sitapur**	SNCU, DWH Sitapur	6	2500000	**1250000**
6	**Kanpur Nagar**	SNCU MC Kanpur Nagar	12	2500000	**2500000**
7	**Etawah**	SNCU, UPUMS, Saifai	12	2500000	**2500000**
8	**Lucknow**	SNCU, VAB, Lucknow	6	2500000	**1250000**
9	**Lucknow**	Queen Mary's Hospital KGMU	8	60000	**480000**

2.1.6– एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स की क्षमता वर्धन के लिए मेंटरिंग विजिट

FMR Code- RCH.3.24.PME.2 पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स की क्षमता वर्धन के लिए स्टेट रिसोर्स सेंटर द्वारा चिन्हित मेंटर्स द्वारा मेंटरिंग विजिट हेतु प्रति

जनपद रू0 9.90 लाख की दर से धनराशि जनपद के0ज0एम0यू0 लखनऊ एवं बी0एच0यू0 वाराणसी की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.1.7— FMR Code- RCH.3.24.CB.3 पर एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, एवं स्टाफ नर्सो के 04 दिवसीय एफ0बी0एन0सी0 माड्यूलर प्रशिक्षण हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.1.8— FMR Code- RCH.3.24.CB.4&5 पर बालरोग विशेषज्ञ तथा मेडिकल आफीसर के 6 दिवसीय अब्जरवरशिप टी0ओ0टी0 एवं एस0एन0सी0यू0 में कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ, एवं स्टाफ नर्सो के 12 दिवसीय एफ0बी0एन0सी0 अब्जरवर शिप प्रशिक्षण हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.2— न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU)

2.2.1— न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) के लिये आपरेशनल कास्ट FMR Code- RCH.3.24.OOC.02

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 353 एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये रू0 60,000.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 83 नवीन एन0बी0एस0यू0 इकाईयों के लिये ऑपरेशनल कॉस्ट मद में प्रति इकाई रू0 5,000.00 प्रति माह की दर से 6 माह के लिये रू0 30,000.00 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.2.2— नवीन न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) की स्थापना हेतु उपकरणों का क्रय

FMR Code-RCH.3.24.EQ.4 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) की प्रदेश के 51 जनपदों में 83 नवीन एन0बी0एस0यू0 की स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु प्रति इकाई 04 रेडिएण्ट वार्मर एवं 02 फोटोथैरपी यूनिट के अनुसार उपकरणों का जनपद स्तर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार "Gem Portal" के माध्यम से क्रय करने हेतु प्रति रेडिएण्ट वार्मर हेतु रू0 60,000.00 की दर से एवं प्रति फोटोथैरपी यूनिट रू0 65,000.00 की दर से धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा रही है।

FMR Code	नवीन एन0बी0एस0यू0 इकाईयों की संख्या	उपकरणों का नाम	प्रति एन0बी0एस0यू0 इकाई हेतु उपकरणों की संख्या	कुल उपकरणों की संख्या	यूनिट रेट
6.1.1.2	83	रेडिएण्ट वार्मर	4	332	60000
		फोटोथैरेपी यूनिट	2	166	65000

2.2.3— न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत मेडिकल आफिसर एवं स्टाफ नर्सो का 06 दिवसीय NBSU Observership प्रशिक्षणः—

FMR Code-RCH.3.24.CB.9 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई में कार्यरत मेडिकल आफिसर और स्टाफ नर्सो के प्रशिक्षण हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.2.4— न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिकल आफिसर और स्टाफ नर्सो का मेडिकल कालेजों में प्रशिक्षण—

FMR Code-RCH.3.24.CB.10 पर न्यूबोर्न स्टेबलाईजेशन इकाई (NBSU) में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिकल आफिसर और स्टाफ नर्सो के प्रशिक्षण हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.3 न्यूबार्न केयर कार्नर (NBCC)

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (HWCs) पर एन0बी0सी0सी0 स्थापित किये जाने हेतु रेडिएण्ट वार्मर का क्रय – FMR Code-RCH.3.24.EQ.3 पर प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) एवं हेल्थ सब सेन्टर स्तर पर क्रियाशील किये गये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (HWCs) पर क्रियाशील प्रसव कक्षों में न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) को स्थापित किया जाना है।

3188 HWCs पर न्यूबोर्न केयर कार्नर (NBCC) की स्थापना हेतु रेडियण्ट वार्मर के क्रय (Procurement of equipments for NBCC- Radiant Warmer @Rs.60,000/-per unit) हेतु धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मानकों, स्पेशिफिकेशन (Specification) के अनुसार उपकरण "Gem Portal" के माध्यम से जनपद स्तर पर क्रय किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवटिंत की जा रही है।

FMR Code	Activity	No of Districts	No of Unit NBCCs	No of Radiant Warmer	Unit Rate
Facility Based New born Care FMR Code RCH-3 S.N. 24	Procurement of equipments for HWCs/NBCC- Radiant Warmer	**75**	**3188**	**3188**	**60000**

2.4–पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRCs)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गंम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों/सी0एच0सी0/मेडिकल कालेजों में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना कर क्रियाशील की गयी हैं। पूर्व में प्रेषित पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) में सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रीशन (SAM) से प्रभावित कुपोषित बच्चों की पहचान व भर्ती के मानकों के साथ संचालन हेतु आपरेशनल कास्ट, आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं। तद्नुसार इकाईयों का संचालन किया जाना है।

2.4.1–पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) ऑपरेशनल कॉस्ट– FMR Code- RCH.7.54.OOC

जिला पुरूष चिकित्सालय/मेडिकल कालेजों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रियाशील/क्रियाशील किये जा रहे पोषण पुनर्वास केन्द्रों (NRCs) के संचालन हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट मद में धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.4.2–आशा/आगनवाड़ी (सन्दर्भन एवं फालोअप) को प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code- RCH.7.54.ASHA

एन0आर0सी0 में गम्भीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition-SAM) बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने हेतु आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु रू0 50/– प्रति बच्चे तथा 4 फॉलोअप कराने हेतु रू0 100/– इस प्रकार प्रति बच्चे कुल रू0 150/– की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.4.3–नवीन 01 एन0आर0सी0 की स्थापना FMR Code- RCH.7.54.IC

राममनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संथान लखनऊ में नवीन एन0आर0सी0 स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.4.4–FMR Code- RCH.7.54.IC

08 एन0आर0सी0 में कम्प्यूटर, यू0पी0एस0 प्रिन्टर के क्रय हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.5–CLMC एवं LMU

2.5.1– प्रदेश के चयनित मेडिकल कॉलेजों/जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्थापित/क्रियाशील सिक न्यूबार्न केयर इकाई (SNCU) के निकट एक Lactation Management Unit (LMU) की स्थापना की

जानी है। एल0एम0यू0 सभी जिला स्तरीय प्रसव इकाईयों पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रशिक्षित Lactation Support Staff द्वारा माताओं को स्तनपान कराने हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा। यह नवीन गतिविधि है, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र प्रेषित किये जायेंगे।

FMR Code- RCH.7.57.OOC.1 Lactation Management Unit (LMU) LMU की स्थापना हेतु रू0 9.61 लाख की दर से धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। इस नवीन गतिविधि के विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र प्रेषित किये जायेंगे।

2.5.2— FMR Code- RCH.7.57.OOC.1 Lactation Management Unit (LMU) LMU की आपरेशनल कास्ट हेतु रू0 0.55 लाख की दर से 06 माह हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है। यह नवीन गतिविधि है, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र प्रेषित किये जायेंगे।

2.5.3— FMR Code- RCH.7.57.OOC.2 Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) पर किंगजार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के बालरोग विभाग में की आपरेशनल कास्ट मद में रू0 1.31 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.5.4— FMR Code- RCH.7.57.EQ.1 & RCH.7.57.IC.1Comprehensive Lactation Management Center (CLMC) पर बी0एच0यू0 वाराणसी के बालरोग विभाग में **CLMC** की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु रू0 38.62 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति वाराणसी को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.6— बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्टेट रिसोर्स सेन्टर, (SRC) की स्थापना FMR Code-RCH.3.24.IC.2

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में स्टेट रिसोर्स सेन्टर **(SRC)** की स्थापना हेतु रू0 11.50 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति गोरखपुर को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.7—सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF)

प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा पूर्व की भाँति इस वर्ष 2022 में भी प्रदेश के समस्त जनपदों में मनाया जाना है।

1- **FMR Code- RCH.7.58.IEC.1** पर IEC for IDCF हेतु प्रति जनपद रू0 1.18 लाख की धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा चुकी है।

2- **FMR Code- RCH.7.58.ASHA** पर IDCF ASHA Incentive हेतु प्रति आशा को रू0 100.00 के अनुसार प्रति पूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा चुकी है।

2.8 बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

2.8.1— बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code-RCH.3.25.SRRE.1 पर बाल मृत्यु के कारणों का (Verbal autopsy) निरीक्षण/जांच—पडताल बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रय क्रियान्वयन हेतु आशा द्वारा रिपोर्टिंग करने हेतु प्रति केश रू0 50.00 की दर से और ए0एन0एम0 को प्रति केस रू0 100.00 की दर से तथा **वर्बल आटाप्सी** करने हेतु दो व्यक्तियों हेतु रू0 250.00 की दर से जनपद के ब्लाक में **वर्बल आटाप्सी के अन्तर्गत** प्रति टीम के आवागमन हेतु रू0 250.00 की दर के अनुसार प्रदान किये जाने हेतु बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 75 जनपदों के लिये सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.8.2— बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत — RCH.3.25.IEC.1 पर 75 जनपदों में प्रपत्रों के मुद्रण हेतु प्रति प्रपत्र रू0 0.50 पैसा प्रति पेज के अनुसार धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.8.3— बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code- RCH.3.25.CB.1 Divisional Level Child Death Review Cum Orientation Training हेतु प्रति Batch रू0 28000 की धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.8.4– बाल मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code- RCH.3.25.SRRE.2 Wage Compensation for parents हेतु रू0 200/की दर से धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.9–विश्व स्तनपान सप्ताह एवं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह FMR Code-RCH.3.24.IEC.1 & IEC.2

विश्व स्तनपान सप्ताह 01–07 अगस्त 2022 में विभिन्न गतिविधयों हेतु प्रति जनपद रू0 40,000/– की दर से धनराशि एवं नवजात शिशु देखभाल सप्ताह दिनांक 15–21 नवम्बर 2022 में विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रति जनपद रू0 50000/– की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.10– होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC)

2.10.1– होम बेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत FMR Code-RCH.3.23.ASHA.1 पर आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं माताओं की प्रसवोपरान्त घरेलू देखभाल के उपरान्त आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.10.2– होमबेस्ड न्यूबार्न केयर कार्यक्रम (HBNC) के अन्तर्गत FMR Code- RCH.3.23.IEC.1 पर आशा द्वारा नवजात शिशुओं एवं धात्री माताओं के गृह भ्रमण हेतु फार्मेट एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 0.50 पैसा प्रति पेज की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.11 माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection)

2.11.1 माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत आशा प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code-RCH.7.56.ASHA पर आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों के उपरान्त प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु माह में 03 मीटिंग तथा त्रैमासिक आधार पर 08 से 10 मीटिंग की जानी है। इन तीन महीनों में आशा को प्रत्येक गर्भवती तथा धात्री महिला तक पहुंचना है। आशा वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में मातृ सम्मेलनों को दोहराती रहेगी। आशा को रु0 100.00 प्रतिपूर्ति राशि त्रैमासिक आधार पर प्रदान करने हेतु 04 त्रैमास के लिये धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.11.2 माँ''कार्यक्रम "MAA" (Mother's Absolute Affection) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी **राशि– FMR Code-RCH.7.56.IEC** पर आशाओं द्वारा की जाने वाली बैठकों की रिपोर्टिंग हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्रों की मुद्रण/छपायी जनपद स्तर पर स्पेशिफिकेशन के अनुसार कराये जाने हेतु रू0 1.00 प्रति फार्मेट की दर से समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में धनराशि आवंटित की जा रही है।

2.12 एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम (AMB)

2.12.1 – एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के संचालन हेतु आशा प्रतिपूर्ति राशि FMR Code-RCH.7.52.ASHA आशा द्वारा 06 माह से 59 माह तक के समस्त बच्चों को वी0एच0एन0डी0 सत्र पर मोबलाइज करने तथा 50 M.L Bottle, auto dispenser के आयरन सीरप का वितरण सुनिश्चित करने हेतु रू0 50/– प्रति माह की दर से आशा प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.12..2– एनीमिया मुक्त भारत (AMB) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में ब्लाक स्तरीय ओरिएण्टेशन कम प्रशिक्षण हेतु FMR Code- RCH.7.52.CB.1 पर एनीमिया मुक्त भारत **(AMB)** कार्यक्रम के संचालन हेतु समस्त जनपद में आशा एवं ए0एन0एम0 के ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.13–होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम (HBYC)

2.13.1 एच0बी0वाई0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत FMR Code RCH.3.23.CB.2 पर होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड कार्यक्रम (HBYC) के अन्तर्गत 05 दिवसीय जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 एवं ब्लाक स्तरीय ए0एन0एम0, हेल्थ सुपरवाइजर, आशा संगिनी एवं आशाओं और आगंनबाडी के प्रशिक्षण हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.13.2 – एच0बी0वाई0सी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रतिपूर्ति राशि– FMR Code - RCH.3.23.ASHA.2 पर होमबेस्ड न्यूबार्न केयर फॉर यंग चाइल्ड **(HBYC)** कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने हेतु प्रति आशा को रू0 50.00 प्रतिपूर्ति राशि त्रैमासिक आधार पर भुगतान करने हेतु प्रति भ्रमण के अनुसार धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.14–SAANS कार्यक्रम

निमोनिया की रोकथाम एवं ससमय समुचित इलाज प्रदान कर Under-5 मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से समुदाय स्तर पर न्यूमोनिया से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उपचार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश में **SAANS (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully)** कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है।

2.14.1 FMR Code-RCH.3.26.CB.03 पर सांस कार्यक्रम के अन्तर्गत एच0ई0ओ0, डी0पी0एम0/डी0सी0पी0एम0, आशा संगिनी, ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 के एक दिवसीय प्रशिक्षण तथा मेडिकल आफीसर, स्टाफ नर्स के 02 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.14.2 FMR Code - RCH.3.26.IEC.1 पर **SAANS** कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तरीय प्रशिक्षण के लिये मॉड्यूल प्रिटिंग हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.14.3 FMR Code - RCH.3.26.CB.1 पर **SAANS** कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तरीय कैम्पेन, प्लानिंग एवं समीक्षा बैठक हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.15–बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण–

2.15.1– 02 दिवसीय एन0एस0एस0के0 प्रशिक्षण FMR Code - RCH.3.24.CB.2 पर प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रसव केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ नर्सो, ए0एन0एम0 एवं एल0एच0वी0 के क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.15.2– 05 दिवसीय आई0एम0एन0सी0आई0 टी0ओ0टी एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण FMR Code - RCH.3.27.CB.2 पर मेडिकल आफिसर,स्टाफ नर्स, एन0जी0ओ प्रतिनिधि का मेडिकल कालेज में टी0ओ0टी0 तथा जनपद स्तर पर ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16–बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव संसाधन–

2.16.1– FMR Code - HSS.9.184.C.S0405,410,415,425,829 पर एन0आर0सी0 के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स एवं फिडिंग डिमान्स्ट्रेटर तथा संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत कुक कम केयर टेकर एव सफाई कर्मचारीयों के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16.2– FMR Code - HSS.9.184.C.S0430,440,461,462 पर एस0एन0सी0यू0 के अन्तर्गत संविदा एवं बिडिंग के माध्यम से कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ, संविदा स्टाफ नर्स एवं संविदा एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर, एव आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, सिक्योरटी गार्ड एवं सफाई कर्मचारीयों के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16.3– FMR Code - HSS.9.184.C.S0431,435,442,463 पर एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ में संचालित पीकू के अन्तर्गत संविदा बाल रोग विशेषज्ञ, संविदा मेडिकल आफीसर, संविदा स्टाफ नर्स एवं आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत वार्ड आया, के मानदेय हेतु धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति लखनऊ को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16.4– FMR Code - HSS.9.184.C.S0441 पर एन0बी0एस0यू0 के अन्तर्गत संविदा स्टाफ नर्स के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16.5– **FMR Code - HSS.9.184.C.S0446,447,448,449** पर बालरोग विभाग किंगजार्ज मेडिकल यूनिवसिर्टी लखनऊ, एवं बालरोग विभाग आई0एम0एस0–बी0एच0यू0 वाराणसी में संचालित सी0एल0एम0सी0 संविदा सी0एल0एम0सी0 मैनेजर, सी0एल0एम0सी0 लैब टैक्नीसियन एव आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत हाईजीन हेल्पर तथा क्वीनमेरी चिकित्सलय किंगजार्ज मेडिकल यूनिवसिर्टी लखनऊ में संचालित एल0एम0यू0 में आउट सोर्स के माध्यम से कार्यरत एल0एम0यू0 कांउसलर, के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

2.16.6– **FMR Code - HSS.9.184.C.S0443,444,445** पर चयनित मेडिकल कालेजों के बालरोग विभाग, में स्थापित स्टेट रिसोर्स सेन्टर के संविदा ट्रेनिगं कोआर्डिनेटर, नर्सिगं कोआर्डिनेटर एवं प्रशासनिक कम डाटा सहायक के मानदेय हेतु धनराशि जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित की जा रही है।

नोट– वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 के अनुमोदन के क्रम में बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों/ गतिविधियों के क्रियान्वयन/संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों को डैप में आवंटित धनराशि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

किसी भी जानकारी के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ उ0प्र0 के मो0न0 9415085790 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 7897829999 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की वर्तमान टी.एफ.आर. 2.4 (NFHS-V के अनुसार) को आगामी वर्षों में 2.1 तक प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को जनसमुदाय के मध्य प्रोत्साहित करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को उनकी इच्छानुसार, गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हैं। इन उद्देश्यों को ससमय प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी हैः–

- शासनादेश संख्या–30/2017/92/पॉच–9–2017–9(6)/2017 दिनॉक 24.04.2017 एवं शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9–2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदो में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियॉ यथा–प्रत्येक त्रैमास मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन, समुदाय की सहभागिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सास–बेटा–बहू सम्मेलन तथा नव दम्पत्तियों को शगुन किट (नई पहल किट का वितरण), एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन, उपकेन्द्र स्तर तक कण्डोम बॉक्स की स्थापना तथा नवीन गर्भ निरोधक साधनो की उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। जनपद स्तर पर सहयोगी संस्थाओ के समन्वयन के साथ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाये।
- शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9–2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के क्रम में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के अन्य 18 जनपदों में भी प्रभावी है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व के 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में महिला नसबन्दी, पुरुष नसबन्दी एवं अन्तरा के लाभार्थी एवं आशा का भुगतान 01 अप्रैल 2022 से पूर्व का बकाया है तो उस स्थिति में यह समस्त भुगतान पूर्व प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरुप ही किया जाना है।
- जनपद स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं जनपदीय उपलब्धियों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी हैं। अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को परिवार कल्याण, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की गतिविधियों हेतु समेकित नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन के रूप में नामित किया जाये। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको अधिकार प्रदत्त करें तथा उनके माध्यम से जनपद स्तरीय गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- जनपद स्तर पर समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा। इस हेतु UPTSU के DFPS द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन जनपदों में जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 मैनेजर नहीं है उन जनपदों में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 मैनेजर की भॉति परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त कार्य करेगें।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक तथा समय–समय पर चाही गयी समस्त रिपोर्ट्स नवीन निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड/स्कैन कॉपी ई–मेल jdfamilyplanning@gmail.com व gmfamilyplanning@gmail.com के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के समन्वयन से जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की होगी। नोडल अधिकारी–परिवार नियोजन पी0सी0पी0एन0डी0टी0, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की मासिक प्रगति आख्या को जनपद वैलिडेशन कमेटी में परीक्षण कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- निजी चिकित्सालय/संस्थाएं, यथा–हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अधिकृत निजी चिकित्सालय/संस्था के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के चिकित्सालयों–यथा रेलवे व सैन्य चिकित्सालयों के अर्न्तगत चिन्हित चिकित्सालय के साथ अन्य निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य को भी जनपद की उपलब्धि में सम्मिलित किया जायेगा।

- भारत सरकार द्वारा केवल एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही रिपोर्ट को ही संज्ञान में लिया जाता है। इसलिए नोडल अधिकारी परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार वर्णित निजी चिकित्सालयो की रिपोर्ट को सम्मिलित करने हेतु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर यूनिट को पंजीकृत करते हुए प्रगति को अद्यतन करें। साथ ही एच0एम0आई0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट का आंकलन कर त्रुटियों को दूर कराते हुए मासिक रिपोर्ट का प्रेषण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।
- जनपद स्तर पर कॉट के माध्यम से सेवा लेने हेतु जनपदों द्वारा यह विशेष ध्यान दिया जाये कि जनपद के दूरस्थ चिकित्सा इकाई/क्षेत्र (जहॉ पर सरकारी चिकित्सक की पहुंच नहीं है) उन्हीं क्षेत्रो में जनमानस को नसबन्दी की सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु अनुबन्ध किया जाये।
- एक कॉट टीम से अधिकतम 02 जनपदों में ही सेवा लिया जाये जो कि समीपवर्ती (Adjoininng) जनपद होगे।
- कॉट टीम के माध्यम से सेवा लेने हेतु यह सुनिश्चित किया जाये कि कॉट टीम सरकारी सेवा प्रदान करने वाले एफ0डी0एस0 टीम वाले क्षेत्रों में कार्य नहीं करें।
- मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट, जिनसे सम्बन्धित आंकड़ो को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा संग्रहित एवं संकलित नहीं किये जाने की स्थिति में मैनुअल रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी–परिवार कल्याण, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय किये जाने हेतु कमिट करायी गयी धनराशि का शत–प्रतिशत व्यय वित्तीय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आवंटित धनराशि को भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष वित्तीय उपयोगिता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये।
- **बास्केट ऑफ च्वाइस की मुहर–** भविष्य में लाभार्थी का परिवार नियोजन की सेवाओं का फॉलोअप किये जाने के उद्देश्य से सेवाप्रदाता द्वारा मरीज अथवा लाभार्थी के ओ0पी0डी0 स्लिप, ए0एन0सी0, डिस्चार्ज तथा एम0सी0पी0 कार्ड पर काउन्सलिंग के उपरांत यदि मरीज अथवा लाभार्थी द्वारा किसी विधि को अपनाने हेतु चुना गया है या भविष्य में किसी विधि को अपनाने हेतु रूचि प्रकट की हो, तो उस स्थिति में उसके कार्ड पर मुहर लगाया जाये तथा रूचि दिखायी गयी विधि पर सही (✓) का निशान अथवा अपनायी गयी विधि पर गोला (0) लगाया जाये जिससे कि भविष्य में उसका फालोअप आसानी से किया जा सके।
- नियत दिवस सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु नियत दिवस कैलेण्डर त्रैमासिक तैयार कर सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी जाये, जिससे राज्य स्तर से शिविरों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।
- यदि नसबन्दी, पी0पी0आई0यू0सी0डी0 सेवाओं, महिला व पुरुष नसबन्दी आउटरीच सेवायें एवं स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत जनपदीय एक्शन प्लान (डैप) में दिये गये लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज की जाती है तो ऐसी स्थिति में जनपद द्वारा आवंटित बजट के सापेक्ष 80 से 90 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर पूर्व में ही आगामी माह हेतु पृथक से सम्भावित अतिरिक्त बजट हेतु मॉगपत्र प्रेषित किया जाये।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त स्टैण्डर्ड मैनुअल्स, रजिस्टर, प्रपत्र, बुकलेट (सहमति–पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डस, प्रमाण पत्र, क्लेम फार्म आदि), बाउचर, प्रचार–प्रसार सामग्री आदि का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयो पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एल0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकत्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की मॉग के सापेक्ष आपूर्ति एल0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- जनपद स्तर पर आशा के सहयोग से ग्रामवार, उपकेन्द्रवार एवं ब्लॉकवार लक्ष्य दम्पत्तियों की संख्या का वास्तविक ऑगणन किया जाये। साथ ही आशा के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर को भी अधुनान्त करते हुये लक्ष्य दम्पत्तियों को इच्छुक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराया जाये।

- प्रत्येक इच्छुक लक्ष्य दम्पत्ति को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु आशा के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन किया जाये।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी शंका समाधान हेतु निम्न ई–मेल पर संपर्क किया जा सकता है-

संयुक्त निदेशक–प0 क0, परिवार कल्याण महानिदेशालय **ई–मेल**–jdfamilyplanning@gmail.com	**महाप्रबन्धक–परिवार कल्याण, एस0पी0एम0यू0,** **ई–मेल**–gmfamilyplanning@gmail.com

महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशिः–

- **सरकारी चिकित्सा इकाईयों में महिला नसबंदी (अन्तराल) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (Old FMR-1.2.2.1.1 / New FMR-RCH.6.42.DBT.01.a) –** शासनादेश संख्या–60 / 2022 / 544 / पॉच–9–2022–9(6) / 17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। 01 अप्रैल 2022 से प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले महिला नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल) दर
1	लभार्थी	2000.00
2	प्रेरक / आशा	300.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	200.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	50.00
6	नर्स / ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**2800.00**

नोट– अवगत कराना है कि पूर्व के 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में महिला नसबन्दी का भुगतान 01 अप्रैल 2022 से पूर्व का बकाया है तो उस स्थिति में समस्त भुगतान पूर्व प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरुप ही किया जाना है।

- **सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-RCH.6.42.DBT.01.b) –** शासनादेश संख्या–60 / 2022 / 544 / पॉच–9–2022–9(6) / 17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। 01 अप्रैल 2022 से प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	प्रसव पश्चात् नसबन्दी
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	325.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	75.00
6	नर्स / ए.एन.एम	50.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	25.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	15.00
9	स्वीपर	10.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	–

11	रिफ्रेशमेन्ट	–
12	अन्य विविध	–
कुल योग		**4000.00**

नोट– अवगत कराना है कि पूर्व के 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में प्रसव पश्चात महिला नसबन्दी का भुगतान 01 अप्रैल 2022 से पूर्व का बकाया है तो उस स्थिति में समस्त भुगतान पूर्व प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरुप ही किया जाना है।

- **हौसला साझीदारी के अर्न्तगत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में महिला नसबंदी (अन्तराल एवं प्रसव पश्चात) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (New FMR-RCH.6.42.DBT.02.B) –**

वर्ष 2022–23 में संशोधित शासनादेश संख्याः 57/2022/584/पॉच–9–2022 दिनांकित 30.05.2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में होने वाले महिला नसबंदी (अन्तराल एवं प्रसव पश्चात) के अन्तर्गत महिला लाभार्थी को प्रोत्साहन **धनराशि रू0 1400/– प्रति लाभार्थी** की दर से भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाना है। प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले महिला नसबन्दी के लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

- **हौसला साझीदारी के अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (New FMR RCH.6.42.DBT.03.A) –**

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहॉ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा– नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट–

- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये।

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	**विवरण**	**महिला नसबंदी**
		दर
1	लभार्थी	2000.00
2	प्रेरक/आशा	300.00
कुल योग		**2300.00**

पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशिः–

- **सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (Old FMR-1.2.2.1.2/New FMR-RCH.6.43.DBT.01) –**

शासनादेश संख्या–60/2022/544/पॉच–9–2022–9(6)/17 दिनॉक 04 जुलाई 2022 के अनुसार मिशन परिवार विकास कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रभावी है। 01 अप्रैल 2022 से सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों में पुरूष नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0	विवरण	पुरूष नसबन्दी (एन0एस0वी0)
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
3	ड्रग / ड्रेसिंग / आई0पी0 सप्लाई	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	400.00
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	—
6	नर्स / ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन / सहायक / एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्वाय / आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क / दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		**4000.00**

नोट– *अवगत कराना है कि पूर्व के 18 गैर मिशन परिवार विकास जनपदों में पुरुष नसबन्दी का भुगतान 01 अप्रैल 2022 से पूर्व का बकाया है तो उस स्थिति में समस्त भुगतान पूर्व प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुरुप ही किया जाना है।*

- **हौसला साझीदारी अर्न्तगत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (New FMR-RCH.6.43.DBT.02.B) –**

वर्ष 2022–23 में संशोधित शासनादेश संख्याः 57 / 2022 / 584 / पॉच–9–2022 दिनांकित 30.05. 2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी को **धनराशि रू0 2000 / – प्रति लाभार्थी** का भुगतान किया जाना है। प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले पुरूष नसबन्दी के लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

- **हौसला साझीदारी अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक / आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति / प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (New FMR-RCH.6.42.DBT.03.B) –**

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में पुरूष नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहॉ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा– नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट–

- पुरूष नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण–पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये।

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अर्न्तगत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये पुरूष नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक / आशा को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी हैः–

क्र0	विवरण	पुरूष नसबंदी (धनराशि रू0 में)
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक / आशा	400.00
कुल योग		**3400.00**

महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा (Old FMR-1.1.3.1.1 / New FMR-RCH.6.42.OOC)-

वर्ष 2022–23 हेतु प्रति नियत दिवस सेवा के लिए रू0 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार गतिविधि सम्पादित की जानी है। साथ ही निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना हैः–

महिला नसबन्दी नियत दिवस सेवा– वर्ष 2022–23 में नियत दिवस सेवा (महिला) में नसबंदी केसों की संख्या 20 या 20 से अधिक होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा माना जाएगा। यदि 20 केस से कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू0 140.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि व्यय की जा सकती है। परन्तु नियत दिवस सेवा में नसबंदी केसों की अधिकतम संख्या 30 केस तक ही सीमित है।

पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा– वर्ष 2022–23 में नियत दिवस सेवा (पुरुष) में नसबंदी केसों की संख्या 10 या 10 से अधिक होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा माना जाएगा। यदि 10 केस से कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू0 140.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि व्यय की जा सकती है।

नोट– महिला एवं पुरूष नसबन्दी नियत दिवस सेवा की विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित की जाएगी।

- **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (Old FMR-1.2.2.2.2 / RCH.6.44.DBT.2) –**

  लाभार्थी को प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने के पश्चात गुणवत्ता एवं फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इनसर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थी का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के भुगतान के साथ ही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लाभार्थी से पुनः खाता संख्या एवं अन्य दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 विधा में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, केवल उन्हीं केंन्द्रों पर राज्य स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए।

नोट–समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 एवं पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से बेड हेड टिकट / केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- **गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (Old FMR-1.2.2.2.3 / RCH.6.44.DBT.3) –**सुरक्षित गर्भ समापन के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन किए जाने पर गुणवत्ता एवं लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को इनसर्शन के पश्चात कुल **रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर** से धनराशि प्राविधानित है।

नोट–समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 एवं पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से बेड हेड टिकट / केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- **अन्तरा इंजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (Old FMR-1.2.2.2.4 / New FMR-RCH.6.45.DBT)–** वित्तीय वर्ष 2022–23 से मिशन परिवार विकास गतिविधि सभी जनपदो में लागू किया जा चुका है जिसके तहत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में इच्छुक लाभार्थियों को अंतरा इंजेक्शन की सेवायें दी जानी है। अन्तरा के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि रू0 100 / – प्रति डोज, प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।
- **फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी (FPIS) स्कीम (Old FMR-1.2.2.3 / New FMR-RCH.6.47.DBT) –**फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम के अन्तर्गत नसबंदी के पश्चात होने वाले असफल / जटिलता / मृत्यु के केसों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु धनराशि प्राविधानित है। जो समय–समय पर राज्य स्तरीय फेमिली इण्डेमनिटी उपसमिति के अनुशंसा पर सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाता है।
- **सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए POL (Old FMR-2.2.1 / New FMR-RCH.6.50.OOC.1)–**जनपद में नसबंदी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस शिविर सेवाओं में सर्जन

टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिविर हेतु रू0 1000/– की दर से अतिरिक्त धनराशि पी0ओ0एल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु प्राविधानित है जो निम्न परिस्थितियों में दी जानी है:–

- यदि सर्जन एवं टीम दोनों अलग अलग स्थान से आ रहे हो और सर्जन द्वारा स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस दशा में शासन द्वारा निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से सर्जन को भुगतान किया जाएगा। ध्यान यह देना है की भुगतान की जाने वाली राशि रु0 1000/– से अधिक न हो और वित्तीय नियमों का पालन किया गया हो।
- यदि सर्जन द्वारा नियत सेवा दिवस में आने के लिए शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था शासकीय नियमानुसार इसी मद से किया जा सकता है।
- यदि कोई सर्जन टीम अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में नसबन्दी सेवा देने हेतु जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस जनपद में सेवा प्रदान की गयी है उसी जनपद द्वारा पी0ओ0एल का वहन अथवा पी0ओ0एल मद में आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

➢ **सास–बेटा–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.46.ASHA.1)-** मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के मध्य सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास–बेटा–बहू सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात सम्बन्धित ग्रामीण आशा को उसके ब्लॉक मुख्यालय तथा शहरी आशा को एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया के माध्यम से **रु0 100/– प्रति सम्मेलन की दर** से आशा हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।

➢ **शगुन किट (नई पहल किट) वितरण हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-3.1.1.1.4.S02/ New FMR-RCH.6.46.ASHA.2)–** समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु प्रदान की जाने वाली शगुन किट को अपने क्षेत्र के नवविवाहितों को वितरित करने पर आशा को **रू0 100/–** की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

➢ **प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि (Old FMR-3.1.1.1.4.S04/NEW FMR-RCH.6.44.ASHA.1)–** धनराशि **रू0 150/– प्रति** पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

➢ **गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Old FMR-3.1.1.1.4.S05/New FMR-RCH.6.44.ASHA.2)** – धनराशि **रू0 150/– प्रति** पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.50.ASHA.1.1)–**विवाह के उपरांत 2 वर्षो तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने व प्रथम गर्भधारण में कम से कम दो वर्षों का विलम्ब सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/– प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-RCH.6.50.ASHA.1.2)–**ऐसे दम्पत्ति जिनके 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने पर **रू0 500/– प्रतिकेस** की दर से प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

➢ **इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि–(FMR-RCH.6.50.ASHA.2) -** 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पत्तियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरूष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर नसबन्दी सेवा सुनिश्चित कराने पर **रू0 1000/– प्रति केस** का भुगतान आशा को किया जाना है।

नोट–इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वास्तविक केसों के सापेक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाये एवं भौतिक रिपोर्ट का सत्यापन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान करके किया जाये। इस हेतु

सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर व ब्लाक स्तर पर ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर की होगी।

- **अन्तरा इंजेक्शन हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि – (Old FMR-3.1.1.1.4.S08 / New FMR-RCH.6.45.ASHA) –** समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अन्तरा की सेवा सुनिश्चित कराने के उपरान्त आशा हेतु **रू0 100/– प्रति डोज** की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।
- **सास– बेटा–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु (FMR-RCH.6.46.OOC.01)**

मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी आशा के कार्यक्षेत्र में सास –बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास–बेटा–बहू सम्मेलन का आयोजन सास एवं बहू की उपस्थिति में किया जायगा। परिवारों के चयन का आधार वे समस्त परिवार होंगे, जिनमें लक्ष्य दम्पत्ति हो। उक्त कार्य हेतु आशाओं एवं ऑगनबाड़ी की मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्र के परिवारों की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु प्रति **सम्मेलन रु0 1500/– की दर** से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिनका व्यय निम्न तालिकानुसार ब्लॉक स्तर से किये जा रहे अन्य भुगतानों की भॉति नियमानुसार किया जाए–

(धनराशि रू0 में)

क्रमसं0	मद	दर
1	सास–बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	500.00
2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट	1000.00
	कुल योग	**1500.00**

परिवार नियोजन सेवाओं के अन्तर्गत उपकरण एवं किट का क्रयः–

- **मिनीलैप किट (Old FMR-6.1.1.3.3 / RCH.6.42.EQ.01), आई0यू0सी0डी0 किट (Old FMR-6.1.1.3.2 / RCH.6.44.EQ.02), एन0एस0वी0 किट (Old FMR-6.1.1.3.1 / RCH.6.42.EQ) एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 फोरसेप (Old FMR-6.1.1.3.5 / RCH.6.44.EQ.01)–** उक्त समस्त सामग्रियों का क्रय, क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाये। मिनीलैप किट हेतु अधिकतम रु0 4000.00 प्रति किट, एन0एस0वी0 किट हेतु अधिकतम रु0 1500.00 प्रति किट, आई0यू0सी0डी0 किट अधिकतम रु0 3000.00 प्रति एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 कैलिफोरसेप हेतु अधिकतम रु0 1000.00 प्रति की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।
- **लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान–(Old FMR-6.1.6.1 / HSS.8.183.OOC.01)–** जनपदों एवं यू0पी0टी0एस0यू0 से प्राप्त फीडबैक के आधार पर वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के माध्यम से जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप को वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जाना है। जिस हेतु निम्न तालिकानुसार जनपदों को एकमुश्त धनराशि आवंटित की जा रही है–

Budget Allocation FY 2022-23 -Family Planning Program		
SL.No	**District**	**Budget for Repair of Laproscopes Lumpsum**
FMR Code-HSS.8.183.OOC.01		
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	100000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	100000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	0
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	100000
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	100000
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	50000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	50000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	100000
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	175000

10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	25000
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	50000
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	0
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	0
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	125000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	50000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	0
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	100000
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	0
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	75000
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	325000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	0
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	50000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	0
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	50000
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	0
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	50000
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	50000
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	0
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	125000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	0
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	50000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	50000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	50000
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	50000
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	50000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	25000
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	200000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	0
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	200000
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	50000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	25000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	300000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	0
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	25000
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	75000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	125000
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	0
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	0
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	250000
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	0
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	50000
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	100000
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	200000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	250000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	125000

56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	50000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	50000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	50000
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	50000
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	325000
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	100000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	50000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	100000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	50000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	50000
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	0
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	50000
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	50000
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	50000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	100000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	250000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	0
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	25000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	50000
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	225000
Total		**5775000**

नोटः–उपरोक्त तालिकानुसार जनपदों को एकमुश्त धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि में जनपदों में मरम्मत योग्य लैप्रोस्कोप हेतु आवश्यकतानुसार एवं वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जा सकता है।

- **नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय (Old FMR-6.2.1.3.1/New FMR- RCH.6.50.DS)**– समस्त 75 जनपदों मे नव विवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराते हुये शगुन किट वितरित किया जाना है। पत्र संख्या–एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी. /165/ 2020–21/6550, दिनांक 21.01.2021 एवं –एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.–एम.पी.वी. /165/ 2022–23/913–2, दिनांक 13.05.2022 का संज्ञान लेते हुए प्रदत दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम रू0 220.00 प्रति शगुन किट क्रय की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है। शगुन किट के क्रय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।
- **परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानेदय (Old <u>FMR-8.1.13.1.S03/New</u> FMR-HSS.9.184.C.S0522)–का**र्यरत परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु शेष 08 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023) का मानदेय एवं 12 माह (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) हेतु ई0पी0एफ0 एवं वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। **मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार एवं निम्नानुसार फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये–**

Budget Allocation Sheet for Year 2022-23-(Aug. to March) Family Planning Program							
Sl.No	**Districts**	**No of RMNCHA Counsellors**	**Honorarium of RMNCHA Counsellors Budget-@ Rs.15827/Month for 08 Months**	**5 % Increment**	**Total Honorarium**	**EPF (@ 13.36%) (in Lakhs)=< 15000 (Honoraria per/month**	**Total Budget**
	FAMS/FMR Code	**New FMR Code HSS.9.184.C.S0522/Old FMR-8.1.13.1.S03**					
1	AGRA	5	633080	47481	680561	80160	760721
2	ALIGARH	3	379848	28489	408337	48096	456433

3	AMBEDKAR NAGAR	6	759696	56977	816673	96192	912865
4	AMETHI	1	126616	9496	136112	16032	152144
5	AURAIYA	4	506464	37985	544449	64128	608577
6	AZAMGARH	2	253232	18992	272224	32064	304288
7	BAGHPAT	1	126616	9496	136112	16032	152144
8	BAHRAICH	2	253232	18992	272224	32064	304288
9	BALLIA	2	253232	18992	272224	32064	304288
10	BALRAMPUR	1	126616	9496	136112	16032	152144
11	BANDA	5	633080	47481	680561	80160	760721
12	BARABANKI	0	0	0	0	0	0
13	BAREILLY	5	633080	47481	680561	80160	760721
14	BASTI	2	253232	18992	272224	32064	304288
15	BIJNOR	1	126616	9496	136112	16032	152144
16	Budaun	8	1012928	75970	1088898	128256	1217154
17	BULANDSHAHAR	4	506464	37985	544449	64128	608577
18	CHANDAULI	0	0	0	0	0	0
19	CHITRAKOOT	5	633080	47481	680561	80160	760721
20	DEORIA	1	126616	9496	136112	16032	152144
21	ETAH	1	126616	9496	136112	16032	152144
22	ETAWAH	4	506464	37985	544449	64128	608577
23	AYODHYA	9	1139544	85466	1225010	144288	1369298
24	FARRUKHABAD	2	253232	18992	272224	32064	304288
25	FATEHPUR	3	379848	28489	408337	48096	456433
26	FIROZABAD	3	379848	28489	408337	48096	456433
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	1	126616	9496	136112	16032	152144
28	GHAZIABAD	1	126616	9496	136112	16032	152144
29	GHAZIPUR	7	886312	66473	952785	112224	1065009
30	GONDA	0	0	0	0	0	0
31	GORAKHPUR	5	633080	47481	680561	80160	760721
32	HAMIRPUR	2	253232	18992	272224	32064	304288
33	HAPUR	0	0	0	0	0	0
34	HARDOI	8	1012928	75970	1088898	128256	1217154
35	HATHRAS	4	506464	37985	544449	64128	608577
36	JALAUN	0	0	0	0	0	0
37	JAUNPUR	6	759696	56977	816673	96192	912865
38	JHANSI	2	253232	18992	272224	32064	304288
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	4	506464	37985	544449	64128	608577
40	KANNAUJ	4	506464	37985	544449	64128	608577
41	KANPUR DEHAT	1	126616	9496	136112	16032	152144
42	KANPUR NAGAR	2	253232	18992	272224	32064	304288
43	KASGANJ	1	126616	9496	136112	16032	152144
44	KAUSHAMBI	7	886312	66473	952785	112224	1065009
45	LAKHIMPUR KHERI	5	633080	47481	680561	80160	760721
46	KUSHINAGAR	4	506464	37985	544449	64128	608577
47	LALITPUR	4	506464	37985	544449	64128	608577
48	LUCKNOW	6	759696	56977	816673	96192	912865
49	MAHARAJGANJ	4	506464	37985	544449	64128	608577
50	MAHOBA	3	379848	28489	408337	48096	456433
51	MAINPURI	2	253232	18992	272224	32064	304288
52	MATHURA	2	253232	18992	272224	32064	304288
53	MAU	0	0	0	0	0	0
54	MEERUT	2	253232	18992	272224	32064	304288
55	MIRZAPUR	1	126616	9496	136112	16032	152144
56	MORADABAD	5	633080	47481	680561	80160	760721
57	MUZAFFARNAGAR	1	126616	9496	136112	16032	152144
58	PILIBHIT	2	253232	18992	272224	32064	304288
59	PRATAPGARH	2	253232	18992	272224	32064	304288
60	PRAYAGRAJ	13	1646008	123451	1769459	208416	1977875
61	RAEBARELI	3	379848	28489	408337	48096	456433
62	RAMPUR	3	379848	28489	408337	48096	456433

63	SAHARANPUR	1	126616	9496	136112	16032	152144
64	SAMBHAL	1	126616	9496	136112	16032	152144
65	SANTKABIR NAGAR	1	126616	9496	136112	16032	152144
66	SANT RAVIDAS NAGAR	5	633080	47481	680561	80160	760721
67	SHAHJAHANPUR	3	379848	28489	408337	48096	456433
68	SHAMLI	1	126616	9496	136112	16032	152144
69	SHRAWASTI	2	253232	18992	272224	32064	304288
70	SIDDHARTH NAGAR	0	0	0	0	0	0
71	SITAPUR	13	1646008	123451	1769459	208416	1977875
72	SONBHADRA	0	0	0	0	0	0
73	SULTANPUR	1	126616	9496	136112	16032	152144
74	UNNAO	4	506464	37985	544449	64128	608577
75	VARANASI	3	379848	28489	408337	48096	456433
	Total District Allocation	**232**	**29374912**	**2203115**	**31578027**	**3719424**	**35297451**

- **मण्डल स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)– (FMR-HSS.9.185.OOC.1.B)–**वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा एवं पुरुष नसबन्दी पखवाड़ा एवं खुशहाल परिवार दिवस के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाना है। इस हेतु **प्रति मण्डल रू0 1.00 लाख की दर** से मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियो को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि मे किया जा सकेगा।
- **जनपद स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)– (FMR- HSS.9.185.OOC.1.C)–** वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा एवं पुरुष नसबन्दी पखवाड़ा एवं खुशहाल परिवार दिवस के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाना है। इस हेतु **प्रति जनपद रू0 30,000.00 की दर** से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियो को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि मे किया जा सकेगा।
- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Old FMR-8.4.7/ HSS.9.185.OOC.02)–** यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। **रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0** इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के शहरी सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Old FMR-8.4.7/HSS(U).5.143.OOC.1)–** रू0 150/– प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से **कार्य आधारित** प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रैनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Old FMR-8.4.8/HSS.9.185.OOC.03)**–रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के शहरी सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इनसर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (Old FMR-8.4.8/HSS(U).5.143.OOC.2)**–रू0 150/– प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इनसर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।
- **जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-HSS.9.185.OOC.4)**–यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

  पी.पी.आई.यू.सी.डी–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 40 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 40 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जाये। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक (41 से 45 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर **रू0 50/–प्रति केस** की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

  प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी। **उदाहरणार्थ**–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबन्दी होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबन्दी कराया जाता है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

  नोट–जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।
- **जनपद के शहरी शासकीय स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-HSS(U).5.143.OOC.3)**–यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:–

  पी.पी.आई.यू.सी.डी–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 30 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 30 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु **प्रति केस रू0 50.00 की दर** से प्रोत्साहन राशि दिया जाये। उदाहरणार्थ–यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते है जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 35 पी.पी.आई.यू.सी.डी निवेशन कराया जाता है, उस स्थिति में 30 प्रतिशत से अधिक (31 से 35 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर रू0 50/–प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

  प्रसव पश्चात नसबंदी सेवाः–किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर)

15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर **रू0 50.00 प्रति केस की दर** से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

नोट—जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

- **समस्त जनपदों के ग्रामीण ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.CB.1.a)** प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक पर ए0एन0एम0 के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/ समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा। उक्त बैठकों का उद्देश्य ए.एन.एम. कार्यकत्रियों द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पत्तियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। बैठक हेतु **प्रति ब्लॉक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 1000.00 की दर** से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। जो निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना हैः—

क्र0सं0	मद	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु0 1,000.00
कुल योग		रु0 **1,000.00**

- **समस्त जनपदों के शहरी ए.एन.एम. व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.CB.1.b)** प्रदेश के 75 जनपदों के **शहरी ए.एन.एम. व आशा** के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/ समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनो एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा। सभी शहरी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शहरी आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध मे जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनो की ग्राह्यता बढाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकत्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियॉ प्रदान करके क्षमतावर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है।

बैठक हेतु प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रति त्रैमास **अधिकतम रू0 250.00 की दर** से प्रति बैठक धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस गतिविधि के ससमय सम्पादन की जिम्मेदारी अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर की होगी।

उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएः

क्र0	मद	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु0 250.00

परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत क्लिनिकल प्रशिक्षणः— वर्ष 2022—23 में परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालयों में निम्न तालिकानुसार भिन्न भिन्न क्लिनिकल प्रशिक्षण कराया जाना है—

क्लीनिकल परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रशिक्षण तालिका										
SN	**Divisions**	**Comprehensive IUCD & PPIUCD - 5 Days (10 Mos/SBA Trained Ayush Mos per batch)@170150/-**		**Comprehensive IUCD & PPIUCD for CHOs (5 Days Training)- 10 CHOs per Batch@121650/-**	**LAP Induction (12 Days Training) -4 MOs & 4 SNs per batch @224870/-**		**Minilap Induction (12 Days Training)- 4 MOs per batch@170800/-**		**Minilap Refresher (3 Days Training)- 4Mos per batch@48150/-**	
		Training center	**# of Batches**	**# of Batches**	**Training centres**	**# of Batches**	**Training centres**	**# of Batches**	**Training centres**	**# of Batches**
1	Agra	DWH-CTC	2	3	DWH-CTC	3				2
2	Aligarh	DWH	2	2	DWH	1				
3	Azamgarh	DWH	2	2						
4	Bareilly	DWH	2	3						
5	Basti	DWH	2	2						
6	Chitrakootdham	DWH	2	3						
7	Devipatan	DWH-CTC	2	3	DWH-CTC	2			DWH-CTC	1
8	Ayodhya	DWH	2	3						
9	Gorakhpur	DWH	2	3	BRD Medical College, Gorakhpur-CTC	2			BRD Medical College, Gorakhpur-CTC	1
10	Jhansi	DWH-CTC	2	2			DWH-CTC	4	DWH-CTC	1
11	Kanpur	DWH	2	3	GSVM Medical College-CTC	3			GSVM Medical College-CTC	1
12	Lucknow	DWH-CTC	2	3	DWH-VABMH, Lucknow-CTC	2	DWH-VABMH, Lucknow-CTC	1	DWH-VABMH, Lucknow-CTC	1
					KGMU Lucknow-CTC	2				
13	Meerut	DWH	2	3	LLRM Medical College - CTC	4			LLRM Medical College - CTC	1
14	Mirzapur	DWH	2	3						
15	Moradabad	DWH	2	3	DWH	1	DWH	2	DWH	1
16	Prayagraj	DWH-CTC	2	3	DWH-CTC	2				1
17	Saharanpur	DWH	2	3						
18	Varanasi	DWH-CTC	2	3	DWH-CTC	3	DWH-CTC	1	DWH-CTC	2
	Total		**36**	**50**		**25**		**8**		**12**

- **लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-RCH.6.42.CB.1)-** वर्ष 2022–23 में 12 दिवसीय लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी एवं 04 स्टाफ नर्स/ओ.टी. टेक्निशियन का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 224870/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Laparoscopic Tubectomy Induction Training					
Duration of Training		12 working days for doctors & 6 working days for SN			
Number of trainees		4 Doctors & 4 Staff Nurse/OT Technician			
Trainers		2 Doctor trainers & 1 SN trainer			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	TA - SN	1500	4	1	6000
3	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to trainer - SN	500	1	6	3000
4	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	13	26000
5	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	4	6	7200
6	Accommodation to participants - Mos	1500	4	13	78000
7	Accommodation to participants - SNs/OT Technician	1000	4	6	24000
8	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
9	Refreshment to participants - 2 SNs/OT Technician	250	4	6	6000
10	Refreshment to trainers	250	3(6), 2(6)	12	7500
11	Stationary including certificate	150	8	1	1200
12	Training Manual	350	8	1	2800
	Sub total				**205700**
13	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**19170**
	Total for 01 Batch				**224870**

- **मिनी लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-RCH.6.42.CB.2)-** वर्ष 2022–23 में 12 दिवसीय मिनीलैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 170800/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Minilap Induction Training					
Site of training		CTC			
Duration of Training		12 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	13	26000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	13	78000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
6	Refreshment to trainers	250	2	12	6000
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				**156000**
9	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**14800**
	Total for 01 Batch				**170800**

- **प्रसव पश्चात मिनि लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण–(FMR-RCH.6.42.CB.3)-** वर्ष 2022–23 में 12 दिवसीय प्रसव पश्चात मिनीलैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 48150/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

PPML (Postpartum Minilap)Training					
Site of training		CTC			
Duration of Training		12 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
	Sub total				**44500**
9	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**3650**
	Total				**48150**

- **कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण (चिकित्साधिकारी हेतु)–(FMR- RCH.6.44.CB.2)-** वर्ष 2022–23 में 05 दिवसीय कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 10 चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 170150/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Comprehensive IUCD & PPIUCD for MOs, SBA Trained Ayush					
	Site of training		Divisions HQ DWH		
	Duration of Training		5 days		
	Number of trainees		10 Mos (MBBS)/ SBA Trained Ayush MO		
	Number of trainers		2 Trainers		
Sl.No	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	10	1	20000
3	Honorarium per diem to trainer - Doctors	1000	2	5	10000
4	Honorarium per diem to participants - MOs	500	10	5	25000
6	Accommodation to participants - Mos	1500	10	5	75000
8	Refreshment to Mos, SBA Trained Ayush trainees	250	10	5	12500
9	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
10	Stationary including certificate	150	10	1	1500
11	Training Manual, training aids & Kelly forceps	1000	10	1	10000
	Sub total				**156500**
12	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**13650**
	Total for 01 Batch				**170150**

- **कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण (CHOs/SNs/ANMs हेतु)–(FMR- RCH.6.44.CB.1)-** वर्ष 2022–23 में 05 दिवसीय कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 10 चिकित्सा अधिकारी का प्रशिक्षण होना है। उक्त प्रशिक्षण हेतु **प्रति बैचवार धनराशि रू0 121650/–** प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

Comprehensive IUCD & PPIUCD for CHOs/SNs/ANMs					
	Site of training		Divisions HQ DWH		
	Duration of Training		5 days		
	Number of trainees		10 CHOs/SNs/ANMs		
	Number of trainers		2 Trainers		
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of Participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	1	10000
3	Honorarium per diem to trainer - Doctors	1000	2	5	10000
4	Honorarium per diem to participants - CHOs/SNs/ANMs	300	10	5	15000
6	Accommodation to participants - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	5	50000
8	Refreshment to CHOs/SNs/ANMs	250	10	5	12500
9	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
10	Stationary including certificate	150	10	1	1500
11	Training Manual, training aids & Kelly forceps	1000	10	1	10000
	Sub total				**111500**
12	**Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA**				**10150**
	Total for 01 Batch				**121650**

नोट– विभिन्न क्लिनिकल परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रशिक्षण (उक्त तालिका के अनुसार) में अंकित हेतु बजट सम्बन्धित प्रशिक्षण स्थल यथा – मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय के प्रभारी को सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्राविधानित धनराशि एक मुश्त आंवंटित की जाएगी।

- **जनपद फतेहपुर और सीतापुर में गर्भपात के बाद परिवार नियोजन सेवाओं पर एक दिवसीय आशा संगिनीयों का उन्मुखीकरण_(FMR– RCH.6.50.CB.6)**

वर्ष 2015 में किये गये एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल 42% महिलाएं ही गर्भधारण की इच्छा रखती है। जबकि गर्भावस्था की समाप्ति में अनपेक्षित गर्भधारण का बहुमत (64%) समाप्त हो गया है। गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन विधियों के अपनाने के बारे में अभी भी योग्य लाभार्थियों में बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है और इसे ए.एन.एम., सी.एच.ओ., आशा एवं आशा संगनि जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है।

चूकि आशा पहले से ही अपने कार्यक्षेत्र में परिवार नियोजन लाभार्थियों के फालोअप में लगी हुई हैं, इसलिए उन महिलाओं को परिवार नियोजन सेवाएं सुनिश्चित करना महत्वपुर्ण है जिनका हाल हीं में गर्भपात हुआ है। इस गतिविधि का उद्देश्य बार–बार अनपेक्षित गर्भधारण और अवांछित जन्म या गर्भपात के दुष्चक्र को तोड़ना है। हेल्थ वेलनेस सेन्टर (HWC) में वी.एच.एन.डी. और खुशहाल परिवार दिवस एक ऐसा मंच है जहां तत्काल प्रसव पश्चात् और गर्भपात के बाद महिलाएं ए.एन.एम. और सी.एच.ओ. के माध्यम से परिवार नियोजन पद्धति के महत्व को समझ सकती है और सही परिवार नियोजन पद्धति को चुनने में सहायता कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश के दो जिलों सीतापुर एवं फतेहपुर में ब्लाक स्तर पर सी.एच.ओ, स्टाफ नर्स,ए.एन.एम., और आशा संगिनी के दो घण्टे के सत्र उन्मुखीकरण की योजना है। ए.एन.एम बैठकों एवं अन्य ब्लाक स्तरीय बैठकों जैसे मौजूदा अवसरों का उपयोग इस उन्मुखीकरण के संचालन के लिए किया जा सकता है। आशा संगिनीयों के माध्यम से आशा को AAA बैठक में प्रशिक्षित किया जायेगा। **उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपद**

फतेहपुर व सीतापुर हेतु प्रति बैच धनराशि रू0 30750/– की दर से कुल 02 बैच हेतु धनराशि रू0 61500/– प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:–

Orientation on PAFP (Post Abortion Family Planning) - Fatehpur and Sitapur (Session 2 hrs)

Sl No	Component	Category	Rate (In Rs.)	No. of Days	Unit	Amount in Rs.
1	TA for Participants	Participants	150	1	50	7,500
2	Working Lunch & Tea, Snacks, Water etc.	Participants + extra 15	250	1	65	16,250
3	Stationery	Participants	100	1	50	5,000
4	Contingency (Banner, LCD Projector, Generator etc.)	2000	1	2,000		
	Total Budget for 1 Batch					**30,750**
	Total Budget for 02 Batch's @ 30,750/- per Batch					**61,500**

- **जनपद सीतापुर में एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम (ICST) के गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए पुरे स्टाफ के क्लीनिकल सेवाओं के लिए आनसाइट सलाह (FMR– RCH.6.50.CB.7)**

- मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाएं अक्सर एक हीं सेवाप्रदाता द्वारा दिया जाता है, वर्तमान में मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन अपने कार्यक्षेत्र में अलग–अलग कार्य कर रहे है। विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर पर्यवेक्षण, सलाह एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित सहयोग प्रदान किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि कर्मचारियों के कौशल, ज्ञान और व्यवहार में सुधार के लिए निरंतर सलाह देना महत्वपूर्ण है। मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की सेवाओं के समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए जिले का क्षमता निमार्ण करने के लिए एक एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम की आवश्यकता है। इस टीम का उद्देश्य समग्र गुणवत्ता सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने हेतु सुविधाओं के लिए डाटा प्रबन्धन, लॉजिस्टिक और क्लीनिकल सेवाओं के सहयोग के सन्दर्भ में परामर्श सहायता प्रदान करना है।
- एसीएमओ जिला स्तर पर एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम (ICST) टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में जिला एवं ब्लाक स्तर पर कर्मियों का एक पूल होगा। प्रत्येक टीम के सदस्य के पास प्रमुख क्षेत्रों जैसे क्लीनिकल, प्रबन्धन, डेटा और संक्रमण की रोक थाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा।

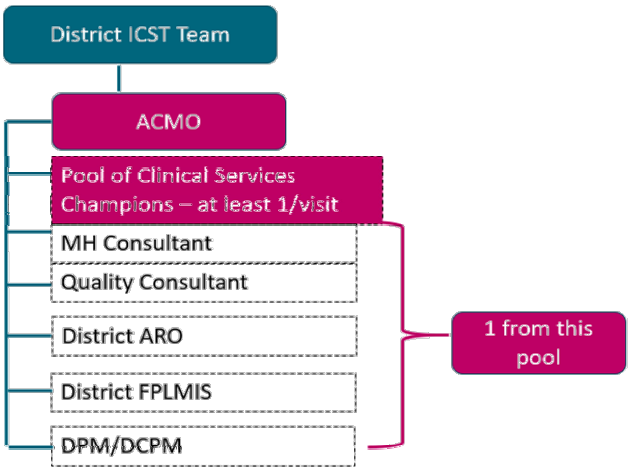

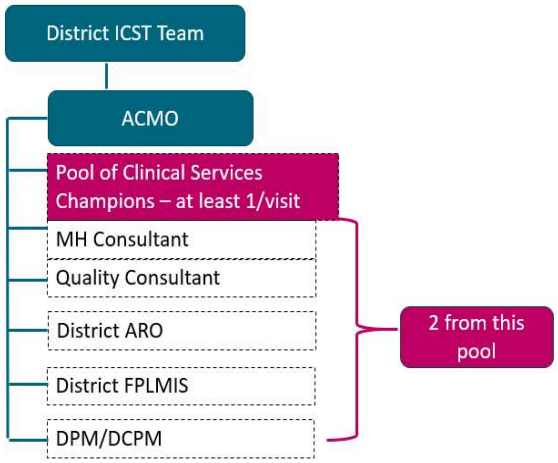

एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम के उद्देश्य:

- क्लिनिकल अभ्यासों, प्रबन्धकीय घटकों, संक्रमण की रोकथाम के अभ्यासों, डाटा प्रबन्धन उपकरणों और सुविधा के कौशल को सुदृढ़ बनाना।
- फैसिलिटी पर प्रत्येक क्षेत्र (क्लीनिकल, प्रबन्धकीय, डाटा प्रबन्धन और संक्रमण के रोकथाम) के लिए नोडल व्यक्तियों का सहयोग करना।

जिला टीम की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

- जिन फैसिलिटी में सुधार की आवश्यकता हो उनके लीड को (क्लीनिकल, प्रबन्धकीय, डाटा) सहयोग प्रदान करना।
- परामर्शदाताओं द्वारा मुल्यांकन के रूप में अभ्यासों और कौशल का सत्यापन करना।
- मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सम्बन्धित सभी फैसिलिटि के संकेतकों की समीक्षा करना।
- समीक्षा
- वर्चुली प्रत्येक महीने सभी फैसिलिटी की संयुक्त समीक्षा करना।
- प्रत्येक फैसिलिटी की त्रैमासिक व्यक्तिगत समीक्षा करना।

एकीकृत क्लीनिकल सपोर्ट टीम के दौरेः

- प्राथमिक फोकस L3 फैसिलिटि पर होगा (सिजेरियन आयोजित करने वाली और सी.ए.सी. सेवाएं प्रदान करने वाली फैसिलिटी)
- टीम इन सुविधाओं का दौरा करेगी, एम.एन.एच. और एफ.पी. से सम्बन्धित कमियों को चिन्हित करेगी और इन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन करने के कारणों का विश्लेषण करेगी।
- टीम क्लीनिकल, प्रबन्धकीय, डाटा और संक्रमण निवारण अभ्यास के लिए लीड को सहयोग प्रदान करेगी।
- फैसिलिटी स्टाफ के लिए ब्लाक टीम निरंतर मेंटरिंग और फालोअप करेगी।

उक्त गतिविधि के लिए जनपद सीतापुर हेतु एकमुश्त धनराशि रू0 85,000/– प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार हैः–

One day orientation on Integrated Clinical support Team (Sitapur)						
Sl No	**Component**	**Category**	**Rate (In Rs.)**	**No. of Days**	**Unit / Person**	**Amount in Rs.**
1	Working Lunch, Tea, Snacks, Water etc.	CMO/ACMO/ DPM/OBGYN/ BMO/SN	350	1	100	35,000
2	Stationery		30	1	100	3,000
	Training hall		4000	3	1	12,000
3	Contingency (Banner, LCD Projector, Generator etc.)		5000	3	1	15,000
4	Transportation		200	1	100	20,000
Total Budget						**85,000**

- **विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ–**
  (Old FMR-11.1.3.3/RCH.6.49.IEC.01)–विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 80,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00
  (Old FMR- 16.1.3.3.1/RCH.6.49.PME.1)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 20,000.00
  (FMR- RCH.6.49.PME.3)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00
- **पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियॉ–**
  (FMR-RCH.6.49.IEC.02)–पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00
  (FMR-RCH.6.49.PME.2)–जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 5,000.00
  (FMR-RCH.6.49.PME.4)–ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00
- **3.6 परिवार नियोजन प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR-RCH.6.50.IEC.01)**

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नानुसार व्यय की जानी हैः–

Sl.No	Particulars	Unit Rate (In Rs.)
1	Counselling Register /Contraceptive Distribution Registers for Counsellors	75/Registers
2.	Integrated Registers on reporting methods for ANMs	175/Register
3.	Sterilization Concent Form Booklets	75/Registers
4.	IUCD /PPIUCD/PAIUCD Registers	75/Registers
5.	MPA Registers	75/Registers
6.	Sterilization Register	75/Registers
7.	Chhaya /OCP Register	75/Registers
8.	IUD/PPIUCD Cards	5/Card
9.	MPA Cards	5/Card
10.	Pre Registration slip for Sterilization for ASHA	1/slip

उपरोक्त तालिका में अंकित मुद्रित कराई जाने वाले रजिस्टर्स, कार्डस एवं स्लिप की दी गयी दर के अनुसार जनपद अपनी आवश्यकतानुसार डैप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण नवम्बर, 2022 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सामग्री मुद्रित कराकर, समुचित रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए। मुद्रण हेतु जनपदवार उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का विवरण निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Printing of Family Planning Registers and formats
		FMR Code-RCH.6.50.IEC.1
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	1111447
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	659585
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	414551
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	392416
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	301526
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	743313
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	283995
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	531501
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	530017
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	271834
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	456371
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	547495
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	621236
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	405822
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	395972
16	DHS, Budaun [NHMUP]	573795
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	624300
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	1045289
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	400747
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	540883
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	268550
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	338463
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	319812
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	259458
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	355171
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	482503
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	297890
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	270570
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	1033301

30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	456072
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	938532
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	292282
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	288291
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	540411
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	332890
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	513353
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	1064604
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	807837
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	380673
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	272188
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	265238
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	722857
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	216974
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	457260
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	676400
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	674867
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	732025
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	682079
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	746795
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	329911
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	203537
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	661021
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	275257
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	754236
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	758724
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	380156
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	455011
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	353720
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	577480
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	1527239
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	663885
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	303131
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	447805
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	338985
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	270777
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	370471
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	513749
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	266166
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	242381
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	414761
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	956630
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	727894
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	394660
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	486040
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	1055852
Total		**39268920**

नोट–

(अ) उपरोक्त तालिकानुसार जनपदों को एकमुश्त धनराशि आवंटित की जा रही है। आवंटित धनराशि में से जनपदों द्वारा शहरी व ग्रामीण स्तर की सभी स्वास्थ्य इकाईयॉ जहॉ पर परिवार नियोजन की विभिन्न सेवायें उपलब्ध हों उसके आधार पर आवश्यक समस्त रजिस्टर्स, कार्ड्स एवं स्लिप मुद्रित कराने हेतु आवश्यकतानुसार व नियमानुसार धनराशि उपयोगित की जा सकती है। मुद्रित कराये जाने वाले रजिस्टर्स, कार्डस एवं स्लिप की संख्या समस्त इकाई की आवश्यकता के आधार पर जनपद द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाये।

(ब) नसबन्दी हेतु आशाओं के उपयोग हेतु प्री रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रति आशा 12 स्लिप मुद्रित कराया जाना है जो कि बुकलेट फार्म में होगा।

(स) मुद्रित कराये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र/रजिस्टर/कार्ड/प्री रजिस्ट्रेशन स्लिप का स्पेशिफिकेशन व प्रोटोटाईप पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

- मण्डल स्तर पर तैनात संविदा **मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर का मानदेय (Old FMR-14.1.1.3.S02/HSS.9.184.C.S1109)** – मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु शेष 08 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023) का मानदेय एवं 12 माह (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) हेतु वेतनवृद्धि का प्राविधान किया गया है। इस हेतु सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में बजट का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 के खाते में बजट अवमुक्त किये जाने के उपरान्त मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मे कार्यरत अन्य एन0एच0एम0 के संविदा कर्मियों की भॉति भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार एवं निम्नानुसार फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये–

Budget Allocation Sheet for FP-LMIS Managers-August to March 2022							
Sl.	Districts	No of Division FPLMIS Manager	Honorarium of Division FPLMIS Manager Budget @ Rs.44100/- for 08 months	Increment-5% for 12 months	Annual Loyality-03 years completion-(No of Months)	Annual Loyality for 03 Years Budget-10%	Total Budget for Salary
	FMR/FAMS Code	HSS.9.184.C.S1109/14.1.1.3.S02					
1	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
2	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
3	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	1	352800	26460	7	30870	410130
4	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
5	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
6	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
7	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
8	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
9	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	1	352800	26460	6	26460	405720
10	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	1	352800	26460	7	30870	410130
11	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	1	352800	26460	7	30870	410130
	Total	**11**	**3880800**	**291060**		**304290**	**4476150**

नोट–यह सुनिश्चित किया जाए कि मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के मानदेय में वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस का भुगतान एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किया जाए।

- **मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट (FMR-RCH.6.48.OOC.2.A)**–मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगताना मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें एकमुश्त धनराशि रू0 150000/– का प्रावधान किया गया है। मैनेजमेंट कॉस्ट का विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।
- **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मानदेय (Old FMR-14.1.1.3.S03/HSS.9.184.C.S1110)** जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु शेष 08 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023) का मानदेय एवं 12 माह (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) हेतु वेतनवृद्धि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार एवं निम्नानुसार फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये–

Budget Allocation Sheet for FP-LMIS Managers-August to March 2022							
Sl.	Districts	No of District FPLMIS Manager	Honorarium of District FPLMIS Manager Budget @ Rs.38588/- for 08 months	Incentive-5% for 12 months	Annual Loyality-03 years completion-(No of Months)	Annual Loyality Budget-10%	Total Budget for Salary
	FMR/FAMS Code	**New FMR-HSS.9.184.C.S1110/Old FMR-14.1.1.3.S03**					
1	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
2	DHS, AMBEDKAR NAGAR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
3	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
4	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
5	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
6	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
7	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
8	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
9	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
10	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
11	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
12	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
13	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
14	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
15	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
16	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
17	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
18	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
19	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
20	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
21	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
22	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
23	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	1	308704	23153	7	27012	358869
24	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
25	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
26	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
27	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
28	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
29	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
30	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	7	27012	358869
31	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
32	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
33	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
34	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
35	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
36	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
37	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
38	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
39	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
40	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
41	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
42	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
43	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	1	308704	23153	6	23153	355010
	Total Budget	**43**	**13274272**	**995579**		**1026451**	**15296302**

नोट–यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर के मानदेय में वेतन वृद्धि एवं लायलटी बोनस का भुगतान एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के मानव संसाधन अनुभाग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किया जाए।

- **जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट (FMR-RCH.6.48.OOC.2.B)**– जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अपने जनपद के विकास खण्डों में अनुश्रवण, सर्पोटिव सुपरविजन, हैंण्ड होल्डिग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेण्ट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें एकमुश्त धनराशि **रू0 124560/–** का प्रावधान किया गया है। मैनेजमेंट कॉस्ट का विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।
- **परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु यात्रा व्यय (FMR-RCH.6.48.OOC.2.B)**–

परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी समस्त सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लाक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित बजट से, समस्त 18 मण्डलीय भण्डारण गृह एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार राज्य मुख्यालय के परिवार नियोजन सामग्री सम्बन्धित भण्डार गृह से प्राप्त करेंगें। इसी प्रकार समस्त 75 जनपद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के भण्डार गृह से तथा जनपद के समस्त चिकित्सा ईकाईयॉ जनपद भण्डार गृह से एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जनपदों का दायित्व होगा कि इसी मद का उपयोग करते हुए समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर ब्लाक के समस्त प्राथमिक (ग्रामीण व शहरी) स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों हेतु परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों का आपूंर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही आवंटित धनराशि वित्तीय व शासकीय नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। इस हेतु विभिन्न औषधि भण्डार गृह हेतु निम्नानुसार बजट का प्राविधान किया गया हैं–

- **मण्डलीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.A)** एकमुश्त धनराशि रू0 1,66,000 प्रति वर्ष।
- **जनपदीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.B)** एकमुश्त धनराशि रू0 80,000 प्रति वर्ष।
- **ब्लाक स्तरीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-RCH.6.48.OOC.1.C)** एकमुश्त धनराशि रू0 5,000 प्रति वर्ष।

नोट– आवंटित धनराशि में समस्त प्रकार के टैक्स आदि सम्मिलित हैं।

- **मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-RCH.6.50.PME.1)**

वर्ष 2022–23 में मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मण्डल के समस्त जनपदों के परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर तक के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों की भौतिक प्रगति, सेवाप्रदाताओं के भौतिक उपलब्धि ऑकलन, एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के क्रियान्वयन की स्थिति, मिशन परिवार विकास गतिविधि की भौतिक प्रगति, विभिन्न मुद्रित कराये जाने वाले सामग्रियों के क्रय की स्थिति, आशा एवं लाभार्थियों के भुगतान, गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि विषयों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा।

मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो त्रैमासिक आधार पर मण्डलीय अपर निदेशक के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में मण्डल के समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) आदि प्रतिभाग करेंगे। सम्बन्धित मण्डल के जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय मुख्यालय को एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्रति तिमाही **प्रति मण्डल रू0 20,000.00 की दर** से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- **क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (Old <u>FMR-9.5.3.2.S02/RCH.6.50.PME.2</u>)** परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रदेश में वर्ष

2022–23 में **क्षेत्रीय स्तर पर–आगरा, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज एवं वाराणसी में कुल 06 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा।** मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समन्वयन से उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगें। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन0यू0एच0एम0 कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी0एस0यू0) प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि की समीक्षा की जायेगी। **क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रू0 1,25,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।**

नोट–बैठक के निर्धारण की तिथि की सूचना राज्य स्तर से पृथक से दी जायेगी।

- **मिशन परिवार विकास अभियान (प्रत्येक तिमाही) (FMR- RCH.6.46.OOC.03)**

प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास गतिंविधि के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही मिशन परिवार विकास अभियान क्रमशः नवम्बर 2022, जनवरी 2023 एवं मार्च 2023 में आयोजित किए जायेंगे। मिशन परिवार विकास अभियान की सेवाप्रदायगी अधिकतम सात दिवसीय होगी। अभियान के दौरान नियत दिवसों पर शल्यकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त टी0ए0/डी0ए0 के रुप में रू0 1000.00 प्रतिदिन देय होगा। उक्त धनराशि कार्य आधारित प्रोत्साहन है, इसलिए यह राशि तभी प्रदान की जायेगी जब चिकित्सक द्वारा न्यूनतम 10 नसबन्दी केस सफलतापूर्वक सम्पादित कर लिए जायेंगें।

- **प्रचार–प्रसार वाहन ''सारथी'' (प्रत्येक तिमाही) (FMR- RCH.6.46.OOC.02)** समस्त जनपदों में एक सुसज्जित वाहन (ई रिक्शा) जो संचार एवं प्रचार प्रसार के आधुनिक साधनों से सुसज्जित हो, में परिवार नियोजन गतिविधियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रचार प्रसार तथा सामग्री की उपलब्ध्ता सुनिश्चित की जायेगी। जागरूकता वाहन को मिशन परिवार विकास पखवाडे के मध्य जनपदो के दूर–दराज के इलाकों में परिवार नियोजन के संदेशों को प्रसारित किए जाने और समुदायों को संवेदनशील बनाने हेतु उपयोगित किया जायेगा। जनपद एवं ब्लाक स्तर पर सारथी वाहन के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को प्रत्येक चरण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्राविधानित हैः–

(अ) जनपद स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान			
कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि
2	4	2000	16000

(ब) ब्लाक स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान			
कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि
3	4	2000	24000

नोट– सारथी वाहन का स्पेसिफिकेशन एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

सारथी वाहन के संचालन हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL. No	District	Total Budget-SARTHI-Awareness on Wheels (District-@ Rs.2000/day/ vechicle*2 vechicle*4 days*4 rounds*75 district and Block-@ Rs.2000 per vechicle*3 vechicle*4 days*4 rounds*820 blocks)	District Level Budget for 02 Rounds	No of Block	Budget for 02 Rounds
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	752000	32000	15	720000

SL. No	District	Total Budget-SARTHI-Awareness on Wheels (District-@ Rs.2000/day/ vechicle*2 vechicle*4 days*4 rounds*75 district and Block-@ Rs.2000 per vechicle*3 vechicle*4 days*4 rounds*820 blocks)	District Level Budget for 02 Rounds	No of Block	Budget for 02 Rounds
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	608000	32000	12	576000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	464000	32000	9	432000
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	656000	32000	13	624000
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	1088000	32000	22	1056000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	320000	32000	6	288000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	704000	32000	14	672000
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	848000	32000	17	816000
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	464000	32000	9	432000
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	752000	32000	15	720000
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	752000	32000	15	720000
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	704000	32000	14	672000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	560000	32000	11	528000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	752000	32000	15	720000
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	800000	32000	16	768000
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	464000	32000	9	432000
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	272000	32000	5	240000
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	800000	32000	16	768000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	560000	32000	11	528000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	656000	32000	13	624000
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	464000	32000	9	432000
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR, UP	224000	32000	4	192000
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	224000	32000	4	192000
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	800000	32000	16	768000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	800000	32000	16	768000
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	944000	32000	19	912000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	224000	32000	4	192000
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	944000	32000	19	912000
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	464000	32000	9	432000
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	1040000	32000	21	1008000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	320000	32000	6	288000
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	512000	32000	10	480000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	512000	32000	10	480000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000

SL. No	District	Total Budget-SARTHI-Awareness on Wheels (District-@ Rs.2000/day/ vechicle*2 vechicle*4 days*4 rounds*75 district and Block-@ Rs.2000 per vechicle*3 vechicle*4 days*4 rounds*820 blocks)	District Level Budget for 02 Rounds	No of Block	Budget for 02 Rounds
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NHM	752000	32000	15	720000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	704000	32000	14	672000
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	320000	32000	6	288000
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	608000	32000	12	576000
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	224000	32000	4	192000
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	464000	32000	9	432000
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	512000	32000	10	480000
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	464000	32000	9	432000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	608000	32000	12	576000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	608000	32000	12	576000
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NHM	464000	32000	9	432000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	368000	32000	7	336000
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	848000	32000	17	816000
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	992000	32000	20	960000
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	896000	32000	18	864000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	320000	32000	6	288000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	560000	32000	11	528000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	464000	32000	9	432000
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	320000	32000	6	288000
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP]	752000	32000	15	720000
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	272000	32000	5	240000
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	272000	32000	5	240000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	704000	32000	14	672000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	944000	32000	19	912000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	656000	32000	13	624000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	800000	32000	16	768000
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	416000	32000	8	384000
Total		**41760000**	**32000**	**820**	**39360000**

- **उपकेन्द्र स्तर तक की समस्त शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों पर कण्डोम बाक्स की स्थापना (FMR- RCH.6.50.OOC.3)** जिला चिकित्सालयों व जिला महिला चिकित्सालयों के ओ0पी0डी0, रजिस्ट्रेशन रूम, पी0एन0सी0 वार्ड एवं टीकाकरण कक्ष को ध्यान में रखते हुए कम से कम 05 से 06 इसी प्रकार सी0एच0सी0(शहरी एवं ग्रामीण) पर 03 से 04 कण्डोम बाक्स, पी0एच0सी0 (शहरी एवं ग्रामीण) पर 02 से 03, एच0डब्ल्यू0सी0 एवं उपकेन्द्र पर 01 कण्डोम बाक्स लगाना सुनिश्चित करे तथा किसी एक व्यक्ति को नियमित कण्डोम बाक्स भरने की जिम्मेदारी दी जाये तथा एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा खारिज किया जाये व एच0एम0आई0एस0 पर भी उपलब्धि दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें। **प्रति कण्डोम बाक्स रु0 500/– की दर से धनराशि** प्राविधानित किया गया है। कण्डोम बाक्स हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Total Number of Installation of Condom Box at Health Facilities	Budget
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	347	173500
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	276	138000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	173	86500
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	159	79500
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	125	62500
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	190	95000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	367	183500
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	127	63500
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	246	123000
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	293	146500
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	151	75500
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	207	103500
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	268	134000
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	314	157000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	210	105000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	254	127000
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	227	113500
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	286	143000
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	151	75500
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	114	57000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	295	147500
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	140	70000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	160	80000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	153	76500
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	220	110000
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	129	64500
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	151	75500
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	246	123000
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	276	138000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	245	122500
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	384	192000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	158	79000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	111	55500
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	271	135500
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	136	68000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	201	100500
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	372	186000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	240	120000
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	149	74500
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	172	86000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	156	78000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	392	196000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	133	66500
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	137	68500
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	260	130000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	273	136500
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	127	63500
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	408	204000
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	195	97500
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	96	48000
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	187	93500
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	169	84500
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	174	87000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	256	128000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	203	101500
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	244	122000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	198	99000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	137	68500
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	283	141500
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	424	212000

SL.No	District	Total Number of Installation of Condom Box at Health Facilities	Budget
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	254	127000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	154	77000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	296	148000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	152	76000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	103	51500
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	111	55500
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	241	120500
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	115	57500
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	80	40000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	230	115000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	322	161000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	132	66000
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	196	98000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	233	116500
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	271	135500
Total		**16036**	**8018000**

नोट– कण्डोम बाक्स के स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

- **परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु समस्त शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों पर डिजीटल वाल पेन्टिंग (FMR- RCH.6.50.IEC.4)**:–परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु समस्त शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों पर डिजीटल वाल पेन्टिंग कराया जाना है। प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर 03 वाल पेन्टिंग किया जाना है। **प्रति वाल पेन्टिंग धनराशि रु0 930/–प्राविधानित** है। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। डिजीटल वाल पेन्टिंग कराये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Digital Wall Painting	Budget @ Rs.930/wall painting
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	279	259470
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	210	195300
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	117	108810
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	135	125550
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	105	97650
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	144	133920
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	300	279000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	96	89280
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	216	200880
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	276	256680
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	117	108810
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	174	161820
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	231	214830
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	267	248310
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	165	153450
16	DHS, Budaun [NHMUP]	219	203670
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	201	186930
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	255	237150
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	111	103230
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	105	97650
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	285	265050
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	120	111600

SL.No	District	Digital Wall Painting	Budget @ Rs.930/wall painting
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	132	122760
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	126	117180
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	180	167400
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	75	69750
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	129	119970
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	219	203670
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	234	217620
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	210	195300
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	306	284580
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	138	128340
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	90	83700
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	216	200880
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	108	100440
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	150	139500
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	321	298530
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	177	164610
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	126	117180
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	141	131130
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	123	114390
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	318	295740
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	117	108810
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	126	117180
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	222	206460
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	228	212040
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	99	92070
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	315	292950
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	159	147870
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	69	64170
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	174	161820
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	141	131130
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	153	142290
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	213	198090
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	168	156240
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	207	192510
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	165	153450
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	108	100440
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	249	231570
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	318	295740
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	210	195300
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	126	117180
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	234	217620
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	123	114390
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	75	69750
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	84	78120

SL.No	District	Digital Wall Painting	Budget @ Rs.930/wall painting
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	198	184140
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	102	94860
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	57	53010
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	222	206460
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	261	242730
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	117	108810
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	171	159030
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	189	175770
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	198	184140
Total		**13245**	**12317850**

नोट– वाल पेन्टिंग हेतु विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा। वाल पेन्टिंग कराये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

- **परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु मण्डलीय एवं जनपदीय मुख्यालय के जिला महिला चिकित्सालय पर होर्डिंग की स्थापना (FMR- RCH.6.50.IEC.5)**:– प्रत्येक मिशन परिवार विकास अभियान के दौरान परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु मण्डलीय मुख्यालय जनपद के जिला पुरुष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय तथा जनपदीय मुख्यालय के जिला महिला चिकित्सालय पर होर्डिंग की स्थापना किया जाना है। **प्रत्येक त्रैमासिक अभियान के दौरान होर्डिंग लगाये जाने हेतु प्रथम माह हेतु धनराशि रु0 5000/– प्रति होर्डिंग तथा शेष 02 माह हेतु धनराशि रु0 3500/– प्रति होर्डिंग की दर से धनराशि प्राविधानित है** तथा इसी प्रकार प्रथम त्रैमास की भॉति ही अन्य तीन अभियान हेतु भी होर्डिंग लगाये जाने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। होर्डिंग लगाये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Hoarding-01 at District and 01 at Division Head Qtr	Hoarding for 01 month Budget @ Rs.0.05 lakh/hoarding and for 02 months Rs.0.035 lakh per hoarding
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	2	96000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	2	96000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	1	48000
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	1	48000
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	1	48000
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	2	96000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	1	48000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	1	48000
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	1	48000
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	1	48000
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	2	96000
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	1	48000
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	2	96000
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	2	96000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	1	48000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	1	48000
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	1	48000
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	1	48000
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	1	48000
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	1	48000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	1	48000

SL.No	District	Hoarding-01 at District and 01 at Division Head Qtr	Hoarding for 01 month Budget @ Rs.0.05 lakh/hoarding and for 02 months Rs.0.035 lakh per hoarding
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	1	48000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	2	96000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	1	48000
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	1	48000
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	1	48000
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	1	48000
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	1	48000
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	1	48000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	2	96000
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	2	96000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	1	48000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	1	48000
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	1	48000
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	1	48000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	1	48000
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	1	48000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	2	96000
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	1	48000
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	1	48000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	1	48000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	2	96000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	1	48000
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	1	48000
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	1	48000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	1	48000
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	1	48000
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	2	96000
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	1	48000
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	1	48000
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	1	48000
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	1	48000
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	1	48000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	2	96000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	2	96000
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	2	96000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	1	48000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	1	48000
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	1	48000
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	2	96000
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	1	48000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	1	48000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	2	96000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	1	48000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	1	48000

SL.No	District	Hoarding-01 at District and 01 at Division Head Qtr	Hoarding for 01 month Budget @ Rs.0.05 lakh/hoarding and for 02 months Rs.0.035 lakh per hoarding
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	1	48000
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	1	48000
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	1	48000
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	1	48000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	1	48000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	1	48000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	1	48000
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	1	48000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	1	48000
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	2	96000
Total		**93**	**4464000**

नोट– होर्डिंग हेतु विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा। होर्डिंग लगाये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

- **परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों पर पोस्टर प्रदर्शन (FMR- RCH.6.50.IEC.6):-** परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों पर पोस्टर प्रदर्शन किया जाना है। लगाये जाने वाले पोस्टर परिवार नियोजन साधनों पर आधारित होगें जो कि कुल छ प्रकार के पोस्टर हैं। **प्रति पोस्टर धनराशि रु0 50/– प्राविधानित** है। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। पोस्टर लगाये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Posters	Budget @ Rs.50/poster- Total 6 types Posters
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	123	36900
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	88	26400
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	44	13200
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	45	13500
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	37	11100
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	51	15300
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	103	30900
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	34	10200
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	74	22200
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	93	27900
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	42	12600
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	60	18000
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	98	29400
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	91	27300
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	67	20100
16	DHS, Budaun [NHMUP]	78	23400
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	75	22500
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	87	26100
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	38	11400
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	38	11400
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	97	29100
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	46	13800

SL.No	District	Posters	Budget @ Rs.50/poster-Total 6 types Posters
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	50	15000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	48	14400
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	63	18900
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	37	11100
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	58	17400
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	123	36900
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	80	24000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	72	21600
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	125	37500
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	48	14400
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	33	9900
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	77	23100
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	38	11400
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	56	16800
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	110	33000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	72	21600
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	48	14400
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	50	15000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	41	12300
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	156	46800
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	41	12300
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	43	12900
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	78	23400
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	77	23100
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	35	10500
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	157	47100
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	54	16200
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	25	7500
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	61	18300
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	55	16500
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	55	16500
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	97	29100
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	61	18300
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	95	28500
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	61	18300
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	39	11700
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	84	25200
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	129	38700
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	73	21900
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	48	14400
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	97	29100
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	45	13500
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	27	8100
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	29	8700

SL.No	District	Posters	Budget @ Rs.50/poster-Total 6 types Posters
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	77	23100
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	37	11100
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	19	5700
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	75	22500
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	93	27900
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	42	12600
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	59	17700
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	68	20400
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	95	28500
Total		**5025**	**1507500**

नोट– पोस्टर हेतु विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे। पोस्टर लगाये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके।

- **समुदाय में परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर हैण्डबिल का मुद्रण कराया जाना (FMR- RCH.6.50.IEC.7):-** शहरी समुदाय में परिवार नियोजन साधनों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर आने वाले शहरी समुदाय के लक्ष्य दम्पत्तियों के जागरुकता एवं ज्ञानवर्द्धन हेतु उन्हे परिवार नियोजन के बास्केट आफ च्वाइस पर परामर्श उपरान्त हैण्डबिल वितरित किया जाना है। जिस हेतु हैण्डबिल का मुद्रण कराया जाना है, **हैण्डबिल मुद्रण हेतु एकमुश्त धनराशि रु0 2000/– प्रति वर्ष प्रति शहरी स्वास्थ्य इकाई प्राविधानित** है। प्राविधानित धनराशि से हैण्डबिल मुद्रण कराकर चिकित्सा इकाई में आने वाले लक्ष्य दम्पतियों को वितरित किये जाने के साथ–साथ आरोग्य मेला, खुशहाल परिवार दिवस व यू0एच0एन0डी0 सत्र के दौरान भी परामर्श उपरान्त वितरित किया जाना है। हैण्डबिल मुद्रण हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Handbills-No of Blocks and UPHC	Budget @ Rs.5000/year/block and Rs.2000/year/UPHC
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	45	135000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	30	96000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR,	14	55000
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	13	65000
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	9	39000
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	25	116000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	9	36000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	16	74000
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	19	89000
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	10	47000
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	11	46000
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	17	79000
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	36	117000
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	16	74000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	23	79000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	20	85000
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	24	96000
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	11	49000
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	6	27000
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	19	86000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	10	44000

SL.No	District	Handbills-No of Blocks and UPHC	Budget @ Rs.5000/year/block and Rs.2000/year/UPHC
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	14	52000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	17	67000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	13	47000
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	16	71000
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	21	69000
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	19	50000
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	54	120000
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	18	84000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	18	84000
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	42	141000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	9	39000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	7	26000
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	24	105000
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	9	39000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	15	57000
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	24	111000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	21	66000
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	12	42000
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	11	46000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	10	50000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	60	150000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	9	39000
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	9	42000
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NH	19	83000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	15	72000
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	8	34000
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	60	144000
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	13	62000
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	6	24000
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	12	51000
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	18	66000
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	13	53000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	38	112000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	17	70000
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	34	92000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	15	57000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	10	41000
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	18	87000
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	43	146000
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	21	96000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	12	42000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	30	93000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	12	48000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP	11	49000
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP	7	32000

SL.No	District	Handbills-No of Blocks and UPHC	Budget @ Rs.5000/year/block and Rs.2000/year/UPHC
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	26	97000
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	8	31000
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	5	25000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	15	72000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	25	107000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	11	46000
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	15	69000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	21	90000
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	37	98000
Total		**1430**	**5320000**

नोट– हैण्डबिल मुद्रण के विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा।

- **परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के चिन्हित 25 जनपदों के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस की स्थापना (FMR- RCH.6.50.IEC.7):-** परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु टी0सी0एच0सी0आई0 परियोजना से आच्छादित प्रदेश के 25 जनपदों के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस की स्थापना की जानी है जिसमें परिवार नियोजन साधनों से सुसज्जित एक आकर्षक ट्रे बनाया जाना है जिसमें समस्त प्रकार की गर्भनिरोधक सामग्रियॉ डिस्प्ले की जानी है। उपयोग किये जाने वाले ट्रे की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए क्रय किया जाए। एक शहरी स्वास्थ्य इकाई पर कुल 04 जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस की स्थापना की जानी है। **प्रति जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस धनराशि रु0 250/– की दर से कुल 04 जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस की स्थापना हेतु एकमुश्त कुल धनराशि रु0 1000/– प्रति वर्ष प्रति शहरी स्वास्थ्य इकाई प्राविधानित है।** जॉब एड आन बास्केट आफ च्वाइस की स्थापना हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Job Aid on Basket of Choice (unit cost@ 250/- per Job Aid) for UPHC	Total Budget for job aid
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	30	30000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	17	17000
3	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	18	18000
4	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	4	4000
5	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	6	6000
6	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	6	6000
7	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	4	4000
8	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	9	9000
9	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	12	12000
10	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	24	24000
11	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	23	23000
12	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	12	12000
13	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	4	4000
14	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	50	50000
15	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	56	56000
16	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	7	7000
17	DHS, MAU, UP [NHMUP]	4	4000
18	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	24	24000
19	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	26	26000
20	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	4	4000
21	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	23	23000
22	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	6	6000

SL.No	District	Job Aid on Basket of Choice (unit cost@ 250/- per Job Aid) for UPHC	Total Budget for job aid
23	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	17	17000
24	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	10	10000
25	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	24	24000
Total		**420**	**420000**

- **परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रदेश के चिन्हित 25 जनपदों के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर हैगिंग परिवार नियोजन कार्नर की स्थापना (FMR- RCH.6.50.IEC.7):-** शहरी स्वास्थ्य इकाई पर कार्यरत ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्स को परिवार नियोजन परामर्श कौशल एवं तकनीक पर प्रशिक्षित करने और परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ज्ञान और दक्षता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए परिवार नियोजन परामर्श सेवाओं के लिए आने वाले लाभार्थियों के डेटाबेस को बनाए रखने और परामर्श के बाद लाभार्थियों को दी गयी परिवार नियोजन सेवा के रिकार्ड के रखरखाव हेतु अलग स्थान की आवश्यकता है। परिवार नियोजन साधनों के प्रचार–प्रसार एवं शहरी स्वास्थ्य इकाई पर कार्यरत ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्स को हेतु टी0सी0एच0सी0आई0 परियोजना से आच्छादित प्रदेश के 25 जनपदों के समस्त शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर हैगिंग परिवार नियोजन कार्नर की स्थापना की जानी है,
- जिसमें परिवार नियोजन साधनों से सुसज्जित एक आकर्षक हैगिंग कार्नर बनाया जाना है जिसमें समस्त प्रकार की गर्भनिरोधक सामग्रियॉ डिस्प्ले की जानी है। साथ ही परिवार नियोजन सेवा के रिकार्ड को भी संरक्षित किया जाए। **प्रति हैगिंग कार्नर की स्थापना के लिए धनराशि रु0 1000/–प्रति शहरी स्वास्थ्य इकाई की दर से प्राविधानित** है। हैगिंग कार्नर की स्थापना हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

SL.No	District	Total UPHC/UCHC	Hanging FP corner for UPHC Budget @ Rs.2000/facility
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	30	60000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	17	34000
3	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	18	36000
4	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	4	8000
5	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	6	12000
6	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	6	12000
7	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	4	8000
8	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	9	18000
9	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR,	12	24000
10	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	24	48000
11	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	23	46000
12	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	12	24000
13	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR,	4	8000
14	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	50	100000
15	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	56	112000
16	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	7	14000
17	DHS, MAU, UP [NHMUP]	4	8000
18	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	24	48000
19	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	26	52000
20	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NH	4	8000
21	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	23	46000
22	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	6	12000
23	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	17	34000
24	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP	10	20000
25	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	24	48000
Total		**420**	**840000**

4. पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। कन्या भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ''प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994'' पूर्व में ही प्रख्यापित किया जा चुका है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधित करते हुए इसका नाम ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' कर दिया गया है। अधिनियम के अनुसार ऐसे सभी केन्द्र जहाँ गर्भधारण से पूर्व अथवा प्रसव पूर्व गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की पहचान की जा सकती है, का पंजीकरण अनिवार्य है। किसी प्रकार से भी भ्रूण लिंग की जाँच कर उसका परिणाम बताना अथवा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन करना व करवाना गैर कानूनी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन से सम्बन्धित विज्ञापन भी पूर्णतया निषेध है। इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि भ्रूण लिंग की जाँच करने वाले चिकित्सक तथा जाँच करवाने वाले व्यक्ति दोनो को कैद तथा जुर्माना हो सकता है।

प्रदेश में घटते हुये बाल लिंगानुपात की रोकथाम हेतु ''डिक्वाय ऑपरेशन'' संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''**मुखबिर योजना**'' 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाये व ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरूद्ध साक्ष्य एकत्रित करते हुये उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये। ''**मुखबिर योजना**'' लागू होने के उपरान्त प्रदेश में अब तक कुल 13 सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' ही सम्पादित किये गये है। अतः बाल लिंगानुपात में कमी लाने हेतु जनपदों द्वारा अधिक से अधिक सफल ''डिक्वाय ऑपरेशन'' किया जाना आवश्यक है।

''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994'' के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 2013 को एक वेबसाइट www.pyaribitiya.in लांच की गयी। जिसके माध्यम से जनपद स्तर पर पंजीकृत ईकाइयों का अनुश्रवण किया जाता है। दिनांक 12 नवम्बर, 2020 से पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से इकाईयों के पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। वर्तमान में ऑनलाईन प्रक्रिया के अन्तर्गत इकाईयों के पंजीयन हेतु प्राप्त 2040 आवेदनों का आनलाईन पोर्टल के माध्यम से निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यक है कि इकाईयो का पंजीयन/नवीनीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाये।

उत्तर प्रदेश में हेल्थ मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम से मार्च 2022 की निर्गत रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का जन्म के समय बाल लिंगानुपात 934 है जो कि NFHS-5 (2020-21) में प्रदर्शित उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 941 से 07 कम है जो कि चिंता का विषय है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बाल लिंग अनुपात में गिरावट परिलक्षित हुई है। जबकि 2001 में प्रदेश का बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 916 था, जो कि वर्ष 2011 में गिरकर 902 रह गया है।

SRS 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जन्म पर बाल लिंगानुपात 880 है जो कि राष्ट्रीय स्तर से 19 कम है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात की गिरावट 19 अंकों की दर्शायी गयी है तथा यह गिरावट प्रदेश के अधिकतर जनपदों में है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात का मुख्य कारण आधुनिक निदान तकनीकों का दुरुपयोग कर गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग की जानकारी प्राप्त कर उसके कन्या होने की दशा में उसका अवैध तरीके से गर्भपात कराना है। गिरते हुए बाल लिंगानुपात पर नियंत्रण प्राप्त करने तथा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा ''गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994'' प्रख्यापित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट को जनपदीय समुचित प्राधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिला–मजिस्ट्रेट को तहसील स्तरीय समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु अनुमोदित धनराशि के आवंटित सीमा तक का व्यय, जनपद में आर.सी.एच. फ्लैक्सीपूल में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार व्यय की जानी है। जनपद स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का मुख्य दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का एवं मण्डल स्तरीय गतिविधियों के सम्पादन का दायित्व मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है।

प्रदेश में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु राज्य समुचित प्राधिकारी (स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी)/महानिदेशक–परिवार कल्याण द्वारा समय–समय पर प्रेषित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित गतिविधियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मण्डल/जनपद स्तर पर संचालित की जानी हैं –

जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय

- **मण्डलीय स्तरीय डाटा असिस्टेन्ट– (Old FMR- 16.2.1.S01 New FMR-HSS.9.184.C.P001)**

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के मण्डल स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं गतिविधियों के सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक मण्डल हेतु 01 डाटा असिस्टेंन्ट का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में मण्डल **सहारनपुर** को छोड़कर समस्त 17 मण्डलीय जनपदों में एक–एक डेटा असिस्टेंट मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में तैनात है। भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत 17 डाटा असिस्टेंट हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में @ रू0 26626/– प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी है। साथ ही **मण्डलीय जनपद–बॉदा, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ एवं आजमगढ़** में मण्डलीय अपर निदेशक–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत डेटा असिस्टेंट हेतु वर्ष 2022–23 में देय मासिक मानदेय पर 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट निम्नानुसार फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जायेः–

Budget Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2022-23-(Aug to March)										
Sl No	Districts	No of Div. Level Data Assistant	Mode of Selection	Budget for 08 Months Honorarium @Rs 26626/PM	Increment 5%	Honorarium @ Rs.27957/-after increment	Outsource agency Service Charge as per agreement (For Outsourced Staff) for example max upto 10% (Rs. in Lakhs)	GST (@ 18%)/ Service Tax (For Outsourced Staff)	For Outsource HR-ESI (@3.25%) =<21000	Total Budget
	FAMS/FMR Code	Old FMR-16.2.1.S01/New FMR-HSS.9.184.C.P001								
1	AGRA	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
2	ALIGARH	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
3	AZAMGARH	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
4	BANDA	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
5	BAREILLY	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
6	BASTI	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
7	AYODHYA	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
8	GONDA	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
9	GORAKHPUR	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559

10	JHANSI	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
11	KANPUR NAGAR	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
12	LUCKNOW	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
13	MEERUT	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
14	MIRZAPUR	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
15	MORADABAD	1	Outsource	213008	15976	228984	22898	41217	5460	298559
16	PRAYAGRAJ	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
17	VARANASI	1	DHS	213008	15976	228984	0	0	0	228984
	Total Budget	**17**		**3621136**	**271592**	**3892728**	**228980**	**412170**	**54600**	**4588478**

- **जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर–(Old FMR- 16.2.1.S02 New FMR- HSS.9.184.C.P002)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद हेतु 01–01 जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर का पद स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में से 08 जनपदों– **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद** को छोड़कर शेष 67 जनपदों में डेटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत हैं। जिसके 12 माह के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना में रू0 @ 14,774/– प्रतिमाह की दर से 12 माह का मासिक मानदेय एवं वर्तमान में देय मानदेय पर @ 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि स्वीकृत की गयी है। सेवाप्रदाता के माध्यम से कार्यरत जनपद स्तरीय डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु वर्ष 2022–23 में देय मासिक मानदेय पर अधिकतम 10 प्रतिशत का सर्विस चार्ज, 18 प्रतिशत का सर्विस टैक्स, 13.36 प्रतिशत का ई0पी0एफ0, 3.25 का ई0एस0आई का भी प्राविधान 12 माह के लिए किया गया है। मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार, प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये। जनपद **मुरादाबाद, सम्भल, औरैया, फर्रुखाबाद, सुल्तानपुर, बदायू, पीलीभीत एवं फिरोजाबाद** के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर के पदों पर चयन तब तक नहीं किया जाए, जब तक इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्देश न प्रेषित किये जाएं। वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार प्रेषित बजट निम्नानुसार फॉट दिए गए विवरण के अनुसार किया जायः–

Budget Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2022-23-(August to March)											
Sl No	**Districts**	**No of District.Level Data Entry Operator (In position)**	**Mode of Selection**	**Budget for 08 Month Honorarium @ Rs.14774 /PM (In Rs)**	**5% Increment**	**Total Budget after Increment**	**Other Incentive /EPF (@ 13.36%) < 15000**	**For Outsource HR-ESI (@3.25 %) =<21000**	**Outsource agency Service Charge as per agreement (For Outsourced Staff) for example max upto 10%**	**GST (@ 18%)/ Service Tax (For Outsourced Staff)**	**Total Budget**
	FAMS/FMR Code	**Old FMR-16.2.1.S02/New FMR-HSS.9.184.C.P002**									
1	AGRA	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
2	ALIGARH	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0		0	143088
3	AMBEDKAR NAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0		0	143088
4	AMETHI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0		0	143088
5	AURAIYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	AZAMGARH	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
7	BAGHPAT	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
8	BAHRAICH	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
9	BALLIA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
10	BALRAMPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
11	BANDA	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
12	BARABANKI	1	Outsour	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793

			ces								
13	BAREILLY	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
14	BASTI	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
15	BIJNOR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
16	Budaun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	BULANDSHAHAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
18	CHANDAULI	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
19	CHITRAKOOT	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
20	DEORIA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
21	ETAH	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
22	ETAWAH	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
23	AYODHYA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
24	FARRUKHABAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	FATEHPUR	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
26	FIROZABAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
28	GHAZIABAD	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
29	GHAZIPUR	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
30	GONDA	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
31	GORAKHPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
32	HAMIRPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
33	HAPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
34	HARDOI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
35	HATHRAS	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
36	JALAUN	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
37	JAUNPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
38	JHANSI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
40	KANNAUJ	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
41	KANPUR DEHAT	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
42	KANPUR NAGAR	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
43	KASGANJ	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
44	KAUSHAMBI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
45	LAKHIMPUR KHERI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
46	KUSHINAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
47	LALITPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
48	LUCKNOW	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
49	MAHARAJGANJ	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
50	MAHOBA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
51	MAINPURI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
52	MATHURA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
53	MAU	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
54	MEERUT	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
55	MIRZAPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
56	MORADABAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	MUZAFFARNAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
58	PILIBHIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	PRATAPGARH	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
60	PRAYAGRAJ	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
61	RAEBARELI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
62	RAMPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
63	SAHARANPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
64	SAMBHAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	SANTKABIR	1	Outsour	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793

	NAGAR		ces								
66	SANT RAVIDAS NAGAR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
67	SHAHJAHANPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
68	SHAMLI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
69	SHRAWASTI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
70	SIDDHARTH NAGAR	1	Outsources	118192	8864	127056	16032	4129	12706	22870	182793
71	SITAPUR	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
72	SONBHADRA	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
73	SULTANPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	UNNAO	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
75	VARANASI	1	DHS	118192	8864	127056	16032	0	0	0	143088
	Total Budget	**67**		**7918864**	**593888**	**8512752**	**1074144**	**74322**	**228708**	**411660**	**10301586**

- **जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर–(Old FMR-16.2.1.S08 New FMR-HSS.9.184.C.P008)** प्रदेश के चयनित 24 जनपदों में जनपद स्तरीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर की पदस्थापना की गयी है। 03 जनपदों हापुड, वाराणसी एवं जौनपुर को छोडकर 21 जनपदों में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर कार्यरत है। जिनके मासिक मानदेय हेतु रु0 25358/–प्रतिमाह की दर से धनराशि दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। समस्त कार्यरत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर को भारत सरकार द्वारा परफारमेन्स के आधार पर वर्तमान देय मानदेय पर 05 प्रतिशत की वेतन वृद्धि वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत की गयी है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कोआर्डिनेटर हेतु मानदेय की धनराशि एफ0एम0आर0 कोड संख्या–HSS.9.184.C.P008 के अर्न्तगत प्राविधानित की गयी है। वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में मानदेय के भुगतान का प्राविधान वित्तीय नियमानुसार प्रेषित बजट निम्नानुसार फॉट दिए गए विवरण के अनुसार किया जाये।

Budget Allocation Sheet for Honorarium of PC-PNDT Staffs-Year 2022-23-(August to March)						
Sl No	**Districts**	**NO District PC& PNDT Coordinator Position Sanction**	**No of District level PCPNDT Coordinator (In Position)**	**5% Increment**	**Budget for Honorarium @ 25358/PM**	**Total Budget**
	FAMS/FMR Code	**Old FMR-16.2.1.S08/New FMR-HSS.9.184.C.P008**				
1	AGRA	1	1	15215	202864	218079
2	BAGHPAT	1	1	15215	202864	218079
3	BULANDSHAHAR	1	1	15215	202864	218079
4	CHANDAULI	1	1	15215	202864	218079
5	DEORIA	1	1	15215	202864	218079
6	FIROZABAD	1	1	15215	202864	218079
7	GAUTAM BUDDH NAGAR	1	1	15215	202864	218079
8	GHAZIABAD	1	1	15215	202864	218079
9	GHAZIPUR	1	1	15215	202864	218079
10	GORAKHPUR	1	1	15215	202864	218079
11	HARDOI	1	1	15215	202864	218079
12	LAKHIMPUR KHERI	1	1	15215	202864	218079
13	KUSHINAGAR	1	1	15215	202864	218079
14	LUCKNOW	1	1	15215	202864	218079
15	MAHARAJGANJ	1	1	15215	202864	218079
16	MAINPURI	1	1	15215	202864	218079
17	MATHURA	1	1	15215	202864	218079
18	MEERUT	1	1	15215	202864	218079
19	RAEBARELI	1	1	15215	202864	218079
20	SITAPUR	1	1	15215	202864	218079
21	UNNAO	1	1	15215	202864	218079
	Total Budget	**24**	**21**	**319515**	**4260144**	**4579659**

मानव संसाधन हेतु सामान्य दिशा निर्देश–

- जनपद एवं मण्डल स्तर पर कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मियों के लिए उनके कार्यो के मूल्यांकन हेतु जनपदों को पूर्व में मूल्यांकन प्रपत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मी के मानदेय के भुगतान के

लिए आवश्यक है कि वह अपने लिए निर्धारित कार्यदायित्वों की प्राप्ति सुनिश्चित करे, तभी उनके मानदेय का भुगतान किया जाये।

- संतोषजनक कार्य के आधार पर जो कर्मी जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के शासी निकाय से अनुमोदनोपरान्त पुर्नुबन्धित कर लिये गये हैं, उनके मानदेय का भुगतान जनपदवार दी गई स्वीकृति संख्या एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार कर दिया जाय।
- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।

  (D) वह संविदा कर्मी जिसका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2022–23 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान की जाये।

  (E) वह संविदा कर्मी जो 01 अप्रैल 2022 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जायें।

  (F) वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा कर्मियों को संतोषजनक परफॉरमेंस के आधार 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के हेतु (जनपदीय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी)/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा रू0 15,000 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2022–23 में प्रदान की गई है। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि किसी संविदाकर्मी को एक बार प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2022–23 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को 15,000 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा।
- समस्त महिला संविदा कर्मियों को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
- यदि कोई संविदाकर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- संविदाकर्मी कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
- संविदाकमी अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे और न ही उन्हें निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- संविदा पर कार्यरत कर्मी की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस अथवा एक माह का समतुल्य मानदेय देकर समाप्त की जा सकेगी।
- एन0एच0एम0 की उपरोक्त राशि का व्यय आपेरशनल गाइडलाइन्स फार आपरेशनल मैनेजमेंट में दी गई व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही की जाय।

➢ **<u>कन्टीजेन्सी धनराशि का प्राविधान</u> –(RCH.2.19.PME.4)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 संख्या–**RCH.2.19.PME.4** के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद हेतु रू0 10000 की दर से कुल रू0 6.70 लाख की धनराशि एवं मण्डल स्तर हेतु रू0 10000 की दर से कुल रू0 1.70 लाख की धनराशि कन्टीजेन्सी मद में स्वीकृत की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यकालापो/मदों के लिये किया जा सकेगा।

➢ **<u>मुखबीर योजना के अन्तर्गत पुरस्कार का प्राविधान</u> (RCH.2.19.PME.3)**

प्रदेश में घटता हुआ बाल लिंगानुपात गम्भीर चिन्ता का विषय है। आवश्यक है कि लिंग चयन एवं लिंग चयन के पश्चात विशेष लिंग के भ्रूण की हत्या के अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/केन्द्रों/संस्थाओं की गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएव ऐसे केन्द्रों/संस्थाओं/स्थलों पर ''डिक्वाय ऑपरेशन'' के माध्यम से इस अवैध कार्य में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थाओं/केन्द्रों के विरुद्ध

साक्ष्य एकत्रित करते हुए उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय से दण्डादेश पारित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

उक्त योजना के संबंध में शासनादेश संख्याः–37/2017/383/पॉच–9–2017–9(37)/2017 दिनॉक 23 जून 2017 का संज्ञान लिया जाये एवं शासनादेश में निहित व्यवस्थानुरुप तथा राज्य समुचित प्राधिकारी के स्तर से इस सम्बंध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये डिक्वाय ऑपरेशन सम्पादित किये जाये तथा भुगतान हेतु प्रपत्र अग्रसारित किये जाये।

जनसमुदाय द्वारा सफल डिक्वॉय ऑपरेशन करवाने पर ''मुखबिर'' को रु0 60,000/– व ''मिथ्या ग्राहक'' को रु0 1,00,000/– एवं ''मिथ्या ग्राहक सहायक'' को रु0 40,000/– की धनराशि पुरस्कार के रूप में 03 किश्तों में दावा करने पर अनुमन्य की जायेगी।

नोट– मुखबिर योजना के तहत धनराशि का भुगतान जनपदों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर राज्य स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।

➢ **मण्डल एवं जनपद स्तरीय निरीक्षण टीमों हेतु मोबिलिटी सपोर्ट –(FMR Code-RCH.2.19.PME.5)**

- मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु नियमानुसार टी0ए0/डी0ए0 के भुगतान के लिए **प्रत्येक मण्डल को रु0 25,000.00** की धनराशि एवं **प्रत्येक जनपद को रू0 50000.00** की धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड संख्या–**RCH.2.19.PME.5 के अन्तर्गत प्राविधानित की गयी है।
- पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का निरीक्षण मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डलीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा किया जाये।
- मण्डल स्तरीय निरीक्षण में मण्डलीय अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी का होना अनिवार्य है।
- जनपद स्तरीय निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा संयुक्त निदेशक/जनपदीय नोडल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपकरणों व अभिलेखों को सील/सीज करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- निरीक्षण के समय यदि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित केन्द्र की समस्त अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के साथ–साथ ऐसे समस्त उपकरण जिनके द्वारा गर्भधारण पूर्व अथवा प्रसव पूर्व लिंग चयन सम्भव है, को निरीक्षण के समय ही सील किया जाये। इसके अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेखों को मूल रूप में जब्त भी किया जाए इस हेतु पृथक से सीलिंग/सीजर मैमो आवश्यक रूप से बनाया जाये।
- जब्त किए गए अभिलेखों/उपकरणों के साथ–साथ निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की मूल प्रति जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित केन्द्र की पत्रावली में सुरक्षित रखीं जायें।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में केन्द्र के पंजीकरण के निलम्बन/निरस्तीकरण के साथ–साथ दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में परिवाद योजित किए जाने की कार्यवाही जनपदीय समुचित प्राधिकारी द्वारा अमल में लायी जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है कि वे मूल निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग व सीजर मैमो के साथ–साथ समस्त साक्ष्य/अभिलेख जिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
- निरीक्षण रिपोर्ट, सीलिंग मैमो व सीजर मैमो की एक छायाप्रति मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा निरीक्षणोपरान्त सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जनपदीय समुचित प्राधिकारी, (पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994) के साथ–साथ अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ–226003 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
- निरीक्षण हेतु प्रारूप पूर्व में जनपदों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

➢ **<u>क्षेत्रीय पी0सी0पी0एन0डी0टी0 कार्यशाला</u>**– (**FMR Code-RCH.2.19.CB.3**)

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 में समय समय पर होने वाले आवश्यक संशोधनों के सम्बन्ध में जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों के अभिमुखीकरण एवं कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु प्रदेश में कुल 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश में **आगरा, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर एवं वाराणसी** जनपद में किया जाना है। पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली 05 क्षेत्रीय कार्यशालाओं हेतु प्रदेश के 75 जनपदों को निम्नानुसार 05 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है–

05 क्षेत्रीय कार्यशाला हेतु जनपदों का विवरण				
क्षेत्रीय जनपद लखनऊ	**क्षेत्रीय जनपद आगरा**	**क्षेत्रीय जनपद मेरठ**	**क्षेत्रीय जनपद गोरखपुर**	**क्षेत्रीय जनपद वाराणसी**
लखीमपुरखीरी	मथुरा	बागपत	देवरिया	जौनपुर
हरदोई	फिरोजाबाद	बुलन्दशहर	कुशीनगर	चन्दौली
रायबरेली	मैनपुरी	हापुड़	महाराजगंज	गाजीपुर
सीतापुर	झाँसी	जी.बी. नगर	**बस्ती**	**मिर्जापुर**
उन्नाव	जालौन	गजियाबाद	एस.के.नगर	सोनभद्र
अयोध्या	ललितपुर	**मुरादाबाद**	सिद्वार्थनगर	भदोही
अमेठी	**अलीगढ़**	बिजनौर	**आजमगढ**	**प्रयागराज**
बाराबंकी	एटा	सम्भल	बलिया	कौशाम्बी
अम्बेडकर नगर	हाथरस	अमरोहा	मऊ	फतेहपुर
सुल्तानपुर	कासगंज	रामपुर	**गोण्डा**	प्रतापगढ़
बरेली	**कानपुर नगर**	मुजफ्फरनगर	बलरापुर	**बादाँ**
बदायूँ	इटावा	**सहारनपुर**	बहराइच	चित्रकूट
पीलीभीत	फर्रूखरबाद	शामली	श्रावस्ती	हामिरपुर
शाहजहाँ	कन्नौज			महोबा
	कानपुर देहात			
	औरेया			

उक्त कार्यशाला में राज्य, मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अभिमुखीकरण कार्यशाला में राज्य स्तर से प्राधिकृत अधिकारी, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मण्डल स्तरीय सयुक्त निदेशक, प्रत्येक जनपद के जिला सलाहकार समिति के सदस्यों, जनपदीय नोडल अधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0), जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालयों के मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों, सी.एच.सी./पी.एच.सी. के अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। कार्यशाला के आयोजन की तिथि निर्धारित होने की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व राज्य स्तर को अवश्य प्रेषित कर दी जाये जिससे कि कार्यशाला में प्रतिभाग हेतु राज्य से किसी अधिकारी/सलाहकार को नामित किया जा सके।

इस कार्यशाला को सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का है। उक्त कार्यशाला के आयोजन में मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एवं उस जनपद के जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक के आयोजन हेतु रू0 1,00,000.00 प्रति कार्यशाला की दर से बजट का प्राविधान सम्बन्धित मण्डलीय जनपद में किया गया है। कार्यशाला हेतु आंवटित धनराशि का व्यय आयोजन स्थल की व्यवस्था, प्रतिभागी हेतु स्टेशनरी पेन, पैड, फोल्डर एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट की किताब (हिन्दी वर्जन), जलपान एवं भोजन इत्यादि में किया जाना है।

कार्यशाला के आयोजन के उपरान्त एक सक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स एवं समाचार पत्रो की कटिंग मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के आई0ई0सी0 अनुभाग को तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को jointdirectorfw@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। कार्यशाला में हुये व्यय का विवरण व सम्बन्धित दस्तावेज, डाक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

➢ **लिंगानुपात गिरावट रोकने हेतु जनजागरुकता (गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन) (FMR Code-RCH.2.19.IEC.1)**

प्रति वर्ष दिनांक 24 जनवरी को गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष गर्ल्स चाइल्ड डे का आयोजन''**Digital Generation, Our Generation**'' थीम/विषय पर आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदों तथा ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन कर प्रदेश में लिंग अनुपात को बेहतर करने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। उक्त गतिविधि से जनसाधारण को पी0सी0पी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के संबंध में जागरूक किया जाता है।

विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 'गर्ल्स चाइल्ड डे' दिनांक 24.01.2023 को मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित की जानी हैं, जिस हेतु **मण्डलवार रु0 50,000 जनपदवार रू0 25,000 एवं ब्लाक स्तर पर रू0 10,000 की धनराशि** का प्राविधान किया जा रहा है। इस धनराशि का व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाये।

A) मण्डल स्तरीय गतिविधियॉ– जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाए–

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	**मण्डल स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	12000.00
2	04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन	16000.00
3	सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व पुरस्कार वितरण	7000.00
4	मण्डल स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठी का आयोजन	8000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7000.00
	कुल योग	**50000.00**

- **मण्डल स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला**

यह कार्यशाला मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों–सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.–महिला एवं बाल विकास, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा–टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) विषय पर विचार–विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।

उक्त कार्यशाला हेतु रू0 12000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय–नाश्ता एवं लंच	50	150.00	7500.00
2	स्टेशनरी	50	50.00	2500.00
3	बैनर	–	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	–	–	1500.00
	कुल योग			**12000.00**

- **मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन**

मण्डल के 04 इण्टरमीडिएट कालेजों में गर्ल्स चाईल्ड दिवस के अवसर पर वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा। वाद–विवाद प्रतियोगिता का विषय लैंगिक भेदभाव व अल्ट्रासोनोग्राफी के फायदे एवं नुकसान आदि विषयों पर आधारित रहेगा तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। **उक्त गतिविधि के आयोजन हेतु रू0 4,000.00 प्रति इण्टरमीडिएट कॉलेज की दर से कुल 04 कालेजों हेतु बजट रु0 16,000.00 स्वीकृत किया गया है,** जिसका व्यय प्रति कालेज निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायः–

क्र.स.	मद	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार एवं लन्च	80	25.00	2000.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	अन्य व्यय (बैनर, माईक, आदि)	–	1000.00	1000.00
कुल योग				**4000.00**
महायोगः– 4000.00×04 वाद–विवाद प्रतियोगिता				**16,000.00**

- **मण्डल स्तरीय 04 इण्टरमीडिएट कालेजों से चुने गएसर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजनः**

यह प्रतियोगिता मण्डल स्तर पर आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता में 04 इण्टरमीडिएट कालेजों से चुने गए सर्वश्रेष्ठ 03–03 प्रतिभागियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता मण्डल के मण्डल स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य विभाग के अधिकारियों सरकारी स्कूलों के अध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं मण्डल में पदस्थ महिला विशेषज्ञ, प्राइवेट चिकित्सालयों के चिकित्सक आदि के समक्ष आयोजित की जाये। इस प्रतियोगिता के लिए कुल रु0 7000.00 व्यय किएजाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाये–

क्र.स.	मद	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	प्रतिभागियों हेतु स्वल्पाहार	25	100.00	2500.00
2	फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण	–	1000.00	1000.00
3	पुरस्कार	–	2000.00	2000.00
4	प्रमाण पत्र की प्रिण्टिंग	–	1000.00	1000.00
5	अन्य व्यय (बैनर, आदि)	–	500.00	500.00
कुल योग				**7000.00**

इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक इण्टरमीडिएट कालेजों के कुल 12 चयनित प्रतिभागियों में से सर्वश्रेष्ठ 03 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर पुरस्कार का वितरण मण्डल के मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी आदि से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- **मण्डल स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

इस कार्यक्रम का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाए। इस रैली को मण्डलायुक्त/जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों व मण्डल में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण अनुसार प्रदान की जा रही हैः–

क्र.स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	रैली/गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	–	1750.00	1750.00
योग				**8000.00**

- **हैण्डबिल्स का मुद्रण**

मण्डल स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, जिस हेतु प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन आदि पृथक से उपलब्ध कराए जायेंगे। हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

B) जनपदीय स्तरीय गतिविधियॉ– जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाए–

क्रम	गतिविधि	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	**जनपद स्तरीय** लिंग संवेदीकरण कार्यशाला हेतु	10,000.00
4	जनपद स्तरीय रैली **एवं** गोष्ठी का आयोजन	8,000.00
5	हैण्डबिल्स का मुद्रण	7,000.00
कुल योग		**25000.00**

- **जनपद स्तरीय लिंग संवेदीकरण कार्यशाला–**

यह कार्यशाला जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों–सी.डी.ओ., बी.डी.ओ., बी.एस.ए., पी.ओ.–महिला एवं बाल विकास, सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एवं जनपद में पदस्थ महिला विशेषज्ञ तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि यथा–यूनीसेफ, टी0एस0यू0 आदि की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों में जेण्डर सेन्सिटाइजेशन (लिंग संवेदीकरण) विषय पर विचार–विमर्श एवं जनपद में लिंगानुपात में होने वाली गिरावट पर चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई जानी है।

उक्त कार्यशाला हेतु रू0 10000.00 आवंटित किए जा रहे हैं, जिसका व्यय निम्नानुसार वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र.स.	मद	संख्या (सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	प्रतिभागियों हेतु चाय–नाश्ता एवं लंच	40	150.00	6000.00
2	स्टेशनरी	40	50.00	2000.00
3	बैनर	–	500.00	500.00
4	अन्य व्यय	–	–	1500.00
	कुल योग			**10000.00**

- **जनपद स्तरीय रैली एवं गोष्ठी का आयोजन**

इस कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाए। इस रैली को जनप्रतिनिधियों/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इस रैली में आशा, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी एवं डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों व जनपद में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया जाए। रैली का समापन गोष्ठी के रुप में किया जाए। इस गतिविधि हेतु रु0 8000.00 की स्वीकृति निम्न विवरण अनुसार प्रदान की जा रही हैः–

क्र.स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	रैली/गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ते की व्यवस्था हेतु	250	25.00	6250.00
2	अन्य व्यय (बैनर एवं फोटो कॉपी आदि)	–	1750.00	1750.00
	योग			**8000.00**

- **हैण्डबिल्स का मुद्रण**

जनपद स्तरीय गतिविधियों हेतु गर्ल्स चाइल्ड डे से सम्बन्धित हैण्डबिल्स का मुद्रण कराया जाना है, जिस हेतु प्रोटोटाईप स्पेसिफिकेशन आदि पृथक से उपलब्ध कराए जायेंगे। हैण्डबिल्स के मुद्रण हेतु रु0 7000.00 स्वीकृत किया जा रहा है।

C) ब्लॉक स्तरीय गतिविधियॉ–

गर्ल्स चाइल्ड डे के अवसर पर प्रत्येक जनपद के विकास खण्डों में घटते हुए लिंगानुपात विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, जिसमें विकास खण्ड स्तर की आशा, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी एवं ए.एन.एम. को कार्यक्रम में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाय। इस कार्यक्रम हेतु प्रत्येक जनपद को रु0 10,000.00 की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायः–

क्र.स.	गतिविधि	संख्या(सम्भावित)	दर	कुल अधिकतम व्यय (रू0)
1	गोष्ठी में प्रतिभागियों को चाय–नाश्ता की व्यवस्था हेतु	200	50.00	5000.00
2	हैण्डबिल्स का मुद्रण	–	3000.00	3000.00
3	अन्य व्यय बैनर एवं फोटोग्राफ आदि	–	2000.00	2000.00
	योग			**10000.00**

गर्ल्स चाइल्ड डे के आयोजन के उपरान्त समस्त गतिविधियों की रिपोर्टिंग एवं फोटोग्राफ्स जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के परिवार नियोजन अनुभाग को तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को भेजना सुनिश्चित करें।

वित्तीय व्यवस्था

- विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि, सम्बन्धित इकाईयों को आवश्यक दिशा–निर्देश के साथ हस्तान्तरित की जाये।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि अपर निदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तान्तरित कर दें।
- समस्त गतिविधियों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति का विवरण समयबद्व रुप से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय तथा महानिदेशक–परिवार कल्याण को निर्धारित प्रारुप पर ई मेल gmfamilyplanning@gmail.com एवं jointdirectorfw@gmail.com पर प्रेषित किया जाना है।
- कार्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि का डिजिटल डाक्यूमेण्टेशन (फोटोग्राफ आदि) एवं समाचार पत्रों की कटिंग, उपस्थित पत्रक आदि रिकार्ड के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखें।

➢ **आई0ई0सी0 गतिविधि (दीवार लेखन)** – **(FMR Code- RCH.2.19.IEC.3)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड संख्या–RCH.2.19.IEC.3 के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद हेतु रू0 100000.00 की दर से कुल रू0 75.00 लाख की धनराशि आई0ई0सी0 गतिविधियों के अन्तर्गत दीवार लेखन हेतु स्वीकृत की गयी है। दीवार लेखन कराये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये।

5. सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 में गर्भपात सेवाओं सम्बंधी गतिविधियो के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रदत दिशा निर्देशों का ही अनुपालन किया जाये।

- **सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराये जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR–RCH.1.10.ASHA.1)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्जिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित किया जाता है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 150.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- **मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR–RCH.1.10.ASHA.2)**–सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रुप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल मेथड से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर सेवा दिलायी जाती हैं तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु0 225.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण (FMR– RCH.1.10.CB.1)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई चिकित्सालय में Ipas संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार रु0 1,92,000.00 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

Comprehensive Abortion Care trainings (Including MVA/ EVA and Medical abortion) for Trainers- FY-2022-23					
1	Programme Budget for - **TOT on CAC services**				
2	Duration - **04 Working days**				
3	Participants- **12 per Batch**				
4	Training Conducted By- **NHM/SIHFW**				
5	Total no. of Batches Proposed for Year 2022-23 - **1 Batch**				
6	Budget for one batch-**Rs. 1,92,000.00**				
7	Total Budget Proposed for the Trainings-**Rs 1,92,000.00**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Doctor	1000	2	4	8000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	4	2000
3	Honararium per diem to Participants-MOs	500	12	4	24000
4	Accomodation to Participants- MOs	1000	12	4	48000
5	Food- 12 Participants + 2 Trainers	250	14	4	14000
6	MVA kits for Participants	3000	12		36000
7	Incidental expenses -MOs	300	12	4	14400
	Total excluding TA				**146400**
8	TA -MO	2000	12	1	24000
	Total including TA				**170400**
9	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**21600**
	Total Budget for 1 Batch in Rupees				**192000**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण (FMR- RCH.1.10.CB.2)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित जनपदों में

आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु0 1,30,800.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है–

CAC Training for Medical Officers 2022-23					
1	Duration - **12 Working days for Medical Officers**				
2	Participants- **03 Medical Officers per Batch**				
3	Training Conducted By-**Training Centers**				
4	Budget for one batch - **Rs.139800/batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	12	24000
2	Honararium per diem to Participants MO	1000	3	12	36000
3	Accomodation for Participants	1000	3	12	36000
4	Honararium per diem to trainer nurse	500	1	12	6000
5	Food to Participants and Trainers	250	5	12	15000
6	MVA Kits for Participatnts	3000	3	1	9000
7	Incidental expenses	300	3	12	10800
	Total Budget Excluding TA				**136800**
8	TA for Participants-MO	1000	3	1	3000
	Total including TA				139800
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**139800**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (FMR-RCH.1.10.CB.3)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के चिन्हित 12 जनपदों में आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

CAC Training for Obs & Gynae 2021-22					
1	Duration **- 5 Working days for Obs & Gynae**				
2	Participants- 04 **per Batch (03 Obs & Gynae)**				
3	Training Conducted By- **District Training Centre**				
4	Budget for one batch- **Rs.63480 /Batch**				
Sl.No	**Activities**	**Rate in Rs.**	**No of participant**	**Days**	**Total**
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	5	10000
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	5	2500
3	Honararium per diem to Participants- **Obs & Gynae**	500	4	5	10000
4	Accomodation for Participants	1000	4	5	20000
5	Food to Participants and Trainers	250	6	5	7500
6	Incidental expenses	300	4	1	1200
	Total Budget Excluding TA				**51200**
7	TA for Participants-(On Actual Basis)	1000	4	1	4000
	Total including TA				**55200**
8	Institutional Over Head 15 % of total training expenses excluding TA				**8280**
	Total Budget for 1 Batch Rupees				**63480**
	Total Budget for 15 Batches in Lacs				**9.52**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR– RCH.1.10.IEC.1)**–सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु धनराशि निम्नानुसार व्यय की जानी हैः–

क्रम	मद	दर रू0 में
1	RMP Opinion Form Booklet	150.00
2	Consent Form Registers	150.00

3	MTP Reporting Formats (Form-2) booklet	150.00
4	Admission Registers	150.00
5	Evacuation Registers	150.00
6	Form D Registers	150.00
7	Form E Registers	150.00
8.	MMA Cards	10.00

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण करवाना सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सामग्री मुद्रित कराकर, समुचित रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाए। मुद्रण हेतु उक्त सामग्रियों का प्रोटोटाईप व स्पेसिफिकेशन गाईडलाईन के साथ पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। उक्त हेतु सम्बंधित जनपद वार निम्न धनराशि निर्गत की जा रही है –

	Printing of 07 Registers under Comprehensive Abortion Care									
Sl.No	**District**	**Total DH/ DCH/ DWH**	**Set of 07 Registers of CAC formats**	**Total Posters for DH/DCH /DWH @02 sets of 07 regiseters**	**CHCs (FRU/NFRU)**	**Set of 07 posters in CHCs (FRU/NFRU)**	**Total Posters for CHCs @02 set of 07 Registers**	**Total sets of 07 registers to be printed for DH/DCH/DWH and CHCs(FRU/NFRU)**	**Total number of Posters to be printed**	**Total Budget approved (Rs.)**
1	Agra	2	20	140	20	55	385	75	525	78750
2	Aligarh	3	25	175	16	50	350	75	525	78750
3	Allahabad	2	16	112	22	34	238	50	350	52500
4	Ambedkar Nagar	1	10	70	11	65	455	75	525	78750
5	Auraiya	2	15	105	9	35	245	50	350	52500
6	Azamgarh	2	10	70	30	40	280	50	350	52500
7	Baghpat	1	10	70	8	40	280	50	350	52500
8	Bahraich	2	15	105	17	35	245	50	350	52500
9	Ballia	2	10	70	23	40	280	50	350	52500
10	Balrampur	3	12	84	14	38	266	50	350	52500
11	Banda	2	10	70	11	40	280	50	350	52500
12	Bara Banki	2	12	84	20	38	266	50	350	52500
13	Bareilly	1	15	105	17	35	245	50	350	52500
14	Basti	3	15	105	17	35	245	50	350	52500
15	Bhadohi	2	10	70	7	40	280	50	350	52500
16	Bijnor	2	15	105	22	60	420	75	525	78750
17	Budaun	2	10	70	19	40	280	50	350	52500
18	Bulandshahr	5	15	105	22	35	245	50	350	52500
19	Chandauli	3	15	105	13	35	245	50	350	52500
20	Chitrakoot	1	10	70	7	40	280	50	350	52500
21	CSM Nagar	1	10	70	13	40	280	50	350	52500
22	Deoria	2	12	84	28	38	266	50	350	52500
23	Etah	2	12	84	11	38	266	50	350	52500
24	Etawah	2	12	84	10	38	266	50	350	52500
25	Faizabad	3	15	105	14	35	245	50	350	52500
26	Farrukhabad	3	15	105	11	35	245	50	350	52500
27	Fatehpur	2	10	70	20	40	280	50	350	52500
28	Firozabad	3	15	105	15	35	245	50	350	52500
29	G B Nagar	1	10	70	9	40	280	50	350	52500
30	Ghaziabad	3	20	140	8	30	210	50	350	52500
31	Ghazipur	2	10	70	20	40	280	50	350	52500
32	Gonda	2	10	70	18	40	280	50	350	52500
33	Gorakhpur	2	12	84	23	38	266	50	350	52500
34	Hamirpur	2	10	70	9	40	280	50	350	52500
35	Hapur	1	15	105	5	60	420	75	525	78750
36	Hardoi	2	12	84	22	38	266	50	350	52500
37	Hathras	2	10	70	9	40	280	50	350	52500

38	J p Nagar	1	10	70	9	40	280	50	350	52500
39	Jalaun	2	12	84	11	38	266	50	350	52500
40	Jaunpur	2	10	70	22	40	280	50	350	52500
41	Jhansi	2	15	105	10	35	245	50	350	52500
42	Kannauj	1	15	105	12	60	420	75	525	78750
43	Kanpur Dehat	2	10	70	17	40	280	50	350	52500
44	Kanpur Nagar	4	20	140	14	30	210	50	350	52500
45	Kanshiram Nagar	1	10	70	8	40	280	50	350	52500
46	Kaushambi	1	10	70	11	40	280	50	350	52500
47	Kheri	2	12	84	19	38	266	50	350	52500
48	Kushinagar	1	10	70	16	40	280	50	350	52500
49	Lalitpur	2	12	84	8	38	266	50	350	52500
50	Lucknow	7	20	140	27	30	210	50	350	52500
51	Mahoba	2	10	70	7	40	280	50	350	52500
52	Mahrajganj	1	10	70	18	40	280	50	350	52500
53	Mainpuri	2	12	84	16	38	266	50	350	52500
54	Mathura	3	15	105	14	35	245	50	350	52500
55	Mau	2	10	70	11	40	280	50	350	52500
56	Meerut	2	10	70	14	40	280	50	350	52500
57	Mirzapur	2	15	105	18	60	420	75	525	78750
58	Moradabad	2	10	70	10	40	280	50	350	52500
59	Muzaffarnagar	2	20	140	15	55	385	75	525	78750
60	Pilibhit	2	12	84	10	38	266	50	350	52500
61	Pratapgarh	2	12	84	19	38	266	50	350	52500
62	Rae Bareli	2	10	70	19	40	280	50	350	52500
63	Rampur	2	10	70	9	40	280	50	350	52500
64	Saharanpur	2	20	140	18	55	385	75	525	78750
65	Sambhal	1	10	70	10	40	280	50	350	52500
66	Sant Kabir Nagar	1	10	70	10	40	280	50	350	52500
67	Shahjahanpur	2	15	105	19	35	245	50	350	52500
68	Shamli	1	10	70	7	40	280	50	350	52500
69	Shrawasti	1	10	70	7	40	280	50	350	52500
70	Siddharth Nagar	1	10	70	16	40	280	50	350	52500
71	Sitapur	2	15	105	22	35	245	50	350	52500
72	Sonbhadra	1	10	70	11	40	280	50	350	52500
73	Sultanpur	2	12	84	15	38	266	50	350	52500
74	Unnao	2	15	105	23	35	245	50	350	52500
75	Varanasi	3	25	175	17	50	350	75	525	78750
	Grand Total	**151**	**964**	**6748**	**1109**	**3036**	**21252**	**4000**	**28000**	**4200000**

Printing of MMA Cards under Comprehensive Abortion Care services

Sl.No	District	Total DH/DCH/ DWH	MMA Cards for DH/DCH /DWH	Total CHCs (FRU/NFRU)	MMA Cards for CHCs (FRU/ NFRUs)	Total PHC	MMA Cards for PHCs	Total number of Cards to be printed	Total Budget approved (Rs.)
1	Agra	2	200	20	500	40	300	1000	10000
2	Aligarh	3	200	16	500	40	300	1000	10000
3	Allahabad	2	200	22	500	40	300	1000	10000
4	Ambedkar Nagar	1	200	11	200	20	200	600	6000
5	Auraiya	2	200	9	200	22	200	600	6000
6	Azamgarh	2	200	30	500	40	300	1000	10000
7	Baghpat	1	200	8	200	24	200	600	6000
8	Bahraich	2	200	17	200	40	200	600	6000
9	Ballia	2	200	23	200	40	200	600	6000
10	Balrampur	3	200	14	200	25	200	600	6000
11	Banda	2	200	11	500	40	300	1000	10000
12	Bara Banki	2	200	20	200	40	200	600	6000
13	Bareilly	1	200	17	200	40	200	600	6000
14	Basti	3	200	17	500	37	300	1000	10000
15	Bhadohi	2	200	7	200	40	200	600	6000

16	Bijnor	2	200	22	200	40	200	600	6000
17	Budaun	2	200	19	200	40	200	600	6000
18	Bulandshahr	5	200	22	200	24	200	600	6000
19	Chandauli	3	200	13	200	24	200	600	6000
20	Chitrakoot	1	200	7	200	40	200	600	6000
21	CSM Nagar	1	200	13	200	20	200	600	6000
22	Deoria	2	200	28	200	27	200	600	6000
23	Etah	2	200	11	200	40	200	600	6000
24	Etawah	2	200	10	200	26	200	600	6000
25	Faizabad	3	200	14	200	40	200	600	6000
26	Farrukhabad	3	200	11	200	19	200	600	6000
27	Fatehpur	2	200	20	200	12	200	600	6000
28	Firozabad	3	200	15	200	40	200	600	6000
29	G B Nagar	1	200	9	200	40	200	600	6000
30	Ghaziabad	3	200	8	500	40	300	1000	10000
31	Ghazipur	2	200	20	200	23	200	600	6000
32	Gonda	2	200	18	200	33	200	600	6000
33	Gorakhpur	2	200	23	500	26	300	1000	10000
34	Hamirpur	2	200	9	200	23	200	600	6000
35	Hapur	1	200	5	200	30	200	600	6000
36	Hardoi	2	200	22	200	40	200	600	6000
37	Hathras	2	200	9	200	40	200	600	6000
38	J p Nagar	1	200	9	200	22	200	600	6000
39	Jalaun	2	200	11	200	34	200	600	6000
40	Jaunpur	2	200	22	200	14	200	600	6000
41	Jhansi	2	200	10	200	39	200	600	6000
42	Kannauj	1	100	12	200	37	200	500	5000
43	Kanpur Dehat	2	200	17	200	40	200	600	6000
44	Kanpur Nagar	4	200	14	200	40	200	600	6000
45	Kanshiram Nagar	1	200	8	200	40	200	600	6000
46	Kaushambi	1	200	11	200	27	200	600	6000
47	Kheri	2	200	19	200	40	200	600	6000
48	Kushinagar	1	200	16	200	22	200	600	6000
49	Lalitpur	2	200	8	200	40	200	600	6000
50	Lucknow	7	200	27	500	19	300	1000	10000
51	Mahoba	2	200	7	200	39	200	600	6000
52	Mahrajganj	1	200	18	200	9	200	600	6000
53	Mainpuri	2	200	16	200	9	200	600	6000
54	Mathura	3	200	14	200	40	200	600	6000
55	Mau	2	200	11	200	20	200	600	6000
56	Meerut	2	200	14	200	40	200	600	6000
57	Mirzapur	2	200	18	200	40	200	600	6000
58	Moradabad	2	200	10	500	31	300	1000	10000
59	Muzaffarnagar	2	200	15	200	37	200	600	6000
60	Pilibhit	2	200	10	200	40	200	600	6000
61	Pratapgarh	2	200	19	200	40	200	600	6000
62	Rae Bareli	2	200	19	200	26	200	600	6000
63	Rampur	2	100	9	200	13	200	500	5000
64	Saharanpur	2	200	18	500	40	300	1000	10000
65	Sambhal	1	200	10	200	31	200	600	6000
66	Sant Kabir Nagar	1	200	10	200	40	200	600	6000
67	Shahjahanpur	2	200	19	200	31	200	600	6000
68	Shamli	1	200	7	200	40	200	600	6000
69	Shrawasti	1	200	7	200	40	200	600	6000
70	Siddharth Nagar	1	200	16	200	37	200	600	6000
71	Sitapur	2	200	22	200	14	200	600	6000
72	Sonbhadra	1	200	11	200	31	200	600	6000
73	Sultanpur	2	200	15	200	15	200	600	6000
74	Unnao	2	200	23	500	26	300	1000	10000
75	Varanasi	3	200	17	500	40	300	1000	10000
	Grand Total	**151**	**14800**	**1109**	**18900**	**2398**	**16300**	**50000**	**500000**

- **सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु विविध व्यय (FMR– RCH.1.10.CB.4)–**
  सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के 12 जनपद–आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चन्दौली, एवं सहारनपुर में प्रशिक्षण केन्द्र का सुदृढ़ीकरण Ipas संस्था के सहयोग से किया जाना है। इस हेतु फर्नीचर, पर्दे/पारदर्शी ग्लास, परीक्षण टेबल, वॉश–बेसिन में एल्बो टैप, प्रचार–प्रसार सामग्री, स्लीपर स्टैण्ड, उपकरण इत्यादि के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य विविध मदों में वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए धनराशि नियमानुसार व्यय की जानी है। उक्त गतिविधि में होने वाले व्यय हेतु **प्रति जनपद धनराशि रू0 50,000.00 का प्राविधान** किया गया है।
- **सुरक्षित गर्भपात के अर्न्तगत औषधियों द्वारा गर्भपात का प्रशिक्षण :(FMR– RCH.1.10.CB.5)–**
  सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए नये कदम स्वरुप औषधियों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण कराना तय किया गया है। जिसके अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम में औषधियों द्वारा गर्भपात विशिष्ट (डड।) का प्रशिक्षण राज्य के 14 सुरक्षित गर्भपात प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाना है । उक्त प्रशिक्षण 04 दिवसीय होगा, जिसके प्रत्येक बैच में 10 एम0बी0बी0एस0 सेवा प्रदाता प्रशिक्षित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण आइपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा 04 दिवसीय प्रशिक्षित सेवा प्रदाता अपने स्वास्थ्य इकाइयों पर मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन की सेवाएं दे सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु संबधित जनपदों द्वारा **प्रति बैचवार धनराशि रु० 1,35,550/-उपयोग** हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं –

CAC -MMA Training					
Site of training		Disrticts			
Duration of Training		4 working days for doctors			
Number of trainees		10 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	**Budget Head**	**Rate**	**No. of participants**	**Days**	**Total (Rs.)**
1	TA - Mos	2000	10	1	20000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	4	8000
3	Honorarium per diem to participants - Mos	500	10	4	20000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	10	4	60000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	10	4	10000
6	Refreshment to trainers	250	2	4	2000
7	Stationary including certificate	150	10	1	1500
8	Training Manual	350	10	1	3500
	Sub total				**125000**
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				**10500**
	Total				**135500**

- **सुरक्षित गर्भपात के अर्न्तगत दीवार लेखनः(FMR– RCH.1.10.IEC.2)–** सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की जानकारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जनपद के जिला महिला चिकित्सालय/ जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं प्रथम संदर्भन इकाइयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं सम्बन्धी जानकारी का वाल पेन्टिंग किया जाना है। **प्रति वाल पेन्टिंग धनराशि रु0 2000/–प्राविधानित** है। वाल पेन्टिंग हेतु विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा। वाल पेन्टिंग कराये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। डिजीटल वाल पेन्टिंग कराये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

Budget Allocation FY 2022-23 CAC Program				
SL.No	**District**	**Wall Writing on CAC program**	**Budget @2000/- per wall writing (In Rs.)**	**Printing of CAC posters @6000/- per district (In Rs.)**
		FMR-RCH.1.10.IEC.2		**FMR-RCH.1.10.IEC.3**
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	7	14000	6000
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	7	14000	6000
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000

4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	5	10000	6000
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	5	10000	6000
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	5	10000	6000
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	6	12000	6000
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	7	14000	6000
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
16	DHS, Budaun [NHMUP]	5	10000	6000
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	5	10000	6000
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	5	10000	6000
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	5	10000	6000
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	5	10000	6000
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	6	12000	6000
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	5	10000	6000
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	5	10000	6000
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	5	10000	6000
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	6	12000	6000
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	7	14000	6000
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	5	10000	6000
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	5	10000	6000
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	7	14000	6000
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	5	10000	6000
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	5	10000	6000
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	7	14000	6000
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	5	10000	6000
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	7	14000	6000
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	5	10000	6000
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	5	10000	6000
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	7	14000	6000
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	6	12000	6000
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	6	12000	6000
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	5	10000	6000
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	5	10000	6000
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	6	12000	6000
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	6	12000	6000
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	5	10000	6000
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000

66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	5	10000	6000
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	5	10000	6000
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	5	10000	6000
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	5	10000	6000
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	5	10000	6000
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	7	14000	6000
Total		**400**	**800000**	**450000**

- **सुरक्षित गर्भपात आइ0ई0सी0 के अर्न्तगत पोस्टर्स का मुद्रण :(FMR– RCH.1.10.IEC.3)–**

सुरक्षित गर्भपात सेवाओं केअंतर्गत वर्ष 2021 में हुए एम्0टी0पी0 एक्ट संशोधन 2021 के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जनपद के जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय/प्रथम संदर्भन इकाई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पोस्टर प्रदर्शन किया जाना है। पोस्टर हेतु विषय वस्तु के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जाएगा। **प्रति पोस्टर धनराशि रु0 25/– प्राविधानित** है। पोस्टर लगाये जाने के उपरान्त् साक्ष्य/प्रमाण हेतु फोटोग्राफ आवश्यक रूप से संरक्षित रखे जायें ताकि समय जरूरत पर साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये। पोस्टर लगाये जाने हेतु जनपदवार धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है :–

Printing of 2 posters of family planning schemes & different methods

Sl.No	District	Total DH/DCH/DWH	Set of 02 posters in DCH/DWH/DH	Posters for DH/DCH/DWH @5 sets of 02 posters (07 Set of MTP Amendment and 07 set of PAFP)	Total CHCs (FRU/NFRU)	Set of 02 posters in CHCs (FRU/NFRU)	Posters for CHCs @ 2 set of 2 posters (05 Set of MTP Amendment and 05 set of PAFP)	Total PHC	Set of 2 posters in PHCs	Posters for PHCs @ 1 set of 2 posters	No. of total sets (02 poster in each set) for DH/DCH/DWH/CHCs/PHCs to be printed	Total number of Posters to be printed	Total Budget approved (Rs.)
1	Agra	2	14	28	20	100	200	40	40	80	154	308	7700
2	Aligarh	3	21	42	16	80	160	40	40	80	141	282	7050
3	Allahabad	2	14	28	22	110	220	40	40	80	164	328	8200
4	Ambedkar Nagar	1	7	14	11	55	110	20	20	40	82	164	4100
5	Auraiya	2	14	28	9	45	90	22	22	44	81	162	4050
6	Azamgarh	2	14	28	30	150	300	40	40	80	204	408	10200
7	Baghpat	1	7	14	8	40	80	24	24	48	71	142	3550
8	Bahraich	2	14	28	17	85	170	40	40	80	139	278	6950
9	Ballia	2	14	28	23	115	230	40	40	80	169	338	8450
10	Balrampur	3	21	42	14	70	140	25	25	50	116	232	5800
11	Banda	2	14	28	11	55	110	40	40	80	109	218	5450
12	Bara Banki	2	14	28	20	100	200	40	40	80	154	308	7700
13	Bareilly	1	7	14	17	85	170	40	40	80	132	264	6600
14	Basti	3	21	42	17	85	170	37	37	74	143	286	7150
15	Bhadohi	2	14	28	7	35	70	40	40	80	89	178	4450
16	Bijnor	2	14	28	22	110	220	40	40	80	164	328	8200
17	Budaun	2	14	28	19	95	190	40	40	80	149	298	7450
18	Bulandshahr	5	35	70	22	110	220	24	24	48	169	338	8450
19	Chandauli	3	21	42	13	65	130	24	24	48	110	220	5500
20	Chitrakoot	1	7	14	7	35	70	40	40	80	82	164	4100
21	CSM Nagar	1	7	14	13	65	130	20	20	40	92	184	4600
22	Deoria	2	14	28	28	140	280	27	27	54	181	362	9050
23	Etah	2	14	28	11	55	110	40	40	80	109	218	5450
24	Etawah	2	14	28	10	50	100	26	26	52	90	180	4500
25	Faizabad	3	21	42	14	70	140	40	40	80	131	262	6550
26	Farrukhabad	3	21	42	11	55	110	19	19	38	95	190	4750
27	Fatehpur	2	14	28	20	100	200	12	12	24	126	252	6300
28	Firozabad	3	21	42	15	75	150	40	40	80	136	272	6800

Printing of 2 posters of family planning schemes & different methods													
Sl.No	District	Total DH/DCH/DWH	Set of 02 posters in DCH/DWH/DH	Posters for DH/DCH/DWH @5 sets of 02 posters (07 Set of MTP Amendment and 07 set of PAFP)	Total CHCs (FRU/NFRU)	Set of 02 posters in CHCs (FRU/NFRU)	Posters for CHCs @ 2 set of 2 posters (05 Set of MTP Amendment and 05 set of PAFP)	Total PHC	Set of 2 posters in PHCs	Posters for PHCs @ 1 set of 2 posters	No. of total sets (02 poster in each set) for DH/DCH/DWH/CHCs/PHCs to be printed	Total number of Posters to be printed	Total Budget approved (Rs.)
29	G B Nagar	1	7	14	9	45	90	40	40	80	92	184	4600
30	Ghaziabad	3	21	42	8	40	80	40	40	80	101	202	5050
31	Ghazipur	2	14	28	20	100	200	23	23	46	137	274	6850
32	Gonda	2	14	28	18	90	180	33	33	66	137	274	6850
33	Gorakhpur	2	14	28	23	115	230	26	26	52	155	310	7750
34	Hamirpur	2	14	28	9	45	90	23	23	46	82	164	4100
35	Hapur	1	7	14	5	25	50	30	30	60	62	124	3100
36	Hardoi	2	14	28	22	110	220	40	40	80	164	328	8200
37	Hathras	2	14	28	9	45	90	40	40	80	99	198	4950
38	J p Nagar	1	7	14	9	45	90	22	22	44	74	148	3700
39	Jalaun	2	14	28	11	55	110	34	34	68	103	206	5150
40	Jaunpur	2	14	28	22	110	220	14	14	28	138	276	6900
41	Jhansi	2	14	28	10	50	100	39	39	78	103	206	5150
42	Kannauj	1	7	14	12	60	120	37	37	74	104	208	5200
43	Kanpur Dehat	2	14	28	17	85	170	40	40	80	139	278	6950
44	Kanpur Nagar	4	28	56	14	70	140	40	40	80	138	276	6900
45	Kanshiram Nagar	1	7	14	8	40	80	40	40	80	87	174	4350
46	Kaushambi	1	7	14	11	55	110	27	27	54	89	178	4450
47	Kheri	2	14	28	19	95	190	40	40	80	149	298	7450
48	Kushinagar	1	7	14	16	80	160	22	22	44	109	218	5450
49	Lalitpur	2	14	28	8	40	80	40	40	80	94	188	4700
50	Lucknow	7	49	98	27	135	270	19	19	38	203	406	10150
51	Mahoba	2	14	28	7	35	70	39	39	78	88	176	4400
52	Mahrajganj	1	7	14	18	90	180	9	9	18	106	212	5300
53	Mainpuri	2	14	28	16	80	160	9	9	18	103	206	5150
54	Mathura	3	21	42	14	70	140	40	40	80	131	262	6550
55	Mau	2	14	28	11	55	110	20	20	40	89	178	4450
56	Meerut	2	14	28	14	70	140	40	40	80	124	248	6200
57	Mirzapur	2	14	28	18	90	180	40	40	80	144	288	7200
58	Moradabad	2	14	28	10	50	100	31	31	62	95	190	4750
59	Muzaffarnagar	2	14	28	15	75	150	37	37	74	126	252	6300
60	Pilibhit	2	14	28	10	50	100	40	40	80	104	208	5200
61	Pratapgarh	2	14	28	19	95	190	40	40	80	149	298	7450
62	Rae Bareli	2	14	28	19	95	190	26	26	52	135	270	6750
63	Rampur	2	14	28	9	45	90	13	13	26	72	144	3600
64	Saharanpur	2	14	28	18	90	180	40	40	80	144	288	7200
65	Sambhal	1	7	14	10	50	100	31	31	62	88	176	4400
66	Sant Kabir Nagar	1	7	14	10	50	100	40	40	80	97	194	4850
67	Shahjahanpur	2	14	28	19	95	190	31	31	62	140	280	7000
68	Shamli	1	7	14	7	35	70	40	40	80	82	164	4100
69	Shrawasti	1	7	14	7	35	70	40	40	80	82	164	4100
70	Siddharth Nagar	1	7	14	16	80	160	37	37	74	124	248	6200
71	Sitapur	2	14	28	22	110	220	14	14	28	138	276	6900
72	Sonbhadra	1	7	14	11	55	110	31	31	62	93	186	4650
73	Sultanpur	2	14	28	15	75	150	15	15	30	104	208	5200
74	Unnao	2	14	28	23	115	230	26	26	52	155	310	7750
75	Varanasi	3	21	42	17	85	170	40	40	80	146	292	7300
	Grand Total	**151**	**1057**	**2114**	**1109**	**5545**	**11090**	**2398**	**2398**	**4796**	**9000**	**18000**	**450000**

- **क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षित गर्भपात कार्यक्रम की समीक्षा बैठकः(FMR– RCH.1.10 PME)**—सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं रणनीति नियोजन हेतु राज्य के 05 क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाओं का आयोजन वित्तीय वर्ष 2022—23 में आयोजित किया जाना है। इन समीक्षा बैठकों में चिकित्साधिकारी, अपर

मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अफसर (परिवार कल्याण), प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर , जिला लेखा प्रबंधक, मंडलीय एवं जनपदीय एफ0पी0–एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स, एवं जिला फॅमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट आदि प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियो द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता आदि की समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु रु0 1,00,000/–प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है।

- **सुरक्षित गर्भपातसेवाओं के अर्न्तगत एम0 वी0 ए0 किट का क्रयः(FMR– RCH.1.10.EQ)–**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सुरक्षित गर्भसमापन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एम0 वी0 ए0 किट का क्रय किया जाना है। एम0 वी0 ए0 किट का वितरण ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों पर किया जाना है जहॉ पर पूर्व से प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं या इस वर्ष प्रशिक्षित किये जा रहे हैं। उक्त हेतु सम्बन्धित जनपदों हेतु धनराशि का प्राविधान निम्न तालिकानुसार है–

Budget Allocation FY 2022-23 CAC Program			
SL.No	**District**	**Procurement of MVA Kit for safe abortion budget allocation**	**Procurement of MVA Kits @ Rs.3000/kit (In Rs.)**
FMR Code-RCH.1.10.EQ			
1	DHS, AGRA, UP [NHMUP]	100	300000.00
2	DHS, ALIGARH, UP [NHMUP]	100	300000.00
3	DHS, AMBEDKAR NAGAR, UP [NHMUP]	50	150000.00
4	DHS, AMETHI, UP [NHMUP]	30	90000.00
5	DHS, AURAIYA, UP [NHMUP]	20	60000.00
6	DHS, AZAMGARH, UP [NHMUP]	20	60000.00
7	DHS, BAGHPAT, UP [NHMUP]	20	60000.00
8	DHS, BAHRAICH, UP [NHMUP]	30	90000.00
9	DHS, BALLIA, UP [NHMUP]	30	90000.00
10	DHS, BALRAMPUR, UP [NHMUP]	50	150000.00
11	DHS, BANDA, UP [NHMUP]	20	60000.00
12	DHS, BARABANKI, UP [NHMUP]	20	60000.00
13	DHS, BAREILLY, UP [NHMUP]	20	60000.00
14	DHS, BASTI, UP [NHMUP]	70	210000.00
15	DHS, BIJNOR, UP [NHMUP]	50	150000.00
16	DHS, Budaun [NHMUP]	40	120000.00
17	DHS, BULANDSHAHAR, UP [NHMUP]	20	60000.00
18	DHS, CHANDAULI [NHMUP]	20	60000.00
19	DHS, CHITRAKOOT, UP [NHMUP]	100	300000.00
20	DHS, DEORIA, UP [NHMUP]	50	150000.00
21	DHS, ETAH, UP [NHMUP]	30	90000.00
22	DHS, ETAWAH, UP [NHMUP]	30	90000.00
23	DHS, AYODHYA, UP [NHMUP]	30	90000.00
24	DHS, FARRUKHABAD, UP [NHMUP]	40	120000.00
25	DHS, FATEHPUR, UP [NHMUP]	50	150000.00
26	DHS, FIROZABAD, UP [NHMUP]	20	60000.00
27	DHS, GAUTAM BUDDH NAGAR, UP [NHMUP]	20	60000.00
28	DHS, GHAZIABAD, UP [NHMUP]	100	300000.00
29	DHS, GHAZIPUR, UP [NHMUP]	20	60000.00
30	DHS, GONDA, UP [NHMUP]	100	300000.00
31	DHS, GORAKHPUR, UP [NHMUP]	30	90000.00
32	DHS, HAMIRPUR, UP [NHMUP]	20	60000.00
33	DHS, HAPUR, UP [NHMUP]	100	300000.00
34	DHS, HARDOI, UP [NHMUP]	30	90000.00
35	DHS, HATHRAS, UP [NHMUP]	20	60000.00
36	DHS, JALAUN, UP [NHMUP]	50	150000.00
37	DHS, JAUNPUR, UP [NHMUP]	40	120000.00
38	DHS, JHANSI, UP [NHMUP]	40	120000.00
39	DHS, JYOTIBA PHULE NAGAR, UP [NHMUP]	40	120000.00
40	DHS, KANNAUJ, UP [NHMUP]	100	300000.00
41	DHS, KANPUR DEHAT, UP [NHMUP]	30	90000.00
42	DHS, KANPUR NAGAR, UP [NHMUP]	30	90000.00

Budget Allocation FY 2022-23 CAC Program			
SL.No	**District**	**Procurement of MVA Kit for safe abortion budget allocation**	**Procurement of MVA Kits @ Rs.3000/kit (In Rs.)**
FMR Code-RCH.1.10.EQ			
43	DHS, KASGANJ, UP [NHMUP]	20	60000.00
44	DHS, KAUSHAMBI, UP [NHMUP]	20	60000.00
45	DHS, LAKHIMPUR KHERI, UP [NHMUP]	20	60000.00
46	DHS, KUSHINAGAR, UP [NHMUP]	40	120000.00
47	DHS, LALITPUR, UP [NHMUP]	20	60000.00
48	DHS, LUCKNOW, UP [NHMUP]	20	60000.00
49	DHS, MAHARAJGANJ, UP [NHMUP]	100	300000.00
50	DHS, MAHOBA, UP [NHMUP]	20	60000.00
51	DHS, MAINPURI, UP [NHMUP]	20	60000.00
52	DHS, MATHURA, UP [NHMUP]	20	60000.00
53	DHS, MAU, UP [NHMUP]	20	60000.00
54	DHS, MEERUT, UP [NHMUP]	20	60000.00
55	DHS, MIRZAPUR, UP [NHMUP]	100	300000.00
56	DHS, MORADABAD, UP [NHMUP]	20	60000.00
57	DHS, MUZAFFARNAGAR, UP [NHMUP]	20	60000.00
58	DHS, PILIBHIT, UP [NHMUP]	40	120000.00
59	DHS, PRATAPGARH, UP [NHMUP]	30	90000.00
60	DHS, PRAYAGRAJ, UP [NHMUP]	70	210000.00
61	DHS, RAEBARELI, UP [NHMUP]	20	60000.00
62	DHS, RAMPUR, UP [NHMUP]	20	60000.00
63	DHS, SAHARANPUR, UP [NHMUP]	40	120000.00
64	DHS, SAMBHAL, UP [NHMUP]	20	60000.00
65	DHS, SANTKABIR NAGAR, UP [NHMUP]	30	90000.00
66	DHS, SANT RAVIDAS NAGAR, UP [NHMUP]	20	60000.00
67	DHS, SHAHJAHANPUR, UP [NHMUP]	40	120000.00
68	DHS, SHAMLI, UP [NHMUP]	20	60000.00
69	DHS, SHRAWASTI, UP [NHMUP]	20	60000.00
70	DHS, SIDDHARTH NAGAR [NHMUP]	50	150000.00
71	DHS, SITAPUR, UP [NHMUP]	20	60000.00
72	DHS, SONBHADRA, UP [NHMUP]	20	60000.00
73	DHS, SULTANPUR, UP [NHMUP]	30	90000.00
74	DHS, UNNAO, UP [NHMUP]	100	300000.00
75	DHS, VARANASI, UP [NHMUP]	100	300000.00
Total		**3000**	**9000000.00**

6. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते है। किशोर आयु वर्ग (10–19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा हैं। किशोरों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत और समावेशी विकास में योगदान कर सके।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक समग्र मॉडल पर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत क्लीनिक एवं समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर ज़ोर देते हुए निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज़ बनाना इसमें सम्मिलित है। इस रणनीति के अर्न्तगत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता–आशा, ए.एन.एम, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, पियर एजूकेटर और नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सकें।

वर्तमान में इस कार्यक्रम के सम्पूर्ण घटक चयनित 25 जनपदों मे संचालित है। पीयर एजुकेटर कार्यक्रम से आच्छादित होने के कारण इन्हें पीयर एजुकेटर जनपद (PE Districts) कहा जा रहा है। इन जनपदों में जनपदीय चिकित्सालय एवं ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता कार्यरत है। इन ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर द्वारा किशोरों को दिये जाने वाले परामर्श के साथ–साथ सम्बन्धित ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र में क्रियान्वित किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में समन्वय भी स्थापित किया जायेगा। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा समस्त ब्लॉक/शहरी किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर से संकलित रिपोर्ट के आधार पर जनपदीय कार्यक्रम की सूचना की समीक्षा करते हुये जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जायेगी। जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट के सहयोग से जनपदीय नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम को गति देने एवं सुधार के लिये आवश्यक पत्राचार/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

शेष 50 जनपदों को पीयर एजुकेटर रहित जनपद (Non PE Districts) कहा जायेगा/इन जनपदों में कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का उत्तरादायित्व डी0ई0आई0सी0 मैनेजर का होगा। जिन जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट/डी0ई0आई0सी0 मैनेजर कार्यरत नहीं हैं वहां उक्त उत्तरादायित्व जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक का होगा।

समस्त जनपदों के शहरी क्षेत्रों में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियो में अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य नोडल को सहयोग दिया जाएगा।

लक्षित समूह

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है। इसमे शहरी और ग्रामीण,स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले,/विवाहित अविवाहित तथा असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियॉ–

1. इकाई आधारित–

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) का सुदृढ़ीकरण Strengthening of Adolescent Friendly Health Clinic

2. समुदाय आधारित–

- साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम (WIFS)
- साथिया (पियर एजूकेशन) कार्यक्रम
- माहवारी स्वच्छता योजना (Menstrual Hygiene Scheme) के अर्न्तगत किशोरी सुरक्षा योजना।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशियां स्वीकृत की गई है, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(I) साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक):– (केवल 57 जनपद हेतु)

जनपदों में मेडिकल कालेज/जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना पत्रांकः प0क0/08–प्रशि/आर0के0एस0के0/2014–15/4984–75 दिनांक : 22.12.2014 के द्वारा पूर्व में प्रेषित निर्देशों से की गई है। जिन्हें अब साथिया केन्द्र का ब्रान्ड नाम दिया गया है। स्थापित साथिया केन्द्र पर प्रशिक्षित किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर की तैनाती की गई है। साथिया केन्द्र के सफल संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं :–

- साथिया केन्द्र का संचालन प्रातः 09 बजे से सांय 04 बजे तक किया जाये।
- प्रत्येक साथिया केन्द्र हेतु अलग से कमरा, साईनेज बोर्ड, वजन मशीन, हाईटोमीटर, बी0एम0आई0 चार्ट, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, आवश्यक फर्नीचर, स्नेलेंस बाक्स विद मिरर, आई0ई0सी0 मटेरियल, क्लीनिक हेतु प्रिन्टेड रजिस्टर (क्लाईन्ट लोड रजिस्टर, सर्विस डिलिवरी रजिस्टर, आउटरीच रजिस्टर) किशोर स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि लाजिस्टिक की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित की जाये।
- गर्भनिरोधक साधन कण्डोम/ओ0सी0पी0/ई0सी0पी0/सेनेटरी नैपकिन, आयरन की नीली बड़ी गोलियां, एल्बेन्डजाल की गोलियां तथा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट आदि सी0एम0एस0डी0/स्टोर से उपलब्ध करायी जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा क्लीनिक का संचालन स्वास्थ्य इकाई की ओ0पी0डी0 के समयानुसार प्रतिदिन किया जाये।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर परामर्श सेवाओं एवं आउटरीच गतिविधियों के दौरान नेम प्लेट के साथ ऐप्रेन अवश्य पहनें।
- चिकित्सालय में प्रशिक्षित पुरूष एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकल सेवाएं अवश्य प्रदान की जायें।
- पी0ई0 वाले जनपदों में ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र पर किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 द्वारा काउन्सलर को परामर्श सेवाएं देने में सहायता प्रदान की जाए। जिन साथिया केन्द्र पर केवल पुरूष काउन्सलर है, वहां पर किशोरियों को परामर्श सेवाओं में ए0एन0एम0 के द्वारा सहयोग दिया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक दिन एक प्रशिक्षित ए0एन0एम0 की ड्यूटी क्लीनिक पर रोटेशन के आधार पर अवश्य लगाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार से कम से कम प्रत्येक ए0एन0एम0 माह में एक बार काउन्सलर को सहयोग प्रदान कर पायेगी।
- किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा माह में 08 आउटरीच गतिविधि की जाये। यह गतिविधियां स्कूल, कालेज, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस सत्र (VHND) आर0बी0एस0के0 टीम के साथ, यूथ क्लब स्वंय सहायता समूह/किशोर–किशोरी समूह व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य मेला, युवा महोत्सव, एवं अन्य ऐसे स्थानों पर जहां अधिक संख्या में किशोर–किशोरियों से मुलाकात की जा सके आदि स्थानों पर सम्पादित की जाये। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा की जायेगी
- प्रत्येक काउन्सलर/कोआर्डिनेटर के द्वारा आउटरीच गतिविधियों के लिए छः–छः माह हेतु वर्ष में 02 बार अग्रिम माईक्रोप्लान तैयार कर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। आउटरीच गतिविधियां माईक्रोप्लान के आधार पर ही की जाये इसमें बिना अनुमति किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा साथिया केन्द्र पर 02 घण्टे परामर्श सेवाएं देने के पश्चात् ही आउटरीच गतिविधियां की जाये।
- गतिविधि के दौरान निर्धारित बैनर व आई0ई0सी0 मैटेरियल का उपयोग किया जाये।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 के द्वारा काउन्सलर की आउटरीच गतिविधियों का भुगतान नियमानुसार प्रत्येक माह अवश्य करा दिया जाये।
- काउन्सलर द्वारा आर0बी0एस0के0 टीम, ए0एन0एम0 एवं अन्य चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से क्लाईन्ट लोड बढ़ाने व लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु समन्वय स्थापित किया जाये।

- रिपोर्टिंग हेतु उपलब्ध कराये गये रजिस्टर प्रतिदिन भरे जायेंगे। साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट की हार्ड कापी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/सी0एम0एस0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए। ब्लॉक एवं जिलास्तरीय/मेडीकल कालेज साथिया केन्द्र की मासिक रिपोर्ट काउन्सलर के द्वारा यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अगले माह की 5 तारीख तक अवश्य अपलोड कर दी जाये।

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) हेतु कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं उपकरण हेतुः–(केवल 57 जनपद हेतु)

वित्तीय व्यवस्थाः–

- ✓ साथिया केन्द्र में कम्प्यूटर, प्रिन्टर के क्रय एवं स्थापना सम्बंधी हेतु रु0 60000.00 प्रति साथिया केन्द्र की दर से 334 साथिया केन्द्र हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.3** पर स्वीकृत की जा रही है (कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर के स्पेसिफिकेशन पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)।
- ✓ साथिया केन्द्र में स्थापना सम्बंधी अन्य उपकरणों हेतु रु0 7000.00 प्रति साथिया केन्द्र की दर से 334 साथिया केन्द्र हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.EQ** पर स्वीकृत की जा रही है। निम्नलिखित उपकरण यदि साथिया केन्द्र पर खराब हो गये हों उनको पंजीकृत एवं ब्रांडेड कम्पनी से नियमानुसार क्रय कर साथिया केन्द्र को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

  व्यस्क डिजिटल वजन मशीन
  लम्बाई नापने हेतु हैंगिग टेप
  दृष्टि जांच के लिए गुणवत्ता परक स्नेलेन्स चार्ट (बाक्स वाला) एवं दर्पण
  बी.पी. उपकरण, स्टेथोस्कोप एवं थर्मामीटर
  अच्छी टार्च स्टील बॉडी

(कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं अन्य उपकरण जेम पोर्टल से नियमानुसार क्रय किये जायेंगे)

नवीन जनपदों में साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) की स्थापना–(18 जनपद हेतु)

जनपद–अमेठी, औरेया, बागपत, बुलदंशहर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, जालौन, अमरोहा, कानपुर देहात, कुशीनगर, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सम्भल, संतरविदास नगर, शामली, सुल्तानपुर, एवं उन्नाव (के जनपदीय महिला एवं पुरूष चिकित्सालयों में किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना की जानी है।_जनपद द्वारा चिकित्सालयों में स्थान का चिन्हीकरण अविलम्ब करके राज्य स्तर पर सूचना प्रेषित की जाये। राज्य स्तर द्वारा कांउसलर की पद रिक्तियां भर्ती होने के पश्चात क्लीनिक की स्थापना, उपकरण ऑपरेशनल व्यय एवं मोबिलिटी सपोर्ट की धनराशि आवंटित की जायेगी।

साथिया केन्द्र (किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक) हेतु ऑपरेशनल व्ययः–(केवल 57 जनपद हेतु)

मेडिकल कालेज/जनपद/सी.एच.सी. स्तरीय साथिया केन्द्र में ऑपरेशनल व्यय हेतु धनराशि का उपयोग साथिया केन्द्र हेतु वजन मशीन बी0एम0आई0 चार्ट, ऐप्रन, इण्टरनेट, आउट रीच गतिविधियों हेतु बैनर, चार्ट, फोटोकापी, पेन्सिल, स्कैच पैन एवं स्टेशनरी व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के क्रय एवं उपकरणों की मरम्मत, इत्यादि के लिये ही किया जाये। चिकित्सालय प्रभारी द्वारा काउन्सलर्स के मांगपत्र/आवश्यकतानुसार सामग्री का क्रय सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

- ✓ साथिया केन्द्र के ऑपरेशनल व्यय हेतु रु0 10000.00 प्रति वर्ष प्रति साथिया केन्द्र की दर से 336 साथिया केन्द्रों हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.1** पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा आउटरीच एक्टिविटी हेतु मोबिलिटी सपोर्टः–(केवल 53 जनपद हेतु)

काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह 08 आउटरीच सत्र किये जाने है। आउटरीच गतिविधियों का संपादन स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, यूथ क्लब, किशोर समूहों/किशोर मैत्री समूहों इत्यादि में किया जाना है। आउटरीच गतिविधि के दौरान भेजे जा रहे थीमैटिक कलेन्डर के अनुसार चर्चा/परिचर्चा

की जायेगी। साथ ही उपलब्ध कराई गई संदर्भ सामग्रियों, फ्लिप बुक, बैनर इत्यादि का उपयोग किया जायेगा।

- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- काउन्सलर/कोआर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक माह अधिकतम 8 आउटरीच गतिविधियां की जानी हैं। यदि किसी माह कम गतिविधि की गई हो तो भुगतान गतिविधि की संख्यानुसार ही किया जाए। तथा यदि आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह प्रस्तावित 8 के सापेक्ष अधिक की गई है तो अधिकतम 8 गतिविधियों का ही भुगतान किया जायेगा। एक माह की गतिविधियां दूसरे माह में समायोजित नहीं की जाएंगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकतम 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।

वित्तीय व्यवस्था :

- ✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति आउटरीच भ्रमण की दर से अधिकतम 08 आउटरीच गतिविधि प्रतिमाह 12 माह हेतु।
- ✓ किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर हेतु रू0 250.00 प्रति माह की दर से कम्युनिकेशन सपोर्ट 12 माह हेतु।

399 किशोर स्वास्थ्य कांउसलर/कोआर्डिनेटर हेतु कुल धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.1** पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु हैंण्डआउट (57 जनपद)

किशोरों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा क्लीनिकल सेवाएं प्रदान करने हेतु जनपदों में जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक की स्थापना की गई/जा रही है। क्लीनिक पर आने वाले लाभार्थियों को देने के लिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के 06 मुख्य विषयों पर आधारित 06 प्रकार के हैण्डआउट प्रति क्लीनिक 6000 (1000 प्रति विषय) की व्यवस्था की गयी है।

मुद्रित कराने जाने वाले प्रस्तावित हैंण्डआउटस के मानक निम्नवत् हैं :–

Particulars	Specification
Handouts of 6 types for Sathiya Kendra	8"X5" (Leaves), back to back printing, 4+4 colours, 130 gsm art paper

उपरोक्त हैंण्डआउट को नियमानुसार मुद्रण कराकर सम्बंधित साथिया केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। हैंण्डआउट का उपयोग कांउसलर द्वारा अपनी क्लीनिक पर तथा आउटरीच गतिविधियों के दौरान भी किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक के लिए हैंण्डआउट की प्रिन्टिंग हेतु रू0 3.50 प्रति हैंण्डआउट की दर से 399 साथिया केन्द्रों हेतु धनराशि **एफ.एम.आर कोड RCH.5.35.IEC.1** पर धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक हेतु ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर के मुद्रण हेतु (57 जनपद)

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रदान की जा रही सेवाओं की रिर्पोटिंग एवं रिर्काडिंग हेतु प्रत्येक क्लीनिक के लिए ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर की व्यवस्था की गयी है। रजिस्टर एवं ए.एफ.एच.एस. कार्ड का मुद्रण कराकर प्रत्येक क्लीनिक पर उपलब्ध कराया जाये, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

- ✓ क्लीनिक्स हेतु 3000 कार्ड प्रति क्लीनिक हेतु प्रति कार्ड रु0 1.00 की दर से।
- ✓ क्लीनिक्स के लिए प्रति क्लीनिक 02 रजिस्टर की दर से रु0 150 प्रति रजिस्टर की दर से।

मुद्रित कराने जाने वाले प्रस्तावित ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर के मानक निम्नवत् हैं :–

S. No.	Particulars	Specification
1.	AFHS Card	Size 5.25"x9.25", Both side printing single colour,100 GSM Card sheet. Colour of card sheet – Pink
2.	AFHS register	14"X 11.50" (Total 240 Pages including cover pages printing in 2 colors, both side 80 GSM, Maplitho, Cover 4+4 colours, hard case binding with Kappa Board, Thread stitching, BOPP lamination on cover
3.	AFHS outreach register	12"X 8..50" (Total 100 Pages including cover pages printing in 2 colors, both side 80 GSM, Maplitho, Cover 4+4 colours, hard case binding with Kappa Board, Thread stitching, BOPP lamination on cover

वित्तीय व्यवस्थाः 399 साथिया केन्द्रों के ए0एफ0एच0एस0 कार्ड एवं रजिस्टर हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.IEC.2** पर स्वीकृत की जा रही हैं।

जनपद स्तरीय आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठकः–(75 जनपद हेतु)–

समस्त जनपदों में आर0के0एस0के0 की समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है। उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में कुल 04 त्रैमासिक एवं शेष 50 जनपदों में कुल 02 छमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी। बैठक में विफ्स, ए0एफ0एच0सी0, एम0एच0एस0, पीयर एजुकेशन कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी। बैठक में सहयोगी विभागों/टी0एस0जी0 पार्टनर के प्रतिनिधि तालिकानुसार जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

क्र.सं.	जनपदीय स्तरीय प्रतिभागी	ब्लॉक स्तरीय प्रतिभागी
1	जनपदीय नोडल अधिकारी, आर.के.एस.के./ समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
2	जिला विद्यालय निरीक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं नगर शिक्षा अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी	स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी
5	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं डी0सी0पी0एम0	बी.पी.एम.
6	आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट एवं डी.ई.आई.सी. मैनेजर	आर0बी0एस0के0 टीम के टीम लीडर
7	अर्बन हैल्थ कोऑर्डिनेटर	ए.एफएच.एस. काउन्सलर (ब्लॉक/शहरी)

जनपदीय नोडल अधिकारी बैठक हेतु स्थान का निर्धारण, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था बैठक से पूर्व अवश्य सुनिश्चित करेंगे।

- ✓ बैठक आयोजन से पूर्व सभी प्रतिभागियों एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों को ससमय सूचित किया जाये।
- ✓ आयोजन के सात दिनों के भीतर प्रतिभागियों की सूची सहित विस्तृत कार्यवृत्त सहयोगी विभागों एवं राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :–

जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु 10 ब्लॉक से कम वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 5000.00 तथा 10 ब्लॉक से अधिक वाले जनपदों हेतु प्रति बैठक रू0 8000.00 की दर से धनराशि रू0 4.77 लाख प्रथम बैठक हेतु कार्यालय के पत्रांक संख्या–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2022–23/1121–2 दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष धनराशि समस्त 75 जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.3** पर स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का उपयोग बैनर, जलपान, शिक्षण सामग्री एवं स्टेशनरी इत्यादि में किया जायेगा। बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं उपस्थिति रिकार्ड सुरक्षित रखे जाऐं।

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु मोबिलिटी सपोर्टः–(केवल 19 जनपद हेतु)

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। इसके लिए पूर्व में भ्रमण की कार्योजना बनाकर जनपदीय नोडल अधिकारी से अनुमोदित करा ली जाये। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

- ✓ माइक्रोप्लान पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरांत राज्य स्तर पर प्रेषित कर तद्नुसार भ्रमण किया जाये।
- ✓ प्रत्येक माह किये गये भ्रमण के सापेक्ष सक्षम अधिकारी के समक्ष भुगतान हेतु क्लेम प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- ✓ सक्षम अधिकारी द्वारा भ्रमण के सापेक्ष प्राप्त समस्त क्लेम का निस्तारण अधिकत 03 माह में किया जाना अनिवार्य है।
- ✓ माह में किये गये भ्रमण की रिपोर्ट नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0/मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जारी की जाय। जारी रिपोर्ट को क्लेम के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :– 25 जनपदों में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट हेतु रू0 300.00 प्रति भ्रमण की दर से प्रति माह कुल 10 भ्रमण हेतु रु0 3000.00 प्रति माह तथा कम्यूनिकेशन एवं इन्टरनेट हेतु रू0 250.00 प्रति माह की दर से 12 माह के लिये धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.PME.2** पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक/साथिया कॉर्नर की इण्टर कॉलेजों में स्थापना हेतु (18 मण्डलीय मुख्यालय जनपद)

किशोर–किशोरियां अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रायः सरकारी अस्पतालों में संचालित साथिया केन्द्रों अथवा अन्य सुविधाओं का प्रयोग करने में हिचक महसूस करते हैं और अपनी बातें या अपनी समस्याओं पर खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस हिचक के दृष्टिगत जनपद के इण्टर कॉलेजों में साथिया केन्द्र/साथिया कॉर्नर स्थापित किया जाना है। तद्क्रम में 18 मण्डलीय जनपदों के शहरी क्षेत्रों में दो इण्टर कॉलेजों (जी.आई.सी./जी.जी.आई.सी./नवोदय विद्यालय को प्राथमिकता दी जायेगी) में एक–एक किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक (साथिया केन्द्र)/साथिया कार्नर स्थापित किये जाने हैं। इस प्रकार 18 जनपदों में कुल 36 नवीन किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक/साथिया कार्नर की स्थापना की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्था :–

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक/साथिया कार्नर की स्थापना हेतु धनराशि रू0 25000.00 प्रति साथिया कार्नर की दर से 36 साथिया कार्नर हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.35.OOC.4** पर स्वीकृत की जा रही है। ***(इण्टर कालेजों में प्रस्तावित साथिया कार्नर हेतु संचालन एवं स्थापना के विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे)***

किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर/कोआर्डिनेटर मानदेय हेतुः–(केवल 48 जनपद हेतु)

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित साथिया केन्द्र में वर्तमान में कार्यरत् 328 काउन्सलर्स को 31 मार्च 2022 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस तथा ई0पी0एफ0 के साथ कुल धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0521** पर स्वीकृत की जा रही है। अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक 04 माह हेतु धनराशि रू0 306.88 लाख पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। कार्यालय के पत्रांक संख्या–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2022–23/1121–2 दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।***(अपेक्षानुरूप संतोषजनक कार्य न करने वाले/अनुशासनहीन कांउसलर के मानदेय में 05 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर नियमानुसार कटौती की जाये)***

जनपदीय आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट मानदेय हेतुः–(केवल 19 जनपदों हेतु)

उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों में वर्तमान में कार्यरत् 19 आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट को 31 मार्च 2022 को देय मानदेय में नियमानुसार (परफार्मेन्स अपरेजल के आधार पर) अधिकतम 5 प्रतिशत की वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस के साथ माह अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P266** पर स्वीकृत की जा रही है। माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक उक्त मद में रू0 29.01 लाख पूर्व में स्वीकृत किये जा चुके हैं। कार्यालय के पत्रांक संख्या–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2022–23/1121–2 दिनांक 24 मई, 22 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

जूनियर विफ्स एवं विफ्स (साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम)(75 जनपदों हेतु):–

जूनियर विफ्स के अन्तर्गत *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के छात्र–छात्राओं को आयरन की पिंक गोली (45 एम.जी.)* प्रत्येक सप्ताह खिलाई जानी है।

साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम– विफ्स के अर्न्तगत समस्त *ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (अपर प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, मदरसा, सरकारी एवं सहायता प्राप्त इण्टर कालेज के छात्र छात्राओं) में 10 से 19 वर्ष के छात्र–छात्राओं एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों (आंगनवाड़ी केन्द्रों पर) को आयरन की बड़ी नीली गोली (60एम.जी.)* प्रत्येक सप्ताह सोमवार को स्कूल तथा ऑगनवाड़ी केन्द्र पर बुधवार/शनिवार को खिलाई जानी है।

कार्यक्रम पूर्व के दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किया जायेगा तथा आयरन की पिंक गोलियों (45एम.जी.) एंव नीली (60एम.जी.) की सप्लाई यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन के द्वारा जनपदों में की जायेगी।

जनपद स्तरीय विफ्स टी.ओ.टी. (75 जनपद)

जनपद स्तरीय विफ्स टी.ओ.टी. राज्य से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के द्वारा जनपद स्तर पर की जायेगी। जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. में प्रत्येक ब्लाक से आर.बी.एस.के. टीमों के मेडिकल आफिसर, किशोर स्वास्थ्य कांउसलर, बी.पी.एम., एच.ई.ओ. एवं आई.सी.डी.एस. विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रत्येक ब्लाक से नामित एक–एक ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षक को प्रशिक्षित किया जायेगा। जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. हेतु पृथक से वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। जनपद स्तरीय विफ्स टी.ओ.टी. जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में ही की जायेगी।

ब्लाक स्तरीय विफ्स प्रशिक्षण हेतु (75 जनपद)

जनपद स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा ब्लॉक स्तरीय विफ्स प्रशिक्षण संपादित किया जायेगा। ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण में आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं अध्यापक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय विफ्स प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें समस्त नोडल अध्यापक एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री को साप्ताहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम पर प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण उपलब्ध कराये गये माड्यूल द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

- ✓ प्रत्येक ब्लॉक शहरी/ग्रमीण क्षेत्रों में 10 बैच प्रति ब्लाक विफ्स ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। प्रत्येक बैच में 40 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
- ✓ ब्लॉक स्तरीय विफ्स प्रशिक्षण हेतु प्रचार प्रसार सामग्री, भोजन, लाजिस्टिक्स (पेन, पैड एवं बैनर इत्यादि) एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का मुद्रण आदि सुनिश्चित किया जाये।
- ✓ प्रशिक्षण स्थल के रूप में सी0एच0सी0/बी0आर0सी0 कार्यालय का चयन किया जाय सुनिश्चित कर लें कि प्रशिक्षण स्थल पर बैठने का उचित स्थान, पीने का पानी, शौचालय एवं बिजली की सुविधा अवश्य उपलब्ध हो।
- ✓ विफ्स ट्रेनिंग माड्यूल, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा बुकलेट एवं प्रमाण–पत्र जनपद स्तर से ही मुद्रित कराकर प्रतिभागियों को उपलब्ध कराया जाये।
- ✓ समस्त ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 30 नवम्बर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। प्रशिक्षण सत्र 01 दिवसीय प्रातः 10 से अप्राहन 2 बजे तक संचालित होगा।

वित्तीय व्यवस्था :– ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच रू0 4150.00 की दर से **RCH.5.36.CB** पर स्वीकृत की जा रही है।

Budget Norm for Block level WIFS traning Budget				
S.N.	**Item**	**Rate**	**Units**	**Amount (Rs.)**
1	Refreshment	60	40	2400
2	Contingency (Including pen pad Banner, marker, training certificate etc.	550	1	550
3	WIFS training module for trainer	100	2	200
4	NHE handbook for teacher & AWW	25	40	1000
Total				4150

3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :–

1. प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व ब्लॉक प्रशिक्षण आयोजन की तिथि एवं कैलेंडर की सूचना ईमेल के माध्यम से राज्य स्तर पर अवश्य प्रेषित कर दी जाये।
2. प्रशिक्षण से पूर्व में ही बैचों हेतु समस्त अध्यापक (शिक्षा विभाग) तथा आंगनवाड़ी (आई0सी0डी0एस0) बैचवार सूची तैयार कर निर्धारित कैलेन्डर बनायें।
3. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट, डी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0, एवं एम0ओ0आई0सी0 द्वारा किया जाये।

विफ्स रजिस्टर एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र हेतु (75 जनपद)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 03 विफ्स रजिस्टर, इण्टर कालेज के लिए 07 विफ्स रजिस्टर एवं प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 01 विफ्स रजिस्टर डेटा रिकार्डिंग के लिए उपलब्ध कराया जाना है। गत् वर्षों में यह रजिस्टर राज्य स्तर से मुद्रित कराकर प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2022–23 में यह रजिस्टर जनपदों पर मुद्रित कराये जाने हैं।

मुद्रण से सम्बंधित मानक एवं विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय व्यवस्था

विफ्स रजिस्टर के मुद्रण हेतु प्रति रजिस्टर रू0 150.00 की दर से कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.36.IEC.1** पर स्वीकृत की जा रही है।

विफ्स कार्ड हेतु (75 जनपद)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी अपर प्राथमिक, माध्यमिक एवं इण्टर कालेजों के विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाली किशोरियों को उपलब्ध कराया जाना है। कार्ड छात्रों/किशोरियों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

विफ्स कार्ड का प्रोटोटाईप संलग्न है एवं प्रिन्टिंग हेतु मानक निम्नवत् है :–

Particulars	Specification
WIFS individual compliance cards (WIFS)	11"X8.50", four colours, printing both side 200 GSM, Non-Glossy Art-card

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मानकानुसार कार्ड का मुद्रण कराया जाना सुनिश्चित करें।

विफ्स व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड वितरण एवं उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश :–

- धनराशि प्राप्त होने के 01 माह में दिये गये मानकों के अनुसार जनपद स्तर पर विफ्स व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड छपवाने के पश्चात् ब्लॉकबार लाभार्थियों की संख्या के अनुसार ब्लॉक को अपूर्ति सुनिश्चित कर सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये।
- ब्लॉक से ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की देखरेख में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, इण्टर कालेजों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय को दिशा–निर्देशों सहित भेजे जाये एवं सम्बन्धित विभागों की बैठक में कार्ड भरने हेतु अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का अभिमुखीकरण करें।
- शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कार्ड उपलब्ध करवाकर इसकी पावती रसीद ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेंगी।
- विद्यालयों में शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकत्री की निगरानी में आयरन की नीली गोलियों के सेवन की सूचना भरने हेतु छात्र–छात्राओं/किशोरियों द्वारा व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड का उपयोग किया जायेगा। लाभार्थियों को प्रति सप्ताह गोली खिलाये जाने के पश्चात् कार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है।
- आर0बी0एस0के0 टीम कार्ड में एन्ट्री का अनुश्रवण अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में करेगी एवं अनुश्रवण रिपोर्ट प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ब्लॉक पर रिपोर्ट करेंगी।

वित्तीय व्यवस्था

विफ्स कार्ड हेतु प्रति कार्ड रू0 3.50 की दर से धनरशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.36.IEC.2** पर स्वीकृत की जा रही है।

जूनियर विफ्स रजिस्टर एवं रिर्पोटिंग प्रपत्र हेतु (75 जनपद)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 05 जूनियर विफ्स रजिस्टर डेटा रिकार्डिंग के लिए उपलब्ध कराया जाना है। गत् वर्षों में यह रजिस्टर राज्य स्तर से मुद्रित कराकर प्रेषित किये गये थे। वर्ष 2022–23 में यह रजिस्टर जनपदों पर मुद्रित कराये जाने हैं।

मुद्रण से सम्बंधित मानक एवं विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय व्यवस्था

जूनियर विफ्स रजिस्टर के मुद्रण हेतु प्रति रजिस्टर रू0 150.00 की दर से कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.7.52.IEC.2** पर स्वीकृत की जा रही है।

जूनियर विफ्स कार्ड हेतु (75 जनपद)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए जूनियर विफ्स कार्ड (व्यक्तिगत अनुपालन प्रपत्र) उपलब्ध कराया जाना है। कार्ड छात्रों की संख्या के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।

जूनियर विफ्स कार्ड का प्रोटोटाईप संलग्न है एवं प्रिन्टिंग हेतु मानक निम्नवत् है :–

Particulars	Specification
Junior WIFS individual compliance cards Primary school	11"X8.50", four colours, printing both side 200 GSM, Non-Glossy Art-card

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मानकानुसार कार्ड का मुद्रण कराया जाना सुनिश्चित करें।

जूनियर विफ्स व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड वितरण एवं उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश :–

- धनराशि प्राप्त होने के 01 माह में दिये गये मानकों के अनुसार जनपद स्तर पर जूनियर विफ्स व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड छपवाने के पश्चात् ब्लॉकबार लाभार्थियों की संख्या के अनुसार ब्लॉक को अपूर्ति सुनिश्चित कर सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये।
- ब्लॉक से ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की देखरेख में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिशा–निर्देशों सहित भेजे जाये एवं सम्बन्धित विभागों की बैठक में कार्ड भरने हेतु अध्यापकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का अभिमुखीकरण करें।
- शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में लाभार्थियों की संख्या के अनुसार कार्ड उपलब्ध करवाकर इसकी पावती रसीद ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेंगी।
- विद्यालयों में शिक्षकों की निगरानी में आयरन की पिंक गोलियों के सेवन की सूचना भरने हेतु छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड का उपयोग किया जायेगा। लाभार्थियों को प्रति सप्ताह गोली खिलाये जाने के पश्चात् कार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है।
- आर0बी0एस0के0 टीम कार्ड में एन्ट्री का अनुश्रवण अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों में करेगी एवं अनुश्रवण रिपोर्ट प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को ब्लॉक पर रिपोर्ट करेंगी।

वित्तीय व्यवस्था

जूनियर विफ्स कार्ड हेतु प्रति कार्ड रू0 3.50 की दर से धनरशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.7.52.IEC.3** पर स्वीकृत की जा रही है।

(III) साथिया (पीयर एजुकेटर) कार्यक्रम –(25 PE जनपदों हेतु):–

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के पीयर एजुकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों का चयन साथिया/पियर एजुकेटर के रूप में किया जाता है।

- प्रत्येक आशा के क्षेत्र में एक आशा के द्वारा 04 पीयर एजुकेटर का चयन (02 किशोर एवं 02 किशोरी) किया जाता है।
- प्रदेश के 25 पी.ई. जनपदों में से 5 महत्वाकांक्षी जनपदों बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर एवं सोनभद्र में यह कार्यक्रम पूरे जनपद में संचालित है।
- शेष 20 जनपदों के आधे ब्लाकों के 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 06 उपकेन्द्रों में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

पीयर एजुकेटर के चयन हेतु आशा प्रोत्साहन धनराशि (20 जनपदों हेतु)

वर्ष 2022–23 में इन 20 जनपदों के आधे ब्लांको में संचालित समस्त उपकेन्द्रों के क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार किया जाना है। इन 20 जनपदों में पूर्व में चयनित पीयर एजुकेटर उम्र अधिक हो जाने के

कारण कार्यक्रम से मुक्त हो चुके हैं। अतः इन 20 जनपदों के चयनित ब्लाकों की समस्त आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में 04 पीयर एजुकेटर का चयन नियमानुसार किया जाना है।

वित्तीय व्यवस्थाः–

आशा को पीयर एजुकेटर के चयन हेतु रू0 100 प्रति पीयर एजुकेटर की दर से प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। एजुकेटर के चयन हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.ASHA.1** पर स्वीकृत की जा रही है।

पियर एजुकेटर्स हेतु नान मानिटरी इन्सेन्टिवः–

प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर को उनके अच्छे कार्यों हेतु प्रोत्साहन एवं स्वास्थ्य की गतिविधियों में बढ़चढ कर प्रतिभाग करने के लिए नान मानिटरी इन्सेन्टिव की व्यवस्था की गई है। नान मानिटरी इन्सेन्टिव हेतु रू0 50 प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से विभिन्न सामग्रियों को दिया जाना है। दी जाने वाली प्रस्तावित सामग्री के मानक एवं विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः–

कार्यरत् प्रशिक्षित समस्त पीयर एजुकेटर हेतु रू0 50 प्रतिमाह प्रति पीयर एजुकेटर की दर से धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.OOC** पर स्वीकृत की जा रही है।

चयनित ए.एन.एम. हेतु जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. 20 जनपदों हेतु :–

05 महत्वाकांक्षी जनपदों बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्वार्थनगर एवं सोनभद्र को छोड़कर शेष 20 जनपदों में जहां पी.ई. कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है वहां नवीन चयनित उपकेन्द्रों की ए.एन.एम. को जनपद स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना है। पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर.के.एस.के./प्राक्षिण/08/2017–18/3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. किया जाना सुनिचित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :– जनपद स्तरीय ए.एन.एम. टी.ओ.टी. हेतु रू0 147000 प्रति बैच की दर से धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.CB.1** पर स्वीकृत की जा रही है।

Budget Norm for Organizing 5 Days PE TOT Training (per batch) at Distt. level					
1	Venue	At Distt. Training Center			
2	Participnats per Batch	32			
3	Participants	ANM & LHV			
S.N.	**Head**	**Unit Cost**	**No. of Units**	**No. of Days**	**Total amount (Rs.)**
1	Honorarium to Internal Faculty Trainers	600	4	5	12000
2	Honorarium, to participants -ANM & LHV	300	32	5	48000
3	Breakfast, Tea Lunch & Dinner	250	36	5	45000
4	Contingency (Banner, Certificate, Name Tag & Stationary etc.)	100	32	5	16000
6	IOH (Incidental Overhead) Fixed Rs.10000	10000	1	1	10000
7	TA to participants -	500	32	1	16000
Total					**147000**

नवीन चयनित साथिया का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में चयनित नवीन चयनित साथिया एवं संबंधित आशाओं का प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर किया जायेगा। **सभी नवीन चयनित पीयर एजुकेटर/साथिया** का 06 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्व में प्रेषित पत्रांक एस0पी0एम0यू0/आर.के.एस.के./प्रशिक्षण/08/ 2017–18/3122–25 दिनांक 05.07.2017 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रशिक्षण बैच में आवश्यकतानुसार संख्या निर्धारित 40 प्रतिभागियों से कम या ज्यादा भी हो सकती है।

वित्तीय व्यवस्था :– ब्लॉक स्तरीय साथिया प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैच रू0 70000/– की दर से 3331 बैच हेतु कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.CB.2** पर स्वीकृत की जा रही है।
आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायेः–

Budget Norm for Organizing 6 Days PE Training (per batch) at block level.		
1	Venue	Block CHC/PHC
2	Participnats per Batch	40
3	Participants	ASHA & Peer Educator

S.N.	Head	Unit Cost	No. of Units	No. of Days	Total amount (Rs.)
1	Honorarium to Internal Faculty Trainers	500	2	6	6000.00
2	Honorarium, to participants -ASHA & PE	100	40	6	24000.00
3	Breakfast, Tea Lunch	75	42	6	18900.00
4	Contingency (Banner, Certificate, Name Tag & Stationary etc.)				3100.00
7	TA to participants -	75	40	6	18000.00
Total					**70000.00**

ब्लॉक पर कार्यरत किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर नवीन चयनित साथिया का डेटाबेस संकलित कर प्रशिक्षण से पूर्व बैच का संयोजन अवश्य कर लें। जनपद पर कार्यरत आर0के0एस0के0 कोऑर्डिनेटर नये चयनित पीयर एजुकेटर की सूची एवं प्रशिक्षण का कलेन्डर तैयार कर शीघ्रातिशीघ्र राज्य स्तर पर प्रेषित करें। ***प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों का अनुपालन न किये जाने की दशा में संबंधित अधिकारी से धनराशि की रिकवरी की जा सकती है।***

पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी के मुद्रण हेतु 20 जनपदों हेतु :–

05 महत्वाकांक्षी जनपदों बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र को छोड़कर शेष 20 पी. ई. जनपदों में नवीन चयनित पीयर एजुकेटर एवं आशा को प्रशिक्षण के दौरान पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी प्रदान की जानी है, जिसका मुद्रण जनपद स्तर पर किया जायेगा।

मुद्रित कराने जाने वाले प्रस्तावित पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी के मानक निम्नवत् हैं :–

Sr. No.	Specification of Peer Educator Kit.	
1.	Peer Educator Activity book(Based on life skill activity)	Peer Educator Activity (Based in life skill activity) Finished Size, 11”X8.5” Inner text-84 pages, 130gsm art paper, Cover-300gsm art card – 4+4 ptg, Matt lamination, Perfect Binding with side stitch
2.	Resource book for educator (FAQ)	Finished Size, 11”X8.5” iner text-52 Pages, 130 GSM Art Paper cover-300 GSM Art card, 4+4ptg, Matt lamination, central staple Binding
3.	Bhranti & Kranti (Total 2 Card Set having 16 Cards of different type in each set)	Finshed Size, 5.50”x4.20”, 300 gsm Art Card 4+4 ptg, Matt lamination on one side, Gathering in serial, 1 set to have 16 card each, Each complete set to be packed in polysheet
4.	Bhranti & Kranti Book (Game Book)	Size, 8.20”x5.20”, 250 gsm Art Card, 4+4 ptg Centrel staple, 4 Leaves, 8 pages.
5.	Peer Educator Diary	Finished Size, 12”x8.50”, 100 pages (76 +24 Pages) excluding Cover, 80 gsm Maplitho, 76 pages diary format (present as excel sheet separately), 24 pages in the end monthly reporting format (present as excel sheet separately) with perforation, Single Colour ptg, Hard case Binding with Kappa Board of 28 mm with cover page 130 GSM, 4+4 printing, Thread Stitching, BOPP Lamination on cover
6.	Bags	Marqueen sheet saleeta quality as per sample 5 clr printing front and back 39cmX34.5cm 1 handle of two fold Marqueen same as used in bag 120 cm lenth and 3cm wide. Strong threads stitching of entire as per sample.

पीयर एजुकेटर किट वितरण एवं उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश :–

- 01 माह में दिये गये मानकों के अनुसार जनपद स्तर पर पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी मुद्रित कराने के पश्चात् ब्लॉकबार चयनित पीयर एजुकेटर की संख्या के अनुसार ब्लॉक को आपूर्ति सुनिश्चित कर सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध कराये।
- ब्लाक स्तरीय पीयर एजुकेटर प्रशिक्षण के दौरान पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी उपलब्ध करायी जायेंगी।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक के द्वारा पीयर एजुकेटर किट के उपयोग एवं डायरी में सूचना भरने हेतु प्रत्येक एजुकेटर को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- पीयर एजुकेटर के द्वारा पीयर एजुकेटर किट का उपयोग करते हुये साथिया समूह की बैठकों में समूह के किशोर–किशोरियों का अभिमुखीकरण/जागरूकता प्रदान की जायेगी एवं की गयी गतिविधि को साप्ताहिक रूप से पीयर एजुकेटर डायरी में अंकित किया जायेगा।
- पीयर एजुकेटर डायरी में संलग्न पीयर एजुकेटर मासिक रिपोर्ट पीयर एजुकेटर द्वारा अपने क्षेत्र की आशा को उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :–

पीयर एजुकेटर किट एवं डायरी के मुद्रण हेतु रू0 200 प्रति किट की दर से कुल 133250 किट हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.IEC** पर स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस :(केवल 25 PE जनपदों हेतु)

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्धित उपकेन्द्र क्षेत्र में वर्ष में त्रैमासिक आयोजन किया जाना है। किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर सेवायें प्राप्त करने के लिए सभी किशोर उप समूह 10–19 वर्ष के स्कूल जाने एवं स्कूल न जाने वाले (अविवाहित एवं विवाहित किशोर) उपस्थित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य हितधारको जैसे माता पिता, सामुदायिक नेता जैसे पंचायत व **VHSNC** के सदस्य, अध्यापक आदि को भी किशोर स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित दिन व समय पर साथिया, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकत्री और अन्य गैर सरकारी संगठन, क्षेत्र के किशोरों एवं उनके माता पिता तथा अन्य हितधारकों को उपकेन्द्र क्षेत्र में चयनित स्थान (उपकेन्द्र, पंचायत भवन अथवा स्कूल आदि) पर एकत्रित करेंगे। लक्षित समूह के ध्यान आर्कषण एवं किशोर स्वास्थ्य पर जानकारी प्रदान करने हेतु मनोरंजन व उपयोगी कार्यकलापों जैसे लघु नाटिका, कठपुतली नाच आदि, का आयोजन किया जायेगा।

ए.एन.एम. व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस पर सेवाएं प्रदान करने तथा लक्षित समूह को किशोर स्वास्थ्य विषयों की जानकारी देने के लिए वहाँ मौजूद रहें। किशोर व किशोरियॉ उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ए0एन0एम0 आदि से बातचीत कर विभिन्न सुविधाएं व अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी समास्याओं के निवारक एवं बचाव उपायों के बारें में भी विस्तृत जानकारी के साथ विशेष समस्याओं के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर संदर्भित किया जायेगा।

आयोजकः–

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के आयोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व ए.एन.एम. का होगा तथा आशा, साथिया, आंगनवाड़ी कार्यकत्री आदि सहयोग प्रदान करेंगें। ब्लॉक प्रभारी चिकित्साधिकारी चयनित पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ब्लाक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर, ए.एन.एम एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन की कार्ययोजना तैयार की जाये।

वित्तीय व्यवस्थाः–

किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के आयोजन हेतु रू0 2500.00 प्रति किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस की दर से प्रथम तिमाही के किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस हेतु कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.PME.1**रू0 64.18 लाख पूर्व में कार्यालय के पत्रांक संख्या–एस.पी.एम.यू. /किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2022–23/1121–2 दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष आयोजन हेतु प्रति किशोर स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के आयोजन हेतु रू0 2500.00 की दर से निम्न मानकानुसार धनराशि स्वीकृत की जा रही हैः–

क्रम सं0	विवरण	दर
1.	बैनर, स्टेशनरी, चार्ट पेपर इत्यादि	रू0 200.00
2.	जलपान (100 प्रतिभागियों हेतु @ रू0 15.00/ प्रतिभागी)	रू0 1500.00
3.	आई0ई0सी0(पैमफ्लेट/हेण्डआउट)/फोटो कॉपी	रू0.300.00
4	साथिया एवं अन्य प्रतिभागियों के पुरस्कार इत्यादि हेतु	रू0. 500.00
	कुल धनराशि	रू0. 2500.00

किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक (केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

किशोर स्वास्थ्य क्लब की मासिक बैठक उपकेन्द्र स्तर पर की जानी है। बैठक सम्बन्धी पुनरीक्षित दिशा–निर्देश मिशन निदेशक के पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/किशोर स्वास्थ्य/पीयर एजुकेटर/04/2018–19/10203–25 दिनांकः 31.12.2018 जारी किये जा चुके है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक कराना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय व्यवस्था :–

किशोर स्वास्थ्य क्लब की कुल मासिक 20536 बैठकों हेतु धनराशि जनपदों को **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.PME.2** पर प्रति बैठक हेतु **रू0 500.00 की दर से 8 माह के लिए** स्वीकृत की जा रही है।

किशोर स्वास्थ्य दिवस एवं किशोर स्वास्थ्य क्लब की बैठक का आयोजन पूर्व में कार्यक्रम में चयनित उपकेन्द्रों पर ही किया जाना है। वर्ष 2022–23 में नवीन चयनित उपकेन्द्रों पर उक्त का आयोजन नहीं किया जायेगा।

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर समुदाय तथा किशोरों के मोबिलाईजेशन हेतु आशा प्रोत्साहन(केवल 25 PE जनपदों हेतु):–

पीयर एजुकेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उपकेन्द्रों पर वर्ष में 04 बार प्रस्तावित किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें समुदाय के लोगों तथा साथिया समूह की किशोर–किशोरियों तथा प्रशिक्षित पीयर एजुकेटर की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु आशाओं द्वारा मोबिलाईज किया जायेगा। इसके लिए आशाओं को मोबिलाईजेशन हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्थाः–

मोबिलाईजेशन हेतु रू0 200 प्रति किशोर स्वास्थ्य दिवस की दर से प्रति आशा हेतु कुल 17873 आशाओं हेतु आशा प्रोत्साहन धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.38.ASHA.2** पर स्वीकृत है, जिसमें से प्रथम तिमाही हेतु रू0 35.75 लाख पूर्व में कार्यालय के पत्रांक संख्या–एस.पी.एम.यू./किशोर स्वास्थ्य/बजट/02/2022–23/1121–2 दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। शेष तीन तिमाही हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

जो आशाएं कार्यक्रम के दौरान सहयोग न करके अनुपस्थित रहती हैं उन्हें यह प्रोत्साहन राशि का भुगतान न किया जाए।

(IV) आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रमः–

आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में कियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत

1. वर्ष 2020–21 में चयनित 23 जनपदों (प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, बलरामपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, बहराइच, बदायूँ, एटा, फर्रूखाबाद,लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर, श्रावस्ती, गोण्डा,सीतापुर फतेहपुर, चन्दौली एवं चित्रकूट) में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
2. वर्ष 2022–23 में स्कूल हेल्थ कार्यक्रम का विस्तार छूटे हुये मण्डलीय मुख्यालय जनपदों एवं उच्च प्राथमिकता वाले कुल 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, कन्नौज, कासंगज, कौशाम्बी एवं हरदोई) में किया जाना है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक शहरी/ग्रामीण विद्यालय (सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक एवं इण्टर कालेज) में दो शिक्षको, (एक महिला एवं एक पुरूष शिक्षक) को "स्वास्थ्यदूत" (Health and Wellness Ambassadors) के पद पर नामित किया जायेगा। तदोपरान्त उनके प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

नवीन 18 जनपदों हेतु प्रशिक्षण एवं गतिविधियों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

वित्तीय व्यवस्थाः–

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम वाले नवीन 18 जनपदों में

1. जनपद स्तरीय टी.ओ.टी. के 25 बैच हेतु रू0 90,200.00 प्रति बैच की दर से कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.CB.1** पर स्वीकृत की जा रही है।
2. ब्लाक स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर के प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच रू0 52,800.00 की दर से 709 बैच हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.CB.2** पर स्वीकृत की जा रही है।
3. प्रशिक्षण माड्यूल पोस्टर एवं अन्य आई.ई.सी. सामग्री हेतु धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.IEC** पर स्वीकृत की जा रही है।
4. हेल्थ एण्ड वेलनेस एम्बेस्डर एवं मैसेन्जर के मर्चेन्टडाइज हेतु कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.OOC** पर स्वीकृत की जा रही है।
5. ब्लाक स्तरीय चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अभिमुखीकरण हेतु रू0 3000.00 प्रति ब्लाक की दर से कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.39.PME** पर स्वीकृत की जा रही है।

प्रशिक्षण, मुद्रण एवं गतिविधियों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए इन्टर कालेजों में 'किशोर स्वास्थ्य मंच' :– (75 जनपदों हेतु)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दो बार, भिन्न–भिन्न इण्टर कालेज में किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए कार्यक्रम–**'किशोर स्वास्थ्य मंच'** आयोजन किया गया था। गतिविधि की बृहद स्तर पर सफलता को देखते हुए उक्त गतिविधि का आयोजन पूर्व की भॉति किया जायेगा। कार्यक्रम संचालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं। :–

विद्यालयों का चयनः–

जनपदों के सभी ब्लॉकों एवं शहरी क्षेत्रों (अर्बन ब्लॉक) से 2 इण्टर कालेज/माध्यमिक विद्यालय (सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त) का चयन **'किशोर स्वास्थ्य मंच'** के लिए किया जायेगा। विद्यालय के चयन में ध्यान रखा जाये कि अधिक से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन किया जाये। कम से कम एक मंच का आयोजन बालिका विद्यालय (जी0जी0आई0सी0,केन्द्रीय विद्यालय) में अवश्य किया जाये। चयन के लिए आर0बी0एस0के0 टीम के सहयोग से ब्लाक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुझाए गये नामों पर जनपदीय आर0के0एस0के0 नोडल, जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा विचार कर अन्तिम रूप दिया जाये।

लक्षित समूह :–

चयनित इण्टर कालेज/माध्यमिक विद्यालय (सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त) के छात्र–छात्राएं।

कार्यक्रम का आयोजन :–

ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, आर0बी0एस0के0 टीम, ब्लाक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर एवं टेक्नीकल सपोर्ट ग्रुप (टी0एस0जी0) पार्टनर के प्रतिनिधि/गैर सरकारी संगठन के समन्वय से चयनित इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल टीचर के सहयोग से विद्यालय के समयानुसार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जनपदों में जिला महिला एवं पुरूष चिकित्सालय में तैनात किशोर स्वास्थ्य काउन्सलर का आवश्यक सहयोग शहरी क्षेत्रों में आयोजित मंच में अनिवार्य रूप से लिया जाये। वर्ष 2020–21 में समस्त फैमिलीप्लानिंग काउंसलर को किशोर स्वास्थ्य पर प्रशिक्षित किया गया है, अतः इन कांउसलर का उपयोग गतिविधि के दौरान किशोरों की काउंसलिंग के लिए भी किया जाना है।

(क) जनपद स्तरीय प्री प्लानिंग बैठकः–

जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आर0के0एस0के0 समीक्षा बैठक में आयोजन सम्बन्धी प्री प्लानिंग की जायेगी। इसमें जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (माध्यमिक शिक्षा) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट, डी0ई0आई0सी0 मैनेजर, अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर, समस्त ब्लाक प्रभारी चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0, एम0ओ0 आर0बी0एस0के0 मेडिकल टीम के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस बैठक में समस्त ब्लाक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूरे जनपद के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी माईक्रोप्लान को अन्तिम रूप तैयार दिया जायेगा, जिसकी सूचना राज्य स्तर पर भेजी जायें। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम के आयोजन का उत्तरदायित्व जनपदीय अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर का होगा। इसके लिए जनपद में स्थापित 01 अर्बन क्लीनिक के प्रभारी को शहरी ब्लॉक का नोडल नामित कर दिया जाये। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु रूपरेखा बनाकर अधिकांश कार्यक्रमों का मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये एवं रिपोर्ट राज्य स्तर पर साझा की जाये।

(ख) आयोजन से पहले की तैयारी– ''किशोर स्वास्थ्य मंच'' से पहले निम्न तैयारियां सुनिश्चित की जाएः–

1. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्र में संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देना।
2. किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार प्रसार सामग्री पैम्फलेट की प्रिन्टिंग क्विज हेतु चार्ट पोस्टर, पुरस्कृत करने हेतु पुरस्कार की व्यवस्था करना।
3. अध्यापकों द्वारा छात्रों को निश्चित दिन पर विद्यालय में अवश्य उपस्थित होने की सूचना देना।
4. अधिकाधिक अभिभावकों को भी मंच में छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु आमंत्रित किया जाये।
5. प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्र में मंच का उद्घाटन किसी जन प्रतिनिधि/जनपद स्तरीय अधिकारियों–जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी

/एस0डी0एम0/तहसीलदार/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसके लिए उनको कार्यक्रम की जानकारी देना एवं समय लेना सुनिश्चित करें।

6. RBSK टीम के पास छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धित समस्त टूल एवं कार्ड, रिपोर्टिंग फार्मेट एवं आई0ई0सी0 मटेरियल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।
7. अभियान में पोषण स्रोत वाले खाद्य पदार्थों पर प्रदर्शनी हेतु आई0सी0डी0एस0 विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाये।

(ग) किशोर स्वास्थ्य मंच' के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ :–

1. उद्घाटन समारोह।
2. उपस्थित सभी छात्रों में बी0एम0आई0 एवं हीमोग्लोबिन जाँच। एनीमिया व अन्य संदर्भन योग्य बीमारियों की पहचान एवं संदर्भन करना।
3. आई0सी0डी0एस0 विभाग के सहयोग से विविध पोषण स्रोत वाले खाद्य पदार्थों की स्टॉल।
4. उपस्थित छात्रों को एनीमिया, आयरन और IFA की गोलियों के साप्ताहिक सेवन की जानकारी देना और उन्हें पोषण की महत्ता समझाना।
5. प्रतिभागियों को किशोरी सुरक्षा योजना विशेषकर मेन्स्ट्रुअल हाईजीन, लिंग हिंसा, तम्बाकू एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन व उनके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाये।
6. छात्र–छात्रों के साथ एनीमिया यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित क्विज, पेटिंग प्रतियोगिता, वाद–विवाद एवं तत्क्षण भाषण जैसी अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
7. सम्मानित अभिभावकों के विचारों को भी आमंत्रित किया जायें।
8. प्रतियोगिताओं मे विजेता प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के छात्रों को पुरस्कृत करना।

कार्यक्रम की रिपोर्टिंग–

प्रत्येक ब्लॉक/शहरी क्षेत्रों में चयनित विद्यालय में कार्यक्रम पूरा होने के एक सप्ताह के अन्दर आर0बी0एस0के0 टीम के सहयोग से ब्लाक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर/बी0पी0एम0 द्वारा अपने ब्लॉक की रिपोर्ट बना कर संलग्न निर्धारित प्रारूप पर जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद से सभी ब्लॉक/शहरी क्षेत्र की संकलित रिपोर्ट के अनुसार राज्य किशोर स्वास्थ्य अनुभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रचार प्रसारः–

जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में कराया जाये।

कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षणः–

जनपद स्तरीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक **''किशोर स्वास्थ्य मंच''** का अनुश्रवण एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अपेक्षित है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जनपद स्तर से समस्त ब्लॉकों/शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्थाः–

किशोर स्वास्थ्य मंच' के लिए रू0 5000.00 प्रति मंच आयोजन की दर से कुल धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.40.PME** पर स्वीकृत की जा रही है। आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जाये–

क्र0सं0	विवरण	धनराशि
1	कार्यक्रम आयोजन/जलपान की व्यवस्था के लिए	2500.00
2	किशोर स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए पैम्प्लेट प्रिन्टिग हेतु	700.00
3	प्रतियोगिताओं के विजेताओं के पुरस्कार हेतु	1000.00
4	विभिन्न उपयोग जैसे– क्विज हेतु चार्ट पेपर पेन्सिल, मोम कलर फोटो कॉपी, आदि।	800.00
कुल धनराशि		**5000.00**

विद्यालयों में स्कूल हेल्थ क्लब हेतु प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स दिये जाने हेतुः–(समस्त 75 जनपदों हेतु)

वर्ष 2022–23 में प्रदेश के समस्त सरकारी अपर प्राथमिक एवं इण्टर कालेजों में स्वास्थ्य क्लबों का गठन कर संचालित किया जाना है। क्लब के गठन, संचालन एवं गतिविधियों हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे। वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय हेतु प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रू0 500.00 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.5.41.OOC** पर स्वीकृत की जा रही है। ***प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स के मानक पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।***

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस

1 से 19 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिये प्रदेश के जनपदों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day-NDD) दिवस शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जायेगा, जिसमें पेट के कीड़ों की गोली एल्बेंण्डाजॉल(1 से 2 वर्ष को 200 मि.ग्रा./आधी गोली एवं 2 से 19 वर्ष के बच्चों को 400 मि.ग्रा.) खिलायी जानी है।

वर्ष 2022–23 में प्रदेश में कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन समस्त 75 जनपदों में साल में दो बार क्रमशः माह अगस्त एवं फरवरी में किया जाना है।

जनपदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 एवं डी0सी0पी0एम0 की होगी। कार्यक्रम का संचालन हेतु चरण से पूर्व विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। शहरी क्षेत्र को ग्रामीण ब्लॉक की भांति एक अतिरिक्त ब्लॉक के रूप में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। एन0यू0एच0एम0 द्वारा जनपदों में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी/कार्यक्रम नोडल अधिकारी जनपदीय अर्बन हेल्थ कोआर्डिनेटर से सहयोग प्राप्त कर समस्त गतिविधियां ग्रामीण ब्लॉक की भांति शहरी क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से संचालित करें। राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस की विभिन्न गतिविधियों के लिए जनपदों को स्वीकृत की जाने वाली धनराशियों का विवरण निम्नवत हैः–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर अभिमुखीकरण हेतु :–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापक एवं ए0एन0एम0 का राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण के लिए में प्रति प्रतिभागी रू0 100.00 की दर से कुल धनराशि जनपदों को **RCH.7.53.PME** पर स्वीकृत की जा रही है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु : –

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रथम चरण हेतु प्रचार प्रसार एवं आई0ई0सी0 गतिविधियों तथा रिपोर्टिंग फार्मेट हेतु धनराशि रू0 234.19 लाख पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु धनराशि एफ.एम.आर. कोड **RCH.7.53.IEC.1** पर स्वीकृत की जा रही है। (आई.ई.सी. के विस्तृत मानक, दिशा–निर्देश एवं प्रोटोटाईप अभियान से पूर्व प्रेषित किये जाएंगे)

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस लांच एवं मीडिया जन जागरण एवं प्रचार–प्रसार हेतु एफ.एम.आर. कोड **RCH.7.53.IEC.2** पर जनपद स्तर हेतु रू0 10000.00 प्रति जनपद एवं ब्लॉक स्तर हेतु प्रति रू0 5000.00 प्रति ब्लॉक की दर से कुल धनराशि रू0 48.50 लाख प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। द्वितीय चरण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

बच्चों/किशोर–किशोरियों के मोबिलाईजेशन के लिए आशा प्रोत्साहन धनराशि हेतु :–

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग दिवस के दिन आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1–19 वर्ष के स्कूल/आंगनबाड़ी न जाने वाले बच्चों की सूची संलग्न प्रारूप पर तैयार कर आंगनबाड़ी कार्यकत्री को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन बच्चों को एन.डी.डी./मॉप–सप्ताह के दौरान दवा खिलाने के लिये आंगनबाड़ी केन्द्र पर लेकर आयेगी। बच्चों को एल्बेन्डाजॉल की गोली खिलवाने के लिए मोबिलाईजेशन करने हेतु रू0 100.00 प्रति आशा की दर से धनराशि **एफ0एम0आर0 कोड RCH.7.53.ASHA** पर धनराशि रू0 344.00 लाख दोनों चरणों हेतु पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है।

रिपोर्टिंग पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :–

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों जैसे–साथिया केन्द्र/ए.एफ.एच. एस. क्लीनिक, विफ्स, पीयर एजूकेटर कार्यक्रम एवं किशोर स्वास्थ्य दिवस की रिर्पोट माह की 05 तारीख

तक यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अपलोड कर दी जाये। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित समस्त रिपोर्ट प्रेशित करने हेतु 25 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0 के साथ–साथ पी0ई0 जिलों में आर.के.एस.के. कन्सल्टेन्ट तथा शेष जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के. की होगी। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. मैनेजर, आर.बी.एस.के की तैनाती नहीं है, वहॉ पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी डी0पी0एम0 की होगी।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ–साथ ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की होगी। जिन ब्लॉकों में किशोर स्वास्थ्य कोआर्डिनेटर की तैनाती नहीं है, वहां पर कार्यक्रम की पूर्ण जिम्मेदारी बी0पी0एम0 की होगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- जनपदीय नोडल अधिकारी आर0के0एस0के0, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर के द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 02 साथिया केन्द्र /किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक एवं स्कूल आंगनबाड़ी केन्द्र का भ्रमण कर उपलब्ध कराई गई साथिया केन्द्र पर्यवेक्षण एवं विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। चेकलिस्ट विश्लेषण, मासिक अनुपालन आख्या के साथ राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाये।
- पी0ई0 जनपदों में आर0के0एस0के0 कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रत्येक माह में 10 विजिट्स अलग–अलग ब्लॉको में किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम के संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों के बारे में पता चल सके। भ्रमण के दौरान साथिया केन्द्र/ए0एफ0एच0एस0 क्लीनिक, पियर एजुकेटर कार्यक्रम (गांव में), विफ्स कार्यक्रम (स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर) एवं किशोरी सुरक्षा योजना का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर, द्वारा आर.बी.एस.के के अर्न्तगत ब्लॉक में भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देश निर्गत किये जायें।
- आर0बी0एस0के0 टीम अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विफ्स कार्यक्रम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी एवं माह के अंत मे (उचित आयरन, रजिस्टर, रिर्पोटिंग फारमेट, व्यक्तिगत अनुपालन कार्ड एवं आई0ई0सी0 की उपलब्धता, रिपोर्ट तैयार करना एवं संप्रेषण एवं गोलियों का वास्तविक उपभोग) संकलित आख्या ब्लाक कार्यक्रम प्रबधक को उपलब्ध कराये। ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- ब्लॉक से प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम के द्वारा वी0एच0एन0डी0 दिवस पर भ्रमण के दौरान विफ्स कार्यक्रम का अनुश्रवण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों में विफ्स मानीटरिंग चेकलिस्ट के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक अनुश्रवण के दौरान पाई जाने वाली कमियों में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही कराने हेतु भ्रमण आख्या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

(अ) आर0बी0एस0के0 का क्रियान्वयन–

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों के पहचान हेतु 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्रो पर एवं 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों का सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ब्लाक स्तरीय मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

प्रसव केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टॉफ द्वारा नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों तथा आशा द्वारा गृह भ्रमण के दौरान अन्य जन्मे बच्चों का जन्मजात दोषों एवं विकास में देरी हेतु स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।

कार्यक्रम कें अन्तर्गत गतिविधियों का संचालन जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जाना है। कार्यक्रम के सुचारु रुप से संचालन हेतु निम्न मदों में धनराशि व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही हैं, जिनका उपयोग दिये गये मानकानुसार सुनिश्चित किया जाना है। निम्न गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि जनपद के एलोकेशन/डैप का अंश है। आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में वाहन, रेफरल सपोर्ट, मानदेय, डी0ई0आई0सी0 ऑपरेशनल कॉस्ट आदि मदों में पूर्व में 4 माह हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी है। शेष धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु संलग्न सारणी के अनुसार आवंटित की जा रही है।

मोबाइल टीम हेतु वाहन की व्यवस्था– FMR Code- RCH.3.21.OOC.1

- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
- जनपदों में वाहन के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। **वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000 तक) के अनुसार ही किया जायेगा।** वाहन की व्यवस्था के लिए 4 माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) हेतु रु0 2164.80 लाख की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा आगामी 8 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के वाहन हेतु रु0 4329.60 लाख की धनराशि का प्राविधान फॉट के अनुसार संबंधित एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है।
- वाहन की व्यवस्था हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पत्र दिनांक 01.08.2017 तथा कार्यालय के पत्र दिनांक 02.02.2018, 03.05.2018, 13.08.2020, 08.10.2020 में दिये गये निर्देशों के आलोक में वर्तमान में प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- आर.बी.एस.के वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल लगाया जाना अनिवार्य है।
- जनपदीय नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के द्वारा जी.पी.आर.एस. डेटा को लागबुक के साथ सत्यापन के उपरान्त ही बीजकों का भुगतान किया जाये।
- अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर समय से प्रति दिन कम से कम 8 घंटे अनिवार्य हो।
- वाहन का उपयोग माह में कम से कम 25 दिन किया जाये तथा माइक्रोप्लान के अनुसार फील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा फील्ड विजिट न होने पर अन्य निर्दिष्ट कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जाये। यदि वाहन का उपयोग माह में 25 दिन से कम किया गया है तो जितने दिन वाहन का उपयोग किया गया उतने ही दिन का भुगतान किया जाए।
- माइक्रोप्लान के अनुसार विजिट के उपरान्त वाहन लागबुक पर मोबाइल हेल्थ टीम के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रुप से होने चाहिए।
- वाहन अनुबंध पत्र में दर्शाये गये टेण्डर दर के अनुसार ही भुगतान किया जाना है। बिना टैक्सी परमिट वाहन के भुगतान होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होगें।

सपोर्ट फॉर आर.बी.एस.के. सी0यू0जी0 (इन्टरनेट कनेक्शन एण्ड रेन्टल) FMR Code RCH.3.21.OOC.2

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम को लैपटाप एवं डाटा कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। डाटा कार्ड के रीचार्ज हेतु रु0 300.00 प्रति टीम प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरणों की व्यवस्था– FMR Code- RCH.3.21.EQ

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के क्षेत्र भ्रमण के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपयोग हेतु निम्नानुसार उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

Equipment list for each Mobile Health Team	No. of equipment for each team
Vision charts	2
toys, torch, bangle (red ring), crayon rattle, bell, 1 inch cubes, cups, head circumference tape, MUAC tape, picture book and magnifying lens	2
Weighing scale Adult	1
Weighing scale infant	1
Height scale standing	1
Length scale (infant)	1
Stethoscope	2
Sphygmomanometer - BP instrument [cuff of 2 size adult & children]	1

उपरोक्तानुसार टीमों हेतु पुराने उपकरणों की मरम्मत अथवा नवीन उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 5,000/– प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। नवीन उपकरणों की व्यवस्था जैम पोर्टल के माध्यम अथवा अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार की जायेगी।

आर.बी.एस.के. कार्ड/रजिस्टर/प्रपत्र FMR Code- RCH.3.21.IEC.1

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के दौरान बच्चों का आर.बी.एस.के. स्क्रीनिंग फार्मेट (स्क्रीनिंग टूल कम रेफरल कार्ड) भरा जाना है। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों को आर.बी.एस.के. कार्ड के मुद्रण के लिए रु0 1.50 प्रति कार्ड की दर से (वर्ष में दो बार दिये जाने हेतु) एवं स्कूली बच्चों हेतु आर.बी.एस.के. कार्ड के लिए रु0 1.50 प्रति कार्ड की दर से (वर्ष में एक बार दिये जाने हेतु) धनराशि आवंटित की जा रही है। इस व्यय को कम्पीटेटिव बिडिंग के आधार पर किया जाए।

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र/स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों एवं स्कूली बच्चों का विस्तृत विवरण अलग–अलग रजिस्टर में अंकित किया जाना हैं। दोनों तरह के रजिस्टर हेतु रु0 100 प्रति रजिस्टर की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर ऐसे होने चाहिए जिसमें कम से कम 1000 बच्चों का विवरण अंकित हो सके। इस व्यय को कम्पीटेटिव बिडिंग के आधार पर किया जाए। रजिस्टर (आंगनवाड़ी एवं स्कूल) का प्रोटोटाइप संलग्न है।

- ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के लिए माइक्रोप्लान एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के लिए रु0 1,000.00 प्रति ब्लाक की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। प्रोटोटाइप पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। तैयार माइक्रोप्लान की एक–एक प्रति बाइण्डिंग कराकर शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस. एवं ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायें।उक्त तीनों गतिविधियों हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

स्टैन्डीज फॉर आर0बी0एस0के0 रीलेटेड मैसेजेज–FMR Code- RCH.3.21.IEC.2

- मोबाइल हेल्थ टीम क्षेत्र भमण के दौरान अपने साथ स्टैन्डीज लेकर जायेगी जिसे स्वास्थ्य परीक्षण के समय स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र पर लगाना है। इस हेतु रु0 125.00 प्रति स्टैन्डीज की दर से 2 स्टैन्डीज प्रति टीम हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

आर0बी0एस0के0 वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल–FMR Code- RCH.3.21.IEC.3

- मोबाइल हेल्थ टीम के क्षेत्र भमण हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वाहन पर 7 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल लगाये जाने है। इस हेतु रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

आर.बी.एस.के. कन्वर्जेन्स एवं मॉनीटरिंग मीटिंग– FMR Code- RCH.3.21.PME

- जनपद स्तर पर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं कन्वर्जेन्स हेतु कार्यालय के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./आर.बी.एस.के./01/2019–20/5865–75 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देश के क्रम में **मुख्य विकास अधिकारी** की अध्यक्षता में नियमित अन्तर्विभागीय समीक्षा बैठक की जानी है। बैठक में शिक्षा विभाग, आई.सी.डी.एस., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, केन्द्र विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी तथा मोबाइल हेल्थ टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहेगें। बैठक में कम्यूनिटी प्रोसेस, बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य से संबन्धित नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। इस बैठक में टीम के सदस्यों को नवीन जानकारिया देते हुए उनके कार्य के संबंध में संवेदीकृत किया जाये। जनपद स्तर पर समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु रु0 500.00 प्रति बैठक/ब्लाक की दर से 3 बैठक हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार मुख्य विकास अधिकारी के अक्ष्यक्षता में मासिक बैठक भी की जा सकती है।
- ब्लाक स्तर पर बी.पी.एम द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेंगे तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में मासिक बैठक कराते हुए समस्त सूचनाओं/फीडबैक को डी.ई.आई.सी मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी से साझा करेंगे।

आर0बी0एस0के0 एम.एच.टी. हेतु कन्टिंजेन्सी (ऑपरेशनल कॉस्ट)– FMR Code- RCH.3.21.OOC.4

- ब्लाक स्तर पर कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध करायी गयी सामग्री, आई.ई.सी. उपकरण आदि के रख–रखाव हेतु स्टील रेक एवं कटिन्जेन्सी (स्टेशनरी, पेन, पैड, पेपर आदि) की व्यवस्था हेतु रु0 1000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

प्रिटिंग ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स बुकलेट्स– FMR Code- RCH.3.22.IEC.1

- ब्लाक स्तर/जिला स्तर के एल.–2 एवं एल–3 प्रसव केन्द्र के स्टॉफ के जन्मजात दोषों की पहचान हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को प्रशिक्षण बुकलेट दिया जाना है। बुकलेट के मुद्रण कराये जाने हेतु रु0 100.00 प्रति बुकलेट (साइज– ए.4, आर्ट पेपर, मल्टीकलर) की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

प्रिटिंग ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स पोस्टर– FMR Code- RCH.3.22.IEC.2

- प्रसव केन्द्र के स्टॉफ को जन्मजात दोषों की पहचान हेतु प्रत्येक केन्द्र पर बर्थ डिफेक्ट्स पोस्टर चस्पा किया जाना है। एल.–1 प्रसव इकाई पर 2 पोस्टर तथा एल–2 एवं एल.–3 प्रसव इकाई पर 3 पोस्टर चस्पा करने हैं। पोस्टर लेवर रुम, पी0एन0सी0 वार्ड तथा चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में चस्पा किया जाना है। पोस्टर के मुद्रण रु0 20.00 प्रति पोस्टर (साईज– 2 x 3 फीट, आर्ट पेपर, मल्टीकलर) की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

रेफरल सपोर्ट फॉर सेकण्डरी/टरशियरी केयर- FMR Code- RCH.3.22.OOC.3

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर चिन्हित स्वास्थ्य अवस्थाओं की निःशुल्क शल्य चिकित्सा हेतु निम्न तालिका के अनुसार धनराशि का प्राविधान किया गया है।

Sl.No.	District	Name of Medical college	Fund allocated (April to July 22)	Fund allocated	Total (in lakh)
1	Aligarh	JN Medical College & Hospital AMU	150.00	100.00	250.00
2	Etawah	RIMS, Safai Etawah (UPUMS)	-	10.00	10.00

Sl.No.	District	Name of Medical college	Fund allocated (April to July 22)	Fund allocated	Total (in lakh)
3	GB Nagar	SSPHPGTI GB Nagar	10.00	20.00	30.00
4	Gorakhpur	B.R.D. Medical College, Gorakhpur	5.00	0.00	5.00
5	Jhansi	M.L.B. Medical College, Jhansi	7.00	10.00	17.00
6	Kanpur Nagar	L.P.S. HRS Kanpur Nagar	-	5.00	5.00
7	Lucknow	K.G.M.U. Lucknow	-	10.00	10.00
8	Meerut	L.L.R.M. Medical College,Meerut	-	5.00	5.00
9	Sitapur	Regional Eye Institute Sitapur	5.00	15.00	20.00
		Total	**177.00**	**175.00**	**352.00**

उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान को धनराशि हस्तांतरित किया जाना है।

नोटः– भविष्य में चिन्हित समस्त राजकीय मेडिकल कालेज द्वारा आवश्यकतानुसार मांग पत्र राज्य स्तर को भेजे जाने के उपरान्त धनराशि जनपदों को आवंटित की जा सकती है।

डी0ई0आई0सी0 मैनेजर हेतु फोन एवं इन्टरनेट चार्जेज– FMR Code- RCH.3.22.OOC.2

- जनपद स्तर पर तैनात डी0ई0आई0सी0 मैनेजर को मोबाइल हेल्थ टीम, संदर्भित इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक एवं डी0ई0आई0सी0 में पंजीकृत बच्चों के उपचार तथा फॉलोअप हेतु उनके अभिभावकों से समन्वय कर लिंकेज स्थापित सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल फोन एवं इन्टरनेट चार्जेस हेतु वार्षिक कुल रू0 3600/– प्रति डी0ई0आई0सी0 मैनेजर की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

जिला स्तर पर एल.2 व एल.3 प्रसव इकाईयों के स्टॉफ का जन्मजात दोषों के पहचान हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण– FMR Code- RCH.3.22.CB.2

- जन्म के तुरन्त बाद बच्चों में चिन्हित किये जाने वाले जन्मजात दोषों के पहचान के लिए प्रसव इकाईयों पर तैनात चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। जनपद के चिन्हित प्रसव इकाईयों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से 4 प्रतिभागी (1 चिकित्सक, 3 स्टाफनर्स/ए.एन.एम.) एवं जिला महिला चिकित्सालय से 6 प्रतिभागी (1 चिकित्सक, 5 स्टाफनर्स/ए.एन.एम.) को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु रु0 24150.00 प्रति बैच की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक बैच में लगभग 30–35 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगें।

District level one day training for Birth defects identification for Delivery Point staff of L2 & L3					
S.N.	**Head**	**Unit Cost**	**No. of Units**	**No. of Days**	**Total amount (Rs.)**
1	Honorarium to Trainers	600	2	1	1200
2	Honorarium, to participant (MO)	500	6	1	3000
3	Honorarium, to participants SN & ANMs	300	24	1	7200
4	Refreshment (Lunch , tea)	250	35	1	8750
5	Contingency & Others			1	4000
				Training cost for one batch	**24150**

नोट– राज्य स्तर पर बर्थ डिफेक्ट्स प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) का आयोजन किया जाना है। प्रशिक्षण में प्रतिभाग किये गये प्रशिक्षकों द्वारा टी0ओ0टी के उपरान्त ही जनपद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Operation cost for Paediatric Cardiac Evaluation and Cardiac Surgery Unit-FMR Code- RCH.3.31.OOC

- कार्यक्रम के अन्तर्गत जे.एन. मेडिकल कालेज ए.एम.यू. अलीगढ़ में स्थापित पीडियाट्रिक कार्डियक इवैलुवेशन एण्ड कार्डियक सर्जरी यूनिट के संचालन हेतु आपरेशनल कॉस्ट मद में **रु0 2.98 लाख** की धनराशि आवंटन की जा रही है, जिसका उपयोग ए0बी0जी0 सेन्सर केसेट, बेबी टॉय इत्यादि मदों में

व्यय किया जाना है। उक्त धनराशि को जे0एन0 मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल अलीगढ़ को हस्तांतरित किया जाना है।

मोबाइल हेल्थ टीम हेतु औषधियॉ– FMR Code- HSS.7.179.DS.4

- कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जानी है। इसके लिए रु0 5000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- प्रत्येक टीम का दायित्व है कि मौके पर उपचारित बच्चों की संख्या तथा उनको दी गयी औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित करना अनिवार्य है।
- आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां ब्लाक सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध है के अतिरिक्त औषधियों के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाए। औषधियों की व्यवस्था यूपी मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन की उपलब्ध दर अनुबंध के अनुसार की जायेगी। यदि आर0बी0एस0के0 ई0डी0एल0 मे उल्लेखित औषधियों में से कोई औषधि की दर अनुबंध उपलब्ध न हो तो उसकी व्यवस्था अन्य प्रक्रिया के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।

मानव संसाधन– FMR Code- HSS.9.184.C

कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर पूर्व से संविदा पर तैनात मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो/कर्मियों के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2021–22 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत बढ़ाकर आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। जिन कर्मियों का मूल मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मानव संसाधन का विवरण निम्नवत है:–

क्रम	एफ0एम0आर0 संख्या	पद नाम	नव नियुक्त कर्मियों का मानदेय (रु0)/माह
1	HSS.9.184.C.S0310	चिकित्सा अधिकारी आयुष	32000.00
2	S0315	चिकित्सा अधिकारी एम.बी.बी.एस.	–
3	S0316	चिकित्सा अधिकारी बी.डी.एस	
4	S0320	स्टाफ नर्स	–
5	S0325	ए.एन.एम	12500.00
6	S0330	पैरामेडिकल स्टॉफ	–
7	S0331	एलोपैथिक फार्मासिस्ट	13500.00

उपरोक्त समस्त कर्मियों के 4 माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के मानदेय हेतु कुल **रु0 6972.42** लाख की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा आगामी 8 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के मानदेय हेतु **रु0 17114.77** लाख की धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है।

नोटः–

- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों को अन्य स्थानों पर संबद्ध नहीं किया जाए।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है तथा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार किया जाए।
- प्रत्येक मोबाइल हेल्थ टीम में मानकानुसार (चिकित्सक–2 (पुरुष–1, महिला–1), स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. –1 एवं पैरामेडिकल/फार्मासिस्ट–1) मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- मोबाइल हेल्थ टीम में पद रिक्त होने पर इसकी सूचना अनुभाग को उपलब्ध करा दिया जायें ताकि राज्य स्तर पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा चयन प्रकिया प्रारम्भ की जा सके।
- महत्वाकांक्षी जनपदों के मोबाइल हेल्थ टीम में पद रिक्त होने पर कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर.बी.एस.के./6/2019–20/6339–2 दिनांक 23.10.2019 में दिये गये निदेर्शो के अनुसार भर्ती प्रकिया जनपद स्तर पर पूर्ण कर ली जाए।

डी.ई.आई.सी. मैनेजर का मानदेय FMR Code- HSS.9.184.C.P260 & C.P261

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सुचारु रुप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर डी.ई. आई.सी. मैनेजर की तैनाती की गई है, जिनके मानदेय की धनराशि गत वर्ष 2021–22 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि एव लॉयल्टी बोनस की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर ही की जानी है। नवनियुक्त डी.ई.आई.सी. मैनेजर के मानदेय के लिए रु0 33,000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि का प्राविधान पर किया गया है। सेवा अवधि 3 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत की दर से लॉयल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाना है। 4 माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के मानदेय हेतु कुल **रु0 111.55** लाख की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा आगामी 8 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के मानदेय हेतु **रु0 279.53** लाख की धनराशि का प्राविधान संबंधित एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है।

डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट FMR Code- HSS.11.193.PME.9.1

- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु फील्ड विजिट व राज्य स्तर पर आयोजित आर.बी.एस.के. समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने के लिए टीए/डीए की व्यवस्था हेतु **मानव संसाधन अनुभाग** की ओर से डी.पी.एम.यू. ऑपरेशनल कॉस्ट मद में रु0 10000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। धनराशि का उपयोग निम्न मानकानुसार किया जाना है–
    - प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन फील्ड विजिट किया जाना है। प्रत्येक माह का विजिट प्लान एवं भ्रमण आख्या बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी से अनुमोदन कराकर राज्य स्तर को भेजना होगा। भ्रमण के दौरान पायी गई कमियों का उचित स्तर से निस्तारण करायें।
    - फील्ड विजिट हेतु दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट छोटा वाहन जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर इम्पैनेल्ड एजेंसी से अनुमन्य दर के आधार पर लिया जा सकता है।
    - बस द्वारा यात्रा किये जाने पर वास्तविक व्यय के आधार पर।
    - मोटर साइकिल/स्कूटर या अन्य वाहन द्वारा किये गये यात्रा के लिए रु0 5.00 प्रति कि0मी0 की दर से।
    - राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/बैठक में प्रतिभाग करने पर उक्त मद में उपलब्ध धनराशि से टीए0/डीए0 का भुगतान डी0पी0एम0 के समतुल्य किया जाना है।

Peadiatric Speech Therapist at SGPGI Lucknow– FMR Code- HSS.9.184.C.S0348

- कार्यक्रम के अर्न्तगत चिन्हित 47 स्वास्थ्य अवस्थाओं में से जन्मजात बहरापन एक अवस्था है, जिसके लिये भारत सरकार द्वारा निशुल्क उपचार किये जाने का प्राविधान है। उक्त के क्रम में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के Neurotology unit, Department of Neurosurgery विभाग द्वारा Cochlear Implant Services प्रारम्भ किया गया है, जहॉ पर जन्म से बधिर बच्चों को Cochlear Implant से सबन्धित सेवाओं हेतु उपचार किया जा रहा है। संदर्भित बच्चों के पूर्ण उपचार हेतु सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व से तैनात **पीडियाट्रिक स्पीच थेरेपिस्ट** के मानदेय की धनराशि गत वर्ष 2021–22 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि एव लॉयल्टी बोनस की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। 4 माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के मानदेय हेतु कुल **रु0 2.77** लाख की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा आगामी 8 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के मानदेय हेतु **रु0 6.82** लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। लॉयल्टी बोनस का भुगतान 3 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत की दर से नियमानुसार किया जाना है। उपरोक्त मानदेय की धनराशि SGPGI लखनऊ को हस्तांतरित किया जाना है।

(ब)शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन–

- कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इसका विस्तार नगरीय क्षेत्र में भी किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश के 15 जनपद तथा द्वितीय चरण में 16 जनपदों में कार्यक्रम के संचालन हेतु मोबाइल हेल्थ टीम का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदवार टीम का विवरण निम्नवत है–

Ist Phase (2020-21)			IInd Phase (2022-23)		
Sl. No.	**District**	**No. of Urban MHT**	**Sl. No.**	**District**	**No. of Urban MHT**
1	Agra	3	1	Azamgarh	**1**
2	Aligarh	2	2	Banda	1
3	Allahabad (Prayagraj)	3	3	Barabanki	1
4	Bareilly	2	4	Bulandshahar	1
5	Faizabad (Ayodhya)	1	5	Chandauli	1
6	Firozabad	3	6	Farrukhabad	1
7	Ghaziabad	3	7	Fatehpur	1
8	Gorakhpur	3	8	Gonda	1
9	Jhansi	1	9	Hathras	1
10	Kanpur Nagar	4	10	Jalaun	1
11	Lucknow	4	11	Kushinagar	1
12	Meerut	2	12	Mathura	1
13	Moradabad	3	13	Mirzapur	1
14	Saharanpur	2	14	Rampur	1
15	Varanasi	4	15	Shahjahanpur	1
			16	Sitapur	1
	Total	**40**			**16**

मानव संसाधन–

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन हेतु अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों की संविदा पर तैनाती की जानी है। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य– 2 आयुष चिकित्सक (1 महिला एवं 1 पुरुष), 1 ए.एन.एम. तथा 1 एलोपैथिक फार्मासिस्ट (कम्प्यूटर में दक्ष) होंगे। अर्बन एम.एच.टी. के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया राज्य स्तर से की जायेगी। मानदेय का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	एफ0एम0आर0 संख्या	पद नाम	नव नियुक्त कर्मियों का मानदेय (रु0)/माह
1	HSS.9.184.C.S0310	चिकित्सा अधिकारी–आयुष	32000.00
2	S0325	ए.एन.एम	12500.00
3	S0331	एलोपैथिक फार्मासिस्ट	13500.00

आयुष चिकित्सक **FMR Code- HSS.9.184.C.S0310**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाले आयुष चिकित्सक के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 32000.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

ए.एन.एम. **FMR Code- HSS.9.184.C.S0325**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाली ए.एन.एम के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 12500.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिन कर्मियों का मूल मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

फार्मासिस्ट **FMR Code- HSS.9.184.C.S0331**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात होने वाले एलोपैथिक फार्मासिस्ट के मानदेय की व्यवस्था हेतु रु0 13500.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिन कर्मियों का मूल मानदेय रु0 15000.00 प्रतिमाह या उससे कम है, के लिए नियमानुसार ई0पी0एफ0 हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु वाहन की व्यवस्था– **FMR Code-HSS(U).6.146.PME.7**

- कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के लिए एक टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। जनपदों में वाहनों के संचालन हेतु रु0 33,000.00 प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर

से प्रथम फेज के जनपद हेतु 12 माह तथा द्वितीय फेज जनपद हेतु 6 माह हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के लिए वाहनों की व्यवस्था टीम के सदस्यों की तैनाती के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाना है। **वाहन का भुगतान ई–टेण्डर द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि (अधिकतम सीमा रु0 33,000 तक) के अनुसार ही किया जायेगा। वाहन व्यवस्था हेतु आर.बी.एस.के. के अन्तर्गत FMR Code-RCH.3.21.OOC.1 पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण रुप से अनुपालन किया जाये।**

आर0बी0एस0के0 अर्बन वाहन विजिबिलिटी प्रोटोकॉल– FMR Code- HSS(U).2.134.IEC.1

- समस्त अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम के क्षेत्र भमण हेतु वाहन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक वाहन पर 7 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल लगाये जाने है। इस हेतु रु0 4000.00 प्रति वाहन की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु उपकरण की व्यवस्था– FMR Code- HSS(U).2.134.EQ.1

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात द्वितीय फेज जनपद के प्रत्येक अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम को क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्न विवरण के अनुसार समस्त उपकरणों की व्यवस्था की जानी है।

Equipment list for each Mobile Health Team	Number for each team
Vision charts	2
toys, torch, bangle (red ring), crayon rattle, bell, 1 inch cubes, cups, head circumference tape, MUAC tape, picture book and magnifying lens	2
Weighing scale Adult	1
Weighing scale infant	1
Height scale standing	1
Length scale (infant)	1
Stethoscope	2
Sphygmomano meter - BP instrument [cuff of 2 size adult & children]	1

उपरोक्त उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 15,000/– प्रति टीम की दर से धनराशि प्राविधान किया है।

नोट–प्रथम फेज के जनपद के अर्बन एम.एच.टी. हेतु उपकरणों की व्यवस्था के लिए रु0 15000.00 प्रति टीम की दर से गत वर्ष 2020–21 में धनराशि आवंटित की जा चुकी है। अतः उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।

अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु औषधियों की व्यवस्था– FMR Code- HSS.7.179.DS.5

- अर्बन मोबाइल हेल्थ टीम हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. के अनुसार औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रु0 5000.00 प्रति टीम की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। आर.बी.एस.के. ई.डी.एल. की जो औषधियां अर्बन सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर उपलब्ध हैं, के अतिरिक्त औषधियों के क्रय हेतु इस धनराशि का उपयोग किया जाए। प्रत्येक टीम द्वारा मौके पर उपचारित बच्चों के संख्या के साथ दिये गये औषधियों को स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर मासिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया जाना अपेक्षित है।

(स) डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर (डी.ई.आई.सी) का संचालन–

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 Ds- Defects at Birth, Deficiency, Diseases and Developmental delays leading to disability से ग्रसित बच्चों की पुष्टि, टर्शरी लेवल इकाईयों से लिंकजेज स्थापित करते हुए निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने एवं उनका फालोअप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेन्शन सेन्टर की स्थापना किये जाने का प्राविधान है।

वर्तमान समय में डी.ई.आई.सी. का सचालन निम्न जनपदों में किया जा रहा है/जाना है।

Sl.No.	Name of Distrtict	DEIC establishment	Status
1	Aligarh	DEIC-COE- JN Medical College & Hospital AMU	Functional
2	Aligarh	DEIC- District Women Hospital	Functional
3	GB Nagar	DEIC-COE- SSPHPGTI GB Nagar	Functional

4	Lucknow	DEIC-COE- K.G.M.U. Lucknow	Functional
5	Ghaziabad	DEIC- District Combind Hospital	Functional
6	Moradabad	DEIC- District Women Hospital	Functional
7	Jhansi	DEIC- MLB Medical College	To be functional
8	Unnao	DEIC- District Hospital	To be functional
9	Chitrakoot	DEIC- District Women Hospital	To be functional
10	Pratapgarh	DEIC- District Women Hospital	To be functional
11	Sonebhadra	DEIC- District Women Hospital	To be functional
12	Amedkar Nagar	DEIC-MCH Wing, CHC, Tanda	To be functional
13	Etah	DEIC- District Women Hospital	To be functional
14	Gonda	DEIC- MCH wing, 5th floor, DWH	To be functional
15	Gorakhpur	DEIC-DWH	To be functional
16	Varanasi	DEIC-SNCU Building, SSH- BHU	To be functional

ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर डी0ई0आई0सी0 सेन्टर- FMR Code- RCH.3.22.OOC.1

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित निम्न डी0ई0आई0सी0 की क्रियाशीलता हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट (कन्ज्यूमेबल, मेडिकल एवं मिसलेनियस गतिविधियों) हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। व्यय वास्तविक भुगतान के आधार पर बुक किया जायेगा। ऑपरेशनल कॉस्ट का विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	डी0ई0आई0सी0 का नाम	Operational cost for DEICs (in lakh)					Total
		Administrative cost	Consumables	Miscllaneous	Maintanance	overhead cost	
1	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. जी.बी. नगर	7.32	6.00	1.38	6.00	1.40	22.10
2	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ	7.32	6.00	1.38	6.00	1.40	22.10
3	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. के.जी.एम.यू. लखनऊ	1.73	1.80	1.20	0.60	-	5.33
4	डी.ई.आई.सी. गाजियाबाद	1.73	3.60	1.02	0.60	0.55	7.50
5	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़	1.73	1.80	1.20	0.60	-	5.33
6	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद	1.73	1.80	1.20	0.60	-	5.33

उपरोक्त धनराशि में से 4 माह (अप्रैल से जुलाई 2022 तक) के आपरेशन कॉस्ट रू0 14.03 लाख की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तथा आगामी 8 माह (अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक) के आपरेशनल कॉस्ट संलग्न फॉट के अनुसार धनराशि का प्राविधान एफ.एम.आर.कोड पर किया गया है।

डी0ई0आई0सी0 हेतु ऑपरेशनल कॉस्ट के **Administrative** मद में सपोर्ट स्टॉफ जैसे रिसेप्शनिस्ट, Group D स्टॉफ एव सुरक्षा गार्ड की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से सपोर्ट स्टॉफ का चयन के मानक सारिणी–1 में दी गई है।

सारणी–1

S.No	Class of Employment	Unskilled	Semi Skilled	Skilled
1	Total Minimum wages Per Month (In Rupees)	9184	10102	11316
	Increment@5%	459.20	505.10	565.80
	(A)	9643.20	10607.10	11881.80

2	EPF @13.36%(employers contribution) (B)	1288.33	1417.11	1587.41
3	ESI @3.25%(Employers contribution) (C)	313.40	344.73	386.16
4	Agency charges upto 10% (D)	964.32	1060.71	1188.18
	(A+B+C+D)	12209.26	13429.65	15043.55
5	GST @ 18%	2197.67	2417.34	2707.84
	Total salary	**14406.92**	**15846.99**	**17751.39**

Category	Some Example of Category
1. Skilled	Driver (Heavy Vehilce), Accountant, Cashier, Store keeper, clerk, Godown keeper
2. Semi Skilled	Sorter/checker, Driver (Light Vehicle), Billman
3. Unskilled	Loader, Un-loader, sweeper and chowkidar.

आउटसोर्स स्टॉफ का विवरण निम्नवत है–

क.सं.	डी0ई0आई0सी0 का नाम	Receptionist	Group-D	Security Guard
1	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. जी.बी. नगर	1	2	1
2	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. ए.एम.यू. अलीगढ	1	2	1
3	डी.ई.आई.सी.–सी.ओ.ई. के.जी.एम.यू. लखनऊ		1	
4	डी.ई.आई.सी. गाजियाबाद		1	
5	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़		1	
6	डी.ई.आई.सी. जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद		1	

डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरण– **FMR Code- RCH.3.22.EQ**

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा, गोरखपुर एवं वाराणसी में स्थापित की जाने वाली डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरण की व्यवस्था की जानी है। रु0 2.00 लाख से अधिक मूल्य के उपकरणों की व्यवस्था राज्य स्तर से यू.पी. मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लि0 से की जा रही है। शेष उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर पर जेम पोर्टल/ई–टेण्डर के माध्यम से की जानी है।

जनपद का नाम	डी0ई0आई0सी0 का नाम	राज्य स्तर द्वारा उपकरण की व्यवस्था हेतु धनराशि (लाख में)	जनपद स्तर द्वारा उपकरण की व्यवस्था हेतु धनराशि(लाख में)	कुल धनराशि (लाख में)
गोण्डा	DEIC- MCH wing, 5th floor, DWH	21.50	23.37	44.87
गोरखपुर	DEIC-DWH	21.50	23.37	44.87
वाराणसी	DEIC-SNCU Building, SSH- BHU	15.50	23.07	38.57
	योग	**58.50**	**69.81**	**128.31**

उपरोक्त सारणी के अनुसार उपकरण हेतु कुल 69.81 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। डी.ई.आई.सी. हेतु उपकरणों की सूची संलग्न है। उपरोक्त सारणी के अनुसार धनराशि बी0एच0यू0 को हस्तांतरित किया जाना है।

डी.ई.आई.सी.–सिविल वर्क, रीफर्बिशमेन्ट एवं इन्टिरियर डिजाइन– **FMR Code- RCH.3.22.IC.3**

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा, गोरखपुर एवं वाराणसी में डी.ई.आई.सी. की स्थापना की जानी है। डी0ई0आई0सी0 के सिविल कार्य, रीफर्बिशमेन्ट एवं इन्टिरीयर डिजाइन हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया गया था तत्क्रम में अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बुकलेट "Resource Manual for EQUIPMNET AND INFRASTRUCTURE for DEIC under RBSK" के अनुसार नियमानुसार स्थापना की जानी है। धनराशि का प्राविधान निम्न विवरण के अनुसार किया गया है।

जनपद का नाम	डी0ई0आई0सी0 का नाम	Civil works on 1st Floor, 2nd Floor & terrace of the building and Electrical work (RCH.3.22.IC.1) (in lakh)	Refurbis ment (RCH.3.22.IC.2) (in lakh)	Interior Design (RCH.3.22.IC.3) (in lakh)
गोण्डा	DEIC- MCH wing, 5th floor, DWH	0.00	40.00	13.93
गोरखपुर	DEIC-DWH	0.00	40.00	13.93
वाराणसी	DEIC-SNCU Building, SSH- BHU	50.00	0.00	0.00
	योग	**50.00**	**80.00**	**27.86**

उपरोक्त सारणी के अनुसार डी0ई0आई0सी0 की स्थापना हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त सारणी के अनुसार धनराशि बी0एच0यू0 को हस्तांतरित किया जाना है।

डी.ई.आई.सी.–नोडल ट्रेनिंग सेन्टर– FMR Code-RCH.3.22.IC.4

कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0एन0 मेडिल कालेज एवं हास्पिटल ए.एम.यू. अलीगढ़ में डी0ई0आई0सी0 नोडल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना की जानी है, जहॉ पर डी0ई0आई0सी0 में नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा। सेन्टर के बोर्ड रुम के निर्माण हेतु रु0 29.25 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। बोर्ड रुम का निर्माण, जे0एन0 मेडिकल कालेज ए.एम.यू. अलीगढ़ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाना है। उपरोक्त सारणी के अनुसार धनराशि ए.एम.यू. अलीगढ़ को हस्तांतरित किया जाना है।

मानव संसाधन–डी.ई.आई.सी– FMR Code- HSS.9.184.C

- कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित मेडिकल कॉलेज/संस्थान/जिला चिकित्सालय स्तर पर संचालित डी0ई0आई0सी0 में पूर्व से कार्यरत स्टॉफ के मानदेय हेतु धनराशि वर्ष 2021–22 में दिये जा रहे मानदेय से 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस की धनराशि सहित आवंटित की जा रही है। संविदा कर्मियों द्वारा निरन्तर एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि उनके परफार्मेन्स अप्रेजल के आधार पर किया जाना है। सेवा अवधि 3 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 5 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत की दर से लॉयल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाना है। **डी.ई.आई.सी के नव नियुक्त स्टॉफ के मानदेय का विवरण निम्नवत है–**

FMR code	DEIC HR	Basic Honoraria (Rs.)/Month
HSS.9.184.C.S0341	Paediatrician	100000
S0342	Pathologist	100000
S0347	MO, MBBS	60000
S0354	MO, Dental	50000
S0355	Training Coordinator	50000
S0360	Staff Nurse (SN)	25000
S0365	Physiotherapist	30000
S0370	Audiologist & speech therapist	40000
S0375	Psychologist	35000
S0380	Optometrist	30000
S0385	Early interventionist cum special educator	35000
S0390	Social worker	30000
S0395	Lab technician	25000
S0400	Dental technician	25000
S0401	Counsellor	25000
HSS.9.184.C.P261	DEIC Manager (at Medical college/institution)	33000

उपरोक्तानुसार डी.ई.आई.सी.के स्टॉफ के मानदेय, मानदेय वृद्धि एवं लायल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाना है। उपरोक्त स्टॉफ के मानदेय हेतु धनराशि का प्राविधान उपरोक्तानुसार एफ0एम0आर0 कोड पर किया गया है।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कर्तव्य एवं दायित्व–

मोबाइल हेल्थ टीम का दायित्व–

- प्रत्येक टीम एक दिन में एक स्कूल एवं एक आंगनवाड़ी केन्द्र अथवा दो आंगनवाडी केन्द्रो का भ्रमण सुनिश्चित करेगी। तद्नुसार वार्षिक माइक्रोप्लान तैयार कर आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को प्रति उपलब्ध करायें। टीम द्वारा प्रतिदिन लगभग 100–120 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये।
- निर्धारित क्षेत्र भ्रमण तिथि से दो दिन पूर्व संबन्धित स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा तथा ए.एन.एम. को दूरभाष द्वारा अवगत करायें।
- क्षेत्र भ्रमण के दौरान वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा अपने साथ आवश्यक औषधियां, उपकरण एम.एच.टी. रजिस्टर (स्कूल एवं आंगनवाड़ी) एवं आर.बी.एस.के. कार्ड अवश्य रखें।
- संदर्भित बच्चों के सापेक्ष प्रत्येक स्तर (सी.एच.सी., जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज/उच्च स्वास्थ्य इकाई) पर उपचारित बच्चों की सूची तैयार कर नियमित रुप से फॉलोअप सुनिश्चित करें।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण का मासिक रिर्पोटिग फॉर्मेट में अंकन व लाइनलिस्ट बनाना।
- आशा के माध्यम से एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी की सूचना आशा/बी.सी.पी.एम. के माध्यम से अपने मासिक रिर्पोटिग में अंकित करना।
- चिन्हित व संदर्भित किए गए बच्चों को आर0बी0एस0के0 सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।
- नोडल अधिकारी आर.बी.एस.के./डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन।
- मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यो को प्रत्येक कार्य दिवस में 8 घण्टे की सेवा प्रदान करना आवश्यक है। उनके द्वारा क्षेत्र भ्रमण स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के खुलने के समयानुसार योजित किया जाए।
- प्रत्येक सदस्य द्वारा क्षेत्र भ्रमण के पूर्व मूवमेंन्ट रजिस्टर में समय एवं स्थान का अंकन सुनिश्चित किया जाये।
- क्षेत्र भ्रमण के उपरान्त ब्लाक स्तर पर अपना कार्य प्लानिंग, माईक्रोप्लान, रिपोर्टिंग आदि पूर्ण कर ससमय रिपोर्ट डी0ई0आई0सी0 मैनेजर/जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायें।
- बच्चों का संदर्भन निश्चित दिवस (शनिवार) को सी.एच.सी. से जिला चिकित्सालय तक आर.बी.एस. के वाहन के माध्यम से किया जाये तथा उपचार के उपरान्त पुनः वाहन से सी.एच.सी पर वापस पहुचा दिया जाये।
- टीम द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे वाहन की लॉगबुक का रखरखाव टीम लीडर की जिम्मेदारी है। लॉगबुक में प्रतिदिन प्रविष्टि करते हुए सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापन करायें।
- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करना।**

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का दायित्व–

- वर्ष के प्रारम्भ में शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मोबाइल हेल्थ टीम का माइक्रोप्लान तैयार कराना एवं तदनुसार भ्रमण कराना। वार्षिक माइक्रोप्लान की प्रति आई.सी.डी.एस. एवं शिक्षा विभाग के संबन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु एक प्रति अपने पास अवश्य रखें।
- बाढ़, आपदा एवं अन्य कारणों से छूटे हुए विद्यालय/आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए विशेष योजना बनाकर शत्–प्रतिशत भ्रमण कराना सुनिश्चित करें।
- टीम को आवश्यक औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध करवाना।
- वाहन पर 07 प्रकार के विजिबिलिटी प्रोटोकॉल के साथ उसकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- टीम हेतु क्षेत्र भ्रमण का मूवमेंन्ट रजिस्टर तैयार करवाना एवं उसका फॉलोअप। टीम के वाहन की लॉगबुक का सप्ताहान्त में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाये।

- प्रत्येक बच्चे का आर.बी.एस.के. कार्ड भरवाना एवं मोबाइल हेल्थ टीम रजिस्टर के सभी कॉलम भरना सुनिश्चित करवाना।
- प्रत्येक माह निश्चित दिवस पर सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि (सी0डी0पी0ओ0, बी0ई0ओ0 व अन्य) व मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्यों के साथ कार्यक्रम की नियमित समीक्षा बैठक करना तथा आवश्यकतानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित करना। समीक्षा बैठक आख्या को जिला नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के/डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रेषित करना।
- **मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**
- ब्लाक स्तर पर तैनात दोंनो टीमों को कार्यक्रम संबंधित रजिस्टर, प्रपत्र, उपकरण, औषधियां आदि को रखने एवं उनके बैठने हेतु एक कमरा उपलब्ध करा दें।

डी0ई0आई0सी0 मैनेजर–आर.बी.एस.के. के दायित्व–

- डी.ई.आइ.सी मैनेजर डी.पी.एम.यू. अथवा स्थापित डी.ई.आई.सी. में निर्धारित स्थान पर बैठेगे।
- सभी मोबाइल हेल्थ टीमों का वार्षिक माइक्रोप्लान बनवायेगें तथा जिले स्तर पर कम्पाइल कर संबंधित से साझा करते हुए राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।
- मोबाइल हेल्थ टीमों के वाहन की लॉगबुक में प्रविष्टि तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन का सतत् फॉलोअप सुनिश्चित किया जाये।
- डी0पी0एम0 से समन्वय करते हुये सप्ताह में कम से कम 2–3 सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अग्रिम मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनायेगें। भ्रमण योजना की एक प्रति राज्य स्तर पर भी साझा करेगे।
- भ्रमण के दौरान मॉनिटरिंग फॉमेट का उपयोग करते हुए मोबाइल हेल्थ टीम, लाजिस्टिक आदि से संबंधित पायी गयी कमियों को ब्लाक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से साझा कर समस्या का निदान करवायेगें। नियमित रुप से इसकी जानकारी जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी देगें। प्रत्येक माह की भ्रमण आख्या के प्रमुख बिन्दु तथा उन पर की गयी कार्यवाही को संकलित कर जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले त्रैमासिक बैठक में चर्चा की जायेगी एवं उसकी एक प्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।
- आशा, आंगनवाड़ी एवं ए.एन.एम. की ब्लाक स्तरीय बैठक में माह में कम से कम एक बार प्रतिभाग करके जन्मजात दोषों के पहचान हेतु उन्मुखीकरण किया जाए।
- आर0बी0एस0के0 के अन्तर्गत संन्दर्भित बच्चों का चिकित्सा इकाईयो के नोडल अधिकारियो से समन्वय स्थापित करते हुये निःशुल्क उपचार करवाना तथा उनका फालो–अप सुनिश्चित कराना।
- एक जनपद से दूसरे जनपद में मेडिकल कालेज/डी0ई0आई0सी0 स्तर पर संदर्भित किये जाने वाले बच्चों के संदर्भन हेतु मातृ जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा संबंधित जनपद के डी.ई.आई. सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाये। अन्य जनपदों को संदर्भित बच्चों की लाइनलिस्ट एवं उनका फालोअप प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये तथा राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार मांगने पर लाइन लिस्ट उपलब्ध कराना।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर एच.एम.आई.एस. आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर में अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुत करना।
- जनपद स्तर पर होने वाली मासिक बैठको एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको में आर.बी.एस.के. की प्रगति एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित करवाना।
- ब्लॉकवार सभी स्तर के संदर्भित बच्चों की (संदर्भन से उपचार तक की सूचनाओं के साथ) लाइन लिस्ट तैयार कर नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करना।
- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- जिला स्तर पर प्रसव इकाई में जन्में बच्चें एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में पाये जाने वाले जन्मजात दोषों की सूचना डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट में संकलित करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तरीख तक राज्य स्तर पर अवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी–आर.बी.एस.के. के दायित्व–

- संबंधित जनपदों में स्थापित डी.ई.आई.सी. केन्द्र का त्रैमासिक भ्रमण करते हुए सुपरवाइजरी चेकलिस्ट भरकर राज्य स्तर को प्रेषित किया जाये।
- डी.ई.आई.सी. मैनेजर द्वारा जनपदीय जिला चिकित्सालयों में मोबाइल हेल्थ टीम के माध्यम से संदर्भित बच्चों के उपचार हेतु समन्वय किया जाना है। डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.पी.एम.यू. कार्यालय में है। जिन जनपदों में डी.ई.आई.सी. की स्थापना हो गई है वहॉ के डी.ई.आई.सी. मैनेजर के बैठने की व्यवस्था डी.ई.आई.सी. कार्यालय में सुनिश्चित करें।
- आर.बी.एस.के. त्रैमासिक समीक्षा बैठक जिसमें संबन्धित विभाग के अधिकारियों, डी.ई.आई.सी. मैनेजर एवं समस्त ब्लाक के मोबाइल हेल्थ टीम के सदस्य प्रतिभाग करेंगे का आयोजन सुनिश्चित करें।
- टीम के सदस्यों को कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारियां भी साझा करते हुए भ्रान्तियों का निवारण किया जाये। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर के साथ साझा करें।
- आर.बी.एस.के से संबंधित सूचनाओं को एच.एम.आई.एस., आर.बी.एस.के. साफ्टवेयर में विभिन्न स्तरों पर अपलोड कराना। उपलब्ध ऑकड़ों को जनपद स्तरीय बैठकों में प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही कराना।
- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कार्यक्रम से संबंधित एजेण्डा को सम्मिलित करवाकर कार्यक्रम की प्रगति को साझा करनां।
- समस्त क्रियाशील प्रसव इकाईयों में जन्में बच्चों एवं एस.एन.सी.यू. में भर्ती बच्चों में जन्मजात दोषों की पहचान प्रसव इकाई/एस.एन.सी.यू. में कार्यरत स्टॉफ के माध्यम से सुनिश्चित कराना।
- चिन्हित जनपदों में डी.ई.आई.सी. के संचालन हेतु एस.एन.सी.यू. से लिंकेजेज, उपकरणों की उपलब्धता, मेडिकल कालेज/संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बच्चों का उपचार करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- वाहन पर 07 विजिबिलिटी प्रोटोकॉल तथा उनकी समय से उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- वाहन लागबुक भरी जाये तथा उसका सत्यापन सुनिश्चित करवाना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट (1.एम.पी.आर. फार्मेट–आशा, स्कीनिंग एम.एच.टी, सर्विस एक्सेस, सेकण्डरी टर्शियरी केयर तथा 2.डिलेवरी प्वाइंट बर्थ डिफेक्ट्स फार्मेट) संकलित कर माह के 5 तरीख तक राज्य स्तर पर अवश्यक रुप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

प्रसव ईकाई पर तैनात स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम. का दायित्व–

- जिला/ब्लाक स्तर के प्रसव इकाईयों पर तैनात स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम द्वारा जन्मजात दोषों की पहचान हेतु समस्त नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त इसका अंकन आर.सी.एच./प्रसव पंजिका के कॉलम सं0 09 (जटिलतायें) में बच्चों में अतिरिक्त जटिलताओं के रूप में आवश्यक रुप से अंकित कर दिया जाये। जन्मजात दोष पाये जाने पर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवश्यक दें ताकि उपचार हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।
- जन्मजात दोषों के परीक्षण एवं संदर्भन के संदर्भ में कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10.04.2019 में दिये गये अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निर्धारित दायित्वों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
- प्रसव इकाई में जन्में बच्चों का बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण आर.बी.एस.के. के मोबाइल हेल्थ टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वे मासिक रिर्पोटिग फोर्मेट में अंकन कर सके।
- जनपद स्तर पर एस.एन.सी.यू. पर तैनात स्टॉफ नर्स द्वारा बच्चो में पाये गये बर्थ डिफेक्ट्स संबंधित विवरण जनपद के डी.ई.आई.सी. मैनेजर को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना।

आशा का दायित्व–

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाडी केन्द्र/स्कूल में भ्रमण निर्धारित माइक्रोप्लान के अनुसार किया जाता है। आशा, मोबाइल हेल्थ टीम से पूरे माह का माइक्रोप्लान प्राप्त कर ले एवं भ्रमण दिवस पर घर–घर जाकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करे कि वे अपने बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अवश्य भेजें एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों पर जागरूकता हेतु स्वयं भी पहुंचें। विशेषकर ऐसे बच्चें जिनमें जन्मजात दोष, कुपोषण, नियमित विकास में देरी, हृदय, नेत्र, दन्त, कर्ण एवं त्वचा संबन्धित रोग आदि स्वास्थ्य समस्यायें है, का

स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य सुनिश्चित करायें ताकि उनका संदर्भन कर निःशुल्क उपचार किया जा सके।

- एच.बी.एन.सी./एच.बी.वाई.सी. के दौरान घरेलू प्रसव में जन्में बच्चों एवं उनमें पाये जाने वाले बर्थ डिफेक्ट्स तथा विकास में देरी से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी. पर संदर्भन करना/मोबाइल हेल्थ टीम को सूचित करना।
- आशा की मासिक बैठक के दिन आर0बी0एस0के0 आशा फार्मेट से संबंधित सूचनाओं को एम.एच.टी. को उपलब्ध कराना है।

शिक्षा विभाग के शिक्षकों का दायित्व–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान चिन्हित 4डी0 से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु शिक्षकों अभिभावकों को प्रोत्साहित किया जाये। टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- विद्यालय में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नं0 मोबाइल हेल्थ टीम को रिकॉडिंग एवं फॉलोअप हेतु उपलब्ध कराया जायें।

आई.सी.डी.एस. विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकत्री का दायित्व–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के दिन अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना।
- 4डी0 से ग्रसित बच्चों को सी.एच.सी./जिला चिकित्सालय स्तर पर संदर्भन हेतु अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- विशेषकर सैम चिल्ड्रेन जो कतिपय रोग से ग्रसित हो, को मोबाइल हेल्थ टीम के भ्रमण दिवस पर परीक्षण कराकर टीम के सहयोग से NRC में संदर्भन कराना।
- टीम के भ्रमण के दिन अधिकाधिक अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये ताकि उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धित विषयों हेतु जागरूक किया जा सके।
- आंगनवाड़ी में पंजीकृत समस्त बच्चों के अभिभावकों का मोबाइल नं0 एम.एच.टी. रजिस्टर में अवश्य रुप से अंकित कराना ताकि टीम द्वारा फॉलोअप किया जा सके।।

पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट ए.एम.यू. के स्टॉफ/टीम का दायित्व–

- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विस्तृत विवरण, आर.बी.एस.के. मॉडल कॉस्टिंग बुकलेट के अनुसार रिकार्ड अनुरक्षित करना।
- हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के अधिक से अधिक संदर्भन हेतु जनपदीय डी.ई.आई.सी. मैनेजर से समन्वय स्थापित करना।
- यूनिट में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा– सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबल आदि का अभिलेख रखना। उपचारित बच्चों का फालोअप करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट माह के 5 तारीख तक आवश्यक रुप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

डी.ई.आई.सी. स्टॉफ/टीम का दायित्व–

- क्रियाशील डी.ई.आई.सी. में प्रत्येक संदर्भित बच्चों का विस्तृत विवरण सहित रिकार्ड अनुरक्षित किया जाए।
- प्रसव इकाईयों एवं एस0एन0सी0यू0 के बच्चों को डी.ई.आई.सी. में संदर्भन हेतु वहॉ के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- बच्चों के निःशुल्क शल्य चिकित्सा प्रबन्धन हेतु मेडिकल कालेज/उच्च स्तरीय इकाईयों के संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना।
- प्रत्येक संदर्भित बच्चों का डोमेनवाइज विवरण उपलब्ध हो तथा सम्पूर्ण उपचार एवं रीहेविलीटेशन (पुनर्वास) हेतु संबंधित इकाईयों से लिंकेजेज स्थापित सुनिश्चित करना।
- डी.ई.आई.सी. में उपचारित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत विवरण यथा– सर्जिकल प्रोसीजर, औषधियां, कन्ज्यूमेबल आदि का अभिलेख रखना।
- उपचारित बच्चों का फालोअप करना। उपकरणों की विस्तृत सूची तैयार करना।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं वित्तीय व्यय रिपोर्ट माह के 5 तारीख तक अवश्यक रुप से राज्य स्तर को उपलब्ध कराना।

अन्य बिन्दु–

- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा फील्ड विजिट के दौरान स्कूल एवं आंगनवाड़ी के बच्चों के आखों का विशेष जॉच की जाये तथा दृष्टि दोष से ग्रसित 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क चश्मे की व्यवस्था राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाना है।
- मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र भ्रमण के दौरान क्षय रोग (टी0बी0) एवं कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से सम्भावित ग्रसित बच्चों को एन0टी0ई0पी0 एवं एन0एल0ई0पी0 के संबंधित संदर्भन इकाई से समन्वय स्थापित करते हुए संदर्भन सुनिश्चित करना। इससे सम्बन्धित अभिलेख, एम0पी0आर0 के सेकेण्डरी/टरशरी केयर फॉर्मेट पर अंकित करना।
- टीम के सदस्यों की उपस्थिति, माईक्रोप्लान के अनुसार विजिट सुनिश्चित कराने का दायित्व डी.ई.आई.सी मैनेजर का होगा।
- भारत सरकार द्वारा विकसित आर0बी0एस0के0 सॉफ्टवेयर को क्रियाशील कराने हेतु संबंधित डाटा– एम.एच.टी., स्कूल, आंगनवाड़ी, डी.ई.आई.सी. आदि का डाटा अद्यतन किया जाना अतिआवश्यक है। अतः डाटा का अपडेशन एम.एच.टी द्वारा ससमय अवश्य पूर्ण करा लिया जाए।

चिकित्सा अधिकारी–एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/आयुष की अधिकतम सेवा अवधि–

- कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात चिकित्सा अधिकारी–एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0 एवं आयुष चिकित्सकों की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष की होगी, इस हेतु कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/आर0बी0एस0के0/06/2020–21/279 दिनांक 01.09.2020 तथा पत्र संख्या 03/SPMU/NHM/AYUSH/Manav Sansadhan/2018-19/2457 दिनांक 18.06.2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

वित्तीय व्यवस्था हेतु विशेष निर्देशः–

- भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी गतिविधि हेतु निर्धारित सीमा तक नियमानुसार व्यय किया जाए। जनपद में समस्त भुगतान पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.आर.एच.एम/2012–13/लेखा/पी.एफ.एम.एस./187/5067–2 दिनांक 04.02.2015 के अनुसार पी.एफ.एम.एस. वेब पोर्टल से तैयार ई–पेमेण्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा ही कराया जाना सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आपरेशनल गाइडलाइन/ 2017–18/ 282/189–2(9) दिनांक 10.04.2018 द्वारा एस.पी.एम.यू. से अवमुक्त की जाने वाले धनराशि के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्रधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाएगा।
- मानदेय मद में अवांटित धनराशि बजट मात्र है। मानदेय का भुगतान मानदेय निर्धारण के अनुसार किया जायेगा।

उपयुक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी एवं आर.बी.एस.के. कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे। उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोग करने के पश्चात् मासिक भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस.पी.एम.यू. अनुभाग एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. संविदा मानव संसाधन दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियो हेतु दिशा–निर्देश वर्गवार प्रेषित किये जा रहें हैं जोकि निम्नवत् है :–

पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन) (Old एफ0एम0आर0 8.1.1.5 एवं 8.1.1.9)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन, एक्स–रे टेक्नीशियन रु0 21067.00 (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 15,923.00 प्रतिमाह का बजट (रिक्त पदों हेतु ई0पी0एफ0 सहित) तथा नियमानुसार अतिरिक्त ई0पी0एफ0 बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेयवृद्धि परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

कर्त्तव्य एवं दायित्व

संविदा पर पैरामेडिकल स्टाफ (लैब टेक्नीशियन एवं एक्स–रे टेक्नीशियन) को अपेक्षित कार्यों एवं दायित्वों के अनुसार कार्यों का निर्वहन करना होगा। इनकी ड्यूटी भी निर्देशानुसार शिफ्ट् में लगाई जा सकती है।

Performance Appraisal Form (Lab Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Lab Technician		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2021-22)
1.	No. of routine blood tests (TLC/DLC/Haemoglobin/ESR	
2.	Stool and urine tests	
3.	Bleeding time, clotting time	
4.	Diagnosis of RTI/STDs with wet mounting, Grams strain, etc.	
5.	Sputum testing for tuberculosis (if designated asa microscopy center under RNTCP)	
6.	Blood smear examination for malarial parasite.	
7.	Rapid tests for pregnancy/malaria	
8.	RPR test for Syphilis/YAWS surveillance	
9.	Any other tests (specify-)	

Qualitative Assessment:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**

C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (X-Ray Technician)

PART-I

Review period: Name: Date of joining: Location: Date of completion of contract:

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Condition of X-RAY machine-funcional/non functional		
Sl.No.	**Activities**	**Achievement** (2021-22)
1.	Ensuring standards in Film Developing and processing modalities	
2.	Following standards of exposure techniques in terms of KV,MA and time	
3.	Following standards in recognition of the part of the body to be X-rayed and select the exposure factor accordingly.	
4.	Preparation of fixer, developer, replenisher to maintain temperature.	
5.	Use of proper exposure factors, collimators, cones and various protective measures.	
6.	Number of X-Rays done	

QUALITATIVE ASSESSMENT:-

Behaviour with patients/Community		
Good	**Average**	**Bad**
Is punctual		
Always	**Sometimes**	**Never**
Takes interest in assigned job		
Always	**Sometimes**	**Never**
Attend and participate in staff meeting		
Always	**Sometimes**	**Never**
C: Any extraordinary achievement made or reasons for shortfall if any during the reporting period		
D. Remark of the Assessing Authority - Overall assessment of the appraisee:		
Date:	**Name:**	**Signature:**

जनपदीय चिकित्सालयों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (Old एफ0एम0आर0 16.4.3.1.9):-

प्रदेश के समस्त जनपदीय महिला/पुरूष/संयुक्त चिकित्सालयों में प्रति चिकित्सालय एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को तैनात करने का प्राविधान किया गया है। ये डाटा इन्ट्री ऑपरेटर चिकित्सालय में मुख्यतः जननी सुरक्षा योजना, आशा, एफ0आर0यू0, चौबीसों घंटे प्रसव सुविधा, आर0टी0आई0/एस0टी0आई0, राष्ट्रीय कार्यक्रम, एच0एम0आई0एस0 के प्रपत्रों के अनुसार एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें कम्प्यूटर पर फीड करने एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना प्रेषित करने का कार्य करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को रु0 16379.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि) एवं रु0 11,500.00 (रिक्त पदों हेतु) का अधिकतम बजट तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया हैं। जोकि नियमानुसार अनुमन्य होने की दशा में लागू होगा। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेयवृद्धि परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर केवल उन कर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

PERFORMANCE APPRAISAL FORM (DATA ENTRY OPERATOR)

PART-I

Review period:
Name:
Date of joining:
Location:
Date of completion of contract:

PART-II

Performance & Achievements (Please comment on the major achievements during the reporting period)

Data Entry Operator

Sl.No.	Activities			Achievement (2021-22)
1.	Data Entry of all required information/records on a concurrent basis and producing monthly/quarterly reports/formats			**Not Submitted/ entered**
Data/Records		**Timely Submission**	**Late Submission**	
Janani Suraksha Yojna				
ASHA				
FRU/24 x 7 Delivery Services				
School Health Program				
National Disease Control Programmes				
RTI/STI Sevices				
Quarterly District updates (for CMO/DPM)				
Any other programme				

दन्त चिकित्सक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 8.1.4.1) :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत दन्त चिकित्सक को रु0 61108.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 39,900.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेयवृद्धि परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

दन्त चिकित्सकों की तैनाती हेतु सामान्य नियम –

दन्त चिकित्सकों की तैनाती उपरोक्तानुसार उन्हीं स्थानों पर की जानी है जहां डेन्टल चेयर उपलब्ध है तथा नियमित दन्त चिकित्सक तैनात न हों एवं दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित सारे उपकरण उपलब्ध हों। इसके लिए जनपदवार फॉट में जो स्वीकृति दी गई है उससे अधिक संख्या में बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती अनुमन्य नहीं होगी। दंत चिकित्सकों की उपलब्धता का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें ताकि अधिक से अधिक दंत रोगी उनका लाभ उठा सकें।

S.No.	Activities	Achievement (2021-22)
1.	No. of OPD cases attended	
2.	No. of cases handled at the facility	
3.	No. of emergency cases attended against the total no. of cases	
4.	No. of procedures handled at the facility	

➢ जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई

वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों का मानदेय सम्बन्धी निम्नलिखित बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेयवृद्धि परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

1 **जिला कार्यक्रम प्रबन्धक**– कार्यरत जिला कार्यक्रम प्रबन्धक हेतु अधिकत बजट रू0 60788.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 32700.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। जिसमें से पूर्व में 04 माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) मानदेय का बजट निर्गत किया जा चुका है।

2 **जिला लेखा प्रबन्धक**– कार्यरत जिला लेखा प्रबन्धक हेतु अधिकतम बजट रू0 49474.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। जिसमें से पूर्व में 04 माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) मानदेय का बजट निर्गत किया जा चुका है।

3 **जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर**– कार्यरत जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक हेतु अधिकतम बजट रू0 49474.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु 26,650.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। जिसमें से पूर्व में 04 माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) मानदेय का बजट निर्गत किया जा चुका है।

4 **जिला डाटा कम लेखा सहायक**– कार्यरत जिला डाटा कम लेखा सहायक हेतु अधिकतम बजट रू0 33771.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 18,150.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) के अनुसार 12 माह का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक जनपद में एक पद स्वीकृत है। जिसमें से पूर्व में 04 माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) मानदेय का बजट निर्गत किया जा चुका है।

5 **कार्यालय सहायक**– कार्यरत कार्यालय सहायक हेतु अधिकतम बजट रू0 11,759.00 प्रतिमाह (मानदेय +वार्षिक वेतन वृद्धि) तथा रु 9184.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) तथा नियोक्ता द्वारा वैधानिक कटौती योगदान हेतु (EPF@13.36%,ESI@3.25%,GST@18%, Service Charge) की दर से अतिरिक्त बजट का प्रावधान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें से पूर्व में 04 माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) मानदेय का बजट निर्गत किया जा चुका है।

6 **जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों हेतु ऑपरेशन व्यय**–जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु वर्ष 2022–23 में ऑपरेशनल व्यय हेतु रू0 120420.00 प्रतिमाह व्यय हेतु स्वीकृत किया गया है।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1) :–

- जिला स्वास्थ्य समिति शासी एवं कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक कर सभी कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा करवाना।
- जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक/कन्सलटेन्ट (DMHC, DLC-NLEP, DPC-NTEP, DQC, DC-NTCP, DC-NVBDCP, UHCs-NUHM, DQIM, DEICM, FLC-NCD) के कार्यो की मासिक बैठक में कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को फीडबैक उपलब्ध कराना। उक्त कार्य मे DPM द्वारा DCPM तथा DAM का सहयोग भी लिया जाये।
- जनपद में संविदा के आधार पर नवीन भर्ती होने व योगदान देने/प्रस्तुत करने के उपरान्त संबंधित सभी औपचारिकताओं को 10 कार्यदिवसों में पूर्ण करते हुये मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराना। यदि कोई संविदाकर्मी द्वारा त्याग–पत्र दिया गया हों या कर्मी की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 से (संविदा) सेवा–समाप्ति की गयी हो तो ऐसे संविदाकर्मी की सूचना भी उपरोक्त उल्लिखित दिवसो में

मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज/अपडेट कराना सुनिश्चित करें जिसे जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा उक्त पोर्टल पर डाटा/विवरण का नियमित रूप से परीक्षण किया जायेगा।

- डिस्ट्रिक्ट वाक–इन के माध्यम से चयनित संविदा विशेषज्ञों/चिकित्सकों की पूर्ण सूचना ससमय राज्य स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स/वेण्डर कर्मियों की व्यक्तिगत सूचना (जनपद का नाम, कार्यक्रम का नाम, पदनाम, योगदान तिथि) एवं संक्षेप/विस्तृत सूचना (Summarised) (कार्यक्रमवार, पदवार, कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं रिक्त पदों की सूचना) मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना। इसके अतिरिक्त समय–समय पर वांछित सूचना को ससमय राज्य स्तर पर प्रेषित करना।
- जननी सुरक्षा योजना सहित सभी कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद की सभी इकाईयों के पास पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।
- डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्त पोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का छमाही परफॉरमेन्स अप्रेजल सुनिश्चित करना।
- प्रतिमाह निर्धारित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु प्रतिभागियों का नामांकन तथा जनपद स्तरीय कार्यक्रम का समय से गुणवत्ता सहित आयोजन कराना।
- टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।
- अरबन हेल्थ पोस्ट पर डिस्प्ले बोर्ड की फोटोग्राफी तथा भौतिक प्रगति की रिपोर्ट।
- HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा क्रियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।
- निर्माण कार्य की माहवार अद्यतन सूचना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार का कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण तथा जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन की कार्यवाही कराना।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों/सर्कुलर/दिशा–निर्देशों/एन0आर0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण एवं उक्त से सम्बन्धित समीक्षात्मक आख्या एस0पी0एम0यू0 को ई मेल द्वारा प्रेषित किया जाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
- जनपद मे कार्यरत Devlopment Partners के साथ समन्वय करते हुये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1) :–

- कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के गुणवत्तापूर्वक संचालन, मुल्याकन एवं अनुश्रवण में जनपदीय नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

- काम छोड़ चुकी आशा/आशा संगिनी और बिना आशा वाले गावों का आकलन कर नई आशा/आशा संगिनी का चयन करवाना।
- (जिले से ब्लॉक को) अविरत रूप से फंड जारी किया जाना सुनिश्चित करना और उनके अधिकतम उपयोग में सहयोग करना।
- आशा व आशा संगिनी को प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति धनराशि का ससमय एवं नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना।
- आशा किटों की आपूर्ति, वितरण एवं उन्हें फिर से भरने के लिए अच्छी व्यवस्था करना।
- आशा के लिए अतिरिक्त सहयोगी तंत्र जैसे–आशा पुरस्कार, शिकायत निवारण प्रणाली, आशा सहायता तंत्र स्थापित करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों को ब्लॉक स्तर पहुंचना।
- वीएचएसएनसी के गठन/पुनर्गठन का पर्यवेक्षण करना और जिला स्तरीय सहयोगी टीम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिले के सभी गांवों में राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार सामुदायिक निगरानी के लिए प्रक्रिया विकसित करना।
- जिला प्रशिक्षण स्थलों का विकास और जिला प्रशिक्षण टीम के गठन एवं क्षमता वर्धन में सहयोग करना।
- एक व्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार करना, आशा, आशा सहयोगियों और वीएचएसएनसी सदस्यों के ब्लॉकवार प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं निगरानी करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुचारु व्यवस्था, जैसे–समुचित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराकर, गुणवत्ता मानकों का पालन किया जा रहा है।
- सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों का एक डेटा बेस रखना।
- जिला प्रशिक्षकों, आशा का प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन सुनिश्चित करना और उनके एवं जिला प्रशिक्षण स्थल की प्रमाणीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।
- ब्लॉक टीम को पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला नोडल अधिकारी और राज्य आशा और सामुदायिक संसाधन केंद्र के साथ समन्वय करना।
- ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं का संकलन करने, और जिला स्वास्थ्य कार्य–योजना के सामुदायिक प्रक्रिया अनुभाग का बजट तैयार करने में डीपीएमयू के साथ समन्वय स्थापित कर, योगदान प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन हेतु जिला संसाधन पूल को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी विभागों, जैसे कि महिला एवं बाल विकास, जल एवं सफाई, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठकें करना।
- आशा एवं सामुदायिक प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना।
- समुदाय स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों यथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों, जे.ई./ए.ई.एस. आदि का समुदाय स्तर पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सहायतित पर्यवेक्षण करना एवं भ्रमण आख्या से उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान वी.एच.एन.डी. का अनुश्रवण करना।
- प्रत्येक आशा के ब्यौरे, प्रशिक्षण स्थिति और ड्रॉपआउट संबंधी ब्लॉकवार डेटाबेस रखना।
- प्रमुख कार्यों में आशा की सक्रियता का मूल्यांकन करने के लिए ब्लॉक सामुदायिक संयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों के अनुरूप जिला स्तरीय निष्पादन रिपोर्टों का संकलन करना।
- कम निष्पादन करने वाले ब्लॉकों की पहचान करना, कम प्रदर्शन के कारणों का आकलन करना और सुधार के लिए रणनीतियां बनाना।
- वीएचएसएनसी के प्रशिक्षण, कार्यक्षमता, खर्च और लंबित कार्य (बैकलॉग) के बारे में ब्लॉकवार डेटाबेस बनाए रखना भी इसका एक नियमित कार्य है।
- रोगी कल्याण समिति के गठन/नवीनीकरण एवं सुचारू संचालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद में स्थापित किये जाने वाले हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान किया जाना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के गैप एनालिसिस करवाने में सहयोग करना।
- गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के उपलब्ध कराने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान करना।

- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रों का आवश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कर जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को अवगत कराते हुये जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बन्धित विभिन्न पोर्टल्स पर ससमय रिपोर्ट अपलोड किये जाने में जनपदीय नोडल अधिकारी (एच.डब्ल्यू.सी.) को सहयोग प्रदान किया जाना।
- अन्य कार्य जो कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा प्रदान किये जायें।

जिला लेखा प्रबन्धक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1) :–

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जनपद के अन्दर समस्त कार्यक्रमों के लेखा सम्बंधी कार्यो का मासिक अनुश्रवण एवं समीक्षा करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में एवं विभिन्न इकाईयों पर कार्यरत लेखांकन अधिकारी/कर्मचारी का पर्यवेक्षण करना।
- फाइनेन्शियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रख–रखाव के लिये प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर आख्या जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करना तथा राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति का टैली डाटा, एफ.एम.आर, बी0आर0एस0, कमिटेड रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्ट को मासिक अन्तराल पर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को प्रेषित करना।
- सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, एवं जिला अस्पताल का टैली डाटा का सप्ताहिक बैकअप रखना। जिला स्वास्थ्य समिति के प्रतिदिन टैली डाटा का बैकअप रखना।
- सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डाटा का मासिक या कम अन्तराल पर गुणवत्ता की जॉच करना।
- जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डाटा से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना ।
- प्रत्येक माह ब्लाक लेखा प्रबन्धक की बैठक करना एवं रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वित्तीय लेखा पुस्तकों के रख–रखाव के निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन आख्या तैयार करवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समस्त लेखा कार्य की समीक्षा करना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल को पत्र संख्याः एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/2017–18/1782–6 दिनांक 28.05.2018 एवं तद्पश्चात् जारी दिशा–निर्देश के अनुसार लागू कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट निष्पादित करवाना, प्रत्येक माह जनपद की समस्त इकाईयों बैंक समाधान विवरण एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं जिला स्वास्थ्य समिति का टैली डाटा एवं टैली डाटा से तैयार रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- वार्षिक त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना एवं ई–मेल के माध्यम से ऑडिटर एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जिला ऑडिट समिति की प्रत्येक वर्ष कम से कम 06 बैठक आयोजित करवाना एवं कार्यवृत्त राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- कान्करेन्ट ऑडिट कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या को जिला ऑडिट समिति की समक्ष प्रस्तुत करना।
- वैधानिक ऑडिट निष्पादित करवाना तथा कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या की समीक्षा करना तथा कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना।
- जनपद के अन्दर की समस्त इकाईयों का बैंक समाधान विवरण बनवाने, मैनुअल रोकड़ बही एवं बाउचर पत्रावलियां के रख–रखाव की समीक्षा करना।
- जनपद के अन्दर समस्त इकाईयों की लेखा पुस्तकों की रख–रखाव की अद्यतन स्थिति का एजेण्डा जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में शामिल करवाना।

- टी0डी0एस0, जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों की कटौती एवं समय से जमा करवाने की समीक्षा करना तथा डी0डी0ओ0 को यथा स्थिति एवं उसके परिणाम से अवगत कराना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति से जिला अस्पताल सी0एच0सी0 /पी0एच0सी0 एवं अन्य इकाइयों के मध्य फण्ड समाधान विवरण तैयार करना।
- जनपद की समस्त इकाईयों पर फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) को लागू करवाना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।
- प्रत्येक माह की 07 तारीख तक सभी कार्यरत कर्मियों का मानदेय निर्गत करते हुये निर्गत सम्बन्धी सूचना वित्त अनुभाग एवं मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला डाटा कम लेखा सहायक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.2.1.1) :–

राज्य स्तर से निर्धारित लेखांकन एवं अन्य कार्य, जिला लेखा प्रबन्धक के कार्यो में सहयोग, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों को तैयार करना एवं अभिरक्षित करना तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के निर्देश में अन्य कार्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।

जिला कार्यक्रम प्रबंधको (डी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल जनपद.....
माह में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य/उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	जिला स्वास्थ्य समिति शासी एंव कार्यकारी निकाय की नियमित रूप से प्रतिमाह बैठक करवाना।	10	
2.	जननी सुरक्षा योजना में धनराशि सुनिश्चित करवाना एवं जच्चा का अस्पताल में 48 घंटे रूकने हेतु सत्यापन करना।	10	
3.	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपद में कार्यरत संविदाकर्मी/आउटसोर्स कर्मियों की व्यक्ति सूचना एवं संक्षेप सूचना मानव संसाधन अनुभाग को प्रेषित करना।	10	
4.	जिला स्वास्थ्य समिति मे कार्यरत सभी कार्मिकों का मानव सम्पदा पर पंजीयन, अवकाश प्रबन्धन, वार्षिक अनुबन्ध तथा समय से मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
5.	डिलीवरी प्वाइंट्स सहित सभी इकाईयों तथा कार्यालयों मे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्तपोषित कर्मियों की कार्यस्थल पर उपस्थिति का औचक निरीक्षण।	10	
6.	टीकाकरण सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
7.	HMIS/UPHMIS पोर्टल पर माहवार एच.एम.आई.एस. की अद्यतन रिपोर्ट, जिला डाटा कम लेखा सहायक (DDAA) तथा जनपद स्तर पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुमोदित नवीन पद (District Monitoring & Evaluation Specialist) के द्वारा क्रियान्वित करते हुये आरसीएच पर पंजीकरण सुनिश्चित करवाना।	10	
8.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।	10	
9.	एन0डी0सी0पी0 (राष्ट्रीय कार्यक्रम) से सम्बन्धित अद्यतन शासनादेशों/ सर्कुलर/ दिशानिर्देशों/एन0एच0एम0 वेबसाइट पर उपलब्ध फार्म से सी0एम0ओ0 एवं सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों को अवगत कराना तथा उनके क्रियान्वयन में सहयोग।	10	

10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य	10	
	कुल योग	**100**	

- ग्रेडिंग का आधारः–

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असन्तोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (डी0सी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	नई आशा एवं आशा संगिनी की नियुक्ति के साथ आशा की अद्यतन सूचना।	10	
2.	वी0एच0एन0डी0 सत्रों का (बुधवार एवं शनिवार) पर्यवेक्षण।	10	
3.	रोगी कल्याण समिति की धनराशि का माहवार उपयोग रिपोर्ट।	10	
4.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की भ्रमण रिपोर्ट।	10	
5.	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का सत्यापन एवं रिपोर्ट।	10	
6.	राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम का अनुश्रवण ।	10	
7.	102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा का औचक निरीक्षण।	10	
8.	आशाओं एवं आशा संगिनी को देय मॉनिटरी एवं नॉनमॉनिटरी प्रतिपूर्ति राशि की ब्लॉकवार समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।	10	
9.	हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर की कन्स्ट्रक्शन, ब्रान्डिंग व क्रियाशीलता की अद्युनान्त सूचना रखना।	10	
10.	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

जिला लेखा प्रबन्धक (डी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यो की समीक्षा। (कैश बुक/ बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियां का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तिकें आदि	10	
2.	प्रत्येक माह कम से कम चार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 का निरीक्षण कर वहां फाइनेन्सियल गाइडलाइन्स के अनुसार लेखा पुस्तकों के अद्यतन रखरखाव की स्थिति की आख्या।	10	
3.	माहवार एफ.एम.आर, एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
4.	प्रत्येक माह ब्लाक एकाउंट मैनेजर की बैठक करना एवं वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।	10	
5.	कांकरेन्ट ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
6	वैधानिक ऑडिट सम्बन्धी कार्य।	10	
7	वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय विवरण तैयार करना।	10	
8	एफ0ए0एम0एस0 को लागू करवाना।	10	
9	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्य।	10	
10	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0 द्वारा समय–समय पर दिये गये नि निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला डाटा कम लेखा सहायक (डी0डी0ए0ए0/डी0डी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्रम सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों/गतिविधियों को ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन में सहयोग।	10	
2.	ब्लॉक पर पर प्लानिंग, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग तथा फीडबैक प्रदान करना।	10	
3	रोगी कल्याण समिति एवं ग्राम,स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति हेतु नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को सहयोग प्रदान करना।	10	
4	प्रत्येक माह कम से कम 8 से 10 दिन क्षेत्र का भ्रमण करना।	10	
5	बुक्स ऑफ एकाउन्ट्स गाइडलाइन के अनुसार बनाने में एम0ओ0आई0सी0 को सहयोग करना।	10	
6	मासिक व्यय रिर्पोट में ब्लॉक स्तर पर हुए व्ययों का समय से सम्मिलित करना।	10	
7	राज्य स्तर से निर्धारित वित्तीय एवं लेखाकंन कार्य।	10	
8	जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के लेखा पुस्तकों का रख–रखाव (कैश बुक/बी0आर0एस0/बिल वाउचर एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि)	20	
9	सम्बन्धित ब्लॉक के सभी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करना।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
मण्डलीय लेखा अधिकारी एवं एम0आई0एस0

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी

ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (Old एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1)

जनपदों में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई क्रियाशील हैं तथा इन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के संविदा कर्मी कार्यरत हैं जिसमें प्रत्येक ब्लाक पर एक ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एक ब्लाक लेखा प्रबन्धक की स्वीकृति है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों को मानदेय सम्बन्धी निम्नलिखित बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान मानदेय पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 05 प्रतिशत की वार्षिक मानदेय वृद्धि परफारमेन्स अप्रेजल के आधार पर केवल उन संविदाकर्मी पर लागू होगी, जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

1 **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1):–** कार्यरत ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक हेतु अधिकतम बजट पर रू0 35379.00 प्रतिमाह (मानदेय+ वार्षिक वेतन वृद्धि+ लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस), 24255.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2 **ब्लाक लेखा प्रबन्धक (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.4.3.1.1):–** कार्यरत ब्लाक लेखा प्रबन्धक हेतु अधिकतम बजट रू0 27136.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा रु0 22,325.00 प्रतिमाह (रिक्त पदों हेतु) का मानदेय बजट आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के एफ. में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

3 **ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई ऑपरेशनल व्यय (Old एफ. एम. आर. कोड संख्या 16.1.5.3.16):–** हेतु वर्ष 2022–23 में ऑपरेशनल व्यय हेतुरूपये 18232.00 प्रतिमाह व्यय हेतु स्वीकृत किया गया है।

<u>ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों के कार्य एवं दायित्व</u> :–

ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक (Old एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1)

<u>निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व</u>

- कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी अधीक्षक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मंशानुरूप सहयोग प्रदान करना।
- ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम नियोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, समन्वयन हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी।
- ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत सहयोगियों BAM, BCPM & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।
- रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम संबंधी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।
- विकास खंड स्तर पर विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करते हुये स्वास्थ्य कार्ययोजना का निर्माण तथा क्रियान्वयन मे अर्न्तविभागीय सहयोग प्राप्त करना।
- ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं के निस्तारण करना।
- प्रत्येक माह से प्रगति सूचना डाउनलोड कर चिकित्सा अधीक्षक के साथ चर्चा करना तथा ए.एन.एम. एंव आशा की मासिक बैठक मे डेटा प्रस्तुत करना।
- सभी लाभार्थियों तथा आशा एंव सेवा प्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।
- प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम दो विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के दौरान कार्यक्रम की समीक्षा विशेषकर मोबाइल टीम की उपस्थिति तथा स्वास्थ्य कार्ड एवं रजिस्टर का भरा जाना।
- माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबंधन करना।
- वित्तीय प्रबंधन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।
- मसिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक को प्रस्तुत करना ।
- स्थापना, कार्यक्रम अनुश्रवण, नियोजन, सस्भागी समन्वयन मे उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
- प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।

ब्लाक लेखा प्रबन्धक (Old एफ0एम0आर0 कोड सं0–16.4.3.1.1)

- अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक को वित्तीय कार्यो में सहयोग करना।
- पी0एफ0एम0एस0 लॉग बुक/चेक निर्गत रजिस्टर तैयार करना।
- रोकड़ बही एवं बैंक बही तैयार करना।
- प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
- टैली डाटा अद्यतन करना।
- टैली डाटा, एफ.एम.आर एवं अन्य वित्तीय सूचना तैयार करना एवं जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना।
- टैली डाटा का प्रतिदिन बैकअप रखा जाना।
- टैली डाटा से लेखा पुस्तकों का प्रिन्ट आउट निकालकर अभिरक्षित करना।
- कान्करेन्ट एवं स्टेच्युटरी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मैनुअल रोकड़ बही, टैली प्रिन्ट आउट, बैंक समाधान विवरण, बाउचर एवं अन्य वित्तीय प्रपत्र एवं पत्रावली उपलब्ध कराना।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का पंजीकरण।
- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से मेकर आई0डी0 का प्रयोग करते हुये समस्त भुगतान करना।

- आशा पोर्टल से तैयार भुगतान फाईल डाउनलोड करके मूल आशा बाउचर से मिलान के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से भुगतान करना।
- उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखों का अनुश्रवण करना।
- उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बिल बाउचर की मूल प्रति ब्लाक स्तर पर अभिरक्षित करना।
- उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों के बैंक खाते मे अवशेष एवं ब्लाक की लेखा पुस्तकों में दर्शायी गयी अवशेष का विवरण तैयार करना।
- वित्तीय लेखा का निरीक्षण आख्या की कृत कार्यवाही एवं अनुपालन आख्या बनवाना एवं वित्तीय नियमावली के अनुरूप कार्य की समीक्षा करना।
- समस्त लेखा संबंधित डाटा को संकलित करना एवं समस्त ब्लाक संबंधित समस्त एन.एच.एम. कार्यो का प्रत्येक माह संकलन/अद्यतन एवं आख्या तैयार करना।
- राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अन्य लेखाकंन सम्बन्धी कार्य।
- फाईनन्शियल एण्ड एकांउटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टमस के माध्यम से समस्त वित्तीय लेन–देनों को व्यवहरित करना।
- फाईनेन्शियल एण्ड एकाउंटिंग मैनेजमेन्ट सिस्टमस (एफ0ए0एम0एस0) के अनुसार व्यय एवं पी0एफ0एम0 एस0 पोटर्ल के अनुसार व्यय का इकाईवार रिपोर्ट तैयार करना तथा चिकित्सा अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी से प्रत्येक सप्ताह दोनों के व्यय में अन्तर की समीक्षा करवाना।

ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक (बी0पी0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी /एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम	प्राप्त अंक
1.	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यत सहयोगियों BAM, BCPM, & DEO का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते हुये इकाई का संचालन।	10	
2.	रोगी कल्याण समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों की कार्य क्षमता एवं विकास हेतु कार्ययोजना बनाना।	10	
3.	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण हेतु ग्राम सम्बन्धी कार्ययोजना बनवाना, साथ ही उक्त समिति को समयानुसार धनराशि उपलब्ध करवाना।	10	
4.	ए.एन.एम./आशा की मीटिंग में उपस्थित होकर सुझावों एवं समस्याओं का निस्तारण करना।	10	
5.	सभी लाभार्थियों तथा आशा एवं सेवाप्रदाताओं को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित करवाना।	10	
6.	प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण लागू करवाना।	10	
7.	माह में कम से कम 8–10 दिन की फील्ड विजिट तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के दैनिक संचालन, वित्तीय प्रबन्धन करना।	10	
8.	वित्तीय प्रबन्धन में प्रभारी अधीक्षक/चिकित्साधिकारी को सहयोग प्रदान करना तथा BAM का पर्यवेक्षण करना।	10	
9.	मासिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह समय पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।	10	
10.	प्रत्येक माह में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति की सूचना जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ससमय प्रेषित करना जिससे कि मानदेय का ससमय भुगतान किया जा सके।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/प्रभारी चिकित्साधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

ब्लॉक लेखा प्रबन्धक (बी0ए0एम0) हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रारूप निम्नवत् हैः–

कार्य मूल्यांकन प्रपत्र

मूल्यांकन वर्ष .....
संविदा कर्मी का नाम .....
तैनाती स्थल (जनपद का नाम).....
वित्तीय वर्ष में अनुपस्थित रहे कार्य दिवसों की संख्या (आकस्मिक/चिकित्सकीय/पैटरनिटी/मैटरनिटी/एल0डब्ल्यू0पी0 अवकाश इत्यादि) .....
तैनाती की तिथि .....संविदा समाप्त होने की तिथि.....

क्र0 सं0	कार्य उत्तरदायित्व	अधिकतम	प्राप्त अंक
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, के समस्त कार्यक्रमों के लेखा कार्यों की समीक्षा। (कैश बुक/बैंक समाधान विवरण/बिल वाउचर/पत्रावलियों का रख–रखाव एवं अन्य लेखा पुस्तकें आदि।	20	
2.	माहवार एफ0एम0आर0 एवं अन्य रिपोर्ट की अद्यतन सूचना प्रेषण।	10	
3.	उप–केन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समितियों के वित्तीय अभिलेखो का अनुश्रवण करना।	10	
4.	कान्करेट ऑडिट संबंधी कार्य।	20	
5.	वैधानिक ऑडिट संबंधी कार्य।	10	
6.	एफ0ए0एम0एस0 पर कार्य करना।	10	
7.	टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0/अन्य वैधानिक दायित्वों से संबंधित कार्य।	10	
8.	एन0एच0एम0 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति/एस0पी0एम0यू0/जिला स्वास्थ्य समिति/सी0एम0ओ0/एम0ओ0आई0सी0/द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, निरीक्षण, सत्यापन एवं सौंपे गये अन्य कार्य।	10	
	कुल योग	**100**	

- **ग्रेडिंग का आधारः–**

आंकलन	कुल बिन्दु	मूल्यांकन
असंतोषजनक	<= 40	
संतोषजनक	41-60	
उत्तम	61-80	
अति उत्तम	81-100	

हस्ताक्षर
जिला लेखा प्रबंधक एवं अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्साधिकारी

9. नर्सिंग कार्यक्रम

9.1 'सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस' प्रशिक्षण
एफ0एम0आर0 मद संख्या–HSS.1.151.CB.1/9.2.2.8.1

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जनसमुदाय को गुणवत्तापरक एवं सुगमतापूर्वक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 20573 उपकेन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में विकसित किया जा रहा है, इन केन्द्रों पर एक–एक जी0एन0एम0/बी0एस0सी0 नर्सिंग की तैनाती की जानी है, जिनको चार माह का 'सर्टिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस' का प्रशिक्षण चिन्हित् प्रोग्राम स्टडी सेन्टर/आर0एच0एफ0डब्लू0टी0सी0 पर के0जी0एम0यू0 के माध्यम से कराया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त उनकी तैनाती सम्बंधित जनपद के उपकेन्द्र स्तरीय Health and Wellness Center पर की जायेगी।

प्रोग्राम स्टडी सेंटर के कार्य :–

- संस्थान/चिकित्सालय में स्थापित ''प्रोग्राम स्टडी सेन्टर'' के प्रोग्राम इंचार्ज एवं काउंसलर्स हेतु अलग से एक कक्ष आवंटित किया जाये, जिसमें उनके बैठने के लिए आवश्यक फर्नीचर तथा कार्यालय कार्य हेतु अलमारी आदि की व्यवस्था हो।
- प्रशिक्षार्थियों की संख्या के अनुसार एक अलग से कक्ष/सभागार की व्यवस्था की जाये, जिसमें उनके बैठने के लिए कुर्सी, मेज तथा अध्ययन हेतु एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, आडियो विडियो, चार्ट, पेपर, मार्कर, माइक, कम्प्यूटर/लेपटॉप आदि की व्यवस्था हो तथा प्रशिक्षण कक्ष को सुसज्जित करते हेतु इण्टर्नल ब्रांडिंग करायी जाये।
- सेंटर द्वारा प्रशिक्षार्थियों के लिए इनरोलमेंट एवं परीक्षा फार्म तथा फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका के0जी0एम0यू0, लखनऊ से प्राप्त किये जायें। साथ ही योगदान देने वाले प्रशिक्षार्थियों के उक्त फार्म को भराते हुए, **कोर्स को–आर्डिनेशन सेल, अधिष्ठाता, नर्सिंग कार्यालय, कलाम सेंटर, के0जी0एम0यू0,** लखनऊ में ससमय जमा कराया जाये तथा प्रशिक्षार्थियों के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेखों की एक प्रति अपने कार्यालय में रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखें।
- परीक्षा फार्म भराते समय प्रशिक्षार्थियों के आधार कार्ड से फोटो एवं अन्य विवरणों का मिलान अवश्य कर लिया जाये।
- सेन्टर स्तर पर चिन्हित कांउसलर्स द्वारा 60 थ्योरी सत्र (1सत्र =2घण्टे) एवं 75 प्रैक्टिल सत्र (1 सत्र=4 घण्टे) सम्पादित किये जायें तथा प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग का कार्य 15–15 प्रशिक्षार्थियों के ग्रुप बनाकर कराया जाये। इस प्रकार 50 से अधिक प्रशिक्षण क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 300 प्रैक्टिकल (75*4=300), अधिकतम 360 सत्रों एवं 45 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 225 प्रैक्टिकल (75*3=225), अधिकतम 285 सत्रों का आयोजन किया जायेगा, इसी प्रकार 35 से कम क्षमता वाले सेंटर पर 60 थ्योरी एवं 150 प्रैक्टिकल (75*2=150), अधिकतम 210 सत्रों का आयोजन किया जाये।
- प्रशिक्षण के थ्योरी सत्र विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिन्हित काउन्सलर्स से ही सम्पादित कराये जायें। यदि किसी विषय के विशेषज्ञ चिकित्सक/काउसंलर्स जनपद में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन लेते हुए चिन्हित काउंसलर्स से उन विषयों का अध्यापन कार्य कराया जा सकता है।
- पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित Communication, Management, Supervision, Leadership, Health Management Information System (HMIS), Financial Management Accounts at Sub centre and records & reports आदि सत्र मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय/जनपदीय लेखा प्रबन्धक एवं जनपदीय कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक से उनके विषय के अनुसार सम्पादित कराये जायें।
- प्रशिक्षण के थ्योरी सत्र में 75 प्रतिशत तथा प्रैक्टिकल सत्र में 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, परन्तु कोविड–19 के दृष्टिगत प्रैक्टिकल सत्र उपस्थिति 80 प्रतिशत पर स्वीकार की जा सकती है,
  थ्योरी सत्रों एवं क्लीनिकल पोस्टिंग के दौरान प्रशिक्षार्थी को नाम पट्टिका सहित एप्रेन पहनना आवश्यक है।

- प्रत्येक सत्र (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल) में निर्धारित प्रारूप पर प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति अंकित की जाये, जिसके आधार पर कांउसलर्स के मानदेय का भुगतान किया जाये। भुगतान के वाउचर में उपस्थिति को संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षार्थियों को विषयवार पठन–पाठन सामग्री की साफ्ट कॉपी तथा पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पी0पी0टी0) की प्रति पेनड्राइव में उपलब्ध करायी जाये तथा उनसे रिसीविंग प्राप्त कर रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखी जाये। पठन–पाठन सामग्री की साफ्ट कॉपी एवं पी0पी0टी0 ई–मेल के माध्यम से राज्य स्तर से पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
- कोविड–19 के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं प्रोटोकॉल (जैसे–सोशल डिस्टेंसिग, मास्क एवं सैनेटाइजर आदि) का पालन प्रशिक्षण सत्रों एवं क्लीनिकल पोस्टिंग के दौरान अवश्य सुनिश्चित किया जाये। समस्त प्रशिक्षार्थियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।
- कोविड–19 के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार ऑनलाइन सत्रों का भी आयोजन किया जा सकता है, जिसमें प्रतिभाग करने वाले प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति, रिकार्ड हेतु अवश्य रखी जाये।
- प्रशिक्षण को ससमय पूर्ण करने हेतु मास्टर रोटेशन प्लान (MRP) एवं क्लीनिकल रोटेशन प्लान (CRP) तैयार किया जाये, जिसमें ''जपाइगो'' के अधिकारियों तथा एन0एच0एम0 की नर्सिंग फैकल्टी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। MRP and CRP का अनुमोदन सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त किया जाये।
- प्रशिक्षार्थियों को मानकानुसार जिला चिकित्सालय–132 घण्टे, सामु0स्वा0के0–60 घण्टे, प्रा0स्वा0के0–60 घण्टे, उपकेन्द्र–36 घण्टे एवं नगरीय सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्र–12 घण्टे, इस प्रकार 300 घण्टे की क्लीनिकल पोस्टिंग करनी अनिवार्य है। पोस्टिंग की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकती है, जिससे प्रत्येक स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके।
- प्रशिक्षण हेतु मानकानुसार थ्योरी सत्र के लिए 1:60 एवं प्रैक्टिकल हेतु 1:10 विषयवार काउंसलर्स की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाये।
- प्रशिक्षार्थियों को दक्ष करने तथा उनके कौशल विकास हेतु समय–समय पर चिकित्सालय में ए0एन0सी0, पी0एन0सी0 वार्ड, लेबर रुम एवं ओ0टी0 आदि में भी ड्यूटी लगाई जाये, साथ ही जनपद में स्थापित स्किल लैब/मिनी स्किल लैब का उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- प्रैक्टिकल सत्र के दौरान ही प्रशिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित लॉग बुक भरा जाना एवं सत्र से सम्बन्धित कांउसलर्स द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य है।
- क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों की सूची प्राप्त की जाये। इस कार्य में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0 का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- स्वास्थ्य इकाईयों की सूची प्राप्त करते समय यह ध्यान रखा जाये, कि उक्त इकाई पर अन्य प्रोग्राम स्टडी सेंटर के प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्व से निर्धारित न हो। विशेष परिस्थिति में दो प्रोग्राम स्टडी सेंटर हेतु एक ही इकाई का चयन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक होगा कि दोनों सेंटर के क्लीनिकल पोस्टिंग के दिवस/माह, अलग–अलग निर्धारित किये जाये।
- यदि प्रशिक्षार्थी द्वारा कतिपय कारणों से प्रशिक्षण बीच में छोड़ दिया जाता है, ऐसी स्थिति में निर्धारित श्योरिटी बाण्ड की धनराशि को चिकित्सालय/संस्थान स्तर पर खोले गये एन0एच0एम0 के खाते में जमा करानी होगी, तद्पोरान्त प्रशिक्षार्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाये।
- के0जी0एम0यू0 द्वारा आयोजित फाइनल परीक्षा के थ्योरी एवं प्रैक्टिकल में उत्तीर्ण होने के लिए अलग–अलग 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये जाने अनिवार्य है, यदि प्रशिक्षार्थी किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, ऐसी स्थिति में उसे अगले सत्र की दोनो परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को अगले सत्र की ही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल एक अवसर स्वयं के खर्चे पर दिया जायेगा, लेकिन इस अवधि में इनको एन0एच0एम0 से किसी भी प्रकार का मानदेय/धनराशि देय नही होगी। पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एस0पी0एम0यू0 स्तर से जारी पत्र के आधार पर इनकी तैनाती सम्बंधित जनपद के उपकेन्द्र स्तरीय एच.डब्लू.सी. पर की जायेगी।

- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अगले सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना परीक्षा फार्म सम्बन्धित प्रोग्राम स्टडी सेंटर के माध्यम से जमा करेंगे तथा निर्धारित परीक्षा फीस उनके द्वारा स्वयं जमा की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में के0जी0एम0यू0 द्वारा पृथक से सूचना प्रेषित की जायेगी।
- प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु प्रोग्राम इंचार्ज द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए चिकित्सालय/संस्थान के नियमित अथवा संविदा पर कार्यरत कर्मियों में से सक्षम कर्मी को सपोर्ट स्टाफ के रूप में एक Assistant Co-ordinator तथा एक Program Asssistant नामित किया जाये। **किसी भी दशा में सपोर्ट स्टाफ का अलग से चयन न किया जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी प्रोग्राम इंचार्ज की होगी।**

प्रोग्राम स्टडी सेंटर पर प्रशिक्षण हेतु वित्तीय व्यवस्था :–

- **प्रशिक्षण कक्षः–**प्रशिक्षण कक्ष के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है तथा नवीन प्रोग्रोम स्टडी सेन्टर्स हेतु मानकानुसार धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है। जिससे प्रशिक्षार्थियों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षण कक्ष/सभागार में आवश्यक सामग्री/उपकरण जैसे–कुर्सी, मेज, ए0सी0, एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर, आडियो विडियो, चार्ट, पेपर, मार्कर, माइक, कम्प्यूटर/लेपटॉप आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। प्रशिक्षण कक्ष को सुसज्जित रखा जाये तथा कक्ष में प्रशिक्षण से सम्बंधित आई0ई0सी0 सामग्री भी लगाई जाये।
- **प्रैक्टिकल, एक्सपोज़र भ्रमण हेतु वाहन/पी0ओ0एल0 :–**इस गतिविधि हेतु रु0 12000/– प्रति प्रशिक्षार्थी के अनुसार धनराशि स्वीकृत है। इस धनराशि का उपयोग छात्र–छात्राओं के विभिन्न स्वास्थ्य इकाईयों पर क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जिला चिकित्सालय/संस्थान के वाहन मे पी0ओ0एल0 के लिए किया जाये, यदि वाहन उपलब्ध नही है अथवा खराब है ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार किराए पर टैक्सी परमिट वाहन का प्रयोग अनुमन्य होगा। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान बिजली न होने की स्थिति में पी0ओ0एल0 का उपयोग आवश्यकतानुसार चिकित्सालय/संस्थान के जनरेटर मे भी किया जा सकता है, जिसका अंकन चिकित्सालय की जनरेटर लॉग बुक में करना अनिवार्य होगा।
- **टी0ओ0टीः–**इस गतिविधि हेतु प्रोग्राम स्टडी सेन्टर को रु0 15,000/– की धनराशि स्वीकृत है। प्रोग्राम इंचार्ज का दायित्व है कि प्रशिक्षण को सुचारु रुप से संचालित करने से पूर्व चिन्हित् चिकित्सकों/काउंसलर्स की एक दिवसीय टी0ओ0टी0 अपने चिकित्सालय/संस्थान पर आयोजित करें। टी0ओ0टी0 में जनपद के मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मण्डलीय/जनपदीय परियोजना प्रबन्धकों को भी आमंत्रित किया जाये। टी0ओ0टी0 में 'जपाइगो संस्था' द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- **विविध व्ययः–**इस गतिविधि हेतु रु0 3750/–प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत है, जिसका उपयोग स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, बैनर, प्रशिक्षार्थी/काउंसलर्स हेतु प्रशिक्षण लर्निंग मैटेरियल, टेलीफोन/इन्टरनेट, फोटोग्राफी, थर्मल स्कैनर, ग्लब्स, सेनेटाइजर, प्रशिक्षण कक्ष को सुसज्जित करते हेतु इण्टर्नल ब्रांडिंग, बैठकों के जलपान, प्रशिक्षण कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मी द्वारा की गई यात्रा तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण से सम्बंधित अन्य मदों में भी किया जा सकता है। साथ ही प्रशिक्षण कक्ष में सफाई व्यवस्था हेतु कार्य दिवसों के आधार पर चिकित्सालय के ही सफाई कर्मी को अधिकतम रू0 75/– प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाये। इस कार्य हेतु अलग से सफाई कर्मी का चयन नहीं किया जाना है।
- **प्रोग्राम इंचार्ज एवं सपोर्ट स्टाफ का मानदेय :–**प्रशिक्षण के सफल संचालन हेतु प्रोग्राम इंचार्ज के लिए Part time honorarium रु0 5000/–प्रति माह की दर से धनराशि अनुमन्य है।
- प्रशिक्षण संचालन में सहयोग हेतु नामित सपोर्ट स्टाफ 01 Assistant Co-ordinator को रू0 4500/– प्रति माह तथा 01 Program Assistant को रू0 3500/–प्रति माह की दर से honorarium अनुमन्य है,
- **कांउसलर्स के मानदेय की व्यवस्थाः–**प्रोग्राम स्टडी सेन्टर पर नोटिफाईड/चिन्हित कांउसलर्स द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले थ्योरी एवं प्रैक्टिल सत्रों हेतु रु0 1500–/प्रति सत्र की दर से धनराशि अनुमन्य है।
- **प्रशिक्षार्थी के मानदेय एवं अवकाश की व्यवस्था :–**प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों को रु0 10,000/–प्रति माह की दर से मानदेय अनुमन्य है तथा मानदेय की धनराशि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तद्दिनांक से उनकी उपस्थिती के आधार पर सेंटर द्वारा देय होगी। एन0एच0एम0 के नियमानुसार

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी को राजकीय अवकाश के अतिरिक्त अधिकतम 7 आकस्मिक अवकाश अनुपातिक दर से अनुमन्य हैं। स्टडी सेंटर पर प्रशिक्षुकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु उपस्थिति पंजिका बनायी जाए, जिसका अनुश्रवण प्रोग्राम इंचार्ज द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।

- **प्रैक्टिकल एवं लिखित परीक्षा :–** समस्त सेंटरों पर प्रशिक्षण हेतु योगदान देने वाले प्रशिक्षार्थियों के फाइनल प्रैक्टिकल एवं लिखित परीक्षा के शुल्क की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के स्तर से के0जी0एम0यू0 को आवंटित की जायेगी। के0जी0एम0यू0 द्वारा समय सारणी, फाइनल प्रैक्टिकल परीक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से समस्त सेंटरों को प्रेषित किये जायेगें।
- प्रशिक्षण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य प्रेषित की जाये।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यः–

- प्रशिक्षार्थी के पोस्टिंग जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रशिक्षार्थियों से उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तीन वर्षों तक कार्य करने हेतु रु0 2,50,000.00 का श्योरिटी बॉण्ड (रु0 100/– के स्टाम्प पेपर पर) तथा वांछित दस्तावेज (हाई स्कूल, इण्टर, जी0एन0एम0/बी0एस0सी0– नर्सिंग की मार्कशीट, उ0प्र0 नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, जाति, ई0डब्लू0एस0 प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड) प्राप्त करना तथा समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखना।
- प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु जनपद के सामु0/प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्रों एवं नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को चिन्हित कर सूचना सम्बंधित प्रोग्राम स्टडी सेन्टर के इंचार्ज को उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य इकाईयों की सूची तैयार करते समय ध्यान रखा जाये, कि उक्त इकाई पर अन्य प्रोग्राम स्टडी सेंटर के प्रशिक्षार्थियों की क्लीनिकल पोस्टिंग पूर्व से निर्धारित न हो। विशेष परिस्थिति में दो प्रोग्राम स्टडी सेंटर हेतु एक ही इकाई का चयन किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक होगा कि दोनों सेंटर के क्लीनिकल पोस्टिंग के दिवस/माह, अलग–अलग निर्धारित किये जायें।
- परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की तैनाती एस0पी0एम0यू0 स्तर से जारी पत्र के आधार पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर की जाये, जिनको निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त परफार्मेन्स बेस्ड इन्सेंटिव भी दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0 द्वारा निर्गत किये जाते हैं।
- अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को अगले सत्र की परीक्षा में सम्मलित होने के लिए केवल एक ही अवसर स्वयं के खर्चे पर दिया जायेगा, परन्तु इस अवधि में इनको एन0एच0एम0 से किसी भी प्रकार का मानदेय/धनराशि देय नही होगी। पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एस0पी0एम0यू0, द्वारा इसकी सूचना पृथक से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर इनकी तैनाती सम्बंधित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर की जायेगी।
- राज्य स्तर से प्रशिक्षण हेतु अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित संस्थान/चिकित्सालय को आवंटित/लिमिट जारी करना तथा प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
- **सहयोगात्मक पर्येवेक्षण एवं अनुश्रवणः–**जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं तकनीकी सहयोग के लिए अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों तथा एन0एच0एम0 की नर्सिंग फैकल्टी द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन किया जायेगा। साथ ही मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0 एवं महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी सहयोगात्मक पर्येवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा।
- **तकनीकी सहयोग :–**प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर 'जपाइगो संस्था' के अधिकारियों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

सम्पर्क सूत्रः–

1. निदेशक, नर्सिंग, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
2. डा0 विजयकीर्ति, नोडल अधिकारी, सी0सी0एच0एन0, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, ई–मेल cchnsihfwup@gmail.com
3. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, स्टेट नर्सिंग नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0ए ई–मेल–spmunursingcellup2022@gmail.com
4. श्री सांई भरत, एस0पी0ओ0, जपाइगो, ई–मेल– Sai.Bharath@jhpiego.org

9.2 प्री–सर्विस एजूकेशन फार नर्सिंग एवं मिडवाइफरी कार्यक्रम

एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.17.OOC.2, RCH.1.17.CB.3, HSS.10.191.OOC.1/2, HSS.9.184.C.S1025/1026/1030

परियोजना का उद्देश्यः

प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कालेज ऑफ नर्सिंग, जी0एन0एम0 स्कूल्स एवं ए0एन0एम0टी0सी0 को सुदृढ़ करना है, जिससे की उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षु नर्स/मिडवाईफ्स को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके। कार्यक्रम के अर्न्तगत कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स मे स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना की जा चुकी है।

चयनित जनपदः– परियोजना के अर्न्तगत निम्नलिखित जनपदों का चयन किया गया है।

(1) लखनऊ, (2) कानपुर नगर, (3) प्रयागराज, (4) वाराणसी, (5) गोरखपुर, (6) बरेली, (7) मेरठ, (8) इटावा एवं (9) आगरा।

क्रियान्वयन रणनीतिः–

- शैक्षिक मानकों के क्रियान्वयन के माध्यम से नर्सिंग कालेज/स्कूल्स के सम्बंधित कालेज में शैक्षिक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार मे मद्द एवं सहयोग करेंगें।
- चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स में स्किल्स लैब के माध्यम से छात्रों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल जानकारी प्रदान की जायेगी।
- भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स की छः सप्ताह का प्रशिक्षण नेशनल/स्टेट नोडल सेन्टर में क्षमता वृद्धि हेतु कराई जायेगी।
- नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को छः दिवसीय प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में तथा दक्षता/सी0एस0एस0 प्रशिक्षण के माध्यम से भी दक्ष किया जायेगा।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नर्सिंग स्कूल्स के प्रधानाचार्य द्वारा नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स को विभिन्न प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे।
- आई0एन0सी0 के मानकों के अनुसार नर्सिंग कालेज/स्कूल्स में नर्सिंग ट्यूटर्स की तैनाती सुनिश्चित की जानी है।

कार्य एवं दायित्वः–परियोजना के अर्न्तगत चयनित मानव संसाधन के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैः–

1. **नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्सः–**नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, चयनित कालेज आफ नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे।

- कालेज आफ नर्सिंग स्कूल्स तथा उससे सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा फैकल्टी/क्लीनिकल सेवाप्रदाताओं की क्षमता विकास के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आर0एम0एन0सी0एच0+ए0 पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- प्रशिक्षण कक्ष, स्किल लैब, उपकरणों, आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की अपूर्ति एवं छात्र/छात्राओं के परीक्षा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित रखने साथ शिक्षण सामग्री तैयार करना सहयोग प्रदान करेंगे।
- आई0एन0सी0 द्वारा अनुमोदित छः सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हुए जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की फैकल्टी का क्लीनिकल एवं शैक्षिक क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगें तथा अपने सुपरविजन में Competency Assessment करेंगें।
- आई0एन0सी0 द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार जी0एन0एम0/एन0एम0टी0सी0 मे विभिन्न प्रशिक्षण सत्रो के नियोजन, आयोजन, सत्रों की मॉनिटरिंग हेतु भ्रमण तथा अनुश्रवण में सहयोग करेंगें।
- उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं राज्य स्तर द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे।

2. **नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्सः–** नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स चयनित कालेज आफ नर्सिंग/जी0एन0एम0 स्कूल्स के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे।

- आई0एन0सी0 के पाठ्यक्रम एवं भारत सरकार के नवीनतम् आर0एम0एन0सी0एच0 +ए0 प्रोटोकॉल के अनुसार छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगे।
- नर्सिंग कालेज/जी0एन0एम0 स्कूल में गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु आई0एन0सी0 मानकों को लागू करने में मद्द करेंगें।
- शैक्षिक कार्यक्रमो के नियोजन, क्रियांवयन एवं मूल्यांकन के साथ क्लीनिकल/मास्टर रोटेशन प्लान तैयार करने तथा विषय वस्तु की समय–सारणी विकसित करने में प्रधानाचार्य को मद्द करेंगें।
- स्किल लैब में छात्र/छात्राओं को आनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगें।
- उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं राज्य स्तर द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे।

3. **कार्यक्रम सहायकः–**कार्यक्रम सहायक चयनित कालेज आफ नर्सिंग स्कूल के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे।

- कार्यक्रम सहायक का दायित्व होगा कि वह कालेज आफ नर्सिंग स्कूल्स की आई0टी0 लैब के उपकरणों जैसे–कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 आदि का रखरखाव सुव्यवस्थित रखेंगे, साथ ही शिक्षण के दौरान प्रयुक्त होने वाली प्रशिक्षण सामाग्री जैसे– वीडियों, पावर प्वाइंट प्रजन्टेशन करने में सहयोग करेंगें।
- कालेज आफ नर्सिंग एवं सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स से समस्त रिपोर्टस एम0एस0 एक्सल, एम0एस0 आउटलुक एवं एम0एस0 वर्ल्ड आदि पर तैयार कर प्रधानाचार्य को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रशिक्षण गतिविधियों को सम्पादित कराने हेतु कालेज आफ नर्सिंग से सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0टी0सी0 से समन्वय करना, लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा फैकल्टी के सहयोग से प्रशिक्षित कर्मियों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कम्प्यूटरीकृत ट्रेकिंग प्लान तैयार करेंगें।
- कालेज आफ नर्सिंग एवं सम्बद्ध जी0एन0एम0/ए0एन0एम0 स्कूल्स की आई0टी0 लैब को स्थापित करने में सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे।
- प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों में प्रधानाचार्य की मद्द करेंगें।
- उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं राज्य स्तर द्वारा आबंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे।

4. **वित्तीय व्यवस्थाः–**

- एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.17.OOC.2 में 6 कालेज आफ नर्सिंग में रु0 25000/–एवं 7 जी0एन0एम0 स्कूल में रु0 10000/– की दर से स्किल लैब में कन्जुमेबल्स आदि के लिए एक मुश्त कुल रु0 2.20 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.10.191.OOC.1/2 में 6 कालेज आफ नर्सिंग एवं 7 जी0एन0एम0 स्कूल हेतु रु0 25000/– की दर से (12 माह) एवं जी0एन0एम0 स्कूल– के0जी0एम0यू0 लखनऊ व मेरठ को रु0 25000/– की दर से (8 माह) Mobility/ POL हेतु कुल रू0 43.00 लाख की धनराशि तथा Contingency हेतु 6 कालेज आफ नर्सिंग के लिए रू0 7500/– एवं 9 जी0एन0एम0 स्कूल के लिए रू0 5000/– की दर से कुल रू0 10.80 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.9.184.C.S1025/1026/1030 में कालेज आफ नर्सिंग एवं जी0एन0एम0 स्कूल्स में नवीन संविदा मानव ससाधन– नर्सिंग फैकल्टी (ट्यूटर्स) को मानदेय धनराशि रु0 35000/– प्रतिमाह, नर्सिंग मिडवाइफरी ट्यूटर्स को रु0 45000/– प्रतिमाह एवं कार्यक्रम सहायकों को रु0 22660/– प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही मानकानुसार इंक्रीमेंट एवं लॉयल्टी बोनस की धनराशि अनुमन्य है।
- एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.17.CB.3में कालेज आफ नर्सिंग, कानपुर नगर, मेरठ एवं वाराणसी मे तैनात नर्सिंग मिडफाइफरी ट्यूटर्स द्वारा कुल 18 दो दिवसीय सहयोगात्मक पर्वेक्षण (3 भ्रमण प्रति एन0एम0टी0 प्रति वर्ष) भ्रमण हेतु अधिकतम रु0 7000/– प्रति भ्रमण की दर से कुल रु0 1.26 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है लेकिन व्यय मानकानुसार/वास्तविकता के आधार पर किया जाये।

नोडल अधिकारीः–

जनपद स्तर पर प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि वह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर उनका नाम, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0, एस0पी0एम0यू0 की नर्सिंग सेल की ई–मेल आई0डी0 (spmunursingcellup2022@gmail.com) पर भेजना सुनिश्चित करें।

अनुबंध की कार्यवाही :–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत प्री–सर्विस नर्सिंग एण्ड मिडवाईफिरी एजूकेशन कार्यक्रम में चयनित नर्सिंग मिडवाईफिरी ट्यूटर्स, नर्सिंग फैकल्टी/ट्यूटर्स एवं कार्यक्रम सहायको को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में निदेशक नर्सिंग, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 एवं तकनीकी सहयोग के लिए अनुबंधित जपाईगो संस्था के अधिकारियों द्वारा फैकल्टी की RMNCH+A गतिविधियों में Competency Assessment की प्रगति समीक्षा की जायेगी।

सम्पर्क सूत्रः–

1. निदेशक, नर्सिंग, ई–मेल dirnursing.dgmh@gmail.com
2. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, स्टेट नर्सिंग नोडल अधिकारी, एस0पी0एम0यू0, ई–मेल spmunursingcellup2022@gmail.com
3. श्री सांई भरत, एस0पी0ओ0, जपाइगो, ई–मेल– Sai.Bharath@jhpiego.org

10. प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु पी0एच0एन0 ट्यूटर के कार्य एवं दायित्व एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.S0953 (9.1.4.2)

प्रदेश के चिन्हित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण करते हुए 35 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों में 02 वर्षीय ए0एन0एम0 प्रशिक्षण सत्र 10 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया गया है तथा एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में एल0एच0वी0 प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इन केन्द्रों में राजकीय नर्सिंग फैकल्टी के अतिरिक्त संविदा पर पी0एच0एन0 ट्यूटर्स की तैनाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा की गयी है।

उद्देश्यः

- स्ट्रेन्थेनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ़ करना है, जिससे कि उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल स्किल्स सेवाओं की जानकारी प्रशिक्षुकों को प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जा सके।

क्रियान्वयन रणनीतिः

- स्ट्रेन्थेनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में स्किल लैब/आई0टी0 लैब की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षुकों को उच्च गुणवत्तापरक शैक्षिक एवं क्लीनिकल्स स्किल्स की जानकारी प्रदान की जायेगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित ए0एन0एम0/एल0एच0वी0 प्रशिक्षण केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा पर पी0एच0एन0 ट्यूटर/फैकल्टी की तैनाती की जा रही है, जिससे आई0एन0सी0/एस0एन0सी0 मानको के अनुरूप अध्यापन का कार्य पूर्ण कराया जा सके।

कार्य एवं दायित्व : पी0एच0एन0 ट्यूटर्स, प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य के अधीनस्थ कार्य करेंगे। प्रमुख कार्य निम्नवत् हैः–

- केन्द्रों की प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा आई0एन0सी0/एस0एन0सी0 के पाठ्यक्रम एवं भारत सरकार के नवीनतम् आर0एम0एन0सी0एच0+ए0 प्रोटोकॉल के अनुसार प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित करना।
- प्रशिक्षण केन्द्रों में स्किल लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी आदि की स्थापना कराने में सहयोग तथा समुचित उपयोग करना।
- स्किल लैब में प्रशिक्षुकों को आनसाइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य करना।
- प्रशिक्षण कक्ष, स्किल लैब, उपकरणों, आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री की अपूर्ति एवं प्रशिक्षुकों के परीक्षा अभिलेख एवं अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के साथ शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।
- अध्यापन के दौरान प्रयुक्त होने वाली प्रशिक्षण सामग्री जैसे–पावर प्वाइंट प्रजन्टेशन, वीडियो एवं अन्य सामग्री तैयार करना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के साथ मास्टर एवं क्लीनिकल रोटेशन प्लान तैयार करने तथा विषय वस्तु की समय–सारणी विकसित करने में प्रधानाचार्य की मद्द करना।
- क्लीनिकल पोस्टिंग हेतु सम्बंधित चिकित्सालय के प्रभारी से समन्वय स्थापित करना।

- सत्र के दौरान समय–समय पर विषयवार परीक्षा का आयोजन करना एवं प्रशिक्षुकों को चिन्हित विषयों पर असाइनमेंट आदि देना।
- प्रशिक्षुकों की शारीरिक एवं ज्ञानवर्धन हेतु एक्स्ट्रा कैरीकुलर एक्टिविटी का आयोजन करना।
- प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों में प्रधानाचार्य की मदद करना।
- प्रधानाचार्य द्वारा आवंटित अन्य कार्यों का सम्पादन करना।
- भारत सरकार द्वारा पी0एच0एन0 ट्यूटर हेतु निर्गत कार्य एवं दायित्व का विस्तृत विवरण संलग्न–1 पर प्रस्तुत है।

नोडल अधिकारीः–

जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जा चुके हैं, जिसकी सूचना महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य चिकित्सा परिषद को जी0ओ0 मैपिंग हेतु प्रेषित की जा चुकी है। सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा है कि उनके द्वारा नोडल अधिकारी न बदले जाये। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में बदला जाना आवश्यक हो तो, नये नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नं0, पदनाम एवं ई–मेल आई0डी0 की सूचना महानिदेशक–प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ई–मेल आई0डी0 (dgmhtraining@gmail.com) एवं एस0पी0एम0यू0 के प्रशिक्षण अनुभाग की ई–मेल आई.डी. (gmtrainingnhm2022@gmail.com) पर अवश्य उपलब्ध करायी जाए।

अनुबंध की कार्यवाहीः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत स्ट्रेन्थनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम में चयनित पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर नियमानुसार तैनात किये जाने की कार्यवाही सम्बंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से की जायेगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन : राज्य स्तर से महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0 के अधिकारियों, मण्डल स्तर से मण्डलीय अपर निदेशक/मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा जनपद स्तर से मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0), जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा सहयोगी संस्थाओं द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण की मेंटरिंग एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था :

1. स्ट्रेन्थेनिंग ऑफ प्री–सर्विस एजुकेशन एण्ड मिडवाइफरी कार्यक्रम के अर्न्तगत संविदा पर नियुक्त पी0एच0एन0 ट्यूटर्स को एफ.एम.आर मद HSS.9.184.C.S0953 (9.1.4.2) से मानदेय हेतु रू0 35000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि देय होगी। संविदा पर पी0एच0एन0 ट्यूटर्स की तैनाती माह अगस्त, 2022 में की गयी है, अतः वर्ष 2022–23 हेतु पी0एच0एन0 के मानदेय के लिए 8 माह हेतु कुल रू0 638.40 लाख सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है।
2. पी0एच0एन0 ट्यूटर का मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत करते हुए ई0एच0आर0एम0एस0 कोड जारी करने के पश्चात मानदेय की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।
4. प्रशिक्षण केन्द्रों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंकबुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें। साथ ही आडिट के दौरान व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर एवं आडिट टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. नर्स मेंटर कार्यक्रम–एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.S1024 & RCH.1.17.CB.1

प्रदेश के समस्त जनपदो में नर्स मेण्टर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, कार्यक्रम के अन्तर्गत नर्स मेण्टर द्वारा प्रसव केन्द्र में तैनात स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 को गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के समुचित देखभाल हेतु उनके ज्ञानवर्धन, अभ्यास एवं कौशल में वृद्धि किया जाना है, जिससे स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 द्वारा गुणवत्तायुक्त सामान्य प्रसव, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त किसी भी मातृ एवं नवजात शिशुओं सम्बन्धी जटिलताओं का निदान, प्रबन्धन तथा संदर्भन किया जा सकेगा।

कार्यक्रम का उद्देश्य– प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या एवं विशिष्ट सूचकांकों को ध्यान में रखते हुये RMNCH+A की सेवाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कार्यक्रम का उददेश्य निम्नवत् हैः–

- उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षित करना।
- प्रसव इकाइयों पर स्वास्थ्य सुविधा हेतु आवश्यक औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति, अभिलेखों के रख–रखाव की प्रक्रिया, संदर्भन प्रक्रिया एवं संक्रमण नियन्त्रण कार्यो में सुधार हेतु चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।
- सेवा प्रदाता के ज्ञान, कौशल विकास एवं अभ्यास में सुधार लाना।

क्रियान्वयन रणनीति –

- प्रदेश के समस्त जनपदों में RMNCH+A की सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने में नर्स मेंटर्स सहयोग प्रदान करेंगी।
- नर्स मेन्टर्स द्वारा प्रसव इकाइयों पर तैनात ए0एन0एम0/स्टाफ नर्स को कौशल विकास हेतु मेंटरिंग सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- जनपदों के चयनित ब्लाकों में स्थापित प्रसव इकाइयों को सुदृढ़ एवं क्रियाशील किये जाने में सहयोग किया जाएगा।

नर्स मेन्टर के कार्य एवं दायित्व –

- ब्लॉक स्तर की प्रसव इकाइयों में RMNCH+A सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहयोग प्रदान करना तथा प्रसव कार्य सम्पादित कराया जाना है।
- संक्रमण नियंत्रण के तरीके जैसे कि हाथ धोना, प्रसव सम्बन्धित उपकरणों का Sterilisation, Bio-Medical Waste का प्रबन्ध आदि किया/कराया जाना है।
- ब्लाक स्वास्थ्य इकाई के अर्न्तगत आने वाली प्रसव इकाईयों पर तैनात ए.एन.एम. एवं स्टाफ नर्स के अभिलेखों के रख–रखाव और सामान्य मातृ एवं बाल जटिलताओं के प्रबंधन हेतु कौशल विकास तथा BEmOC की अधिकांश सेवाओं को बढ़ाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना।
- ब्लॉक के अंतर्गत अक्रियाशील स्वास्थ्य इकाइयों को प्रसव इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ सुनियोजित तरीके से सक्रिय सेवा केन्द्रों में परिवर्तित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- लेबर रूम रजिस्टर, केस शीट, सन्दर्भन स्लिप का उपयोग तथा एच0एम0आई0एस0–यू0पी0एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 पोर्टल पर डाटा का अंकन किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना है।
- चिकित्सा इकाई पर High Risk Pregnancy detection, Basic Clinical checkup, Active Management of Third Stage of Labour, Partograph, Infection Control measure मे हेतु भारत सरकार के MNH tool kit आधारित कार्य प्रणाली को व्यवहार मे लाना।
- भारत सरकार के MNH tool kit के अनुरूप प्रसव कक्ष में न्यू बोर्न केयर कार्नर (NBCC) एवं प्रसव कक्ष के समीप न्यूबोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट (NBSU) विकसित करने तथा क्रियाशील रखने में सहयोग प्रदान करना।
- नर्स मेन्टर अपनी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रत्येक माह अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता को उपलब्ध करायेंगी।

- स्वास्थ्य केन्द्र पर ''क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सर्कल'' गठन में सहयोग करना तथा प्रत्येक माह प्रभारी चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में ''क्वालिटी इम्प्रूवमेंट'' बैठक आयोजित करवाना। प्रसव कक्ष, ट्राइएज कक्ष, ए0एन0सी0 और पी0एन0सी0 वार्ड में आवश्यक औषधि आपूर्ति, उपकरण एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करना।
- क्वालिटी सर्किल टीम द्वारा लेबर रूम के लक्ष्य की चेकलिस्ट के आधार पर स्वास्थ्य इकाई का स्वमूल्यांकन किया जाना।
- नर्स मेण्टर द्वारा ब्लाक की समस्त क्रियाशील प्रसव इकाइयों का आवश्यकतानुसार भ्रमण/परीक्षण करना तथा गैप एनालिसिस के आधार पर इकाई में कार्यरत स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0 के लिये प्रत्येक माह मेण्टरिंग प्लान तैयार करना तथा नियमानुसार प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
- प्रत्येक 02 माह में नर्स मेण्टर, प्रसव कक्ष में कार्यरत स्टाफ की OSCE आधारित योग्यता का मूल्यांकन करना।
- जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा मेडिकल कॉलेज के साथ रेफरल लिंकेज का गठन तथा सन्दर्भित प्रकरणों का ससमय फॉलो–अप करना/कराना।
- नर्स मेण्टर को अपने सी0एच0सी0/बी0पी0एच0सी0 पर मिनी स्किल लैब की स्थापना प्रभारी चिकित्साधिकारी के सहयोग से कराया जाना।
- नर्स मेन्टर द्वारा अपने तैनाती स्थल के प्रसव कक्ष का नियमित अन्तराल में (02 माह में 1 बार) 'लक्ष्य' कार्यक्रम की चेक लिस्ट के अनुसार इन्टर्नल असेसमेण्ट करना/कराया जाना।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये MaNTrA App पर आवश्यक सूचनाओं की इंट्री सुनिश्चित कराना।

मिनी स्किल लैब की स्थापना –

प्रदेश के समस्त ब्लाक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में मिनी स्किल लैब की स्थापना की जानी है, जिस हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र सं0–19फ/नर्स मेंटर्स/2020/943 दिनांक 22.09.2020 एवं एस0पी0एम0यू0 के पत्र सं0–एस0पी0एम0यू0/ मा0स्वा0/नर्स मेंटर/151/2020–21/2747–75 दिनांक 31.8.2020 तथा पत्र दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

- 09 जिले (अलीगढ़, बलिया, मैनपुरी, बांदा, बागपत, सीतापुर, गाजीपुर, अगरा, बदायूं) जिनके विकास खण्डों की चयनित प्रसव इकाई पर मिनी स्किल लैब स्थापित करने हेतु बजट को कमिट नहीं किया गया था, उन जनपदों को रू0 1.50 लाख प्रति मिनी स्किल लैब की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।
- जनपद फिरोजाबाद, महोबा, बस्ती, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, कुशीनगर एवं मुरादाबाद के जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों में मिनी स्किल लैब स्थापित करने हेतु रु0 2.00 लाख प्रति की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिनकी स्थापना पूर्व में प्रेषित पत्रों के माध्यम से दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार की जानी है।
- वर्ष 2022–23 में मिनी स्किल लैब के रख–रखाव हेतु रू0 50,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग मिनी स्किल लैब्स के आर्टिकल्स का गैप एनालिसिस करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त किया जाए।

'थर्ड पार्टी' परीक्षणः– मिनी स्किल लैब हेतु जनपदों द्वारा क्रय किये गये मैनेक्वीन्स एवं उपकरण आदि की गुणवत्ता का परीक्षण **'थर्ड पार्टी'** द्वारा किया जायेगा। यह कार्य यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, तदोपरान्त भुगतान की कार्यवाही सम्बंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाए।

प्रशिक्षण– प्रदेश की नर्स मेंटर्स तथा चिन्हित जनपद की स्टाफ नर्स को निम्न प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया जाना है –

- **06 दिवसीय दक्ष प्रशिक्षण** 79 नर्स मेंटर्स को एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0–लखनऊ में एवं अकांक्षी जनपदों की 275 स्टॉफ नर्स को टी0एन0ए0आई0–नोएडा में 6 दिवसीय **''दक्ष प्रशिक्षण''** प्रदान किया जायेगा। इस हेतु एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ को रू0 10.82 लाख की धनराशि

स्वीकृत/लिमिट जारी की जा रही है। साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति, नोएडा को कुल रू0 37.68 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसको टी0एन0ए0आई0–नोएडा को उक्त प्रशिक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त की जानी है।

- नर्स मेंटर्स का 03 दिवसीय **''दक्षता प्रशिक्षण''** प्रदेश में स्थापित 04 आर्ट ऑफ स्किल लैब (एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0–लखनऊ, डी0सी0एच0–नोएडा, आर0एच0एस0डब्ल्यू0टी0सी0–झांसी, एवं वाराणसी) पर सम्पादित किया जायेगा, जिस हेतु सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को रू0 80,000/– प्रति बैच की दर से 24 बैचों हेतु कुल रू0 19.20 लाख तथा एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ को 10 बैच हेतु रू0 8.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। उक्त प्रशिक्षण हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।
- 03 दिवसीय ''**मेंटरिंग मैथडोलोजी**'' में यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा नर्स मेंटर्स को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- सम्बंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र में निर्धारित मानक के अनुसार वास्तविकता के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी।

नोडल अधिकारी–जनपद स्तर पर नर्स मेंटर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे तथा ब्लॉक स्तर सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। साथ ही जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता द्वारा नर्स मेंटर कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूर्ति हेतु कार्यक्रम की मेंटरिंग, मॉनिटरिंग एवं अनुश्रवण के साथ प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगें।

समीक्षा बैठकें– कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी हैं–

- **जनपद स्तर पर**– मुख्य/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नर्स मेंटरिंग कार्यक्रम की मासिक समीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता, जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस, परामर्शदाता एवं समस्त नर्स मेंटर्स आदि द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
- **ब्लाक स्तर पर**– ब्लाक की चिन्हित स्वास्थ्य इकाई पर चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में क्वालिटी सर्किल टीम के सदस्यों की प्रति माह समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

राज्य स्तर पर सूचनाओं का प्रेषण/रिर्पोटिंग प्रपत्र– कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनांए राज्य स्तर पर प्रशिक्षण अनुभाग की Email ID– gmtrainingnhm2022@gmail.com एवं मातृ स्वास्थ्य अनुभाग की Email ID- gmmhup2019@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायें

- मातृ स्वास्थ्य परामर्शदाता द्वारा समस्त ब्लाक स्वास्थ्य इकाईयों की लेबर रूम का असेसमेंट किया जाना है, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास (जैसे : अप्रैल–जून) में निर्धारित प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगें।
- जनपदीय मातृ स्वास्थ्य, परामर्शदाता नर्स मेंटर कार्यक्रम की संकलित प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करेंगें।
- नर्स मेंटर द्वारा ब्लाक स्वास्थ्य चिकित्सा इकाईयों पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली क्वालिटी सर्किल की बैठक की रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की जाये।

वित्तीय व्यवस्था–

- वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S1024 (9.1.4.2) के अन्तर्गत प्रदेश के एच0पी0डी0 जनपदों में संविदा पर कार्यरत 44 डेडिकेटेड नर्स मेन्टर्स के मानदेय, वार्षिक इन्क्रीमेंट एवं लॉयलटी बोनस आदि हेतु रू0 307.32 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। अतः नियमानुसार प्रतिमाह मानेदय का भुगतान किया जाये। नर्स मेंटर्स द्वारा कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाये।
- ब्लाक प्रसव चिकित्सा इकाईयों पर नामांकित नर्स मेंटर्स हेतु अतिरिक्त मानदेय रू0 5000/– प्रति माह प्रति नर्स मेंटर की दर से कुल रू0 465.60 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है। नर्स मेंटर्स को नामांकन तिथि से उनके द्वारा निर्धारित कार्यों को सम्पादित किया जाना है तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित

अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस में जमा की जाये, जिसके उपरान्त ही उपर्युक्तानुसार अतिरिक्त मानदेय का मासिक भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

- प्रदेश की ब्लाक स्तरीय प्रसव चिकित्सा इकाईयों की 820 नर्स मेंटर्स हेतु रू0 3000.00 प्रति नर्स मेंटर्स की दर से कुल रू0 24.00 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग राज्य/जनपद स्तरीय प्रशिक्षणों एवं बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु किया जायेगा।

प्रिन्टिग ऑफ नर्स मेंटर्स रजिस्टर– प्रदेश की इन ब्लाक स्तरीय प्रसव चिकित्सा इकाईयों हेतु रू0 250.00 प्रति ब्लाक की दर से कुल रू0 2.05 लाख की धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग नर्स मेंटर्स द्वारा उपयोगित किये जाने वाले रजिस्टर की प्रिन्टिंग कराने में किया जाये। रजिस्टर का प्रारूप एवं स्पेशिफिकेशन पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

3. क्यू0आई0 मेंटर्स– एफ0एम0आर0 कोडः HSS.9.184.C.P277 & RCH.1.12.PME

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत गैर उच्च प्राथमिकता वाले 31 जनपदों में वित्तीय वर्ष 2016–17 से दक्षता कार्यक्रम का क्रियान्वयन (Roll Out) किया जा रहा था, जिसके क्रम में जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय में मिनी स्किल लैब स्थापित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ–मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्तमान में 15 जनपदों में तैनात क्यू.आई. मेण्टर (क्वालिटी इम्प्रूवमेण्ट) द्वारा प्रसव इकाईयों पर तैनात समस्त सेवा प्रदाताओं को प्रसूति सेवाओं सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के विस्तृत दिशा–निर्देश एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/क्यू0आई0 मेण्टर/152/2020–21/2000–15 दिनांक 28.7.2020 एवं पत्र संख्या–3257 दिनांक 07.09.2021 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P277 (16.4.2.1.11) में प्रदेश के 15 जनपदों में संविदा पर कार्यरत क्यू0आई0 मेन्टर्स के मानदेय, वार्षिक इक्रीमेंट एवं लॉयलटी बोनस हेतु स्वीकृत रू0 99.81 लाख तथा एफ0एम0आर0 मद संख्या RCH.1.12.PME में आनसाइट मेंटरिंग विजिट हेतु रू0 18.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्पष्ट करना है कि आंवटित धनराशि बजट की अधिकतम धनराशि है, सम्बन्धित क्यू0आई0 मेण्टर को वास्तविक भुगतान उसके मानदेय निर्धारण के आधार पर किया जाये। साथ ही देय मानदेय पर अधिकतम 5 प्रतिशत की इन्क्रीमेंट की धनराशि सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है। क्यू0आई0 मेण्टर को एक ही पद पर कार्य करते हुए 03 वर्ष पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत तथा 05 वर्ष पर पुनः 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस की धनराशि नियमानुसार अनुमन्य है।

4. स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंस (एस0बी0ए0)– एफ0एम0आर0 कोडः RCH.1.17.CB.5

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे संस्थागत प्रसवों को बढ़ाना देना एवं संस्थागत प्रसवों को प्रशिक्षित चिकित्सकों/स्टाफ़ नर्सों/ए0एन0एम0 के द्वारा कराया जाना आदि। इसी क्रम में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक 24X7 प्रसव केन्द्रों पर तैनात समस्त ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स/आयुष महिला चिकित्सक की दक्षता में वृद्वि के लिये विशेष प्रशिक्षण ''स्किल्ड बर्थ अटेण्डेंट (एस0बी0ए0) प्रशिक्षण'' दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण हेतु 24 घण्टे प्रसव सेवा प्रदान करने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात ए0एन0एम0/एल0एच0वी0/स्टाफ नर्स का वर्ष 2022–23 में 21 दिवसीय (5+16) एवं आयुष महिला चिकित्सक हेतु 28 दिवसीय (5+23) एस0बी0ए0 प्रशिक्षण प्रदेश के समस्त ज़िला महिला/संयुक्त चिकित्सालय व प्रथम सन्दर्भन इकाईयों (एफ0आर0यू0) पर सम्पादित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं एस0आई0एच0एफ0डब्लू0, लखनऊ के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में यू0पी0टी0एस0यू0 द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वित्तीय व्यवस्था–वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड RCH.1.17.CB.5 में एस0बी0ए0 प्रशिक्षण हेतु रू0 85.52 लाख (@ Rs. 2.32 lakh per batch for 36 batches) आयुष–एल0एम0ओ0 तथा रू0 2323.04 लाख (@ Rs. 1.83 lakh per batch for 1267 batch) स्टॉफ नर्स, ए0एन0एम0, एल0एच0वी0 एवं सी0एच0ओ0 हेतु सम्बंधित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की जा रही है।

5. प्रदेश में स्थापित आर्ट ऑफ स्किल लैब हेतु पी0ओ0एल0 एवं मेंटीनेंस–एफ0एम0आर0 कोडः RCH.1.17.OOC.2B

वर्ष 2021–22 में प्रदेश के चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों की क्षमतावर्द्धन हेतु 04 आर्ट ऑफ स्किल लैब (एस0आई0एच0एफ0डब्ल्यू0–लखनऊ, डी0सी0एच0–नोएडा, आर0एच0एस0डब्ल्यू0टी0सी0– झांसी, एवं वाराणसी) की स्थापना की गयी है, जिसका उपयोग विभिन्न स्किल बेस्ड प्रशिक्षणों में किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में 3 आर्ट ऑफ स्किल लैब (डी0सी0एच0–नोएडा, आर0एच0एफ0 डब्ल्यू0टी0सी0–झांसी, एवं वाराणसी) हेतु रू0 1.00 लाख प्रति की दर से पी0ओ0एल0/मेंटीनेंस हेतु धनराशि सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को स्वीकृत की जा रही हैं।

6. राजकीय मेडिकल कॉलेजों/स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्किल लैब/आई.टी. लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना– एफ0एम0आर0 कोडः HSS.10.191.CB.2

प्रदेश के 24 राजकीय मेडिकल कॉलेजों/स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थापित कालेज ऑफ नर्सिंग हेतु स्किल/अन्य लैब, आई0टी0 लैब एवं लाइब्रेरी की स्थापना हेतु रू0 79.00 लाख प्रति संस्थान की दर से कुल रू0 1896.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। प्रति नर्सिंग कालेज हेतु विवरण निम्नवत है :–

Training Infrastructure	College of Nursing (Amt. in Rs.)
For establishment of Skills Lab	4000000.00
Library including GoI guidelines	2000000.00
Computer Lab (IT Lab)	600000.00
Fundamentals Of Nursing Lab/ Nursing Foundation Lab (Fon)	800000.00
Community Health Nursing Lab	200000.00
Nutrition Lab	150000.00
Pre-Clinical Lab	150000.00
Total	**7900000.00**

उपर्युक्तानुसार रू0 79.00 लाख प्रति की दर से धनराशि राजकीय मेडिकल कॉलेज–गोरखपुर, कन्नौज, प्रयागराज, पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज–झांसी, मेडिकल कॉलेज–बांदा, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बदायूं, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय–अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थ नगर, हरदोई एवं जौनपुर हेतु सम्बंधित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्वीकृत/आवंटित की जा रही है।

वित्तीय दिशा निर्देश

- धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वित्तीय आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा।
- प्रशिक्षण केन्द्रों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंकबुक, लेजर, चेक इश्यु रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें। साथ ही आडिट के दौरान व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर एवं आडिट टीम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सम्पर्क सूत्रः–

5. डा0 अल्का सिंह (मो0 7985542089) संयुक्त निदेशक–प्रशिक्षण एवं डा0 सचिन वैश्य (मो0 9415025514) संयुक्त निदेशक–प्रशिक्षण (dgmhtraining@gmail.com)

6. डा0 विजयकीर्ति (मो0 9935453820) एवं डा0 मनीष सिंह (मो0 7800090315) नोडल अधिकारी, एस0आई0एच0एफ0डब्लू0 (vijaykirti@rediffmail.com)

7. श्री देवेश चन्द त्रिपाठी, उपमहाप्रबंधक–प्रशिक्षण, एस0पी0एम0यू0 मो0–9412067074 (gmtrainingnhm2022@gmail.com)

8. डा0 वन्दना सिंह (8004930725) एवं डा0 प्रशान्त मिश्रा (9721081399), यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

11. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तन्त्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर वित्तीय व्यवस्था एवं योजना बनायी गयी है। योजना के अर्न्तगत विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा बैठक करने हेतु निम्न निर्देश दिये जा रहे हैं–

(क) मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देशः–

उद्देश्यः–

- राज्य/मण्डल/जनपद द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं शासनादेशों की अनुपालन स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान निर्धारित चार चेक लिस्टों के माध्यम से कार्यक्रम/गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या पर फीडबैक एवं अनुपालन की स्थिति।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या के अनुरूप प्राप्त फीड बैक के आधार पर समस्त अपेक्षित मानकीय सुधार एक सप्ताह के भीतर कार्यक्रम हित मे सुनिश्चित कराया जाना।
- समस्त जनपदों, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 100 महत्वाकांक्षी विकास खण्डों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना, जिससे भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य एवं पोषण के संकेतांकों में सुधार सुनिश्चित हो सकें।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा इकाईयों पर किये गये कार्यों का कार्यक्रमों में जारी मानकों के अनुसार सतत् सत्यापन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जा रही हैः

मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **पर्यवेक्षण दल के सदस्य–**
   - **मण्डल स्तर पर** मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में तैनात समस्त संयुक्त निदेशक, मण्डलीय अभियन्ता, मण्डल स्तर पर तैनात समस्त प्रबंधक/एम0एण्ड0ई0 आफीसर एवं अन्य मण्डलीय एन0एच0एम0 अधिकारियों/कर्मचारियों की कम से कम 2–3 सदस्यों की टीम गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
   - **जनपद स्तर पर** मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी/ एन0एच0एम0 के अन्य प्रबन्धकों, अपर शोध अधिकारी (ए0आर0ओ0) एवं जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी (डी.एच.ई.आई.ओ.) की 3–4 सदस्यों की कम से कम 02 टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
   - **ब्लाक स्तर पर** चिकित्सा अधीक्षक, समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी– पी0एच0सी0, ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सुपरवाईजर एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष एवं महिला)/एल0एच0वी0 की 2–3 सदस्यों की टीमें गठित करके सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है।
2. **मासिक भ्रमण कैलेण्डर–**
   - मण्डल स्तरीय भ्रमण हेतु एडवांस कैलेण्डर मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक के द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर साझा किया जायेगा।
   - जनपद स्तर पर प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम जिला कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार किया जायेगा। जनपद स्तरीय टीमों की कार्ययोजना का पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा तथा राज्य/मण्डल स्तर पर साझा किया जायेगा।
   - विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक माह एडवांस भ्रमण कार्यक्रम ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक के द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के आधार पर तैयार कर जारी किया जायेगा तथा जनपद स्तर पर साझा किया जायेगा।
3. **प्रत्येक माह भ्रमण कार्यभार–**

- **मण्डल स्तर** पर प्रत्येक माह 02 District Assesment Checklist, 08 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist तथा 08 Health & Wellness Center Assessment Checklist भरी जायेंगी।
- **जनपद स्तर** पर प्रत्येक माह 08 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist, 08 Health & Wellness Center Assessment Checklist तथा 01 District Assesment Checklist भरी जायेंगी।
- **ब्लॉक स्तर** पर प्रत्येक माह 04 Facility Assesment Checklist, 08 Community Assessment Checklist तथा 10 Health & Wellness Center Assessment Checklist भरी जायेंगी।

नोट–उक्त चेकलिस्टों को गूगल ड्राइव के माध्यम से भरा जाना है, जिसके लिंक निम्नवत् हैं–

1:-Community Checklist:- https://forms.gle/7dsMFPGPxMMQhKK39

2:-District Checklist:- https://forms.gle/ZSmpGjK2UKDdeAN8A

3:-Facility Checklist:- https://forms.gle/4g6qKHvcYXA3RGBb7

4:-HWC Checklist:- https://forms.gle/YYB2wJhmLE7DCtP89

4. चेकलिस्ट/भ्रमण आख्या की तैयारी–

- **मण्डल स्तर के भ्रमणकर्ता** द्वारा लेवल–3 इकाईयों तथा फैसिलिटी एवं नजदीकी कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भ्रमण कर चेकलिस्टों/भ्रमण आख्या को राज्य स्तर पर एवं सम्बन्धित जनपद पर प्रेषित किया जायेगा, जिसका दायित्व मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक का होगा। मण्डलीय लेखा प्रबंधक समस्त जनपदों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे। मण्डल स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मण्डलीय अपर निदेशक एवं सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगी।
- **जनपद स्तर के भ्रमणकर्ता** द्वारा प्रत्येक माह ब्लाक में स्थित लेवल–3 इकाईयों एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों का भ्रमण कर फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ एण्ड वेलनस सेन्टर एसेस्मेन्ट चेकलिस्टों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। जनपद स्तरीय टीमों को प्रत्येक त्रैमास में जनपद की समस्त एल–1 इकाईयों का अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य होगा। जिला लेखा प्रबंधक जनपद की समस्त ब्लाक स्तरीय इकाईयों के लेखा कार्यो का अनुश्रवण प्रत्येक माह करना सुनिश्चित करेंगे। जनपद स्तर की टीमें भ्रमण उपरान्त फीडबैक लिखित रूप में मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित करेंगीं, जिसकी प्रतिलिपि मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- **ब्लाक स्तरीय टीम** को प्रत्येक माह ब्लाक में स्थित लेवल–1 एवं लेवल–2 की समस्त इकाईयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाना है। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को सामुदायिक गतिविधियों का अनुश्रवण कराया जाना चाहिए। इन दिवसों पर समस्त एल0एच0वी0/पुरूष सुपरवाईजर को सत्रों के अनुश्रवण हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के वाहन से भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बी0पी0एम0 द्वारा टीमों के माध्यम से किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण सम्बन्धित चेकलिस्टों को प्राप्त कर संकलित किया जाना है। फैसिलिटी, कम्युनिटी एवं हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर सुधारात्मक कार्यवाही टीम के द्वारा मौके पर ही कराई जानी है।

5. अनुपालन आख्या–

- मण्डल के अधीन आने वाले समस्त जनपदों के प्रबंधकों/अधिकारियों द्वारा लिखित भ्रमण आख्याओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप एवं फीडबैक लिखित रूप में जनपदों एवं मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय में दिया जाना है।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त भ्रमण आख्याओं पर आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप किया जाना है। फैसिलिटी संबंधित टीम में अपर/उपमुख्य चिकित्साधिकारी अवश्य रहेंगे।
- ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व है कि किये गये भ्रमण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही एवं निरंतर फॉलोअप सुनिश्चित किया जाये साथ ही प्रत्येक त्रैमास ब्लाक के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र आच्छादित हो जायें।

6. मोबिलिटी सपोर्ट–

- मण्डल स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक मंडल @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व मण्डलीय परियोजना प्रबंधक का होगा।
- जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **दो कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक जनपद @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 का होगा।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण हेतु **एक कामर्शियल टैक्सी** वाहन/टैक्सी परमिट तथा परिवहन विभाग में पंजीकृत वाहन प्रत्येक ब्लाक @ Rs 33000/- प्रति माह प्रति वाहन की दर से, जिसका दायित्व प्रभारी चिकित्साधिकारी का होगा।

7. वाहन अनुबन्धित करने के नियम–

- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर संचालित किये जाने वाले वाहनों को ई–टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से अनुबन्धित किया जायेगा। समस्त वाहन टैक्सी परमिट एवं जी0पी0एस0 युक्त होने आवश्यक हैं। प्रत्येक माह प्रत्येक वाहन द्वारा कम से कम 1500 किलोमीटर की यात्रा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनपद के भ्रमण/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान आवश्यकता होने पर अनुबन्धित वाहन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. वाहन प्रयोग सम्बन्धित नियम–

- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर जिन अधिकारियों के पास पूर्व से सरकारी/किराये का वाहन आवंटित/उपलब्ध है, उनके द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु अनुबन्धित वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तर पर समस्त अधिकारी जिनके पास सरकारी वाहन या पूर्व से वाहन उपलब्ध नहीं है वह इस वाहन का उपयोग पूर्ण मितव्ययिता का पालन करते हुये करेंगे।
- वाहनों का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यो के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक माह भुगतान के पूर्व वाहन के लागबुक एवं जी0पी0एस0 लागबुक की छायाप्रति भुगतान बिल के साथ प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।
- प्रत्येक स्तर पर नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि टूर प्लान के अनुसार निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित भ्रमणकर्ता को वाहन उपलब्ध कराया जाये। वाहन का उपयोग करने वाली टीम भ्रमणोपरान्त लागबुक को प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगी।

9. राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम को साझा की जानी वाली सूचनाऐं–

- मण्डल एवं जनपद स्तर की अग्रिम भ्रमण योजना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ई–मेल के माध्यम से साक्षा की जाये।
- ई टेण्डर/जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त वाहनों के टैक्सी परमिट एवं अनुबन्ध पत्र को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में साक्षा कर दिया जाये।
- मण्डल/जनपद स्तर के भ्रमण दल के द्वारा भ्रमणोपरान्त भ्रमण–आख्या राज्य स्तर पर साक्षा की जाये।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अनुबन्धित किये गये वाहनों की सूचना एवं अनुबन्ध–पत्र की छायाप्रति राज्य स्तर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक माह भ्रमण कार्ययोजना की स्कैन कॉपी को राज्य स्तर पर ई–मेल के द्वारा प्रेषित करना तथा एन0एच0एम0 पोर्टल पर निरीक्षण आख्या को अपलोड कराना सुनिश्चित करें। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण से संबंधित पत्राचार एम0एण्डई0 अनुभाग की **ई–मेल आई डी ssupnhm2019@gmail.com** पर करना सुनिश्चित करें।

(ख) मण्डल/जनपद/ब्लॉक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश :–

उद्देश्यः–

- राज्य द्वारा प्रेषित समस्त नवीन शासनादेशों/दिशा–निर्देशों को उपलब्ध कराते हुये उद्देशात्मक चर्चा।

- विगत् माह की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं कृत्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अनुपालन।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण आख्या पर फीडबैक, अनुपालन आख्या एवं उत्तरोत्तर सुधार हेतु सम्बन्धित ए0टी0आर0 सुनिश्चित किया जाना।

मण्डलीय/जनपदीय/ब्लाक स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक हेतु अनिवार्य दिशा–निर्देश–

विवरण	मण्डल स्तर पर	जनपद स्तर पर		ब्लाक स्तरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर
		जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक	जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक	
अध्यक्षता	मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	मुख्य चिकित्साधिकारी	जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	प्रभारी चिकित्साधिकारी
बैठक का समन्वय अधिकारी	मण्डलीय परियोजना प्रबंधक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	मुख्य चिकित्साधिकारी	ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक
प्रतिभागी	मण्डल के समस्त संयुक्त निदेशकों, समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, जनपद स्तर पर तैनात समन्वयक	मण्डलीय अधिकारी, मुख्य चिकित्साधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारी एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, रीजनल कोआर्डिनेटर–आशा, समस्त कार्यक्रमों में तैनात प्रबंधक, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, ए0आर0ओ0, एच0ई0ओ0, आदि।		जनपद स्तर से अधिकारी, समस्त नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी, समस्त ब्लाक इकाई पर तैनात चिकित्सक, समस्त एल0एच0वी0, पुरुष पर्यवेक्षक, बी0पी0एम0यू0 में तैनात समस्त प्रबंधक, एम0सी0टी0एस0 ऑपरेटर, समस्त स्टॉफ नर्स, ए0एन0एम0
वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 में निर्धारित मासिक बैठको की संख्या	12	12	12	12
कार्यवाही	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), राज्य स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।	बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद स्तर से दो सप्ताह के भीतर अपलोड किया जायेगा।		बैठक का विस्तृत कार्यवृत्त (प्रतिभागी सूचना सहित), जनपद स्तर पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।
जलपान एवं अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्था हेतु धनराशि का प्रावधान	रू0 5000 प्रति बैठक	रू0 2000 प्रति बैठक	रू0 2500 प्रति बैठक	-
वित्तीय व्यवस्था	**एफ0एम0आर0 कोड नम्बरः HSS.11.193.PME.4 (Old FMR 16.1.3.1.1) Field Visit (Supportive Supervision at State Level)**			

उक्त के क्रम में मण्डल, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु जनपदों को एफ. एम.आर.कोड संख्याः **HSS.11.193.PME.4 (Old FMR 16.1.3.1.1)** Field Visit (Supportive Supervision at State Level), कोड संख्या **HSS.11.193.PME.5 (Old FMR 16.1.3.3.3)** Field Visit (Supportive Supervision at District Level) एवं कोड संख्या **HSS.11.193.PME.6 (Old FMR 16.1.3.4.3 S01)** Field Visit (Supportive Supervision at Block Level) से धनराशि को व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक मे आपको निर्देशित किया जाता है कि मण्डल, जनपद एवं ब्लाक में टैक्सी परमिट वाहनों से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु स्वीकृत बजट को शासकीय एन0एच0एम0 वित्तीय मैनुअल के नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।

मिशन फ्लैक्सीपूल
(पार्ट–बी)

1.कम्युनिटी प्रोस्सेस

1.1 आशा योजनाः–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है। आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं–

1. ASHA Incentive for HWC आशा द्वारा सी–बैक फार्म भरने एवं रोगियों के फालोअप हेतु प्रतिपूर्ति राशि (HSS.1/HSS.1.150.ASHA.1)

इस वर्ष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बद्ध आशाओं को क्षेत्र में निवास कर रहे 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु प्रति फार्म रू0 10.00 की दर से धनराशि देय होगी। जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया गया हैं उनके द्वारा सी–बैक फॉर्म एप्लीकेशन पर भरे जायेंगे। आशा के क्षेत्र में जिन लाभार्थियों का सी–बैक फॉर्म भरा गया है, उनका सत्यापन सम्बन्धित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के लिए सी0एच0ओ0 एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के मुख्य केन्द्र से सम्बन्धित आशाओं के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायगा। इस हेतु सी0एच0ओ0/चिकित्साधिकारी प्रति आशा क्षेत्र के लाभार्थियों की गणना कर रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर प्रेषित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फालोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100.00 की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50/– की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100/– तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

2. आशा नियमित गतिविधियों हेतु प्रतिपूर्ति राशि (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.1)

आशाओं को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 2000.00 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्रतिपूर्ति राशि भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार चिन्हित गतिविधियों हेतु अनुमन्य है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

क्र0 सं0	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि प्रतिमाह (रू0 में)
1	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
2	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रतिभाग करने पर	150
3	आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150
4	वर्ष के आरम्भ में परिवारों की सूची तैयार (प्रति माह लाइन लिस्टिंग) करने पर एवं 6 माह के पश्चात अद्यतन करने पर	300
5	ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की सूचना देने हेतु सहायता करने पर	300
6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
8	योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
योग		**2000**

3. आशा संगिनी के द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं प्रतिपूर्ति राशि (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.2) आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि सम्बन्धी दिशा–निर्देश–

आशा संगिनी को उनके द्वारा की जाने वाली नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू0 450.00 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है–

क्र0सं0	गतिविधियॉ	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)
1	आशा संगिनी अपनें क्षेत्र की समस्त आशाओं की आशा डैग किट का नियमित रिफिलिंग कराकर आशा डायरी में अधयतन करना सुनिश्चित करेगी	100
2	आशा संगिनी प्रत्येक माह अपने क्षेंत्र की प्रत्येक आशा के मासिक भुगतान की निगरानी रखेगी जिसके अर्न्तगत वह वाउचर जमा करने की तारीख, आशाओं द्वारा वास्तविक भुगतान एवं प्रतिपूर्ति राशि प्राप्ति की तिथि अंकित करेगी	100
3	आशा संगिनी अपनें क्षेत्र में मातृ एवं शिशु (<-5 Years) मुत्यु का लेखा–जोखा अपनी संगिनी रजिस्टर में अंकित करेगी। संगिनी 24 घण्टें के अन्दर रिर्पोटिंग प्रपत्र में मृत्यु को दर्ज करना सुनिश्चित करेगी	100
4	आशा संगिनी द्वारा बी.सी.पी.एम. के साथ सी.एच.सी. / पी.एच.सी. पर मासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा–व्यय	150

उपरोक्त के अतिरिक्त आशा संगिनियों को नवीन प्रतिपूर्ति राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त के अन्तर्गत आशा संगिनियों को निम्न तालिका के अनुसार अधिकतम रू0 1250.00 प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायेगी–

क्र.स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि	टिप्पणी
1–क	आशा संगिनी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 50 CBAC form का परीक्षण करने पर एवं 70 प्रतिशत लोग जिनका CBAC रिस्क स्कोर 4 या 4 से अधिक है उनका प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कराना सुनिश्चित करने हेतु	200	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ख	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिशत डायबेटीज एवं हाईपरटेन्शन के रोगियों को प्रतिमाह औषधि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	150	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर क्षेत्र अथवा PBS जनपद हेतु
1–ग	आशा संगिनी अपने क्षेत्र में समस्त आशाओं के कम से कम 10 प्रतिशत लक्ष्य दम्पत्ति, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण का सत्यापन।	350	उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर न हो अथवा वह PBS जनपदों में न आती हो।
2	आशा संगिनी क्षेत्र के समस्त क्षय रोग के मरीजों को नियमित रूप से औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु	150	समस्त जनपदों हेतु
3	आशा संगिनी क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय के आधार पर निम्न सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर • क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का गृह भ्रमण। • उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर नियमानुसार HRP का अंकन। • आशाओं के सहयोग से कम से कम चार प्रसव पूर्व जाँचें जिनमें से कम से कम एक जाँच	500	समस्त जनपदों हेतु

क्र.स.	गतिविधियाँ	अधिकतम देय धनराशि	टिप्पणी
	चिकित्सालय स्तर पर करायी गयी हो। • आशाओं के साथ उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार कराना • संस्थागत प्रसव • पोर्टल पर अंकन		
4	क्षेत्र भ्रमण के दौरान उच्च जोखिम वाले नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर फालोअप करना • जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले नवजात। • SNCU से Discharge नवजात शिशु।	150	समस्त जनपदों हेतु
5	• बीमार नवजात शिशु, जिन्हें आशा द्वारा HBNC के दौरान Refer किया गया हो। • पोषण पुनर्वास केन्द्र से डिस्चार्ज बच्चों का फॉलो–अप।	100	समस्त जनपदों हेतु

4. **हेल्थ प्रमोशन डे (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.3)**

हेल्थ प्रमोशन दिवस के अन्तर्गत निर्धारित मासिक गतिविधियों के आयोजन में आशा द्वारा समुदाय को प्रेरित एवं जागरूक करने के लिए पत्रांक संख्या प0क0/08–प्रशि0/आ0यो0/ दिशा–निर्देश/2018–19/4613–75 दिनांक 27.09.2018 के अनुसार प्रति गतिविधि में प्रति माह आशाओं को **रू0 200.00** दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

5. **आशा बीमा (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.4)**

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन एवं दिशा निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरी आशाओं एवं आशा संगिनियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में रू0 330/– प्रति व्यक्ति की दर से तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रू0 12/– प्रति व्यक्ति की दर से बीमा हेतु आवश्यक प्रीमियम की धनराशि आवंटित की जा रही है। कार्यालय के पत्रांक एस.पी.एम.यू./कम्यू. प्रो./आशा बीमा योजना/2015–16/84/6382 दिनांक 24.10.2019 एवं एस.पी.एम.यू./कम्यू.प्रो./आशा बीमा योजना/18–19/84/वॉल्यूम.1/4911–75 दिनांक 19.11.2020 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश प्रेषित किये गये हैं।

6. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –(HSS.3/HSS.3.159.ASHA.5)**

आशा द्वारा गर्भवती महिला का पंजीकरण कराने के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का फार्म भरा जायेगा, जिसके साथ गर्भवती महिला का MCP कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक/पोस्ट आफिस पास बुक की छाया प्रति फार्म के साथ ANM को उपलब्ध करायेगी। इसके पश्चात् प्रति केस **रू0 50.00** की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

आशा द्वारा गर्भवती महिला का प्रपत्र–1 सी भरकर ए0एन0एम0 के पास जमा किया जायेगा। आशा का भुगतान लाभार्थी को तृतीय किस्त के भुगतान के साथ ही किया जायेगा। इसके पश्चात् प्रति केस रू0 50.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

7. **मातृ समूह बैठक (**मात्र HPD जनपदों मे लागू**) (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.6)**

प्रदेश मे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर मे कमी लाने के लिए मातृ बैठकों के माध्यम से माताओं को प्रसव पश्चात उचित देखभाल से सम्बन्धित जानकारी देकर उन्हे बचाया जा सकता है। आशा द्वारा सकारात्मक

स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम स्तर पर प्रसव पश्चात् 1 वर्ष तक के बच्चों की माताओ का एक समूह बनाकर एक–एक माह के अन्तराल पर मातृ बैठक आयोजित की जानी है।

ग्राम स्तर पर एक आशा क्षेत्र में लगभग 10 से 15 माताएं (जिनके बच्चे जन्म से 01 वर्ष तक के होगें) मिलेगी। इस समूह की बैठक, दो माह में एक बार आशा द्वारा क्षेत्र में सुगम स्थान का चयन करते हुए आयोजित की जायेगी, जिसमें निर्धारित थीम अनुसार आशा द्वारा माताओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विषयों पर जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक मातृ बैठक के लिए एक थीम निर्धारित की गयी है।

मातृ बैठक निर्धारित थीम अनुसार किया जाए। मातृ समूह की बैठक आयोजित किए जाने हेतु आशा को कुल रू. 200/– प्रति बैठक हेतु प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दिया जाना है। यह धनराशि आशा को प्रत्येक मातृ समूह की बैठक सुनिश्चित करने पर देय होगी।

8. ए.ए.ए. (उपकेन्द्र स्तरीय) बैठक (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.7)

समुदाय स्तरीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु प्रथम पंक्ति की कार्यकर्त्रियाँ यथा–ए.एन.एम., आँगनवाड़ी एवं आशाओं के मध्य आपसी समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र क्षेत्र में कार्यरत समस्त कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी व आशा की मासिक बैठक आयोजित किया जाना है। यह बैठक उपकेन्द्र अथवा उपकेन्द्र क्षेत्र के अर्न्तगत अन्य किसी सार्वजनिक स्थान यथा आँगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, विद्यालय आदि पर आयोजित की जा सकती है। यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम या तृतीय बृहस्पतिवार को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक आयोजित की जानी है। उपकेन्द्र स्तरीय बैठक में प्रतिभाग करने हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को प्रतिमाह रू 75 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

9. आशाओं एवं आशा संगिनियों को यूनिफार्म (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.8)

राज्य कार्ययोजना वर्ष 2022–23 के अंर्तगत आशा यूनिफार्म (एक यूनिफार्म के रूप में यथा साड़ी/सलवार–कुर्ता) हेतु रू0 1000/– प्रति आशा एवं आशा संगिनी की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा एवं आशा संगिनी द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रू0 1000/– का भुगतान PFMS के माध्यम से पूर्व में प्रषित दिशा–निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

10. आशा सम्मेलनः–

आशा सम्मेलन का आयोजन स्तर पर आयोजित किया जाना है, जिसमें सभी आशाओं (ग्रामीण एवं शहरी) एवं आशा संगिनियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। सम्मेलन में आशाओं को विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देने के साथ–साथ प्रत्येक ब्लाक से सर्वश्रेष्ठ आशाओं एवं संगिनियों को सम्मानित भी किया जाता रहा है। आशा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुदाय में आशा की भूमिका को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाना है। आशाओं को इस बात का एहसास दिलाना है कि प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने तथा समुदाय को प्रेरित करने में उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भी आशाओं द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में किये गए कार्यो के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं, शहरी आशाओं, आशा संगिनियों एवं बी.सी.पी.एम. को पुरस्कृत किया जाएगा।

जनपदीय आशा सम्मेलनों के लिये आयोजन पर निम्न विवरण के अनुसार धनराशि अनुमन्य की जा रही है, जिसका व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न किया जायेः–

क्र0सं0	मद	दर
1	भोजन व्यवस्था	रू 75/– प्रति आशा
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु	रू0 4000/–
3	सम्मेलन व्यवस्था (कुर्सी, मेज, माईक, बैनर एवं अन्य)	1. 500 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 15000/– 2. 750–1000 आशाओं की उपस्थिति तक रू0 20000/– 3. 1000 आशाओं से अधिक रू0 25000/–
4	आशाओं हेतु सामग्री किट फोल्डर, प्रचार–प्रसार सामग्री, पम्पलेट आदि	रू0 50/– प्रति आशा

क्र0सं0	मद	दर
5	आशाओं के आने–जाने हेतु	रू0 100/– प्रति आशा
6	कन्टीजेन्सी, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्म आदि	रू0 8000/–
7	ब्लॉक की द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली आशाओं हेतु पुरस्कार की धनराशि	रू0 3000/–(2000+1000=3000) प्रति विकास खण्ड
8	आशा संगिनी पुरस्कार	रू0 10000/–
9	बी.सी.पी.एम. पुरस्कार	रू0 5000/–

11. आशा संगिनी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि (HSS.3/HSS.3.159.ASHA.10)

आशा संगिनी अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं की सक्रियता भारत सरकार द्वारा वर्णित 10 बिन्दुओं पर निर्धारित करेगी। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रतिपूर्ति राशि रू0 300.00 प्रति भ्रमण दिवस की दर से अधिकतम 24 भ्रमण दिवस हेतु अधिकतम रू0 7200.00 तक प्रतिमाह (वास्तविक भ्रमण दिवसों के आधार पर), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा किये गये सत्यापन के पश्चात देय होगी।

आशाओं के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश की समस्त आशा संगिनियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराये गये हैं। मोबाइल फोन द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की रिर्पोटिग हेतु समस्त आशा संगिनियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अब आशा संगिनियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन पर ही पर्यवेक्षण आख्या अंकित की जायेगी एवं मोबाइल एप्लीकेशन आधारित भ्रमण का ही भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही यदि आशा संगिनीयों को मोबाइल एप्लीकेशन मे किसी प्रकार की तकनीकि समस्या आ रही है तो, समस्या का समाधान होने तक, आशा संगिनी द्वारा प्रपत्र 1 और 2 को मैनुअल भरकर ब्लॉक पर जमा किया जायेगा जिससे उनका भुगतान बाधित न हो।

नोट– बी0सी0पी0एम0, डी0सी0पी0एम0 और रीजनल मैनेजर द्वारा आशा संगिनी के ऐप आधारित भुगतान की नियमित रुप से निगरानी करेगें।

12. आशा क्लस्टर बैठक क्षमतावर्द्धन सत्र (HSS.3/HSS.3.159.CB.1) –

आशा क्लस्टर बैठक में क्षमतावर्द्धन सत्र का आयोजन पूर्व में भेजे गये दिशा–निर्देश संख्या–एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./पी.आई.पी./2021–22/93/2478–75 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार किया जायेगा। बैठक में प्रत्येक माह आशा को क्लस्टर बैठक के क्षमतावर्द्धन सत्र में प्रतिभाग करने हेतु रू0 100/–एवं आशा संगिनी को सत्र फैसिलिटेट करने हेतु रू0 200/–की धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है। ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक द्वारा प्रतिमाह अपने ब्लॉक में आयोजित होने वाली क्लस्टर बैठकों के क्षमतावर्द्धन सत्र संचालन की रिर्पोट माह की 05 तारीख तक बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस. में अपडेट किया जाएगा।

13. मण्डल स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक (HSS.3/HSS.3.159.OOC.4)

ब्लॉक/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक त्रैमास में एक बार मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में मण्डलीय मुख्यालय पर समस्त ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनजर्स की त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। उपरोक्त बैठक हेतु धनराशि रू0 500/– प्रति ब्लाक कम्युनिटी प्रोसेस मेनेजर प्रति बैठक (त्रैमास) की दर से अनुमोदित की गई है। उक्त धनराशि बैठक हेतु हाल, प्रोजेक्टर, प्रतिभागियों हेतु खान–पान एवं स्टेशनरी आदि के लिए समस्त वित्तीय नियमो को ध्यान में रखते हुए व्यय की जायेगी। जहां तक संभव हो सरकारी भवनों में स्थित हाल का उपयोग किया जाये। व्यय के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी। प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता आदि (टी.ए./डी.ए.) उनके तैनाती स्थल से यात्रा भत्ता हेतु अनुमोदित मद अथवा ऑपरेशनल कास्ट से किया जायेगा। उक्त गतिविधि हेतु तालिका में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हस्तानान्तरित की जाएगी।

14. आशा मेन्टोरिंग समूह (HSS.3/HSS.3.159.OOC.7)

जनपद स्तरीय आशा मेन्टोरिंग समूह के गठन एवं क्रियान्वयन से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पूर्व में पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./कम्यु.प्रो./आशा सपोर्ट/2008–09/5/11363–71 दिनांक 29 मई, 2009 एवं संशोधित दिशा–निर्देश पत्र संख्या प0क0/08–प्रशि0/आशा मेन्टोरिंग ग्रुप/2013–14/2042–75

दिनांक 14.08.2013 द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं, जिनका पालन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु प्रति जनपद रू0 10,000/– आवंटित किया जा रहा है।

15. **आशा योजना से सम्बन्धित प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण–**

कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार रजिस्टर/प्रपत्रों के मुद्रण हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही हैः–

15.1 ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर एवं आशा संगिनी रजिस्टर मुद्रण (HSS.3/HSS.3.159.IEC.2) ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का मुद्रण रू0 175.00 प्रति आशा की दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है जिसकी आपूर्ति जनपद स्तर पर की जानी है।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	श्रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	220

15.2 **आशा एवं आशा संगिनी प्रतिपूर्ति राशि हेतु वाउचर एवं मास्टर पेमेंट रजिस्टर (HSS.3/HSS.3.159.IEC.3)**

- प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स की दो प्रतियाँ (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है। इस हेतु अधिकतम रू0 25.00 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट के मानक निम्नवत होंगे।

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	मिशन फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

- बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जायें। प्रथम पन्ना सफेद रंग का तथा दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
- आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु ब्लॉक स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख–रखाव अनिवार्य है। प्रत्येक ब्लॉक के लिये अधिकतम रू0 150.00 प्रति रजिस्टर प्रति ब्लॉक के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। रजिस्टर का प्रारूप आपको पृथक से प्रेषित किया जा रहा है। रजिस्टर को शीघ्र छपवाकर प्रत्येक ब्लॉक को उपलब्ध करवाया जाये।

15.3 **आशा संगिनी के रिपोर्टिंग प्रपत्रः–** आशा संगिनी के सुपरवाईजरी/रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 छपवाने हेतु धनराशि की व्यवस्था वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में अनुमोदित धनराशि से प्रति आशा संगिनी रू0 50.00 की दर से की जानी है। आशा संगिनी की सीमित संख्या को देखते हुए इन प्रपत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से जनपद में छपवाया जाना है।

16. **उपकेन्द्र (HSS.3/HSS.3.159.IEC.7) व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर मुद्रण (HSS.3/HSS.3.160.IEC)**

उपकेन्द्र व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति रजिस्टर का मुद्रण रू0 150.00 प्रति रजिस्टर दर से जनपद स्तर पर निम्न स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना है। स्पष्ट करना है कि जिन उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है वहॉ पर जन आरोग्य समिति पंजिका का मुद्रण कराया जायेगा। जन आरोग्य समिति के मुद्रण हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

क्र.सं.	विवरण	साईज	जी.एस.एम.	श्रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. × 21 से. मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	4
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ–2 स्टेप्लड	28 से.मी. × 21 से. मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	146

17. एच0बी0एन0सी0 किट रिप्लेनिशमेंट (HSS.3/HSS.3.159.DI.3)

- आशाओं को मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत चार चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण के पश्चात आशाओं द्वारा गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत नवजात शिशुओं एवं माताओं की देखभाल की जाती है। उक्त देखभाल हेतु आशाओं को प्रथम चरण के प्रशिक्षण के दौरान एच0बी0एन0सी0 किट उपलब्ध करायी जाती है। जनपदों को रू0 150/– प्रति प्रथम चरण मॉड्यूल 6–7 के अन्तर्गत प्रशिक्षित आशाओं की संख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की जा रही है।

1.2 रोगी कल्याण समिति

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रोगी कल्याण समिति का गठन मुख्य सचिव, उ0प्र0 के शासनादेश सं0–2751/5–9–06–9(285)/04 टी.सी.–1 दिनांक 16.11.06 के द्वारा किया गया है। उक्त को संशोधित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 81/5–9–14–9(56)/13 दिनांक 15 जनवरी, 2014 शासनादेश निर्गत किये गये हैं,. जिसके द्वारा रोगी कल्याण समिति के संरचना, गठन, क्रियान्वयन व वित्तीय अभिलेखीकरण के सम्बन्ध में नये निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार के पत्र संख्या P17018/49/2013 दिनांक 17.01.2014 द्वारा उपरोक्त अनुमोदित धनराशि का 50 प्रतिशत प्रत्येक चिकित्सा इकाई को अवश्य दिया जाना है। शेष 50 प्रतिशत धनराशि गत वर्ष चिकित्सा इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं, कराये गये प्रसवों एवं एफ0आर0यू0 के आधार पर अन्तर वित्तीयन (Differential Financing) द्वारा अवमुक्त की जायेगी। उपरोक्त निर्देशानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में FMR Code HSS.14 के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख प्रत्येक जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाई, रू0 2.50 लाख प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गठित रोगी कल्याण समितियों हेतु एवं रू0 87500.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु असम्बद्व धनराशि लिमिट/आवंटित की जा रही है। **यह धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर से सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत किये जा चुके हैं, के जन आरोग्य समिति के खाते में सीधे आंवटित की जायेगी।**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवंटित की जाने वाली असम्बद्व धनराशि को, चिकित्सा इकाई पर राज्य स्तर से खोले गये जन आरोग्य समिति के ZBSA बैंक खाता में लिमिट/आवंटित किया जायेगा। तत्पश्चात धनराशि का व्यय **जन आरोग्य समिति** के द्वारा इस सम्बन्ध में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में उच्चीकृत नहीं किया गया है, उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, पूर्व की भाँति अन्टाईड फण्ड का उपयोग सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ZBSA बैंक खाता के माध्यम से किया जायेगा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु व्यय की जाने वाली असम्बद्व धनराशि का अंकन सम्बन्धित सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय रोगी कल्याण समिति पंजिका में किया जायेगा।

अन्टाइड अनुदान का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

विभिन्न निर्माण कार्यों पर **कुल अनुमोदित धनराशि का 50% से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जा सकेगी।** इस मद में निम्न कार्य कराये जा सकते हैं–

1. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य एवं नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
2. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
3. चाहर दीवारी/फेन्सिंग कार्य।
4. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत, साफ–सफाई इत्यादि)।
5. जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना एवं मरम्मत कार्य।
6. रंगाई–पुताई।
7. बिजली से सम्बन्धित कार्य।
8. बायो मेडिकल बेस्ड मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निस्संक्रामक) की व्यवस्था।
9. अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
10. अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण।

11. बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान आदि।
12. साधारण उपकरणों यथा मरीज देखने की मेज, प्रसव टेबल, रक्तचाप नापने का उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर–टी लगाने की किट, वजन मशीने, मैकनटॉश शीट आदि की खरीद अथवा मरम्मत हेतु। उपकरणों के क्रय हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए–
   अ. उपकरणों का क्रय Bulk order के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
   ब सामान्यतः इस प्रकार के क्रय विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकते हैं।
   स यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन उपकरणों हेतु धनराशि अलग से उपलब्ध है तो अनटाइड अनुदान का उपयोग ना किया जाये।
13 अनिवार्य सामग्री जैसे दवाईयाँ, पट्टियाँ, ब्लीचिंग पाउडर आदि का क्रय किया जा सकता है। इसका उद्देश्य मात्र अस्थाई रूप से कार्य में आ रही बाधाओं के निराकरण हेतु है, यह राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जा रही दवाईयों यह उन मदों में प्रदान किये जा रही धनराशि की प्रतिपूरक व्यवस्था नहीं है।
14 रोगियों के बैठने एवं स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करना।
15 पर्यावरण स्वच्छता हेतु आवश्यक अवयवों की पूर्ति करना।
16 आकस्मिक स्थिति में संदर्भन इकाईयों तक ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वर्तमान में रोगियों के परिवहन हेतु चिकित्सालय के एम्बुलेंस के अतिरिक्त 102 एवं 108 की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सुविधाओं की अनुपलब्धता की दशा में आकस्मिकता के दृष्टिगत उपरोक्त मद में धनराशि व्यय की जा सकती है।
17 समुदाय को स्वास्थ्य से सम्बन्धित संदेशों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य संदेशों का प्रचार–प्रसार किया जाना।
18 रोगियों हेतु प्रतीक्षा कक्ष एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ हेतु किया जाने वाला व्यय।
19 चिकित्सालय में कक्ष दिशा सूचकों हेतु किया जाने वाला व्यय।
20 चिकित्सालय को Baby Friendly, Disabled friendly, Elderly friendly आदि बनाये जाने हेतु किया जाने वाला व्यय।
21 चिकित्सालय भवनों में लघु परिवर्तन एवं मरम्मत कार्य जैसे–गोपनीयता हेतु परदे की व्यवस्था, नल की मरम्मत एवं बल्ब की व्यवस्था इसके अतिरिक्त लघु मरम्मत के कार्य जैसे–फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।
22 महामारी के समय नमूनों को पहुँचाने के लिए
23 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रतिवर्ष अप्रैल एवं नवम्बर माह में दो दिवसीय आरोग्य मेला का आयोजन किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रति वर्ष दो आरोग्य मेला का अयोजन किया जाना है। भारत सरकार के पत्र संख्या D.O.Z.15015/18/2022-NHM-1 दिनांक 11.07.2022 के अनुसार स्वास्थ्य मेलों के आयोजन हेतु आवष्यक धनराषि का व्यय अधिकतम रू0 10000 प्रति मेला की दर से, जन आरोग्य समिति के ZBSA खाते में उपलब्ध अन्टाइड धनराषि की लिमिट से किया जायेगा।

उपरोक्त दिये गये सम्भावित मदों के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति अपनी आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाकर नियमानुसार व्यय किया जा सकता है।

1.3 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरः–

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 5000 नवीन किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु धनराशि **FMR Code HSS.4/HSS.4.168.OOC** में रू0 50000/– प्रति केन्द्र की दर से धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

Amount allocated for strengthening of rented SC @ Rs. 50000/- Per SC (FMR HSS.4/HSS.4.168.OOC)			
SN	**DISTRICT**	**District Wise New Rented SC**	**Amount allocated**
1	Agra	27	1350000
2	Aligarh	51	2550000
3	Prayagraj	168	8400000
4	Ambedkar Nagar	53	2650000
5	Amethi	69	3450000
6	Amroha	49	2450000
7	Auraiya	14	700000
8	Azamgarh	160	8000000
9	Baghpat	6	300000
10	Bahraich	296	14800000
11	Ballia	94	4700000
12	Balrampur	121	6050000
13	Banda	8	400000
14	Barabanki	122	6100000
15	Bareilly	54	2700000
16	Basti	96	4800000
17	Bijnor	86	4300000
18	Budaun	97	4850000
19	Bulandshahar	75	3750000
20	Chandauli	28	1400000
21	Chitrakoot	22	1100000
22	Deoria	104	5200000
23	Etah	42	2100000
24	Etawah	29	1450000
25	Ayodhya	85	4250000
26	Farrukhabad	42	2100000
27	Fatehpur	43	2150000
28	Firozabad	41	2050000
29	G B Nagar	4	200000
30	Ghaziabad	4	200000
31	Ghazipur	132	6600000
32	Gonda	207	10350000
33	Gorakhpur	65	3250000
34	Hamirpur	7	350000
35	Hapur	4	200000
36	Hardoi	107	5350000
37	Hathras	9	450000
38	Jalaun	9	450000
39	Jaunpur	145	7250000
40	Jhansi	8	400000
41	Kannauj	41	2050000
42	Kanpur Dehat	16	800000
43	Kanpur Nagar	10	500000
44	Kasganj	21	1050000
45	Kaushambi	78	3900000
46	Kushinagar	184	9200000
47	Lakhimpur Kheri	197	9850000
48	Lalitpur	6	300000
49	Lucknow	8	400000
50	Maharajganj	139	6950000

Amount allocated for strengthening of rented SC @ Rs. 50000/- Per SC (FMR HSS.4/HSS.4.168.OOC)			
SN	**DISTRICT**	**District Wise New Rented SC**	**Amount allocated**
51	Mahoba	4	200000
52	Mainpuri	40	2000000
53	Mathura	74	3700000
54	Mau	37	1850000
55	Meerut	15	750000
56	Mirzapur	75	3750000
57	Moradabad	54	2700000
58	Muzaffarnagar	20	1000000
59	Pilibhit	79	3950000
60	Pratapgarh	120	6000000
61	Raebareli	67	3350000
62	Rampur	70	3500000
63	Saharanpur	16	800000
64	Sambhal	66	3300000
65	Sant Kabir Nagar	68	3400000
66	Sant Ravidas Nagar	43	2150000
67	Shahjahanpur	88	4400000
68	Shamli	19	950000
69	Shrawasti	17	850000
70	Siddharth Nagar	112	5600000
71	Sitapur	176	8800000
72	Sonbhadra	91	4550000
73	Sultanpur	115	5750000
74	Unnao	42	2100000
75	Varanasi	9	450000
Total		**5000**	**250000000**

उक्त धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया जायगा–

क्रम सं0	**गतिविधि**	**धनराशि**
1	उपकरण एवं कन्ज़्यूमेबिल्स	19800.00
2	फर्नीचर	7000.00
3	लैब कॉर्नर	8000.00
4	इन्टर्नल ब्राण्डिंग	8200.00
5	**एक्सटर्नल ब्राण्डिंग**	**7000.00**
कुल		**50000.00**

- दिशानिर्देश अनुसार आवश्यक उपकरण एवं कन्ज़्यूमेबिल्स, फर्नीचर एवं लैब स्थापना हेतु 03 ड्रॉअर वाली मेज क्रय की जानी है। जिसे किराये के भवन में उपलब्ध सिंक के साथ लगाकर लैब कॉर्नर स्थापित किया जायगा।
- इन्टर्नल ब्राण्डिंग हेतु साइनेज व सनबोर्ड के पोस्टर पृथक से प्रेषित प्रारूप के अनुसार लगवाए जाएं।

किराये के भवन में रंगाई–पुताई कराकर अनुमन्य डिजाइन बनवाया जाना है। यदि किराये के भवन में रंगाई–पुताई कराकर डिजाइन बनवाना सम्भव न हो तो सनबोर्ड पर उक्त डिजाइन प्रिण्ट कराकर उपकेन्द्र पर प्रदर्शित किया जाय। जिस हेतु एक्सटर्नल ब्राण्डिंग हेतु निर्धारित धनराशि तक अधिकतम व्यय किया जा सकता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों को दिये गये निर्देशों के अनुसार सुदुढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे सी0एच0ओ0 की तैनती होते ही इन्हें हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में क्रियाशील किया जा सके। इस हेतु समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1.4 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्यरत कर्मियों के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्यरत कर्मियों के टीम बेस्ड इन्सेन्टिव के डिजिटल भुगतान के सम्बन्ध में।

उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्यरत कर्मियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि तथा टीम बेस्ड इन्सेन्टिव के नवीन सूचकांक के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./सी.पी./सी.पी.एच.सी./2021–22/88/6111–75 दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किये गये हैं। वर्ष 2022–23 हेतु कुछ अन्य सूचकांको को सम्मिलित करते हुए तथा पी0बी0आई0 के डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु नवीन दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

कार्य आधारित प्रोत्साहन तथा टीम बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु नवीन सूचकांकः–

कार्य की सुगमता के दृष्टिगत, प्रत्येक निम्न वर्णित सूचकांको हेतु एक समान प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन किया गया है। अतः कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर को रू0 1000.00 प्रति सूचकांक की दर से 15 निर्धारित सूचकांकों हेतु अधिकतम रू 15000.00 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों (ए.एन.एम.) हेतु प्रति कार्यकर्त्री अधिकतम रू0 1500.00 प्रतिमाह एवं प्रति आशा हेतु रू 1000/– प्रतिमाह की धनराशि सी0एच0ओ0 को प्राप्त प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष अनुमन्य होगी।

हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर (उपकेन्द्र) पर कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने हेतु नवीन सूचकांक निम्नानुसार हैंः–

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि आंकलन 100 प्रतिशत भुगतान हेतु	सत्यापन स्रोत
1	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष उन महिलाओ का अनुपात जिन्होने डयुडेट पर प्रसव पूर्व सेवाये प्राप्त की हो ।	सारणीनुसार गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको प्रसव पूर्व सेवाये प्रदान की गयीं/ कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या	80 प्रतिशत	आर.सी.एच. पोर्टल/ आर.सी.एच. रजिस्टर/अनमोल
2	बच्चों का प्रतिशत जिनको गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया	बच्चों की संख्या जिनको सारणीनुसार गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया/ माह में गृह भ्रमण हेतु लक्षित कुल नवजातों की संख्या (मॉड्यूल 6–7 प्रशिक्षित आशाओं के कार्यक्षेत्र में)	80 प्रतिशत	आर.सी.एच. पोर्टल/ आर.सी.एच. रजिस्टर/अनमोल
3	2 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या जिनको ड्यू डेट के अनुसार प्रतिरक्षित किया गया	सारणीनुसार बच्चों की संख्या जिनको प्रतिरक्षित किया गया / कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या जो सन्दर्भित माह में योग्य थे	90 प्रतिशत	आर0सी0एच0 रजिस्टर/आर.सी. एच. पोर्टल/ अनमोल
4	क्षय रोग की जाँच हेतु सन्दर्भित व्यक्तियों की संख्या	क्षय रोग की जॉच हेतु संर्न्दभित व्यक्तियों की संख्या/माह में देखे गये बाह्य रोगियों की संख्या	न्युनतम 3 प्रतिशत सम्भावित बाह्य रोगियों का सर्न्दभन	हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर रजिस्टर/निःक्षय पोर्टल
5	बाह्य रोगियों की संख्या	बाह्य रोगियों की कुल संख्या, नवीन रोगियों सहित	कम से कम 400 प्रतिमाह	ओ0पी0डी0 रजिस्टर/एच0डब्ल्यू0 सी0 पोर्टल
6	30 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत जिनका सी–बैक फॉर्म भरा गया।	भरे गये कुल सी–बैक फॉर्म/30 वर्ष व उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या	प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 120 लाभार्थी तथा प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 74 लाभार्थियों का सी–बैक फॉर्म प्रतिमाह भरा जाना है।	सी0पी0एच0सी0 एन0सी0डी0 एप

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि आंकलन 100 प्रतिशत भुगतान हेतु	सत्यापन स्रोत
			समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार सी–बैक फॉर्म भर जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	
7 ए	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया (उच्च रक्तचाप की दोबारा वार्षिक जॉच को सम्मिलित करते हुए)	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिनको उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया/ कुल 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या	प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 120 लाभार्थी तथा प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 74 लाभार्थियों की उच्च रक्तचाप हेतु प्रतिमाह स्क्रीनिंग करनी है। समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार रक्तचाप हेतु स्क्रीनिंग हो जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	एन0सी0डी0 पोर्टल
7 बी	उपचारित किये जा रहे उच्चरक्तचाप रोगियों का प्रतिशत	उपचारित किये जा रहे उच्चरक्तचाप रोगियों की संख्या/ कुल उच्च रक्तचाप रोगियों की संख्या (पूर्व में चिन्हित रोगियों को सम्मिलित करते हुए)	70 प्रतिशत	एन0सी0डी0 पोर्टल
8 ए	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको मधुमेह हेतु जॉचा गया (मधुमेह की दोबारा वार्षिक जॉच को सम्मिलित करते हुए)	30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या जिनको मधुमेह हेतु जॉचा गया/ कुल 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या	प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 120 लाभार्थी तथा प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष या उससे अधिक के 74 लाभार्थियों की मधुमेह की जांच करनी है। समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार मधुमेह जांच हो जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	एन0सी0डी0 पोर्टल
8 बी	उपचारित किये जा रहे मधुमेह रोगियों का प्रतिशत	उपचारित किये जा रहे मधुमेह रोगियों की संख्या/ कुल मधुमेह रोगियों की संख्या (पूर्व में चिन्हित रोगियों को सम्मिलित करते हुए)	70 प्रतिशत	एन0सी0डी0 पोर्टल
9	टेलीकन्सल्टेशन सेवाएं	सी0एच0ओ0 द्वारा रोगियों को प्रदान की जाने वाली टेलीकन्सल्टेशन सेवाएं	30–50 टेलीकन्सल्टेशन प्रतिमाह रू0 500/– 50 से अधिक टेलीकन्सल्टेशन प्रतिमाह रू0 1000/–	ई–संजीवनी
10 ए	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर आयोजित किये जाने वाले वेलनेस सत्र	रिपोर्टिंग माह में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर आयोजित किये गये कुल सत्रों की संख्या	न्यूनतम 10 सत्र प्रतिमाह	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल
10बी	वार्षिक कॅलेण्डर के अनुसार आयोजित की जाने वाली वेलनेस गतिविधियां	माह में आयोजित गतिविधियां/वार्षिक कॅलेण्डर के अनुसार माह में कुल आयोजित वेलनेस गतिविधियों की संख्या	100 प्रतिशत	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि आंकलन 100 प्रतिशत भुगतान हेतु	सत्यापन स्रोत
11 ए	डेली रिपोर्टिंग	माह में भरे गये डेली रिपोर्ट की संख्या	कम से कम 20 रिपोर्ट प्रतिमाह	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल
11 बी	मासिक रिपोर्टिंग	अगले माह की 05 तारीख तक जमा की गयी रिपोर्ट	05 तारीख तक जमा की गयी रिपोर्ट	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल
12	जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक, कम से कम 60 प्रतिशत सदस्यों के साथ	60 प्रतिशत सदस्यों के साथ आयोजित बैठकों की संख्या/कुल नियोजित बैठकों की संख्या	100 प्रतिशत	एच0डब्ल्यू0सी0 रजिस्टर
13	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसो के नियोजन के सापेक्ष आयोजन (सी0एच0ओ0/चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 02 ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसो का पर्यवेक्षण किया जायगा)	आयोजित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसो की संख्या/ नियोजित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवसों की संख्या	90 प्रतिशत	सी0पी0एच0सी0–एन0सी0डी0 एप्लीकेशन
14	ग्राम स्वाथ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति	मासिक योजना के अनुसार आयोजित ग्राम स्वाथ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठकों की संख्या (1 बैठक प्रति वी0एच0एस0एन0सी0 प्रति माह/ हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के अन्तर्गत गठित ग्राम स्वाथ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की संख्या	100 प्रतिशत	एच0डब्ल्यू0सी0 रजिस्टर
15ए	उच्च इकाइयों को सन्दर्भित किये गये केसों का अनुश्रवण	उच्च इकाई पर देखे गये केसों की संख्या/ उच्च इकाइयों को सन्दर्भित किये गये कुल केसों की संख्या	35 प्रतिशत	सी0पी0एच0सी–एन0 सी0डी0 एप्लीकेशन केवल एन0सी0डी0 केसेज के लिए
15 बी	उच्च इकाइयों में चिकित्सकीय सहायता प्राप्त कर चुके मरीजों का अनुश्रवण	अनुश्रवण किये गये मरीजों की संख्या/उच्च इकाइयों में चिकित्सकीय सहायता प्राप्त कर चुके कुल मरीजों की संख्या	80 प्रतिशत	सी0पी0एच0सी–एन0 सी0डी0एप्लीकेशन

प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रदान सेवाओं का ऑकलन–

उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रतिशत से कम उपलब्धि पर कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

उदाहरणार्थ–

क्र0	सूचकांक	परिभाषा	सत्यापन स्रोत	प्रदान सेवाओं की उपलब्धि ऑकलन भुगतान हेतु	अधिकतम् प्रोत्साहन राशि भुगतान प्रत्येक कार्यकर्ता हेतु
2	बच्चों का प्रतिशत जिनको गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया	बच्चों की संख्या जिनको सारणीनुसार गृह आधारित नवजात देखभाल के अर्न्तगत भ्रमण किया गया/ माह में गृह भ्रमण हेतु लक्षित कुल नवजातों की संख्या	आर.सी.एच. पोर्टल/ उपकेन्द्र पंजिका	67 प्रतिशत	सी.एच.ओ–रू0 0 ए.एन.एम.–रू0 0 आशा–0

उपरोक्त उदाहरण में यदि हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के क्षेत्र में 12 नवजात शिशु का भ्रमण किया जाना था किन्तु 8 नवजात का ही सारणी अनुसार भ्रमण किया गया जो कि लक्ष्य का 67 प्रतिशत है। ऐसी

दशा में सम्बन्धित सी0एच0ओ0, ए0एन0एम0 एवं आशा को कोई भुगतान देय नहीं होगा। यदि उपरोक्त उदाहरण में 12 में से 10 नवजात का गृह भ्रमण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य का 83 प्रतिशत है अतः उक्त सूचकांक के सापेक्ष शत प्रतिशत अर्थात सी0एच0ओ0 को रू0 1000.00 ए0एन0एम0 को रू0 100.00 एवं आशा को रू0 66.66 देय होगा।

इस प्रकार यदि उपरोक्त 15 सूचकांकों के सापेक्ष कार्य के आधार पर कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर को किसी माह में रू0 12000.00 (कुल धनराशि का 80 प्रतिशत) प्रदान किया जाता है तो सम्बन्धित सभी आशाओं को अनुमन्य धनराशि (रू0 1000) का 80 प्रतिशत, रू0 800.00 एवं ए0एन0एम0 को अनुमन्य धनराशि (रू0 1500) का 80 प्रतिशत, रू0 1200.00 देय होगा।

प्रक्रिया–

- समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनपद स्तर से बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 द्वारा डिजिटल माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिन उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है उनका भुगतान जनपद स्तर पर उपलब्ध 15वें वित्त आयोग सम्बन्धित खाते से किया जायगा। शेष कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनपद स्तर पर एन0एच0एम0 खाते से किया जायगा।
- बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 द्वारा डिजिटल माध्यम से कराये जाने हेतु सी0एच0ओ0 द्वारा मासिक रूप से वाउचर भरा जायगा। जिसका वेरीफिकेशन लिंक्ड मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया जायगा एवं अप्रूवल ब्लॉक स्तरीय चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायगा।
- इस हेतु समस्त सी0एच0ओ0 एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों का बी0सी0पी0एम0 पोर्टल में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। सी0एच0ओ0 को मिलने वाली कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के सापेक्ष सम्बन्धित ए0एन0एम0 एवं आशाओं को भी टीम बेस्ड प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है। अतः हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर कार्य करने वाली सभी ए0एन0एम0 व आशाओं का रजिस्ट्रेशन बी0सी0पी0एम0 पोर्टल पर कराया जाना आवश्यक होगा। इसके लिए सम्बन्धित सी0एच0ओ0 जिम्मेदार होंगे। ब्लॉक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायगा कि ब्लॉक के समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं लिंक्ड चिकित्साधिकारी का पंजीकरण करा लिया गया है। इसी प्रकार समस्त सी0एच0ओ0, ए0एन0एम0 एवं आशाओं के पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना बी0सी0पी0एम0 द्वारा डी0सी0पीएम0 के माध्यम से जिला लेखा प्रबन्धक को रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया जायगा।
- लिंक्ड चिकित्साधिकारी का तात्पर्य उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से जुड़े/समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी से है। जिन उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के समीप कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है एवं वहां के रेफरल सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आते हैं, हेतु लिंक्ड मेडिकल ऑफिसर के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के किसी अन्य चिकित्साधिकारी (अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी को छोड़कर) को पंजीकृत किया जायगा। यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक तैनात/उपलब्ध नहीं है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नामित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उपकेन्द्रों हेतु वेरीफायर का कार्य किया जायगा।
- सर्वप्रथम सी0एच0ओ0 द्वारा अपनी लॉग–इन आई0डी0 से बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपरोक्त निर्धारित इंडीकेटर के सापेक्ष माह में (गत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक) की गयी गतिविधियों का माह की 23 तारीख तक अंकन किया जायगा तथा निर्धारित प्रपत्र भी अंकित किया जायगा।
- लिंक्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिनांक 26 तारीख तक वाउचर का वेरीफिकेशन किया जायगा।
- लिंक्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा विभिन्न इंडीकेटरों पर वेरीफिकेशन हेतु आर0सी0एच0 पोर्टल, एन0सी0डी0 पोर्टल, ई–संजीवनी पोर्टल, ए0बी–एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल आदि का उपयोग किया जायगा। जिन इंडीकेटर्स के लिए पोर्टल की व्यवस्था नहीं है उनके लिए सी0एच0ओ0 द्वारा सूचना फोटो खींच कर अपलोड की जायगी।

- वेरीफिकेशन के पश्चात ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 तारीख तक अप्रूवल प्रदान किया जायगा। ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल हेतु उसी आई0डी0 का प्रयोग किया जायगा जो आशा पेमेण्ट के लिए उपयोग की जाती है।
- ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल पर अप्रूवल के पश्चात जनपद स्तर पर डी0सी0पी0एम0 द्वारा एन0एच0एम0 एवं 15वें वित्त आयोग से सम्बन्धित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की पृथक–पृथक ब्लॉकवार शीट डाउनलोड करके पत्रावलियों का संचालन किया जायगा। बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 के साथ इन्टीग्रेशन के पश्चात एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल द्वारा स्वयं एफ0ए0एम0एस0 प्रपोजल भुगतान हेतु तैयार हो जायगा।
- उक्त पत्रावली डैम के माध्यम से ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0/जनपदीय लेखा अधिकारी के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायगी, जिसके पश्चात डैम द्वारा भुगतान हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जायगा।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अगले माह की 10 तारीख तक समस्त अर्ह सी0एच0ओ0 एवं उससे सम्बन्धित ए0एन0एम0 एवं आशा को पी0बी0आई0 का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर पर टीम आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा लगभग 30,000 की जनसंख्या को चिकित्सा, केन्द्र आधारित सेवाओ व आउटरीच गतिविधियो के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाए प्रदान की जा रही हैं। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की टीम के कार्य प्रर्दशन का आंकलन चिकित्सा इकाई पर प्रदान की जा रही चिकित्सकीय सेवाओं तथा स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बन्धित प्रशासनिक गतिविधियो के माध्यम से किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दी जाने वाली Team based incentives निम्न तालिका के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को कार्य उपलब्धि के आधार पर प्रदान की जायेगीः–

क0 स0	पदनाम	संख्या/ एच0डब्लू0सी0	अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रति स्टाफ प्रतिमाह (रू0)	कुल धनराशि प्रतिमाह (रू0)	कुल धनराशि प्रतिवर्ष (रू0)
A	B	C	D	E=CXD	F=EX12
1	चिकित्साधिकारी	01	3000	3000	36000
2	स्टाफ नर्स	01	1500	1500	18000
3	फार्मासिस्ट	01	1500	1500	18000
4	लैब टेक्नीशियन	01	1500	1500	18000
5	ए.एन.एम	02	1500	3000	36000
6	सर्पोट स्टाफ	02	400	800	9600
7	आशा	08	1000	8000	96000
				19300	231600

यदि किसी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर उपरोक्त वर्णित संख्या से अधिक स्टाफ नर्स, ए.एन.एम, सर्पोट स्टाफ अथवा आशा तैनात हैं तो अधिकतम प्रोत्साहन राशि की सीमा मे ही संबंधित स्टाफ मे प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जायेगा। किसी भी दशा मे स्टाफवार (कालम D) व केन्द्रवार (कालम E) निर्धारित अधिकतम प्रोत्साहन राशि की सीमा का अतिक्रमण नही किया जायेगाा।

1. **आवृत्ति**–टीम बेस्ड इंसेंटिव की गणना मासिक आधार पर की जानी है तथा संबंधित कर्मियो को तद्नुसार भुगतान प्रतिमाह किया जाना है।
2. **टीम बेस्ड इंसेंटिव की गणना हेतु मानक व सत्यापन के स्रोत**–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर टीम के कार्य प्रर्दशन का आंकलन आवश्यक सेवाओ हेतु जनसंख्या आच्छादन व सेवाओ के उपभोग संबंधी मिश्रित मानको के आधार पर किया जायेगा। कर्मचारियो के मासिक कार्य प्रदर्शन का आंकलन निम्न 15 सूचकांकों के आधार पर किया जायेगा–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर पर टीम आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने हेतु मानक

क्र0 स0	सूचकांक	बेंचमार्क	उपलब्धि/प्रतिशत	सत्यापन स्रोत
1a	पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष निर्धारित समय पर प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) सेवा प्राप्त करने वाली महिलाओं का अनुपात	माह मे निर्धारित समय पर प्रसव पूर्व जांच (ए.एन.सी.) सेवा प्राप्त करने वाली महिलाओ की संख्या/ कुलपंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी प्रसव पूर्व जांच माह मे किया जाना निर्धारित था।	80%	आर.सी.एच. रजिस्टर/ आर. सी.एच. पोर्टल/ अनमोल
1b	संस्थागत प्रसव (सरकारी/इम्पैन्ल्ड चिकित्सालयो मे) का अनुपात	संस्थागत प्रसव (सरकारी/ इम्पैन्ल्ड चिकित्सालयो मे) की संख्या/कुलपंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनका प्रसव (ई0डी0डी0) माह मे होना अनुमानित था।	60%	आर.सी.एच. रजिस्टर/ आर. सी.एच. पोर्टल/ अनमोल
2	गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओ का चिन्हान्कन व उच्च इकाई पर रेफरल का प्रतिशत	गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओ की संख्या जिन्हे निर्धारित प्राथमिक प्रबंधन के उपरान्त उच्च इकाई पर रेफर किया गया/माह में चिन्हित किये गये गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओ की कुल संख्या (उपकेन्द्र से सन्दर्भित बीमार नवजात सहित)	100%	आर.सी.एच. रजिस्टर/ आर. सी.एच. पोर्टल/ अनमोल/एस.एन.सी.यू. साफ्टवेयर
3	2 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों का प्रतिशत जिनको नियत दिवस के अनुसार प्रतिरक्षित किया गया	बच्चों की संख्या जिनको (नियत दिवस के अनुसार) माह मे प्रतिरक्षित किया गया/कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या जिनका माह में प्रतिरक्षण किया जाना था।	90%	आर.सी.एच. रजिस्टर/ आर. सी.एच. पोर्टल/ अनमोल
4a	क्षय रोग की जॉच हेतु संर्न्दभित व्यक्तियों का प्रतिशत	माह मे क्षय रोग की जॉच हेतु संर्न्दभित संदिग्ध रोगियो की संख्या/माह में देखे गये बाह्य रोगियों की संख्या	माह में चिन्हित बाह्य रोगियों मे से न्यूनतम 3% केस क्षय रोग की जॉच हेतु उच्च केन्द्र पर संदर्भित किये जाने चाहिए	निःक्षय/ हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर अभिलेख
4b	अधिसूचित क्षय रोगियो का प्रतिशत जिनका उपचार प्राटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है	क्षय रोगियों की संख्या जिनको उपचार प्रदान किया गया/कुल अधिसूचित क्षय रोगियों की संख्या	100%	निःक्षय पोर्टल
5	माह मे बाह्य रोगियों की संख्या	बाह्य रोगियों की कुल संख्या, नवीन व पुराने रोगियों सहित	न्यूनतम 500 प्रतिमाह	HWC पोर्टल/चिकित्सा इकाई के अभिलेख
6	30 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनका CBAC फार्म भरा गया*	संबंधित उपकेन्द (को–लोकेटेड) के क्षेत्र मे भरे गये CBAC फार्म /संबंधित उपकेन्द्र (को–लोकेटेड) के क्षेत्र मे 30 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियो की कुल संख्या	प्रति 5000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 120 व्यक्तियो तथा प्रति 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 74 व्यक्तियो का CBAC फार्म प्रतिमाह भरा जाना है। समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार सी–बैक फॉर्म भर जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	सी0पी0एच0सी0–एन0सी0डी0 एप
7a	30 वर्ष व अधिक	संबंधित उपकेन्द्र (को–लोकेटेड) के क्षेत्र	प्रति 5000 की जनसंख्या	एन0सी0डी0 पोर्टल

	आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको उच्च रक्तचाप हेतु जॉचा गया** (वार्षिक पुर्नजांच को सम्मिलित करते हुए)	(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सीधे अन्तर्गत क्षेत्र) मे रक्तचाप हेतु जांचे गये व्यक्तियो की संख्या/ संबंधित उपकेन्द्र (को–लोकेटेड) के क्षेत्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सीधे अन्तर्गत क्षेत्र) मे 30 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियो की कुल संख्या	पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 120 व्यक्तियो तथा प्रति 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 74 व्यक्तियो की उच्चरक्तचाप हेतु जांच प्रतिमाह। समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार रक्तचाप हेतु स्क्रीनिंग हो जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	
7b	उपचारित किये जा रहे उच्च रक्तचाप रोगियों का प्रतिशत**	उच्चरक्तचाप के रोगियो की संख्या, फालोअप सहित, जिनको उपचार प्रदान किया गया/ कुल उच्चरक्तचाप के रोगियो की संख्या	70%	एन0सी0डी0 पोंटल
8a	30 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिनको मधुमेह हेतु जॉचा गया (मधुमेह की दुबारा वार्षिक जांच को सम्मिलित करते हुए)	संबंधित उपकेन्द्र (को–लोकेटेड) के क्षेत्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सीधे अन्तर्गत क्षेत्र) मे मधुमेह हेतु जांचे गये व्यक्तियो की संख्या/ संबंधित उपकेन्द्र (को–लोकेटेड) के क्षेत्र (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सीधे अन्तर्गत क्षेत्र) मे 30 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियो की कुल संख्या	प्रति 5000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 120 व्यक्तियो तथा प्रति 3000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष व अधिक आयु के 74 व्यक्तियो की मधुमेह हेतु जांच प्रतिमाह। समस्त लक्षित जनसंख्या का एक बार मधुमेह जांच हो जाने पर आगामी माहों में शत–प्रतिशत राशि देय होगी	एन0सी0डी0 पोंटल
8b	उपचारित किये जा रहे उच्चरक्तचाप रोगियों का प्रतिशत**	मधुमेहके रोगियो की संख्या, जिनको फालोअप उपचार प्रदान किया गया/मधुमेह के रोगियो की कुल संख्या	70%	एन0सी0डी0 पोंटल
9	टेली कल्सन्टेशन सेवाएं	चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदान की गयी टेली कल्सन्टेशन सेवाएं	रिर्पोटिंग माह मे न्यूनतम 50 टेली कल्सन्टेशन किया जाना है।	ई– संजीवनी /एच0डब्लू0सी0 पोर्टल
10a	हैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर पर आयोजित किये गये वेलनेस सत्र	रिर्पोटिंग माह मेहैल्थ एंड वैलनैस सेन्टर पर आयोजित किये गये वेलनेस सत्रो की संख्या	न्यूनतम 10 सत्र प्रति माह	एच0डब्लू0सी0 पोर्टल
10 b	वार्षिक कैलेण्डर के अनुसार आयोजित वेलनेस गतिविधियां	की गई वेलनेस गतिविधियो की संख्या/ वार्षिक स्वास्थ्य कलैण्डर मे संदर्भित माह हेतु नियोजित वेलनेस गतिविधियो की कुल संख्या।	100%	एच0डब्लू0सी0 पोर्टल
11a	डेली रिपोर्टिंग	माह में भरे गये डेली रिपोर्ट की संख्या	कम से कम 20 रिपोर्ट प्रतिमाह	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल
11b	मासिक रिपोर्टिंग	अगले माह की 05 तारीख तक जमा की गयी रिपोर्ट	05 तारीख तक जमा की गयी रिपोर्ट	एच0डब्ल्यू0सी0 पोर्टल
12	न्यूनतम 60% सदस्यो की उपस्थिति मे जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक	प्रतिमाह 01 बैठक	100%	स्वंय सूचित/एच0डब्लू0सी0 अभिलेख
13	लक्ष्य के सापेक्ष वी0एच0एन0डी0 का आयोजन (चिकित्साधिकारी द्वारा कम से कम 02 वी0एच0एन0डी0 का अनुश्रवण किया	आयोजित वी0एच0एन0डी0 की संख्या/– कुल नियोजित वी0एच0एन0डी0 की संख्या। (01 वी0एच0एन0डी0/गांव/माह)	90%	सी0पीएच0सी0– एन0सी0डी अप्लीकेशन पर स्वंय सूचित

	जाये)			
14	समुदायिक बैठको का आयोजन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत उपकेन्द्र स्तरीय एच0डब्लू0सी0 मे मासिक कार्यक्रम के अनुसार आयोजित VHSNCबैठको की संख्या/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र मे गठित VHSNC की कुल संख्या (01 बैठक/ VHSNC /माह)	100%	स्वंय सूचित/एच0डब्लू0सी0 अभिलेख
15a	उच्च इकाई को संदर्भित केस का अनुश्रवण	उच्च इकाई द्वारा देखे गये संदर्भित केस/उच्च इकाई को संदर्भित कुल केस	35%	सी0पीएच0सी0/ एन0सी0डी एप/स्वास्थ्य इकाई का अभिलेख
15b	उच्च इकाई द्वारा निम्न स्तर पर संदर्भित केस का अनुश्रवण	उच्च इकाई द्वारा वापस संदर्भन के पश्चात घर अथवा पी0एच0सी0 पर देखे गये केस की संख्या /उच्च इकाई पर पी0एच0सी0 द्वारा संदर्भित किये गये मरीजों में से देखे गये कुल मरीजो की संख्या।	80%	सी0पीएच0सी0/ एन0सी0डी एप/स्वास्थ्य इकाई का अभिलेख

*समस्त लक्ष्य जनसंख्या का CBAC फार्म भरे जाने के उपरान्त आगामी माहो मे संबंधित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर को इस हेतु पूर्ण अंक दिये जायेगे।

**समस्त लक्ष्य जनसंख्या की उच्च रक्तचाप हेतु स्क्रीनिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त आगामी माहो मे संबंधित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर को इस हेतु पूर्ण अंक दिये जायेगे।

***समस्त लक्ष्य जनसंख्या की मधुमेह हेतु स्क्रीनिंग पूर्ण हो जाने के उपरान्त आगामी माहो मे संबंधित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर को इस हेतु पूर्ण अंक दिये जायेगे।

टीम बेस्ड इंसेंटिव की गणना–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर कर्मियों की टीम बेस्ड इंसेन्टिव की गणना इस प्रकार की जायगी कि 50 प्रतिशत धनराशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को माह में प्रदान की गयी परफार्मेन्स बेस्ड इंसेन्टिव के आधार पर एवं 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा 15 मानकों पर लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर किया जायगा।

उदाहरण– यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत 03 उपकेन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में क्रियाशील हैं एवं इन 03 उपकेन्द्रों में कार्यरत कर्मियों को उक्त माह में टीम बेस्ड इंसेन्टिव के रूप में कुल धनराशि का 80 प्रतिशत दिया जा रहा है तो सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मियों को निर्धारित धनराशि का 40 प्रतिशत (50x80/100=40) देय होगा एवं शेष 50 प्रतिशत टीम बेस्ड इंसेन्टिव की गणना उपरोक्त तालिकानुसार की जायगी।

प्रक्रिया–

- इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय से सम्बन्धित अधिकारियों को टीम बेस्ड इंसेन्टिव राशि का भुगतान जनपद स्तर से बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 द्वारा डिजिटल माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है उनका भुगतान जनपद स्तर पर उपलब्ध 15वें वित्त आयोग सम्बन्धित खाते से किया जायगा। शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान जनपद स्तर पर एन0एच0एम0 खाते से किया जायगा।
- बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 द्वारा डिजिटल माध्यम से कराये जाने हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा एम0एच0–सी0पी0 स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट की सहायता से मासिक रूप से वाउचर भरा जायगा, जिसका वेरीफिकेशन ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई के अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायगा एवं अप्रूवल अधीक्षक द्वारा किया जायगा।
- यदि किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में चिकित्साधिकारी नहीं है तो बी0सी0पी0एम0 एम0आई0एस0 पर टीम बेस्ड इंसेन्टिव हेतु अंकन उस अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसके पास चिकित्सा इकाई का प्रभार है।

- इस हेतु समस्त चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ए0एन0एम0, आशा एवं सपोर्ट स्टाफ (वार्ड ब्वाय तथा स्वीपर) का बी0सी0पी0एम0 पोर्टल में पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- इसी प्रकार उपरोक्त समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पी0एफ0एम0एस0 में पंजीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना निर्धारित प्रारूप पर बी0सी0पी0एम0 द्वारा डी0सी0पीएम0 के माध्यम से जिला लेखा प्रबन्धक को रजिस्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया जायगा।
- सर्वप्रथम प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर द्वारा अपनी लॉग–इन आई0डी0 से बी0सी0पी0एम0 एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपरोक्त निर्धारित इंडीकेटर के सापेक्ष माह में (गत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक) की गयी गतिविधियों का माह की 23 तारीख तक अंकन किया जायगा तथा निर्धारित प्रपत्र भी अंकित किया जायगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दिनांक 26 तारीख तक वाउचर का वेरीफिकेशन किया जायगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी के द्वारा विभिन्न इंडीकेटरों पर वेरीफिकेशन हेतु उपरोक्त तालिकानुसार आर0सी0एच0 पोर्टल, एन0सी0डी0 पोर्टल, ई–संजीवनी पोर्टल आदि का उपयोग किया जायगा। जिन इंडीकेटर्स के लिए पोर्टल की व्यवस्था नहीं है उनके लिए चिकित्साधिकारी द्वारा सूचना फोटो खींच कर अपलोड की जायगी।
- वेरीफिकेशन के पश्चात ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 तारीख तक अप्रूवल प्रदान किया जायगा। ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल हेतु उसी आई0डी0 का प्रयोग किया जायगा जो आशा पेमेण्ट के लिए उपयोग किया जाता है।
- ब्लॉक स्तरीय प्रभारी अधिकारी द्वारा बी0सी0पी0एम0 पोर्टल पर अप्रूवल के पश्चात जनपद स्तर पर डी0सी0पी0एम0 द्वारा एन0एच0एम0 एवं 15वें वित्त आयोग से सम्बन्धित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की पृथक–पृथक ब्लॉकवार शीट डाउनलोड करके पत्रावलियों का संचालन किया जायगा। बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 के साथ इन्टीग्रेशन के पश्चात एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल द्वारा स्वयं एफ0ए0एम0एस0 प्रपोजल भुगतान हेतु तैयार हो जायगा।
- उक्त पत्रावली डैम के माध्यम से ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0/जनपदीय लेखा अधिकारी के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायगी जिसके पश्चात डैम द्वारा भुगतान हेतु पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जायगा।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अगले माह की 10 तारीख तक समस्त अर्ह कर्मियों को टी0बी0आई0 का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि ए.एन.एम. ने एन0सी0डी0/अनमोल एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि किसी कारणवश एन0सी0डी0 एप्लीकेशन प्रयुक्त नहीं हो रहा है तो उस परिस्थिति में ओ.पी.डी. पंजिका पर अभिलेखीकरण किया जाये।

राज्य स्तर से तैयार किये जा रहे डिजिटल एप्लीकेशन के प्रयोग हेतु सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जायेगा, जिसके पश्चात पी0बी0आई0/टी0बी0आई0 का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जायगा। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि नवीन संकेतकों के आधार पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर पी0बी0आई0/टी0बी0आई0 का भुगतान दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1.5 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की स्थापना एवं संचालन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसमुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्तापरक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किया जा रहा है।

उपरोक्त अनुमोदन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 18329 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों एवं 2774 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों को क्रियाशील किया जाना है। प्राप्त अनुमोदन के क्रम में किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत करते हुए क्रियाशील किया जाना है, जिसका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

Sr. No.	Districts	15329 SC Target upto FY 2021-22	operational target For FY 2022-23 (3000)HWC SC	Total HWC - SC target upto FY 2022-23	PHC-HWC target upto FY 2021-22	Target for FY 2022-23	Total Target
	Total	**15329**	**3000**	**18329**	**2486**	**288**	**2774**
1	Agra	246	29	275	38	6	44
2	Aligarh	246	42	288	31	3	34
3	Ambedkar Nagar	156	73	229	23	3	26
4	Amethi	163	24	187	26	4	30
5	Jyotiba Phule Nagar	133	32	165	22	3	25
6	Auraiya	126	0	126	22	3	25
7	Ayodhya	181	57	238	25	4	29
8	Azamgarh	381	92	473	56	9	65
9	Baghpat	150	5	155	20	1	21
10	Bahraich	291	285	576	49	0	49
11	Ballia	220	87	307	54	12	66
12	Balrampur	193	103	296	24	0	24
13	Banda	221	0	221	38	7	45
14	Barabanki	299	122	421	52	1	53
15	Bareilly	299	23	322	43	7	50
16	Basti	188	77	265	28	5	33
17	Bijnor	261	25	286	38	7	45
18	Budaun	234	28	262	37	6	43
19	Bulandshahar	226	84	310	49	8	57
20	Chandauli	219	21	240	23	0	23
21	Chitrakoot	122	22	144	28	0	28
22	Deoria	245	37	282	61	4	65
23	Etah	142	10	152	28	4	32
24	Etawah	134	0	134	24	4	28
25	Farrukhabad	145	10	155	23	4	27
26	Fatehpur	275	7	282	35	0	35
27	Firozabad	161	22	183	45	7	52
28	Gautam Buddh Nagar	88	0	88	17	1	18
29	Ghaziabad	120	10	130	14	1	15
30	Ghazipur	254	67	321	50	7	57
31	Gonda	227	173	400	43	7	50
32	Gorakhpur	277	97	374	53	5	58
33	Hamirpur	165	0	165	30	4	34

Sr. No.	Districts	15329 SC Target upto FY 2021-22	operational target For FY 2022-23 (3000)HWC SC	Total HWC - SC target upto FY 2022-23	PHC-HWC target upto FY 2021-22	Target for FY 2022-23	Total Target
34	Hapur	119	8	127	21	3	24
35	Hardoi	335	12	347	40	3	43
36	Hathras	106	13	119	22	3	25
37	Jalaun	230	0	230	26	4	30
38	Jaunpur	265	138	403	68	13	81
39	Jhansi	287	0	287	28	4	32
40	Kannauj	152	1	153	28	4	32
41	Kanpur Dehat	151	2	153	25	0	25
42	Kanpur Nagar	305	0	305	38	4	42
43	Kasganj	112	12	124	22	7	29
44	Kaushambi	134	32	166	25	2	27
45	Kushinagar	239	109	348	45	8	53
46	Lakhimpur Kheri	342	80	422	54	3	57
47	Lalitpur	154	0	154	20	3	23
48	Lucknow	228	5	233	26	2	28
49	Maharajganj	201	75	276	31	4	35
50	Mahoba	115	0	115	14	0	14
51	Mainpuri	146	7	153	34	9	43
52	Mathura	139	6	145	24	2	26
53	Mau	179	0	179	31	5	36
54	Meerut	201	8	209	31	1	32
55	Mirzapur	200	14	214	35	0	35
56	Moradabad	199	51	250	26	3	29
57	Muzaffarnagar	214	26	240	34	5	39
58	Pilibhit	153	25	178	19	3	22
59	Pratapgarh	260	49	309	46	7	53
60	Prayagraj	447	52	499	60	4	64
61	Raebareli	291	0	291	43	8	51
62	Rampur	161	41	202	24	3	27
63	Saharanpur	237	8	245	35	5	40
64	Sambhal	142	61	203	29	0	29
65	Santkabir Nagar	141	37	178	19	1	20
66	Sant Ravidas Nagar	105	24	129	17	0	17
67	Shahjahanpur	232	33	265	32	5	37
68	Shamli	99	6	105	22	2	24
69	Shrawasti	121	5	126	12	0	12
70	Siddharth Nagar	242	113	355	58	0	58
71	Sitapur	338	102	440	54	10	64
72	Sonbhadra	156	81	237	28	0	28
73	Sultanpur	186	70	256	37	6	43
74	Unnao	252	9	261	35	2	37
75	Varanasi	225	21	246	19	3	22

वित्तीय व्यवस्था–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पोषित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु से धनराशि आवंटित की जा रही है। प्रदेश में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चिन्हित 4263 उपकेन्द्र एवं 1268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ऑपरेशनल व्यय (सी0एच0ओ0 का मानदेय, पी0बी0आई0, टी0बी0आई0, आशा प्रतिपूर्ति राशि, आई0ई0सी0, आई0टी रीकरिंग कॉस्ट एवं मल्टीस्किलिंग) Conversion of Rural SC and PHCs to HWC Operational expenses के मद संख्या FR4.1 एवं FR4.2 से किया जाना है। 15वें वित्त आयोग से पोषित व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वित्त पोषित, दोनों ही प्रकार के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इस दिशा–निर्देश का पालन किया जायगा।

1. **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IC.2)–** वर्ष 2022–23 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत 288 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में जनपदवार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के रूप में सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक नवीन चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन्थनिंग एवं फैसिलिटी ब्राण्डिंग हेतु रू0 2.74 लाख आवंटित किये जा रहे हैं।

   प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गैप एनालिसिस के अनुसार आवश्यक उपकरण/सामग्री का क्रय किया जायगा। इसके अतिरिक्त शेष धनराशि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत व्यवस्था, इन्वर्टर, पेयजल, महिला व पुरूषों के लिए पृथक शौचालय, स्टोर हेतु आलमारी आदि की व्यवस्था में भी किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर में एक कक्ष को चिन्हित कर उसे वेलनेस रूम के रूप में विकसित किया जाना है। उक्त कक्ष में लाभार्थियों की काउन्सिलिंग, स्क्रीनिंग आदि का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कक्ष में हेल्थ प्रमोशन से सम्बन्धित गतिविधियां जैसे योग आदि संपादित किये जाएंगे। आवश्यक फर्नीचर, उपकरण, योग हेतु चटाई आदि क्रय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मरीजों के बैठने, विकलांगों के लिए रैम्प, चिकित्सालय परिसर में योग के लिए स्थान आदि भी विकसित किया जा सकता है। इस हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. **लैब सुदृढ़ीकरण कॉस्ट (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IC.3)** – वर्ष 22–23 में नवीन अनुमोदित 288 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों को रू0 1.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय डायग्नोस्टिक सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय करने में किया जा सकता है। साथ ही इस धनराशि से गैप एनालिसिस के अनुसार लैब की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था की जा सकती है।

3. **जेनेरिक मेडिसिन (FMR Code-HSS.1/HSS.1.150.DS.1&2)–** वित्तीय वर्ष 2022–23 में समस्त उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर रू0 30000/– प्रतिवर्ष एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रू0 50000/– की दर से अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसका आवंटन यू0पी0एम0सी0एल0 को किया गया है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर इन औषधियों की आपूर्ति आवश्यकतानुसार डी0वी0डी0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम करायी जायगी। डी0वी0डी0एम0एस0 की आई0डी0 पासवर्ड राज्य स्तर से जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है। पोर्टल के उपयोग हेतु यू0पी0एम0सी0एल0 के सहयोग से सभी सी0एच0ओ0, चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उक्त औषधि की आपूर्ति पूर्व में मिलने वाली औषधियों के अतिरिक्त होगी। डी0वी0डी0एम0एस0 के माध्यम से औषधि की मांग एवं वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश संख्या–एस0पी0एम0यू0/कम्यु0प्रो0/डी0वी0डी0एम0एस0/2022–23/133/4027–75 दिनांक 07.09.2022 द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

4- **मल्टीस्किलिंग (FMR Code-HSS.1/HSS.1.150.CB.1 & 2)–** वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्षित उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु रू0 15000/– प्रतिकेन्द्र की दर से **(HSS.1.150.CB.1)**एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु रू0 27500/– प्रतिकेन्द्र की दर से **(HSS.1.150.CB.2)** आवंटित किया जा रहा है। इस धनराशि से उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रथम पंक्ति के

कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कराया जाना है। इस हेतु प्रशिक्षणानुसार दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

नोट– 15वें वित्त आयोग में चिन्हित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के अतिरिक्त शेष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

5. **आशा सी–बैक फार्म भरने एवं गैर संचारी रोगियों के फालोअप हेतु प्रतिपूर्ति राशि (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.ASHA.1&2)**– वर्ष 2022–23 में समस्त उपकेन्द्र स्तरीय **(HSS.1.150.ASHA.1)** एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय **(HSS.1.150.ASHA.2)** हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों को रू0 5000/– प्रतिमाह प्रतिकेन्द्र की दर से उनकी सम्भावित क्रियाशीलता के आधार पर आवश्यक धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि से हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का सी–बैक फार्म भरने हेतु प्रति फार्म रू0 10.00 की दर से आशा को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जायगी। जिन आशाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं उनके द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त सी–बैक फॉर्म एप्लीकेशन पर भरे जाने पर ही रू0 10.00 प्रति फॉर्म की दर से धनराशि देय होगी। आशा को एक लाभार्थी के लिए उक्त इंसेन्टिव वर्ष में 1 बार ही देय होगा।

   इसके अतिरिक्त क्षेत्र में गैर संचारी रोगों से ग्रसित रोगियों के फालोअप हेतु प्रति रोगी रू0 100 की दर से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आशा द्वारा अपने क्षेत्र में चिन्हित डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के रोगियों का मासिक रूप से फॉलो–अप किया जायगा। रोगियों द्वारा 6 माह तक नियमित रूप से दवाइयां/उपचार प्राप्त किये जाने पर आशा को प्रति लाभार्थी रू0 50/– की धनराशि देय होगी। अतः आशा को वर्ष में प्रति लाभार्थी रू0 100/– तक की धनराशि 2 किश्तों में प्राप्त होगी।

   नोट– 15वें वित्त आयोग में चिन्हित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के अतिरिक्त शेष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

6. **कम्युनिकेशन कॉस्ट (अनावर्ती/वन टाइम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.2)–** वित्तीय वर्ष 2022–23 में चयनित 288 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 60000 की दर से धनराशि कंप्यूटर/लैपटॉप तथा एक टैबलेट हेतु, मानकानुसार क्रय करने हेतु आवंटित की जा रही है। उक्त कम्प्यूटर/लैपटॉप का उपयोग चिकित्सा अधिकारी द्वारा एवं टैबलेट का उपयोग स्टाफ नर्स (एम0एच0–सी पी) द्वारा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त रू0 5000.00 की दर से कम्युनिकेशन कास्ट 9 माह हेतु आवंटित की जा रही है।

7. **कम्युनिकेशन कॉस्ट (आवर्ती) (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.1 & 3)–**

वर्ष 2022–23 में समस्त उपकेन्द्र स्तरीय **(HSS.1.150.OOC.3)** एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय **(HSS.1.150.OOC.1)** हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु रू0 5000.00 की दर से केन्द्रों की सम्भावित क्रियाशीलता के आधार पर आवश्यक धनराशि आवंटित की जा रही है। उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के कम्युनिकेशन कास्ट के उपयोग के लिये जनपद स्तर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर की संख्या के आधार पर वित्तीय नियमों एवं नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जायेगा एवं सभी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर पर इण्टरनेट उपलब्ध कराया जायेगा जिसके माध्यम से प्रतिदिन रिपोर्टिंग, मासिक रिपोर्टिंग, टेलीमिडिसन आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।

उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु यदि जनपद स्तर से इण्टरनेट की व्यवस्था नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में ए0एन0एम0 तथा सी0एच0ओ0 के टैबलेट हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट के रूप में वास्तविक व्यय बिल के आधार पर प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु अधिकतम कुल धनराशि रू0 200.00 प्रतिमाह प्रति ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 की दर से भुगतान किया जाएगा।

नोट–15वें वित्त आयोग में चिन्हित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों के अतिरिक्त शेष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है।

8. **उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु लैपटॉप एवं प्रिण्टर (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.4)**– ई0सी0आर0पी0–2 के अन्तर्गत 10000 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु लैपटॉप एवं प्रिण्टर क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ था, जिनके क्रय हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 तक सुदृढ़ीकृत किये जाने वाले

18329 केन्द्रों हेतु, शेष 8329 उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों हेतु रू0 60000/– प्रति केन्द्र की दर से लैपटॉप एवं प्रिण्टर का क्रय समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन करते हुए किया जाना है। लैपटॉप एवं प्रिण्टर का स्पेसीफिकेशन पृथक से उपलब्ध कराया जायगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन इकाइयों पर एक बार लैपटॉप एवं प्रिण्टर दिये जा चुके हैं उन्हें दुबारा उपलब्ध न कराया जाय।

8 आशा एवं आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.5)

हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर से सम्बद्ध आशाओं जिनको स्मार्टफोन वितरित किये गए हैं एवं समस्त आशा संगिनी हेतु कम्युनिकेशन कॉस्ट एवं डेटा रीचार्ज हेतु रु० 200.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। आशा/आशा संगिनियों द्वारा स्वयं अपने पहचान पत्र से सिम कार्ड लिया जायगा एवं प्रतिमाह टॉप–अप कराया जायगा। आशा एवं आशा संगिनियों द्वारा रीचार्ज कराकर मासिक रूप से अपने बाउचर में अधिकतम रू0 200/– भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाय एवं नियमित रूप से इस मद में भुगतान किया जाय। यदि कोई आशा संगिनी किसी माह में रिचार्ज नहीं कराती है तो उसे इस मद में कोई धनराशि नहीं देय होगी। जनपद द्वारा आशाओं एवं आशा संगिनियों हेतु जिनको स्मार्ट फोन वितरित किये गये हैं, समेकित रूप जनपद/ब्लॉक पर निर्धारित किये गये वेण्डर के माध्यम से वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए डेटा पैक रिचार्ज कराया जा सकता है। जिसकी अधिकतम सीमा रू0 200/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ऐसी दशा में आशा एवं आशा संगिनियों को इस मद में कोई धनराशि देय नहीं होगी।

9 सी0एच0ओ0 हेतु टी0ए0/डी0ए0 (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.OOC.7)

वर्तमान में संचालित उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर कार्यरत सी0एच0ओ0 हेतु रू0 500.00 प्रति माह एवं शेष केन्द्रों हेतु उनकी सम्भावित क्रियाशीलता के आधार पर आवंटित किया जा रहा है, जिसका उपयोग सी0एच0ओ0 के द्वारा किये गए वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा।

10 उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आई0ई0सी0 (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IEC.1&2)

उपकेन्द्र स्तरीय 11774 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 25000 प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से व 2486 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु रू0 50,000.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

11 फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म का मुद्रण (FMR Code HSS.1/HSS.1.150.IEC.3):

समस्त उपकेंद्र स्तरीय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर से सम्बंधित कार्यक्षेत्र के अनुसार जनपद स्तर पर फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म का मुद्रण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर किया जाएगा। मुद्रण हेतु मानक एवं दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं:–

फैमिली फोल्डर एवं सी बैक फॉर्म के मुद्रण हेतु मानकः प्रदेश के प्रति केंद्र द्वारा लगभग 8000 की जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है एवं जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत भाग 30 वर्ष से अधिक के आयु की स्त्रियों एवं पुरुषों का होता है। उक्त के दृष्टिगत निम्न तालिकानुसार मुद्रण कराना सुनिश्चित किया जाए:

S. No	Item Name	Specifications	Estimated Quantity per Sub Centre
1	Family Folder	4 Colour Offset Printing. Dye cut Folder (300 gsm, FRC), Size 484 mm X 450 mm including pocket	1143 (8000/7)
2	Consent Form	4 Colour Offset Printing. Single Side (170 gsm Lucky Print) Size 220 mm X 317 mm	2960 (8000 X 37%)
3	CBAC Form		
4	Individual Health Card		

उपरोक्तानुसार मुद्रण हेतु रु० 10/ प्रति फैमिली फोल्डर की दर से धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। उक्त मुद्रण समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों तथा ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेंशिअल मैनेजमेंट में दिए गए दिशा– निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे। फैमिली फोल्डर एवं सीबैक फार्म हेतु आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही है। सी–बैक फार्म का नवीन प्रारूप पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

13 योग शिविर का आयोजन (FMR Code HSS.1/HSS.1.151.OOC.1&2)

गत वर्ष इस मद में व्यय की दृष्टिगत वर्तमान में संचालित उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों हेतु रु० 250.00 प्रति सत्र की दर से माह में 10 सत्रों हेतु आवश्यक धनराशि का 05 प्रतिशत आवंटित किया जा रहा है।प्रशिक्षण योग अनुदेशक (लेवल 1 योग प्रशिक्षक) अथवा योग शिक्षक (लेवल 2 योग प्रशिक्षक) जिन्हें योग सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो, के द्वारा ही किया जाएगा। इस हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रशिक्षकों की सूची पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

14 कार्य आधारित प्रोत्साहन तथा टीम बेस्ड इन्सेन्टिव (FMR Code HSS.9/HSS.9.187.OOC.1,2&3):—

वित्तीय वर्ष 2022—23 में कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि हेतु रू0 15000/— प्रतिमाह की दर से, उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु रू0 1,00,000/— की दर से टीम बेस्ड इंसेन्टिव हेतु एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरों हेतु रू0 200000/— की दर से टीम बेस्ड इंसेन्टिव की धनराशि केन्द्रों की सम्भावित क्रियाशीलता के आधार पर आवंटित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश—एस0पी0एम0यू0/कम्यू0प्रो0/HWC/2020— 21/88/ 2826—75 दिनांक 27.07.2022 जनपदों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

15 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर हेतु असम्बद्ध धनराशि (HSS.14) —

वर्ष 2022—23 में उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की हेतु रू0 30,000.00 दर से एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की हेतु रू0 50,000.00 की दर से अतिरिक्त असम्बद्ध धनराशि आवंटित की गयी है।

- उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के द्वारा ए0एन0एम0 के सहयोग से तैयार की जायेगी। उपकेन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु उपलब्ध करायी गयी असम्बद्ध धनराशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी एवं तदानुसार व्यय की जायगी। जन आरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवंटित अन्टाईड फण्ड के व्यय हेतु कार्ययोजना, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) के द्वारा सम्बन्धित स्टाफ नर्स/फार्मासिस्ट/एलटी के सहयोग से तैयार की जायेगी एवं इसे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर सम्बन्धित जन आरोग्य समिति की बैठक में प्रस्तुत कर तदानुसार व्यय किया जायगा। जनआरोग्य समिति के गठन एवं संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में क्रियाशील होने के उपरान्त जन आरोग्य समिति का गठन किया जायगा एवं अण्टाइड फण्ड के दिशा—निर्देशों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जायगा।

16 लैब रिकरिंग कॉस्टः

वित्तीय वर्ष 2022—23 में लैब रीकरिंग कॉस्ट 15वें वित्त आयोग में FR3 Support To Diagnosis Infrastructure In The Primary Health Care Facilities Of The Sub Centre मद में चिन्हित 10734 उपकेन्द्रों (सूची संलग्न) एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 15वें वित्त आयोग से धनराशि आवंटित की जा रही है, जिस हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

1.6 मानव संसाधन–कम्युनिटी प्रोस्सेस

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा)

वर्ष 2022–23 में एफ.एम.आर कोड HSS.9.184.CP.124 के अन्तर्गत रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) को मानदेय प्रदान किया जाना है, जो कि उनके द्वारा दी गयी योगदान की तिथि से निम्नानुसार प्रदान किया जायगा–

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात	35000
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	36750
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	38588
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	44376
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	46595
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	51255
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	53818
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	56509
1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक	59334

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान योगदान तिथि एवं एन0एच0एम0 के मानव संसाधन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायगा।

एफ.एम.आर कोड HSS.3.159.OOC.5 के अन्तर्गत रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) को डी0ए0, ट्रेवल कॉस्ट, ठहरने हेतु व्यय, कम्यूनिकेशन कॉस्ट एवं ऑफिस एक्सपेन्डीचर के लिए प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है, जो कि वास्तविक व्यय के आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर देय होगी।

- बैठकों में भाग लेने एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जहाँ तक सम्भव हो शेयर टैक्सी का प्रयोग किया जाय यदि शेयर टैक्सी उपलब्ध न हो तो टैक्सी किराये पर ली जा सकती है। दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट का वाहन मुख्यालय वाले जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक, आर0एच0एफ0पी0टी0सी0 के स्तर से इम्पैनल एजेन्सी से अनुमन्य दर के आधार पर किया जाएगा। उक्त स्तरों पर वाहन उपलब्ध न होने की दशा में इम्पैनल एजेन्सी की अनुमन्य दर पर अथवा जेम पोर्टल के माध्यम से ही भ्रमण हेतु वाहन लिया जा सकता है। यात्रा भत्ता वास्तविक आधार पर देय होगा एवं अनुमन्य धनराशि से अधिक देय नहीं होगा।
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) द्वारा भ्रमण पूर्व अग्रिम प्रस्तावित भ्रमण योजना प्रधानाचार्य–सम्भागीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण को उपलबध करायी जायेगी। भ्रमण के पश्चात 5 कार्यदिवसों में **विस्तृत भ्रमण आख्या** सम्बन्धित प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र एवं राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विगत माह किये गये समस्त यात्रा बिल/वाउचर भुगतान हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- **यात्रा देयकों के भुगतान हेतु विस्तृत भ्रमण आख्या प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) द्वारा किये गये भ्रमणों का सत्यापन प्रधानाचार्य–सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा एवं रीजनल कोऑर्डिनेटर द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 10 दिनों के भीतर भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।
- रीजनल को–ऑर्डिनेटर द्वारा वर्ष में अधिकतम 120 दिन भ्रमण किया जाना है। प्रति भ्रमण हेतु रू0 2500/– प्रतिदिन की दर से यात्रा भत्ता अनुमन्य है। रीजनल को–कोऑर्डिनेटर द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए के माह में कम से कम 10 भ्रमण किये जायें।
- वर्ष में अधिकतम 60 दिवसों हेतु Stay Arrangement के लिए रू0 2200/– प्रति दिवस की दर से धनराशि अनुमन्य है।
- वर्ष में अधिकतम 120 दिवसों हेतु परडियम रू0 1100/– प्रतिदिन की दर से धनराशि अनुमन्य है। उक्त समस्त भुगतान किये गये माह में किये गये भ्रमणों के अनुसार वास्तविकता के आधार पर

किया जायगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि भुगतान आवंटित बजट की सीमा तक ही किया जाय।

ऑफिस व्यय–

रीजनल को–ऑर्डिनेटर (आशा) को मानदेय एवं अन्य ऑफिस व्ययों हेतु 12 माह के लिए धनराशि सम्बन्धित जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति को निम्न गतिविधियों हेतु आवंटित की जा रही हैः–

Sr.	Particular	Unity Cost	Quantity	Freequency	Amount in Rs.
1	AC ll /AC chair car/bus/Share Taxi/Taxi @ Rs. 2500 for 10 days per month for 12 Months	₹ 2,500.00	10	12	₹ 3,00,000.00
2	Stay (Rs.2200 Per day for 5 night in a month for 12 Months	₹ 2,200.00	5	12	₹ 1,32,000.00
3	Per diem Rs. 1100 per day for 10 days in month for 12 Months	₹ 1,100.00	10	12	₹ 1,32,000.00
4	Office expenditure @ Rs.1500, Internet @ Rs.500 per month (Total Rs. 2000 Per month for 12 Months)	₹ 2,000.00	1	12	₹ 24,000.00
Total					**₹ 5,88,000.00**

उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी। धनराशि का व्यय प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के स्तर से समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक के, मानदेय, टी0ए0/डी0ए0/ऑपरेशनल कास्ट तथा कम्यूनिकेशन कॉस्टः–

ब्लाक कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (मानदेय वृद्धि एवं लायल्टी बोनस को सम्मिलित करते हुए) प्रदान किया जाना है, जो कि निम्नवत् है–

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2022 से अथवा उसके पश्चात	15000
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	15750
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	16538
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	19019
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	19970
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	21757
1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक	22845
1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक	23768

मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान योगदान तिथि एवं एन0एच0एम0 के मानव संसाधन के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायगा।

नोट–* जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

**जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2, 3 अथवा अधिक वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी। जिन ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष अथवा 05 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें क्रमशः 10 प्रतिशत अथवा 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, मानव संसाधन अनुभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा।

ई0पी0एफ0–

ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धकों के ई0पी0एफ0 हेतु 13.36 प्रतिशत की दर से नियोक्त अंशदान सहित आवश्यक धनराशि आवंटित की जा रही है।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षणः

ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त कार्यों के सम्पादन एवं कम्युनिटी प्रोसेस के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग हेतु रू0 57600.00 प्रति बी0सी0पी0एम0 प्रति वर्ष की दर से अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि बजट आवंटन की दृष्टि से आंगणित की गयी है। यात्रा एवं अन्य भत्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा पर कार्यरत बी0पी0एम0यू0 कर्मियों हेतु अनुमन्यता के आधार पर वास्तविक व्यय के अनुसार देय होगा जो कि निम्नानुसार है–

क्र. स.		यात्रा भत्ता
1	रेल यात्रा हेतु अनुमन्यता	ए0सी0 तृतीय श्रेणी/ए0सी0 चेयर कार
2	सड़क यात्रा हेतु अनुमन्यता	बस/शेयर टैक्सी मोटर साईकिल/स्कूटर से की गयी यात्रा के लिए रू0 5 प्रति किलोमीटर
3	परडियम	रू0 500 प्रतिदिन
4	ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता	रू0 1000 प्रतिदिन

नोट–

1. मण्डल के अन्दर निजी वाहन से यात्रा करने की स्थिति में रू0 5/–प्रति किलोमीटर देय होगा
2. किसी भी स्थान पर कम से कम 8 घण्टा ठहरने पर एक दिन गिना जायेगा तथा चार अथवा अधिक घण्टे होने पर आधा दिन माना जायगा। 04 घण्टे से कम यात्रा होने पर कोई परडियम देय नहीं होगा।
3. मुख्यालय से ट्रेन, बस, टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय से यात्रा आरम्भ मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।

रेल/बस/शेयर टेक्सी द्वारा यात्रा करने पर यात्रा भत्ता हेतु टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था का बिल प्रस्तुत करना होगा।

यदि बीसीपीएम हेतु आवश्यक टीए/डीए की धनराशि उपरोक्त वार्षिक बजट से अधिक की है तो उसका भुगतान उपलब्धता के आधार पर बीपीएमयू के ऑपरेशनल कॉस्ट से किया जा सकता है।

कम्युनिकेशन कास्टः–

वर्ष 2022–23 में ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर को प्रतिमाह रू0 300/– कम्युनिकेशन कास्ट के रूप में देय होगी।

17 स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 मानदेय (FMR Code: HSS.9/ HSS.9.184.C.S0021):–

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद में कार्यरत स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के योगदान तिथि के अनुसार वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लायल्टी बोनस को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार मानदेय देय होगा।

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात	20500
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	21525
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	22601
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	25991
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	27291

* जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

**जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के वित्तीय वर्ष 2021–22 में संतोषप्रद कार्यकाल 2, 3 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी। जिन स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस मानव संसाधन अनुभाग के

दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा। इस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 8.2 के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा रही है।

- वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु स्टाफ नर्स–एम0एच0सी0पी0 के पद पर कार्यरत कर्मियों का अर्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य कर्मियों के अर्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन के समान किया जाएगा।

18 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मानदेय (FMR Code: HSS.9/ HSS.9.186.C.S0510) :

जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कार्यावधि के आधार पर उनको देने वाले मानदेय की गणना करते हुए तदनुसार जनपदवार धनराशि का आवंटन किया गया है।

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रुपये में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
1 अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात	20500
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक	21525
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	22601
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	25991
1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक	26626
1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक	27957

* जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें 1 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से प्रथम वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

**जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2022–22 में 2, 3, 4 अथवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल से उपरोक्त तालिकानुसार मानदेय देय होगा।

- जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, मानव संसाधन अनुभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा। वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 8.2 के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा रही है।
- जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संतोषप्रद कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें 05 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस, मानव संसाधन अनुभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशानिर्देशों के अनुसार देय होगा। वार्षिक मानदेय वृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस हेतु एफ0एम0आर0 कोड 8.2 के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की जा रही है।
- कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के लिए योगदान तिथि वह तारीख मानी जायेगी जिस तिथि को सफलतापूर्वक सी0सी0एच0एन0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात जनपद में योगदान दिया गया है।

19 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर्मियों का अर्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य कर्मियों के अर्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन के समान किया जाएगा।

20 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर असिस्टेण्ट (FMR Code: HSS.9/ HSS.9.184.C.S0098) जनपद श्रावस्ती में कार्यरत 17 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर अस्सिटेण्ट के मानदेय, वार्षिक वेतन वृद्धि, लॉयल्टी व ई.पी.एफ. हेतु धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर असिस्टेण्ट का मानदेय निम्न तालिका अनुसार निर्धारित होगा–

तैनाती की तिथि	मानदेय प्रतिमाह रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
वित्तीय वर्ष 2017–18	21967

नोट–जिन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर असिस्टेण्ट के संतोषप्रद कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2022–23 में 4 वर्ष पूर्ण हो चुका हो उन्हें माह अप्रैल, 2022 से उपरोक्त तालिकानुसार मानदेय देय होगा।

21 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर अस्सिटेण्ट के पद पर कार्यरत कर्मियों का अर्द्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य कर्मियों के अर्द्धवार्षिक कार्य मूल्यांकन के समान किया जाएगा।

1.7 उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु वर्ष 2022–23 के लिये अन्टाइड धनराशि

प्रदेश में समस्त उपकेन्द्रों एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अन्टाइड फण्ड का प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2022–23 में एफ.एम. आर. कोड संख्या– HSS.14/HSS.14.198.DT.4 तथा HSS.14/HSS.14.198.DT.5 के अन्तर्गत क्रमशः उपकेन्द्रों तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों हेतु अनटाइड धनराशि जनपदों को अवमुक्त/आवंटित की जा रही है। उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि का वित्त पोषण एफ.एम.आर. कोड संख्या– HSS.14/HSS.14.198.DT.4 पर किया जायेगा। **उपकेन्द्रों को असम्बद्ध धनराशि सीधे जनपद स्तर से आवंटित/अवमुक्त की जायेगी।** अनटाइड धनराशि के उपयोग करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैः–

1. **उपकेन्द्र अन्टाइड धनराशि हेतु दिशा–निर्देश (एफ.एम.आर. कोड– HSS.14/HSS.14.198.DT.4):–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एफ.एम.आर. कोड– HSS.14/HSS.14.198.DT.4 के अन्तर्गत उपकेन्द्रों हेतु असम्बद्ध धनराशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। समस्त राजकीय भवनों में संचालित उपकेन्द्रों को वार्षिक रूप से रू0 20,000.00 प्रति उपकेन्द्र तथा किराये के भवन में संचालित उपकेन्द्रों (नवीन स्थापित किये गये 5000 उपकेन्द्रों सहित) को रू0 10,000.00 की दर से असम्बद्ध धनराशि आवंटित की जा रही है। राजकीय भवन में संचालित उपकेन्द्रों को, कराए गये प्रसव के आधार पर Diffrential Financing के अनुसार अनटाइड फण्ड की शेष धनराशि प्रदान की जायेगी। उपकेन्द्र के प्रसव इकाई होने पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के HMIS Data (संस्थागत प्रसवों की संख्या) के आधार पर वर्ष 2022–23 हेतु कुल असम्बद्ध धनराशि निम्नानुसार अनुमन्य है–

1. प्रतिमाह 30 से अधिक प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को वार्षिक रू0 40000 देय है।
2. प्रतिमाह 10–30 प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को वार्षिक रू0 30000 देय है।
3. प्रतिमाह 1–9 प्रसव होते हैं, तो ऐसे उपकेन्द्रों को वार्षिक रू0 20000 देय है।
4. सरकारी भवनों वाले उपकेन्द्र जहाँ प्रसव नहीं कराये जाते हैं ऐसे उपकेन्द्रों को वार्षिक रू0 15000 देय है।
5. किराये के भवनों में संचालित उपकेन्द्रों को वार्षिक रू0 10,000.00 प्रति उपकेन्द्र देय है।

नोट– उपरोक्त धनराशि का आवंटन दिनांक 31.03.2022 को सम्बन्धित उपकेन्द्र के खाते में अवशेष धनराशि के आधार पर टॉप–अप किया जायेगा।

उदाहरण– यदि किसी उपकेन्द्र में गत वर्ष 01–09 प्रसव प्रति माह कराये गये हैं। इस प्रकार इस उपकेन्द्र की वार्षिक अनुमन्यता रू0 20000.00 है। उपकेन्द्र के असम्बद्ध धनराशि बैंक खाते में दिनांक 31.03.2022 को रू0 4000.00 की धनराशि शेष है। इस धनराशि को समायोजित करते हुये शेष रू0 16,000.00 की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी।

यदि इस उपकेन्द्र के बैंक खाते में दिनांक 31.03.2022 को रू0 20,000.00 या इससे अधिक की धनराशि अवशेष है तो उसे कोई धनराशि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

उपकेन्द्रों को प्रदान की जाने वाली अन्टाइड धनराशि, आवंटित/व्यय करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है–

- उपकेन्द्र (जो उपकेन्द्र एच.डब्ल्यू.सी. में परिवर्तित नहीं हुये हैं) में असम्बद्ध धनराशि का उपयोग ग्राम प्रधान एवं उपकेन्द्र पर कार्यरत नियमित/संविदा ए.एन.एम. के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- जिन उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में उच्चीकृत किया जा चुका है, उनमें असम्बद्ध धनराशि (उपकेन्द्र असम्बद्ध धनराशि एवं एच.डब्ल्यू.सी. अतिरिक्त धनराशि सहित) का उपयोग जन आरोग्य समिति (ग्राम प्रधान एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा) के माध्यम से किया जायेगा। जन आरोग्य समिति के विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये गये हैं।
- असम्बद्ध धनराशि केवल उन उपकेन्द्रों (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर सहित) को अवमुक्त किया जाये जहाँ उपरोक्तानुसार बैंक खाता संचालित है।
- उपकेन्द्र स्तर पर ग्राम प्रधान के साथ खोले गये खाते में इलेक्ट्रॉनिकली/पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की जायेगी।

- उपकेन्द्र द्वारा धनराशि व्यय करने हेतु कार्ययोजना बनाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत (जिस ग्राम पंचायत में उपकेन्द्र स्थित है) की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा व समिति के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का व्यय किया जा सकेगा।
- यदि उपकेन्द्र द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायत के लोगों को सेवायें प्रदान की जाती है तो इस बैठक में अन्य ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के दो सदस्यों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- वार्षिक कार्ययोजना बनाने के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक उपकेन्द्र पर औषधियों/उपकरणों/अभिलेखों की एक स्टैन्डर्ड चेकलिस्ट तैयार कर ली जाये। उपकेन्द्र पर स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट के अनुसार उपकेन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाओं के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना बनाई जाये। इस हेतु अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपकेन्द्रों का अनुश्रवण करेंगे तथा ए0एन0एम0 को सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि किसी आकस्मिक स्थिति में व्यय की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधान एवं संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता द्वारा संयुक्त निर्णय कर व्यय किया जा सकता है, परन्तु इसे सम्बन्धित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष 2021–22 तक के उपकेन्द्रों के अन्टाइड खातों का रैण्डम आधार पर सत्यापन 31 अक्टूबर, 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
- प्रत्येक उपकेन्द्र से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निर्धारित FMR कोड में अंकित किया जाये।

उपकेन्द्र अन्टाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता हैः –

1. उपकेन्द्र में पर्दे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था।
2. आकस्मिक परिस्थितियों (एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध न होने की दशा में) में रोगियों को संदर्भन इकाई तक ले जाने की व्यवस्था।
3. महामारी के दौरान नमूना जाँच की लाने ले जाने हेतु परिवहन इत्यादि की व्यवस्था।
4. उपकेन्द्र में पट्टी इत्यादि के क्रय हेतु।
5. प्रसवपूर्व/पश्चात् देखभाल हेतु वजन मापने, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन एवं यूरिन की जाँच आदि के लिए मशीन/किट का क्रय/मरम्मत कराना।
6. डिसइन्फैक्टैन्ट एवं ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु।
7. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता अभियान हेतु।
8. ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मोबिलाइजेशन एवं सामुदायिक स्तरीय गतिविधियों हेतु।
9. उपकेन्द्र स्तर पर भवनों में लघु परिवर्तन तथा लघु मरम्मत के कार्य जैसे– फर्नीचर एवं उपकरणों की मरम्मत जो कि स्थानीय स्तर पर किया जा सकता हो।
10. प्रत्येक प्रकार की मरम्मत कार्य व नवीनीकरण किया जाना जिसमें आवासीय भवन भी सम्मिलित है।
11. सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई।
12. जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत साफ–सफाई इत्यादि)।
13. रंगाई–पुताई।
14. बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट (कूड़ेदान, गढ्ढे, निःसंक्रामक) की व्यवस्था।
15. उपकेन्द्र तक जाने वाले रास्ते की मरम्मत एवं सुदृढ़ता।
16. उपकेन्द्र के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण।
17. उपकेन्द्र में तदर्थ साफ–सफाई जैसे प्रसव के तुरन्त बाद सफाई।
18. आशा एवं आँगनवाड़ी की मासिक बैठकों का आयोजन। (उपकेन्द्र स्तरीय मासिक बैठक)
19. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य जिस हेतु कोई धनराशि अलग से प्राविधानित न की गयी हो।

नोट–

1. धनराशि के उपयोग के समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गई हो।
2. भवन की मरम्मत, निर्माण कार्य, सौन्दर्यीकरण आदि मदों में कुल अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

3. उपरोक्त गतिविधियों के लिए क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त मशीनें/किट जिला अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध न हो अथवा किसी अन्य मद से उक्त गतिविधियों के लिए बजट आवंटित न हो।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति अन्टाइड धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

(एफ.एम.आर. कोड– HSS.14/HSS.14.198.DT.5) **:–**

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में (500 से अधिक जनसंख्या–जनगणना–2011 के आधार पर) रू0 10000 की वार्षिक असम्बद्ध धनराशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व की भाँति इस वर्ष भी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में अवशेष धनराशि का समायोजन किया जाना है। अतः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 31.03.2022 को उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू0 10000 की सीमा तक टॉप–अप किया जाये।

उदाहरण – 1 यदि किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 31.03.2022 को रू0 3000 अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को रू0 10000–3000 = रू0 7000 की धनराशि आवंटित की जायेगी।

उदाहरण – 2 यदि किसी ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में दिनांक 31.03.2022 को रू0 10000.00 या इससे अधिक धनराशि अवशेष है तो उस ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी। परन्तु उक्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा रू0 10000.00 की सीमा तक व्यय किया जा सकेगा।

<u>ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को असम्बद्ध धनराशि सम्बन्धित ब्लॉक स्तर से आवंटित/अवमुक्त की जायेगी।</u>

2.2 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को प्रदान की जाने वाली असम्बद्ध धनराशि आवंटित/व्यय करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है–

- धनराशि केवल उन ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों को स्थानान्तरित की जाये जिनके द्वारा नियमानुसार ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति का खाता बैंक में उपलब्ध है। उक्त खाता इन्टीग्रेटेड बैंक में खोला जाये एवं PFMS पोर्टल पर पंजीकृत करा लिया जाये।
- वर्ष 2022–23 के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समस्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के खाते में 31.03.2022 को शेष उपलब्ध धनराशि की जानकारी सम्बन्धित कार्मिक से अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर ली जाये।

2.3 ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा धनराशि के व्यय करने से पूर्व ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक आयोजित कर ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना बनायी जाये। प्राप्त करायी गयी धनराशि को योजना के अनुरूप ही व्यय की जाये और व्यय सम्बन्धी वाउचर सम्बन्धित आशा तथा आँगानवाड़ी, निर्वाचित सदस्य/प्रतिनिधि में से किसी दो के हस्ताक्षर कराये जाये जिससे कि आवंटित धनराशि का व्यय समुचित रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

- ग्राम पंचायत को यदि किसी अन्य योजना यथा नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अथवा अन्य किसी योजना में धनराशि प्राप्त हुई है तो ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाते समय उपलब्ध धनराशि का ध्यान रखा जाये तथा धनराशि का व्यय इस प्रकार से किया जाये कि धनराशि का दुरूपयोग अथवा डुप्लीकेशन न हो।
- प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से उपयोगिता प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाये तथा व्यय विवरण जनपद स्तर पर निर्धारित FMR कोड में अंकित कर प्रतिमाह प्रेषित किया जाये।

2.4 अन्टाइड धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जा सकता है–

1. ग्राम स्वच्छता एवं सफाई अभियान।
2. स्रोत घटाना – मच्छरों का प्रजनन कम करने के लिए।
3. स्वास्थ्य मेला या स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।
4. आंगनवाड़ी केंद्रों और उपकेंद्रों में सुविधाएं बढ़ाना/सुधार करना।
5. आकस्मिक/लघु खर्च (मासिक वी.एच.एस.एन.सी. बैठक में चाय, बिस्किट इत्यादि)।
6. निर्धन रोगियों के लिए आपातकालीन वाहन–जहां उनकी नियमित व्यवस्था विफल हो जाती है।
7. स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां।

8. स्थानीय रूप से निर्धारित ऐसे कार्य कराने के लिए आशा को प्रोत्साहन राशि। (जो उस गांव विशेष के लिए अत्यंत विशिष्ट हैं)।
9. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के सुदृढ़ीकरण हेतु।
10. आशाओं के एच0बी0एन0सी0 किट के उपकरणों के लघु मरम्मत जैसे–डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल वॉच की बैट्री हेतु आदि में भी आवश्यकतानुसार असम्बद्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है परन्तु यह धनराशि किसी भी दशा में रू 200 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
11. हेल्थ प्रमोशन दिवस के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में भी आवश्यकतानुसार असम्बद्ध धनराशि का उपयोग किया जा सकता है परन्तु यह धनराशि किसी भी दशा में रू0 150/– प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।
12. संक्रामक रोग नियंत्रण एवं महामारी के दौरान की जाने वाली आवश्यक गतिविधियों हेतु।

1.8 रोगी कल्याण समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षणः–

प्रदेश के 20 जनपदों–बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्व नगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, सम्भल, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, मऊ, अमेठी, संत रविदास नगर (भदोही), मुज़फ्फ़रनगर, शामली, महोबा, सीतापुर की रोगी कल्याण समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायः–

1. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिभाग हेतु दिशा–निर्देश

जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति के 4–4 सदस्यों के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा।

रोगी कल्याण समिति का स्तर	प्रशिक्षण हेतु नामित किये जाने वाले सदस्य/अधिकारी
जिला स्तरीय रोगी कल्याण समिति	• प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक • चिकित्साधिकारी (रोगी कल्याण समिति में नामित हो) • चिकित्सालय प्रबन्धक • लेखाधिकारी/लेखाकार
सामुदायिक/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति	• अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी • चिकित्साधिकारी (रोगी कल्याण समिति में नामित हो) • बी0सी0पी0एम0/बी0पी0एम0 • बी0ए0एम0/लेखाधिकारी/लेखाकार
जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई	• जिला कार्यक्रम प्रबन्धक • जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक • जिला लेखा प्रबन्धक • जिला क्वालिटी एश्योरेंस कन्सलटेंट

निम्न बैच कास्ट के अनुसार धनराशि व्यय की जायः–

RKS Training for 20 districts					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Fooding (Lunch, tea & Snacks)	250	1	30	7500
2	Fooding & Refreshments for Trainers	250	1	4	1000
3	Honorarium to Trainers	500	1	4	2000
4	Stationary and training Material (Pen, Pad, Bag, photograph, Banner etc)	100	1	30	3000
5	Contingency				3000
				Total Amount for one batch	**16,500**
				Total Amount for 65 batches	**10,72,500**

2. जनपद स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण में प्रतिभाग हेतु दिशा–निर्देश

प्रदेश के 31 जनपदों –बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्वार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, मेरठ, बाँदा, बस्ती, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोण्डा, फैजाबाद, शाहजहाँपुर, मथुरा, हरदोई,

फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ में विगत वर्षों में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा चुका है। उक्त के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में, इन जनपदों में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण में जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय रोगी कल्याण समिति के 4–4 सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा।
जनपद स्तरीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि निम्न बैच कास्ट के अनुसार व्यय की जायेगी–

District Level refresher training on RKS					
S.N.	**Particulars**	**Rate**	**Days**	**No. of units**	**Amount (Rs.)**
1	Fooding (Lunch, tea & Snacks)	250	1	30	7500
2	Fooding & Refreshments for Trainers	250	1	4	1000
3	Honorarium to Trainers	500	1	4	2000
4	Stationary and training Material (Pen, Pad, Bag, photograph, Banner etc)	100	1	30	3000
5	Contingency				3000
				Total Amount for one batch	**16500**
				Total Amount for 89 batches	**1468500**

1.9 टेलीमेडिसिन/टेली कन्सलटेशन (ई–संजीवनी) सेवायें

विशेषज्ञ सेवाएं–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित प्रदेश के चिन्हित 15 मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ सेवाओं हेतु प्रत्येक हब पर प्रतिदिन (अधिकतम 24 दिन) एक विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा टेलीमेडिसिन सेवायें रोस्टर के आधार पर प्रदान की जायेंगीं। विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को रू0 3000.00 प्रतिदिन दैनिक आधार पर न्यूनतम 20 टेलीकन्सल्टेशन प्रतिदिन करने पर देय होंगें। इस प्रकार प्रत्येक चिन्हित मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकतम रू0 72000.00 प्रतिमाह विशेषज्ञ सेवाओं हेतु उपयोग किया जा सकेगा। प्रारम्भ में Cardiology, Gynecology & Pediatrics के विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर्स की आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

इन्टरनेट कॅनेक्टिविटी एवं आवर्ती व्यय (Recurring Cost)–

- प्रत्येक टेलीमेडिसिन हब हेतु इन्टरनेट कॅनेक्टिविटी हेतु प्रति हब रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की गयी है।
- प्रत्येक टेलीमेडिसिन हब के लिये आवर्ती व्यय हेतु प्रति हब रू0 1000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिये आवश्यक धनराशि आवंटित की गयी है।

टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु नियोजित संविदा चिकित्सकों हेतु मानदेयः–

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में टेलीकन्सल्टेशन सेवाओं हेतु संविदा पर नियोजित चिकित्सकों के लिये रू0 60,000.00 प्रारम्भिक मानदेय प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
- कार्यरत संविदा चिकित्सकों हेतु 12 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा कर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदा कर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा कर्मियों की संतोषजनक परफॉरमेंस के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत हैं।
- भारत सरकार द्वारा कार्यरत संविदा कर्मियों के लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदा कर्मी पात्र होगें जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में निरतंर 03 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो।
- टेलीमेडिसिन कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित चिकित्सकों पर उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य समिति तथा राज्य स्तर से निर्गत मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा–निर्देश प्रभावी होंगें।

2. प्रचार–प्रसार गतिविधियां

नोडल अधिकारियों के दो दिवसीय आवासीय क्षमता वर्धन हेतु कार्यशाला के दिशा निर्देशः–FMR Code: HSS.13.197.IEC.1

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.1 (Capacity Building of Health IEC Officials) अंतर्गत मण्डलीय जनपदों में 1.68 लाख के अनुसार कुल रू0 30.24 लाख का बजट डैप में आवंटित है। जिसका अनुमोदन राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2022 में प्राप्त है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

Activity/Media	Proposals for the publicity of NHM Schemes and Health Programs	Proposed Budget
Capacity Building of Health IEC Officials	For District (40 Participants/batch) at Divisions @ Rs. 1.68 Lakhs/Batch **Activity:** 2 Days residential Training @ Rs. 4200/ Participant of IEC and Health Officials and staff for revamping of IEC at 18 Div HQ (1Batch), for District (40 Participants/Batch) at 18 Divisions.	30.24 Lakh

प्रशिक्षण में आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 की प्रक्रिया के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तर से प्रशिक्षक प्रतिभाग करेंगे। स्वास्थ्य संचार अभियान के माध्यम से आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्देश निम्नवत हैंः–

- जनपदीय आई0ई0सी0 अधिकारियों की क्षमतावर्धन हेतु दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन का व्ययभार एफ.एम.आर. HSS.13.197.IEC.1 (Capacity Building of Health IEC Officials) में आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किये जाने से 15 दिन पूर्व एस.पी.एम.यू. में आई.ई.सी. अनुभाग को सूचित किया जाये और Capacity Building से संबंधित आई.ई.सी. सामाग्रियों की साफ्ट कॉपी प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्यशाला में सम्मिलित की जाये।
- Capacity Building of Health IEC Officials हेतु आयोजित किये गये प्रशिक्षण की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डी.पी.एम. के माध्यम से डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

Designing & Creative Development आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.2 में Advocacy & Communication Material - IEC हेतु दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु प्रति ब्लॉक पर रू0 10,000 से आई0ई0सी0 सामग्री/गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को @ Rs10000/Block for Printing of different type IEC Materials like Handout, Poster, flyer, Banners etc. Rs 82 Lakh + Rs 1142820 (RI Banners, only Guideline already sent) कुल बजट रू0 93.43 लाख को डैप के माध्यम से आवंटित किया गया है।

उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपद स्तर पर गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, ब्लॉक के मेडीकल ऑफीसर इंचार्ज, के साथ उक्त गतिविधि का नियमानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
2. आवंटित बजट के सापेक्ष गतिविधि का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्ति उपरांत ही संपादन सुनिश्चित हो।
3. गतिविधि का संपादन अनुमोदित दरों पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. प्रिंट करायी जाने वाली आई.ई.सी. सामाग्रियां सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ही प्रिंट करायी जायें, राज्य स्तरीय अभियानों की अनुमोदित आई.ई.सी. सामाग्रियों की साफ्ट कॉपी एस.पी.एम.यू. स्तर से ईमेल द्वारा जिलों से साझा की जायेगी। सभी वित्तीय एंव क्रय नियमों का पालन करते हुए आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये।

5. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, एवं ब्लॉक के मेडिकल ऑफीसर इंचार्ज, उत्तरदायी होंगे।
6. बीजक के साथ गतिविधि से संबंधित फोटोग्राफ जिसमें दिनांक स्पष्ट दिखायी दे रही हो उसे संबंधित अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराते हुए सुरक्षित रखा जाये।

चिड़ियाघर, बस, ट्रेन, ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ क्षेत्र के टिकट पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश FMR Code: HSS.13.197.IEC.3

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.3 में चिड़ियाधर, बस, ट्रेन, ऐतिहासिक स्थान, तीर्थ क्षेत्र के टिकिट्स पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विज्ञापन प्रकाशन हेतु रू0 02.00 लाख प्रति मण्डलीय मुख्यालय (आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बरैली, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मोरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी) इस प्रकार कुल बजट रू0 36.00 लाख को डैप के माध्यम से आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त मण्डल स्तर पर गतिविधि के क्रियान्व्यन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. अपर निदेशक, मण्डल अपने स्तर से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों की समिति बनाकर उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन सुनिष्चित करें।
2. आवंटित बजट के सापेक्ष गतिविधि के क्रियान्वयन का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्ति के उपरांत ही संपादन सुनिश्चित हो।
3. गतिविधि का संपादन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से डी0ए0वी0पी0 दरों पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये जिसमें सभी वित्तीय एंव क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।
5. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के अपर निदेशक, मण्डल उत्तरदायी होंगे।
6. बीजक के साथ गतिविधि से संबंधित फोटोग्राफ जिसमें दिनांक स्पष्ट दिखायी दे रहा हो उसे कार्यालय, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराते हुए सूचना विभाग से मांगा जाये।

वेब/डिजिटल प्लेटफॉर्म हेतु दिशा–निर्देश FMR Code: HSS-13-197-IEC-11

आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 के एफ0एम0आर0 कोड HSS-13-197-IEC-11 में वेब/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसार–प्रचार हेतु बजट रू0 100.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय संचार अभियान के दौरान समस्त जनपदों में वेब/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन के प्रकाशन हेतु रू0 444444 प्रति मंडलीय मुख्यालय (आगरा, अलीगढ़, आमजगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन (गोंडा), गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, व वाराणसी) की दर से कुल बजट रू0 80.00 लाख का डैप के माध्यम से आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त मंडलों में गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1– अपर निदेशक मंडल अपने स्तर से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों की समिति बनाकर उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
2– आवंटित बजट के सापेक्ष वर्ष पर्यन्त विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों/दिवसों पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए वेब प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्ति के उपरांत ही संपादन सुनिश्चित करें।
3– वेब प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन का प्रकाशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से डी0ए0वी0पी0 दरों पर उन वेब प्लेटफॉर्म पर सुनिश्चित किया जाए जिनके पास मानक अनुरूप अधिकाधिक पेज व्यू (पी0वी0)/यूनीक विजिटर (यू0वी0)/सब्सक्राइबर हैं।
4– धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये जिसमें सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।

5– उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद से संबंधित मंडल के अपर निदेशक उत्तरदायी होंगे।

6– बीजक के साथ गतिविधि से संबंधित कंप्यूटर स्क्रीन शॉर्ट की फोटोग्राफ जिसमें दिनांक स्पष्ट दिखायी दे रहस हो उसे कार्यालय निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराते हुए सूचना विभाग से मांगा जाये।

मेला–महोत्सव हेतु दिशा–निर्देशः– FMR Code: HSS.13.197.IEC.12

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.12 (Targeting Naturally Occurring Gathering of People/ Health Mela) के अंतर्गत प्रयागराज, वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ में आयोजित मेलों के लिए प्रति जनपद रु0 5.00 लाख व अन्य समस्त जनपदो के लिए प्रति जनपद रु0 1.00 लाख के अनुसार कुल रू0 91.00 लाख का बजट डैप में आवंटित है। आवंटित बजट के क्षेत्र में आयोजित मेला–महोत्वस में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0 पर्यटन विभाग के सौजन्य से आयोजित होने वाले पारम्परिक मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु किया जाये। यदि जनपद में उ0प्र0 पर्यटन द्वारा कोई मेला नहीं कराया जा रहा है उस अवस्था में जनपद में आयोजित होने वाले अन्य पारम्परिक मेला/महोत्सव में प्रतिभाग किया जाये।

रूपरेखाः–

असामान्य व परम्परागत चिकित्सीय समस्याओं के अतिरिक्त संचारी और गैर संचारी बीमारियों से हमारा देश जूझ रहा है। इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्रारम्भिक निदान, स्वास्थ्य शिक्षा मिलने, समयबद्धता के साथ रेफरल व उचित प्रबंधन से दूर की जा सकती हैं। डायबिटीज और हाइपरटेंशन का प्रसार हर वर्ष 5 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कैंसर के 8 लाख केस आते हैं और लगभग 60 से 80 प्रतिशत केस देर से उपचारित होने के कारण बिगड़ जाते हैं। वृद्धावस्था की 8 प्रतिशत आबादी घरों में रहने को मजबूर हैं और किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है।

मौजूदा उपकेंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का उच्चीकरण करते हुए 1,50,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स स्थापित किये गये हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य समग्र प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्रों में देखभाल मुहैय्या कराना है। समय से समग्र स्वास्थ्य देखभाल को घर से 30 मिनट की दूरी पर पहुंचाना है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स में विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें जैसे शिशु स्वास्थ्य, नियोजन, संचारी, गैर संचारी रोग,वृद्धावस्था देखभाल, आंख, नाक, गला, मुख, इमरजेंसी सेवाएं, ट्रामा, असाध्य रोग, मुफ्त आवश्यक दवायें, जांच आदि सम्मिलित हैं। स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक बचाव, देखभाल की संरचना इस प्रकार से की जा रही है कि लोगों एवं समुदाय में स्वस्थ व्यवहार अपनाये ताकि गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। समुदाय में वी.एच.एस.एन.सी., जन आरोग्य समिति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स सक्रिय हैं। जिनके माध्यम से समुदाय में स्वास्थ्य सुविधाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह बेहतर स्वास्थ्य को जन आंदोलन में परिवर्तित कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की रणनीतिः–

आमजन के मध्य स्वास्थ्य मेलों को लोकप्रिय पाया गया है, जहां पर स्वस्थ रहने हेतु उचित व्यवहार, रोगों से बचाव हेतु उपाय, रोगों की शीघ्र पहचान एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं रोगों की शीघ्र पहचान के अतिरिक्त निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मुहैय्या कराये जाने हेतु स्वास्थ्य मेलों के आयोजन की रणनीति अपनायी है। उपरोक्त स्वास्थ्य मेलों की परिकल्पना इस प्रकार की गई है। जिससे हजारों की संख्या में गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं एवं आवश्यक दवाईयां प्राप्त करने हेतु आकृष्ट हों। स्वास्थ्य मेले केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं गैर सरकारी संगठन के द्वारा चलाई जा रहे कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक होते है।

उद्देश्यः–

1. विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहुंच बढाने के लिए जागरूकता विकसित करना।

2. मेलों में उपस्थित लोगों के लिए एबीडीएम के तहत अद्वितीय स्वास्थ्य आई डी कार्ड बनाने की सुविधा देना।
3. पात्र लाभार्थियों के लिए ए.बी.–पी.एम.–जे.ए.वाई. के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की सुविधा देना।
4. विभिन्न संचारी एवं गैर संचारी रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य जागरूकता किये जाने में बढ़ोत्तरी करना।
5. स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम स्वास्थ्य एवं उचित व्यवहार अपनाने के लिए मास मीडिया और मिड मीडिया के माध्यम से संदेशों को प्रचारित करें।
6. रोगों की शीघ्र पहचान हेतु स्क्रीनिंग/परीक्षण, औषधि एवं जांच सुविधा के साथ आवश्यकतानुसार संबंधित विशेषज्ञ से टेली कंसलटेंसी प्रदान करें।

कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व निम्न बिन्दुओ पर ध्यान आकर्षित करना चाहें:–

मेला स्थल पर विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं से जुडे अलग–अलग स्टाल लगाये जायें। जैसे आयुष्मान भारत– डिजिटल हेल्थ आई.डी., आयुष्मान भारत–कार्ड, आयुष्मान भारत–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स साथ में जननी आरोग्य समिति, वी.एच.एन.सी., स्क्रीनिंग के लिए सी.बी.ए.सी. फार्म, स्क्रीनिंग ऑफ एन.सी.डी. , टेलीकंसलटेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, योगा प्रशिक्षण, आई.ई.सी. गतिविधियां आदि। इन सुविधाओं के साथ निम्नांकित सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला जाये:–

.1. सामान्य दवाईयां
2. मातृत्व स्वास्थ्य
3. शिशु स्वास्थ्य
4. टीकाकरण
5. परिवार नियोजन काउंसलिंग
6. आई.ई.सी.–परिवार कल्याण
7. मोतियाबिद जांच
8. नाक, कान, गला की जांच
9. दंत परीक्षण
10. चर्म रोग परीक्षण
11. पोषण हेतु काउंसलिंग
12. आर.टी.आई./एस.टी.आई. व एड्य कंट्रोल हेतु काउंसलिंग
13. कुष्ठ रोग उन्मूलन
14. क्षय रोग उन्मूलन
15. मलेरिया
16. अंधता निवारण (आंखों का परीक्षण)
17. तम्बाकू एवं धूम्रपान के दुष्प्रभाव
18. कैंसर के प्रति जागरूकता
19. पर्सनल/इनवायरमेंटल हाइजीन
20. पुनर्वास
21. भारतीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान–आर्युवेद, युनानी, होम्योपैथी
22. क्षेत्रीय प्रचार–प्रसार हेतु गीत एवं नाट्य का मंचन

- मेला स्थल पर क्षेत्रीय भाषा में स्टाल की लोकेशन हेतु प्रिन्टेड मैप लगे हुए हों।
- चिकित्सकों व ड्यूटी स्टाफ का स्पष्ट चार्ट स्थल पर लगा हो।
- मेला की तिथि से दो दिन पूर्व सुविधा केंद्र को स्थापित कर दिया जाये जहां पर चिकित्सकों का ड्यूटी चार्ट स्थापित हो।
- मेला स्थल पर पर्याप्त मात्रा में रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किये जायें जहां पर आंगतुकों का रजिस्ट्रेशन किया जाये ताकि किसी को असुविधा न हो।
- यदि स्टाल खुली जगह पर बनाये जा रहे हैं तो स्टाल का साइज 15'X15' तथा समस्त फर्नीचर, पोस्टर व अन्य चिकित्सीय उपकरणों के साथ मेला शुरू होने से एक दिन पूर्व सुसज्जित हो।

प्रबंधन एवं संचालन:–

- मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटी लगाई जाये जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत लक्षित कार्याक्रमों की जानकारी दी जाये तथा स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये लीफलेट्स/हैण्ड आउट्स भी उपलब्ध कराया जाये।
- स्टाल पर कोविड प्रोटोकाल पालन करते हुए यथा संभव सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायेगा।
- मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित ऑडियो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाये।
- मेला/महोत्सव में बैनर एवं स्टैण्डी लोक कला दल/विज्ञापन आदि के माध्यम से RMNCH+A एवं राश्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाये।
- हेल्थ मेला का स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट ही होना चाहिये ताकि औषधियों का वितरण सुलभता के साथ किया जा सके। जिला स्तर से आवश्यक दवायें आदि को पूर्व में मेला स्थल पर पहुंचा दिया जाये। सरकारी चिकित्सालयों व हेलथ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से जुंडी आशा, ए.एन.एम., कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सीय स्टाफ व विशेषज्ञों की हेल्थ मेलों में ड्यूटी लगाई जाये।
- स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित किया जायेगा ताकि प्रस्ताव को जनपद स्तरीय कार्ययोजना में शामिल किया जा सके।
- स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत अन्य प्रचार–प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाये। इसके साथ ही मेले में निम्न सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाये–

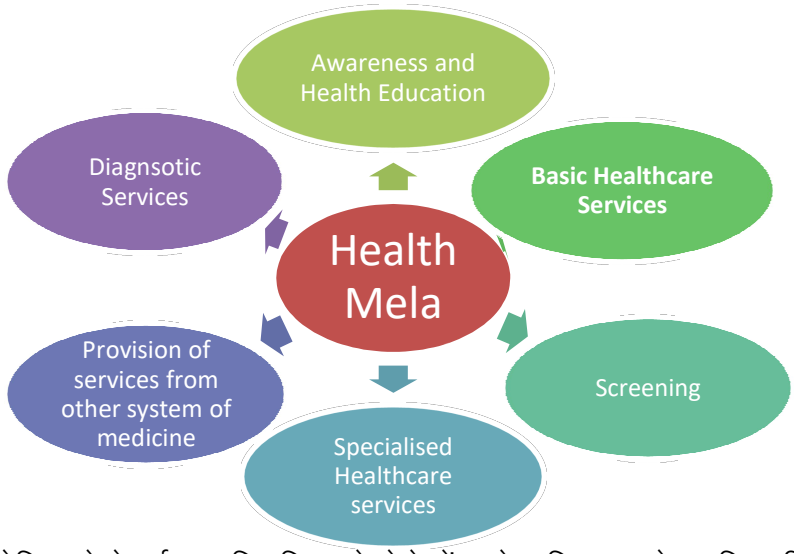

- राज्य स्तर से अनुमोदित प्रोटोटाईप व क्रिएटिव को मेले में प्रयोग किया जाये। यदि कतिपय कारणों से जिला स्तर से क्रिएटिव तैयार कराये जाते हैं तो उसकी स्वीकृति राज्य स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- मेला महोत्सव के लिए आई.ई.सी. अनुभाग द्वारा विकसित किये गये स्टैण्र्ड कैनोपी, होर्डिंग्स, बैनर आदि का ही प्रयोग किया जाये जो कि समय–समय पर पुनः काम आये।
- आयोजित किये गये मेला महोत्सवो की इलेक्ट्रानिक रिर्पोट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

स्वास्थ्य देखभाल की निरन्तरता को सुगम बनाने के लिए निर्देश :–

- रेफरल वाले मामलों में रोगी का नाम और रोगी को किस अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, यह सब रजिस्टर में अंकित होना अनिवार्य है।
- रेफर किये गये रोगी को गांववार मैप किया जाये और निकटतम पी.एच.सी.–एच एण्ड डब्लू/सी.एच.सी.–एच एण्ड डब्लू से जोडा जाएगा और चिकित्सा इकाई में रेफर करने की स्थिति पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए सी.एच.ओ./मेडिकल आफिसर के साथ साझा किया जायेगा।

- वर्ष 2022 के माह दिसम्बर तक मेला महोत्सव गतिविधियों को अवश्य रूप से संपन्न करा लिया जाये।
- त्यौहारों के आस–पास ही मेला महोत्सवों को आयोजित किया जाये ताकि आम जनमानस तक स्वास्थ्य संबंधी संदेशों का प्रवाह हो सके।

ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों हेतु दिशा निर्देशः–FMR Code: HSS.13.197.IEC.13

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.13 (Block Health Mela) अंतर्गत रू0 7,77,777.00 की दर से 18 मण्डलीय जनपदों को कुल रू0 140.00 लाख का आवंटन डैप में किया गया है। आवंटित धनराशि के सापेक्ष ब्लाक स्तरीय मेलों हेतु मण्डलीय मुख्यालय से संबंधित जनपदों के ब्लाक को मेला आयोजित किये जाने हेतु बजट का आवंटन किया जायेगा।

उद्देश्यः–

1. विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहुंच बढाने के लिए ब्लॉक में जागरूकता विकसित करना।
2. मेलों में उपस्थित लोगों के लिए एबीडीएम के तहत अद्वितीय स्वास्थ्य आई डी कार्ड बनाने की सुविधा देना।
3. पात्र लाभार्थियों के लिए ए.बी.–पी.एम.–जे.ए.वाई. के तहत आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की सुविधा देना।
4. विभिन्न संचारी एवं गैर संचारी रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य जागरूकता किये जाने में बढ़ोत्तरी करना।
5. स्वस्थ रहने के लिए उच्चतम स्वास्थ्य एवं उचित व्यवहार अपनाने के लिए मास मीडिया और मिड मीडिया के माध्यम से संदेशों को प्रचारित करें।
6. रोगों की शीघ्र पहचान हेतु स्क्रीनिंग/परीक्षण, औषधि एवं जांच सुविधा के साथ आवश्यकतानुसार संबंधित विशेषज्ञ से टेली कंसलटेंसी प्रदान करें।

प्रबंधन एवं संचालनः–

- मेला/महोत्सव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, की स्टॉल पर RMNCH+A काउन्सलर की ड्यूटी लगाई जाये जिसके द्वारा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत लक्षित कार्याक्रमों की जानकारी दी जाये तथा स्टॉल पर समुदाय को वितरित किये जाने के लिये लीफलेट्स/हैण्ड आउट्स भी उपलब्ध कराया जाये।
- मेला/महोत्सव में टी.वी. प्रोजेक्टर के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सम्बंधित ऑडियो/वीडियो स्पॉटस का प्रसारण कराया जाये।
- मेला/महोत्सव में बैनर एवं स्टैण्डी लोक कला दल/विज्ञापन आदि के माध्यम से RMNCH+A एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाये।
- हेल्थ मेला का स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट ही होना चाहिये ताकि औषधियों का वितरण सुलभता के साथ किया जा सके। जिला स्तर से आवश्यक दवायें आदि को पूर्व में मेला स्थल पर पहुंचा दिया जाये। सरकारी चिकित्सालयों व हेलथ एण्ड वेलनेस सेंटर्स से जुंडी आशा, ए.एन.एम., कम्युनिटी हेल्थ आफिसर, स्टाफ नर्स, चिकित्सीय स्टाफ व विशेषज्ञों की हेल्थ मेलों में ड्यूटी लगाई जाये।
- स्वास्थ्य मेलों के आयोजन का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेषित किया जायेगा ताकि प्रस्ताव को जनपद स्तरीय कार्ययोजना में शामिल किया जा सके।

होर्डिंग्स, बिल बोर्ड, साइनेज स्थापना हेतु दिशा निर्देशः– FMR Code: HSS.13.197.IEC.14

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड **HSS.13.197.IEC.14** (Places covered with Hoardings/Bill Board,Sinages) अंतर्गत प्रति ब्लॉक प्रत्येक माह एक होर्डिंग्स स्थापना हेतु एक होर्डिंग प्रति ब्लॉक एवं 4 प्रति जनपद 10 माह/रू0 5000 हेतु कुल बजट रू0 560.00 लाख डैप में आवंटित है। आवंटित बजट के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान हेतु जनपद स्तर से होर्डिंग्स स्थापना (प्रति ब्लाक 2 होर्डिंग तथा 8 होर्डिंग प्रति जनपद 5 माह हेतु) गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। राज्य स्तर से

अनुमोदित क्रिएटिव/प्रोटोटाइप होर्डिंग्स स्थापना गतिविधि हेतु प्रयोग किये जायेंगे। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों के ब्लॉकों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

प्रबंधन एवं संचालनः–

1. वित्तीय नियमों के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत एजेंसी अथवा निविदा प्रक्रिया द्वारा जिला स्तर पर संस्थाओं/एजेंसियों का चयन एवं दरों का निर्धारण करना, जो कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की दर 20 फुट x 10फुट= 200 वर्गफुट हेतु रू0 5000.00/–प्रति माह से अधिक न हो। होर्डिंग्स स्थापना बहुरंगीय हो एवं इसका साईज 20फुट x 10फुट= 200 वर्गफुट से अधिक न हो।
2. टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही प्राथमिकता पर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से अथवा उन्हें संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार की जाये।
3. संलग्न फाट में दी गई धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये जिसमें सभी वित्तीय एंव क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।

एजेंसी हेतु चयन समिति का गठनः–

होर्डिंग्स स्थापना एजेंसी के माध्यम से कराने की दशा में एजेंसी के चयन के लिए चयन समिति का गठन जनपद स्तर पर निम्नानुसार किया जाये–

- मुख्य चिकित्साधिकारी — अध्यक्ष
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी — सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
- डिवीजनल पी0एम0 — सदस्य
- जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्वास्थ्य षिक्षा अधिकारी — सदस्य
- जिला सूचना अधिकारी — सदस्य

होर्डिंग्स स्थापना हेतु स्थल का चयन एवं मानकः–

1. गतिविधि जनपदवार संलग्न धनराशि की फांट के अनुसार संबंधित होर्डिंग्स स्थापना मीडिया प्लान में दिये गये निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। होर्डिंग्स स्थापना में अच्छी गुणवत्ता हेतु उच्चतम फ्लैक्स का प्रयोग किया जाये।
2. होर्डिंग्स स्थापना में विशेष ध्यान रखा जाये कि खराब मौसम में होर्डिंग्स किसी भी प्रकार की जान–माल की क्षति न पहुंचाये।
3. जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय, प्रमुख चौराहों, जिला अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि पर होर्डिंग स्थापना की जाये।
4. होर्डिंग्स स्थापना ऐसी जगह न की जाये जहां पर होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित हो।
5. आई.ई.सी.अनुभाग से अनुमोदित होर्डिंग्स क्रिएटिव का ही प्रयोग किया जाये ताकि पूरे प्रदेश में समरूपता प्रदर्शित हो।
6. प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना में नीचे की तरफ दाहिने किनारे पर निम्नलिखित सूचनाओं को अंकित कराया जाये–
   - होर्डिंग्स स्थापना का माप (लम्बाई×चौडाई)
   - होर्डिंग्स स्थापना की तिथि
   - प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना के एक किनारे पर कोड नम्बर दिया जाये जो फोटोग्राफ में दर्शित हो।
   - होर्डिंग्स स्थापना का स्थल/ग्राम सभा/विकास खण्ड का नाम
   - कार्यदायी संस्था का नाम

7. . प्रत्येक होर्डिंग्स स्थापना के दो फोटोग्राफ (पिन प्वाइंट लोकेशन के साथ) एक नजदीक से (क्लोज–अप) व दूसरी थोड़ी दूर से लिया गया जिसमें आस–पास का लगभग दस फिट का एरिया भी आच्छादित करते हुए रिपोर्ट के साथ संलग्न करें एवं आयोजित किये गये मेला महोत्सवो की इलेक्ट्रानिक रिर्पोट डी.पी.एम. के माध्यम से डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को

प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

1. गतिविधि पूर्ण होने के पष्चात इसका सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
2. होर्डिंग्स स्थापना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात 30 प्रतिशत होर्डिंग्स का सत्यापन रैण्डम सेलेक्शन के आधार पर जिला नोडल आई.ई.सी. अधिकारी ए0सी0एम0ओ0/डी0सी0पी0एम0 के स्तर से किया जाये।
3. इस अभियान की गतिविधियों के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिये पाक्षिक सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार करके उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर नियमानुसार ही किया जाये।
6. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुये इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार संपादित कर उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वॉल पेण्टिग हेतु दिशा निर्देशः– FMR Code: HSS.13.197.IEC.15

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.15 (Digital wall Painting) अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक हेतु बजट रू0 5000 मात्र अनुसार 820 ब्लॉक हेतु कुल बजट रू0 41.00 लाख डैप में आवंटित है। आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तरीय अभियान हेतु वॉल पेंटिंग गतिविधि का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों के ब्लॉकों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. गतिविधि जनपदवार संलग्न धनराशि की फांट के अनुसार संबंधित डिजिटल वॉल पेंटिंग मीडिया प्लान में दिये गये निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।
2. वित्तीय नियमों के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत एजेंसी अथवा निविदा प्रक्रिया द्वारा जिला स्तर पर संस्थाओं/एजेंसियों का चयन एवं दरों का निर्धारण करना, जो सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित उच्चतम इकाई दर (Selling Rate) रू0 30.00/–प्रति स्क्वायर फीट से अधिक न हो।

3. वॉल पेंटिंग बहुरंगीय एवं इसका साईज 5फुट x 8फुट= 40 वर्गफुट होगा।
4. टेण्डर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही प्राथमिकता पर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से अथवा उन्हें संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार की जाये।
5. **आवंटित** धनराशि की सीमा तक ही धनराशि व्यय की जाये, जिसमें सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।
6. डिजिटल वॉल पेंटिंग एजेंसी के माध्यम से कराने की दशा में एजेंसी के चयन के लिए चयन समिति का गठन जनपद स्तर पर निम्नानुसार किया जाये–
   - मुख्य चिकित्साधिकारी — अध्यक्ष
   - अपर मुख्य चिकित्साधिकारी — सदस्य
   - जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
   - डी0सी0पी0एम0 — सदस्य
   - जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी — सदस्य
   - जिला सूचना अधिकारी — सदस्य

7. डिजिटल वॉल पेण्टिग में अच्छी गुणवत्ता हेतु आई0एस0आई0 मार्का प्लास्टिक पेंट का प्रयोग किया जाये।
8. डिजिटल वॉल पेंण्टिग के चारों ओर 2 इंच का बार्डर जरूर बनवाया जाये।
9. यदि दीवारों पर पूर्व में संदेश लिखे हैं तो उसकी बगल की दीवार पर पेंट कराया जाये।
10. प्रत्येक डिजिटल वॉल पेंण्टिग में नीचे की तरफ दाहिने किनारे पर निम्नलिखित सूचनाओं को अंकित कराया जाये–

- डिजिटल वॉल पेंण्टिग का माप (लम्बाईxचौडाई)
- डिजिटल वॉल पेंण्टिग की तिथि
- प्रत्येक डिजिटल वॉल पेंण्टिग के एक किनारे पर कोड नम्बर दिया जाये जो फोटोग्राफ में दर्षित हो।
- डिजिटल वॉल पेंण्टिग का स्थल/ग्राम सभा/विकास खण्ड का नाम
- पेण्टर/कार्यदायी संस्था का नाम

11. प्रत्येक डिजिटल वॉल पेंटिंग के दो फोटोग्राफ एक नजदीक से (क्लोज–अप) व दूसरी थोड़ी दूर से लिया गया जिसमें आस–पास का लगभग पांच फिट का एरिया भी आच्छादित करते हुए रिपोर्ट के साथ संलग्न करें एवं रिकार्ड के लिये सुरक्षित रखते हुए महाप्रबंधक आई.ई.सी. को ई–मेल/वाट्सऐप्प करना सुनिश्चित करें।
12. आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 के जिला/ब्लाक नोडल अधिकारी द्वारा अनुश्रवण आख्या प्राप्त कर प्रेषित करें।
13. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात इसका सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0/बी0 सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट प्रेशित की जाये।
14. डिजिटल वॉल पेंटिंग का कार्य पूर्ण होने के पष्चात 20 प्रतिशत वॉल पेंटिंग का सत्यापन रैण्डम सेलेक्शन के आधार पर जिला नोडल अधिकारी ए0सी0एम0ओ0/डी0सी0पी0एम0 के स्तर से किया जाय। इस कार्य की जिला स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप पर भरकर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 अनुभाग, एन0एच0एम0 उत्तर प्रदेश लखनऊ को समय सारिणी के अनुसार प्रेषित करना सुनिष्चित करें।
15. इस अभियान की गतिविधियों के प्रभावशाली अनुश्रवण के लिये पाक्षिक सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
16. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुए इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार करके उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
18. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
19. कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन करते हुये इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार संपादित कर उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
20. स्वास्थ्य अभियानों हेतु कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान के अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

लोक विधाओं (नुक्कड़ नाटक,जादू, कठपुतली आदि) हेतु दिशा निर्देशः–**FMR Code: HSS.13.197.IEC.16**

आर.ओ.पी. वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.16 (Traditional/Folk Media including Folk songs, Magic Show, Puppet etc.) में रू0 25000 प्रति ब्लाक की दर से रू0 205.00 लाख की स्वीकृति के क्रम में

लोककला कला (नुक्कड नाटक,कठपुतली, जादू,लोक गीत) के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार लोककला दलों के माध्यम से कराया जाना है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 में पंजीकृत लोककला दलों के माध्यम से लोक विधाओं के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत प्रेषित किये जा रहें हैः–

- लोककला दल जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला/ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी से स्वास्थ्य अभियान के संदर्भ में सम्पर्क स्थापित करेंगे।
- लोक कला दलों द्वारा राज्य स्तर से अनुमोदित स्क्रिप्ट पर ही कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि जिला स्तर से किसी अभियान को संचालित किया जाता है तो उसकी संस्तुति राज्य स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कार्यक्रम हेतु उपलब्ध करायी गयी गॉव की सूची/शेड्यूल के अनुसार निर्धारित दिनों में ही लोक विधाओं के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में लोगों को जागरूक करना है।
- एक दिन में दो कार्यक्रम पूर्व चयनित गॉव में लोक कला दलों को दी गई सारणी के अनुसार प्रस्तुत करने हैं।
- कार्यक्रम के लिए साउन्ड सिस्टम एवं प्रकाश की व्यवस्था दलों को स्वयं करनी है, दल के साथ उपयुक्त वाद्य यन्त्रों का होना आवश्यक है।
- कार्यक्रम के लिए रोशनी का प्रबन्ध लोककला दलों के स्तर पर होना है।

- सभी लोक कला दलों को प्रतिदिन दो कार्यक्रम प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक दल में 8–10 सदस्य होना अनिवार्य है जिसमें कम से कम 2 महिलाएं अवश्य भागीदारी करें, सभी दल साज–सज्जा व वेशभूषा का विशेष ध्यान रखेंगे।
- कार्यक्रम के दौरान परिवार कल्याण सम्बन्धी मुख्य संदेश एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवायें, जो मुफ्त उपलब्ध करायी जाती है, के बारे में उपयुक्त मौके पर बार–बार दोहरायें।
- समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल आफिसर लोक कला दलों, बी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें प्रतिदिन होने वालें कार्यक्रमों की फोटो लोक कला दल एवं बी0पी0एम0/बी0सी0पी0एम0 अपने स्मार्ट फोन से खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे ।
- समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 नोडल ऑफिसर अपने कार्यालय में टेलीफोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर एक Daily Diary रखेंगे, जिसमें प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दर्ज करेंगें।
- लोककला दलों का यह उत्तरदायित्व होगा कि 100–150 के जन–समुदाय को एकत्र करें, जिसमें अधिक से अधिक योग्य दम्पत्ति एवं किशोर–किशोरी शामिल हों।
- जिले में आपके दल के रहने व खान–पान इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- किसी भी स्थानीय समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी, ए.सी.एम.ओ., एन.एच.एम., डी.सी.पी.एम./डी.एच.ई.आई.ओ. से सम्पर्क करें।

1. प्रबन्धन व संचालन

- कार्यक्रम प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला/ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर नुक्कड़ नाटक/अन्य लोक विधाओं से प्रचार किए जाने हेतु उचित स्थल का चयन व लक्षित समुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो–प्लान तैयार करें।
- सभी दलों को कार्यक्रम से पहले मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला/ब्लॉक स्तरीय आई.ई.सी./बी.सी.सी. नोडल अधिकारी को कार्यक्रम क्रियान्वयन की समय–सारणी की एक प्रति देना अनिवार्य है ।
- लोककला दल के प्रभावी आयोजन हेतु प्रत्येक दल नुक्कड़ नाटक/अन्य लोक विधा शुरू करने से पूर्व कम से कम से 2–3 घण्टे पहले गॉव में पहुंच जायें, ताकि गांव के प्रधान व आशा से सम्पर्क कर लक्षित समुदाय की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें। लोककला दल क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों जैसे प्रधान, उपप्रधान, ग्राम सभा सदस्य, अध्यापक, ए0एन0एम0, एम0ओ0आई0सी0, आशा आदि को कार्यक्रम से पूर्व सूचित कर कार्यक्रम में भाग लेने तथा लोगों को प्रेरित करने के लिए अनुरोध करें। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष के भाषण आदि को कार्यक्रम में शामिल न करें।

2. <u>कार्यक्रम पूर्व प्रचारः–</u>

- कार्यक्रम की सूचना मिलते ही नोडल आफिसर आशा कार्यकर्ता, ए0एन0एम0 के माध्यम से प्रचार–प्रसार शुरू करवा दें। औपचारिक तौर पर कार्यक्रम से पहले जिस गांव में कार्यक्रम होना है, उसके आस–पास के गांवों में प्रमुख व्यक्तियों, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, स्वयं सहायता समूहो (जो भी आपके यहां सक्रिय हों) के माध्यम से कार्यक्रम की सूचना दें। यह कार्यक्रम उन दम्पत्तियों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हे प्रोत्साहित करने में ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होती हो, अतः ऐसे दम्पत्तियों को आशा कार्यकर्ता कार्यक्रम देखने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करें।

3. <u>कार्यक्रम स्थल का चयनः–</u>

जिस गांव में कार्यक्रम होना है, वहां जाकर ऐसे स्थान का चयन पूर्व में ही कर लें, जहां अधिक से अधिक व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था हो सके। विशेष रूप से निम्न बातों को ध्यान में रखें–

- कार्यक्रम का स्थान गांव में ऐसी जगह हो, जो शोरगुल रहित हो तथा जहां सामान्यतः सभी लोग, विशेषकर महिलायें पहुंच पायें व संकोच महसूस न करें।
- कार्यक्रम स्थल में, जहां तक संभव हो, मंच के लिए ऐसा स्थान चुनें जहां पीछे एक दीवार/वृक्ष या आड़ उपलब्ध हो तथा दर्शक ठीक तरह से देख सके। मंच की व्यवस्था पहले से ही कर लें।

- लोक कला दलों को भुगतान सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर ही किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी भी लोक कला दल को प्रति कार्यक्रम भुगतान सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक न हो।
- यदि किसी कार्यक्रम में 100 से कम जनता एकत्रित हुई तो देय धनराशि में से 5 प्रतिशत प्रति कार्यक्रम की दर से कटौती की जायेगी ।
- भुगतान के समय सभी लोककला दलों को सूचना विभाग द्वारा अनुमोदित दर का प्रपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- भुगतान हेतु प्रत्येक लोककला दल के कार्यक्रम की दो फोटो खींचकर निर्धारित प्रपत्र पर चिपकाकर मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय को देना अनिवार्य है ।
- समस्त लोक कला दलों द्वारा प्रत्येक सम्पादित कार्यक्रम का सत्यापन संबंधित गॉव के ग्राम प्रधान तथा आशा/ए.एन.एम./आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा कराया जाए।
- भुगतान हेतु पैन कार्ड की छायाप्रति भी लगानी होगी।
- कार्यक्रम का भुगतान समस्त बिल प्रस्तुत करने पर जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

<u>ऑटो रिक्शा हुड रैप/लोकल कन्वेंस पर प्रचार–प्रसार हेतु दिशा निर्देशः–</u> **FMR Code: HSS.13.197.IEC.18**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के संदर्भ में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10.09.2022 में लिए गये निर्णय के क्रम में एफ.एम.आर. कोड **HSS.13.197.IEC.18** कुल धनराशि रू0 1069.45 लाख के सापेक्ष जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से रू0 750.00 लाख के

अंतर्गत–(Rs 10.00 Lakhs/District for Auto Rickshaw/Local Conveyance etc. @ Rs 974/month(including GST) की दर से ऑटो रिक्शा हुड रैप (Auto Rikshaw Hood Wrap display area 20 sqft. per Auto) की स्थापना डी0ए0वी0पी0 दरों पर जनपदों में की जानी है। सभी जनपदो की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि आवंटित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार ऑटो रिक्शा हुड रैप स्थापना एवं क्रियाशीलता संबंधी कार्य निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेः–

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यदायी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम मद में धनराशि आवंटित की गई है उसकी सीमा तक ही नियमानुसार व्यय किया जाये।

2. निर्गत कार्यादेश की अवधि में यदि ऑटो रिक्शा हुड रैप मीडिया किन्ही कारणों से क्षतिग्रस्त होती है, तो उसे बदलने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी और इसके लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. ऑटो रिक्शा हुड रैप स्थापना के सबंध में फर्म को मीडिया स्थापना पुष्टि में दिये गये प्रमाण पत्र, जिसमें मीडिया स्थापना स्थल एवं उसकी संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो तथा कार्योपरान्त अपना प्रमाण पत्र एवं बीजक संबंधित ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/बी.सी.पी.एम. संस्तुति के साथ जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4. बीजक के साथ गतिविधि से संबंधित ऑटो के रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ हुड रैप की फोटोग्राफ जिसमें दिनांक स्पष्ट दिखायी दे रही हो उसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/बी.सी.पी.एम. से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

5. निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जायेगा, यदि जांच/सत्यापन के दौरान मीडिया मानक अनुरूप नहीं पायी जाती है, तो संबंधित फर्म के बीजक से नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

6. उक्त ऑटो हुड रैप मीडिया स्थापना सम्बन्धी बीजकों का भुगतान डी0ए0वी0पी0 दरों के आधार पर सुसंगत नियमों के तहत किया जायेगा। कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।

7. बीजक के साथ मीडिया की प्रस्तुत फोटोग्राफ में पिन प्वाइंट लोकेशन व दिनांक आना आवश्यक है। उक्त मीडिया स्थापना के तत्काल पश्चात जिले के डी.पी.एम. की ईमेल आई.डी. पर प्रेषित की जाये, उक्त ईमेल की प्रति nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

8. जनपद स्तर से प्रेषित किये जाने वाले कार्यादेश में निम्न तालिकानुसार गतिविधि को वर्णित किया जाये–

क्रम सं0	ब्लाक	ऑटो की संख्या	प्रति ऑटो दर	समयावधि	जी.एस.टी.	धनराशि

9. बजट प्राप्ति उपरान्त राज्य स्तर से प्रारम्भ किये गये अभियान अंतर्गत गतिविधि संपादन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (फोटोग्राफ्स सहित) आई.ई.सी. अनुभाग एस.पी.एम.यू., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी nhmiec@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

141 स्वास्थ्य इकाइयों में स्मार्ट टी.वी. की स्थापना किये जाने हेतु दिशा निर्देशः–

FMR Code: HSS.13.197.IEC.20

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0 की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के संबंध में दिनांक 10.09.2022 को आहूत राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में एफ.एम.आर. कोड **HSS.13.197.IEC.20** कुल धनराशि रू0 126.90 लाख के अंतर्गत–65" Smart TV for 141 Health facilities across State @ Rs. 90,000 per facility के सापेक्ष एल.ई.डी. टी.वी. की स्थापना जनपद के जिला पुरूष/महिला/संयुक्त/मण्डलीय चिकित्सालयों/अन्य बड़े चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 में की जानी है। जनपदों के अस्पतालों की सूची आपको पृथक से उपलब्ध कराई गई है। सभी जनपदों की स्वास्थ्य समितियों को मानकानुसार धनराशि आवंटित की जा रही है।

उक्तानुसार स्मार्ट. टी.वी. के क्रय, स्थापना एवं क्रियाशीलता संबंधी कार्य निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेः–

1. स्मार्ट टी.वी. जनपद के जिला पुरूष/महिला/संयुक्त/मण्डलीय चिकित्सालयों/अन्य बड़े चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 में स्थापित किये जायेंगे।
2. स्मार्ट टी.वी. का साइज कम से कम 65 इंच का होगा।
3. स्मार्ट टी.वी. में आई.ई.सी. अनुभाग से संचालित यू ट्यूब चैनल एवं पेन ड्राइव के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी फिल्में/संदेश प्रसारित करने का प्राविधान आवश्यक है।
4. स्मार्ट टी.वी. की अधिकतम अनुमानित दर रू0 90,000.00 (रू0 नब्बे हजार मात्र) निर्धारित की गई है। अतः व्यय की सीमा अंतर्गत ही नियमानुसार क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. स्मार्ट .टी.वी. की स्थापना ऐसी जगह की जाये जहां अधिक से अधिक तीमारदारों का आवागमन हो, अतः वेण्टिग एरिया में ही स्थापना की जाये और स्मार्ट टी.वी. को सुरक्षात्मक दृष्टि से किसी ऐसी जगह लगाई जाये जहां पर टी.वी. को नुकसान न पहुंचे और दीवारों की सतही सीलन से भी बची रहे।
6. क्रय किये जाने वाले एल.ई.डी. टी.वी. के स्पेशिफिकेशन निम्नवत होंगे–

- Android OS
- Screen size-min 65 inch
- PUR Color
- Crystal display and HDR
- Adaptive Sound & Q symphony
- Crystal 4K Display
- PC Mode

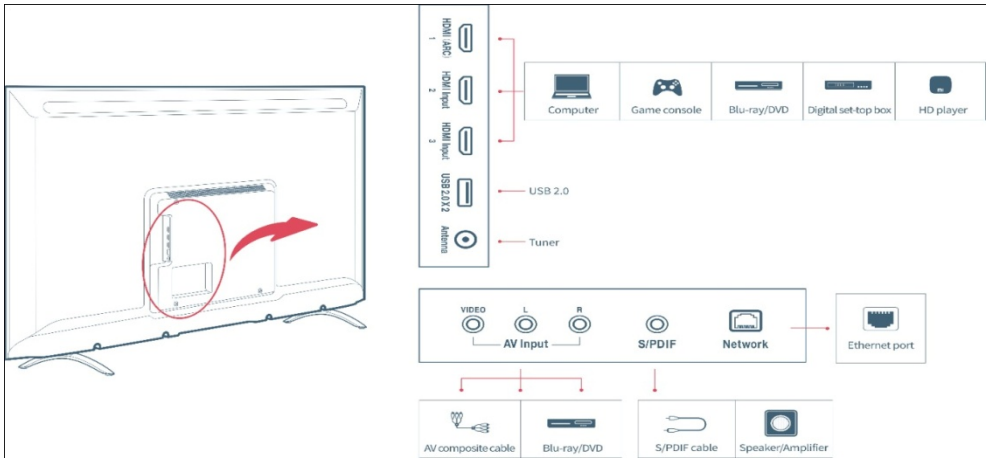

- Audio in Out,Vedio in Out
- 3840x2160 Pixels Resolution
- Film Maker Mode(FMM)
- HDR 10+ Support
- HDMI Ports : 4
- Bluetooth : Yes

निविदा प्रक्रिया हेतु चयन समिति का गठनः–

स्मार्ट टी.वी. हेतु निविदा किये जाने हेतु चयन समिति का गठन जनपद स्तर पर निम्नानुसार किया जाये–

- मुख्य चिकित्साधिकारी — अध्यक्ष
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी — सदस्य
- जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य
- डिवीजनल पी0एम0 — सदस्य
- जिला प्रशासनिक अधिकारी/जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी — सदस्य
- जिला सूचना अधिकारी — सदस्य

वित्तीय व्यवस्थाः–

बजट प्राप्ति के एक माह के भीतर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए क्रय किए गये स्मार्ट टी.वी. की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (फोटोग्राफ्स सहित) एच.एम.आई.एस. पर रजिस्टर कराते हुए एक प्रति आई.ई.

सी. अनुभाग एस.पी.एम.यू. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी प्रेषित की जायेगी साथ ही nhmiec@gmail.com पर ई–मेल द्वारा भी किया जाये।

मीडिया वर्कशाप हेतु दिशा निर्देशः– FMR Code: HSS.13.197.IEC.21

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.21 (District-level Media workshop-IEC) अंतर्गत प्रत्येक जनपद हेतु बजट रू0 20000.00 मात्र अनुसार 75 जनपदों हेतु कुल बजट रू0 15.00 लाख डैप में आवंटित है। आवंटित बजट के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान अंतर्गत 2 बार जनपद स्तरीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिर्पोटिंग करने वाले पत्रकारों के माध्यम से अभियान के संदर्भ में प्रकाशित समाचार–पत्रों में सकारात्मक न्यूज, रिपोर्ट आदि प्रकाशित कर लोगों को जागरूक करना है। मीडिया वर्कशाप के माध्यम से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की सूचनाओं व उपलब्धियों का आदान प्रदान मीडिया कर्मियों के साथ किया जाना है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेश के समस्त जनपदों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

प्रबंधन एवं संचालनः–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी के साथ उक्त गतिविधि क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
2. राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं लोकल समाचार–पत्रों के जनपद स्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया वर्कशॉप आयोजित की जाए।

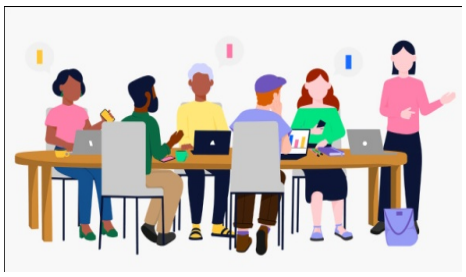

3. आई.ई.सी. अनुभाग में विकसित अनुमोदित बैनर को ही मीडिया वर्कशाप में प्रयोग में लाया जाये।
4. आवंटित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि नियमानुसार व्यय की जाये जिसमें सभी वित्तीय एंव क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।
5. मीडिया वर्कशॉप स्थल का चयन शहर के सुगम आवागमन स्थल पर किया जाए।
6. मीडिया वर्कशॉप स्थल साईनेज बोर्ड, बैनर एवं विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी स्टैण्डी की स्थापना की जाए।
7. स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं की सूचनाओं व उपलब्धियों संबंधी प्रेस विज्ञप्ति उपस्थित पत्रकारों के साथ साझा की जाए।
8. आयोजन में सूक्ष्म जलपान, प्रमाण पत्र आदि वितरित किए जाएं।
9. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
10. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

1. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0/बी0 सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महाप्रबंधक, आई0ई0सी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 को रिपोर्ट प्रेषित की जाये।
2. अभियान हेतु कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कोविड प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जायेगा।
4. समय–समय पर आवश्यकतानुसार अनुमोदित आईईसी सामग्री की सॉफ्ट कॉपी जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी जिनका नियमानुसार मुद्रण कर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरण कराना सुनिश्चित करें।
5. आयोजित किये गये मीडिया वर्कशाप की इलेक्ट्रानिक रिर्पोट डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर प्रेषित की जाये।

पब्लिक रिलेशन/एन.एस.एस./जनसंपर्क गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश–FMR Code: HSS.13.197.IEC.22

आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में एफ0एम0आर0 कोड **HSS.13.197.IEC.22** (Advocacy through district for PRI/NSS) के अंतर्गत प्रत्येक जनपद हेतु बजट रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से 75 जनपदों हेतु कुल बजट रू0 150.00 लाख डैप में आवंटित है। चूंकि किसी भी अभियान की सफलता का मापक यह है कि शासन, प्रशासन के साथ आम आदमी की भागीदारी हो। अतः आवंटित बजट रु0 2.0 लाख प्रति जनपद के सापेक्ष राज्य स्तरीय अभियान हेतु पब्लिक रिलेशन/एन.एस.एस./जनसंपर्क गतिविधि का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना हैः–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, संबधित अधिकारी के साथ बैठक कर जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर अभियान के अंतर्गत होने वाली गतिविधि हेतु स्वयंसेवी/विद्यालयों का चयन करें। ऐसे विद्यालयों को चयन में अधिमान (Preference) किया जाए जहां विद्यार्थियों के लिए एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 जैसी गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध हो।
2. ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी (HEOs) के द्वारा ब्लॉक के विद्यालयों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों के जागरूकता के संदर्भ में पहले एक सप्ताह में जागरूकता सामग्री वितरित करते हुये उन्मुखीकरण किया जाए। तदोपरांत विद्यालयों में पेन्टिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए।

3. आयोजन में सूक्ष्म जलपान का प्रबंध किया जाए एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को प्रमाण पत्र इत्यादि वितरित किए जाएं इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर जागरूता रैली का आयोजन किया जाए।
4. डी0सी0पी0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0, आशा एवं ए0एन0एम0 के साथ राज्य स्तरीय अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता के संदर्भ में स्वास्थ्य लाभार्थियों के साथ रंगोली प्रतियोगिता, मेंहदी प्रतियोगिता, कुकरी शो, हैल्दी बेबी शो आयोजित करें। आयोजन में सूक्ष्म जलपान का प्रबंध किया जाए एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं।
5. गतिविधि पूर्ण होने के पश्चात सत्यापन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग का कार्य ब्लाक स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 नोडल अधिकारी, द्वारा शत प्रतिशत स्थलों का सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से महप्रबंधक, आई0ई0सी0 अनुभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ को रिपोर्ट प्रेशित की जाये।
6. प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
7. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. उपयोग प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अभियान की कार्ययोजना बना कर रखें, प्रदेश स्तर से अभियान के शुभारंभ की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। तदोपरांत ही अभियान अंतर्गत गतिविधि का क्रियान्वयन कार्ययोजना अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
10. समय–समय पर आवश्यकतानुसार आई.ई.सी. सामग्री की सॉफ्ट कॉपी जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी जिनका नियमानुसार मुद्रण कर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरण कराना

सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त असरदार स्वास्थ्य संचार हेतु निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाये–

'असरदार' स्वास्थ्य संचार

अत्म सम्मान	प्रत्येक व्यक्ति की निजता व व्यक्तित्व का सम्मान बनाए रखते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकता का चिन्हीकरण कर निदान की दिशा में पहल।
सामूहिकता	समूह में सभी को अभिव्यक्ति का अवसर, अनुभवों का आदान–प्रदान एवं सर्वसम्मति से बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में अग्रसर होते हुये उचित व्यवहारों को प्रयोग करना।
रणनीतिबद्ध	बेहतर स्वास्थ्य के दृष्टिगत परिस्थितियों की पहचान करते हुए योजनाबद्ध तरीके से सफलता पूर्वक लक्ष्यित समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचार रणनीति/योजना का निर्माण।
दायित्व निर्धारण	आवश्यकता के आधार पर विकसित रणनीति को क्रियान्वित कर सफलता पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने का दायित्व निर्धारण व संचालन करना।
रचनात्मकता	उपलब्ध संसाधनों व अवसरों कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संचार के विभिन्न साधनों का रूचिकर तरीके से औचित्यपूर्ण उपयोग।

आयोजित की गई गतिविधियों की इलेक्ट्रानिक रिपोर्ट डी.पी.एम. के माध्यम से डिवीजनल प्रोजेक्ट मैनेजर के स्तर से मिशन निदेशक को प्रेषित करते हुए उसकी प्रतिलिपि आई.ई.सी. अनुभाग की ईमेल nhmiec@gmail.com पर भी प्रेषित की जाये।

आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.27 में समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशन हेतु दिशा–निर्देश FMR Code: HSS.13.197.IEC.27

आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 के एफ0एम0आर0 कोड HSS.13.197.IEC.27 में समाचार पत्र विज्ञापन प्रकाशन हेतु बजट रू0 358.06 लाख के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय संचार अभियान के दौरान समस्त जनपदों में समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन हेतु रू0 02.40 लाख प्रति जनपद की दर से बजट रू0 180.00 लाख का डैप के माध्यम से समस्त जनपदों में आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित बजट के सापेक्ष प्रदेष के समस्त जनपदों में गतिविधि के दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला सूचना अधिकारी के साथ उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
2. आवंटित बजट के सापेक्ष वर्ष पर्यन्त जनपद स्तर पर प्रकाषित होने वाले समाचार पत्र विज्ञापन की कार्ययोजना का डी0एच0एस0 स्तर से अनुमोदन उपरांत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
3. समाचार पत्र विज्ञापन का प्रकाशन जनपदीय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से डी0ए0वी0पी0 दरों पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये जिसमें सभी वित्तीय एंव क्रय नियमों का पालन अवश्य किया जाये।
5. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. बीजक के साथ गतिविधि से संबंधित फोटोग्राफ जिसमें दिनांक स्पष्ट दिखायी दे रही हो उसे कार्यालय, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक/संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराते हुए सूचना विभाग से मांगा जाये।

जनपद स्तर पर आयोजित की जाने वाली समस्त आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु वित्तीय व्यवस्था

1. आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये। कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायेगा।

2. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनरशि आवंटित की गयी है उसी में दी गयी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
3. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम अधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. गतिविधि हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष

3.1 संविदा आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं पर्चकर्म इकाई में तैनात मानव संसाधन के मानदेय हेतु दिशा–निर्देश–

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ जन–सामान्य को पहुँचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 2044 संविदा आयुष चिकित्सकों (पुरुष/महिला) एवं 759 संविदा आयुष फार्मासिस्टों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0296 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को रू0 32,000.00 प्रतिमाह, 1 वर्ष व इससे अधिक तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 40,685.00 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष चिकित्सकों को अधिकतम रू0 42,808.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा लॉयल्टी बोनस (निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर 5 अथवा 10 प्रतिशत) देय होगा।
2. एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0297 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 12,500.00 प्रतिमाह, 1 वर्ष व इससे अधिक तथा 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को अधिकतम रू0 15,258.00 प्रतिमाह तथा 5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा आयुष फार्मासिस्टों को अधिकतम रू0 16,054.00 प्रतिमाह की दर से Basic मानदेय (दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रदत्त मानदेय) वास्तविक गणना के आधार पर नियमानुसार देय होगा। उक्त Basic मानदेय पर मानव संसाधन अनुभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि, लॉयल्टी बोनस (निर्धारित सेवा अवधि के आधार पर 5 अथवा 10 प्रतिशत) तथा ई0पी0एफ0 देय होगा।
3. संविदा आयुष चिकित्सकों को रू0 32,000.00 प्रतिमाह एवं संविदा आयुष फार्मासिस्टों को रू0 12,500.00 प्रतिमाह न्यूनतम मानदेय देय होगा।
4. एफ0एम0आर0 कोड0 HSS.9.184.C.S0302 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवीन नियुक्ति/एक वर्ष से कम की सेवा अवधि वाले संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को रू0 50,000.00 प्रतिमाह की दर से देय होगा।
5. जनपद में तैनात उन्ही संविदा आयुष चिकित्सकों एव फार्मासिस्टों तथा पंचकर्म इकाई में तैनात उन्ही संविदा पंचकर्म विशेषज्ञ को लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाना है, जिनके द्वारा मानव संसाधन अनुभाग द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एचआर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/12448 दिनांक–08.03.2018 तथा पत्र संख्या–300/एस0पी0एम0यू0/डैप–एच आर/लॉयल्टी बोनस 2017–2018/13035–75 दिनांक–20 मार्च 2018 में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
6. वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा आयुष फार्मासिस्टों हेतु 13.36 प्रतिशत की दर नियमानुसार देय ई0पी0एफ0 एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0297 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
7. वित्तीय वर्ष 2022–23 में पंचकर्म इकाई में आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से तैनात मानव संसाधन (पंचकर्म टेक्नीशियन, पंचकर्म अटेण्डेंट एवं सफाई कर्मी) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 तथा एजेन्सी चार्जेज, एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.S0303, HSS.9.184.C.S0304, HSS.9.184.C.S0305 पर आवंटित धनराशि में सम्मिलित है।
8. संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं यथासंभव फार्मासिस्ट तैनात रहें।

9. यदि जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्यभार/आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जाये।
10. स्वास्थ्य इकाईयों पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा आयुष औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्वास्थ्य इकाई (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।
11. आवंटित धनराशि का वित्तीय सीमा में सभी शासकीय एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उपर्युक्त तालिका में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित सूचना ई–मेल gmayushnrhm03@ gmail.com पर तत्काल प्रेषित करे।

3.2 **पंचकर्म इकाई की Operational Cost (FMR Code-** HSS.13.197.OOC.1)–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ में स्थापित पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु Operational Cost for Panch karma unit के अन्तर्गत (FMR Code- HSS.13.197.OOC.1) आवंटित धनराशि रु0 5.00 लाख का व्यय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के स्तर से सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन करते हुए निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाना है–

1. उक्त धनराशि का प्रयोग पंचकर्म इकाई के सुचारु रुप से संचालन हेतु आवश्यक व्ययों यथा स्टेशनरी, फोटो कॉपी, फैक्स, तौलिया, साबुन, बल्ब, पर्दे, झाड़ू, डस्टबिन, इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मरीजों को पंचकर्म क्रिया कराने हेतु आवश्यक सहायक सामग्री हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के पश्चात् किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में पंचकर्म इकाई के आवश्यक उपकरणों की मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रु0 50,000.00 की सीमा में किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदनोपरान्त अधिकतम रु0 2.00 लाख सीमा तक भी व्यय किया जा सकता है।
3. उक्त धनराशि से टेलीफोन, फैक्स/फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर इत्यादि का किसी भी अवस्था में क्रय नहीं किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का व्यय पंचकर्म विशेषज्ञ (पुरूष/महिला) द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, जनपद–लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।
5. सक्षम अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त व्यय की गयी धनराशि का बीजक प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा नियमानुसार बीजक की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित के खाते में किया जायेगा।
6. पंचकर्म मद से धनराशि के उपभोग के समय सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त मद में किसी अन्य स्रोत से धनराशि आवंटित न की गयी हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये।
7. प्रत्येक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
8. व्यय से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखना एवं मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए गतिविधिवार तालिका एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवंटित वित्तीय सीमा में आपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगें।

4. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

आप अवगत हैं कि प्रदेश में बढती हुई जनसंख्या तथा आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण रोगियों की संख्या में बढोत्तरी हुई है तथा जिला चिकित्सालयों पर रोगी भार भी निरन्तर बढ़ रहा है। प्रदेश में निरन्तर बढ़ते रोगी भार के सापेक्ष चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी अनुभव की जा रही है। अतः इस परिस्थिति के दृष्टिगत् जिला चिकित्सालयों पर ससमय गुणवत्तापरक आकस्मिक गहन एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

आपको विदित ही है कि प्रदेश के 56 चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के संचालन के क्रम में आवश्यक चिकित्सकीय मानव संसाधन की आपूर्ति निम्नलिखित गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु की जा रही है–

- 24×7 आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण ।
- गहन चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चिन्हित चिकित्सालयों में हाई डिस्पेन्डेन्सी यूनिट्स की स्थापना, जिसमें 4 शैय्या की सर्जिकल एच0डी0यू0 एवं 4 शैय्या की मेडिकल एच0डी0यू0 स्थापित की जानी है।
- प्रमुख 10 विशेषज्ञताओं जैसे मेडिसिन, सर्जरी एनेस्थिज़ियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स ऑफ्थैल्मोलोजी, ई0एन0टी0, आब्स एवं गाईनी (जहाँ उपलब्ध हो) पैथालोजी एवं रेडियोलॉजी में चिकित्सकीय सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण यथा सम्भव आई0पी0एच0एस0 2022 के मानकानुसार किया जाना है।

उपरोक्त उद्देश्य के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 20 प्रतिशत चिकित्सालयों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में आई0पी0एच0एस0 2022 के मानकों के अनुसार उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त लक्षित चिकित्सालयों के सापेक्ष पूर्व से 56 चिकित्सालयों में कार्यक्रम द्वारा चिकित्सकीय मानव संसाधन के पद स्वीकृत हैं। इन पूर्व से चयनित चिकित्सालयों की इस वित्तीय वर्ष में आई0पी0एच0एस0 2022 के मानकों के अनुसार गैप एनालिसिस की जानी प्रस्तावित है। **गैप एनालिसिस सम्बन्धी दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।**

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव संसाधन तथा आवश्यक उपकरण इस आशय से उपलब्ध कराये जा रहें हैं कि जिला चिकित्सालय स्तर पर पहुँच रहे रोगियों को ससमय गुणवत्तापरक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें तथा उन्हें चिकित्सा महाविद्यालयों पर अनावश्यक संदर्भित न किया जाए। इस बात पर विशेषकर ध्यान आकर्षित किया जाये कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अपनी विशेषज्ञताओं से संबंधित रोगियों को अनावश्यक उच्च केन्द्रों पर रेफर न किया जाए तथा यथासंभव जिला चिकित्सालय स्तर पर ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करायीं जायें। केवल अति गम्भीर रोगी जिन्हें सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं की आवश्यकता हो, को ही संदर्भित किया जाए। ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 रोगियों के निदान एवं उपचार से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उचित प्रकार से किया जाए तथा प्रत्येक माह एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जाए।

क– मानव संसाधन की आपूर्ति–

जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–24 में गत् वर्षों से स्वीकृत मानव संसाधन के पदों में चिकित्सकीय पद, पैरामेडिकल पदों एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से पैरामेडिकल पद सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्रसंख्या–4765–3, दिनाँक 01.10.2022 के माध्यम से प्रेषित किये गये हैं।

ऑनगोइंग मानव संसाधन सम्बन्धी निर्देश

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की भाँति पूर्व से चयनित 56 चिकित्सालयों में एफ0एम0आर0–8 के विभिन्न उपशीर्षकों के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन हेतु निम्न तालिकानुसार अंकित मदों में स्वीकृति प्रदान की गई है–

S. No.	Head	Staff which directly contracted with District Health Society (DHS)	Staff which contracted with outsourcing agency
1	Honoraria	Applicable	Applicable

2	Increment	Applicable	Applicable
3	Loyalty Bonus	Applicable	Not applicable
4	EPF@13.36% (From Employer side)	Applicable (As per norms)	Applicable (As per norms)
5	ESIC@3.25% (From Employer side)	Not applicable	Applicable (As per norms)
6	Service Charges@ 10% maximum	Not applicable	Applicable (As per norms)
7	GST@ 18% (as per norms)	Not applicable	Applicable (As per norms)

2. विशेषज्ञ चिकित्सकों, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की चयन प्रक्रिया वर्तमान में एन0एच0एम0 में लागू व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समितियों के अनुमोदनोपरान्त वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इस सम्बन्ध में अनुमोदित टी0ओ0आर0 पूर्व में प्रेषित किये गये हैं। साथ ही जिन पदों पर **(दन्त शल्य चिकित्सक के पदों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य स्तर से किया जाना प्रावधानित है)** जनपद स्तर पर चयन प्रक्रिया की जानी है, उनकी चिकित्सालयवार स्वीकृत संख्या भी दी गई है। उन स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपके जनपद/चिकित्सालय में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया नियमानुसार की जानी है।
3. प्रदेश में चिकित्सकों, विशेषकर चिकित्सा विशेषज्ञों का अभाव है। राजकीय चिकित्सालयों के कार्य करने हेतु इच्छुक चिकित्सकों को यथा संभव कार्य के अवसर प्रदान किये जाएं तथा उनकी दक्षता तथा कार्य में रूचि के आधार पर ही उनकी सेवाएं जारी रखी जाएं अथवा नवीनीकरण हेतु अनुबन्ध किया जाए।
4. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अर्न्तगत सामान्य जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद मूल मानदेय धनराशि रू0 1,00,000/– प्रतिमाह से स्वीकृत हैं तथा महत्वाकांक्षी जनपदों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद मूल मानदेय धनराशि रू0 1,75,000/– प्रतिमाह से स्वीकृत हैं। इसी प्रकार एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों (पूर्व में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा सृजित पदों) की रिक्त पदों पर तैनाती मूल मानदेय धनराशि रू0 50,000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी एवं जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत (चयनित 22 जिला स्तरीय चिकित्सालयों) एच0डी0यू0 संचालन हेतु सृजित एम0बी0बी0एस0 चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती मूल मानदेय धनराशि रू0 60,000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी।
5. सभी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मी जो कि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित हैं एवं कार्यरत् हैं, का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अप्रेज़ल के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि के पात्र होंगें। साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित संविदा कर्मी, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक ही पद पर अपना कार्यकाल तीन वर्षों तक पूर्ण किया है, नियमानुसार 10 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस के पात्र होंगे।

नोट– उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से एफ0एम0आर मद सं0 8.1.13.22 पर स्वीकृत पदों पर कार्यरत् आउटसोर्स कर्मी लॉयल्टी बोनस के पात्र नहीं हैं।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न 4 संवर्गो के कर्मियों की भर्ती राज्य स्तर से प्रक्रियाधीन है, जिनमें एफ0एम0आर0 8.1.1.2 पर स्टाफ नर्स, एफ0एम0आर0 8.1.10.3 पर स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0 व नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 एवं एफ0एम0आर0 8.1.1.8 पर फार्मासिस्ट सम्मिलित हैं।
7. **एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर वर्णित 12 संवर्गों के पैरामेडिकल पदों पर मानव संसाधन के सापेक्ष** ***रिक्त पदों पर सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से चयन प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र दिनाँक 01.10.2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थगित की जाये*****।** आउटसोर्स कर्मी की नियुक्ति सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा की गई है। आउटसोर्स कर्मी सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी के कर्मी होते हैं, **इनके लिए राज्य स्तर से कोई प्रावधान नहीं है।**
8. एफ0एम0आर सं0 8.1.13.22 पर स्वीकृत, सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत् कर्मियों हेतु मानदेय, नियमानुसार इन्क्रीमेण्ट (5%), ई0पी0एफ0 (13.36%) एवं ई0एस0आई0सी0 (3.25%) (पात्रता के आधार पर मूल मानदेय रू0 15000/– प्रतिमाह अथवा उससे कम मानदेय वाले पद ई0पी0एफ0 के पात्र होंगे एवं मानदेय रू0 21000/–प्रतिमाह अथवा उससे कम मानदेय वाले पद पर ई0एस0आई0सी0 नियमानुसार लागू हैं), एजेन्सी सर्विस चार्जेज़ (10% max.) तथा जी0एस0टी0 (18%) नियमानुसार देय होगा, **इस हेतु वांछित धनराशि भी आवंटित की जा रही है।**

नोट– अवगत कराना है कि राज्य स्तर से ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 एजेन्सी सर्विस चार्जेज़ तथा जी0एस0टी0 सम्बन्धी धनराशि की अधिकतम सीमा का आवंटन किया जा रहा है। जनपद स्तरीय जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि वास्तविकता के आधार पर नियमानुसार उपयोगित की जायेगी।

मानव संसाधन सम्बन्धी आवंटित धनराशि जो कि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित की गई है, का विवरण एफ0एम0आर0 वार एवं पदवार फैम्स पोर्टल पर अपलोड किया गया है। चिकित्सालयवार बजट आवंटन का विवरण पत्र, दिनाँक 01.10.2022 के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

नोट– कृपया राज्य स्तर से प्रेषित स्वीकृत मानव संसाधन की पदवार संख्या एवं बजट का संज्ञान लेते हुए मानदेय एवं अन्य कम्प्लाइन्सेज़ से सम्बन्धित धनराशि को वास्तविकता के आधार पर ससमय निर्गत करते हुए उसके व्यय का ब्यौरा फैम्स पोर्टल पर ससमय अंकित कर अनुमोदित करवायें, जिससे कि समय–समय पर राज्य स्तर पर आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय का विश्लेषण किया जा सके।

9. चिकित्सक एवं पैरामेडिकल जो कि एन0एच0एम0 के अधीन, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुबन्धित हैं एवं कार्यरत् है, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति नियमानुसार लागू होगी। एफ0एम0आर0 मद संख्या–8.1.13.22 पर आउटसोर्स पैरामेडिकल पदों पर कर्मी की नियुक्ति सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा की गई है। आउटसोर्स कर्मी सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी के कर्मी होते हैं, **इनके लिए राज्य स्तर से कोई प्रावधान नहीं है।**
10. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक, एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक, स्टाफ नर्से तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मी चिकित्सा उपचार से संबंधित समस्त कार्यो जैसे आकस्मिक सेवा, गहन चिकित्सा सेवा, वाह्य रोगियों एवं भर्ती रोगियों की देखभाल, विशेष अभियानों, स्वास्थ्य मेलों आदि में पूर्ण योगदान देंगे।
11. जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मानव संसाधन की मासिक कार्य समीक्षा हेतु अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित मासिक समीक्षा प्रपत्र पर प्रत्येक **माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर ई– मेल के माध्यम से districthospitals.up2021@gmail.com पर प्रेषित करें। इस कार्य हेतु मुख्यतः सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका उत्तरदायी होंगे।**

नोट–राज्य स्तर से मानव संसाधन सम्बन्धी आवंटित बजट में से कार्यरत् कमियों सम्बन्धी बजट ही अवमुक्त (रिलीज़) किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संसाधन सम्बन्धी अधुनान्त सूचना निर्धारित प्रपत्र पर राज्य स्तर पर ससमय प्रेषित करें।

ख– हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स सम्बन्धी दिशा–निर्देशः–

आप अवगत हैं कि जिला चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित 22 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स, जिनमें गम्भीर रोगियों की सामान्य वार्ड से क्रिटिकल केयर विभाग में भर्ती करने के पूर्व एवं उपरान्त विशेष देखभाल होती है। इसे स्टेप डाउन यूनिट अथवा इण्टरमीडिएट यूनिट भी कहते हैं।

1. कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रत्येक चिन्हित चिकित्सालयों में उक्त यूनिट (4 शैय्या की सर्जिकल एच0डी0यू0 एवं 4 शैय्या की मेडिकल) की स्थापना की जानी है। इस हेतु एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्रसंख्या–4764–3, दिनाँक 01.10.2022 के साथ संलग्न प्रपत्र पर अपने चिकित्सालय सम्बन्धी वर्तमान स्थिति से अवगत करायें, जिससे कि हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट की स्थापना सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
2. हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स (4 शैय्या की सर्जिकल एच0डी0यू0 एवं 4 शैय्या की मेडिकल) की स्थापना हेतु वांछित स्थान का चयन चिकित्सालय द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा एवं आवश्यक माइनर रिपेयर के सिविल, प्लम्बरिंग एवं विद्युत संबंधी कार्यों हेतु राज्य बजट अथवा रोगी कल्याण समिति के खाते में उपलब्ध धनराशि में से व्यय किया जाए।
3. हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स के संचालन हेतु मानव संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहें हैं जिसमें स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0, नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 तथा ई0एम0ओ0, जिनकी भारत सरकार द्वारा चिकित्सालयवार एवं जनपदवार स्वीकृत का विवरण पर उपलब्ध है।

4. हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट हेतु चयनित स्टाफ नर्सेज/मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती गहन चिकित्सा एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं हेतु ही की जाए, परन्तु अपरिहार्य कारणों से सामान्य सेवाएं भी ली जा सकती हैं।
5. उल्लेखनीय है कि हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स का समुचित प्रबन्धन चिकित्सालय में कार्यरत् नामित नोडल राजकीय चिकित्सक द्वारा किया जाएगा तथा हाई डिपेन्डेन्सी यूनिटस हेतु आवश्यक अन्य सामग्री व औषधियों आदि का प्रबन्धन राज्य बजट से किया जाए।

क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग–एफ0एम0आर0–HSS.13.197.CB.3

1. हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट्स के संचालन हेतु संविदा पर मानव संसाधन भी उपलब्ध कराये जा रहें, जिसमें 302 स्टाफ नर्स–एच0डी0यू0, 22 नर्स इन्चार्ज–एच0डी0यू0 तथा 50 ई0एम0ओ0–एच0डी0यू0, के पद सम्मिलित हैं।
2. उक्त स्वीकृत पदों पर कार्यरत् मानव संसाधन सहित 110 राजकीय चिकित्सक जैसे– एनेस्थेटिस्ट, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल ऑफिसर आदि को सम्मिलित करते हुए कुल 484 अभ्यर्थियों का क्रिटिकल केयर विषय पर प्रति बैच (स्टाफ नर्सेज़ एवं चिकित्सकों के पृथक पृथक बैचेज़) का एक माह का आवासीय प्रशिक्षण कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. उपरोक्त प्रशिक्षण करवाने के लिए डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान के साथ समन्वय किया गया है।

5. डी0एन0बी0 कार्यक्रम

प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत चिन्हित 9 जिला स्तरीय चिकित्सालयों (डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान–लखनऊ, टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय–प्रयागराज, बलरामपुर जिला चिकित्सालय–लखनऊ, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय–वाराणसी, डॉ0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय–लखनऊ, महाराणा प्रताप जिला चिकित्सालय बरेली– बरेली, वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय–लखनऊ, पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ एवं यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय–कानपुर नगर) को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–2023 में S.NO 190 एफ0एम0आर0 संख्या HSS 10 पर डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु आर0ओ0पी0 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वर्तमान में उपरोक्त 9 चिकित्सालयों में 10 विधाओं–मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जन, ऑब्स एण्ड गायनी, एनेस्थीजियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ई0एन0टी0, पैथोलॉजी एवं इमरजेन्सी मेडिसिन में डी0एन0बी0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें से 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के राजकीय चिकित्सकों हेतु आरक्षित हैं।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा कई वर्षों से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था, जिसका विलय डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान में हो गया है। डॉ0 राम मनोहर लोहिया आर्युविज्ञान संस्थान में इस शैक्षणिक सत्र में नवीन विद्यार्थियों का इन्रोलमेन्ट नहीं होगा।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आर0ओ0पी0 की प्रत्याशा में ई–मेल दिनांक 28.07.2022 में प्राप्त निर्देशानुसार 4 माह का डैप प्रेषित किया जा चुका है। वर्तमान में फरवरी माह तक का ऑनगोइंग एक्टिविटीज का डैप प्रेषित किया जा रहा है शेष धनराशि का आवंटन (ऑनगोइंग एक्टिविटीज हेतु मार्च 2023 एवं नवीन एक्टिविटीज हेतु 2022–23 के लिए) भारत सरकार के निर्देशानुसार आ0ओ0पी0 सम्बन्धित स्पष्टता ज्ञात होने के पश्चात किया जाएगा। सम्बन्धित संस्थानो डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण **कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेषित दिशा निर्देश, दिनाँक 27.09.2022 के साथ प्रेषित किया गया है।**

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय–

सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में पत्रांक 910/चि0–3–2021 द्वारा शासन स्तर से निर्धारित स्टाइपेंड धनराशि रू0 70,000/– द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000/– तथा तृतीय वर्ष में धनराशि रू0 74,000/प्रति माह की की दर से 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कतिपय चिकित्सालयों में एन0बी0ई0 द्वारा स्वीकृत प्राइमरी सीटों के अतिरिक्त पोस्ट डिप्लोमा सैकेण्डरी सीटों पर भी प्रशिक्षार्थियो का इन्रोलमेन्ट किया जा रहा है।

सैकेण्डरी सीटों के विद्यार्थियों को भी प्रथम वर्ष में रू0 72,000.00/माह तथा अन्तिम वर्ष में रू0 74,000.00/माह की दर से स्टाइपेंड का भुगतान किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय प्रशिक्षार्थियों की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षार्थी दो विभिन्न शैक्षिक वर्षों में अध्ययन करते हैं। चिकित्सालयों में स्वीकृत प्राइमरी सीटों तथा अपेक्षित सैकेण्डरी सीटों के आधार पर स्टाइपेन्ड हेतु कुल धनराशि 295.40 लाख (7 माह हेतु, अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक) का आवंटन किया जा रहा है।

सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) का मानदेय -

डी0एन0बी0 कार्यक्रम हेतु प्रत्येक विभाग/विषय में दो सीनियर रेजीडेन्ट्स (एस0आर0) के पद स्वीकृत किये गए हैं। वर्ष 2022–23 हेतु सीनियर रेजीडेन्ट्स पदो हेतु मानदेय रू0 1,25,000/प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। आवंटित धनराशि का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स की उपलब्धता के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा। सीनियर रेजीडेन्ट्स के मानदेय के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तें/कन्डीशनैलिटीज़ निर्धारित की जा रही है :

- सीनियर रेजीडेन्ट्स आकस्मिक सेवाओं में पूर्ण योगदान देंगे।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के साथ–साथ चिकित्सा उपचार के कार्यों में भी पूर्ण योगदान देगें।
- सीनियर रेजीडेन्ट्स के चयन के सम्बन्ध में मिशन निदेशक के पत्र एस.पी.एम.यू. /नियोजन/38/2017–18/13290–2 दिनाँक 26.03.2018 के माध्यम से निर्गत दिशा– निर्देशों एवं एन0बी0ई0 के मानकों का पालन किया जायेगा।

सीनियर रेजीडेन्ट की आर्हताएं निम्नवत् है– "2 (two) Senior Residents are desirable in the department. They must possess recognized Degree/Diploma qualification in the specialty. In Broad specialties disciplines, the degree/diploma should not have been awarded more than 60 months earlier from the date of filing the application. Sr. Residents with diploma qualification must possess minimum of 2 years of Post diploma experience in the specialty concerned.*"- As per Information Bulletin 2022 National Board of Examination*

सम्बन्धित चिकित्सालयों को धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि कुल धनराशि रु0572.75 लाख (7 माह हेतु, अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक) का व्यय सीनियर रेजीडेन्ट्स के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता–:–

डी0एन0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000/– प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे। प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन धनराशि का आवंटन तालिका 5 के अनुसार किया जा रहा है। प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान वास्तविकता के आधार पर फैकल्टी/टीचर्स के सैलरी एकांउट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक माह के अंत में कर दिया जाएगा। इस प्रकार टीचर्स इन्सेन्टिव के मद में माह अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक कुल धनराशि रू0 51.52 लाख का आवंटन सम्बन्धित चिकित्सालयों को किया गया है।

रोटेशनल पोस्टिंग हेतु धनराशि–

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जैमिनेशन के दिशा–निर्देशानुसार डी0एन0बी0 प्रशिक्षार्थियों के लिए रोटेशनल पोस्टिंग अनिवार्य मानकों में से एक है। लखनऊ के 3 चिकित्सालयों के द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रोटेशनल पोस्टिंग के लिए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके अनुसार रोटेशनल पोस्टिंग का भुगतान प्रति अभ्यर्थी प्रति महीना रु0 20,000.00 (रु0 बीस हजार मात्र) वास्तविकता के आधार पर किया जाना है। इस प्रकार रोटेशनल पोस्टिंग के मद में 11 माह फरवरी 2023 तक कुल धनराशि रू0 24.20 लाख का आवंटन सम्बन्धित चिकित्सालयों को किया गया है।

लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट–

नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) द्वारा लाइब्रेरी की स्थापना एवं क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया है। अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–24 की आर0ओ0पी0 में लाइब्रेरियन हेतु एनुअल इन्क्रीमेन्ट एवं लॉयल्टी बोनस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सम्बन्धित चिकित्सालयों को माह अगस्त 2022 से फरवरी 2023 हेतु कुल धनराशि रू0 20.88 लाख का आवंटन किया जा रहा है। आवंटित धनराशि का व्यय लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के कार्यकाल के अनुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट के द्वारा लाइब्रेरी के रख–रखाव के अतिरिक्त डी0एन0बी0 कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यालय का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें प्रमुखता, पत्राचार, रिपोर्ट का प्रेषण एवं एन0एच0एम0 से प्राप्त धनराशि के व्यय/समायोजन का ब्यौरा रखना इत्यादि होगा। लाइब्रेरियन कम प्रोग्राम असिस्टेंट निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन ही कार्य करेंगे।

- लाइब्रेरी की स्थापना चिकित्सालय परिसर में ही की जाएगी।
- लाइब्रेरी सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगार्थ होगी, विभिन्न पैरामेडिकल कोर्सेज़ के विद्यार्थी भी इसका सदुपयोग कर सकेगें। साथ ही चिकित्सालय में कार्यरत् चिकित्सक भी इसका उपयोग करेंगे।
- लाइब्रेरी का कार्यकाल सायं 9 बजे तक होगा तथा शनिवार को भी खुली रहेगी।

नवीन चिकित्सालयों अथवा विभागों में आवेदन शुल्क–

आगामी वर्ष में कार्यक्रम के विस्तार हेतु नवीन विषयों में डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु आवेदन किया जाना है। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक विषय में एन0बी0ई0 में आवेदन हेतु धनराशि रू0 2,39,150.00 का आवेदन शुल्क दिया जाता है। अतः 1 विषय (जनरल मेडिसिन) में आवेदन हेत कुल धनराशि रू0 2.39 लाख टी0बी0 सप्रु चिकित्सालय प्रयागराज की मांग के आधार पर आवंटन किया गया है। शेष नवीन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क चिकित्सालय द्वारा मांग के आधार पर किया जाएगा।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि नोडल अधिकारी द्वारा वे नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगे। सीनियर रेजिडेन्ट्स, फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करें। डी0एन0बी0 कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित एफ0एम0आर कोड HSS 10 (फैमस् एफ0एम0आर0 HSS.10.190.HR1, HSS.10.190.HR2, HSS.10.190.HR3 & HSS.10.190.OOC1)से नियमानुसार व्यय किया जाये।

दो वर्षीय एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम

प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी के दृष्टिगत एन0बी0ई0 के दिशा निर्देशानुसार द्वारा तीन वर्षीय डी0एन0बी0 कार्यक्रम के क्रम में एन0बी0ई0 द्वारा वर्ष 2020–21 में नवीन कोर्स दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। उक्त नवीन कोर्स में 7 चिकित्सालयों (टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय– प्रयागराज, बलरामपुर जिला चिकित्सालय–लखनऊ, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय–वाराणसी, महाराणा प्रताप जिला चिकित्सालय बरेली– बरेली, वीरांगना अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय–लखनऊ, पी0एल0 शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ एवं यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय–कानपुर नगर) द्वारा आवेदन किया गया। जिसमें 50 प्रतिशत सीटें प्रदेश के राजकीय प्रशिक्षकों हेतु आरक्षित हैं। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिनाँक 01/11/2021 द्वारा नीतिगत् निर्देश भी प्राप्त हैं।

गत् वर्ष 2021–22 में कुल 15 ओपन सीटस पर जूनियर रेजीडेन्ट्स द्वारा माह फरवरी, 2022 में पंजीकरण कराया गया। जिसके सापेक्ष पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/डी0एच0एस0/91/2022–23/8449–3, दिनाँक 30.03.2022, के माध्यम से दो माह का स्टाइपेण्ड एवं टीचर्स इन्सेन्टिव सम्बन्धी धनराशि रू0 2.93 लाख आंवटित किया गया है।

ज्ञातव्य है कि दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत सरकार को राज्य कार्ययोजना में प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 549.53 लाख एफ0एम0आर0, HSS.197.CB.1 पर स्वीकृति प्रदान की गई है। सम्बन्धित संस्थानो डी0एन0बी0 डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेषित दिशा निर्देश, दिनाँक 27.09.2022 के साथ प्रेषित किया गया है।

प्रशिक्षार्थियों का मानदेय–

सभी चिकित्सालयों में एकरूपता से प्रशिक्षार्थियों को स्टाईपेन्ड दिया जाएगा। प्रथम वर्ष में घनराशि रू0 70,000/– द्वितीय वर्ष मे धनराशि रू0 72,000/– 12 माह हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। नवीन आवेदित विभागों के एक्रीडिटेशन के परिणाम घोषित होने के पश्चात् स्वीकृत सीटों के आधार पर बजट पृथक से आवंटित किया जायेगा। सम्बन्धित चिकित्सालयों को प्रशिक्षार्थियों के स्टाइपेन्ड हेतु माह अगस्त 2022 से मार्च 2023 हेतु कुल धनराशि रू0 166.00 लाख का आवंटन किया जा रहा है।

राजकीय चिकित्सकों हेतु प्रोत्साहन भत्ता–

दो वर्षीय पोस्ट एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा कार्यक्रम के अन्तर्गत फैकल्टी के रूप में कार्यरत राजकीय चिकित्सकों तथा अन्य सहयोगी विभागों के चिकित्सकों द्वारा अपने दैनिक कार्यों, दायित्वों के साथ–साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी कार्य किया जाएगा, जिसके लिए प्रति लेक्चर/थ्योरी क्लासेज़ हेतु प्रोत्साहन धनराशि रू0 2,000/– प्रति लेक्चर स्वीकृत की गई है। नेशनल बोर्ड ऑफ इग्ज़ैमिनेशन (एन0बी0ई0) के मानकों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 10 घंटे जिसमें से 5 घंटे प्रायोगिक कक्षाएं एवं 5 घंटे थ्योरी की कक्षाएं ली जायेंगी। इस प्रकार प्रति विषय सप्ताह में 75 मिनट के कम से कम 4 क्लासेज़ लिये जायेंगे। प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन धनराशि हेतु सम्बन्धित चिकित्सालयों को माह अगस्त 2022 से मार्च 2023 हेतु कुल धनराशि रू0 33.28 लाख का आवंटन किया जा रहा है जिसका भुगतान वास्तविकता के आधार पर फैकल्टी/टीचर्स के सैलरी एकांउट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से प्रत्येक माह के अंत में कर दिया जायेगा।

बुक्स एवं जर्नलस्–

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ैमिनेशन द्वारा पुस्तकों, भारतीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल्स की उपलबधता पर विशेष बल देता है तथा एक्रिडिटेशन से पूर्व लाईब्रेरी की स्थापना, पुस्तकों एवं जर्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। रू0 1.00 लाख प्रति विषय की दर से पुस्तकों एवं रू0 50,000.00 प्रति विषय की दर से पुस्तकों सम्बन्धित चिकित्सालयों को धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। बुक्स एवं जर्नलस् हेतु सम्बन्धित चिकित्सालयों को कुल धनराशि रू0 19.50 लाख का आवंटन किया जा रहा है आवंटित धनराशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

सम्बन्धित निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे नेशनल बोर्ड ऑफ इग्जैमिनेशन के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित करेंगे। फैकल्टी की उपस्थिति तथा प्रशिक्षण कार्यों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करें। 2 वर्षीय डी0एन0बी0 डिप्लोमा कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित एफ0एम0आर कोड **HSS.13.197.CB.01** से नियमानुसार व्यय किया जाय।

6. एम्बुलेन्स सेवा

6.1 '108' एम्बुलेंस सेवा, '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट (ए0एल0एस0) एम्बुलेंस सेवा

प्रदेश के समस्त जनपदों में '108', '102' एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा संचालित है। '108' एम्बुलेंस सेवा का संचालन पूर्वी क्लस्टर हेतु सेवाप्रदाता 108 ई.एम.टी.एस. ईस्ट (यूपी) तथा पश्चिमी क्लस्टर हेतु 108 ई.एम.टी.एस. वेस्ट (यूपी) एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता मेड केयर 365 मेडिकल सर्विसेस प्रा0 लि0 द्वारा एवं '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन सेवा प्रदाता 102 मदर चाइल्ड सर्विसेस (यूपी) के माध्यम से राज्य सरकार एवं सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार किया जा रहा है। ''108'' एम्बुलेंस सेवा एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा का क्रियान्वयन महानिदेशक–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा '102' नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन क्रियान्वयन महानिदेशक–परिवार कल्याण के स्तर से किया जा रहा है।

- किसी भी चिकित्सकीय आकस्मिकता की स्थिति में '108' टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके '108' एम्बुलेंस सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक की आयु के बीमार शिशुओं हेतु '102' टोल फ्री नम्बर पर कॉल करके '102' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- '102' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा के अंतर्गत लाभार्थियों को ड्रॉपबैक सुविधा प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था है। इस सेवा के माध्यम से नसबन्दी केसेज को भी ड्रापबैक की सेवा प्रदान की जा रही है।
- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस जिले के सी.एम.ओ./सी.एम.एस./नामित अधिकारी की काल के आधार पर कन्ट्रोल रूम से मरीजों को उपलब्ध करायी जाती है।
- 108 पर प्राप्त होने वाली सामान्य जनता की कॉलों हेतु भी आवश्यकतानुसार ए0एल0एस0 एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जायेगी।
- इमरजेन्सी कॉल सेन्टर (ई0आर0सी0) पर सूचना प्राप्त होने पर गम्भीर रोगियों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस में एडवांस उपचार के साथ–साथ उच्च स्तरीय इकाई पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। दिल्ली और चंडीगढ से 200 किलोमीटर के अन्दर आने वाले जनपदों के मरीजों को ए0एल0एस0 एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली और पीजीआई–चंडीगढ के चिकित्सालयों में भी भेजा जा सकता है।

6.2 एम्बुलेंस क्रियान्वयन सम्बन्धित मुख्य बिन्दु

- सेवा प्रदाता द्वारा इमरजेन्सी कॉल सेन्टर (ई0आर0सी0) पर टोल फ्री नम्बर पर सूचना प्राप्त होने पर निकटतम एम्बुलेन्स को रोगी तक पहुँचाने एवं रोगियों को प्राथमिक उपचार के साथ–साथ निकटस्थ राजकीय स्वास्थ्य इकाई पर पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाना है।
- प्रदेश के समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करायी जानी है।
- गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में जनपदीय एवं अर्न्तजनपदीय संदर्भन की व्यवस्था है।
- आकस्मिकता की स्थिति में लाभार्थी को एम्बुलेन्स में ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है।
- सेवाएं पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं एवं 24 घण्टे 365 दिन पूरे प्रदेश में उपलब्ध है।
- कॉल सेन्टर पर पहली रिंग प्राप्त होने के 20 सेकेण्ड के अन्दर फोन कॉल को उठा लिया जायेगा और तीन मिनट के अन्दर सम्बन्धित एम्बुलेन्स वाहन को रवाना कर दिया जाना है।
- 108 एवं 102 एम्बुलेंस में बेसिक उपकरण, प्राथमिक उपचार से सम्बन्धित मेडिसिन, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ई.एम.टी.) एवं एक वाहन चालक (पायलट) की व्यवस्था की गयी है।
- ए0एल0एस0 एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, फीटल डाप्लर आदि, उपचार हेतु औषधियां, उपचार से सम्बन्धित मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा एक प्रशिक्षित एडवांस इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है।

- परियोजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बनाये रखने एवं निरन्तर मॉनीटरिंग सुनिश्चित किये जाने हेतु स्थापित इमरजेन्सी कॉल सेन्टर में इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, वॉयस लोगर सिस्टम की व्यवस्था है।
- प्रत्येक एम्बुलेंस में जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0) एवं जियोग्राफिकल इन्फॉरमेशन सिस्टम (जी0आई0एस0) की व्यवस्था है।
- तीनों ही परियोजनाओं का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान को जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर किया जाता है।

6.3 एम्बुलेंस सेवाओं के सुचारू संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण

सेवाओं के सुचारू संचालन तथा गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित हैः–

1. प्रदेश के चिकित्सालयों में एम्बुलेंस सेवा के लाभार्थियों का रिकार्ड रखा जायेगा। इसके लिए प्रत्येक चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा से लाये गये रोगी को 24X7 रिसीव किए जाने हेतु चिकित्सा इकाई में उपलब्ध मानव संसाधन में से पर्याप्त संख्या में रिपोर्टिंग अधिकारी/कर्मचारी नामित किए जायेगें। चिकित्सालय स्तर पर होम टू हॉस्पिटल/हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रजिस्टर तथा ड्रॉप बैक रजिस्टर आदि अभिलेख तैयार किए जाएंगे। सम्बन्धित शासनादेश संख्या–1264/पांच–1–2017–5 (57)/16 दिनांक 14 जून 2017 पर प्रस्तुत है।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने–अपने जनपद से सम्बंधित '108' एम्बुलेंस सेवा तथा 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की एम्बुलेंसों की तैनाती के स्थलों की सूची सभी माननीय सांसद/विधायकों/अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा समस्त ब्लाक प्रमुखों को उपलब्ध करा दें।
3. एम्बुलेंस वाहनों में औषधियों की आपूर्ति जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता की मांग के अनुसार की जानी है। समस्त एम्बुलेन्स वाहनों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु इसकी नियमित समीक्षा की जाय।
4. एम्बुलेन्स वाहनों की भौतिक स्थिति, मेडिकल कन्ज्यूमेबिल्स तथा उपकरणों की क्रियाशीलता के अनुश्रवण हेतु समय–समय पर निरीक्षण कराए जायें।
5. सेवा प्रदाता से मासिक आख्या प्राप्त कर एम्बुलेन्स सेवाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाए तथा सेवा प्रदाता से बेहतर समन्वय हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाय।
6. सेवा के सम्बन्ध में जनता में जागरूकता बढाये जाने के उद्देश्य से आशा बहुओं की मासिक बैठकों में उन्हें सेवा सम्बन्धी जानकारी दी जाय तथा उक्त के प्रचार प्रसार हेतु आशा बहुओं को निर्देशित किया जाय।
7. अनुबन्ध में सेवा प्रदाता पर सेवाओं में कमी के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक दण्ड लगाने का प्राविधान है। लाभार्थी को सेवा न दिया जाना, एम्बुलेन्स का समय से न पहुंचना, एम्बुलेंस में मेडिकल कन्जयूमेबुल एवं आवश्यक उपकरण न होना, एम्बुलेन्सों का माह में औसत चली दूरी कम होना एवं किसी भी दिन पांच प्रतिशत से अधिक एम्बुलेन्सों का आफरोड होने आदि पर कड़े आर्थिक दण्ड का प्राविधान है तथा इन दण्डों का अधिरोपण तभी संभव है जब जनपदों द्वारा नियमित मासिक समीक्षा कर इसकी रिपोर्ट सम्बन्धित माह के सत्यापन रिपोर्ट के साथ राज्य स्तर पर प्रस्तुत की जाय।
8. जनपद में आयोजित की जाने वाली जिला स्वास्थ्य समिति की समस्त बैठकों में पृथक एजेण्डा के माध्यम से एम्बुलेन्स सेवाओं की समीक्षा सुनिश्चित की जाय तथा महत्वूपर्ण बिन्दुओं पर आदेश/निर्देश हेतु प्रस्ताव महानिदेशालयों/एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित किये जाय।
9. जनपदों की सुलभता हेतु ''108'' एम्बुलेंस सेवा,''102'' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा एवं ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार तथा सेवा प्रदाता के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्धों की प्रति वेबसाइट–upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है। अनुबंध के आर्टिकल्स एवं शिडयूल्स में सेवा सम्बन्धी विवरण अंकित हैं।

6.4 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.)—FMR Code.2

170 मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 53 जिलों के दूरस्थ तथा असेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। एम.एम.यू. परियोजना का संचालन सेवाप्रदाता मेसर्स के.एच. जी. हेल्थ सर्विसेस प्रा0लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वयन महानिदेशक—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत समुदाय को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं, प्राथमिक जाचें, परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रसव पूर्व देख—भाल, परिवार नियोजन सेवाएं आदि एवं निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं। सेवा सम्बंधी मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं—

- एम.एम.यू. में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं ड्राइवर की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. के माध्यम से प्राथमिक उपचार, कम्युनिकेबिल एवं नॉन कम्युनिकेबिल बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट आदि सेवायें प्रदान की जा रही है।
- शिशु स्वास्थ्य—कम वजन वाले शिशुओं का परीक्षण, सलाह एवं सामान्य बीमारियों का इलाज की व्यवस्था है।
- एम.एम.यू. द्वारा पूर्व निर्धारित कार्ययोजना के आधार पर निर्धारित स्थान पर प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- औषधियों की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।
- समस्त सेवाएं पूर्ण रुप से निःशुल्क हैं।

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है—

- प्रत्येक एम.एम.यू. के लिए निर्धारित ब्लाक में आशा/ए.एन.एम. को चिन्हित किया जाए।
- प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लाक स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे तथा जिले स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं सेवाप्रदाता के माध्यम से असेवित क्षेत्रों की पहचान कराते हुए 02 माह की कार्ययोजना एवं रूट चार्ट तैयार कर जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परियोजना की समीक्षा मासिक एवं त्रैमासिक एवं आवश्यकतानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी के सहयोग से की जायेगी।
- परियोजना का मासिक भुगतान राज्य स्तर से किया जा रहा है। जनपदों द्वारा प्राप्त करायी गई ट्रिप एवं अन्य मानकों की सत्यापन आख्या के आधार पर मासिक बिल के सापेक्ष भुगतान किया जाता है।

7. क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम

7.1 क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रमः–

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपद स्तरीय चिकित्सालय (पुरूष, महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय) सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर आच्छादित है, जिनका भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना है, जिससे कि चिकित्सा इकाई **'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस' एवं 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन'** प्राप्त कर सकें।

अवगत कराना है कि माननीय यूनियन मिनिस्टर चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''ऑपरेश्नल गाइडलाइन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–2021''का विमोचन 17 सितम्बर, 2021 को किया गया है। उक्त गाइडलाइन में राजकीय चिकित्सा इकाईयों में स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता सुधार हेतु बेंचमार्क एवं इंडिकेटर्स निर्धारित है।

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के पत्र संख्याः DONO:.Z-18015/26/2020/NHM-II दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तथा अगामी 5 वर्षो में एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन हेतु लक्ष्य निर्धारित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

S.No.	Level of Health Facilities	Cumulative Certified FY 2021-22 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2022-23 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2023-24 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2024-25 (Percentage)	Cumulative Certified FY 2021-25 (Percentage)
1.	District Hospital	40	50	60	70	75
2.	Sub-district Hospital	12	25	40	50	60
3.	Community Health Centre	12	25	40	50	60
4.	Primary Health Centre	12	25	40	50	60
5.	Urban Primary Health Cenrte	12	25	40	50	60
6.	HWC (SC)	2	10	20	40	60

उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न गतिविधियों यथा–क्वालिटी एश्योरेंस इम्पलीमेंटेशन फॉर ट्रैवर्सिंग गैप, क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट कम मेंटॉरिंग विजिट, स्टेट असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट समीक्षा बैठक (राज्य स्तरीय) इन्सेंटिव फॉर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन सर्पोटिव सुपरविजन भ्रमण (मण्डल एवं जनपद स्तर हेतु) मण्डल एवं जनपद में क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट हेतु ऑपरेशनल कास्ट हेतु एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों का मानदेय एवं वेतन वृद्धि हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

मानव संसाधन का मानदेयः–

(डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी/पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर)

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात मानव संसाधन डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट क्वालिटी/पब्लिक हेल्थ एवं हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर तथा एडमिन कम प्रोग्राम असिस्टेंट एवं हेल्प डेस्क मैनेजर/ऑपरेटर के मासिक मानदेय एवं वार्षिक मानेदय वृद्धि का भुगतान नियमानुसार निर्धारित परफार्मेंस अप्रैजल के आधार पर डैप में आवंटित बजट के अनुसार किया जाना है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको के कार्यो के परफार्मेंस अप्रैजल मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक मानदेय वृद्धि तथा लॉयल्टी बोनस दिया जाना है। वार्षिक वेतन वृद्धि कार्यरत संविदा कार्मियों को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष तथा 5 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर लॉयल्टी बोनस क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपरोक्तनुसार धनराशि रू0 2950.69 लाख जनपदवार फॉट के अनुसार जनपदों को आवंटित आवंटित की गयी है।

मेन्टारिंग एवं सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) FMR : - HSS.6.174.PME.1

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात कार्मिको द्वारा समय–समय पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रमों के अनुश्रवण, सर्पोटिव–सुपरविजन, हैण्ड–होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु मण्डल के अन्दर, जनपद के बाहर भ्रमण किया जाता है कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट मण्डल स्तर पर डिवीजनल कंसल्टेंट के मोबिलिटी हेतु अनुबंधित वाहन की व्यवस्था के लिए क्रमशः रू0 30000.00 एवं रू0 35000.00 प्रतिमाह की दर से धनराशि जनपदों को आवंटन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम संबंधी मेंन्टॉरिंग हेतु कतिपय अनुभवी एवं कुशल कंसल्टेंट को अन्य जनपद की चिकित्सा इकाईयो (तैनाती मण्डल या जनपद के बाहर) में डयूटी राज्य स्तर या मण्डलीय अपर निदेशक स्तर से लगायी जाती है। उक्त के दृष्टिगत मेंन्टॉरिग विजिट, पियर एवं स्टेट असेसमेंट विजिट हेंतु कंसल्टेंट को अनुबन्धित वाहन को उपयोग करने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। यह ध्यान रखा जाय कि कंसल्टेंट की नियमित सपोर्टिव सुपरविजन विजिट प्रभावित न हो तथा माह में चलने वाले वाहन की अधिकतम सीमा (कि0मी0) एवं आवंटित बजट की सीमा से अधिक न हो ।

जनपदों या मण्डलों में अनुबधित वाहन का अनुबंध अनुमन्य बजट सीमा से कम है, तो अवशेष धनराशि से टैक्सी परमिट वाहनो की मण्डल/जनपद स्तर पर संचालित स्थानीय दरों (प्रतिकिमी) के आधार पर बजट की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त किमी वाहन चालाया जा सकता है जिससे कि भ्रमण की संख्या अधिक हो सकती है। उक्त को लागू करने से पूर्व आवश्यकता का ऑकलन एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वाहन अनुबंध शर्तो में उक्त बिन्दु को सम्मिलित किया जाना है।

मण्डल या जनपद में यदि सेवा– प्रदाता का अनुबंन्ध समय– सीमा समाप्त हो गयी हो तो 'जेम पोर्टल' अथवा खुली–निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाता की दशाओ का उल्लेख भी अनुबंध में समाहित किया जाना समीचीन होगा।

प्रायः देखा गया है कि सेवा– प्रदाताओं द्वारा टेण्डर प्राप्त करने की होड़ में अत्यन्त कम दरों पर वाहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु ' फाइनेशियल बिड' की जाती है। अनुबंध हो जाने पर डीजल/पेट्रोल की महगॉई की समस्या बताकर अनुबंध की शर्तो के अनुरूप वाहन उपलब्धता करने से कतराता है, जिसके कारण सर्पोटिव सुपरविजन भ्रमण प्रभावित होता है। इस स्थिति से बचने के लिए वाहन टेण्डर प्रकाशन के समय न्यूनतम दरों का उल्लेख किया जाना प्रभावी कदम होगा। 'जेम पोर्टल' से वाहन टेण्टर करते हुए समय निम्न एवं उच्च सीमा का विकल्प का चयन आवश्यक रूप से किया जाये।

विशेष स्थितियों में यदि वाहन अनुबन्ध समय–सीमा समाप्त होने या नवीन अनुबन्ध में बिलम्व अथवा अनुबन्धित सेवा–प्रदाता द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराया जा रहा है, तो वैकल्पिक रूप से केवल पी. एम.एस. सेवा के डाक्टर/मेडिकल कालेज /नियमित स्टाफ द्वारा स्वयं के वाहन अथवा दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट वाहन उपयोग करने पर रू0 10.00 प्रति कि.मी का उपयोग करके सपोर्टिव सुपरविजन /मेन्टॉरिंग विजिट/एक्सटर्नल असेसमेंट/स्टेट असेसमेंट करने पर गाइडलाइन प्रभावी होने के पश्चात उन्हें भुगतान किया जा सकता है। स्वयं का वाहन उपलब्ध करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट चली गयी दूरी की वास्तविक गणना (प्रारम्भिक एवं अन्तिम रीडिंग का स्पष्ट उल्लेख जोकि अधिकतम 200 किमी0 हेतु मान्य होगा) के आधार पर किया जा सकता है। यह व्यवस्था मात्र वैकल्पिक व्यवस्था होगा, इसे अधिक समय के लिए नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जायें।

डिवीजनल कंसलटेंट द्वारा भ्रमण के पूर्व भ्रमण संबंधी कार्ययोजना क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त प्रतिमाह अधिकतम 15 भ्रमण किये जाने है। डिवीजनल कंसलटेंट हेतु आवंटित धनराशि मण्डलीय अपर निदेशक के खाते में नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी। मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण द्वारा भ्रमण हेतु वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा उक्त भ्रमण संबंधी आख्या/फीडबैक क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा सत्यापित होने के उपरान्त वास्तविक बीजकों के सापेक्ष टी.ए./डी.ए. तथा बोर्डिंग, लॉजिंग का भुगतान किया जाये।

सपोर्टिव सुपरविजन (मण्डल एवं जनपद) हेतु टी.ए./डी.ए.तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग

उक्त कार्मिकों को महाप्रबन्धक (मानव संसाधन) एस0पी0एम0यू0 एन0एच0एम0 के पत्र संख्या 144/एस0पी0एम0यू0/डैप एच0आर0/2018–19/10398 दिनांक 4.01.2019 में वर्णित मानक तथा क्वालिटी एश्योरेस अनुभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित दिशा– निर्देशो के अनुरूप यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्नवत किया जाना है :–

S.N.	Position Name	Base Monthly Honoraria in (INR)	Approved per Diem per Day for QA staff (INR)	Maximum lodgings applicability per day (INR)
1	District Consultant (QA)	Rs. 40000.00	1000	1500.00
	Division Consultant (QA/PH)	Rs.45000.00		
2	Hospital Manager	Rs.38588.00 & Above		
3	Admin Cum Programme Assistant	Rs. 12000.00 & above	500	1000.00

उक्त कार्मिकों को क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑपरेशनल मद के मानकानुसार टी0ए0 एवं डी0ए0 तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान नियमानुसार किया जाये। जो चिकित्सालय एन.क्यू.ए. /लक्ष्य सर्टिफाइड हो चुके है उनके कार्मिकों की ड्यूटी जनपदया मण्डल के अन्दर स्थित अन्य चिकित्सा इकाईयों में आवश्कतानुसार मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से ड्यूटी लगायी जा सकती है। उनके ड्यूटीके दौरान वाहन की व्यस्वथा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेट द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा नियमानुसार टी.ए. /डी.ए. का भुगतान किया जायेगा।

कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठकों का आयोजनः–

जनपद स्तर पर त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष–जनपदीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की अध्यक्षता में किया जाना है। उक्त बैठक को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा में सम्मिलित करते हुए साथ में किया जा सकता है। मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम को एजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। (उक्त बैठकों हेतु कोई धनराशि प्रावधानित नहीं है)। विशेष परिस्थितियों में यदि बैठक हेतु जलपान, स्टडी मैटेरियल आदि में व्यय की आवश्यकता हो तो सम्बंधित मण्डल/जनपद के ऑपरेशनल मद से व्यय किया जा सकता है।

ऑपरेशनल कॉस्ट (मण्डल, जनपद एवं चिकित्सा इकाई स्तर) FMR : - HSS.6.174.PME.2

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल एवं जनपद स्तर पर ऑपरेशनल व्यय क्रमशः रू 30,000.00 एवं रू 25,000.00 प्रतिमाह की दर से जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल मैनेजर हेतु 2000.00 प्रतिमाह की दर एवं हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु 6000.00 माह की दर से धनराशि अनुमन्य है उपर्युक्तानुसार धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

ऑपरेशनल मद से कार्यालय सम्बंधी गतिविधियॉ यथा–प्रशिक्षण सामग्री, फोटोकॉपी, राज्य स्तर से प्रेषित गाईडलाइन, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी, बैठक में जलपान की व्यवस्था, टेलीफोन बिल, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज (क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं मण्डल स्तर पर तैनात कंसल्टेट, हास्पिटल मैनेजर तथा प्रोग्राम कम एडमिन असिस्टेंट प्रत्येक को त्रैमासिक आधार पर अधिकतम् रू0 799.00 की दर से अनुमन्य होगा) इत्यादि में किया जायेगा।

जनपदीय चिकित्सालयों में तैनात हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर/हॉस्पिटल मैनेजर हेतु इंटरनेट, मैनुअल प्रिन्टिंग, स्टेशनरी तथा अन्य कार्यक्रम सम्बन्धित कार्य हेतु रू. 2000.00 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जा सकता है। उक्त मद में बजट का आवंटन किया जा रहा है।

डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एवं डिवीजनल क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में उपकरणों (कम्पयूटर एवं प्रिंटर) का क्रय–कतिपय जनपदों एवं मण्डल स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में इलेक्ट्रानिक उपकरण 07 वर्ष से अधिक पुराने हो गये है एवं वर्तमान में क्रियाशील नहीं है, अथवा पूर्व में क्रय नही किये गये थे। उनका रिपेयर नही हो सकत है, उन इकाईयों में नये उपकरण का क्रय क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत आपरेशनल मद से नवीन उपकरण क्रय किये जा सकते है। जनपद स्तरीय कम्पयूटर/लैपटॉप का क्रय **जेम पोर्टल** के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। उपकरण का स्पेसिफिकेशन पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

उपकरणों के क्रय से पूर्व आर्थिक मरम्मत से परें (Beyond Economic Repair) का प्रमाण पत्र' तकनीकी विशेषज्ञ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों में तैनात हास्पिटल मैनेजर्स के उपयोगार्थ लैपटॉप का क्रय संबंधित मण्डल जनपद से क्रय करके उपलब्ध कराया जा सकता है।

उक्त क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि 'ऑपरेशनल मद' के अन्तर्गत प्रेषित दिशा–निर्देश के अन्तर्गत आच्छादित मदों/गतिविधियों के संचालन में वित्तीय कमी नहीं हो स्पष्ट किया जाता है कि मण्डलों एवं जनपदों को ऑपरेशनल मद में ऑवटित धनराशि से अधिक धनराशि की पृथक से कोई आवंटन नही किया जायेगा।

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन' संबंधी चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर (माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस, EQAS, पेस्ट कन्ट्रोल) हेतु वित्तीय व्यवस्था

(For Traversing gaps) : FMR : - HSS.6.174.OOC.1

भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी वर्ष 2022–23 में क्वालिटी एश्योरेंस Traversing Gaps के लिए रू0 500.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त मद में विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को धनराशि रू0 48830000.00 आवंटन किया जा रहा है।

1. **माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस** इसके अन्तर्गत चिकित्सा इकाईयों के क्रिटीकल एरिया जैसे लेबर रूम, लैब, ओ.टी.,एस.एन.सी.यू इत्यादि का माईक्रोबायोलॉजिकल सर्विलांस किया जाना आवश्यक है। माइक्रो–बायोलॉजिकल सर्विलांस हेतु वर्ष में 02 बार किये जाने हेतु 127 जिला चिकित्सालयों को रू.30000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 3810000.00 आवंटन किया जा रहा है।

2. **EQAS (Heamtology and Biochemistry)** : चिकित्सा इकाईयों में सम्पादित की जाने वाली विभिन्न जाँचों की गुणवत्ता एवं शुद्वता सुनिश्चित किये जाने वाले उद्देश्य से प्रयोगशालाओ का 'इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' एवं 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम' (IQAS & EQAS) कराया जाना आवश्यक है। चिकित्सा इकाई एवं जनपद स्तर पर इन्टर्नल क्वालिटी एश्योरेंस कराया जाना है। 'एक्सर्टनल क्वालिटी एश्योरेंस हेतु प्रदेश की अधिकृत /एन.ए.बी.एल. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रूपो से जाँचों का रिवैलिडेशन कराया जाना है। उक्त हेतु 111 जिला चिकित्सालय एवं 100 चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 20,000.00 प्रति इकाई की दर से कुल धनराशि रू0 42,20,000.00 का आवंटन किया जा रहा है।

3. **पेस्ट कन्ट्रोल**:–चिकित्सा इकाईयों में कीट–पतंगो तथा दीमक से बचाव हेतु पेस्ट कन्ट्रोल एवं एन्टीटरमाइट ट्रीटमेन्ट किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में चिकित्सा इकाईयों को रू0 24000.00 प्रति इकाई की दर से 1700 चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (समस्त प्रसव केन्द्र सम्मलित) को कुल धनराशि रू0 4,08,00,000.00 आवंटन किया जा रहा है।

Budget for Traversing gaps closure

Sno	Particulars	Rate (INR)	Nos of Units	Amount (INR)	Remarks
1	Microbiological Surveillance	30000	127	3810000	127 District level hospital (LR,OT,SNCU (05 swab/Dept) - Details of hospitals annexued
2	EQAS	20000	211	4220000	111 District level Hospital and 100 CHCs selected under LaQshya (Details annexued)
3	Pest Control	24000	1700	40800000	1700 PHCs included all DPs (List Annexued)
	Total (INR)			48830000	

उक्त बजट का उपयोग निर्धारित मद में ही उपयोगित किया जाना है। अन्य गतिविधि में उपयोग को अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। डिवीजनल/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट/हास्पिटल मैनेजर्स द्वारा समय–समय पर आवंटित धनराशि के सदुपयोग हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग तथा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

क्वालिटी एश्योरेंस असेसमेंट (स्टेट असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट)

FMR : - HSS.6.174.OOC.2

भारत सरकार के मानकानुसार चिकित्सालयों के स्टेट सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट किया जाता है। चिकित्सा इकाईयों में गैप क्लोजर हेतु तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु समय–समय पर राज्य स्तर से नामित टीम द्वारा मेन्टॉरिंग विजिट किया जाता है। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा अथवा असेसर्स की सुविधानुसार जनपद स्तर से

यात्रा टिकट, ठहरने हेतु होटल की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। उपरोक्त बजट को असेसर्स की संख्या एवं असेसमेंट दिवस के अनुसार अधिकतम सीमा तक अनुमन्य होगा।

स्टेट असेसमेंटः–

चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नल असेसमेंट में निर्धारित मानक पूर्ण करने पर राज्य स्तर से नामित टीमों द्वारा स्टेंट असेसमेंट किया जाता है। उक्त स्टेट असेसमेंट हेतु पूर्व में स्वीकृत मानकों के अनुसार असेसर्स के यात्रा भत्ता, मानदेय दैनिक भत्ता, बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जाना हैः– **स्टेट असेसमेंट हेतु असेसमेंट दिवस का निर्धारण निम्नवत् हैः–**

1. जनपद स्तरीय चिकित्सालयों जिसमें 12 विभागो तथा (लक्ष्य तथा मुस्कान सहित) का असेसमेंट 2 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
2. जनपद स्तरीय चिकित्सालय जिसमें 12 से अधिक विभाग है। (MuSQan सहित) का असेसमेंट 3 असेसर्स द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों FRU जिसमें 12 विभाग होते है। का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 3 दिवस में किया जायेगा (Non -FRU) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (8 विभाग) का असेसमेंट दो सदस्सीय टीम द्वारा 2 दिवस में किया जायेगा।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों UPHC,PHC PHC,HWC& HWC-SC सहित का रिवैलिडेशन मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा नामित टीम द्वारा किया जायेगा। रिवैलिडेशन को स्टेट असेसमेंट के समतुल्य माना जायेगा, तथा उसमें प्राप्त अंको की निर्धारित अर्हता के उपरान्त भारत सरकार की एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र रिवैलिडेशन दो सदस्सीय टीम द्वारा दो दिवस तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपकेन्द्रों का दों सदस्सीय टीम द्वारा एक दिवस में किया जायेगा प्राथमिक केन्द्रों के रिवैलिडेशन में असेसर्स का भुगतान निम्न मानकानुसार किया जायेगाः–

NQAS State assessment (For 01 PHC/UPHC Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor)				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	2	4000.00
Boarding and Loadging	1500	2	1	3000.00
Total cost for one PHC/UPHC including (HWC)				**12000.00**

NQAS state State assessment (For 01 HWC (SC) equivalent ,Revalidation and Surveillance)				
Head	Unit cost	Number of participants	Days	Amount(Rs)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train as per actual (for two assessor)				5000.00
Honorarium for External assessors	1000	2	1	2000.00
Boarding and Loadging	1500	2	1	3000.00
Total cost for one HWC(SC)				**10000.00**

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का रिवैलिडेशन दो सदस्यीय टीम द्वारा दो दिवस तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर उपकेन्द्रों का दों सदस्यीय टीम द्वारा एक दिवस में किया जायेगा प्राथमिक केन्द्रों के रिवैलिडेशन में असेसर्स का भुगतान 12000.00 प्रति चिकित्सा इकाई की दर से समस्त जनपदों को 550 चिकित्सा इकाईयों को धनराशि रू. 66.00 लाख तथा 750 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (उपकेन्द्रों) को रू. 10000.00 प्रति इकाई की दर से धनराशि रू. 75.00 लाख जनपदवार आवंटन किया जाना है। इस प्रकार कुल धनराशि रु0 141.00 लाख का आवंटन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलेनस सेन्टर के स्टेट असेसमेंट हेतु जनपदवार बजट निम्न तालिकानुसार किया जा रहा है।

Budget allocated for Revalidation / state assessment of PHC and HWC(SC)				
Sno	**Particulars**	**Total Nos of Health facilities**	**District Name**	**Amount Allocation (Rs.)**
1	Revalidation / state assessment of PHCs(PHC/UPHC / HWC : PHC) @ Rs 12000 per Facility(7 health facilities in each district)	550	**50 Districts** (Ambedkar Nagar,Amethi, Auraiya,Ayodhya,Baghpat,Bahraich,Ballia,Barabanki,Basti,Bijnor,Budaun,Bulandshahar,Deoria,Etah,Etawah,Farrukhabad, Fatehpur,Firozabad,Gautam Buddh Nagar,Ghazipur,Hamirpur,Hapur,Hardoi,Hathras,Jyotiba Phule,Nagar,Kannauj,Kasganj,Kaushambi,Kushinagar Lakhimpur Kheri,Lalitpur,Maharajganj,Mahoba,Mainpuri,Mau,Muzaffarnagar,Pilibhit,Pratapgarh, Prayagraj .Raebareli,Rampur,Sambhal,Sant Ravidas Nagar,Santkabir Nagar,Shahjahanpur,Shamli,Sitapur,Sonbhadra,Sultanpur , Unnao)	**6600000.00**
2	Revalidation / state assessment of PHCs(PHC/UPHC / HWC : PHC) @ Rs 12000 per Facility (8 health facilities in each district)		**25 Districts** (Agra,Aligarh, Azamgarh,Balrampur,Banda,Bareilly,Chandauli ,Chitrakoot,Ghaziabad,Gonda,Gorakhpur,Jalaun, Jaunpur,Jhansi,Kanpur Dehat,Kanpur Nagar,Lucknow,Mathura,Meerut,Mirzapur,Moradabad,Saharanpur,Shrawasti,Siddharth Nagar,Varanasi)	
3	Revalidation / state assessment of HWCs: HSC @ Rs 10000 per Facility (10 health facilities in each district)	750	75 Districts	**7500000.00**
4	**Total**	**1300**		**14100000.00**

यदि स्टेट असेसमेंट में सभी विभागों में 70% से कम स्कोर प्राप्त होता है तो गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा तथा एक माह पश्चात गैप क्लोजर पूर्ण करने पर सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से स्कोर रिवैलिडिशन हेतु डिविजनल कंसल्टेंट/डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एवं हास्पिटल मैनेजर की टीम बनाकर कराया जायेगा। प्रत्येक टीम सदस्य द्वारा प्रत्येक दिन 2 विभागों का असेसमेन्ट किया जायेगा।

मण्डलीय अपर निदेशक को चिकित्सा इकाईयों के रिवैलिडेशन कराये जाने हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./2019–20/03/6842 दिनांक 11.11.2019 द्वारा अधिकृत किया गया है। असेसमेन्ट के उपरान्त असेसमेन्ट के उपरान्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखो की सॉफ्ट कापी क्वालिटी अनुभाग को एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु डिविजनल केसल्टेट को उत्तर दायी बनाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के रिवैलिडेशन के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा इकाईयों (जनपद स्तरीय चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) हेतु दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान रिवैलिडेशन हेतु नामित सदस्य के तैनाती जनपद से आपरेशनल मद से निर्धारित मानकानुसार किया जायेगा।

क्वालिटी एश्योरेंस (नेशनल सर्टिफिकेशन एवं रिसर्टिफिकेशन) FMR : - HSS.6.174.OOC.3

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0क्यू0ए0एस के एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए रू0 1028.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्टेट असेसमेंट में अर्हता पूर्ण करने पर एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन हेतु राज्य स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु असेसर्स के मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था हेतु निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक जनपद को रू0 8.00 लाख कुल धनराशि रू. 600.00 लाख आवंटन किया जा रहा है। एन0क्यू0ए0एस के नेशनल असेसमेंट हेतु चिकित्सा इकाईयों के लिए संशोधित मानक निम्नानुसार है:–

A. जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS Exteranal/National assessment and Recertification (For One DH/SDH)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	3		60000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	3	4	84000.00
Boarding and Loadging	4000	3	4	48000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one District hsopital				**210000.00**

B : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One CHC/UCHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	4	56000.00
Boarding and Loadging	4000	2	4	32000.00
Local transport	2000	1	4	8000.00
Conntingency	10000			10000.00
Total for one CHC/UCHC				**146000.00**

C : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One PHC/UPHC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	3	42000.00
Boarding and Loadging	4000	2	3	24000.00
Local transport	2000	1	3	6000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one PHC/UPHC				**120000.00**

D : हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मानक

NQAS External/National assessment and Recertification (For One HWC-SC)				
Head	Unit cost	Number of particiapnts	Days	Amount(INR)
Travel cost for assessors (Taxi Hiring /Train/Air/ as per actual	20000	2		40000.00
Honorarium for External assessros (Rs 4000 per day per Assessor for staff of health department and Rs 7000 per day per Assessor for other category (Non-Govt.)	7000	2	2	28000.00
Boarding and Loadging	4000	2	2	16000.00
Local transport	2000	1	2	4000.00
Conntingency	8000			8000.00
Total for one HWC(SC)				**96000.00**

नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु मानक :

NQA सर्टिफिकेशन हेतु तीन चरणों में असेसमेन्ट (इनर्टनल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सर्टनल असेसमेंट) किया जाता है। इनर्टनल असेसमेंट के ओवरऑल स्कोर 70% या अधिक होने पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेन्स समिति के माध्यम से स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति को स्टेट असेसमेंन्ट हेतु अनुरोध

किया जाता है। स्टेट असेसमेंन्टमें सभी विभागों में 70% से अधिक स्कोर होने पर राज्य स्तर से भारत सरकार को एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाता है। **NQA** सर्टिफिकेशन हेतु मानक निम्नवत् है :–

SN	Criteria	Criteria for NQA Certification (Aggregate Score %)			
		DH	SDH/CHC	UPHC /PHC/ PHC : HWCs/UPHC	HWC :HSC
1	Aggregate score of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%
2	Score of each department of the health facility	≥ 70%	≥ 70%	NA	≥ 70% (each service package , atleast 7 package)
3	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%	≥ 70%	≥ 60 %	≥ 60 %
4	Score of Standard	Standard A2, Standard B5 and Standard D10 is >70%	Standard A2, Standard B5 and Standard D8 is >60%	Standard A2, Standard B4 and Standard F6 (PHC)/F4 (U-PHC) is ≥ 60%	≥ 60 % (A1,D3,D4 , D5 &G2)
5	Individual Standard wise score	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%
6	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert	Scale 65% or Score of 3.2 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert	60% or Score of 3.0 on Linkert

NQA सर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक डाक्यूमेंट का विवरण निम्नवत हैः

NQA सर्टिफिकेशन हेतु विभिन्न प्रकार के स्टेटुटरी रिक्वायरमेंट/ऑडिट एवं अभिलेखीकरण की आवश्यकता होती है, जो नेशनल एवं स्टेट असेसमेंट के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है। उक्त डाक्यूमेंट का विवरण संलग्नक है।

District Hospital (DH/DCH&DWH)	Community Health Centre	Primary Health Centre / Urban Primary Health Centre
1.Hospital Profile	1. No. and Names of departments to be assessed	1. Latest State Assessment Report and scores.
2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Latest State Assessment Report and scores.	2. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).
3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Minutes of last Quality Team meeting (MOM).	3. Departmental SOPs.
4. Departmental SOPs.	4. Departmental SOPs.	
5. Quality Improvement Manual.	5. Quality Improvement manual.	4. Quality Improvement Manual.
6. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy (Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient., Consent policy,Prescription by Generic Name policy,Adverse Event reporting policy,Referral policy,Timely reimbursement of entitlements and compensation,Grievance Redressal policy,Free treatment to BPL patient's procedure/ policy,	6. Policies/Procedures of the facility(Condemnation Policy, Antibiotic policy,Social, Culture and Religious Equality policy,Privacy, Dignity and confidentiality policy of patient, Consent policy,Referral policy,Policy of timely reimbursement of entitlements and compensation, Quality Policy.	5. Copy of Hospital Wide Policies/ Procedures. (Government Order/ Single Pager Policy / Procedures): Vision, Mission, Values, Strategic Plan and Quality Policy., Condemnation Policy, Maintaining of Patients Record, its security, sharing of information and safe disposal,• Higher Centre Referral Policy
7. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.	7. Scores of last 3 Patient satisfaction Surveys and subsequent Corrective and Preventive actions.	6. Scores of Last 3 Patient Satisfaction Surveys and Subsequent Corrective and Preventive actions undertaken.
8. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).	8. Last 3 months data of Key Performance Indicators	7. Last 3 months data of Key Performance Indicators (KPI).
9. Prescription/Medical Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)	9. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA) report	8. Prescription Audit Analysis with Corrective and Preventive Action (CAPA)

NQA सर्टिफिकेशन हेतु इंसेन्टिव धनराशि मानदंड का विवरण निम्नवत है :–

S.No	Type of Health Facility	Incentive money criterion after NQA Certification				Remark
		NQA Certification without Conditionality		NQA Certification with Conditionality		
		Full Certification(All Departments)	Partial Certification	Full Certification(All Departments)	Partial Certification	
1	District Level Health Facility	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	
2	Community Health Centre-FRU	Rs. 10,000.00 Per Functional Bed	Rs.10,000.00 Per Functional Bed x Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs. 7,000.00 Per Functional Bed	Rs.7,000.00 Per Functional Bedx Nos of Dept Assessed / Total No of Dept	Rs.3,00000.00 for 30 Beds for without Conditionality)
3	Community Health Centre-Non FRU	Rs. 2,00,000.00				Rs.2,00000.00 for 30 Beds for Non-FRU (without Conditionality)
4	Primary Health Centre & UPHC	Rs. 3,00,000.00	NA			
5	Health &wellness centre	Rs. 18,000.00 per package (total 12 package)	NA			

क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत असेसमेंट एवं मेन्टॉरिंग विजिट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

अवगत कराना है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, लक्ष्य सर्टिफिकेशन तथा कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी.एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के **सात दिवसो के भीतर** संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वप्रमाणित बीजक राज्य स्तर को उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के संकलन तथा राज्य स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम–फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
- यदि असेसमेंट हेतु समस्त असेसर्स एक ही जनपद से जा रहे है तो असेसर्स द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाये।
- असेसमेंट हेतु असेसर्स द्वारा यदि स्वय् के स्तर से वाहन की बुकिगं तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था की जाती है, तो सेवा प्रदाता द्वारा दिये गये बीजक में फार्म के जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
- यात्रा हेतु यदी टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
- प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है।
- प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम–फार्म भरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। *असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरश :अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा इकाईयों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना हेतु बजट आवंटन के संबंध में:- FMR : - HSS.6.174.EQ

भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी वर्ष 2022–23 में चिकित्सा इकाईयों पर फायर फाइटिंग सिस्टम सुदृढीकरण एवं अग्निशमन यंत्र (टाइप A B C) की व्यवस्था करने के लिये FMR - HSS.6.174.EQ पर रू0 3130.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्रदेश के 820 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 15000.00 प्रति इकाई की दर से एवं 1900 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रू0 10000.00 प्रति इकाई की दर जनपदों को बजट आवंटन किया जा रहा है।

एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन के अर्न्गत इंसेन्टिव धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश– FMR : - HSS.6.174.OOC.5

भारत सरकार के स्तर से एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त चिकित्सालय द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन की अर्हता पूर्ण करने पर मानकानुसार इंसेन्टिव धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो। उक्त मद में बजट का आवंटन भारत सरकार द्वारा समय– समय पर चिकित्सा इकाईयों द्वारा एन.क्यू.ए. सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

पूर्व में प्रेषित किये गये दिशा–निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त पुनरीक्षित दिशा–निर्देश को समेकित करते हुए पढ़ा जाये।

7.2 कायाकल्प'–अवार्ड योजना

भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2015 से राजकीय चिकित्सा इकाईयोंमें स्वच्छता एवं हाइजीन व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु 'कायाकल्प' अवार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयॉः जनपद स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अरबन प्राथमिक केन्द्र तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स को कायाकल्प अवार्ड के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।अवार्ड के नामांकन हेतु चिकित्सा इकाईयों का तीन चरणो में असेसमेंन्ट (इनटर्नल, पियर एवं एक्सटर्नल) किया जाता है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के इनटर्नल, पियरएवं एक्सटर्नल असेसमेंट के पश्चात राज्य स्तर से' राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति' के माध्यम से अन्तिम निर्णय लिया जाता है। योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देश को अवक्रमित करते हुये समेकित दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण : FMR : - HSS.6.175.CB.1

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में FMR HSS.6.175.CB.1 पर प्रति जनपद 02 बैच के आयोजन हेतु (रू. 33,000.00 प्रति जनपद की दर से) रु0 51.50 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनपद स्तरीय 'कायाकल्प' अवार्ड योजना सम्बंधी एक दिवसीय ओरिएन्टेशन कम अवरेनेस कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। उक्त कार्यशाला के आयोजन का उत्तरदायित्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल

अधिकारी–क्वालिटी एश्योरेंस तथा सम्बंधित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट– क्यू0ए0 का होगा। कार्यशाला में चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी अधिकारी/नोडल अधिकारी–क्यू0ए0, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, नर्स मेन्टर, स्टाफ नर्स कम्युनिटी हेल्थ आफीसर तथा अन्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार एक से अधिक बैंच में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। कार्यशाला में 50 प्रतिभागियों हेतु बजट का आवंटन किया गया है। किन्तु प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक होने पर सम्बन्धित मद से आवंटित धनराशि की सीमा से अधिक व्यय नही होना चाहिये। उक्त कार्यशाला हेतु निम्न तालिकानुसार रू. 33,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि का प्रावधान किया गया है–

District Level Awareness Training (01 Batch)				
S.N.	Activities	Rate (in Rs.)	Participants	Total
1	Honorarium to Distt. Trainers	600	2	1200.00
2	Mess, Fooding for Participants	250	50	12500.00
3	Incidental expenses, Banner, Sound System etc.			3000.00
4	Contingency (Photocopy, Stationary, venue hiring if required etc.)			15000.00
5	Institutional Overhead (15% POL for generator if required etc.)			1300.00
Total				33000.00

प्रशिक्षण सम्बन्धित डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ या अन्य प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री एवं अन्य आवश्यक लर्निंग रिसोर्स मेटेरियल्स आवश्यक रूप से प्रदान किया जायेगा।

असेसमेंन्ट की प्रक्रियाः– FMR : - HSS.6.175.OOC.1

इन्टर्नल असेसमेंटः–

जनपद स्तरीय चिकित्सालय,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स के लिएनिर्धारित चेकलिस्ट पर चिकित्सा इकाई स्तर सेइन्टर्नलअसेसमेंट किया जायेगा। चिकित्सा इकाईयों द्वारा इन्टर्नलअसेसमेंट की रिर्पोट प्रत्येक त्रैमास में संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। यथासम्भव जनपद/मण्डल स्तर से क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत चिकित्सा इकाईयों का स्कोर रिवैलिडेट किया जायेगा। वर्ष में एक बार 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का पियर असेसमेंट हेतु नामाकंन किया जायेगा।

पियर असेसमेंट–

इनटर्नल असेसमेंन्ट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों की सूचना संकलित कर जनपद/मण्डल के प्रशिक्षित कार्मिको (मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक' जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधक' डिवीजलन कंसल्टेट क्वालिटी एश्योरेंस/पब्लिक हेल्थ .डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट–क्यू0ए0,एन0जी0 ओ0 तथा हॉस्पिटल मैनेजर्स) द्वारा पियर असेसमेंट किया जायेगा।

चिकित्सा इकाईयों (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरबन) के पियर असेसमेंट कराये जाने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अर्न्तगत तैनात डिवीजनल कंसल्टेट क्यू.ए. एवं पब्लिक हेल्थ के सहयोग से पियर असेसमेंटकया जायेगा। कायाकल्प के एक्सटर्नल असेसर्स पूल से पियर डयूटी डिवीजनल कंसल्टेट द्वारा तैयार की जायेगी तथा असेसमेंट पूर्ण होने पर असेसर्स का भुगतान सबंन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी क्यू.ए. के मार्गदर्शन में किया जायेगा। असेसर्स से समन्वयन करकें क्लेम फार्म संकलित कर भुगतान हेतु पत्रावली परिचालन एवं उक्त भुगतान असेसमेंट के एक माह के अन्दर सुनिश्चित कराये जाने के उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटक्वालिटी एश्योरेंस का होगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु जनपदवार धनराशि का आवंटन इन्टर्नल असेसमेंट में (70 प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त) अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर राज्य स्तर से किया जायेगा, जिसकी सूचना इनर्टनल असेसमेंट के परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों का पियर असेसमेंट राज्य से नियमानुसार कराया जायेगा। असेसर्स का भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयो के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

District level Hospital peer assessment (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु जनपद में चिकित्सालयों की संख्या के आधार पर बजट आवंटन किया जा चुका है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत है :–

CHC Peer (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	3000	2	6000.00
2	Honorarium for Assessors	1000	2	2000.00
	Total			**8000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु अर्ह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर बजट आवंटन किया जा चुका है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

PHC/PHC(HWC)/UPHC/HWC(SC) Peer (01 Day)				
Sno	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Amount**
1	Honorarium for Assessors	1000	1	1000.00
2	Travel Cost of Assessors	4000	1	4000.00
	Total			**5000.00**

जनपदवार पियर असेसमेंट हेतु अर्ह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या के आधार पर बजट आवंटन किया किया जा चुका है।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेण्ट FMR : - HSS.6.175.OOC.1

पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक्सटर्नल असेसमेंट राज्य स्तर पर प्रशिक्षित असेसर्स पूल से यथा उपलब्धता असेसमेंट टीमों का निर्धारण करते हुये कराया जायेगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के असेसमेंट हेतु नामित टीम के सदस्यों का भुगतान राज्य स्तर से निम्न मानकानुसार किया जायेगा। असेसर्स द्वारा असेसमेंट तिथि से 02–03 दिवस में असेसमेंट स्कोर चेकलिस्ट (स्टैण्डर्ड चेकलिस्ट की साफ्ट कापी तथा चेकलिस्ट के प्रथम पेंज की असेसर्स द्वारा हस्ताक्षरित स्कैन कापी) तथा विवरणात्मक रिपोर्ट तथा असेसर्स द्वारा टीम के सभी सदस्यों का क्लेम फार्म बीजकों सहित क्यू0ए0 अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयो के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of District level Hospital(01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants /Qty**	**Days**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2000	3	2	12000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	1	6000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	2	24000.00
5	Contingency for Documentation				2000.00
				Total	**44000.00**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of CHC (01 Day)					
s/n	Particulars	Rate /per Participants	Participants	Days	Amount
1	Travel Cost of Assessors	2500	3	2	15000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	3	1	6000.00
3	Boarding & Lodging of Assessors	4000	3	1	12000.00
4	Contingency for Documentation				1000.00
				Total	**34000.00**

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों तथा (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित) एक्सटर्नल असेसमेण्टः–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। राज्य स्तर पर पियर असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाइयों की सूचना मण्डल से उपलब्ध करायी जायेगी। पीअर असेसमेंट में 70 प्रतिशत या अधिक स्कोर प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का एक्सटर्नल असेसमेंट मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं परिवार कल्याण के स्तर से प्रशिक्षित कार्मिकों (स्टेट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस, डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ,डिस्ट्रिक कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस,मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक,मेडिकल कालेज/विश्व विद्यालय तथा एन0जी0ओ0 के प्रशिक्षित असेसर्स) की ड्यूटी लगाकर किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसमेंट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु असेसमेंट डयूटी लिस्ट अन्तिम करते समय समस्त असेसर्स को यथासंभव समान अवसर प्रदान किया जाये।

प्रा0स्वा0केन्द्रों के एक्सटर्नल असेसर्स का भुगतान सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से वास्तविक बीजकों के सत्यापन के पश्चात् निम्नलिखित मानकानुसार किया जायेगा। डिवीजनल कंसल्टेंट क्यू0ए0/पब्लिक हेल्थ द्वारा असेसर्स की ड्यूटी लिस्ट तैयार करने चेकलिस्ट की साफ्ट कापी संकलन में मण्डलीय अपर निदेशक को सहयोग प्रदान किया जायेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अरबन प्राथमिक केन्द्रों (हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर्स सहित)के एक्सटर्नल असेसमेण्ट हेतु बजट फॉन्ट निम्नवत हैः–

External Assessment of PHC (01 Day)					
s/n	**Particulars**	**Rate /per Participants**	**Participants**	**Day**	**Amount**
1	Travel Cost of Assessors	2000	2	1	4000.00
2	Honorarium / Per Diem to Assessors	2000	2	1	4000.00
	Total				**8000.00**

पियर असेसमेंट में अर्ह चिकित्सा इकाईयों की संख्या के आधार पर मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति में राज्य स्तर से बजट हस्तानान्तरण या बजट आवंटन एवं व्यय हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक को धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पियर असेसमेंट का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त उक्त के सम्बन्ध में बजट आवंटन पृथक से किया जायेगा।

प्रदेश सरकार की वर्तमान मितव्ययता नीति के दृष्टिगत असेसमेंट (पियर एवं एक्सर्टनल) हेंतु नामित जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों (यथाः मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक ,डिवीजनल कंसल्टेंट–क्वालिटी एवं पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिकट कंसल्टेंट–क्वालिटी एश्योरेंस) को राजकीय या अनुबंधित वाहन आवंटित है, द्वारा यथा संभव टैक्सी हायर न किया जाये अपितु आवंटित वाहन का उपयोग किया जाये।

'कायाकल्प–अवार्ड' योजना के अन्तर्गत एक्सर्टनल असेसमेंट हेतु टीम के सदस्यों के भुगतान हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

अवगत कराना है कि क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, लक्ष्य सर्टिफिकेशन तथा कायाकल्प असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी.एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के **सात दिवसो के भीतर** संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वप्रमाणित बीजक राज्य स्तर को उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के संकलन तथा राज्य स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु क्लेम–फार्म में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
- यदि असेसमेंट हेतु समस्त असेसर्स एक ही जनपद से जा रहे है तो असेसर्स द्वारा एक ही वाहन का उपयोग किया जाये।
- असेसमेंट हेतु असेसर्स द्वारा यदि स्वय् के स्तर से वाहन की बुकिगं तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था की जाती है, तो सेवा प्रदाता द्वारा दिये गये बीजक में फार्म के जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
- यात्रा हेतु यदि टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
- प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है।
- प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक क्लेम–फार्म भरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ***असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरश : अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।**

एक्सटर्नल असेसमेंट के अंको में 'मेरा–अस्पताल' के वेटेज व्यवस्था हेतु दिशा–निर्देश :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–DO No. NHSRC/14-15/QI/01/Swacch Health Facilities & Kayakalp Date :12th July 2019का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत **'मेरा चिकित्सालय'** में आच्छादित चिकित्सालयों को 'कायाकल्प'–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 15.0 प्रतिशत का वेटेज अंक प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई के स्कोर का निर्धारण निम्न सूत्र (अवार्ड टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज–कायाकल्प 2019 के Annexure-III पृष्ठ संख्या–141–142) के आधार पर किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

Mera Aspataal Score of Hospital can be calculated using the formula	=	Max. % age of dissatisfied patients in the state - % of patient dissatisfied at a Hospital Min. % age of dissatisfied patients in the state - Min % of patient dissatisfied patient in the state	X 100

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत अन्तिम स्कोर गणना निम्नवत् की जायेगीः– (उदारणार्थ : यदि चिकित्सालय का चेकलिस्ट के आधार पर स्कोर 84 प्रतिशत है तथा मेरा अस्पताल स्कोर 66.66 प्रतिशत है, तो)

Score	Value	Wieghatge	Calculation	Wieghatge Score
Kayakalp Score	84.0%	85.0%	84.0X 0.85	71.4%
Mera Asptaal Score	66.6%	15.0%	66.6 X 0.15	9.99%
Total score of Hospital A				81.39 %

जो चिकित्सालय मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत अच्छादित है, उनके अंतिम स्कोर की गणना तथा अवार्ड अंतिम सूची उपरोक्तानुसार राज्य स्तर से निर्गत की जायेगी।

स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र (एफ.एम.आर.कोड HSS.6.176.OOC) :–

भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 दिसंबर, 2016 को ' स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय समग्र रूप

से भारत को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाये जाने के लिए कार्य कर रहें है। भारत सरकार द्वारा ओ0डी0एफ0 आच्छादित विकास खण्डों की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो को एन0क्यू0ए0 सर्टिफिकेशन की उपलब्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा रू0 250.00 लाख की धनराशि स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के अन्तर्गत ओ.डी.एफ0 ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कायाकल्प के निर्धारित मानकानुसार किया जाना है, जिससे वे गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवायें प्रदान कर सकें। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैंः–

1. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अन्तर्गत 70 प्रतिशत स्कोर प्राप्त करना।
2. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स के निर्धारित मानकानुसार सुदृढ़ीकरण किया जाना।
3. पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय शहरी निकायों से समन्वय करना।
4. स्वच्छता एवं हाईजीन को सुधारने हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना।

उक्त धनराशि का आंवटन 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु निर्धारित कायाकल्प, एन0क्यू0ए0 स्टैडर्ड चेक लिस्ट में अंको की वरीयता के आधार पर निम्नवत् किया जा रहा है :–

s/n	Districts	Nos of CHC	Budget allocated Rs 5.0 Lakh/CHC		s/n	Districts	Nos of CHC	Budget allocated Rs 5.0 Lakh/CHC
1	Agra	2	10.0		22	Hapur	1	5.0
2	Aligarh	1	5.0		23	Hardoi	1	5.0
3	Ambedkar nagar	1	5.0		24	Hathras	1	5.0
4	Amethi	1	5.0		25	Jaunpur	1	5.0
5	Auraiya	1	5.0		26	Jhansi	1	5.0
6	Ayodhya	1	5.0		27	Kanpur Dehat	1	5.0
7	Bagpat	1	5.0		28	Kanpur Nagar	1	5.0
8	Shahjehanpur	2	10.0		29	Kaushambi	1	5.0
9	Balrampur	1	5.0		30	Mahoba	2	10.0
10	Barabanki	1	5.0		31	Mathura	1	5.0
11	Basti	1	5.0		32	Mirzapur	2	10.0
12	Bulandsahar	1	5.0		33	Moradabad	2	10.0
13	Chaundauli	1	5.0		34	Muzaffarnagar	2	10.0
14	Chitrakoot	1	5.0		35	Rampur	1	5.0
15	Deoria	1	5.0		36	Saharanpur	2	10.0
16	Etah	1	5.0		37	Sant kabir nagar	1	5.0
17	Farrukhabad	1	5.0		38	Bahraich	2	10.0
18	Fatehpur	2	10.0		39	Shrawasti	1	5.0
19	Ghaziabad	1	5.0		40	Sitapur	1	5.0
20	Gonda	1	5.0		41	Unnao	1	5.0
21	Gorakhpur	1	5.0			**Total**	**50**	**250.00**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्राप्त बजट का 90 प्रतिशत क्वालिटी एश्योरेंस गैप क्लोजर तथा 10 प्रतिशत धनराशि सामुदायिक जागरूकता हेतु व्यय किया जाना है। सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में एफ.एम.आर.कोड HSS.6.176.OOC अन्तर्गत रू0 5.00 लाख (One Time Grant) की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी, जिसको नियमानुसार इकाई के कायाकल्प अवार्ड योजना की निर्धारित चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए गैप क्लोजर हेतु उपयोगित किया जाना है। धनराशि का उपयोग चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गुणवत्ता परक सेवायें प्रदान करने हेतु प्राथमिकता सुनिश्चित करते हुए निम्नवत् किया जा सकता हैः–

1. मरीजों हेतु पीने योग्य पानी की व्यवस्था।
2. तीमारदारों एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था।
3. बहिरंग (ओ.पी.डी.) के अन्दर पेंशेंट कॉलिंग सिस्टम लगाने की व्यवस्था।
4. परिसर के अन्दर हर्बल गार्डेन बनाना।

5. लेबर रूम एवं ऑपरेशन थ्रिएटर में एल्बो टैप की व्यवस्था।
6. ओ.टी. के अन्दर स्क्रब एरिया का निर्माण।
7. पेंशेंट केयर एरिया मे उचित मात्रा में एल्कोहल बेस्ड हैण्ड–रब की व्यवस्था।
8. पैथोलॉजी लैब में लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था।
9. मरीजों के लिए भोजन आपूर्ति हेतु ढक्कन युक्त ट्राली की व्यवस्था।
10. सभी चिकित्सा कर्मी और सहायकों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट की व्यवस्था।
11. चौबीसों घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु इन्वर्टर की व्यवस्था
12. 'हॉस्पिटल एक्वॉयर्ड इंफेक्शन' की रोकथाम हेतु माइको बॉयोलॉजिकल सर्विलांस की व्यवस्था।
13. नवजात शिशुओं के लिए बेबी ब्लैंकेट की व्यवस्था।
14. मरीजों की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपकरणों के सेट की व्यवस्था।
15. मरीजों एवं तीमारदारों हेतु वेटिंग एरिया में कुर्सियों पंखे इत्यादि की व्यवस्था।
16. पेंशेट केयर एरिया में हाथ धोने हेतु वॉश बेसिन की उचित व्यवस्था।

उक्त के अतिरिक्त एन.क्यू.ए. चेकलिस्ट के अनुसार अन्य गैप क्लोजर किये जाने हेतु भी इस धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी का उत्तरदायित्व होगा कि वे उपरोक्त चेक प्वाइंट के आधार पर धनराशि के उपयोग हेतु चिकित्सा अधीक्षक से विचार–विमर्श कर कार्ययोजना तैयार करें।

नोटः–उक्त धनराशि का उपयोग निम्न कार्यों हेतु नहीं किया जाना हैः–

1. स्टाफ की नियुक्ति एवं मानदेय।
2. बड़े निर्माण या क्रय दवाओं की क्रय।
3. डायग्नोस्टिक, थैरेप्यूटिक एवं रिहैबिलिटेशन इक्यूपमेंट इत्यादि।
4. अनुबंधित सेवा प्रदाता को कोई लम्बित भुगतान।

सामुदायिक सहभागिता हेतु की जाने वाली गतिविधियांः–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक प्रचार–प्रसार एवं जन सहभागिता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला का आयोजन, सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन, स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन विद्यालयों में हैंड हाईजीन प्रमोशन हेतु 6 स्टेप हैण्ड वॉश डिमॉन्सट्रेशन, विद्यालयों में प्रतियोगिता का आयोजन तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन हेतु आशाओं को पुरस्कार आदि का आयोजन स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियों का आयोजन का विवरण निम्नवत् हैः–

क–ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन–

अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु 'खुले में शौच से मुक्ति' विषयक कार्यशाला का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। कार्यशाला में खण्ड विकास अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा स्वास्थ्य इकाई के समस्त स्टाफ ए.एन.एम. एवं आशा संगिनी को आमंत्रित किया जायेगा। कार्यशाला के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 5000.00 आवंटित की जा रही है, जिसका उपयोग बैनर, लर्निंग मैटेरियल तथा प्रतिभागियों के रिफ्रेशमेंट आदि पर रू0 50.00 प्रति प्रतिभागी की दर से व्यय किया जायेगा।

ख–सामुदायिक जागरूकता हेतु रैली का आयोजन–

खुले में शौच से मुक्ति हेतु सामुदायिक जनजागरूकता बढ़ाने हेतु ब्लॉक स्तर पर रैली का आयोजन किया जायेगा। रैली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय विभागीय अधिकारियों तथा 5–10 विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को सम्मिलित किया जायेगा। रैली के आयोजन हेतु निम्न वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

क्र.	गतिविधि विवरण	धनराशि (रू0 में)	टिप्पणी
1	बैनर एवं डिस्पले बोर्ड (तख्ती)	5000.00	
2	प्रतिभागियों का रिफ्रेशमेंट	5000.00 (अधिकतम)	रू0 20 प्रतिभागी की दर से
	कुल योग	10000.00	

ग–स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन–

ओ.डी.एफ. ब्लॉक में सभी वी.एच.एस.एन.सी. ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में वर्ष में एक बार स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाये तथा निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर असेसमेंट कराया जाये। असेसमेंट में प्राप्त स्कोर के आधार पर प्रत्येक उपकेंद्र के अधिकतम स्कोर प्राप्त ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अर्ह होगी। पुरस्कार धनराशि रू0 500.00 अनुमन्य की जा रही है, जिसमें से

रू0 300.00 क्षेत्र की ए.एन.एम. को तथा रू0 200.00 सम्बन्धित ग्राम की आशा (सम्बन्धित वी.एच.एस.एन.सी. की सदस्य सचिव) को प्रदान किया जायेगा। वी.एच.एस.एन.सी. का निर्धारित चेकलिस्ट का असेसमेंट मेडिकल ऑफीसर, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक, ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, सहायक, अनुसंधान अधिकारी, एल.एच.वी. एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के दौरान किया जायेगा। वी.एच.एस.एन.सी. का असेसमेन्ट स्कोर की संकलित सूची क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग को प्रेषित की जायेगी।

घ–विद्यालयों में हैण्ड हाईजीन प्रमोशन–

स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के द्वारा हाथ धोने के तरीके, (डब्ल्यू0एच0ओ0 के 6 स्टेप हैण्ड वॉश) पर छात्र–छात्राओं को प्रदर्शन तथा स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक किया जायेगा। इस हेतु आर.बी.एस.के. टीम को आवश्यक साबुन एवं लिक्विड हैण्ड वॉश की व्यवस्था रू0 100.00 प्रति विद्यालय की दर से की जायेगी। उक्त सामग्री का क्रय चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से किया जायेगा तथा आर0बी0एस0के0 टीम को पर्याप्त साबुन/लिक्विड हैण्ड वॉश डिमॉन्ट्रेशन हेतु उपलब्ध कराया जाना है।

ङ– व्यक्तिगत स्वच्छता एवं मेन्सट्रुअल हाईजीन प्रमोशन–

किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए मेन्सट्रुअल हाईजीन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा सैनेटरी नैपकीन का प्रमोशन एवं बिक्री सम्बन्धित गांवों में की जा रही है। कार्यक्र के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशाओं के प्रोत्साहन हेतु ब्लॉक में सर्वाधिक सैनेटरी नैपकीन की बिक्री वितरण करने वाली तीन आशाओं को क्रमशः प्रथम पुरस्कार रू0 500.00 द्वितीय पुरस्कार रू0–300.00 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 200.00 प्रदान किया जायेगा।

अवार्ड प्राप्त जनपद स्तरीय चिकित्सालयों हेतु पुरस्कार धनराशि के उपयोग हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश **FMR : - HSS.6.175.OOC.2**

अवगत कराना है कि कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत 'राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड समिति' द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त चिकित्सा इकाईयों को निर्धारित अवार्ड धनराशि को राज्य कायाकल्प अवार्ड नामांकन समिति द्वारा कम की जा सकती है तथा कटौती की गयी धनराशि को वरीयता के क्रम में प्रथम 10 या अधिक रैंक तक अथवा औचित्यपूर्ण अनुपात में आवंटित की जा सकती है। कायाकल्प अवार्ड योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड धनराशि का विवरण निम्नवत है।

s/n	Type of health facility	Award Money (Rs.in lakh)	Remark
1	District level Hospitals (DH/DCH/DWH)	• I Rank across the state Rs.50.00 Lakh • II Rank across the state Rs.20.00 Lakh • III Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.3.00 Lakh	Top Ranker's (I,II &III) must increase 5% score from previous year score
2	Community Health Centre /Urban Commiunity health centre	• I Rank across the state Rs.15.00 Lakh • II Rank across the state Rs.10.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.1.00 Lakh	Top Ranker's (I & II) must increase 5% score from previous year score
3	Primary Health Centre (Including Health & Wellness Centre)	• I Rank across District Rs.2.00 Lakh& • Consolation prize : Rs.0.50 Lakh	District 1st ranker must increase 5% score from previous year score
4	Health & Wellness Centre (SC)> 50	• 1st prizes Rs 1.00 Lakh • 1st Runner –upRs 50,000, • 2nd Runner-up Rs 35,000 , & • Consolation prize :Rs.25,000	

***नोटः**–गुणवत्ता की निरन्तरता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत चिकित्सा इकाईयों का रैण्डम आधार पर राज्य स्तर से रिवैलिडेशन किया जा सकता है तथा असेसमेंट के स्कोर में (अवार्ड के समय एक्सटर्नल असेसमेंट स्कोर) पांच प्रतिशत से अधिक कमी की स्थिति में दण्ड स्वरूप अवार्ड धनराशि में कटौती की जा सकती है, जिसका निर्धारण राज्य स्तर से किया जायेगा।*

अवार्ड धनराशि के उपयोग हेतु निर्देश–**FMR : - HSS.6.175.OOC.2**

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड एवं कायाकल्प अवार्ड स्कीम के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण,

रख–रखाव, स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित की जाये, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इन्सेंटिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

अवार्ड धनराशि का 75 प्रतिशत कायाकल्प–अवार्ड योजना तथा क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड के असेसेमेंट में चिन्हित गैप क्लोजर तथा चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोगित की जायेगी। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि अन्य मद से प्राप्त बजट की कोई डुप्लीकेसी न हो।

डाक्यूमेंटेशन – प्रा0स्वा0 केन्द्रों के तीन स्तरों के असेसमेंट में चेकलिस्ट, अवार्ड का नामांकन करते हुये मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से संकलित सूचना क्यू0ए0 अनुभाग को qanhmup2021@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। डिविजनल कंसल्टेंट द्वारा सभी स्तरों की चेकलिस्ट, थीमेटिक एरियावार स्कोर की संकलित कर 'हार्ड डिस्क' में डाटा की कम से कम 05 वर्षों तक सुरक्षित रखा जायेगा।

असेसमेन्ट हेतु समय सारणी –

Sno	Type of Assessment	Timeline		
		District Level Hospital (DH, DWH & DCH)	Community Health Centers	Primary Health Centre (Including Health & Wellness centre)
1	Internal Assessment	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter	Last Month of Each Quarter
2	Peer Assessment	June –July of Each Financial Year	Aug–Sept of Each Financial Year	Oct-Nov of Each Financial Year
3	External Assessment	September Onwards		

कायाकल्प–अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जनपदों की समस्त चिकित्सालयों को अवार्ड की अर्हता में लाना भारत सरकार व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। योजना के प्रारम्भ से अब तक अवार्ड की अर्हता प्राप्त चिकित्सालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु यह प्रयास किया जाना है कि अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सालयों को क्वालिटी एश्योरेंस एवं 'कायाकल्प' के मानकानुसार सुदृढ़ किया जाये ताकि जनसमुदाय को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

अवार्ड धनराशि एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एक्टर्नल असेसमेंट हेतु जनपदवार बजट आंवटन हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा दिये गयेफाइनेन्शियल मैनेजमेंट मैनुअल में निर्धारित वित्तीय नियमों एवं कार्यक्रम संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त कार्यक्रम मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

7.3 "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम

भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित वार्षिक राज्य कार्ययोजना वर्ष 2022–23 में प्रदेश के चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में "हेल्प डेस्क" कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। "हेल्प डेस्क" के संचालन हेतु चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में एक हेल्प डेस्क मैनेजर व एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद संविदा पर स्वीकृत किया गया है।

1. हेल्प डेस्क के उद्देश्यः–

- चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में लाभार्थियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों की शिकायतों एवं सुझावों के सम्बन्ध में समुचित एवं समयबद्ध निराकरण हेतु चिकित्सालय प्रशासन को सूचित करना एवं अभिलेखीकरण करना।
- 'कायाकल्प'–अवार्ड योजना के निर्धारित मानकानुसार स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सहयोग प्रदान करना।
- मेरा अस्पताल योजना तथा वॉश कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी को सहयोग प्रदान करना।

2. हेल्प डेस्क का स्थल एवं संचालनः–

स्थलः इस हेतु चिकित्सालय के ओ0पी0डी0 भवन के किसी मुख्य स्थान पर लगभग 100–150 वर्ग फिट का स्थान चयनित करते हुए हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर के बैठने हेतु तदानुसार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका स्तर से स्थान आवंटित किया जाना आवश्यक है, जिससे लाभार्थियों को त्वरित सेवायें प्रदान की जा सकें। हेल्प डेस्क कार्मिकों के बैठने के स्थल पर बैकग्राउन्ड फ्लेक्स (फ्रेम सहित, लगभग 3X2 फिट) लगाया जाये। फ्लेक्स की पृष्ठिभूमि पीले रंग की होगी जिस पर हेल्प डेस्क लाल रंग से लिखा जाये तथा अन्य सूचनायें काले रंग से लिखी जायेंगी।

नोट–(क) सुनिश्चित किया जाये कि हेल्प डेस्क की स्थापना मुख्य प्रवेश द्वार के पास हो, जिससे रोगी/परिजन (विशेष रूप से पहली बार आने वाले) चिकित्सालय में प्रवेश करते ही आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें।

(ख) साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्ट्रेचर एवं व्हील चेयर क्रियाशील अवस्था में हेल्प डेस्क के निकट हर समय उपलब्ध हो।

(ग) वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत हेल्प डेस्क काउन्टर पर पब्लिक कालिंग/माइक सिस्टम की व्यवस्था ऑपरेशनल कास्ट से की जाये जिससे सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये सुचारू रूप से सेवायें प्रदान कर सकें।

3. हेल्प डेस्क की समयावधिः– हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा प्रातः 08:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक सेवायें प्रदान की जायेगीं।

4. हेल्प डेस्क ड्रेस कोडः– हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा पिंक रंग की फुल स्लीव कॉटन एप्रैन ड्यूटी के दौरान धारण की जायेगी। प्रत्येक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में अधिकतम दो एप्रैन अनुमन्य है। प्रति एप्रैन हेतु अधिकतम रू0 500 की धनराशि अनुमन्य है। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन का क्रय उपरोक्त मानकों के अनुसार किया जायेगा। हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा एप्रैन हेतु कपड़ा एवं सिलाई का बिल प्रस्तुत किया जायेगा। बिल प्रस्तुत करने पर हेल्प डेस्क ऑपरेशनल कॉस्ट मद (FMR Code-HSS.6.174.PME.2) में उपलब्ध धनराशि में से सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान किया जायेगा।

5. हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएंः–

1. चिकित्सालय में आने वाले लाभार्थियों को चिकित्सकों एवं चिकित्सालय में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना एवं मरीजों/तीमारदारों की जिज्ञासाओं का समाधान करना।
2. चिकित्सा इकाई में सुझाव/शिकायत पेटिका लगाया जाना तथा शिकायत पंजिका/पेटिका से प्राप्त सुझाव/शिकायत का अभिलेखीकरण करना एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को अंकित करना, साथ ही यथा सम्भव शिकायतकर्ता को अवगत कराना।

3. चिकित्सालय में संदर्भित होकर आने वाले तथा चिकित्सा इकाई से अन्य इकाई को संदर्भित होकर जाने वाले मरीजों के लिए सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना।
4. 102, 108 एवं ए.एल.एस. एम्बुलेन्स सेवा के माध्यम से मरीजों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।
5. चिकित्सालय में उपलब्ध सेवायें एवं संचालित किये जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रचार–प्रसार सामग्रियों का संकलन एवं वितरण करना।
6. चिकित्सालय में किसी रोगी की मृत्यु हो जाने की दशा में शव को स्ट्रेचर एवं शव वाहन उपलब्ध कराने में सहायता करना।
7. निराश्रित मरीजों को यथावश्यक सहायता करना व संदर्भन सेवओं हेतु समन्वय स्थापित करना।

6. कार्य एवं दायित्व :–

(क) हेल्प डेस्क प्रबन्धक के कार्य एवं दायित्व :–

1. चिकित्सालय का दैनिक भ्रमण कर वार्डों, शौचालयों, प्रतीक्षालय, दवा वितरण कक्ष, भोजनालय, गलियारों आदि की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण, कायाकल्प की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार करना तथा हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सूचित करना।
2. निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षिका के साथ साझा करना, साथ ही दैनिक चेकलिस्ट में चिन्हित गैप के विषय में सूचित करना।
3. हेल्प डेस्क का प्रबन्धन करना तथा कायाकल्प योजना सम्बंधी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक चेकलिस्ट भरना। दैनिक चेकलिस्ट प्रतिदिन, साप्ताहिक चेकलिस्ट प्रत्येक गुरूवार तथा मासिक चेकलिस्ट प्रत्येक माह की 25 तारीख को भरी जायेगी।
4. मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अंत में राज्य मुख्यालय की ईमेल आई डी helpdeskup2019@gmail.com पर प्रेषित करना।
5. चेकलिस्ट एवं लाभार्थियों से प्राप्त पेसेंट सैटिसफेक्शन फीडबैक फार्म प्रतिदिन हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर पर फीड किया जाना सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
6. शिकायत/सुझाव/ई–मेल/टेलीफोन/साक्षात्कार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपलब्ध कराना।
7. शिकायत पेटिका को निर्धारित कमेटी के नामित सदस्यों के समक्ष प्रत्येक सप्ताह में निश्चित दिवस को खोला जाना।
8. चिकित्सालय में वर्ष भर विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के विषय में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना। विभिन्न आयोजनों से सम्बंधित विशिष्ट सुविधायें जैसे कैम्प के आयोजन इत्यादि के विषय में जानकारी प्रदान करना।
9. विभाग से सम्बंधित गोष्ठी/प्रशिक्षण आदि में शामिल होना एंव इनके विषय में सामान्य जानकारी रखना।
10. विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व टी.बी. दिवस, विश्व ग्लूकोमा दिवस, पल्स पोलियो, नियमित टीकाकरण, कोविड टीकाकरण, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इत्यादि सम्बंधी जानकारी लाभार्थियों को प्रदान करना।
11. हेल्प डेस्क से सम्बन्धित अन्य रिपोर्ट तैयार करना एवं अभिलेखीकरण करना।
12. चिकित्सालय प्रबन्धन से संपर्क कर समस्याओं/शिकायतों को दूर करने का प्रयास करना एवं सक्षम स्तर से समस्या का निस्तारण हो जाने पर अभिलेखीकरण करना साथ ही शिकायतकर्ता को अवगत कराना।
13. हेल्प डेस्क ऑपरेटर के पर्यवेक्षकीय एवं नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना। हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा भरे गये फीडबैक फार्म का अनुश्रवण करना।
14. बाह्य रोगियों तथा अन्तः रोगियों से निर्धारित प्रश्नावली पर साक्षात्कार कर गुणवत्तापरक सुविधाओं को प्रदान करने में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की सहायता करना।
15. चिकित्सा इकाई द्वारा मरीजों के हित में किये गये नवाचारों (Innovations) को अभिलेखित करना एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

(ख) हेल्प डेस्क ऑपरेटर के कार्य एंव दायित्वः–

1. काउण्टर पर विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित आई.ई.सी. सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. लाभार्थियों को चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
3. मरीजों और तीमारदारों द्वारा की गयी शिकायतों का निर्धारित पंजिका पर अभिलेखीकरण करना एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त शिकायत को दूर कराने में सहयोग प्रदान करना।
4. आकस्मिक केसेस एवं मेडिको लीगल केसेस को शीघ्रातिशीर्घ चिकित्सक के पास पहुचाना।
5. प्रतिदिन 10 बाह्य एवं 10 अन्तः रोगियों से फीडबैक फार्म भरवाना एवं उसे हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/एच.एम.आई.एस. ऑपरेटर के कम्प्यूटर/लैपटॉप में अंकित करना।
6. दैनिक रिपोर्टिंग प्रपत्र पर प्रतिदिन अंकन कर प्रबन्धक के माध्यम से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से साझा करना।
7. प्रत्येक सप्ताह एक दिन निश्चित करके शिकायत/सुझाव पेटिका से प्राप्त शिकायतों/सुझावों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराना।
8. चिकित्सालय की समस्यायें यथा– दवाओं का स्टाक न होना, स्टाफ की कमी होना, स्टेशनरी की कमी एवं आवश्यक सामग्री की कमी होने पर इसकी सूचना दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क प्रबन्धक को प्रदान करना।
9. जनपद के सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अन्य किसी स्थान से जिला चिकित्सालय में संदर्भित करने की दशा में ऐसे समस्त स्थानों/एम्बुलेन्सों आदि को चिकित्सालय का सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराया जाना।
10. आगन्तुकों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं (निदान व उपचार इत्यादि) एवं स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
11. चिकित्सालय में उपलब्ध विशेषज्ञ सेवायें, दवायें एवं पैथोलॉजी में की जाने वाली समस्त जांचों की सूची हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रखना। साथ ही जिन स्वास्थ्य केन्द्रों पर लाभार्थी संदर्भित किये जाते हैं उन केन्द्रों का नाम, संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन/मोबाइल नं0 व ईमेल का पूर्ण विवरण एवं जिन स्वास्थ्य केन्द्रों से लाभार्थी संदर्भित होकर आते हैं उनका भी पूर्ण विवरण रखा जाना।
12. चिकित्सा इकाईयों पर हास्पिटल मैनेजर/हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/चिकित्सा इकाई के राजकीय कम्प्यूटर सिस्टम का उपयोग हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा रिपोर्टिंग हेतु किया जायेगा।

नोट–सुनिश्चित किया जाये कि हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर से चिकित्सालय के सामान्य क्रिया–कलापों जैसे मरीजों की पंजीकरण पर्ची बनाना, कम्प्यूटर कार्य में कम्प्यूटर ऑपरेटर की मदद करना अथवा दवाओं का वितरण आदि जैसे कार्य न कराये जायें।

7. अपेक्षित परिणाम सूचक :–

1. रोगियों/परिजनों द्वारा की गयी शिकायतों का ससमय निस्तारण।
2. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सेवाओं जैसे–जननी सुरक्षा योजना, जे.एस.एस.के., कायाकल्प स्कोर, पेशेन्ट सैटिस्फैक्शन स्कोर, National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) आदि की गुणवत्ता में सुधार।
3. स्वास्थ्य सेवा का बेहतर उपयोग–मरीजों की संख्या (अन्तः रोगी एवं बाह्य रोगी) में प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष के सापेक्ष) को अंकित करना एवं हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को के.पी.आई. सम्बंधी डाटा उपलब्ध कराना एवं उसको व्यवस्थित रूप से भरने में सहायता प्रदान करना।

8. वित्तीय प्रबंधन (FMR Code-HSS.6.174.PME.2) :–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में "हेल्प डेस्क" की ऑपरेशनल कॉस्ट हेतु रू0 6000.00 प्रतिमाह प्रति चिकित्सालय की दर से निम्न तालिका अनुसार प्रावधानित है :–

क्र0सं0	मद	विवरण	स्वीकृत धनराशि (प्रतिमाह)
1	टेलीफोन / सी.यू.जी.	रू0 1100– हेल्प डेस्क हेतु टेलीफोन एवं इन्टरनेट रू0 600 प्रतिमाह हेल्प डेस्क कार्मिकों के मोबाइल व्यय हेतु (रू0 300 हेल्प डेस्क प्रबन्धक एवं रू0 300 हेल्प डेस्क ऑपरेटर) **नोट–स्पष्ट करना है कि उपरोक्तानुसार प्रत्येक कार्मिक को मोबाइल व्यय हेतु रू0 300 प्रतिमाह की दर से अर्थात् वर्ष में कुल रू0 3600 देय है। कार्मिक को आवंटित**	1700.00

		सी.यू.जी. या उसके व्यक्तिगत मोबाइल नं. पर किये गये रिचार्ज/ऑनलाइन रिचार्ज के बिल को सम्मिलित किया जाये।	
2	आकस्मिक विविध व्यय	हेल्प डेस्क पर प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित व्यय, शिकायत पेटिका, नोटिस बोर्ड, हेल्प डेस्क फलैक्स (फ्रेम सहित), डस्टबिन आदि में किया जा सकता है।	1300.00
3	स्टेशनरी /अन्य सम्बन्धित मदों	हेल्प डेस्क तथा मेरा अस्पताल हेतु फीडबैक प्रपत्र, मासिक रिपोर्ट, दैनिक, साप्ताहिक व मासिक चेकलिस्ट, सुझाव/शिकायत पंजिका, विजिटर रजिस्टर, पेन–पैड, Printer Cartridge की Refilling, हेल्प डेस्क कार्मिकों का टीए/डीए ,एप्रैन हेतु धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित मदों पर व्यय किया जा सकता है।	3000.00
		कुल	**6000.00**

9. वर्ष 2018 में विस्तारित करने के उपरान्त प्रदेश के चिन्हित 110 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित हेल्प डेस्क हेतु कम्प्यूटर सिस्टम की उपलब्धता (FMR Code-HSS.6.174.PME.3) :–

विदित है कि प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के 50 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र की स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी जिसमें कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराये गये थे। शेष 110 चिकित्सालयों प्रति चिकित्सालय में एक कम्प्यूटर सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। प्रति कम्प्यूटर सिस्टम हेतु अधिकतम बजट की स्वीकृति रू0 50000.00 है। कम्प्यूटर सिस्टम की उपलब्धता जेम पोर्टल के माध्यम से समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये की जानी है। लैपटॉप/डेस्कटॉप के स्पेसिफिकेशन पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

मेरा अस्पतालः–

- हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर एवं ऑपरेटर द्वारा "***मेरा अस्पताल योजना***" में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- नर्सिंग स्टेशन/डिस्चार्ज स्टेशन पर प्रचुर मात्रा में फीडबैक फार्म की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हेल्प डेस्क मैनेजर का दायित्व होगा।
- मेरा अस्पताल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक भर्ती मरीज को डिस्चार्ज करते समय ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स द्वारा फीडबैक फार्म भरवाया जायेगा।
- समस्त भरे गये फीडबैक फार्म दैनिक आधार पर हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा स्टाफ नर्स से प्राप्त कर, साफ्ट कॉपी में चिकित्सा इकाई में उपलब्ध लैपटॉप/डेस्कटॉप पर तैयार कर हॉस्पिटल मैनेजर को दैनिक/साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
- सॉफ्ट कॉपी का विश्लेषण हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा जिससे चिकित्सा इकाई के पेशेन्ट सैटिसफैक्शन स्कोर (पी.एस.एस.) में वृद्धि किये जाने हेतु सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके।
- हेल्प डेस्क ऑपरेटर द्वारा मरीज से फीडबैक फार्म प्राप्त करने के दौरान हेल्प डेस्क काउन्टर पर हेल्प डेस्क मैनेजर द्वारा सेवायें प्रदान की जायेंगी जिससे हेल्प डेस्क की सेवायें सुचारू रूप से संचालित होती रहें।
- मेरा अस्पताल योजना हेतु उपयोग किये जाने वाला भर्ती रोगी फीडबैक फार्म पत्र के साथ संलग्न है।

10. वॉश कार्यक्रमः–

- वॉश कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा इकाई की साफ–सफाई, स्वच्छता, जल व्यवस्था एवं संक्रमण के नियंत्रण से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। वॉश कार्यक्रम की चेकलिस्ट को मासिक रूप से पूर्ण किया जायेगा। यह चेकलिस्ट मासिक रिपोर्ट का हिस्सा होगी जिसे रिर्पोर्टिंग माह की तिथियों के अनुरूप तैयार किया जायेगा। मासिक रिर्पोर्टिंग प्रारूप को सम्बन्धित चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के हस्ताक्षर के उपरान्त हेल्प डेस्क कार्मिकों द्वारा ओ.डी.के. एप/वेब लिंक पर अंकन किया जायेगा।

- हस्ताक्षरित प्रति को कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को राज्य स्तर पर रिपोर्ट डाउनलोड कर ली जायेगी। अंतिम तिथि के उपरान्त ओ.डी.के. एप/वेब लिंक पर रिपोर्ट अंकित करने वाली चिकित्सा इकाई की रिपोर्ट को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- ओ.डी.के. एप/वेब लिंक के उपयोग हेतु हेल्प डेस्क कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

11. मानव संसाधन (हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर):–

1. प्रदेश के 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के कुल 50 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र का संचालन वर्ष 2015 से किया जा रहा था। रोगी सहायता केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत वर्ष 2018 से प्रदेश के समस्त जनपदों के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र को "हेल्प डेस्क" के रूप में विस्तारित करते हुये स्थापित किया गया है।
2. रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत रोगी सहायता केन्द्र प्रबन्धक एवं रोगी सहायता केन्द्र ऑपरेटर का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोगी सहायता केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को Relocate कर "हेल्प डेस्क" पर तैनात किया गया।
4. चिन्हित जिला स्तरीय चिकित्सालयों में स्थापित प्रत्येक "हेल्प डेस्क" पर एक हेल्प डेस्क मैनेजर एवं एक हेल्प डेस्क ऑपरेटर का पद स्वीकृत है।
5. वित्तीय वर्ष 2015–16 में रोगी सहायता केन्द्र प्रबन्धक के लिये रू0 15000 एवं रोगी सहायता केन्द्र ऑपरेटर के लिये रू0 8000 का प्रारम्भिक मानदेय प्रतिमाह स्वीकृत किया गया था।
6. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में हेल्प डेस्क पर कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर का पुनरीक्षित प्रारम्भिक मानदेय रू0 16000 प्रतिमाह एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर का रू0 10000 प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है।
7. वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क मैनेजर हेतु अधिकतम बजट रू0 24220.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा हेल्प डेस्क मैनेजर के रिक्त पदों हेतु रू0 16000.00 प्रतिमाह की दर से एफ.एम.आर. कोड संख्या HSS.9.184.C.S0651 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क मैनेजर्स हेतु 12 माह तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
8. वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा हेल्प डेस्क ऑपरेटर हेतु अधिकतम बजट रू0 12917.00 प्रतिमाह (मानदेय+वार्षिक वेतन वृद्धि+लॉयल्टी/एक्सपीरियन्स बोनस) तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर के रिक्त पदों हेतु रू0 10000.00 प्रतिमाह की दर से एफ.एम.आर. कोड संख्या HSS.9.184.C.S0657 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्यरत हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स हेतु 12 माह तथा रिक्त पदों हेतु 06 माह के लिये मानदेय का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से किया गया है।
9. भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदाकर्मियों के मानदेय में गत वर्ष के सापेक्ष 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह उन्हीं संविदाकर्मियों को देय होगा जिन्होंने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है।

(क) वह संविदा कर्मी जिनका 01 वर्ष का कार्यकाल वर्ष 2022–23 के मध्य में पूर्ण हो रहा है उन्हें 01 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रदान की जाय।

(ख) वह संविदा कर्मी जिनका 01 अप्रैल 2022 को 01 वर्ष या उससे अधिक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके है, उन्हें 01 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाय।

(ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 में संविदा कर्मियों की संतोषजनक परफॉरमेंस के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर 5% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति अधिकृत हैं।

10. भारत सरकार द्वारा कार्यरत संविदाकर्मियों के लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु अनुमति प्रदान की गई है। लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस हेतु केवल वही संविदा कर्मी पात्र होगें जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में निरतंर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो।

i. ऐसे संविदाकर्मी जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 वर्ष पूर्ण करते हैं उन्हें 10 प्रतिशत एवं 05 वर्ष पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत का लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।

ii. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवाकाल का 03 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2022 में निर्गत किये गये वेतन में 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।

iii. जिन संविदा कर्मी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवाकाल का 05 वर्ष पूर्ण किया गया है उनको मार्च, 2022 में निर्गत किये गये वेतन में 05 प्रतिशत (उनको 10 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ पूर्व में भुगतान किया जा चुका है एवं शेष 05 प्रतिशत लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस देय है) लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस प्रदान किया जायेगा।

iv. ऐसी महिला संविदा कर्मी जो मातृत्व अवकाश पर हो एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्षों की सेवा एक ही पद पर पूर्ण की हो । ऐसी महिला संविदा कर्मी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होगीं।

v. ऐसे पुरूष संविदाकर्मी जो पितृत्व अवकाश पर हों एवं वर्ष 2022–23 में निरंतर 03 अथवा 05 वर्ष की सेवा एक ही पद पर पूर्ण कर ली हो, भी लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस के पात्र होगें।

vi. जिन संविदा कर्मियों का 03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह का अवकाश स्वीकृत किया गया है उन संविदा कर्मियों के अवकाश के समय (03 वर्षों में कुल 06 माह तथा 05 वर्षों में कुल 08 माह) को सेवाकाल में आंकलन न किया जाये।

vii. सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को लॉयल्टी/एक्सपीरियंस बोनस का लाभ नहीं दिया जायेगा। किन्तु वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।

11. भारत सरकार द्वारा रू0 15,000.00 प्रतिमाह तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र संविदा कर्मियों हेतु ई0पी0एफ0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2022–23 में प्रदान की गई है। ई0पी0एफ0 का लाभ यदि रु० 15,000.00 प्रति माह या कम मानदेय आहरित करने पर किसी संविदाकर्मी को एक पद पर कार्य करते हुए प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2022–23 में समान पद पर रहते हुये यदि मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह से ज्यादा होता है तो ऐसे संविदा कर्मियों को रू0 15,000.00 प्रतिमाह के मानदेय तक ई0पी0एफ0 का लाभ मिलता रहेगा।
12. हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर को आउटसोर्स किये जाने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को सर्विस चार्जेज की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति को डैप के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।
13. एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये गये हेल्प डेस्क मैनेजर तथा हेल्प डेस्क ऑपरेटर पर कर्मचारी बीमा योजना के प्रावधान लागू किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा रू0 21000.00 प्रतिमाह तक प्राप्त करने वाले कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
14. हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर रिक्त पदों पर तैनाती कार्यालय के पत्र संख्या–पत्रांकः एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए./हेल्प डेस्क/2019–20/10/9771–2 दिनांक 26.02.2020 के अनुरूप किया जाना है ।
15. जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यरत एवं एजेन्सी के माध्यम से आउटसोर्स किये हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर्स पर उपरोक्त के अतिरिक्त, मानव संसाधन सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

12. हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित) का टी.ए./डी.ए. :–

हेल्प डेस्क कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु समय–समय पर क्षमतावर्धन कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है जिसमें उक्त कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कार्यशाला एवं समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु हेल्प डेस्क मैनेजर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को निम्नानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाना है :–

क्रम संख्या	पदनाम	मासिक मानदेय (रू0)	यात्रा भत्ता (वास्तविकता के आधार पर)		परडियम प्रतिदिन (रू0)	ठहरने की व्यवस्था हेतु अधिकतम अनुमन्यता प्रतिदिन (जनपद के बाहर की यात्रा की स्थिति में एवं वास्तविकता के आधार पर रू0)
			रेल मार्ग द्वारा	सड़क मार्ग द्वारा		
1	हेल्प डेस्क मैनेजर (आउटसोर्स सहित)	16000.00	AC III/AC Chair Car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00
2	हेल्प डेस्क ऑपरेटर (आउटसोर्स सहित)	10000.00	AC III/AC Chair car	बस/शेयर टैक्सी	500.00	1000.00

नोटः–

- मण्डल के अन्दर निजी वाहन से यात्रा की स्थिति में रू0 05.00 प्रति किमी0 देय होगा।
- किसी भी स्थान पर कम से कम 08 घण्टे ठहरने पर 01 दिन गिना जायेगा तथा 04 अथवा अधिक घण्टे होने किन्तु 08 घण्टे कम होने पर आधा दिन माना जायेगा। 04 घण्टे से कम यात्रा होने पर कोई भी परडियम देय नहीं होगा।
- मुख्यालय से ट्रेन/बस/टैक्सी के छूटने के निर्धारित समय/तिथि से यात्रा मानी जायेगी तथा मुख्यालय पर वापस आने के बाद के वास्तविक समय पर समाप्त मानी जायेगी।
- टी.ए./डी.ए. का भुगतान हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध ऑपरेशनल कास्ट एफ.एम.आर. कोड संख्या– HSS.6.174.PME.2 में उपलब्ध धनराशि से किया जाना है।

13. मूल्यांकन एवं अनुश्रवणः–

हेल्प डेस्क का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यतः हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाना है। हेल्प डेस्क प्रबंधक प्रतिदिन डेस्क की गतिविधियों से हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अवगत करायेंगे। हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर का दायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट डी.क्यू.ए.यू. को प्रेषित करेंगें। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट द्वारा रिपोर्ट का वैलीडेशन तथा गैप क्लोजर हेतु आवश्यकतानुसार हास्पिटल क्वालिटी मैनेजर को सहयोग प्रदान किया जायेगा। डिवीजनल कंसल्टेंट द्वारा मण्डल के समस्त चिकित्सालयों से प्राप्त मासिक रिपोर्ट का आंकलन किया जाये तथा वे गैप जिनमें राज्य स्तरीय सहयोग दिया जाना अपेक्षित है, का चिन्हिकरण कर राज्य स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग की ई मेल आई डी helpdeskup2019@gmail.com पर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

हेल्प डेस्क से प्राप्त गैप रिपोर्ट आवश्यकतानुसार रोगी कल्याण समिति की बैठक अथवा जिला स्वास्थ्य समिति एवं मण्डलीय अनुश्रवण बैठक में एजेण्डा बिंदु के रूप में प्रस्तुत की जाये। हेल्प डेस्क में किये गये पर्यवेक्षकीय भ्रमण के अंकन के लिए विजिटर पंजिका रखी जाये। मण्डलीय एवं जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा मासिक रिपोर्ट एवं इकाई भ्रमण के उपरान्त चिन्हित किये गये गैप्स के विषय में अवगत कराया जाये तथा उनके समाधान हेतु सुझाव/सहयोग प्रदान किया जाये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई व स्वास्थ्य विभाग अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा हेल्प डेस्क के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया जाये।

14. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. हेल्प डेस्क कार्मिकों को ड्यूटी के दौरान उनकी स्वयं की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार लॉजिस्टिक्स (सैनेटाइजर, मास्क, ग्लब्स, फेसशील्ड इत्यादि) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के स्तर से उपलब्ध कराया जाये।
2. चिकित्सा इकाई के प्रशासनिक अधिकारियों तथा ड्यूटी पर उपलब्ध चिकित्सकों सूची सम्पर्क सूत्र के साथ उपलब्ध रखी जाये।

7.4 लक्ष्य सर्टिफिकेशन कार्यक्रम

'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन कार्यक्रम प्रदेश की समस्त जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी** गुणवत्तापरक सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य वर्ष 2018 से संचालित है, जिससे प्रदेश में व्याप्त उच्च मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाई जा सके।

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' प्रक्रिया–

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु अच्छादित चिकित्सा इकाईयों में तीन चरणों में असेसमेन्ट (इन्टर्नल, स्टेट असेसमेंट एवं एक्सटर्नल असेसमेंट) किया जाता है। उक्त असेसमेंट में प्रत्येक चरण में अर्हता प्राप्त करने हेतु चिकित्सा इकाईयों को 05 मानकों को पूर्ण करना आवश्यक है। विवरण निम्नवत् है :–

Criterion No	Certification Criterion	Aggregate Score (%)
1	Score of each department (LR or MOT) of the health facility	≥ 70%
2	Segregated score in each Area of Concern	≥ 70%
3	Score of Standard B3, E18, E19	≥ 70%
4	Individual Standard wise score	≥ 50%
5	Patient Satisfaction Score	70% or Score of 3.5 on Likert

उक्त मानकों के आधार पर एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त परिणाम निम्नवत घोषित किये जायेंगे।

S. No	No. of Criterion fulfilled in External Assessment	Certification Status Awarded
1	5 out of 5 criterion	Fully Certified
2	4 out of 5 Criterion	Conditionally Certified
3	<4 Criterion met out of 5	Deferred

क्वालिटी सर्कल का गठन–

सर्वप्रथम लक्ष्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित समस्त चिकित्सा इकाईयों की लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ.टी में क्वालिटी सर्किल समूह का गठन अनिवार्य है। उक्त समूह के माध्यम से लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 में लक्ष्य सर्टिफिकेशन संबंधी समस्त कार्यो एवं मानकों का कार्यान्वयन पर्यवेक्षण एवं गैप क्लोजर गतिविधियाँ सम्पादित की जायेगी ताकि मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मे सुधार लाया जा सकें। उक्त समूह के सदस्यों का विवरण निम्नवत है :–

S.No	Quality Circle members	
	LR	MOT
1	Gynaecologist (Nodal)	Anaesthetist (Nodal)
2	Pediatrician	Gynaecologist
3	Hospital Manger/ MH Consultant	Pediatrician
4	Pharmacist	Hospital Manger/ MH Consultant
5	Staff Nurse	Pharmacist
6	Nurse Mentor	Staff Nurse
7	Support and House Keeping staff	MOT technician
8		Support and House Keeping staff

उक्त समूह के सदस्यों द्वारा माह में न्यूनतम एक बार बैठक की जायेगी ।

क्वालिटी सर्किल के कार्य एवं दयित्व

- क्लीनिकल गाइडलाइन्स एवं प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना।
- लेबर रूम तथा मैटरनिटी ओ. टी. का 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन सम्बंधित चेकलिस्ट पर असेसमेंट किया जाना।
- गैप क्लोजर हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऐक्शन–प्लान बनाना तथा ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- भारत सरकार द्वारा प्रेषित लक्ष्य गाइडलाइन में उल्लिखित फैसिलिटी लेवल टारगेट के अनुसार सम्बंधित डेटा बेस तैयार किया जाना।

इन्टर्नल असेसमेंटः–

भारत सरकार द्वारा विकसित 'गुणक' एप में Inbuilt 'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए प्रति वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक असेसमेंट किया जाए। उक्त असेसमेंट डिर्पाटमेन्टल नोडल (स्त्री रोग विशेषज्ञ लेबर रूम में तथा निश्चेतक मेटरनिटी ओ0टी0 में) के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालयों में हॉस्पिटल मैनेजर तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिला मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट तथा संबंधित नर्स मेन्टर की टीम द्वारा किया जाएगा। उक्त त्रैमासिक असेसमेंट की चेकलिस्ट प्रति त्रैमास के आखिरी माह में 25–30 तारीख के मध्य 'गुणक' एप के माध्यम से submit किया जाएगा जिससे राज्य स्तर पर 'गुणक' एप के Dash board पर उक्त असेसमेंट की चेकलिस्ट एवं आख्या प्रस्तुत हो सके। उक्त असेसमेंट मे पाए गए गैप को क्लोज करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने का दायित्व जिला चिकित्सालय स्तर पर हॉस्पिटल मैनेजर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट का होगा।

उक्त कार्ययोजना पर डिर्पाटमेन्टल क्वालिटी सर्किल की मासिक बैठकों में डिर्पाटमेन्टल नोडल की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की जाएगी। जिन गैप को क्लोज करने हेतु जनपदीय स्तर पर हस्ताक्षेप अथवा सहायता की आवश्यकता हो उन गैप को डी0एच0एस0 की बैठकों के ऐजण्डा में सम्मिलित कर उन पर विस्तृत चर्चा तथा कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

चिकित्सा इकाई के लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 को इन्टर्नल असेसमेंट में 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर प तथा उपरोक्त वर्णित 5 मानको में अर्हता प्राप्त करने पर उसे एजेण्डा बिन्दु के रूप में डी0एच0एस0 की कार्यकारी समिति की बैठक में मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उक्त चिकित्सा इकाई का इन्टर्नल स्कोर का डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्यू.ए., द्वारा सत्यापन करने के पश्चात 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन संबंधी राज्य स्तरीय असेसमेंट हेतु क्वालिटी अनुभाग एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा।

स्टेट असेसमेंटः–

मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से जनपदों से इन्टर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने वाले चिकित्सा इकाईयों का राज्य स्तरीय असेसमेंट कराने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने के पश्चात क्वालिटी अनुभाग एस.पी. एम.यू. द्वारा स्टेट असेसमेंट 1 दिवस में किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से क्वालिटी अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा स्कोर की गयी चेकलिस्ट क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल qanhmup2021@gmail.com पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकसित 'गुणक (Gunak) ऐप' का उपयोग करते हुये उक्त स्कोर की प्रविष्टि असेसर्स द्वारा की जायेगी तथा असेसमेंट सम्पादित होने के तीन दिवसो के भीतर उक्त ऐप के माध्यम से Submit की जायेगी।

स्टेट असेसमेंट में **लेबर रूम** अथवा **मेटरनिटी ओ0टी0 में** 70% से कम स्कोर प्राप्त होने पर गैप क्लोजर हेतु एक माह का समय दिया जायेगा। तत्पश्चात गैप क्लोजर करने पर सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से स्कोर रिवैलिडिशन हेतु मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु)/हास्पिटल मैनेजर (जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतु) तथा संबंधित नर्स मेंटर की टीम बनाकर संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट की देख–रेख में कराया जायेगा। मण्डलीय अपर निदेशक को चिकित्सा इकाईयों के रिवैलिडेशन कराये जाने हेतु मिशन निदेशक के पत्र संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./क्यू.ए. /2019–20/03/6842 दिनांक 11.11.19 द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त असेसमेन्ट के उपरान्त उक्त टीम द्वारा प्रेषित स्कोर चेक लिस्ट तथा मानकानुसार समस्त अभिलेखो की सॉफ्ट कापी क्वालिटी अनुभाग एस.पी.एम.यू लखनऊ की ई–मेल **qanhmup2021@gmail.com** पर एक सप्ताह के भीतर प्रेषित की जायेगी। उपरोक्त कार्य हेतु संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट उत्तरदायी होगें।

नेशनल असेसमेंट–

स्टेट असेसमेंट में समस्त मानकों में अर्हता प्राप्त करने पर एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित ऑन–लाईन Odoo पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा। उक्त पोर्टल पर अनुरोध पत्र के अतिरिक्त अन्य अभिलेखों का भी प्रेषण किया जाना आवश्यक है, जिसको उक्त चिकित्सा इकाईयों द्वारा

क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को संबंधित डिवीजनल कंसल्टेंट के सत्यापन के उपरान्त उपलब्ध कराया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

S.No	List of Documents to be submitted in the portal
1	Signed Hospital data sheet
2	Office Order of Quality Circle Formation of LR & MOT
3	Quality Policy & Objectives of LR & MOT
4	LattestLaQshya Assessment Checklist Validated by SQAU (LR and/or MOT)
5	SOP (LR and/or MOT)
6	LaQshya FaciIndicators - As per Annexure 'C' (Last 3 months)
7	OSCE Report of Assessment done in last one year
8	Documents in Respect of Six Rapid Improvement Cycle
9	Last 3 months record of Patient Satisfaction Survey (PSS) & subsequent Action plan of Labour room and Maternity Ward only.
10	Statuatory and Regulatory Compliance
11	Quality Team Formation Order & minutes of last meeting
12	Quality Improvement Manual
13	Policy- Vision, Mission, Values, Strategic Plan & Quality Policy
14	Policy- Condemnation Policy
15	Policy- Antibiotic Policy
16	Policy- Social, culture and religious equality policy
17	Policy- Privacy, dignity and confidentiality policy of patient
18	Policy- Consent Policy
19	Policy- Referral policy
20	Key Performance indicators (last 3 month)
21	Prescription/ Medical Audit Analysis with action taken report
22	Latest State Assessment Report (LR & MOT)
23	Policy- Timely reimbursement of entitlements & compensation policy

भारत सरकार द्वारा प्रेषित नवीन दिशा–निर्देशानुसार चिकित्स इकाईयों के 'लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 विभाग को संयुक्त रूप से लक्ष्य सर्टिफिकेशन हेतु सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है। लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 मे सें मात्र एक अनुभाग के सर्टिफाईड होने की परिस्थिति में सर्टिफिकेशन अस्थायी मान्य होगा तथा अन्य अनुभाग को भी एक साल के भीतर सर्टिफाई कराना अनिवार्य होगा। उक्त की पूर्ति न होने की परिस्थिति में सर्टिफाईड अनुभाग का सर्टिफिकेशन भारत सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

एक्सटर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त करने पर भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार सर्टिफाइर्ड चिकित्सा इकाई को इन्सेंटिव धनराशि प्रदान की जायेगी।

स्टेट सर्विलांस असेसमेंट–

भारत सरकार के नवीन दिशा–निर्देशानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त 'Fully Certified' घोषित चिकित्सा इकाईयों की सर्टिफिकेशन की वैद्यता 03 वर्षो तक मान्य होगी। उक्त सर्टिफिकेशन की वैद्यता के अन्तराल में राज्य स्तर से गठित असेसर्स टीम द्वारा प्रति वर्ष उक्त चिकित्सा इकाई का स्टेट सर्विलांस असेसमेंट किया जायेगा जिसमें अर्हता प्राप्त करना उक्त चिकित्सा इकाई के लिए अनिवार्य होगा। अर्हता प्राप्त न करने स्थिति में उक्त चिकित्सा इकाई/ विभाग का सर्टिफिकेशन रद किया जायेगा एवं इंसेंटिव धनरशि प्रदान नही की जायेगी।

वित्तीय व्यवस्था

असेसमेंट हेतु बजट का प्रावधान–

स्टेट असेसमेंट तथा स्टेट सर्विलांस असेसमेंट –

उक्त **हेतु** राज्य स्तर से टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार राज्य स्तर से एफ.एम.आर.कोड. HSS.6.174.OOC.4 के अन्तर्गत क्वालिटी एश्योंरंस अनुभाग द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

क्रस	विवरण	दर (रूपये में)	असेसर्स की संख्या	दिवस	धनराशि (रूपये में)
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (टैक्सी हायॅरिंग, या रेल किराया वास्तवित	2500.00	2	2	10000.00 (अधिकतम) **यात्रा के दिवसों के अनुसार**
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	2000.00	2	1	4000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00 (अधिकतम)
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	6000.00			6000.00
				कुल योग	**40000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु राज्य स्तर से कराये गये स्टेट असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु स्टेट असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी स्टेट असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

अवगत कराना है कि उक्त असेसमेंट हेतु इम्पैनल्ड असेसर्स को क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग, एस.पी. एम.यू लखनऊ द्वारा नामित किया जाता है। प्रत्येक असेसमेंट के उपरान्त संबंधित टीम के सदस्यों द्वारा नियमानुसार ससमय रिपोर्ट राज्य स्तर से साझा किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट प्रेषण के **'सात दिवसो के भीतर'** संबंधित असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम से संबंधित स्वप्रमाणित बीजक राज्य स्तर को उपलब्ध कराया जाना है। बीजकों के संकलन तथा राज्य स्तर पर प्रेषित करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अत्यन्त आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

- प्रत्येक असेसर्स द्वारा यात्रा भत्ता, लॉजिंग तथा परडियम हेतु **क्लेम–फार्म** में प्रत्येक सूचना भर कर दिनांक सहित हस्ताक्षरित (मोहर के साथ) की जायेगी।
- असेसमेंट हेतु असेसर्स द्वारा टेक्सी परमिट वाहन की बुकिगं तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग की व्यवस्था किये जाने की स्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा दिये गये बीजक में फार्म के जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
- यात्रा हेतु टैक्सी हायर की गयी है तो बीजकों में गाड़ी संख्या, टैक्सी परमिट संख्या, यात्रा का दिनांक, जनपद, चिकित्सालय का नाम तथा यात्रा दूरी की सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है। सभी असेसर्स द्वारा यात्रा विवरण प्रपत्र भरा जाना है।
- यथा सम्भव टीम के सदस्यों द्वारा एक ही टैक्सी वाहन (एक ही जनपद से ड्यूटी लगाये जाने की स्थिति में) का उपयोग किया जाये।
- प्रत्येक असेसर्स द्वारा उनके बैंक खाते की सूचना तथा एफ.ए.एम.एस पोर्टल पंजीकरण सूचना को निर्धारित प्रारूप में भरकर बीजकों के साथ संलग्न की जानी है।
- प्रत्येक असेसमेंट हेतु पृथक **क्लेम–फार्म** भरा जाना है तथा राज्य स्तर से निर्गत संबन्धित पत्र संलग्न किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- विशेष स्थितियों में यदि वाहन अनुबन्ध समय– सीमा समाप्त होने या नवीन अनुबन्ध में बिलम्व अथवा अनुबन्धित सेवा–प्रदाता द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराया जा रहा है, तो वैकल्पिक रूप से केवल पी.एम. एस.सेवा के डाक्टर /मेडिकल कालेज /नियमित स्टाफ द्वारा स्वयं के वाहन अथवा दैनिक आधार पर टैक्सी परमिट वाहन उपयोग करने पर रू.10.00 प्रति कि.मी का उपयोग करके सपोर्टिव सुपरविजन /मेन्टॉरिंग विजिट /एक्सटर्नल असेसमेंट/स्टेट असेसमेंट करने पर गाइडलाइन प्रभावी होने के पश्चात उन्हें भुगतान किया जा सकता है। स्वयं का वाहन उपलब्ध करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट चली गयी दूरी की वास्तविक गणना (प्रारम्भिक एवं अन्तिम रीडिंग का स्पष्ट उल्लेख जोकि अधिकतम 200 किमी0 हेतु मान्य होगा) के आधार पर किया जा सकता है। यह व्यवस्था मात्र वैकल्पिक व्यवस्था होगा, इसे अधिक समय के लिए नियमित प्रक्रिया के रूप में नहीं अपनाया जायें।

*** असेसर्स द्वारा उक्त नियमों का अक्षरशः अनुपालन न करने की स्थिति में नियमानुसार राज्य स्तर से कटौती की जायेगी।**

नेशनल असेसमेंट–

उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा असेसर्स टीम का गठन किया जायेगा। उक्त असेसमेंट में असेसर्स द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित मानकानुसार चिकित्सा इकाईयों द्वारा किया जायेगा। विवरण निम्नवत हैः–

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)					
क्रस	**विवरण**	**दर (रूपये में)**	**असेसर्स की संख्या**	**दिवस**	**धनराशि (रूपये में)**
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	3	42000.00 (अधिकतम)
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	3	24000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	3	6000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	7000.00			7000.00
				कुल योग	**119000.00**

'लक्ष्य' एक्सटर्नल असेसमेंट (केवल लेबर रूम या मैटरनिटी ओ0टी0)					
क्रस	**विवरण**	**दर (रूपये में)**	**असेसर्स की संख्या**	**दिवस**	**धनराशि (रूपये में)**
1	टीम के आवागमन हेतु यात्रा भत्ता (एयर टिकट, टैक्सी हायरिंग, या रेल किराया वास्तवित	20000.00	2		40000.00
2	मानदेय प्रतिदिन प्रति असेसर्स	4000.00 (राजकीय विभाग में कार्यरत् असेसर्स हेतु) या 7000.00 (अन्य संस्थानों में कार्यरत् असेसर्स या रिटायर्ड अधिकारी हेतु)	2	2	28000.00
3	बोर्डिंग लॉजिंग हेतु रू0 4000.00 प्रति असेसर्स) होटल में ठहरने एवं भोजन इत्यादि)	4000.00	2	2	16000.00
4	स्थानीय मोबिलिटी सपोर्ट हेतु	2000.00	1	2	4000.00
5	कंटिनजेंसी / विविध व्यय (डाक्यूमेंटेशन–फोटो / वीडियोग्राफी, फोटोकॉपी, रिपोर्टिंग आदि हेतु)	3000.00			3000.00
				कुल योग	**91000.00**

'लक्ष्य सर्टिफिकेशन' हेतु भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले एक्सटर्नल असेसमेंट में यदि चिकित्सा इकाई का नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु एक्सटर्नल असेसमेंट भी सम्मिलित होता है तो असेसर्स को केवल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन संबंधी एक्सटर्नल असेसमेंट में नियमानुसार दिये जाने वाले मानदेय, यात्रा भत्ता तथा बोर्डिंग एवं लॉजिंग का भुगतान ही मान्य होगा।

चिकित्सा इकाईयों द्वारा किये जाने वाले उक्त भुगतान हेतु संबंधित जनपदों को भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 में एफ.एम.आर. कोड HSS.6.174.00C.4 के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि राज्य स्तर से प्रति जनपद रु0 2.38 लाख की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है।

इंसेंटिव धनराशि हेतु बजट का प्रावधान–

भारत सरकार के मानकानुसार एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त 5 मानको में अर्हता प्राप्त कर 'Full Certification' प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाईयों को निम्न मानदण्डो को प्राप्त करने के उपरान्त इंनसेंटिव धनराशि प्रदान किया जायेगा।

1. लेबर रूम अथवा/एवं मैटरनिटी ओ0टी0 को 'Fully Certified' घोषित होन पर।
2. भारत सरकार द्वारा विकसित 'LaQshya Guideline' में उल्लिखित 'Facility Level Targets' के न्यूनतम 75% सकेतकों की प्राप्ति पर।
3. 80% लाभार्थियों के संतुष्टि एवं अति संतुष्टि प्राप्ति के प्रमाणीकरण पर।

उक्त मानकों की प्राप्ति के प्रमाण राज्य स्तर पर उपलब्ध करने के उपरान्त क्वालिटी एश्योरेंस अनुभाग एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 द्वारा उक्त चिकित्सा इकाईयों को एफ.एम.आर.कोड RCH 1.15.OOC.1 के अन्तर्गत निम्न दरों से इंसेंटिव धनराशि आवंटित की जायेगी। विवरण निम्नवत हैः–

a)- जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु रू0 3.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

b)- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों (FRU) हेतु रू0 2.00 लाख प्रति विभाग (लेबर रूम एवं मैटरनिटी ओ0टी0)

S.No.	Facility Level Target Indicator	S.No.	Facility Level Target Indicator
1	Baseline assessment for LaQshya standards is done	11	80 % of preterm labour cases administered antenatal corticosteroids (ANCS) or 30% reduction from baseline
2	Quality Circle is established in the facility and is functional	12	No of Cases of maternal mortality because of pre- eclampsia, eclampsia & PIH or 25% reduction from baseline
3	% of Labour room and OT staff oriented on LR protocols, RMC & QI (all Dakshata trained staff should be considered as oriented. Otherwise, as the QI cycles are completed)	13	No case of APH/PPH related mortality or at least 25% reduction from baseline
4	90 % of deliveries attended by a birth companion	14	Facility Labour Room is reorganized as per labour room standardization guidelines (Yes/No)
5	90% of deliveries conducted using safe childbirth checklist in labour room Safe Surgery checklist in maternity OT	15	Facility Labour room has staffing as per defined norms in annexure B (Yes/No)
6	90% of deliveries monitored using real-time partograph	16	100% of women administered oxytocin immediately after birth
7	80% of deliveries where breastfeeding was initiated within 1 hour of birth or at least increment of 30% from baseline	17	80% and more osce score or at least increment of 30% from baseline
8	0% of cases of neonatal asphyxia in labour room or 20% reduction from baseline	18	Facility conducted referral audit last month (Yes/No)
9	0%cases of neonatal sepsis in in-born babies or 20% reduction from baseline	19	Facility conducted maternal death, neonatal death and near-miss on monthly basis (Yes/No)
10	5% or less of cases of surgical site infection in maternity OT or 50% reduction from baseline	20	Zero stock outs reported in labour room & Maternity OT (Yes/No)

भारत सरकार के निर्देशानुसार अवार्ड हेतु प्राविधानित धनराशि का 75 प्रतिशत चिकित्सालय के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड, लक्ष्य स्टैण्डर्ड के अंतर्गत चिन्हित गैप क्लोजर, सुदृढ़ीकरण, रख–रखाव,

स्वच्छता व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित किये जाने हेतु उपयोगित किया जायेगा, जिससे चिकित्सालय के स्कोर में वृद्धि हो सके। शेष 25 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (नियमित संविदा एवं आउटसोर्स) के उत्साहवर्धन हेतु इन्सेंटिव के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। अवार्ड विजेता चिकित्सा इकाई को अवार्ड धनराशि में से इंसेन्टिव हेतु स्वीकृत 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग चिकित्सालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों कों कैश अवार्ड, क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण, चिकित्सालय में कर्मचारियों के कार्यस्थल में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक गतिविधियों पर नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त Certification Criteria में उल्लेखित 05 में से मात्र 04 मानको में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को 'Conditionally Certified' घोषित किया जायेगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार इंसेंटिव धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाईयों को सर्टिफिकेशन प्राप्ति की तिथि के 01 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त पुनः सर्टिफिकेशन हेतु भारत सरकार को ऑन–लाईन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।

एक्सटर्नल असेसमेंट के उपरान्त उक्त 05 में से मात्र 03 या उससे कम मानको में अर्हता प्राप्त करने वाली चिकित्सा इकाई को 'Deferred' घोषित किया जायोगा तथा उक्त चिकित्सा इकाईयों को किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन नही प्रदान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त चिकित्सा इकाई को समस्त गैप क्लोजर के उपरान्त असेसमेंट संबंधी तीनों चरणो को पुनः पूर्ण करते हुये एक्सटर्नल असेसमेंट हेतु भारत सरकार से अनुरोध करना होगा ।

क्रिटिकल गैप क्लोजर हेतु बजट का प्रावधान –

सर्टिफिकेशन हेतु चिकित्सा इकाईयों पर किये गए इन्टर्नल असेसमेंट का विशलेषण करने पर कतिपय critical gaps संज्ञान में आए जिनका चिकित्सा इकाईयों पर किसी प्रकार के बजट का प्रावधान न होने के कारण उक्त गैप क्लोजर संभव नही था जिस कारण उक्त चिकित्सा इकाईयों के स्कोर में आवश्यक बढ़ोतरी नही हो पा रही है। उक्त critical gaps में माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास आफ क्रिटिकल एरिया तथा सुरक्षा गार्डो की तैनाती प्रमुख है। उक्त हेतु उक्त दोनों critical gaps को क्लोज करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर.ओ.पी. में धनराशि स्वीकृत की गयी है। विवरण निम्नवत् हैः–

1. **माइक्रोबायोलॉजिकल संर्विलासः**–उक्त प्रक्रिया मुख्यतः मेटरनिटी ओ0टी0 में संभवतः साल में दो बार किया जाना आवश्यक है। साथ ही लेबर रूम में यह प्रक्रिया समय–समय पर आवश्यकतानुसार की जाएगी। माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास मेटरनिटी ओ0टी0 तथा अन्य क्रिटिकल एरिया के संक्रमण दर को मापने की एक प्रभावी प्रक्रिया है।

   उक्त हेतु निम्न स्थानों से सैपल लिया जाना आवश्यक है।
   1. OT table at the head end
   2. OT light
   3. A.C ducts
   4. Instrument & Equipment trolley
   5. 4 walls
   6. Floor preferably below the head and table

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 में एफ.एम.आर.कोड RCH 1.15 SRRE के अन्तर्गत माइक्रोबायेलाजिकल संर्विलास हेतु कुल 100 चिकित्सा इकाईयों को रू 8000.00 प्रति चिकित्सा इकाई की दर से आवंटित की जा रही है।

2. **सुरक्षा गार्ड :–** उच्च प्रसव दर वाली चिकित्सा इकाईयों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती हेतु भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की आर0ओ0पी0 मे एफ.एम.आर.कोड HSS.9.184.C.S0063 के अन्तर्गत कुल 1571 सुरक्षा गार्डो के पद स्वीकृत किये गये है।

उक्त सुरक्षा गार्डो की नियुक्ति जनपद स्तर से जेम पोर्टल पर उपलब्ध सुरक्षा गार्डो की आपूर्ति हेतु Security Manpower Services (Version 2.0) का उपयोग करते हुये निविदा के माध्यम से की जायेगी।

सुरक्षा गार्डो की तैनाती 03 शिफ्टों में आवश्यकतानुसार की जायेगी। साथ ही सुरक्षा गार्ड हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश एवं कार्यदायित्व पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।

लक्ष्य सर्टिफिकेशन हेतु संबंधित कार्मिको के कार्य दायित्वों का विवरण –

'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन समस्त stake holder के सामकेतिक प्रयासो से ही प्राप्त हो सकता। उक्त हेतु प्रत्येक stake holders के कुछ विशिष्ट कार्यदायित्व है जिसका निर्वाहन करना सर्टिफिकेशन प्राप्त करनें हेतु अनिवार्य है तथा उक्त कार्यो हेतु संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगें। विवरण निम्नवत है :–

जिला मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु)/हास्पिटल मैनेजर (जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतु) के कार्यदायित्व –

1. गुणक ऐप के माध्यम से संबंधित नर्स मेन्टर संग त्रैमासिक इन्टर्नल असेसमेंट करना तथा असेसमेंट में पाए गए गैप एवं उक्त हेतु कार्ययोजना तैयार कर क्वालिटी सर्किल एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में प्रस्तुत करना।
2. इंटर्नल असेसमेंट में अर्हता प्राप्त चिकित्सा इकाईयों का राज्य स्तरीय असेसमेंट हेतु अनुरोध मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस से समन्वय स्थापित करते हुए प्रेषित करना।
3. डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस से समन्वय स्थापित कर 'लक्ष्य' सर्टिफिकेशन हेतु आवश्यक अभिलेखन तैयार करना जैसेः– क्वालिटी सर्किल बैठकों का कार्यवृत्त तथा अनुपालन आख्या, outcome indicators, क्वालिटी टूल्स का निमार्ण एवं समस्त स्टॉफ को उक्त हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।
4. राज्य स्तरीय असेसमेंट में असेसर्स टीम के साथ समन्वयन कर भ्रमण करवाना तथा असेसमेंट के उपरान्त पाये गये गैप के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर उक्त गैप क्लोजर हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
5. नेशनल अससमेंट की तिथि निर्धारित होने के पश्चात ऐक्सटर्नल असेसर्स से समन्वय स्थापित कर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस के सहयोग से उक्त असेसर्स के आवागमन होटल में ठहरने एवं Local Travel का प्रबन्धन करना।
6. मातृ स्वास्थ्य कंसल्टेंट द्वारा प्रदेश की समस्त चिन्हित एफ.आर.यू चिकित्सा इकाईयों की क्रियाशीलता, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणो की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त हेतु पाये गये गैप को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठको मे चर्चा हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

मेटरनिटी ओ.टी. टेक्निशियन हेतु कार्य दायित्व :–

1. मेटरनिटी ओ.टी का ससमय माईक्रोबायोलाजिकल सर्विलासं एवं विसंक्रमण, Fogger यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना, औजारों एवं उपकरणो का विसंक्रमण तथा Autoclaving , OT Zoning की उपलब्धता एवं नियमानुसार अनुपालन, OT Linen का रख रखाव एवं विसंक्रमण।
2. Sterlization records का अभिलेखन एवं रख रखाव तथा Autoclaving में केमिकल एवं बायोलॉजिकल Indicator का उपयोग सुनिश्चित करना।
3. मेटरनिटी ओ.टी के समस्त उपकरणों की क्रियाशिलता एवं कैलिबरेशन सुनिश्चित करना तथा equipment breakdown register का रख–रखाव करना।
4. शल्य चिकित्सा से पूर्व मेटरनिटी ओ.टी. तैयार करना तथा साफ सफाई सुनिश्चित करना।

नर्स मेन्टर हेत कार्य दायित्व :–

1. लेबर रूम में एम0एन0एच0 टूल किट के अन्तर्गत वर्णित समस्त प्रोटोकाल पोस्टर तथा 07 delivery tray की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. 6 Rapid improvement Cycle के अनुसार प्रत्येक दो माह मे लेबर रूम में कार्यरत समस्त स्टाफ की OSCE. आधारित योग्यता का मूल्यांकन करना।
3. प्रत्येक प्रसव में पार्टोग्राफ, सेफ बर्थ चेकलिस्ट तथा सेफ सर्जरी चेकलिस्ट का उपयोगा सुनिश्चित करना।
4. Triage Room की उपलब्धता एवं नियमानुसार क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
5. क्रैश कार्ट एवं इमरजेंसी ट्रे में समस्त आवश्यक इमरजेंसी ड्रग की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, रेफरल तथा सीजेरियन ऑडिट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

7. Case sheet एवं लेबर रूम रजिस्ट्रर में नियमानुसार सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करना।
8. समस्त जटिल प्रसव संबंधी क्रियाओं में स्टॉफ नर्स को Mentoring एवं हेण्ड होल्डिंग प्रदान करना।
9. क्वालिटी सर्किल के गठन एवं उनकी नियमित बैठकों के आयोजन में समन्वयन करना।

स्टाफ नर्स हेतु कार्यदायित्व :–

1. लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ.टी में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का दिशा–निर्देशनुसार अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. लेबर रूम तथा शौचालयों की साफ–सफाई की क्लीनिंग चेकलिस्ट के अनुसार सफाई कर्मचारियों के कार्यो का अनुश्रवण करना तथा उक्त चेकलिस्ट में प्रतिदिन प्रविष्टियॉ करना।
3. प्रत्येक प्रसव के पश्चात लेबर टेबल तथा प्रसव में उपयोग होने वाले औजारों की साफ–सफाई तथा विसंक्रमण सुनिश्चित करना ।
4. उपभोज्य वस्तुओं, दवाईयों तथा चादरों के स्टॉक बुक का नियमित अद्यतनीकरण एवं रख–रखाव करना।
5. Blood spill kit एवं Mercury spill kit का रख–रखाव।
6. प्रसव कक्ष रजिस्टर एवं case sheet में नियमानुसार नियमित प्रविष्टियॉ तथा अद्यतनीकरण सुनिश्चित करना।
7. लेबर रूम एवं मेटरनिटी ओ0टी0 में EDL सूची के अनुरूप समस्त औषधियाँ की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा ससमय औषधि भण्डार को इन्डेंट करना।
8. लेबर रूम में डिजिटल क्लॉक एवं डिजिटल थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
9. Baby resuscitation unit की उचित प्रबंधन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।
10. हैड वाशिंग एरिया एवं एल्बो टैप की उपलब्धत सुनिश्चित करना।
11. प्रसव के 1–3 मिनट के भीतर Delayed Cord Clamping सुनिश्चित करना। Premature baby तथा गर्भवती महिला जिसका ब्लड ग्रुप Rh–ve हो उक्त परिस्थिति में Delayed Cord Clamping नहीं किया जाना।
12. नवजात शिशु के जन्म के उपरान्त विटामिन K1 का इंजेक्शन निम्नवत् लगवाना सुनिश्चित करना –
    - नवजात शिशु का वजन 1000 ग्राम से अधिक होने पर 1 mg विटामिन K1 का डोज लगवाना।
    - नवजात शिशु का वजन 1000 ग्राम से कम होने पर 0.5 mg विटामिन K1 का डोज लगवाना।

13. नवजात शिशु के जन्म के तुरन्त बाद नवजात शिशु को माँ के पेट पर उल्टा लेटा कर skin to skin contact कराते हुये स्तन पान 1 घण्टे के भीतर सुनिशचित करना।

8. एच0एम0आई0एस0 / एम0सी0टी0एस0

1. हेल्थ मैनेजमेण्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एच0एम0आई0एस0)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत वर्ष 2009 से एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बंधी सूचनाएं जनपद स्तर पर संकलित करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तत्क्रम में प्रदेश में जनपद स्तर से डाटा की फीडिंग की जा रही थी, भारत सरकार के निर्देशो के क्रम में वर्ष 2012–13 से फैसिलिटी बेस्ड डाटा की फीडिंग ब्लॉक स्तर से समस्त जनपदो द्वारा की जा रही है। उक्त पोर्टल पर स्वास्थ्य सम्बंधी डेटा के उपयोग के लिए मांग में लगातार वृद्धि हुई है, जो सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए उपयोगी सिद्ध हुयी है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओ की गुणवत्ता एवं उपलब्धता, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं के लिये व्यय और समाज के कमजोर वर्गों सहित सम्पूर्ण आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच में स्वास्थ्य सेवाओ के उपयोग हेतु सही निर्णय लेने मे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलू हैं। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों की रैंकिंग एवं महत्वाकांक्षी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुश्रवण हेतु एच.एम.आई.एस. डाटा उपयोगित किया जा रहा है। सतत गुणवत्तापरक डेटा एवं उसके संकेतकों की जानकारी एन0एच0एम0 के उद्देश्यों को पाने मे सहायक होंगे।

प्रमुख उददेश्य

- प्रदेश में मुख्यतः मातृ, शिशु तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओ के संबंध में दी जा रही समस्त गतिविधियो के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदेश के समस्त जनपदो की लगभग 28,000 स्वास्थ्य इकाईयो की माहवार भौतिक प्रगति / सूचना उपलब्ध कराना।
- प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयो की वर्षवार उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराना।

उपयोगिता

- स्वास्थ्य इकाई स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना।
- लाभार्थी को दी गई स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक आंकलन में उपयोगिता।

2. आर0सी0एच0 पोर्टल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माताओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरान्त दी जा रही सेवाओं तथा बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिर्पोर्टिग तथा फॉलोअप हेतु ''आर0सी0एच0 पोर्टल'' तैयार किया गया है। उक्त सिस्टम में प्रदेश के सभी जिलों से मास्टर डाटाबेस व लाभार्थियों की जानकारी अंकित की जा रही है। इस सिस्टम के मुख्य उद्देश्य व उपयोग निम्नानुसार हैंः–

उद्देश्य–

- प्रदेश में माताओं एवं बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लाभार्थी स्तर की जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र करना तथा इसके द्वारा समस्त गर्भवती महिलाओं को कार्यक्रम के निर्धारित समयानुसार प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किया जाना, समस्त बच्चों का पूर्ण–टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना एवं परिवार नियोजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- संपूर्ण सेवा लाभ अवधि में गर्भवती महिला, धात्री माताओं एवं बच्चों का रेगुलर फॉलोअप करना।
- प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की गई सेवाओ एवं शेष सेवाओं सम्बन्धी Workplan/Due list स्वास्थ्य कर्मियों को ससमय उपलब्ध कराना।

उपयोग–

- लाभार्थी को दी गई सेवाओं संबंधी जानकारी की ऑन–लाईन उपलब्धता।
- आशा, ए.एन.एम. व लाभार्थी के दूरभाष एवं अन्य विवरण की ऑन–लाईन उपलब्धता, जिससे कि उनसे सम्पर्क करके दी गई सेवाओं का सत्यापन किया जा सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

- स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता व आशा को आउटरीच सत्र हेतु पूर्व से जानकारी, वर्कप्लान के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा दी गई सेवाओं की जानकारी अद्यतन कराने की सुविधा।
- स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मॉनिटरिंग में सहायता।
- आगामी वर्ष की कार्ययोजना एवं लॉजिस्टिक का आंकलन।

पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट्स का जनपद द्वारा नियमित रूप से उपयोग कर विभिन्न कार्यकमों को क्रियान्वित करने, सेवाओं के सत्यापन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर राज्य को आर0ओ0पी0 के अंतर्गत धनराशि का आवंटन किया जाता है तथा आवंटित धनराशि में कटौती भी पूर्ण प्रतिरक्षण, पूर्ण ए0एन0सी0, पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/डी0एच0 की स्टार रेटिंग एवं एफ0आर0यू0 की क्रियाशीलता के उपलब्ध डाटा के अनुसार कन्डीशनैलिटी के अनुरूप की जाती है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य स्तर से समय–समय पर जारी निर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन किया जाए तथा निश्चित समयावधि पर डाटा की फीडिंग एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर की जाए। एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रमों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु निम्नानुसार स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैः–

1.जनपद स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code HSS.12.194.CB.2

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में प्रत्येक त्रैमास में जनपद स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS / RCH / ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर से 05 तथा ब्लॉक स्तर से 02 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 03 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 495.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

2.ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code HSS.12.194.CB.3

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिमाह ब्लॉक स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS/RCH /ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु ब्लॉक स्तर से 02 तथा प्रत्येक पी.एच.सी. एवं उपकेन्द्र स्तर से 01–01 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 01 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 50.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

3. मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक– FMR Code HSS.12.194.CB.4

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक वर्ष में 02 बार मण्डल स्तर पर आहूत की जानी है, जिसमे HMIS/RCH /ANMOL एवं सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य/मण्डल स्तर से 10 तथा जनपद स्तर से 05 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। सम्बन्धित गतिविधि में 03 दिवसीय प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक हेतु प्रतिभागियों के जलपान एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु कुल रु0 300.00 प्रति प्रतिभागी की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

4. प्रिन्टिग ऑफ आर0सी0एच0 रजिस्टर–FMR Code RCH.1.16.IEC.1

आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अर्न्तगत आरसीएच रजिस्टर प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत उक्त गतिविधि हेतु प्रति रजिस्टर रू0 250.00 की दर से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

5. ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में प्रिन्टिग ऑफ फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान–FMR Code RCH.1.16.IEC.2

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अर्न्तगत फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त

गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार मुद्रित कराया जाना है।

भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक में फालोअप फार्मेट/सर्विस डियू लिस्ट/वर्क प्लान हेतु अधिकतम रू0 3.00 प्रति आशा प्रतिमाह की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लाक स्तर पर व्यय किया जाना है।

6. एच0एम0आई0एस0 कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रिटिंग– FMR Code HSS.12.194.IEC

एच0एम0आई0एस0 फारमेट की प्रिटिंग सम्बन्धी कार्य जनपद स्तर से किया जाना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त गतिविधि के संचालन हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप को जनपद की आवश्यकतानुसार नियमानुसार competitive bidding के माध्यम से मुद्रित कराया जाना है।

उपकेन्द्र, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में 100 प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड एच0एम0आई0एस0 रिर्पोटिंग फॉरमेट हेतु भारत सरकार द्वारा इकाईवार फार्मेट की प्रिटिंग निर्धारित पृष्ठों की संख्या के आधार पर अधिकतम रू0 2.00 प्रति पेज की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त धनराशि का निर्धारित मानक के अनुसार उपयोग जनपद स्तरीय इकाइयों (SC/PHC/CHC/DH) को रिर्पोटिग प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु प्रिंटिंग मद में नियमानुसार किया जाना है।

7. ई–हॉस्पिटल परियोजना क्रियान्वयन – FMR Code HSS.12.194.PME.1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0ओ0पी0 2022–23 में ई–हॉस्पिटल परियोजना के अन्तर्गत 31 जनपदीय चिकित्सालयों में लीज लाइन कनेक्शन, ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि मानकानुसार स्वीकृत की जा चुकी है, जिसे वित्तीय वर्ष 2022–23 में शत–प्रतिशत उपयोगित किया जाना है।

8. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तर के डेटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मानक– FMR Code HSS.12.194.PME.2

एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु ब्लॉक आपरेटर के लिए ब्लॉक के अर्न्तगत आने वाले समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु **टी0ए0/डी0ए0 हेतु प्रति ब्लॉक रू0 300.00** प्रतिमाह की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

उपरोक्तानुसार ऑपरेटर द्वारा प्रति माह सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो में कम मे कम एक विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान आपरेटर को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 हेतु ब्लॉक स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को उप स्वास्थ्य केंदों/प्राथमिक स्वास्थ केंन्द्रो के मैनुअल रिकॉर्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 ट्रैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा रिर्पोटिग सम्बन्धी समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं आर.सी.एच. रजिस्टर/प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिंग करना।
- उक्त ऑपरेटरों द्वारा स्वास्थ्य केंदों में भ्रमण की रिपोर्ट ब्लॉक प्रबन्धक को प्रस्तुत की जायेगी एवं प्रतिलिपि जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा मण्डलीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी को भी प्रेषित करेंगें।

उपर्युक्त मानको के अनुसार ब्लाक डेटा–इंट्री ऑपरेटर के टीए/डीए का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा।

9. डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम हेतु मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के लिए मोबिलिटी सपोर्ट–FMR Code HSS.12.194.PME.4

डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत मानव–संसाधन के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मण्डल स्तर पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी एवं लाभार्थी बेस्ड रिपोर्टिग हेतु डिवीजनल एम0 एण्ड ई0 हब गतिविधि के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर कार्यरत एम0 एण्ड ई0 आफिसर एवं एम0 एण्ड ई0 असिस्टेन्ट के लिए टी.ए./डी.ए./Accommodation हेतु निम्नानुसार अधिकतम दरें स्वीकृत की गयी है–

Sl.	Particular	Divisional M & E Officer	Divisional M & E Assistant	Remarks
a.	**Outside the State**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 2000/-	-	Expected no. of visits in a year – 12
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 1000/-	-	
•	Accommodation per night	Rs 2000/-	-	
b.	**Within the State**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 500/-	Rs 500/-	Expected no. of visits in a year – 09 for M&E Officer and 06 for M&E Assistant
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 700/-	Rs 500/-	
•	Accommodation per night	Rs 1,800/-	Rs 1,200/-	
c.	**Within Allocated Division**			
•	Travelling Allowance (Rail/Bus)	Rs 500/-	Rs 500/-	Max 12 visits for M&E Officer and 06 visits for M&E Assistant per district per year (for Non divisional HQ district)
•	Dearness Allowance (per day)	Rs 700/-	Rs 500/-	

उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा मण्डल के समस्त जनपदों में विजिट सुनिश्चित किया जाना है। विजिट के दौरान सम्बन्धित को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- आर0सी0एच0, एच0एम0आई0एस0 एवं सम्बन्धित गतिविधि हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को जनपदों के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- आर0सी0एच0 एवं एच0एम0आई0एस0 से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल/अन्य रिर्पोटिग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- सम्बन्धित द्वारा जनपदों में भ्रमण की रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्तुत की जाय एवं प्रतिलिपि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक को भी प्रेषित करें।

10. इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन/डाटा कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु मानकों के सम्बन्ध में– FMR Code HSS.12.194.PME.5

इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- State Wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक/जनपद/प्रदेश मुख्यालय को सूचनाएं प्रेषित करने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाना है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

11. एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 कार्यक्रम हेतु ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में अन्य आफिस व्यय– FMR Code HSS.12.194.PME.6

एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत 18 मण्डलीय एम0 एण्ड ई0 हब एवं 470 ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में अन्य ऑफिस व्यय हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से बजट

प्राविधानित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत 18 डिवीजनल एम एण्ड ई हब में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह की दर से एवं 470 ब्लॉक इकाइयों, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 ईसीआरपी–2 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है, में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु अधिकतम रु0 1,500.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। उक्त गतिविधि के अन्तर्गत कम्प्यूटर कन्ज्युमेबिल्स का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाये।

12. ए0एम0सी0 आफ कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस– FMR Code HSS.12.194.PME.7

एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों, जिला चिकित्सालयों एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 हेतु अधिकतम रु0 5000.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है। एम.सी.टी.एस. कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापित 820 कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 एवं 75 डी0पी0एम0यू एवं 18 मण्डलीय एम0एण्ड0ई0 हब के कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख–रखाव) के उपयोग हेतु **(केवल उन्ही जनपदों द्वारा व्यय की जाय, जिनके द्वारा संबंधित कम्प्यूटर की वारण्टी अवधि वित्तीय वर्ष 2022–23 में समाप्त हो रही हो)** एवं एण्टी–वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।

जनपद में आपूर्तित सभी प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार प्रक्रियाएं अपनाते हुए डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाय। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टी वायरस साफ्टवेयर उपलब्ध हो, इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जाय।

13. जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर के मोबिलिटी सपोर्ट–FMR Code HSS.12.194.PME.12

उक्त गतिविधि के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों के ब्लॉक स्तरीय भ्रमण हेतु रू0 200.00 प्रति भ्रमण तथा मण्डल/राज्य स्तरीय भ्रमण हेतु रू0 2000.00 प्रति भ्रमण तथा रू0 50,000 प्रति लैपटॉप की दर के अनुसार आवश्यक धनराशि का प्राविधान किया गया है। विजिट के दौरान सम्बन्धित को निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी–

- एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 एवं अनमोल आदि हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित होने वाले डेटा को जनपदों के मैनुअल रिकार्ड से मिलान एवं पुष्टीकरण करना।
- एच0एम0आई0एस0, आर0सी0एच0 एवं अनमोल आदि से संबधित डेटा की गुणवत्ता का परीक्षण करना। विशेषकर आर0सी0एच0 टैकिंग प्रारूप पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों के फोन नम्बर का अंकन सुनिश्चित करना है।
- ए0एन0एम0 द्वारा अनमोल रिर्पोटिंग सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी संकलित करना एवं प्रारूप भरने में उनकी हैण्ड होल्डिग करना।
- सम्बन्धित द्वारा जनपदों में भ्रमण की रिपोर्ट मण्डलीय अपर निदेशक को प्रस्तुत की जाय एवं प्रतिलिपि मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक को भी प्रेषित करें।

14. टैबलेट डिवाईस के संचालन हेतु इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव– FMR Code RCH.1.16.OOC.2

भारत सरकार द्वारा आरसीएच पोर्टल पर प्रेषित किये जाने हेतु एएनएम के माध्यम से संकलित सूचनाओं को टैबलेट डिवाईस पर उपलब्ध ऐप के माध्यम से सीधे एएनएम द्वारा अंकित/अद्यतन किये जाने के लिए **अनमोल ऐप** विकसित कर उपलब्ध कराई गयी है। एएनएम को टैबलेट डिवाईस उपलब्ध कराई गयी है, जिस पर अनमोल ऐप क्रियाशील कर एएनएम द्वारा लाभार्थियों यथा–योग्य दम्पत्ति, गर्भवती महिला, नवजात एवं प्राप्त कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं यथा एएनसी, टीकाकरण आदि की सूचना अंकित/अद्यतन की जाए, जो स्वतः आरसीएच पोर्टल पर अद्यतन हो जाएगी।

टैबलेट डिवाईस पर इन्टरनेट/डाटा एवं परफारमेन्स बेस्ड इन्सेन्टिव हेतु अधिकतम् धनराशि रु0 300.00 प्रति ए0एन0एम0 प्रति माह की दर से स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जिसे भारत सरकार के मानकों के अनुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाना है।

15. ब्लॉक स्तर पर कार्यरत ब्लाक डाटा–इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय– FMR Code HSS.9.184.C.P351

भारत सरकार के निर्देशानुसार आर0सी0एच0 पोर्टल पर शत्–प्रतिशत फैसिलिटी बेस्ड डाटा इन्ट्री/अपलोडिंग का कार्य किया जाना है। आर0सी0एच0 पोर्टल के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जनपद में ब्लॉक स्तर पर आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स के मानदेय हेतु रू0 15,441.00 प्रतिमाह की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

16. डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग– FMR Code HSS.9.184.C.P352

डाटा एन्ट्री कार्य की आउटसोर्सिंग हेतु अधिकतम रू0 5.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है। डाटा एन्ट्री कार्य आउटसोर्सिंग हेतु चयनित संस्था द्वारा एच0एम0आई0एस0/आर0सी0एच0 एवं अन्य पोर्टल के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाएं शत–प्रतिशत पोर्टल पर दर्ज करने की दशा में इस धनराशि का व्यय डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त जनपद स्तर पर किया जाना है।

17. जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर के स्वीकृत पदों हेतु मानदेय– FMR Code HSS.9.184.C.P265

भारत सरकार द्वारा नवीन गतिविधि के अन्तर्गत चयनित 29 जनपदों में 01–01 जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर के पद स्वीकृत किये गये हैं, उक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की तैनाती राज्य स्तर से की जानी है। जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 30,000.00 प्रतिमाह प्रति जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर की दर से धनराशि प्रावधानित है।

जनपदीय मॉनीटरिंग, इन्फार्मेशन एण्ड इवेल्यूवेशन ऑफिसर एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं जनपद में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे। जनपद स्तर पर सम्बन्धित कार्मिकों की माहवार समीक्षा की जाय।

18. डिवीजनल एम एण्ड ई हब के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का मानदेय– FMR Code HSS.9.184.C.P272 & P273

डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर स्वीकृत डिवीजनल एम एण्ड ई हब कार्मिकों (एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट) हेतु आवश्यक धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है, विवरण निम्नवत् है–

1. डिवीजनल एम एण्ड ई हब ऑफिसर हेतु रू0 52,094.00 प्रतिमाह एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 2,605.00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।
2. अलीगढ़, चित्रकूट (जनपद–बाँदा) एवं मिर्जापुर में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 19,146.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 957.00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।
3. आगरा, प्रयागराज, बरेली, बस्ती, अयोध्या, मेरठ एवं मुरादाबाद में कार्यरत डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के मानदेय हेतु रू0 17,365.00 एवं 5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी अर्थात रू0 868.00 प्रतिमाह हेतु आवश्यक धनराशि।
4. शेष 08 मण्डलीय जनपदों में डिवीजनल एम एण्ड ई असिस्टेण्ट के रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 15,000.00 प्रतिमाह की दर से वित्तीय वर्ष 2022–23 में धनराशि प्रावधानित।

उक्त धनराशि का उपयोग सम्बन्धित कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु मण्डल स्तर पर किया जाना है। मण्डल स्तर पर एम एण्ड ई हब गतिविधि के अन्तर्गत 01–01 एम एण्ड ई ऑफिसर एवं एम एण्ड ई असिस्टेन्ट की तैनाती की गयी है। उक्त कार्मिक एचएमआईएस एवं आरसीएच के अन्तर्गत गतिविधि क्रियान्वयन हेतु एवं पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जा रही सूचनाओं की गुणवत्ता एवं पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे। एम एण्ड ई हब कार्मिक राज्य स्तर पर एच0एम0आई0एस0 एवं आर0सी0एच0 के अन्तर्गत गतिविधियों की कार्ययोजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एवं मण्डलीय जनपदों में गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एवं डेटा आधारित गतिविधि/कार्यों हेतु समन्वय स्थापित करेंगे।

10.बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण, चिकित्सालयों में क्लीनिंग, गार्डेनिंग एवं लॉण्ड्री सेवाएं तथा उपकेन्द्रों की साफ–सफाई

10.1 प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 श्यया् हेतु), ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाएं

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग, ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

प्रदेश के–

1. ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों यथा एम0सी0एच0 विंग (50 एवं 30 श्यया् हेतु), ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं मेडिकल केयर युनिट पर साफ–सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं लाण्ड्री का कार्य जिला स्तर से ही कराया जायेगा।
2. जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मैकेनाइज्ड/मैनुअल क्लीनिंग, वाशिंग तथा गार्डनिंग के कार्य हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

<u>आउटर्सोसिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयनः–</u>

- मुख्य चिकित्साधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के द्वारा श्रम विभाग में पंजीकृत ऐसी सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन कर लें, जिसका चिकित्सालय की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो।
- जनपद स्तर पर सेवाप्रदाता एजेन्सी का स्वतंत्र कार्यालय/कार्यशाला स्थापित हो तथा पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं लाण्ड्री से सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता हो। इस आशय के प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण(नाम, पता, उम्र सहित) टेण्डर के साथ प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी के परिवार एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार की न हो।
- सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

<u>सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ अनुबन्ध में शामिल करने हेतु आवश्यक बिन्दुः–</u>

1. एम्बयूलेटरी एरिया (OPD, Emergency, Lab), प्रोसीजर एरिया, ऑग्जिलरी एरिया, वार्ड, लॉबी, खुली जगह (Kitchen, Pharmacy, Laundry, Admin Office, Garden & Open Area. etc) तथा स्नान गृह व शौचालय की साफ सफाई नियमित रूप से प्रतिदिन की जायेगी।
2. चिकित्सालयों मे शौचालयों की सफाई प्रतिदिन कम से कम 03 बार की जायेगी। शौचालय के दरवाजे पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार मासिक कलेण्डर चस्पा किया जाये जिस पर प्रतिदिन(प्रातः, दोपहर एवं शाम) सफाई करने का समय तथा सफाई कर्मी के हस्ताक्षर अंकित किये जायें।
3. प्रत्येक प्रसव के बाद प्रसव कक्ष की सफाई की जाए, ताकि स्वच्छता की गुणवत्ता की मानिटरिंग सुनिश्चित हो सके।
4. चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
5. सेवा प्रदाता के साथ एम0ओ0यू0 में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यदि सेवा प्रदाता एजेन्सी वांछित सेवाएं 02 महीने के अन्दर प्रदान नहीं करती है तो अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध में गुणवत्तापरक एवं ससमय कार्य न करने पर नियमानुसार पेनाल्टी का भी प्राविधान किया जाये।

6. स्वच्छ वातावरण के अर्न्तगत स्वच्छ चिकित्सालय परिसर, यथास्थान पर कूडादान की व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था इत्यादि आते है।
7. Hospital upkeep (रख–रखाव) के अन्तर्गत एनिमल एवं पेस्ट कन्ट्रोल (एन्टीटरमाइट, रोडेन्ट, इन्सेक्ट कन्ट्रोल, मच्छरों से बचाव हेतु खिडकियों एवं दरवाजों में जाली की व्यवस्था), गार्डनिंग एवं खुली जगह का रख–रखाव तथा रिमूवल ऑफ जंक मटेरियल आते है।
8. सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत Functional Areas की साफ–सफाई उनके जोखिम स्तर (उच्च, मध्यम एवं सामान्य) के अनुरूप नियमानुसार समयावधि में करायी जाये।

वित्तीय व्यवस्था–भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में FMR Code-HSS.6 के अन्तर्गत–

- आउटसोर्सिंग के माध्यम से मेडिकल केयर युनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग(50 एवं 30 शैय्या) एवं ट्रामा सेन्टर की सफाई व्यवस्था, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं धनराशि क्रमशः रू0 11.19 लाख रू0 1720.06 लाख, रू0 193.46 लाख एवं रू0 21.71 लाख (रू0 548.35 प्रति शैय्या प्रति माह की दर से) की धनराशि भी स्वीकृत की गयी है।

➢ स्वीकृत धनराशि का उपयोग चिन्हित चिकित्सालयों मेडिकल केयर युनिट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, एम0सी0एच0 विंग(50 एवं 30 शैय्या) एवं ट्रामा सेन्टर में नियमित साफ–सफाई, रख–रखाव एवं लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार निविदा कराकर सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।

➢ धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।

➢ जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।

➢ मुख्य चिकित्साधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

➢ स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये, जिससे की किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी के कारण भविष्य में होने वाले अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचा जा सकें।

नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–

1. नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य अधीक्षक/प्रत्येक जनपद की क्वालिटी एश्योरेंस टीम (DQAC) के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
2. जिला अधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति एवं विभागीय कार्यक्रम समीक्षा बैठकों में ग्रामीण चिकित्सा इकाईयों में सफाई व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

यदि किसी जनपद में वर्ष 2021–22 में चिकित्सालयों की साफ–सफाई, रख–रखाव तथा लाण्ड्री सेवाओं हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपरोक्तवत् नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया गया है, तो जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त कर अपरिहार्य परिस्थितियों में अगली निविदा होने तक वर्ष 2022–23 हेतु सेवाएं ली जा सकती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10.2 प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

आप अवगत हैं कि प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0, जिला अरबन ब्लॉक स्तर पी0एच0सी0, एम0सी0एच0 विंग तथा ट्रामा सेन्टर पर उत्सर्जित बायो

मेडिकल वेस्ट(उपचार एवं चिकित्सीय जॉच से उत्पन्न होने वाले जैव अपशिष्टों) का एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण किया जा रहा है। प्रदेश के 61 जनपदों हेतु बायो मेडिकल वेस्ट के एकत्रीकरण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन किया जा चुका है एवं शेष 14 जनपदों के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राज्य स्तर से निविदा की जा रही है। उपरोक्त निविदा पूर्ण होने तक इन चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु सेवाओं का कार्य पूर्व की भांति जिला स्तर से किया जायेगा।

उक्त के क्रम में प्रदेश की समस्त चिकित्सा इकाईयों पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैः–

1. भारत सरकार के राजपत्र बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल, 2018 में निहित प्रविधानों के अनुसार नियमो का अनुपालन न करने पर चिकित्सा इकाई के प्रभारी के विरुद्ध जुर्माना व सजा का भी प्राविधान है, जिसके लिये चिकित्सा इकाईयों के प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक चिकित्सा इकाई को प्रश्नगत प्रयोजन हेतु क्षेत्रीय/स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक चिकित्सालय के प्रभारी, चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को नियमानुसार पृथक–पृथक कलर कोडिंग के अनुसार पीला, लाल बैग्स तथा सफेद एवं नीले कन्टेनर/बाक्स में एकत्रित कर कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी द्वारा नियामानुसार निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
4. कन्टेनर पर बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 की अनुसूची–iv, A & B में वर्णित चित्र के अनुसार नामांकन किया जाये।
5. बायो मेडिकल वेस्ट के पृथक्करण, भण्डारण एवं परिवहन के समय शारीरिक सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें।
6. चिकित्सालय में उत्सर्जित हो रहे विभिन्न श्रेणियों के बायो मेडिकल वेस्ट को अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर निस्तारित कराना अनिवार्य होगा।
7. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह एक रजिस्टर तैयार कराये, जिसमें प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले विभिन्न प्रकार के बायो मेडिकल वेस्ट की मात्रा तथा कब और किसके द्वारा कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी पर निस्तारण हेतु भेजा गया, को अंकित किया जाये।
8. प्रत्येक चिकित्सालय प्रभारी का दायित्व होगा कि वह बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 के प्रारूप–4(नियम–13) के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रत्येक वर्ष जून 30 तक या उससे पहले उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करते हुये, रिपोर्ट की एक प्रति इस महानिदेशालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। समस्त स्वास्थ्य इकाईयों द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रदर्शन चिकित्सा इकाई की वेबसाइट पर भी किया जाना अपेक्षित है।
9. चिकित्सा इकाई प्रभारी/नोडल आफिसर प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का डाटा http://bmwmis.uphssp.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. सामान्यतः जनपदों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु दो या तीन कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी कार्यशील है, जिन्हें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है। अतः जनपद हेतु अनुमन्य कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी से निविदा के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
11. प्रत्येक चिकित्सालय सेवाप्रदाता को भुगतान करने से पूर्व जाँच ले कि कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत/सत्यापित है।

चिकित्सालयो के बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर को निविदा के आधार पर अनुबन्धित करने हेतु मार्गदर्शक नियम एवं शर्तेः–

1. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कॉमन ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइडर ही निविदा में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।

2. शहरी क्षेत्र के चिकित्सा इकाईयों हेतु प्रतिदिन शैय्या उपयोगिता दर के आधार पर दरें प्राप्त की जायेगी तथा जो इकाईयाँ नगर निगम/नगर पालिका की सीमा के बाहर स्थित हैं, उन पर उत्सर्जित होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अलग से दरें प्राप्त की जायेंगी।
3. सर्विस प्रोवाइडर को प्रति दिन संबंधित चिकित्सालय परिसर में आकर निर्दिष्ट स्थल से बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु ले जाना होगा। प्रत्येक दशा में बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अन्दर किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
4. सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण से संबंधित समस्त कार्य बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 यथा संशोधित रूल्स, 2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार किये जाने की बाध्यता होगी। उक्त रूल्स का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण विधिक एवं आर्थिक उत्तदायित्व संबंधित सर्विस प्रोवाइडर का होगा।
5. बायो मेडिकल वेस्ट का संग्रहण परिवहन तथा निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक कंज्युमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
6. बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण तथा कंज्यूमेबिल व अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पृथक–पृथक दरें संबंधित निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।
7. निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित अन्य समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता एजेन्सी के चयन में भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा को ध्यान में रखते हुये ही दरों का निर्धारण किया जाये।

<u>उपरोक्त सभी बिन्दुओं का उल्लेख सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध में अवश्य इंगित करें।</u>

जिन जनपदों में केन्द्रीयकृत निविदा नहीं हुई है उनके द्वारा केन्द्रीयकृत निविदा होने तक के लिये अधिकतम रू0 25.00 प्रति शैय्या प्रति दिन से जनपद स्तर पर निविदा करते हुये बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अपेक्षित है।

<u>वित्तीय व्यवस्था–</u>

प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों हेतु एक वर्ष के लिये एफ0एम0आर0 कोड संख्या HSS.6 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 9892.49 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- चिन्हित चिकित्सालयों में नियमित बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- चिकित्सा इकाईयों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के (सर्विसेज एवं कन्ज्यूमेबिल्स) मद में किया जाने वाला भुगतान एन0एच0एम0 द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा सम्बन्धित प्रभारी स्वयं इसके जिम्मेदार होगें।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ को प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार की मंशानुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उनके द्वारा सेवा प्रदाता एजेन्सी का नाम एवं विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जाये।
- यदि उक्त मद में स्टेट बजट अथवा किसी अन्य योजना से कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति अथवा विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये एन0एच0एम0 द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग न करते हुये प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 एवं मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10.3 प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री सेवाएं सुनिश्चित करने सम्बन्धी दिशा निर्देश।

अवगत कराना है कि एन0एच0एम0 योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 191 (जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग–100 बेड) हेतु मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु संलग्न जनपदवार सूची के अनुसार 12 माह के लिये FMR Code-HSS.6 में कुल धनराशि रू0 3520.22 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2022–23 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार किया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में लाण्ड्री सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6 के अन्तर्गत केन्द्रीकृत निविदा के आधार पर चयनित अनुबन्धित 44 जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं 07 एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मशीनीकृत लाण्ड्री तथा शेष जिला स्तरीय चिकित्सालयों/एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) में मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था है।
- जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल लाण्ड्री की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी।
- केन्द्रीयकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड लाण्ड्री की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेंगा।
- जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है उन चिकित्सालय में अधिकतम रू0 500/बेड/माह की दर से मैनुअल लाण्ड्री की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सम्पादन किया जाये।
- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2022–23 में सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- मशीनीकृत लाण्ड्री सेवाओं हेतु चयनित सेवा प्रदाता को चिकित्सालय प्रशासन द्वारा चिकित्सालय परिसर में लाण्ड्री सेवाओं हेतु स्थान चिन्हित कर प्रदान किया जायेगा तथा पानी एवं विद्युत की उपलब्धता भी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा की जायेगी। विद्युत व्यवस्था हेतु चयनित सेवा प्रदाता द्वारा एक सब मीटर स्थापित किया जायेगा तथा चिकित्सालय प्रशासन को प्रत्येक माह के अन्त में चेक के माध्यम से उपयोग की गयी विद्युत का निर्धारित दरों से भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री कार्य हेतु प्रदत्त स्थान को 24X7 साफ–सुथरा रखा जायेगा।
- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- सेवा प्रदाता द्वारा प्रत्येक जिला स्तरीय चिकित्सालय में न्यूनतम एक सुपरवाईजर की व्यवस्था की जायेगी जोकि सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करेगा तथा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।
- सेवा प्रदाता द्वारा मशीनीकृत लाण्ड्री (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु अनुबन्ध में उलेखित शर्तों के अनुरूप समुचित संख्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ प्रशिक्षित कर्मियों (Supervisor, Washerman, Ironman, Pickup & Delivery man) की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कर्मियो के नियुक्ति से पूर्व एवं कार्य के दौरान टीकाकरण की व्यवस्था भी सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- सेवा प्रदाता द्वारा उक्त कर्मियों हेतु निर्धारित यूनीफॉर्म, एप्रन तथा अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों (Protective Gears) को प्रदान किया जायेगा। जिससे सुरक्षात्मक तरीकों का पालन करते हुये मशीनीकृत लाण्ड्री व्यवस्था (एकत्रीकरण, परिवहन, पृथक्कीकरण तथा धुलाई इत्यादि) सुचारू रूप से संचालित किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप चिकित्सालय की कैटगरी (बेड सं0) के आधार पर निम्नतालिकानुसार मशीनीकृत लाण्ड्री उपकरणों की स्थापना एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जायेगी।

Need of set of equipment to cater the linen						
Hospital Category (No. of beds)-		Category A (Upto 150 Beds)	Category B (151-300 Beds)	Category C (301-450 Beds)	Category D (451-600 Beds)	Category E (above 600 Beds)
Particulars	**Capacity**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**	**Required No.**
Washing Machine	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Hydro Extractor	15 Kg	1	0	1	0	1
	30 Kg	0	1	1	2	2
Drying Tumbler	30 Kg	1	0	1	0	1
	60 Kg	0	1	1	2	2
Steam Press	Medium Size	2	3	4	4	5
Steam Generator	9 KW	1	0	0	0	0
	18 KW	0	1	1	2	3
Dry Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Wet Linen Trolley	200 Ltr	4	8	12	15	20
Folding Table		2	3	4	4	5
Racks		4	8	12	15	20
Calendaring Machine		0	0	1	1	1

- सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल का नियमानुसार भुगतान संलग्न साप्ताहिक परफामेंन्स रिवियू (WPR) शीट के प्राप्त प्राप्तांकों के औसत योग के आधार पर निम्नतालिकानुसार किया जायेगा।

Performance Based Payment and Penalities	
WPR Average Score (out of 100)	**Percentage of Payment to be Reimbursed of the Gross Bill Amount**
0-20	No payment
21-40	40%
41-60	60%
61-70	80%
71-80	90%
81-100	100%

- चिकित्सालय में बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित कर प्रतिदिन बेड–शीट, तकिया–कवर बदला जाना सुनिश्चित करें।
- चिकित्सालय में प्रसूता एवं अन्य रोगियो को फ्रेश धुले हुए चादर/तकिया आदि बांसी कागज के लिफाफो में देते हुये रजिस्टर में उपलब्ध कराये गये वस्त्रों की तारीख व समय अंकित कर लाभार्थी के हस्ताक्षर कराए जायें। सभी अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।
- गंदी, दागदार एवं रक्तरंजित बेड–शीट, तकिया–कवर इत्यादि को हटाकर उनका नियमानुसार पृथक्करण एवं निसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित करें।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।

- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन–

- मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
- जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
- जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत/मैनुअल लाण्ड्री व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10.4 प्रदेश के जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत एवं मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवायें सुनिश्चित करने हेतु दिशा निर्देश।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य मशीनीकृत सिस्टम द्वारा कराये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी। प्रदेश सरकार चिकित्सालयो में जनसामान्य को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवाये उपलब्ध कराने के लिये दृढसंकल्प है। गुणवत्तापरक चिकित्सा सेवाओं के लिये चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण आवश्यक है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निविदा के माध्यम से प्रदेश के 180 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य आउटसोर्स से किये जाने हेतु निम्नलिखित सेवाप्रदाताओं को चयनित किया गया–

1. मेसर्स ऑल सर्विसेस ग्लोबल प्रा0 लि0।
2. मेसर्स प्राइम क्लीनिंग सर्विसेज।
3. मेसर्स सन् फैसिल्टी प्रा0 लि0।
4. मेसर्स ए01 फैसिल्टी एण्ड प्रोपटी मैनेजर प्रा0 लि0।
5. मेसर्स एन0 कपूर जनोटरर्स प्रा0 लि0।
6. मेसर्स बिलीव साल्यूशन एण्ड सर्विसेस।
7. मेसर्स सर्विस मास्टर।

उक्त चयनित सेवाप्रदाताओं द्वारा दिनांक 01.01.2022 से अपने क्लस्टर के जिला चिकित्सालयों में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं का कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार मशीने, उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुये प्रारम्भ कर दिया गया है। निविदा शर्तों के अनुसार जिला चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा संबंधित सेवाप्रदाताओं के बीजकों के समयबद्ध भुगतान हेतु पोर्टल सिस्टम विकसित कर क्रियाशील किया जाना प्रक्रियाधीन है। पोर्टल सिस्टम के क्रियाशील होने तक मैनुअली भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी।

जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की मशीनीकृत स्वच्छता के लिये–

(1) Cleaning and gardening schedule.

(2) Indicative equipment, tools and consumables required for mechanized cleaning and gardening.

(3) Responsibilities of service providers

(4) Responsibilities of SIC/CMS/Nodal office

वित्तीय वर्ष 2022–23 में क्लीनिंग एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6 के अन्तर्गत महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अनुबन्धित 180 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की जा रही है तथा शेष 12 जिला स्तरीय चिकित्सालयों में मैनुअल क्लीनिंग की जा रही है।

तत्क्रम में जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु मैनुअल क्लीनिंग की निविदा जिला स्तर से की गयी है उन चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत निविदा पूर्ण होने तक पूर्ववत् नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी। जिन जिला स्तरीय चिकित्सालयों में केन्द्रीयकृत अनुबन्ध नहीं हुआ है। उन चिकित्सालयों में अधिकतम रू0 600/बेड/माह की दर से मैनुअल क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था जिला स्तर से जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा करते हुये जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य का सत्यापन की जाएगी।

वित्तीय व्यवस्था– वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में जिला स्तरीय चिकित्सालयों एवं एम0सी0एच0 विंग (100 शैय्या) हेतु भारत सरकार द्वारा मशीनीकृत साफ–सफाई के लिये कुल धनराशि रू0 9720.18 लाख अनुमोदित की गयी है। प्रदेश के जिला स्तरीय चिकित्सालयों (जिला चिकित्सलय, बाराबंकी, एस0सी0एच0 विंग बाराबंकी, जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी, संयुक्त चिकित्सालय, बाराबंकी, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर, एस0सी0एच0 विंग, सुल्तासनपुर, जिला चिकित्सालय, रायबरेली, एस0सी0एच0 विंग, रायबरेली, जिला महिला चिकित्सालय, उन्नाव, जिला महिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर, मलिक मोहम्मद जायसी जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौरीगंज, अमेठी, जिला महिला चिकित्सालय, रायबरेली एवं जिला चिकित्सालय, उन्नाव) में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग के लिये एजेन्सीयों के चयन हेतु केन्द्रीकृत निविदा प्रक्रियाधीन है। केन्द्रीकृत निविदा के माध्यम से मैकेनाइज्ड क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की व्यवस्था हेतु एजेन्सियों के चयन एवं अनुबन्ध के उपरान्त प्राप्त दरों के आधार पर भुगतान किया जायेंगा। जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था, रख–रखाव एवं गार्डनिंग सेवाओं हेतु संलग्न जनपदवार सूची के अनुसार एफ0एम0आर0 कोड– HSS.6 में जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि रू0 9346.10 लाख अवमुक्त की जा रही है। जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त–

- इस धनराशि का उपयोग वर्ष 2022–23 में सेवाप्रदाता/एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि से किया जाये।
- सेवा प्रदाता द्वारा मासिक बीजक प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष भुगतान अनुबन्ध में सम्मिलित निविदा के सेक्शन–5 एनैक्जर–6 के अनुसार मासिक प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
- कुल प्राप्तांक की गणना साप्ताहिक मानिटरिंग शीट के प्राप्तांको के औसत (कुल 80 मे से) तथा मरीजों से प्राप्त फीडबैक के प्राप्ताकों के औसत (कुल 20 मे से) के योग के आधार पर की जायेगी। (Final score calculation will be based on Average cumulative scores of weekly monitoring sheet(out of 80) and Average cumulative score of patient feedback (out of 20).

प्राप्तांक **/Score (out of 100)**	**Percentage of payment to be reimbursed**
0-10	No payment
11-20	20%
21-40	40%
41-60	60%
61-80	80%
81-90	90%
91-100	100%

- निविदा की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। इस हेतु प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ्स एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) प्राप्त कर लिये जाये।
- स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन0एच0एम0 फाइनेन्सियल मैनुअल के वित्तीय नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जाए। धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी तरह का व्ययावर्तन, Diversion न हो।
- स्टेट बजट अथवा अन्य किसी योजनाओं से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है, तो किसी भी प्रकार की डुप्लीकेसी एवं भविष्य में अनावश्यक विधिक वाद की संभावनाओं से बचने के लिये उक्त कार्य हेतु अन्य किसी योजना से प्राप्त धन का व्यय न किया जाये तथा प्रकरण को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं मिशन एन0एच0एम0, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाये।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय–विवरण प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका के स्तर से मासिक वित्तीय रिपोर्ट में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश तथा एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 में प्रति माह उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोग नियमों की परिधि में सुनिश्चित करें।
- प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका की जिम्मेदारी होगी कि सेवा प्रदाता एजेन्सी की नियमित रिपोर्टिंग एवं अनुश्रवण तथा बीजको का समयबद्ध भुगतान हेतु विभागीय वेबसाइट (पोर्टल सिस्टम) पर प्रदर्शित करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें।
- किसी भी प्रकार के विवाद/मतभिन्नता की अवस्था में अनुबन्ध पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग की सेवाओं के नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का मुख्य दायित्व क्वालिटी एश्योरेंस टीम का होगा। इस कार्य में हॉस्पिटल मैनेजर द्वारा प्रमुखता से सहयोग दिया जायेगा।
2. जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालयों में मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठकों एवं विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठकों में नियमित अनुश्रवण किया जाए।
3. जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चिकित्सालयों की मशीनीकृत क्लीनिंग एवं गार्डनिंग व्यवस्था का अनुश्रवण किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10.5 उपकेन्द्रो की साफ–सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में दिषा–निर्देष।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ की वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार के स्तर से प्रदेष में 25526 उपकेन्द्रों की साफ–सफाई हेतु एफ0एम0आर0 कोड–HSS.6 के अन्तर्गत रू0 500.00 प्रति उपकेन्द्र/माह की दर से एक वर्ष के लिए धनराषि रू0 15,31,56,000/–(रूपया पन्द्रह करोड़ इक्तीस लाख छप्पन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रत्येक उपकेन्द्र की साफ–सफाई हेतु रू0 500.00 प्रतिमाह की धनराशि का समुचित उपयोग पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना है जो कि निम्नवत् हैः–

1. स्वीकृति धनराशि का व्यय अंशकालिक स्वैच्छिक सफाई कर्मी के मानदेय पर किया जायेगा जिसके द्वारा उपकेन्द्र परिसर, कक्ष व शौचालय की प्रतिदिन प्रातः सफाई की जायेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार फर्नीचर, रैक्स, लेबर टेबिल एवं कूड़ेदान आदि की सफाई ए0एन0एम0 के निर्देषानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपकेन्द्र की साफ–सफाई हेतु आवश्यक सामग्री यथा झाड़ू, डस्टर, फिनायल, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर, वाईपर इत्यादि की उपलब्धता सम्बन्धित उपकेन्द्र अनटाइड फंण्ड के मद में उपलब्ध धनराषि से की जायेगी।

3. उपकेन्द्र की साफ–सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित केन्द्र की ए0एन0एम0 का होगा जिसका नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण उस क्षेत्र के सम्बन्धित स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से नियमानुसार सम्बन्धित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के आर0के0एस0 खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से स्थानान्तरित की जायेगी।
5. सम्बन्धित अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सम्बन्धित उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा सत्यापित बाउचर के आधार पर सम्बन्धित सफाई कर्मी के खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। ए0एन0एम0 द्वारा सभी सत्यापित बिल एवं बाउचर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखे जायेंगे।
6. उपरोक्त धनराषि के सदुपयोग का उत्तरदायित्व सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का होगा एवं उनके द्वारा नियमित क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान उपकेन्द्रों की साफ–सफाई की व्यस्था का भी अनुश्रवण किया जायेगा।
7. स्टेट बजट अथवा अन्य किसी भी योजना से यदि उक्त मद में कोई धनराशि प्राप्त होती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा, तथा प्रकरण महानिदेशक परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश के संज्ञान में लाया जायेगा, जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।
8. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता है, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फार फाईनेन्शियल मैनेजमेंट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों व अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों तथा राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमित्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी/जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

आप अवगत हैं कि नियमित टीकाकारण द्वारा शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से अनेकों टीका रोधी बीमारियों (Vaccine Preventable Diesases) को रोका जा सकता है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जानलेवा बीमारियों यथा–तपेदिक, गलाघोंटू, काली खॉसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, हैपेटाइटिस–बी, रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोनिया तथा जैपनीज इन्सेफलाइटिस से बचाव हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को बी0सी0जी0, हैपेटाइटिस–बी, पोलियो, पेन्टावेलेन्ट, रोटा वायरस, एफ0–आई0पी0वी0, मीजिल्स रूबेला, जे0ई0, पी0सी0वी0, डी0पी0टी0 तथा टी0डी0 की वैक्सीन के साथ ही विटामिन 'ए' की खुराक दी जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं का टी0डी0 वैक्सीन से टीकाकरण किया जाता है। नियमित टीकाकारण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराषि के सम्बन्ध में उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में डैप के माध्यम से नवीन एफ0एम0आर0 मदों में जनपदों को धनराशि आवंटित की गई है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाना है–

Planning & M&E

1. **RCH.4.32.PME.1 Consumables for computer including provision for internet access for strengthening RI-** वर्ष 2022–23 में जनपद स्तर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय में स्थित कम्प्यूटर के इन्टरनेट हेतु रू0 1000/– प्रति माह की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। **(Old FMR Code-1.3.2.4)**
2. **RCH.4.32.PME.2 To develop Microplan at sub-centre level-**
   वर्ष 2022–23 में नियमित टीकाकरण की कार्ययोजना हेतु उपकेन्द्र के लिए रू0 100.00 प्रति उपकेन्द्र, की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस धनराशि का उपयोग उपकेन्द्र की कार्ययोजना बनाने एवं उसको अधुनान्त करने हेतु किया जायेगा। **(Old FMR code 16.1.1.6)**
3. **RCH.4.32.PME.3 For consolidation of micro plans at block level**
   वर्ष 2022–23 में माइक्रोप्लान बनाने एवं उसका अधुनान्त करने हेतु ब्लाक स्तर पर प्रति ब्लाक/पी0एच0सी0 हेतु रू0 1000.00 की दर से एवं प्रति जनपद रू0 2000.00 धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग कार्ययोजना बैठक, फार्मेट प्रिन्टिंग तथा माइक्रोप्लान के कम्प्यूटरीकरण हेतु किया जायेगा। **(Old FMR code 16.1.1.7)**
4. **RCH.4.32.PME.5- Quarterly review meetings exclusive for RI at district level with Block MOs, CDPO, and other stake holders-**
   जनपद स्तर पर नियमित टीकाकरण की समीक्षा बैठकों के आयोजन हेतु भारत सरकार की वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में रू0 100.00 प्रति प्रतिभागी बैठक की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(Old FMR Code 16.1.2.1.14)**
5. **RCH.4.32.PME.6 Quarterly review Meetings exclusive for RI at block level**
   प्रत्येक ब्लाक में नियमित टीकाकरण की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हेतु रू0 1000/– प्रति ब्लाक की दर से एवं रू0 500/– प्रति अर्बन प्लानिंग यूनिट की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code 16.1.2.1.15)**
6. **RCH.4.32.PME.7 Mobility support for supervision for District level officers**
   जनपद स्तरीय अधिकारियों के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु भारत सरकार की वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण के लिए 09 जनपदों को रू0 2.00 लाख की दर से, 13 जनपदों को रू0 2.25 लाख की दर से, 36 जनपदों को रू0 2.50 लाख की दर से एवं 17 जनपदों को रू0 3.00 लाख की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जानी है। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो वाहन को दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लिया जा सकता है। उक्त धनराशि में से जनपद/मण्डल स्तरीय रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की मोबिलिटी की धनराषि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन उ0प्र0 के पत्र संख्या 144/एसपीएमयू/ डैप–एचआर/ 2018–19/10398 दिनांक 04.01.2019 में उल्लिखित मानक के अनसुार अनुमन्य है। **(Old FMR Code 16.1.3.3.7)**

IEC & Printing

1- RCH.4.32.IEC.1.A **Any other IEC/BCC activities:** इस मद निम्न गतिविधियों हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है –**(Old FMR Code 11.1.5.1)**

i. **Wall painitng (writing) -(Rs 20/ Sq ft.) (Size 6 x 3 Sq Ft) Rs. 360/- per wall painting**
   - 1 wall painting, per district
   - 12 wall painting, per block (833 block)
   - 1 wall painting, per urban planning unit (472)
   - 1 wall painting, per District level Hospital-163, total

ii. **Banners for RI session at Chhaya VHNDs (6' x 3') @ Rs 15/ Sq Ft for 28043 ANMs.- (per ANM 02 banner)-** नियमित टीकाकरण सत्रों हेतु प्रति ए0एन0एम0 02 बैनर @ रू0 270/–प्रति बैनर की दर से धनराशि स्वीकृत है।

iii. **Banners for Vitamin A Supplimentation Program- (6' x 2') @ Rs 15/ Sq Ft for 28043 ANMs)-** विटामिन ए सम्पूरण कार्यक्रम हेतु प्रति ए0एन0एम0 02 बैनर @ रू0 180/– प्रति बैनर की दर से स्वीकृत है। यह बैनर वर्ष में आयोजित होने वाले विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम के दौरान उपयोग मे लाया जायेगा।

2- RCH.4.32.IEC.3 Printing and dissemination of tally sheets & Monitoring forms etc-

वर्ष 2022–23 में भारत सरकार की आर.ओ.पी में रू0 10/– प्रति लाभार्थी (गर्भवती महिला) की दर से प्रिन्टिंग हेतु धनराषि स्वीकृत की गई है। जिसके अन्तर्गत आषा पेमेन्ट वाउचर, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग प्रपत्र, वी0एच0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 टेलीषीट, ड्यू लिस्ट, कोल्ड चेन प्वाइंट्स पर वैक्सीन वितरण, स्टॉक रजिस्टर, टैम्परेचर लॉग बुक, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, बुलावा पर्ची, ट्रैंकिंग बैग, इम्यूनाइजेषन ट्रेकिंग बुकलेट, विटामिन 'ए' सम्पूरण कार्यक्रम में उपयोग की जाने वाले प्रपत्र जैसे–मॉनिटरिंग फार्मेट, टैली शीट (दो टैली शीट प्रति टीकाकरण सत्र), रिपोर्टिंग प्रपत्र इत्यादि, ओपन वाइल पर मार्किंग हेतु सी0डी0 मार्कर पैन इत्यादि की उपलब्धता करायी जानी है। समस्त सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग नियमानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से टेण्डर/कोटेशन के द्वारा की जाय। मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड (एम0सी0पी0 कार्ड) की प्रिन्टिंग हेतु मातृ–स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मद संख्या RCH.1.2.IEC से धनराषि उपलब्ध करायी गई है। आडिट हेतु समस्त मुद्रित सामग्री के स्टॉक एवं वितरण का लेखा–जोखा अवश्य सुरक्षित रखा जाए।

स्वीकृत धनराशि से जनपद स्तर पर प्रिन्टिंग सामग्री तथा प्रपत्रों का वास्तविक आंकलन करते हुये प्रिन्टिंग करा कर समस्त स्वास्थ्य इकाईयों को उपलब्ध करा दें। इस धनराशि से निम्न सामग्री एवं प्रपत्रों की प्रिन्टिंग करायी जानी हैः–(Old FMR Code **12.1.6.1)**

RCH-4 Other Operating Cost

1 **RCH.4.32.OOC.1 Teeka Express-** जनपद श्रावस्ती हेतु वर्ष 2022–23 में रू0 62.75 लाख की धनराशि टीका एक्सप्रेस के आपरेशनल कास्ट हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। **(Old FMR Code 2.2.6)**

2 **RCH.4.32.OOC.2 Monthly Village Health and Nutrition Days-** वर्ष 2022–23 में इस मद में वी0एच0एन0डी0/यू0एच0एन0डी0 के पर्यवेक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कुल आयोजित सत्रों के 20 प्रतिशत सत्रों के पर्यवेक्षण हेतु रू0 100.00 प्रति सत्र की दर से धनराशि का उपयोग किया जाएगा। छाया वी0/यू0एच0एन0डी0 सत्रों का पर्यवेक्षण वी0एच0एन0डी0 मोबाइल एप के माध्यम से सुनिष्चित किया जाए। **(Old FMR Code 2.3.1.1.2)**

3 **RCH.4.32.OOC.3 Focus on Slum & Underserved areas in urban areas/ alternative vaccinator for slums-**

वर्ष 2022–23 में जिन शहरी क्षेत्रों में ए0एन0एम0 की नियुक्ति नहीं की गई है, उन क्षेत्रों में Hired Vaccinators के माध्यम से टीकाकरण कराया जाना है। शहरी क्षेत्रों में 10,000 की जनसंख्या पर माह में 4 सत्र (2500 की जनसंख्या पर 1 सत्र) आयोजित किये जाने हेतु ए0एन0एम0 द्वारा कराए जाने हेतु धनराशि अनुमोदित है। उन क्षेत्रों हेतु Hired Vaccinators का चयन कर जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन उपरान्त टीकाकरण कार्य कराया जायेगा।

प्रत्येक सत्र हेतु रु0 450/–(वैक्सीनेटर मानदेय रु0 450/– प्रति सत्र) देय होगा। साथ ही रु0 300.00 प्रतिमाह कन्टीजेन्सी हेतु प्रति (10000 की जनसंख्या) पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार रु0 2100/– प्रतिमाह की दर से धनराशि व्यय की जायेगी।**(Old FMR Code 2.3.1.9)-**

नोट–प्रदेश के 38 जनपदों–आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बिजनौर, बदायूं, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हाथरस, जे0पी0 नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, भदोही, शामली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर एवं उन्नाव हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत है।

4 **RCH.4.32.OOC.4 Mobility Support for mobile health team (Mobile Immunization Van)-**

जनपद स्तर पर मोबाइल इम्यूनाइजेशन वाहन की व्यवस्था की जानी है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गॉव स्तर पर यथा दूरस्थ गांव, पुरवे, मजरे, डेरा आदि के जो बच्चे टीकाकरण से वंचित/छूटे जा रहे हैं ऐसे बच्चों को समय से टीकाकरण कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर मोबाइल इम्यूनाइजेशन वाहन (4 पहिया वाहन) की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। वाहन किराए पर लेने की प्रक्रिया ई–टेण्डरिंग के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। वाहनों का भुगतान ई–टेण्डर के माध्यम से चयनित फर्म को निर्धारित धनराशि (अधिकतम सीमा रू0 33000.00 तक) के अनुसार ही किया जाएगा। **(Old FMR Code 2.3.1.10)**

(नोट–12 जनपदों–चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोण्डा, हापुड़, हाथरस, कौषाम्बी, ललितपुर, महोबा, रायबरेली, श्रावस्ती एवं सीतापुर हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।)

5 **RCH.4.32.OOC.5 Alternative Vacccine delivery in Hard to Reach areas -**

वर्ष 2022–23 में कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों (पहाड़ी/जंगली/वन क्षेत्र/बिना पुल वाली नदी के पार वाले क्षेत्र, गैर मोटर बाइक सड़क) एवं अंतिम कोल्ड चेन प्वाइंट से एक घंटे से अधिक समय मे पहुंच इत्यादि वाले दुर्गम क्षेत्र में टीकाकरण सत्र स्थलों पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु भारत सरकार द्वारा 200/–प्रति टीकाकारण सत्र की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(Old FMR Code 14.2.4.1)**

(नोट 9 जनपदों– बुलंदशहर, एटा, गाजियाबाद, हाथरस, जालौन, महोबा, सहारनपुर, भदोही एवं वाराणसी हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं है।)

6 **RCH.4.32.OOC.6 Alternative Vaccine Delivery in other areas-**

वर्ष 2022–23 में जनपदों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण सत्रों में सत्र स्थल पर वैक्सीन पहुंचाने हेतु 90/–प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। **(Old FMR Code 14.2.5)**

7 **RCH.4.32.OOC.7 POL for vaccine delivery from State to district and from district to PHC/CHCs-14.2.6**

वर्ष 2022–23 में राज्य मुख्यालय/रीजनल वैक्सीन डिपो, मण्डल मुख्यालयों से जनपद तथा ब्लाक स्तर पर वैक्सीन वैन से वैक्सीन ले जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 2,00,000/–प्रति जनपद की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। **इस धनराषि का उपयोग पी0ओ0एल0 की व्यवस्था एवं वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सहायक के रूप में आने–जाने वाले व्यक्ति को (पत्र संख्या** 144/एसपीएमयू/ डैप–एचआर/2018–19/10398 दिनांक 04.01.2019) **के अनुसार अनुमन्य भत्ता रू0 300/– की धनराषि प्रतिदिन की दर से किया जाएगा। (Old FMR Code 14.2.6)**

8 **RCH.4.32.OOC.8 Cold chain maintenance-**

वर्ष 2022–23 में प्रत्येक जनपद को रू0 20,000/– प्रति जनपद प्रति वर्ष तथा रू0 1000/– प्रति ब्लाक/कोल्डचेन प्वाइंट्स/अर्बन प्लानिंग यूनिट हेतु कुल 1305 इकाईयों हेतु प्रति वर्ष की दर से एवं 09 एस0वी0एस0 (लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी) हेतु रू0 50,000/– की दर से भारत सरकार द्वारा धनराषि स्वीकृत की गई है। (Old FMR Code **14.2.7)**

9 RCH.4.32.OOC.10 **Funds for Annual maintenance Operations for WIC/WIF at State & Division level**

प्रदेश में स्थापित 53 वाक् इन कूलर/वाक् इन फ्रिजर के **Annual maintenance operation** हेतु राज्य स्तर एवं मण्डलीय स्तर पर रू0 40,000.00 प्रति इकाई की दर से धनराषि भारत सरकार

द्वारा स्वीकृत की गई है। उक्त धनराषि का उपयोग डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 के वार्षिक मेंटीनेंस हेतु नियमानुसार किया जायेगा। **(Old FMR Code 16.1.5.3.16.S22.01)**

10 RCH.4.32.OOC.11**Electricity bill for WIC/WIF at State and Division level-**
राज्य एवं मण्डल में स्थापित 53 वाक–इन कूलर/वाक–इन फ्रीजर (Walk in Cooler / Walk in Freezer) में व्यय होने वाली विद्युत व्यवस्था के बिल भुगतान हेतु रू0 1,50,000.00 प्रति डब्लू0आई0सी0/डब्लू0आई0एफ0 प्रति वर्ष की दर से धनराशि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।**(Old FMR Code 16.1.5.3.16.S22.02)**

11 RCH.4.32.OOC.12 **Funds for POL for generators & operational expenses at divisional vaccine storage and state vaccine store**
मण्डल एवं राज्य स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 2,00,000.00 प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराषि स्वीकृत है। उक्त धनराशि का उपयोग जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी के लिए तथा वैक्सीन को मण्डल से रीजनल डिपो तक लाने हेतु पी0ओ0एल0 मद में उपयोग किया जा सकता है। **(Old FMR Code 16.1.5.3.16.S22.03)**

12 RCH.4.32.OOC.13 **POL for generators and operational Expenses at District level Vaccine Storage points and other cold chain points-**
वर्ष 2022–23 में भारत सरकार की आर0ओ0पी0 में जनपद स्तर पर स्थापित वैक्सीन स्टोर प्वाइंट्स हेतु रू0 1.20 लाख प्रति वैक्सीन स्टोर प्वाइन्ट्स की दर से धनराषि स्वीकृत है। उक्त धनराषि का उपयोग वैक्सीन स्टोरेज प्वाइन्ट्स पर जनरेटर हेतु पी0ओ0एल0 एवं बैटरी हेतु उपयोग किया जा सकता है। **(Old FMR Code 16.1.5.3.16.S22.04)**

13 RCH.4.32.OOC.15 **JE Campaign Operational Cost-2.2.7**
प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण अभियान हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किए जाएंगें। **(Old FMR Code 2.2.7)**

ASHA Incentive

1- RCH.4.32.ASHA.1 **ASHA Incentive under immunization-**
वर्ष 2022–23 में इस मद में 0–1 वर्ष के बच्चों को सभी निर्धारित वैक्सीन लगवाने हेतु आशा को रू0 100/–प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चे की दर से तथा रू0 75/– प्रति बच्चे की दर से दो वर्ष की आयु तक सभी निर्धारित टीका/बूस्टर इत्यादि लगवाने पर एवं रू0 50/– प्रति बच्चे को डी0पी0टी0 बूस्टर–2 (5 से 6 वर्ष की आयु तक) हेतु अतिरिक्त देय होगा। इस मद में कुल रू0 225/– प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। यह मानदेय सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सत्रों हेतु देय है। **(Old FMR Code** 3.1.1.1.3.S01)

2- RCH.4.32.ASHA.2 **Mobilization of children through ASHA or other mobilizers-**

3- वर्ष 2022–23 में आशा/आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र स्थल पर लाभार्थियों को लाकर टीकाकरण कराने हेतु रू0 150/–प्रति टीकाकरण सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code** 3.1.1.1.3.S02.A)

4- RCH.4.32.ASHA.3 **Incentive to Link worker for preparation of due list of children to be Immmunized-**
वर्ष 2022–23 में जिन ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आशा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में ड्यू लिस्ट तैयार किए जाने हेतु आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) द्वारा सत्र आयोजन के पूर्व ड्यू लिस्ट तैयार की जानी है। इस हेतु आर0आई0 मोबिलाइजर (लिंक वर्कर) को रू0 100/–प्रति सत्र की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code** 3.1.1.1.3.S02.B)
(नोट–09 जनपदों–बुलंदशहर, एटा, हरदोई, जौनपुर, झांसी, मऊ, प्रयागराज, रायबरेली एवं संतकबीर नगर हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।)

RCH-4 Capacity Building

(1) RCH.4.32.CB.1 **-Two days Cold chain handlers training at District level for total 94 batches-** इस मद में दो दिवसीय कोल्ड चेन हैण्डलर्स के प्रषिक्षण के 94 बैचों हेतु रू0 42.37 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code**9.2.1.7.1.S01) यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस
प्रतिभागियों हेतु per diem	300/ दिवस	वास्तविक	2
प्रशिक्षकों हेतु honorarium	600/ दिवस	2/वास्तविक	2
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 (वास्तविक देय)	200	वास्तविक	1
भोजन व्यवस्था– तीन बार प्रतिदिन	250/ दिवस	वास्तविक	2
कंटीजेंसी	100/–प्रति प्रतिभागी	वास्तविक	1
इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड/वेन्यू अरेन्जमेण्ट	4000		1

(2) <u>RCH.4.32.CB.2</u> Two days' health workers training for 901 batches @ Rs. 46200 per batch- इस मद में दो दिवसीय हेल्थ वर्कर के प्रशिक्षण के रू0 46200/–प्रति बैच की दर से कुल 901 बैचों हेतु रू0 416.26 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code 9.2.1.7.1.S03)** यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराषि
प्रतिभागियों हेतु per diem	300/दिवस	20	2	रू0 12000
प्रषिक्षकों हेतु honorarium	600/दिवस	4	2	रू0 4800
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 वास्तविक आधार पर	400	20	1	रू0 8000
जिला स्तरीय प्रषिक्षकों हेतु टी0ए0 वास्तविक आधार पर	800	4	1	रू0 3200
भोजन व्यवस्था– तीन बार प्रतिदिन	250	24	2	रू0 12000
कंटीजेंसी	100	20	1	रू0 2000
इंस्टिट्यूषनल ओवर हेड/ वेन्यू अरेन्जमेण्ट				रू0 4200
कुल योग प्रति बैच		**रू0 46200**		

(3) <u>RCH.4.32.CB.3</u> One day data handler training at district level for 1087 participants @ Rs. 500 per participant- इस मद में एक दिवसीय डाटा हैण्डलर्स के प्रषिक्षण के रू0 500/–प्रति प्रतिभागी की दर से कुल 1087 प्रतिभागियों हेतु रू0 5.44 लाख की धनराषि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FMR Code** 9.2.1.7.1.S02)

(4) <u>RCH.4.32.CB.4</u> Three days MO training of 50 batches @ Rs. 99200 per batch- इस मद में तीन दिवसीय मेडिकल ऑफिसर के प्रषिक्षण हेतु रू0 99200/–प्रति बैच की दर से कुल 50 बैचों हेतु रू0 49.60 लाख की धनराषि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रदेश में 11 मंडलीय प्रशिक्षण–आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, कानपुर नगर, मुरादाबाद एवं वाराणसी केन्द्र हैं– उक्त धनराशि डी0एच0एस0 के माध्यम से प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0 को निर्गत की जायेगी तथा सभी आर0एफ0पी0टी0सी0 के प्रधानाचार्य उक्त प्रशिक्षण कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं तथा सभी यह प्रषिक्षण कराना सुनिष्चित करें। मंडल स्तरीय प्रशिक्षकों हेतु टी0ए0 उन्हीं प्रशिक्षकों को देय होगा जो मण्डल के अन्य किसी जनपद से प्रशिक्षण देने हेतु आएंगे। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से आर0एफ0पी0टी0सी0 स्तर पर नये/अप्रशिक्षित चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिये प्रथक से निर्देश दिये जायेगे। **(Old FMR Code**9.2.1.7.1.S04) यह धनराशि निम्न मानकों के अनुसार है–

मद	दर (रू0)	संख्या	कुल दिवस	कुल धनराशि
प्रतिभागियों हेतु per diem	400/ दिवस	20	3	रू0 24000
मंडल स्तरीय प्रषिक्षकों हेतु honorarium	600/ दिवस	4	3	रू0 7200
भोजन व्यवस्था– प्रतिदिन	250	24	3	रू0 18000
कंटीजेंसी	150	20	1	रू0 3000

इंस्टिट्यूशनल ओवर हेड				रू0 6000
प्रतिभागियों हेतु टी0ए0 (वास्तविक आधार पर)	1800	20	1	रू0 36,000
मंडल स्तरीय प्रषिक्षकों हेतु टी0ए0(वास्तविक आधार पर)	2000	1	1	रू0 2000
State observer honorarium	1000	1	1	रू0 1000
State observer Accomodation	2000	1	1	रू0 2000
कुल योग प्रति बैच रू0 99200/–				

RCH-4 Diagnostics

1- RCH.4.32.DI.2 **Red,Black & Yellow bags etc-**
वर्ष 2022–23 में लाल, काले एवं पीले बैग का उपयोग टीकाकरण सत्र पर टीकाकरण वेस्ट को स्वास्थ्य इकाई पर लाने हेतु किया जायेगा। इस मद में लाल, काले एवं पीले रंग की बैग के जनपद स्तर पर क्रय हेतु रू0 3/–प्रति बैग (कुल रू0 09/– प्रति टीकाकरण सत्र) की दर से धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई है। **(Old FMR Code 6.2.1.6.1)**

2. RCH.4.32.DI.3 **-Bleach/Hypochlorite solution/ Twin bucket** : ब्लीचिंग पाउडर तथा पाउडर को प्लास्टिक बाल्टी में घोलने हेतु 2 प्लास्टिक बाल्टी के क्रय के लिए रू0 500/–प्रति पी0एच0सी0/सी0एच0सी0/ब्लाक/अर्बन प्लानिंग यूनिट/कोल्ड चेन प्वाइंट हेतु इस वर्ष 1305 इकाईयों हेतु रू0 6.53 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(Old FRM Code 6.2.1.6.2)**

3. RCH.4.32.DI.4 **Hub cutter**: हब कटर हेतु रू0 1000.00 प्रति कोल्ड चेन प्वाइंट की दर से कुल 1305 इकाईयों (जनपद के समस्त कोल्ड चैन प्वांइट) हेतु हब कटर के धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। **(Old FRM Code 6.2.1.6.2)**

RCH-4 Immunization (Infrastructure - Civil works (I&C)) - SAFTY PITS

RCH.4.32.IC Safety Pits: 5.3.9

स्वास्थ्य इकाई पर टीकाकरण वेस्ट (हब कटर द्वारा काटी गयी निडिल एवं टूटी हुई वायल को विसंक्रमित करने उपरान्त) के लिये Safety pits में डाला जाना है। वर्ष 2021–22 में Safety Pits के निर्माण हेतु रू0 6000/–प्रति पिट की दर से भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति दी गयी है।**(Old FRM Code 5.3.9)**

RCH-4 Pulse polio Campaign (Others including operating costs (OOC))

RCH.4.33.OOC भारत सरकार द्वारा पल्स पोलियो टीकाकरण के चक्रों हेतु धनराषि स्वीकृत की गई है। दिनांक 18 सितम्बर, 2022 से प्रदेष के 50 जनपदों में एस0एन0आई0डी0 पल्स पोलियो अभियान हेतु धनराषि स्वीकृत है। शेष समय–समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार एस0एन0आई0डी0 एवं एन0आई0डी0 अभियान हेतु धनराशि जनपदों को आवंटित/अवमुक्त की जाएगी।

RCH.4.33.OOC-**Environmental Survillance for Polio Virus:** इनवारमेन्टल सर्विलेन्स फॉर पोलियो वायरस हेतु रू0 **10.13 लाख (जनपद–**आगरा, प्रयागराज, जी0बी0 नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर एवं वाराणसी) की धनराशि स्वीकृत की गई है।

India Nepal Border Polio Booth–भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों–महाराजगंज, सिद्धार्थनगर बहराइच, बलरामपुर, खीरी एवं श्रावस्ती के अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर पर पोलियो बूथ गतिविधि आगामी दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक (06 माह) चलाया जाना है। उक्त गतिविधि के लिए धनराषि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

RCH.4.33.CB -Polio Vaccinator Training पल्स पोलियो वैक्सीनेटर प्रशिक्षण हेतु रू0 20/–प्रति वैक्सीनेटर की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस0एन0आई0डी0 एवं एन0आई0डी0 अभियान से पूर्व पोलियो वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण किया जाना है। दिनांक 18 सितम्बर, 2022 से प्रदेश के 50 जनपदों में एस0एन0आई0डी0 पल्स पोलियो अभियान के प्रशिक्षण हेतु धनराशि स्वीकृत है।

Free Drugs Services Initatives

HSS.7.179.DS.1 **Funds for AEFI (Adverse Effect following Immunization) Drug Kit-**

वर्ष 2022–23 में AEFI Drug Kit खरीदने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। AEFI Drug Kit हेतु आवश्यक औषधियां जनपद स्तर पर नियमानुसार अनुबन्ध दरों पर क्रय कर चिकित्साधिकारियों को वितरित की जायेगी। इस मद में रू0 200/–प्रति किट की दर से धनराषि स्वीकृत की गई है। सभी

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे आयोजित होने वाले सत्रों के लिए AEFI Drug Kit उपलब्ध कराना है। **(Old FMR code 6.2.1.2.2.12)**

HSS.9 (HRH) Incentives (Allowanc e, Incentives, staff welfare fund

HSS.9.185.OOC.5 RI Cold chain handlers incentive-

ऐसे कोल्ड चैन हैण्डलर्स, जिनके द्वारा अपने निर्धारित कार्यों के साथ–साथ कोल्ड चैन प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित किए जाते हैं, के लिए तदर्थ रूप से, कोल्ड चैन से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में रू0 2400/–प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु इंसेन्टिव धनराषि स्वीकृत की गई है। **(Old FMR Code 8.4.12.S04)**

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित मानव संसाधन

1- **HSS.9.184.C.S0795 Cold Chain Handlers** नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23की आर0ओ0पी0 में राज्य स्तर पर 04, मण्डल स्तर पर 18 एवं जनपद स्तर पर 75 कोल्ड चेन हैण्डलर्स हेतु कुल 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%),** EPF एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराषि स्वीकृत की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा। **(Old FMR Code - 8.1.16.2.S01)**

2. **HSS.9.184.C.S0796 Techinician/Refrigerator Mechanic-)**
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में 22 टेक्निशियन/रफ्रिजरेटर मैकेनिक मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) हेतु कुल 12 माह के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा। **(Old FMR Code 8.1.16.2.S02**

3- **HSS.9.184.C.S0830 Vaccine Van Driver-**
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में आर0ओ0पी0 में 08 वैक्सीन वैन ड्राइवर मण्डल स्तर (आगरा, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी) पर कुल 12 माह के मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा। **(Old FMR Code 8.1.16.7.S06)**

4- **HSS.9.184.C.S0831 Vaccine Store Keeper-**
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में आर0ओ0पी0 में 09 वैक्सीन स्टोर कीपर मण्डल स्तर (अलीगढ़, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं सहारनपुर) हेतु कुल 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%)** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा। **(Old FMR Code 8.1.16.7.S07)**

5- **HSS.9.184.C.P354 Data Entry Operator-** नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में आर0ओ0पी0 में राज्य स्तर पर 01 डी0ई0ओ0 एवं जनपद स्तर पर 75 डी0ई0ओ0 के 12 माह मानदेय (नियमानुसार **Annual Increment (5%), EPF,** एवं लायलिटी बोनस सहित) के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय का निर्धारण योगदान तिथि के अनुसार किया जाएगा। **(Old FMR Code 16.4.3.1.9.S07)**

वित्तीय वर्ष 2022–23 की भारत सरकार की आर0ओ0पी0 की प्रत्याषा में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण आनगोईंग गतिविधियों में 4 माह हेतु डैप के माध्यम से धनराशि जनपदों को आंवटित कर दी गई थी। अवशेष 8 माह की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा रही हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार व्यय/भुगतान करना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक भुगतान **FAMS Portal** का प्रयोग करते हुए **FAMS Potal** के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किए जाएंगें।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियो के संचालनार्थ भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि रू0 51837.32 लाख के सापेक्ष चार माह (अप्रैल– जुलाई 2022) हेतु धनराशि रू0 10147.28 लाख पूर्व मे जनपदो को आवंटित की जा चुकी है तथा रू0 31436.21 लाख का आवंटन जनपदो मे एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत संचालित गतिविधियो हेतु संलग्न फांट के अनुसार किया गया है। इस वर्ष जनपद स्तर पर आंवटित धनराशि मदवार उपलब्ध करायी जा रही है अतः सम्बन्धित मद में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही धनराशि व्यय की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 मे कुल 710 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 13 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालनार्थ अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है–

FMR Code HSS(U).1.127 – Development and Operationalisation of Health and Wellness Centers_ Urban -- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत HSS(U).1.127 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 4268.77 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).1.127.ASHA.1 (Asha Incentive for Additional range of Services)--** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 1000/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है।

   इस धनराशि का पत्र संख्या– SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा नगरीय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के टीम बेस्ड इंसेंटिव हेतु प्रेषित दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाना है।
2. **HSS(U).1.127.ASHA.2 (Incentive to Asha for CBAC)--** इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 10625 अरबन आशाओं हेतु C-BAC form हेतु रू0 10/– प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से प्रोत्साहन राशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर) पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
3. **HSS(U).1.127.IC.1 (Computer and Printers for UPHC-HWC for IT Support)--** इस मद में नवीन 101 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में आई0टी0 व्यवस्था सृदृढीकरण किये जाने हेतु रु0 0.60 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश(हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर) पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
4. **HSS(U).1.127.IC.2 (Branding and IEC)--** इस मद में नवीन 101 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रुप में ब्रांडिग एवं आई0ई0सी0 सृदृढीकरण किये जाने हेतु रु0 0.40 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश(हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर) पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

5. **HSS(U).1.127.DS (Drug & Consumables)--** इस मद में कुल 710 हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर हेतु Reagent & consumables के क्रय के लिए कुल स्वीकृत धनराशि का 20 प्रतिशत की धनराशि (रू0 130000/– प्रति हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर की दर से) आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये किया जाना है। यदि जनपद को 15वे वित्त आयोग के अन्तर्गत Diagnostic हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तो diagnostic संबंधी व्यय हेतु इस धनराशि का उपयोग नही किया जायेगा।
6. **HSS(U).1.127.OOC.2 (IT Support)--** 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर इन्टरनेट कनेक्टवीटी हेतु 01 वर्ष हेतु रु0 10000/– प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
7. **HSS(U).1.127.OOC.3 (Mobile Recharge)--** इस मद में हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कार्यरत अरबन आशाओं हेतु रु0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश (हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर) पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

8. **HSS(U).1.127.CB.1.A (Training of MO under CPHC)--** इस मद में 101 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात चिकित्साधिकारियो के NCD Module प्रशिक्षण हेतु जनपद लखनऊ को रु0 117660/– प्रति बैच की दर से 04 बैच हेतु रु0 4,70,640.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2020-21/76/1577 दिनांक 9–07–2020 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। जनपदवार चिकित्साधिकारियो का विवरण निम्नानुसार है–

S.N	District Name	New HWC approved in FY 21-22	NCD Training for Full Time MO	
			Target	Batch for MO Training
1	Agra	3	3	4 Batches in Lko
2	Mainpuri	1	1	
3	Aligarh	3	3	
4	Kasganj	1	1	
5	Hathras	1	1	
6	Bareilly	1	1	
7	Shahjahanpur	5	5	
8	Budaun	2	2	
9	Pilibhit	2	2	
10	Jalaun	1	1	
11	Jhansi	2	2	
12	Chitrakoot	1	1	
13	Banda	1	1	
14	AmbedkarNagar	2	2	
15	Barabanki	1	1	
16	Gonda	1	1	
17	Azamgarh	1	1	
18	Mau	1	1	
19	Gorakhpur	1	1	
20	Basti	2	2	
21	Sidharthnagar	1	1	
22	Kanpur Nagar	2	2	
23	Etawah	2	2	
24	Auraiya	1	1	
25	Farrukhabad	3	3	
26	Lucknow	0	0	
27	Kheri	2	2	
28	Hardoi	2	2	
29	Sitapur	4	4	
30	Unnao	2	2	
31	Meerut	2	2	
32	Ghaziabad	10	10	
33	GB Nagar	3	3	
34	Baghpat	1	1	
35	Buland Shahar	2	2	
36	Saharanpur	6	6	
37	Moradabad	4	4	
38	Bijnor	3	3	
39	Rampur	4	4	
40	J P Nagar	1	1	
41	Sambhal	2	2	
42	Mirzapur	2	2	

S.N	District Name	New HWC approved in FY 21-22	NCD Training for Full Time MO	
			Target	Batch for MO Training
43	Sonbhadra	2	2	
44	Varanasi	5	5	
45	Jaunpur	2	2	

9. **HSS(U).1.127.CB.1.B (Training of Staff Nurse under CPHC)--** इस मद में 101 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात स्टाफ नर्स के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रु0 94005/– प्रति बैच की दर से 15 बैच हेतु रु0 14,10,075.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। स्टाफ नर्स प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है–

Sr.	District	No. Of Staff Nurse	Total	Training Center	No. Of
1	Agra	19	40	2 batches in AGRA	2
2	Mainpuri	2			
3	Aligarh	13			
4	Kasganj	3			
5	Hathras	3			
6	Bareilly	2	28	01 Batch in Bareilly	1
7	Shahjahanpur	18			
8	Budaun	4			
9	Pilibhit	4			
10	Gorakhpur	20	26	01 Batch in Gorakhpur	1
11	Basti	4			
12	Sidharthnagar	2			
13	Kanpur Nagar	15	43	02 Batches in Kanpur	2
14	Etawah	4			
15	Auraiya	2			
16	Farrukhabad	6			
17	Jalaun	3			
18	Jhansi	9			
19	Chitrakoot	2			
20	Banda	2			
21	Lucknow		32	2 Batches in Lucknow	2
22	Kheri	5			
23	Hardoi	5			
24	Sitapur	8			
25	Unnao	4			
26	AmbedkarNagar	5			
27	Barabanki	2			
28	Gonda	3			
29	Meerut	7	44	2 batch in Meerut	2
30	Ghaziabad	24			
31	GB Nagar	6			
32	Baghpat	3			
33	Buland Shahar	4			
34	Saharanpur	22	22	01 batch in Saharanpur	1
35	Moradabad	23	48	2 batch in Moradabad	2

Sr.	District	No. Of Staff Nurse	Total	Training Center	No. Of
36	**Bijnor**	7			
37	**Rampur**	10			
38	**J P Nagar**	4			
39	**Sambhal**	4			
40	**Mirzapur**	8		2 Batches in Varanasi	
41	**Sonbhadra**	6			
42	**Varanasi**	28	51		2
43	**Jaunpur**	4			
44	**Azamgarh**	3			
45	**Mau**	2			
		334	**334**		**15**

10. **HSS(U).1.127.CB.2 (Asha Training under UPHC)--** इस मद में NCD Module प्रशिक्षण हेतु शेष आशाओ के रु0 75400/– प्रति बैच की दर से 142 बैच हेतु कुल धनराशि रू0 107.07 लाख आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। जिन जनपदो मे बैच पूर्ण न होने के कारण धनराशि काआवंटन नही है वहां शहरी आशा का प्रशिक्षण ग्रामीण आशाओ के साथ किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है–

Sr. No.	District	No. Of ASHA	No.of Batches	Remarks
1	**Agra**	137	5	
2	**Mainpuri**	24	1	
3	**Firozabad**	34	1	
4	**Aligarh**	84	3	
5	**ETAH**	29	1	
6	**Kasganj**	18		To be done with Rural ASHA
7	**Hathras**	53	2	
8	**Pratapgarh**	46	2	
9	**Prayagraj**	48	2	
10	**Bareilly**	147	5	
11	**Shahjahanpur**	61	2	
12	**Budaun**	121	4	
13	**Pilibhit**	28	1	
14	**Jalaun**	9		To be done with Rural ASHA
15	**Jhansi**	68	2	
16	**Lalitpur**	10		To be done with Rural ASHA
17	**Chitrakoot**	25	1	
18	**Mahoba**	20	1	
19	**Banda**	57	2	
20	**Ayodhya**	64	2	
21	**Amethi**	4		To be done with Rural ASHA
22	**Sultanpur**	12		To be done with Rural ASHA
23	**AmbedkarNagar**	71	2	
24	**Barabanki**	30	1	
25	**Gonda**	71	2	
26	**Bahraich**	60	2	
27	**Shrawasti**	3		To be done with Rural ASHA
28	**Balrampur**	7		To be done with Rural ASHA

Sr. No.	District	No. Of ASHA	No.of Batches	Remarks
29	**Azamgarh**	47	2	
30	**Ballia**	9		To be done with Rural ASHA
31	**Mau**	44	2	
32	**Gorakhpur**	37	1	
33	**Basti**	54	2	
34	**Sidharthnagar**	18		To be done with Rural ASHA
35	**Sant Kabir Nagar**	28	1	
36	**Etawah**	123	4	
37	**Auraiya**	22	1	
38	**Farrukhabad**	14		To be done with Rural ASHA
39	**Lucknow**	157	5	
40	**Kheri**	100	3	
41	**Hardoi**	29	1	
42	**Rai Bareli**	52	2	
43	**Sitapur**	172	6	
44	**Unnao**	105	3	
45	**Meerut**	59	2	
46	**Ghaziabad**	90	3	
47	**GB Nagar**	18		To be done with Rural ASHA
48	**Baghpat**	47	2	
49	**Buland Shahar**	148	5	
50	**Hapur**	54	2	
51	**Saharanpur**	321	11	
52	**Muzaffar Nagar**	140	5	
53	**Moradabad**	68	2	
54	**Bijnor**	81	3	
55	**Rampur**	79	3	
56	**J P Nagar**	61	2	
57	**Sambhal**	137	4	
58	**Mirzapur**	81	3	
59	**Varanasi**	427	14	
60	**Chandauli**	37	1	
61	**Jaunpur**	80	3	
		4280	**142**	

11. **HSS(U).1.127.CB.3 (MPW Training under CPHC)--** इस मद में 101 नवीन स्वीकृत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर तैनात ए0एन0एम0 के NCD Module प्रशिक्षण हेतु रु0 88,005/– प्रति बैच की दर से 21 बैच हेतु कुल धनराशि रू0 18.48 लाख आवंटित की गयी है। इसका व्यय कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/3474 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार जनपद स्तर से किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है–

Sr. No.	District	No. Of ANM	No of Participants	TrainingCenter	No.of Batches
1	**Agra**	33	38	2 batches in Agra	2
2	**Mainpuri**	5			
3	**Aligarh**	17	27	01 Batch in Aligarh	1
4	**Kasganj**	4			
5	**Hathras**	6			

Sr. No.	District	No. Of ANM	No of Participants	TrainingCenter	No.of Batches
6	**Bareilly**	2		02 Batch in Shahjahanpur	
7	**Shahjahanpur**	36	52		2
8	**Budaun**	6			
9	**Pilibhit**	8			
10	**Jalaun**	5		01 Batch in Jhansi	
11	**Jhansi**	18	28		1
12	**Chitrakoot**	5			
13	**Azamgarh**	7	30	01 Batch in Gorakhpur	
14	**Mau**	6			
15	**Gorakhpur**	4			1
16	**Basti**	11			
17	**Sidharthnagar**	2			
18	**Kanpur Nagar**	38	62	02 Batches in Kanpur	2
19	**Etawah**	2			
20	**Auraiya**	5			
21	**Farrukhabad**	17			
22	**Lucknow**		67	3 batches in Lucknow	3
23	**Kheri**	4			
24	**Hardoi**	13			
25	**Sitapur**	19			
26	**Unnao**	5			
27	**AmbedkarNagar**	5			
28	**Gonda**	6			
29	**Meerut**	15			
30	**Baghpat**	5		02 batch in Ghaziabad	
31	**Ghaziabad**	50	63		2
32	**GB Nagar**	8			
33	**Saharanpur**	28	32	01 Batch in Saharanpur	1
34	**Muzaffar Nagar**	4			
35	**Bulandsahar**	16		3 batches in Moradabad	
36	**Moradabad**	23	92		3
37	**Bijnor**	16			
38	**Rampur**	18			
39	**J P Nagar**	5			
40	**Sambhal**	14			
41	**Mirzapur**	13	26	01 Batch in Mirzapur	1
42	**Sonbhadra**	13			
43	**Varanasi**	51	62	02 Batches in Varanasi	2
44	**Jaunpur**	11			
	Total	**579**	**579**		**21**

12. **HSS(U).1.127.IEC.1 (IEC & Wellness Activities)--** 610 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (509 पूर्व से संचालित एवं 101 नवीन स्वीकृत) के रुप में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आई0ई0सी0 एवं वेलनेस गतिविधि हेतु 01 वर्ष हेतु रु0 50000/– प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।

13. **HSS(U).1.127.IEC.2.A (Printing of CBAC Forms)--** इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मे पूर्व स्वीकृत 5613 अरबन आशा हेतु C-BAC form की प्रिटिंग के लिए धनराशि रू0 5/– प्रति C-BAC form for 740 Forms per Urban ASHA की दर से आवंटित की गयी है।
14. **HSS(U).1.127.IEC.2.B (Printing of Family Folder)--** इस मद में NCD screening के लिये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मे शेष 5012 अरबन आशाओं हेतु Family Folder की प्रिटिंग के लिए धनराशि (रू0 10/– प्रति Family Folder for 400 Household per Urban ASHA की दर से) धनराशि आवंटित की गयी है।

क्र0 सं0 13 एवं 14 हेतु उक्त प्रारुप की प्रिंटिग समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक प्रिटिंग के साथ कराया जा सकता है। इस हेतु व्यय विवरण पृथक पृथक रखे जायेगें।

FMR Code HSS(U).2.130 – ASHA- Including ASHA Certification and ASHA benefit - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.130** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 3876.03 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).2.130.ASHA.1 (Routine and Recurrring Incentive to ASHA)--** इस मद में आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति आशा की दर से कुल 10625 अरबन आशाओं को 12 माह तथा नवीन 1864 अरबन आशाओं को 6 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।
2. **HSS(U).2.130.ASHA.2 (Health Promotion Day incentive to ASHA)--** इस मद में रु0 200/– प्रतिमाह प्रति आशा की दर से 10625 आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनरशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0न0/श0आ0–दिशा–निर्देश/ 52/2020–21/ 931–75 दिनांक 26.06.2020 के अनुसार किया जाना है।
3. **HSS(U).2.130.ASHA.3 (PMMVY Incentive to ASHAs)--** इस मद में रु0 100/– प्रति लाभार्थी की दर से 159375 लाभार्थियों हेतु 10625 आशाओं हेतु 12 माह के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश सिफ्सा के द्वारा पृथक से प्रेषित किये जा रहे है।
4. **HSS(U).2.130.CB.2 (Induction Training for ASHAs)--** इस मद रु0 मे 137600/– प्रति बैच की दर सेएवं रु0 100/– प्रति माड्यूल प्रति आशा की दर से वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वीकृत 1864 नवीन शहरी आशाओं के 63 बैच एवं 60 ड्राप आउट आशाओं के 02 बैच के 08 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। इस सम्बन्ध में महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या– प0क0/08–प्रशि0/ अर0आशा0/2016–17/842 दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं। आशाओं के इंडक्शन प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार बैच निर्धारण किया गया है–

Sr. No.	District	New ASHA Approved in FY 2022-23	Training District	No. Of ASHA	No. Of Batch
1	Amroha	36	Amroha	36	1
2	Balrampur	33	Balrampur	46	2
3	Shravasti	13			
4	Bijnor	16	Moradabad	66	2
5	Moradabad	50			
6	Farukhabad	57	Farukhabad	57	2
7	Gonda	28	Gonda	28	1
8	Hamirpur	29	Hamirpur	29	1
9	Hapur	75	Hapur	75	3
10	Kannauj	65	Kannauj	65	2
11	Kanpur Nagar	484	Kanpur Nagar	484	16
12	Lucknow	549	Lucknow	549	18
13	Sitapur	97	Sitapur	97	3
14	Sonebhadra	40	Sonebhadra	40	2
15	Kaushambhi	5	Prayagraj	292	10
16	Prayagraj	287			

Sr. No.	District	New ASHA Approved in FY 2022-23	Training District	No. Of ASHA	No. Of Batch
		1864		**1864**	**63**
Drrop out ASHA					
17	Rampur	26	Rampur	26	1
		1890		**1890**	**64**

5. **HSS(U).2.130.CB.3 (Module 6&7 Training for ASHA)--** इस मद में शहरी आशाओ, के 6 & 7 Module (1st – 4th Round) के प्रशिक्षण हेतु रु0 88200/– प्रति बैच की दर से 416 बैच तथा रू0 100/– प्रति माड्यूल की दर से कुल 12246 माड्यूल हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। 6 & 7 Module के प्रथम 2 चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश महानिदेशक परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्रांक प0क0 13 /सं0नि0न0 /अर0आशा /52 /2019–20/3277–50 दिनांक 30 अक्टूबर 2019 तथा तृतीय चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश कार्यालय पत्रांक SPMU/NUHM/ Guideline/2020-21/47/2684 दिनांक 16–08–2021 के माध्यम से पूर्व मे ही प्रेशित किये जा चुके हैं। चतुर्थ चरण के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे है। चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण कम्यूनिटी प्रोसेस अनुभाग द्वारा तृतीय राउंड प्रशिक्षित जनपद स्तरीय प्रशिक्षको के माध्यम से ही कराया जायेगा।
6. **HSS(U).2.130.OOC (Award for ASHA for every cluster of 150 ASHA)--** अरबन आशाओं द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों हेतु ASHA Award के लिये धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश शहरी आशा दिशानिर्देश के अन्तर्गत पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।
7. **HSS(U).2.130.DS.1 (Drug Kit for New ASHAs)--** इस मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 मे स्वीकृत 2022 आशाओ तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 मे स्वीकृत 1864 नवीन स्वीकृत आशाओ हेतु रु0 750/– प्रति आशा प्रति आशा ड्रग किट की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि के व्यय हेतु दिशा निर्देश शहरी आशा दिशानिर्देश के अन्तर्गत पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं। ड्रग लिस्ट हेतु जनपदवार आशा का विवरण निम्नानुसार है–

Sr. No.	District	U-ASHA Approved 2021-22	Additional ASHA approved in 2022-23	Total ASHA for Drug Kits
1	Ambedkarnagar	38		38
2	Auraiya	22		22
3	Ayodhya	45		45
4	Azamgarh	31		31
5	Baghpat	64		64
6	Bahraich	50		50
7	Balrampur		33	33
8	Banda	25		25
9	Barabanki	17		17
10	Bareilly	73		73
11	Bijnor	85	16	101
12	Budaun	79		79
13	Bulandshahr	71		71
14	Chandauli	37		37
15	Chitrakoot	14		14
16	Etah	10		10
17	Etawah	50		50
18	Farrukhabad		57	57
19	Gonda	30	28	58
20	Hamirpur		29	29
21	Hapur	66	75	141
22	Hathras	34		34
23	Jaunpur	58		58
24	Amroha	31	36	67
25	Kannauj		65	65
26	Kanpur Nagar		484	484

Sr. No.	District	U-ASHA Approved 2021-22	Additional ASHA approved in 2022-23	Total ASHA for Drug Kits
27	Kasganj	12		12
28	Kaushambi		5	5
29	Kushinagar	13		13
30	Kheri	110		110
31	Lucknow		549	549
32	Mahoba	14		14
33	Mirzapur	68		68
34	Moradabad	50	50	100
35	Muzaffarnagar	177		177
36	Pratapgarh	36		36
37	Prayagraj		287	287
38	RaeBareli	32		32
39	Rampur	25		25
40	Saharanpur	217		217
41	Sambhal	99		99
42	Sant Kabir Nagar	18		18
43	Bhadohi	34		34
44	Shrawasti		13	13
45	Sitapur	94	97	191
46	Sonbhadra		40	40
47	Sultanpur	5		5
48	Unnao	63		63
49	Varanasi	25		25
	Total	**2022**	**1864**	**3886**

8. **HSS(U).2.130.DS.2 (HBNC Kit for ASHAs)--** इस मद में माड्यूल 6–7 के प्रथम चरण हेतु शेष कुल 4411 आशाओं हेतु रु0 1000/– प्रति आशा प्रति **HBNC** किट की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0न0/अर0आशा0/52/ 2019–20/3277–50 दिनांक 30.10.2019 के अनुसार किया जाना है।

9. **HSS(U).2.130.IEC.1 (ASHA Uniform)--** इस मद में 10625 अरबन आशाओं के यूनिफार्म हेतु रु0 1000/– 2 सेट यूनिफार्म प्रति आशा हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

10. **HSS(U).2.130.IEC.2 (UHIR and Voucher)--** इस मद में प्रिंटिग हेतु रू0 325/– प्रति Urban ASHA की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें Urban ASHA register (Rs. 300/- प्रति रजिस्टर) & Urban ASHA Voucher (Rs. 25/- प्रति वाउचर) हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय इस कार्यालय के पत्र संख्या – SPMU/NUHM/IEC/2020-21/24/6709 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाना है।

FMR Code HSS(U).2.131- MAS (MAS Orientation, State Level ToT and MAS Register Printing)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.131** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि 78.41 लाख रु0 जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

11. **HSS(U).2.131.CB.1 (MAS Orientation)--** इस वर्ष में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2022 नवीन स्वीकृत महिला आरोग्य समिति के प्रशिक्षण हेतु रु0 43300/– प्रति बैच की दर से 132 बैच हेतु हेतु धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0न0/ म0आ0स0/128/2017–18/4235–35 दिनांक 14.09.2017 के के अनुसार किया जाना है। महिला आरोग्य समिति के ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण हेतु बैच का विवरण निम्नानुसार है–

MAS Training Batches 2022-23

Sr. No	District	U-ASHA Approved 2021-22	No. of Participants (2 per MAS)	Training Site	No. of Batches	Batch Cost @ Rs 43300/- per Batch
1	Ambedkarnagar	38	76	Ambedkar Nagar	3	129900
2	Sultanpur	5	10			
3	Auraiya	22	44	Auraiya	2	86600
4	Ayodhya	45	90	Ayodhya	3	129900
5	Azamgarh	31	62	Azamgarh	2	86600
6	Baghpat	64	128	Baghpat	4	173200
7	Bahraich	50	100	Bahraich	3	129900
8	Banda	25	50	Banda	2	86600
9	Barabanki	17	34	Barabanki	1	43300
10	Bareilly	73	146	Bareilly	5	216500
11	Bijnor	85	170	Bijnor	6	259800
12	Budaun	79	158	Budaun	5	216500
13	Bulandshahar	71	142	Bulandshahar	5	216500
14	Chandauli	37	74	Chandauli	3	129900
15	Chitrakoot	14	28	Chitrakoot	1	43300
16	Etah	10	20	Etah	1	43300
17	Etawah	50	100	Etawah	3	129900
18	Gonda	30	60	Gonda	2	86600
19	Hapur	66	132	Hapur	4	173200
20	Hathras	34	68	Hathras	2	86600
21	Jaunpur	58	116	Jaunpur	4	173200
22	Jyoti Phule Nagar	31	62	Jyoti Phule Nagar	2	86600
23	Kasganj	12	24	Kasganj	1	43300
24	Kushinagar	13	26	Kushinagar	1	43300
25	Kheri	110	220	Kheri	7	303100
26	Mahoba	14	28	Mahoba	1	43300
27	Mirzapur	68	136	Mirzapur	4	173200
28	Moradabad	50	100	Moradabad	3	129900
29	Muzaffarnagar	177	354	Muzaffarnagar	9	389700
30	Pratapgarh	36	72	Pratapgarh	2	86600
31	Rae Bareli	32	64	Rae Bareli	2	86600
32	Rampur	25	50	Rampur	2	86600
33	Saharanpur	217	434	Saharanpur	15	649500
34	Sambhal	99	198	Sambhal	7	303100
35	Sant Kabir Nagar	18	36	Sant Kabir Nagar	1	43300
36	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	34	68	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	2	86600
37	Sitapur	94	188	Sitapur	6	259800
38	Unnao	63	126	Unnao	4	173200
39	Varanasi	25	50	Varanasi	2	86600
	Total	**2022**	**4044**		**132**	**5715600**

1. **HSS(U).2.131.IEC.1 (Printing of MAS Register)--** इस मद में MAS Register हेतु रु0 200/– प्रति रजिस्टर प्रति महिला आरोग्य समिति की दर से 10625 महिला आरोग्य समिति हेतु धनराशि धनराशि आवंटित की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रचलित VHSNC रजिस्टर की भांति महिला आरोग्य समिति के रजिस्टर का मुद्रण निम्न स्पेशिफिकेशन के अनुसार किया जाना है–

क0स0	विवरण	साईज	जी0एस0एम0	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगो मे	4 पृष्ठ
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ –2 स्टेप्ल्ड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग मे	196

रजिस्टर का प्रोटोटाईप व ready to print file पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

FMR Code HSS(U).2.134- Outreach activity (ANM Mobility, UHND, Outreach camp) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).2.134** के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के रू0 836.02 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).2.134.OOC.1 (Mobility Support to ANMs)--** इस मद में Mobility Support for ANM हेतु रू0 500/– प्रतिमाह प्रति ANM की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

   उपरोक्त धनराशि का उपयोग ए0एन0एम0 द्वारा शहरी मलिन बस्तियों में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आयोजित करने एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी में व्यय किया जायेगा। ए0एन0एम0 द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यह धनराशि ए0एन0एम0 के खाते में स्थानांतरित की जायेगी।
2. **HSS(U).2.134.OOC.2 (UHND)--** प्रत्येक ए.एन.एम. द्वारा अपने आवंटित क्षेत्र में 04 यू.एच.एन.डी. प्रति माह आयोजित किये जायेगें जिसके हेतु 3619 ए.एन.एम. हेतु रू0 250/– प्रति UHND की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

   यू.एच.एन.डी. के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या – SPMU /NUHM /Guideline /2020-21 /47/ 2685-75 दिनांक 16.08.2021 तथा पत्र संख्या – SPMU/NUHM/OR & UHND /2021-22 /53/ 6467-75 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से निर्गत किये गये हैं।
3. **HSS(U).2.134.OOC.3 (Special Outreach Camps)**—वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओपी0 मे प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षेत्र में **प्रत्येक त्रैमास** 01 विशेष आउट रीच कैम्प (Special Outreach Camp) आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु रू0 6500/– प्रति त्रैमास प्रति Special Outreach Camp की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रति त्रैमास आयोजित किये जाने वाले कैम्प हेतु अनुमोदित धनराशि निम्नानुसार व्यय की जायेगी–

क्रं0सं0	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक का दैनिक भत्ता(एम0बी0बी0एस0 एवं बी0डी0एस0 को रू 1500/– तथा विशेषज्ञ हेतु रू0 3000/–)	3,000/–
2	पैरा मेडिकल स्टाफ कुल 03 हेतु प्रत्येक को रू0 500/–की दर से (आवश्यकतानुसार स्टाफ नर्स, एल0टी0, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, डेन्टल हाइजिनिस्ट आदि को रखा जा सकता है)	1,500/–
3	परिवहन व्यवस्था	1,000/–
4	प्रचार–प्रसार (लाउडस्पीकर, बैनर, इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	1,000/–
	कुल योग	**6,500/–**

स्पेशल आउटरीच कैम्प की आवृत्ति (मासिक के स्थान पर त्रैमासिक) के अतिरक्त पत्रांक SPMU / NUHM /Guideline/2020-21/47/ 2686-75 दिनांक 16.08.2021 के माध्यम से स्पेशल आउटरीच कैम्प हेतु प्रेषित अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेगे।

FMR Code HSS (U).3.137- Urban PHC (Rent , Construction, Computer, Printer, Equipment and Furniture) - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत FMR **HSS(U).3.137** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 2217.00 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).3.137.OCC.1 (Rent of UPHCs)--** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के किराये हेतु रू0 25000/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से स्वीकृत 639 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। प्रत्येक किराये के भवन हेतु अधिकतम सीमा रू0 25000/– प्रति माह प्रति भवन की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। किराये का निर्धारण डी0एम0 सर्किल रेट या रू0 25000/–जो कम हो देय होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि जनपद के किसी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का किराया एरिया क्षेत्रफल एवं डी0एम0 सर्किल रेट के अनुसार रू0 25000/– से अधिक हो तो जिला

स्वास्थ्य समिति से अनुमोदनोपरान्त भवन को किराये पर लेते हुए जनपद को किराये मद में कुल आवंटित धनराशि में से प्रतिमाह बचत धनराशि से नियमानुसार भुगतान किया जा सकता है।

2. **HSS(U).3.137.EQ.2 (Equipment and Furniture)--** इस मद में 100 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 3.00 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस संबंध मे दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

FMR Code HSS (U).5.142 Remuneration of all NHM HR - भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).5.142** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि 24808.09 लाख रु0 जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).5.142.C.S001 (ANM/LHV for UPHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 2972 एवं नवीन स्वीकृत 491 इस प्रकार कुल 3463 ANM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से ए.एन.एम. द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	10915
2021-22	11461
2020-21	12034
2019-20	13839
2018-19	13839
2017-18	15223
2016-17	15223
2015-16	15984
2013-14 & 2014-15	16792
ANM Shifted from Urban RCH	18388

जनपद बरेली के प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2022–23 मे स्वीकृत 05 नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे 09 नियमित ए0एन0एम0 की तैनाती जनपद स्तर से की जानी है।

2. **HSS(U).5.142.C.S006 (Staff Nurses for UPHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 1160 एवं नवीन स्वीकृत 383 इस प्रकार कुल 1543 Staff Nurse के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	19101
2021-22	20056
2020-21	21059
2019-20	24217
2018-19	24217
2017-18	25371
2016-17	26640
2015-16	26640
2013-14 & 2014-15	27986
Staff Nurse Shifted from Urban RCH	30631

3. **HSS(U).5.142.C.S011 (Staff Nurse for UCHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 35 Staff Nurse के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Staff Nurse द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	19101
2021-22	20056
2020-21	21059
2019-20	23064
2018-19	23064
2017-18	25371
2016-17	26640
Staff Nurse Shifted from Urban RCH for Lko	30631

4. **HSS(U).5.142.C.S016 (Lab Technician at UPHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 610 एवं नवीन स्वीकृत 100 इस प्रकार कुल 710 Lab Technician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	13666
2021-22	14349
2020-21	15067
2019-20	17327
2018-19	17320
2017-18	18145
2016-17	19059
2015-16	19059
2013-14 & 2014-15	19990

5. **HSS(U).5.142.C.S021 (Lab Technician at UCHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 05 Lab Technician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Lab Technician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	13666

6. **HSS(U).5.142.C.S026 (Pharmacist at UPHC)--** इस मद के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 610 एवं नवीन स्वीकृत 100 इस प्रकार कुल 710 Pharmacist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Pharmacist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	19101
2021-22	20056
2020-21	21059
2019-20	24217
2018-19	24217
2017-18	25371
2016-17	25371
2015-16	26640
2013-14 & 2014-15	27971

7. **HSS(U).5.142.C.S045 (Data Assistant at UCHC)--** जनपद लखनऊ में Other NUHM (08 Data Assistant, lko) में स्वीकृत 08 Data Assistant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data Assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April 22 For UCHC (BMC) in Lucknow District (19298 + 5% Annual Increment)	20263

8. **HSS(U).5.142.C.S046 (Nurse Mentor at UCHC)--** इस मद में जनपद वाराणसी में स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 01 Nurse Mentor के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Nurse Mentor द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	25000
2021-22	26250

9. **HSS(U).5.142.C.S051 (Gynaecologist)--** इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 11 Gynae के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Gynae द्वारा जनपद में दी गयी

योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	82688
1-4-2021 to 31-3-2022	86822
1-4-2020 to 31-3-2021	91163
1-4-2019 to 31-3-2020	99845
1-4-2018 to 31-3-2019	104837
1-4-2017 to 31-3-2018	104837
Joined in 2016-17 or Before	110079

10. HSS(U).5.142.C.S057 (Paediatrician)-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 13 Paedia के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Paedia द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	82688
1-4-2021 to 31-3-2022	86822
1-4-2020 to 31-3-2021	91163
1-4-2019 to 31-3-2020	99845
1-4-2018 to 31-3-2019	104837
1-4-2017 to 31-3-2018	104837
Joined in 2016-17 or Before	110079

11. HSS(U).5.142.C.S062 (Anaesthetist)-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 12 Anaesthetist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Anaesthetist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	82688
1-4-2021 to 31-3-2022	86822
1-4-2020 to 31-3-2021	91163
1-4-2019 to 31-3-2020	99845
1-4-2018 to 31-3-2019	104837
1-4-2017 to 31-3-2018	104837
Joined in 2016-17 or Before	110079

12. HSS(U).5.142.C.S068 (Surgeon)-- इस मद जनपद वाराणसी में पूर्व से स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 02 Surgeon के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2021	82688
1-4-2021 to 31-3-2022	86822
1-4-2020 to 31-3-2021	91163
1-4-2019 to 31-3-2020	99845
1-4-2018 to 31-3-2019	104837
1-4-2017 to 31-3-2018	104837
1-4-2016 to 31-3-2017	110079

13. HSS(U).5.142.C.S074 (Radiologist)-- इस मद जनपद लखनऊ में स्वीकृत 08 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Radiologist के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Radiologist द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
Lucknow CHC on or After 1st April,2022	82688

14. **HSS(U).5.142.C.S080 (Other Specialist/Physician)**-- इस मद नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 08 Physician के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Physician द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	82688
1-4-2021 to 31-3-2022	86822
1-4-2020 to 31-3-2021	91163

15. **HSS(U).5.142.C.S068 (Other Specialist/Surgeon)**-- इस मद जनपद वाराणसी हेतु स्वीकृत नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु कुल 01 Surgeon के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Surgeon द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	82688

16. **HSS(U).5.142.C.S090 (Full Time MO at UPHC)**-- इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु पूर्व में स्वीकृत 470 एवं नवीन स्वीकृत 96 इस प्रकार कुल 566 Full time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। वर्ष 2022–23 मे स्वीकृत आवंटित धनराशि में से Full time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	55000
1-4-2021 to 31-3-2022	57750
1-4-2020 to 31-3-2021	60782
1-4-2019 to 31-3-2020	69733
Joined in or before 2018-19	73220

वित्तीय वर्ष 2022–23 मे जनपद बरेली मे नवीन स्वीकृत 05 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सापेक्ष 01 फुल टाईम MO की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जनपद बरेली के प्रस्ताव के अनुसार शेष 04 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर नियमित चिकित्सको (नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र के अन्तर्गत स्वीकृत) की तैनाती जनपद स्तर से की जानी है।

17. **HSS(U).5.142.C.S095 (Part Time MO at UPHC)-- :** इस मद में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 64 Part time MBBS MO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Part time MBBS MO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	30000
1-4-2021 to 31-3-2022	31500
1-4-2020 to 31-3-2021	33075
1-4-2019 to 31-3-2020	34729
Joined in or before 2018-19	34729

नोट– जनपद में पार्ट टाइम चिकित्सक के पद रिक्त होने पर राज्य स्तर से स्वीकृति उपरान्त ही उनकी भर्ती की जाय।

18. **HSS(U).5.142.C.S100 (Full Time MO at UCHC (EMO))**-- इस मद में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 05 EMO के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से EMO द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	55000
1-4-2021 to 31-3-2022	57750
1-4-2020 to 31-3-2021	60638
1-4-2019 to 31-3-2020	69733
Joined in or before 2018-19	73220

19. HSS(U).5.142.C.S106 (Other Support staff)-- इस मद में नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 1375 Support Staff के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Support Staff को निम्नानुसार मानदेय प्रदान किया जाना है–

For In -position staff

Support Staff - NUHM FY 2022-23		
Particular	**Employee Hired by DHS**	**Employee Hired by Agency**
Salary	10933	9982
PF(Emp.) 12%	1312	1198
ESI(Emp.) 1.75%		175
Net Payable to Employee	**9621**	**8609**
GST 18%		1976
Service charge (10%)		998
EPF (13.36%) by Employer	1461	1334
ESI (3.25%) by Employer		324
	12394	**14615**

For vacant – All vacant position will be full filled by DHS through empanelled outsource agency

Support Staff - NUHM FY 2022-23	
Particular	**Employee Hired by Agency**
Salary	9184
PF(Emp.) 12%	1102
ESI(Emp.) 1.75%	161
Net Payable to Employee	**7921**
GST 18%	1818
Service charge (10%)	918
EPF (13.36%) by Employer	1227
ESI (3.25%) by Employer	298
	13446

*नवीन स्वीकृत सर्पोट स्टॉफ की भर्ती किये जाने से पूर्व राज्य स्तर पर अवगत कराया जाए एवं राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त की भर्ती की जाए।

*जनपद बरेली के प्रस्ताव के अनुसार 03 नियमित सर्पोट स्टाफ की तैनाती जनपद स्तर से इन नवीन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो मे की जानी है।

20. HSS(U).5.142.C.S112 (DEO cum Accountant)-- इस मद में 56 DEO cum Accountant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से DEO cum Accountant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं वार्षिक वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	17000
1-4-2021 to 31-3-2022	17850
1-4-2020 to 31-3-2021	18743
1-4-2019 to 31-3-2020	21554
1-4-2018 to 31-3-2019	22632

* मानदेय हेतु आवंटित धनराशि अधिकतम बजट मात्र है, प्रत्येक कर्मचारी को वास्तविक मानदेय का भुगतान उनके वेतन निर्धारण के अनुसार किया जायगा।

EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रू0 15000/– प्रतिमाह या 15000/ प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/–प्रतिमाह या 15000/ प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000/– प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

21. HSS(U).5.142.C.P009 (Divisional Urban Health Consultants)-- इस मद में 18 Div Urban Health Consultant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Div UHC द्वारा

जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	40000
1-4-2021 to 31-3-2022	42000
1-4-2020 to 31-3-2021	44100
1-4-2019 to 31-3-2020	50715
1-4-2018 to 31-3-2019	53251
1-4-2017 to 31-3-2018	58576
1-4-2016 to 31-3-2017	61505

22. **HSS(U).5.142.C.P014 (District Urban Health Cordinator)--** इस मद में 75 Urban Health Coordinatorके मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Urban Health Coordinator द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	30000
1-4-2021 to 31-3-2022	31500
1-4-2020 to 31-3-2021	33075
1-4-2019 to 31-3-2020	38036
1-4-2018 to 31-3-2019	39938
1-4-2017 to 31-3-2018	43932
1-4-2016 to 31-3-2017	46129

23. **HSS(U).5.142.C.P015 (Data cum Account Assistant)--** इस मद में 83 Data cum account assistant के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Data cum account assistant द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	20000
1-4-2021 to 31-3-2022	21000
1-4-2020 to 31-3-2021	22050
1-4-2019 to 31-3-2020	25358
1-4-2018 to 31-3-2019	26625
1-4-2017 to 31-3-2018	29288
1-4-2016 to 31-3-2017	30752

24. **HSS(U).5.142.C.P016/P017/P018 (Sr. Computer Operator/Store Keeper/Support Staff)--** इस मद में 01 Computer Operator, 01 Store Keeper and 03 Support Staff (Lucknow Urban RCH Office) के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से Computer Opretor, Store Keeper and Support Staff द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

Computer Operator –

	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April 2022 For Lucknow City Office at Urban RCH Programme (26268 + 5% Annual Increment)	27581

Store Keeper cum caretaker

	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April2022 For Lucknow City Office at Urban RCH Programme (17512 + 5% Annual Increment)	18388

03 Support staff for Lucknow Urban RCH office (Employee Hired by DHS)

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
Joined in or before 2021-22 (including 5% Annual Increment)	10933

Other Support Staff (Employee Hired by DHS through Empanelled Outsource Agency)

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
Joined in or before 2021-22(including 5% Annual Increment)	9184
Joined in or before 2020-21(8975 +5% Annual Increment)	9424
Joined in or before 2019-20 (9507 + 5% Annual Increment)	9982

25. **HSS(U).5.142.C.P028 (City Community Process Manager)--** इस मद में 46 CCPM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि में से CCPM द्वारा जनपद में दी गयी योगदान आख्या की तिथि के अनुसार मानदेय (लायल्टी बोनस एवं मानदेय वृद्धि सहित) प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में (लायल्टी एवं वार्षिक मानदेय वृद्धि के साथ)
After 1st April,2022	15000
1-4-2021 to 31-3-2022	15750
1-4-2020 to 31-3-2021	16538
1-4-2019 to 31-3-2020	18113
1-4-2018 to 31-3-2019	19019

26. **HSS(U).5.142.C.P028 (Public Health Manager)--** इस मद में 124 PHM के मानदेय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त पद के कार्य एवं दायित्व सम्बन्धी दिशा–निर्देश पृथ्क से प्रेषित किये जाऐगें। आवंटित धनराशि में से PHM का मानदेय निम्नलिखित दर से प्रदान किया जाना है –

तैनाती की तिथि	दर रू0 में
After 1st April,2022	28000

EPF (Employer's Contribution @ 13.36 % for salaries < 15000/- p.m.) - EPF हेतु धनराशि पदवार मानदेय में सम्मिलित करते हुये रू0 15000/– प्रतिमाह या 15000/– प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु EPF (Employer's Contribution @ 13.36%) की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। EPF के सम्बन्ध में राज्य स्तर से दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये। जिन कर्मियों की वर्तमान पद पर नियुक्ति के समय मानदेय रु0 15000/–प्रतिमाह या 15000/–प्रतिमाह से कम था, परन्तु वर्तमान में उनका मानदेय रु0 15000/– प्रतिमाह से अधिक हो गया है तो उन कर्मियों के EPF की गणना रु0 15000/– प्रतिमाह की दर से की जायेगी।

ESI - भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों हेतु कर्मचारी बीमा योजना के प्राविधान को लागू किया गया है। भारत सरकार द्वारा रु0 21000/– प्रतिमाह (रु0 25000/– प्रतिमाह दिव्यांग कर्मी हेतु) तक के मानदेय प्राप्त करने वाले पात्र आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों हेतु ई0एस0आई0 की स्वीकृति आर0ओ0पी0 2020–21 में प्रदान की गयी है। ई0एस0आई0 हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त अन्य दिशा–निर्देश लागू किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).5.144- Incentive under CPHC (Team based Incentive for HWC, PBI for MO)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).5.144** के अन्तर्गत कुल धनराशि रु0 2636.40 लाख का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि 2636.40 लाख रु0 जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).5.144.1 (Team Based Incentives for 710 UPHCs-HWC)--** इस मद में 710 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु 1.80 लाख प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति वर्ष की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/6464 दिनांक 10.01.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।
2. **HSS(U).5.144.2 (Performance Based Incentive to MOs)—** इस मद मे 566 contractual full time MO के Performance Based Incentive हेतु रू0 20000/– प्रतिमाह प्रति contractual full time MO की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

पत्र संख्या SPMU/NUHM/Guidelines/2021-22/47/7052 दिनांक 03.02.2022 के माध्यम से प्रेषित किये जा चुके है।

FMR Code HSS (U).6.146- Planning and Program Management (Mobility Support and Office expenses ,TA/ DA for SPMU/Div PMU/DPMU/CCPM)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).6.146** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि 491. 52 लाख रू0 जनपदों को डैप के माध्यम से आवंटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).6.146.PME.1 (Mobility Support for SPMU)--** इस मद में Mobility Support हेतु रू0 33000/– प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
2. **HSS(U).6.146.PME.2 (Mobility Support for DPMU)--** इस मद में Mobility Support DPMU हेतु रू0 33000/– प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 DPMU), रू0 15000/– प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 3 UPHCs (33 DPMU) एवं अन्य 17 DPMU को रू0 10000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।
3. **HSS(U).6.146.PME.3.A (Mobility Support for CCPM) –** रू0 5000/– प्रतिमाह की दर से प्रति सी.सी. पी.एम. को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। पूर्व मे डी0ई0ओ0 कम अकाउन्टेंट को रू0 2000/– प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जा रहे मोबिलिटी सर्पोट की स्वीकृति इस वर्ष भारत सरकार से प्राप्त नही हुई है। सी.सी.पी.एम. को पूर्व की भांति अधिकतम 3000/– प्रतिमाह की सीमा मे मोबिलिटी सर्पोट प्रदान किया जायेगा।

   ***नोट – इस धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1958 दिनांक 31.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।**
4. **HSS(U).6.146.PME.3.B (Mobility Support of PHM) –**रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से प्रति पब्लिक हेल्थ मैनेजर को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस हेतु दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेगे।
5. **HSS(U).6.146.PME.4 (Administrative Expenses for SPMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 15000/– प्रतिमाह की दर से प्रति Div. PMU को कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
6. **HSS(U).6.146.PME.5 (Administrative Expenses for DPMU)--** इस मद में Administrative Expenses हेतु रू0 20000/– प्रतिमाह प्रति DPMU who are having > 10 UPHCs (25 जनपn) एवं शेष जनपदों को रु0 15000/– प्रतिमाह प्रति DPMU की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु, डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।
7. **HSS(U).6.146.PME.6 (Administrative Expenses for CPMU)--** इस मद में Administrative Expences हेतु रू0 3000/– प्रति माह प्रति CCPM- की दर से कुल 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि का उपयोग CCPM & Accountant cum DEO दोनों के द्वारा किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग राज्य/मण्डल स्तर की बैठक, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि में प्रतिभाग किये जाने हेतु डी.ए., बोर्डिंग लॉजिंग एवं यात्रा व्यय, टेलीफोन बिल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं कार्य के आवश्कतानुसार अन्य कंटिनजेंसी मद में किया जायेगा।

   नोट – मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/शहरी स्वास्थ्य समन्वयक/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट/सी.सी.पी.एम./एकाउन्टेंट कम डीइओ के TA/DA हेतु धनराशि का उपयोग इस कार्यालय के पत्र संख्या SPMU/NUHM/DPMU/2019-20/57/1644 दिनांक 22.05.2019 के अनुसार किया जायेगा।

FMR Code HSS (U).9.149- Untied Grants (Untied grants to UPHC/UCHC and MAS)- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्ययोजना 2022–23 के अन्तर्गत **HSS (U).9.149** के अन्तर्गत UPHC, UCHC

व MAS के अनटाईड फंड हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल धनराशि रु0 2371.25 लाख जनपदों को डैप के माध्यम से आंवटित की गयी है। गतिविधिवार तथा एफ0ए0एम0एस0 कोडवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. **HSS(U).9.149.UG.1 (Untied Fund to UPHC)--** इस मद में 710 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 2.5 लाख प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

   भारत सरकार से प्राप्त निर्देशो के क्रम मे नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो हेतु आपरेशनल व्यय (बिजली, टेलिफोन बिल, स्टेशनरी, ओ.पी.डी. स्लिप, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, विभिन्न रजिस्टर, इत्यादि) हेतु व्यय की जानी वाली धनराशि को सम्बन्धित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की रोगी कल्याण समिति हेतु आवटित Untide Fund में सम्मिलित कर दिया गया है। अतः नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आपरेशनल व्यय हेतु समस्त व्यय , पूर्व स्वीकृत रू0 8000/– प्रतिमाह की सीमा के अन्तर्गत, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्टाइड फन्ड से रोगी कल्याण समिति के व्यय हेतु निहित प्राविधानो के अनुसार ही किया जायेगा।

2. **HSS(U).9.149.UG.2 (Untied Fund to UCHC)--** इस मद में जनपद लखनऊ के 8, वाराणसी के 05 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रोगी कल्याण समिति हेतु रु0 5.00 लाख प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

   उपरोक्त धनराशि का व्यय महानिदेशक, परिवार कल्याण के पत्र संख्या – प0क0–13/सं0नि0नग0/रो0क0स0/116/2017–18/3875–75 दिनांक 10.08.2017 के अनुसार किया जाना है।

   नोट– जनपद द्वारा नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2022 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बन्धित रोगी कल्याण समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाय।

3. **HSS(U).9.149.UG.3 (Untied Fund to MAS)--** वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में Untied funds for 10625 MAS हेतु रू0 5000/– प्रति MAS की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

   उपरोक्त धनराशि का व्यय पत्रांक SPMU/NUHM/ Guideline/2020-21/47/2683-75 दिनांक 16–08–2021 अनुसार किया जाना है।

   नोट– जनपद द्वारा महिला आरोग्य समिति के खाते में 01 अप्रैल, 2021 को उपलब्ध धनराशि को उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से घटाते हुये शेष धनराशि सम्बंधित महिला आरोग्य समिति के खाते में हस्तांतरित किया जाना है तथा प्रत्येक महिला आरोग्य समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

<u>उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय–</u>

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जॉच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. मानदेय का निर्धारण नियुक्ति के समय निर्धारित मानदेय तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि एवं लॉयल्टी/एक्सीपिरियंस बोनस के आधार पर सक्षम स्तर से मानदेय निर्धारण के उपरान्त नियमानुसार देय हैं। उपरोक्त निर्धारित मानदेय में किसी भी प्रकार का पुर्नरीक्षण राज्य स्तर की अनुमति के उपरान्त ही अनुमन्य/मान्य होगा।

उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

संचारी रोग कार्यक्रम

1.राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

क्षय रोग के उपचार एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम वर्ष 1962 में प्रारम्भ किया गया था। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियों की समीक्षा के आवश्यक संशोधन करते हुए वर्ष 1997 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया तथा वर्ष 2006 में पूरे देश को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम से आच्छादित किया गया। अप्रैल 2020 से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से आच्छादित किया गया है।

वर्तमान में क्षय रोग के प्रभावी नियंत्रण एवं उपचार हेतु भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2025 क्षय उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों की निःशुल्क जॉच एवं उपचार हेतु मार्च 2013 तक प्रदेश के समस्त जनपदों को पी0एम0डी0टी0 (प्रोगामेटिक मैनेजमेन्ट आफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0) कार्यक्रम से आच्छादित किया जा चुका है। प्रदेश में वर्तमान में 01 नेशनल रिफरेन्स लेबोरेटरी (एन0आर0एल0), 02 इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी (आई0आर0एल0), 24 नोडल डी0आर0–टी0बी0 केन्द्र (डाट्स प्लस साईट), 05 कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब, 03 फालोअप कल्चर लैब पी0पी0पी0 (एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, डा0 आर0एम0एल0 लखनऊ एवं एस0एम0आर0 बरेली) एवं 161 सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब (कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट) के माध्यम से मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट (एम0डी0आर0) क्षय रोगियों को जॉच एवं औषधि की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय में 458 ट्रूनॉट मशीनें एवं 41 डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील की गई।

दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से भुगतान उपचार अवधि तक किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में टी0बी0 मरीज के प्रति नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का प्राविधान किया गया है जो दिया जा रहा है। 24 नोडल डी0आर0टी0बी0 सेन्टर में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 (ड्रग रेजिस्टेंट) क्षय रोगियों हेतु नई औषधियॉ बीडाक्यूलीन एवं डेलामिनिड आधारित रेजेमिन दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा 5 मेडिकल मोबाइल वैन उ0प्र0 राज्य को आंवटित /उपलब्ध करायी गयी है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षय रोगियों की जॉच करायी जा रही है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नानुसार सुविधाऍ उपलब्ध है–

कार्यक्रम से आच्छादित जनपद	75
कार्यक्रम से आच्छादित जनसंख्या	23.98 करोड
स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0)	01 आगरा
स्टेट ड्रग स्टोर (एस0डी0एस0)	04 (आगरा, बरेली, वाराणसी एवं लखनऊ)
इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई0आर0एल0)	02 (आगरा एवं लखनऊ)
क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आर0टी0पी0एम0यू0)	05 (आगरा, बरेली, लखनऊ, वाराणसी एवं गोरखपुर)
टी0बी0 यूनिट (टी0यू0)	1168
बलगम परीक्षण केन्द्र (डी0एम0सी0)	2061
कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब	08 (जे0एन0यू0 अलीगढ, बी0एच0यू0 वाराणसी, एसजीपीजीआई, आरएमएल आईएमएस लखनऊ, एसआरएमएस बरेली, एलएलआरएम मेरठ, बी0आर0डी0

	गोरखपुर, यू0पी0यू0एम0एस0 सैफेई इटावा)
नोडल ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	24
डिस्ट्रिक्ट ड्रग रेजिस्टेन्ट टी0बी0 केन्द्र (डी0 डी0आर0–टी0बी0 सेन्टर) एमडीआर टीबी वार्ड	54
कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेसटिंग सी0बी0एन0ए0ए0टी0(जीन एक्सपर्ट) लैब	161 (समस्त 75 जनपदों में)
ट्रूनॉट मशीन	458 (उच्च क्षमता वाली डी0एम0सी0 एवं जिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय)
डिजिटल एक्सरे मशीन	41

वित्तीय वर्ष 2022–23 की अनुमोदित आर0ओ0पी0 के अनुरूप मदवार कार्यक्रम की प्रमुख गतिविधियों/प्राथमिकताओं का विवरण

संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन नई दिल्ली, पत्रांक–जेड 28015/36/2017–18(Pt-IV) दिनांक–11 जनवरी 2019 के माध्यम से प्राप्त नार्म्स एण्ड बेसिस आफ कास्टिंग फार आर0एन0टी0सी0पी0 2017–25 (संविदा कर्मियों के मानदेय को छोडकर) जो कि दिनांक–11.01.2019 को हस्ताक्षरित है, में प्रदत्त गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

Pool	FMR Code	Programme/ Theme	S.no	Scheme/Activity	Amount Approved (In Lakhs) FY 2022-23
NDCP Flexi Pool	NDCP.4	National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	73	Drug Sensitive TB (DSTB)	8195.17
			74	Nikshay Poshan Yojana	12000.00
			75	PPP	7996.00
			76	Latent TB Infection (LTBI)	793.26
			77	Drug Resistant TB(DRTB)	14212.61
			78	TB Harega Desh Jeetega Campaign	773.15
			79	State specific Initiatives and Innovations	64.00
				Total	44034.18
				Total HR (SD, PM& Others)	15763.97
				G.Total without Program Management Activities	59798.16
HSS Pool	HSS 11	Activity no. 194 Planning and Program Management	194	Program Management Activities	2277.58
				Grand Total	62075.74

महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस/150/2010/2022–23/1533 दिनांक 29 जुलाई, 2022 के द्वारा आर0ओ0पी0 2022–24 की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2022–23 के महत्वपूर्ण एवं अति आवश्यक गतिविधियों के संचालन हेतु जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार 03 माह हेतु गाइडलाइन प्रेषित की गयी थी, जिसे सम्मिलित कर भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 की जनपदवार, मदवार, गतिविधिवार दिशा निर्देश निम्नवत है–

73 Drug Sensitive TB (DSTB)-DBT

Treatment Supporter Honorarium (Rs.1000) (NDCP.4.73.DBT.1)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015/24/2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Infrastructure - Civil works (I&C)

Initial Establishment/Refurbishment/Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility (NDCP.4.73.IC.1)

उक्त मद में अनुमोदित धनराशि में जनपदों कों आंवटित धनराशि से जनपद में स्थापित डी0टी0सी0, टी0यू0, डी0एम0सी0 इत्यादि एंव राज्य स्तरीय इकाई एस0टी0सी0, एस0टी0डी0सी0,

एस0डी0एस0 एवं आर0टी0पी0एम0यू0 के माइनर सिविल वर्क का कार्य आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जाना है।

भारत सरकार द्धारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 29 नवीन डिजिटल एक्सरे मशीन का अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसकी स्थापना एंव जिला क्षयरोग केन्द्र में स्थित कमरे जिसमें डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की जानी है के अपग्रडेशन हेतु रू0 1.25 लाख प्रति डिजिटल एक्सरे मशीन कुल रू0 36. 20 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा 02 नवीन एस0टी0डी0सी0 (एस0टी0डी0सी0 लखनऊ एंव एस0टी0डी0सी0 गोरखपुर) के स्थापना एवं क्रियाशील कराने हेतु रू0 02.00 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है। जिसके सम्बंध में दिशा निर्देश पृथक से भेजी जायेगी।

जनपदों को आवंटित धनराशि में उक्त धनराशि सम्मिलित है। जिसका जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility FY 2022-23

S.No	District	Manitance Amount for District Units (DTC, TU & DMC etc)	SDS	STDC	RTPMU	STC	New XRAY Site	New 29 X Ray Machine Installation- Civil work @1,25,000 per site	Establishment of for NEW STDC Gorakhpur and Lucknow	Amount
1	Agra	189000	50000	200000	50000	0	1	125000	0	614000
2	Aligarh	162750	0	0	0	0	0	0	0	162750
3	Allahabad	255500	0	0	0	0	2	250000	0	505500
4	Ambedkarnagar	112000	0	0	0	0	1	125000	0	237000
5	Amethi	103250	0	0	0	0	0	0	0	103250
6	Amroha(JP Nagar)	82250	0	0	0	0	0	0	0	82250
7	Auraiya	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000
8	Azamgarh	194250	0	0	0	0	0	0	0	194250
9	Baghpat	66500	0	0	0	0	0	0	0	66500
10	Bahraich	152250	0	0	0	0	1	125000	0	277250
11	Ballia	143500	0	0	0	0	1	125000	0	268500
12	Balrampur	96250	0	0	0	0	0	0	0	96250
13	Banda	89250	0	0	0	0	1	125000	0	214250
14	Barabanki	141750	0	0	0	0	1	125000	0	266750
15	Bareilly	199500	50000	0	50000	0	1	125000	0	424500
16	Basti	108500	0	0	0	0	1	125000	0	233500
17	Bijnour	154000	0	0	0	0	1	125000	0	279000
18	Budaun	127750	0	0	0	0	1	125000	0	252750
19	Bulandsahr	152250	0	0	0	0	0	0	0	152250
20	Chandauli	89250	0	0	0	0	0	0	0	89250
21	Chitrakoot	56000	0	0	0	0	1	125000	0	181000
22	Deoria	134750	0	0	0	0	0	0	0	134750
23	Etah	80500	0	0	0	0	0	0	0	80500
24	Etawah	89250	0	0	0	0	0	0	0	89250
25	Faizabad	115500	0	0	0	0	0	0	0	115500
26	Farrukhabad	84000	0	0	0	0	0	0	0	84000
27	Fatehpur	115500	0	0	0	0	1	125000	0	240500
28	Firozabad	108500	0	0	0	0	0	0	0	108500
29	Gautambudhnagar	77000	0	0	0	0	0	0	0	77000
30	Ghaziabad	143500	0	0	0	0	0	0	0	143500
31	Ghazipur	157500	0	0	0	0	0	0	0	157500
32	Gonda	140000	0	0	0	0	1	125000	0	265000
33	Gorakhpur	192500	0	0	0	0	1	125000	200000	517500
34	Hamirpur	59500	0	0	0	0	1	125000	0	184500
35	Hapur	68250	0	0	0	0	0	0	0	68250
36	Hardoi	176750	0	0	0	0	1	125000	0	301750
37	Hathras	77000	0	0	0	0	0	0	0	77000
38	Jalaun	84000	0	0	0	0	0	0	0	84000
39	Jaunpur	192500	0	0	0	0	1	125000	0	317500
40	Jhansi	92750	0	0	0	0	1	125000	0	217750
41	Kannauj	85750	0	0	0	0	0	0	0	85750
42	Kanpurdehat	89250	0	0	0	0	0	0	0	89250
43	Kanpur Nagar	187250	0	0	0	0	0	0	0	187250
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	59500	0	0	0	0	0	0	0	59500
45	Kaushambhi	77000	0	0	0	0	0	0	0	77000
46	Kushinagar	148750	0	0	0	0	1	125000	0	273750
47	Lakhimpur Khiri	168000	0	0	0	0	1	125000	0	293000
48	Lalitpur	63000	0	0	0	0	0	0	0	63000
49	Lucknow	190750	50000	0	50000	0	0	0	200000	490750
50	Maharajganj	117250	0	0	0	0	1	125000	0	242250
51	Mahoba	57750	0	0	0	0	0	0	0	57750
52	Mainpuri	84000	0	0	0	0	0	0	0	84000
53	Mathura	117250	0	0	0	0	1	125000	0	242250

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of STO office, STDC, SDS, DDS, DTC, TU, DMC, X- ray facility FY 2022-23										
S.No	**District**	**Manitance Amount for District Units (DTC, TU & DMC etc)**	**SDS**	**STDC**	**RTPMU**	**STC**	**New XRAY Site**	**New 29 X Ray Machine Installation- Civil work @1,25,000 per site**	**Establishment of for NEW STDC Gorakhpur and Lucknow**	**Amount**
54	Mau	103250	0	0	0	0	0	0	0	103250
55	Meerut	164500	0	0	0	0	0	0	0	164500
56	Mirzapur	110250	0	0	0	0	1	125000	0	235250
57	Moradabad	140000	0	0	0	0	0	0	0	140000
58	Muzaffarnagar	127750	0	0	0	0	0	0	0	127750
59	Pilibhit	98000	0	0	0	0	0	0	0	98000
60	Pratapgarh	138250	0	0	0	0	0	0	0	138250
61	Raebareli	124250	0	0	0	0	0	0	0	124250
62	Rampur	105000	0	0	0	0	0	0	0	105000
63	Saharanpur	141750	0	0	0	0	1	125000	0	266750
64	Sambhal	92750	0	0	0	0	0	0	0	92750
65	Sant Kabir Nagar	82250	0	0	0	0	1	125000	0	207250
66	Sant Ravidas Nagar	80500	0	0	0	0	0	0	0	80500
67	Shahjahanpur	122500	0	0	0	0	1	125000	0	247500
68	Shamli	63000	0	0	0	0	0	0	0	63000
69	Sravasti	59500	0	0	0	0	0	0	0	59500
70	Siddharth Nagar	106750	0	0	0	0	0	0	0	106750
71	Sitapur	183750	0	0	0	0	1	125000	0	308750
72	Sonbhadra	106750	0	0	0	0	0	0	0	106750
73	Sultanpur	110250	0	0	0	0	0	0	0	110250
74	Unnao	131250	0	0	0	0	0	0	0	131250
75	Varanasi	162750	50000	0	50000	0	0	0	0	262750
	Total	**8935500**	**200000**	**200000**	**200000**	**0**	**29**	**3625000**	**400000**	**13560500**
	State		0	0	0	100000	0	0	0	**100000**
	Grand Total		**200000**	**200000**	**200000**	**100000**	**29**	**3625000**	**400000**	**13660500**

Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)

Procurement of all necessary equipment for DMC, X-ray and ECG, etc for NTEP (NDCP.4.73.EQ.1)

उक्त मद में जनपदों में High case load डी0एम0सी0 हेतु 250 LED माइक्रोस्कोप रू0 0.65 लाख प्रति LED की दर से अनुमोदित किया गया है। उक्त LED माइक्रोस्कोप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य स्तर से नियमानुसार क्रय किया जायेगा।

Procurement of Office Equipment (Office Equipment at STC, SDS) (excluding computers for office) (NDCP.4.73.EQ.3)

उक्त मद में स्टेट टी0बी0 सेल हेतु उपकरणों का अनुमोदन दिया गया है, जिसका क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।

Maintenance & Management of Office Equipment (Office Equipment at STC, SDS) (1.3.1.12) (NDCP.4.73.EQ.4)

उक्त मद में जनपद स्तरीय इकाई डी0टी0सी0, टी0यू0, डी0एम0सी0 इत्यादि एंव राज्य स्तरीय इकाई एस0टी0सी0, एस0टी0डी0सी0, एस0डी0एस0 एंव आर0टी0पी0एम0यू0 में प्रयोग किये जा रहे क्रियाशील उपकरणों के नियमानुसार रख रखाव एवं मेंटेनन्स हेतु वर्ष 2022–23 में उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। उक्त आंवटित धनराशि में एस0टी0सी0 हेतु रू0 1. 00 लाख, एस0टी0डी0सी0 हेतु रू0 3.00 लाख, एस0डी0एस0 हेतु रू0 0.20 लाख एवं आर0टी0पी0एम0यू0 हेतु रू0 0.50 लाख हेतु आंवटित धनराशि सम्बन्धित जनपदों की आंवटित धनराशि में सम्मलित है। जिसका जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि का व्यय किया जाना है।

Drugs (Budget for Procurement done by States)

Local Procurement of first line Anti TB drugs (NDCP.4.73.DS.3)

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर **first line Anti TB** औषधि के स्थानीय क्रय हेतु कुल रू0 50.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त के क्रय हेतु भारत सरकार के स्तर से लोकल प्रोक्योरमेन्ट हेतु प्राप्त दिशा–निर्देश के क्रम में पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेगे। जिसका उपयोग जनपद में

उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एवं **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।

Procurement of Sleeves and drug boxes (NDCP.4.73.DS.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों हेतु सम्बन्धित एस0डी0एस0 पर @ Rs75/– monthly Patient Wise Box का नियमानुसार प्राक्योरमेंट किये जाने हेतु रू0 10.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।

Vehicle hiring for drug transportation (NDCP.4.73.DS.1)

जनपद स्तर पर कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन हेतु @Rs 5000/– प्रति टी0बी0 यूनिट प्रति वर्ष की दर से नियमानुसार सम्पादित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Drug Transportation charges (NDCP.4.73.DS.4)

उक्त मद में कार्यक्रम की विविध गतिविधियॉ जैसे डेली वेजर्स के लोडिग अनलोडिग, ड्रग बाक्स, First Line Drugs, Second Line Drugs & CBNAAT/Trunat Cartridges का ट्रान्सपोर्टेशन हेतु स्टेट ड्रग स्टोर–आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी को रूपये 01.00 लाउनके सम्बंधित जनपद को आवंटित की गई है।

Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)

Lab Materials and consumables for DMCs NDCP.4.73.DI.1

उक्त मद में क्षय रोगियों के बलगम परीक्षण तथा फालोअप परीक्षण हेतु जनपद स्तरीय प्रयोगशालाओं के उपयोगार्थ लैब मैटीरियल एंव अन्य सामग्री का क्रय हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एंव **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये ।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।

राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी0यू0/डी0एम0सी0 के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।

एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु लैब मैटीरियल का व्यय इसी मद में अनुमोदित सामान्य धनराशि से किया जाना है।

Lab Materials and consumables for DMCs FY 2022-23								
S.No	District	Lab Consumables	X Ray Films (10x12 film @ 75 per film x 2 patients for 41 old +29 site)					In Rupees
			41 Old Site @75 per film*2 for 12 month		29 New Site @75 per film*2 for 06 month		6000 xray for TPT @ 75/-	
			NO. of Site	Amount (for 12 month)	NO. of New Site	Amount (for 6 month)		
1	Agra	4169200	1	90000	1	0	10980	4270180
2	Aligarh	3495100	1	90000	0	0	10980	3596080
3	Allahabad	5668400	0	0	2	0	0	5668400
4	Ambedkarnagar	2279800	0	0	1	0	0	2279800
5	Amethi	1765300	1	90000	0	0	10980	1866280
6	Amroha(JP Nagar)	1747500	1	90000	0	0	10980	1848480
7	Auraiya	1304000	1	90000	0	0	10980	1404980
8	Azamgarh	4391000	1	90000	0	0	10980	4491980
9	Baghpat	1241900	1	90000	0	0	10980	1342880
10	Bahraich	3308800	0	0	1	0	0	3308800

Lab Materials and consumables for DMCs FY 2022-23								
S.No	District	Lab Consumables	X Ray Films (10x12 film @ 75 per film x 2 patients for 41 old +29 site)					In Rupees
			41 Old Site @75 per film*2 for 12 month		29 New Site @75 per film*2 for 06 month		6000 xray for TPT @ 75/-	
			NO. of Site	Amount (for 12 month)	NO. of New Site	Amount (for 6 month)		
11	Ballia	3069300	0	0	1	0	0	3069300
12	Balrampur	2049100	1	90000	0	0	10980	2150080
13	Banda	1712000	0	0	1	0	0	1712000
14	Barabanki	3104700	0	0	1	0	0	3104700
15	Bareilly	4249100	0	0	1	0	0	4249100
16	Basti	2341900	0	0	1	0	0	2341900
17	Bijnour	3503900	0	0	1	0	0	3503900
18	Budaun	2971700	0	0	1	0	0	2971700
19	Bulandsahr	3326500	1	90000	0	0	10980	3427480
20	Chandauli	1862800	0	0	0	0	0	1862800
21	Chitrakoot	940300	0	0	1	0	0	940300
22	Deoria	2945100	1	90000	0	0	10980	3046080
23	Etah	1676600	0	0	0	0	0	1676600
24	Etawah	1499100	1	90000	0	0	10980	1600080
25	Faizabad	2350700	1	90000	0	0	10980	2451680
26	Farrukhabad	1800800	1	90000	0	0	10980	1901780
27	Fatehpur	2501500	0	0	1	0	0	2501500
28	Firozabad	2377300	1	90000	0	0	10980	2478280
29	Gautambudhnagar	1596700	0	0	0	0	0	1596700
30	Ghaziabad	3353100	1	90000	0	0	10980	3454080
31	Ghazipur	3450700	0	0	0	0	0	3450700
32	Gonda	3264400	0	0	1	0	0	3264400
33	Gorakhpur	4222400	0	0	1	0	0	4222400
34	Hamirpur	1046700	0	0	1	0	0	1046700
35	Hapur	1241900	1	90000	0	0	10980	1342880
36	Hardoi	3894200	0	0	1	0	0	3894200
37	Hathras	1490300	1	90000	0	0	10980	1591280
38	Jalaun	1587900	1	90000	0	0	10980	1688880
39	Jaunpur	4257900	0	0	1	0	0	4257900
40	Jhansi	1907200	0	0	1	0	0	1907200
41	Kannauj	1579000	1	90000	0	0	10980	1679980
42	Kanpurdehat	1712000	0	0	0	0	0	1712000
43	Kanpur Nagar	4355500	1	90000	0	0	10980	4456480
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	1366100	1	90000	0	0	10980	1467080
45	Kaushambhi	1516900	1	90000	0	0	10980	1617880
46	Kushinagar	3388600	0	0	1	0	0	3388600
47	Lakhimpur Khiri	3823300	0	0	1	0	0	3823300
48	Lalitpur	1162100	1	90000	0	0	10980	1263080
49	Lucknow	4364400	1	90000	0	0	10980	4465380
50	Maharajganj	2537000	0	0	1	0	0	2537000
51	Mahoba	833800	1	90000	0	0	10980	934780
52	Mainpuri	1756400	1	90000	0	0	10980	1857380
53	Mathura	2421700	0	0	1	0	0	2421700
54	Mau	2102400	1	90000	0	0	10980	2203380
55	Meerut	3282200	1	90000	0	0	10980	3383180
56	Mirzapur	2377300	0	0	1	0	0	2377300
57	Moradabad	3024900	1	90000	0	0	10980	3125880
58	Muzaffarnagar	2678900	0	0	0	0	0	2678900
59	Pilibhit	1942700	1	90000	0	0	10980	2043680
60	Pratapgarh	3024900	1	90000	0	0	10980	3125880
61	Raebareli	2803100	1	90000	0	0	10980	2904080
62	Rampur	2226500	1	90000	0	0	10980	2327480
63	Saharanpur	3299900	0	0	1	0	0	3299900
64	Sambhal	1969300	1	90000	0	0	10980	2070280
65	Sant Kabir Nagar	1632200	0	0	1	0	0	1632200
66	Sant Ravidas Nagar	1481400	1	90000	0	0	10980	1582380
67	Shahjahanpur	2856400	0	0	1	0	0	2856400
68	Shamli	1259600	1	90000	0	0	10980	1360580
69	Sravasti	1064500	1	90000	0	0	10980	1165480
70	Siddharth Nagar	2430600	1	90000	0	0	10980	2531580
71	Sitapur	4256900	0	0	1	0	0	4256900
72	Sonbhadra	1774100	1	90000	0	0	10800	1874900
73	Sultanpur	2262000	0	0	0	0	0	2262000
74	Unnao	2962800	1	90000	0	0	10980	3063780
75	Varanasi	3503800	1	90000	0	0	10980	3604780
	Total	**190000000**	**41.0**	**3690000.0**	**29.0**	**0.0**	**450000.0**	**194140000.0**

Lab Materials and consumables for DMCs FY 2022-23								
S.No	District	Lab Consumables	X Ray Films (10x12 film @ 75 per film x 2 patients for 41 old +29 site)					In Rupees
			41 Old Site @75 per film*2 for 12 month		29 New Site @75 per film*2 for 06 month		6000 xray for TPT @ 75/-	
			NO. of Site	Amount (for 12 month)	NO. of New Site	Amount (for 6 month)		
	State	2500000.00	0.00	0.00	0.00	**1305000.00**	**0.00**	3805000
	Grand Total	**192500000.0**	**41.0**	**3690000.0**	**29.0**	**1305000.0**	**450000.0**	**197945000.0**

Sample collection and Transport (NDCP.4.73.DI.2)

महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस/294/2019/14 दिनांक 01 अप्रैल 2020 के अनुरूप जनपद /अर्न्तजनपदीय स्पुटम सैम्पल कलैक्शन ट्रासपोटेशन हेतु राज्यस्तर से दिशा निर्देश निर्गत किये गये है तदानुसार भारतीय डाक सेवा से सैम्पल ट्रांसपोटेशन कराना सुनिश्चित किया जाये। जनपदवार आवंटित धनराशि द्वारा नियमानुसार व्यय किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन हेतु डाक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था/कूरियर का उपयोग बिना राज्य स्तर से अनमुति प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

Capacity building incl. training

Training (State and District Level) NDCP.4.73.CB.1

राज्य एवं जनपद स्तरीय मानव संसाधन एवं कार्यक्रम से आच्छादित मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रीटमेंट सपोर्टर, सी0एच0ओ0, आयुष चिकित्सक, आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0, इत्यादि का नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण एन0टी0ई0पी0 की गाडलाइन तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित करायी जाय। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ एवं गोरखपुर) के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित करायी जाये।

समस्त जनपदों पर प्रशिक्षण गतिविधियॉ सम्पादित किये जाने हेतु भारत सरकार के सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन/राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु माडयूल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना एवं प्रशिक्षण (जनपद/टीयूवार आदि) की सूचना स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी लखनऊ एवं गोरखपुर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

एक्टिव केस फाइन्डिंग के गतिविधि के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण भी निम्न आवटित धनराशि से किया जाना है, जिसका व्यय जनपदवार आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जाना है।

प्रशिक्षण हेतु स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा को रू0 15.00 लाख एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर को रू0 01.00 लाख प्रति इकाई एवं लखनऊ को रू0 03.00 लाख) उनके सम्बंधित जनपदों में आवंटित की गई है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

राज्य/जनपद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

CME NDCP.4.73.CB.2

इस मद में आवंटित धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर संचालित मेडिकल कालेज में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों में होने वाली अद्यतनीकरण से चिकित्सको का संवेदीकरण के लिए आहूत करने हेतु आयोजित की जाने वाली बैठक/कार्यशाला हेतु किया जाना है। सम्बंधित मेडिकल कालेज में उक्त गतिविधियो को नियमानुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

CME (Medical Colleges) @(20000, 15000, 10000/Medical College) Depending on MBBS seats Availibility FY 2022-23									
Sr.No	**District**	**Number of Medical College**	**Unit cost per Medical College**	**Amount**	**Sr.No**	**District**	**Number of Medical College**	**Unit cost per Medical College**	**Amount**
1	Agra	1	20000	20000	23	Hapur	3	20000	60000
2	Aligarh	1	20000	20000	24	Hardoi	1	10000	10000
3	Allahabad	1	20000	20000	25	Jalaun	1	20000	20000
4	Ambedkarnagar	1	20000	20000	26	Jaunpur	1	10000	10000
5	Amroha(JP Nagar)	1	15000	15000	27	Jhansi	1	20000	20000
6	Azamgarh	1	20000	20000	28	Kannauj	1	20000	20000
7	Bahraich	1	15000	15000	29	Kanpur Nagar	2	20000	40000
8	Banda	1	20000	20000	30	Lucknow	8	20000	160000
9	Barabanki	2	20000	40000	31	Mathura	1	20000	20000
10	Bareilly	3	20000	60000	32	Meerut	2	20000	40000
11	Basti	1	15000	15000	33	Mirzapur	1	10000	10000
12	Budaun	1	15000	15000	34	Moradabad	1	20000	20000
13	Deoria	1	10000	10000	35	Muzaffarnagar	1	20000	20000
14	Etah	1	10000	10000	36	Pratapgarh	1	10000	10000
15	Etawah	1	20000	20000	37	Raebareli	1	10000	10000
16	Faizabad	1	15000	15000	38	Saharanpur	1	20000	20000
17	Fatehpur	1	10000	10000	39	Shahjahanpur	2	15000	30000
18	Firozabad	2	15000	30000	40	Siddharth Nagar	1	10000	10000
19	Gautambudhnagar	2	15000	30000	41	Sitapur	1	10000	10000
20	Ghaziabad	1	20000	20000	42	Unnao	1	10000	10000
21	Ghazipur	1	10000	10000	43	Varanasi	2	20000	40000
22	Gorakhpur	2	15000	30000		**Total**	**62**		**1055000**

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत उक्त गतिविधि में मेडिकल कालेज में कार्यरत फैकल्टी, यू0जी0 पी0जी0 स्टूडन्ट एंव पैरामेडिकल स्टाफ को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें।

Others including operating costs (OOC)

Procurment of Office Equipment (NDCP.4.73.OOC.1)

उक्त मद में प्रत्येक जनपद हेतु डाटा कम्पाइलेशन एंव वित्तीय कार्य हेतु एक नग Computer with Printer, scanner and UPS अनुमोदित प्रति इकाई 0.75 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। स्टेट टी0बी0 सेल हेतु तीन नग Computer with Printer, scanner ,UPS with Wifi device हेतु प्रति नग रू0 1.10 लाख कुल रू0 3.30 लाख एंव एस0टी0डी0सी0–आगरा हेतु 16 सीसीटीवी कैमरे हेतु कुल रू0 0.75 लाख तथा एस0डी0एस0 आगरा, बरेली, लखनऊ एवं वाराणसी हेतु एक नग Computer with Printer, scanner and UPS हेतु रू0 0.75 लाख प्रति एस0डी0एस0 स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। **उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।** जनपदवार आवंटित धनराशि एवं उपकरणों का विवरण निम्नवत है–

Others including operating costs (OOC) Procurment of Office Equipment FY 2022-23							
S.No	District	Amount (16 CCTV Camera for STDC)	Computer with Printer, scanner and UPS		STC	Computer with Printer, scanner and UPS for SDS	Total
			Quantity	Amount @75000/-			
1	Agra	75000	1	75000	0	75000	225000
2	Aligarh	0	1	75000	0	0	75000
3	Allahabad	0	1	75000	0	0	75000
4	Ambedkarnagar	0	1	75000	0	0	75000
5	Amethi	0	1	75000	0	0	75000
6	Amroha(JP Nagar)	0	1	75000	0	0	75000
7	Auraiya	0	1	75000	0	0	75000
8	Azamgarh	0	1	75000	0	0	75000
9	Baghpat	0	1	75000	0	0	75000
10	Bahraich	0	1	75000	0	0	75000
11	Ballia	0	1	75000	0	0	75000
12	Balrampur	0	1	75000	0	0	75000
13	Banda	0	1	75000	0	0	75000
14	Barabanki	0	1	75000	0	0	75000
15	Bareilly	0	1	75000	0	75000	150000
16	Basti	0	1	75000	0	0	75000
17	Bijnour	0	1	75000	0	0	75000
18	Budaun	0	1	75000	0	0	75000
19	Bulandsahr	0	1	75000	0	0	75000
20	Chandauli	0	1	75000	0	0	75000
21	Chitrakoot	0	1	75000	0	0	75000
22	Deoria	0	1	75000	0	0	75000
23	Etah	0	1	75000	0	0	75000
24	Etawah	0	1	75000	0	0	75000
25	Faizabad	0	1	75000	0	0	75000
26	Farrukhabad	0	1	75000	0	0	75000
27	Fatehpur	0	1	75000	0	0	75000
28	Firozabad	0	1	75000	0	0	75000
29	Gautambudhnagar	0	1	75000	0	0	75000
30	Ghaziabad	0	1	75000	0	0	75000
31	Ghazipur	0	1	75000	0	0	75000
32	Gonda	0	1	75000	0	0	75000
33	Gorakhpur	0	1	75000	0	0	75000
34	Hamirpur	0	1	75000	0	0	75000
35	Hapur	0	1	75000	0	0	75000
36	Hardoi	0	1	75000	0	0	75000
37	Hathras	0	1	75000	0	0	75000
38	Jalaun	0	1	75000	0	0	75000
39	Jaunpur	0	1	75000	0	0	75000
40	Jhansi	0	1	75000	0	0	75000
41	Kannauj	0	1	75000	0	0	75000
42	Kanpurdehat	0	1	75000	0	0	75000
43	Kanpur Nagar	0	1	75000	0	0	75000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	1	75000	0	0	75000
45	Kaushambhi	0	1	75000	0	0	75000
46	Kushinagar	0	1	75000	0	0	75000
47	Lakhimpur Khiri	0	1	75000	0	0	75000
48	Lalitpur	0	1	75000	0	0	75000
49	Lucknow	0	1	75000	0	75000	150000
50	Maharajganj	0	1	75000	0	0	75000
51	Mahoba	0	1	75000	0	0	75000
52	Mainpuri	0	1	75000	0	0	75000
53	Mathura	0	1	75000	0	0	75000
54	Mau	0	1	75000	0	0	75000
55	Meerut	0	1	75000	0	0	75000

Others including operating costs (OOC) Procurment of Office Equipment FY 2022-23							
S.No	District	Amount (16 CCTV Camera for STDC)	Computer with Printer, scanner and UPS		STC	Computer with Printer, scanner and UPS for SDS	Total
			Quantity	Amount @75000/-			
56	Mirzapur	0	1	75000	0	0	75000
57	Moradabad	0	1	75000	0	0	75000
58	Muzaffarnagar	0	1	75000	0	0	75000
59	Pilibhit	0	1	75000	0	0	75000
60	Pratapgarh	0	1	75000	0	0	75000
61	Raebareli	0	1	75000	0	0	75000
62	Rampur	0	1	75000	0	0	75000
63	Saharanpur	0	1	75000	0	0	75000
64	Sambhal	0	1	75000	0	0	75000
65	Sant Kabir Nagar	0	1	75000	0	0	75000
66	Sant Ravidas Nagar	0	1	75000	0	0	75000
67	Shahjahanpur	0	1	75000	0	0	75000
68	Shamli	0	1	75000	0	0	75000
69	Sravasti	0	1	75000	0	0	75000
70	Siddharth Nagar	0	1	75000	0	0	75000
71	Sitapur	0	1	75000	0	0	75000
72	Sonbhadra	0	1	75000	0	0	75000
73	Sultanpur	0	1	75000	0	0	75000
74	Unnao	0	1	75000	0	0	75000
75	Varanasi	0	1	75000	0	75000	150000
	Total	75000	**75**	**5625000**	**0**	**300000**	**6000000**
	State	0	**0**	**0**	**330000**	**0**	330000
	Grand Total	75000	**75**	**5625000**	**330000**	**300000**	**6330000**

Incentive for community volunteers undertaking ACF (NDCP.4.73.OOC.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा समस्त जनपदों में 10% जनसंख्या हेतु दो चरण एक्टिव केस फाइडिंग की गतिविधि सम्पादित करायी जायेगी,जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। 30 जनपदों हेतु Presumptive TB examination rate की समीक्षा के आधार पर 10% जनसंख्या हेतु भारत सरकार द्वारा एक अतिरिक्त चरण एक्टिव केस फाइडिंग गतिविधि अनुमोदित की गयी है। उक्त चरणों के संचालन हेतु राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जनपदों को पृथक से प्रेषित किये जायेगे। एक्टिव केस फाइन्डिंग की गतिविधि के सफल संचालन हेतु इस मद में भारत सरकार द्वारा इनसेन्टिव की दरें निम्नवत है –

1. Incentives to the team members(Asha / Voulenteer) (Team would comprise of 3 Members = Rs. 150 Per team member /day (Maximum for 10 days in each round)
2. Incentives to each team members for every TB Case detected in ACF round and placed on treatment = Rs. 600/team i.e. Rs. 200 per person.
3. Incentives to one lab personal either Lab technician or Lab assistant or Sputum microscopist of DMCs in linked in ACF round for sputum examination = Rs. 150 per day (Maximum for 10 days in each round).
4. Honorarium to Team Supervisors (Who will be supervisor), Rs. 300 / day (10 days in ACF round).
5. There shall be One Team Supervisor on the average on 5 teams.
6. The team supervisors shall supervise his assigned team's visits on his/ her tally sheet, ensure sputum collection and transport and compile each day's ACF Reporting format and submit it to the MOPHI.
7. There shall be One MOTC on the average on 15 teams i.e. 3 supervisors who shall ensure the work of the team supervisors by making random home visits for confirmation of the teams' field visit work. Vehicle being used under NHM for routine Monitoring and Supervision to be used by MOTC/MOIC/BMO for 5 days in each ACF round).

Printing (NDCP.4.73.OOC.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों पर Revised Records and Registers एवं विभिन्न प्रपत्रों (ट्रीटमेंट कार्ड, पेशेन्ट आईडेन्टिटीकार्ड, टी0बी0 नोटिफिकेशन रजिस्टर, लेबोरेट्री (एनेक्सर 15-A) फार्म, रेफरेल फार्म, हेल्थ स्टेबलिसमेंट रजिस्ट्रेशन फार्म, ट्रान्सफर फार्म, ट्रेनिंग माड्यूल, क्वाटरिली रिपोर्ट फारमेट, एक्सन प्लान, ई0क्यू0ए0 फारमेट, पी0एम0डी0टी0 फारमेट), आर0बी0एस0के0 / आर0के0एस0के0 टीमों एवं सी0एच0ओ0 हेतु प्रपत्र इत्यादि की प्रिटिंग कराने हेतु सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये।

एक्टिव केस फाइन्डिंग गतिविधि के चरणों के सफल संचालन हेतु आवश्यक फारमेट की प्रिटिंग हेतु धनराशि जनपदवार आंवटित धनराशि से व्यय नियमानुसार किया जाना है। राज्य स्तरीय प्रिंटिग हेतु एस0टी0डी0सी0 आगरा को उक्त मद में रूपये 15 लाख की धनराशि जनपद आगरा की अनुमोदित धनराशि में सम्मिलित की गई है।

Surveillance, Research, Review, Evaluation (SRRE)

Sub National Certificate (NDCP.4.73.SRRE.1)

प्रदेश के 20 जनपदों को वर्ष 2025 के टी0बी0 मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु टी0बी0 फ्री सर्टीफिकेशन हेतु 02 जनपद हेतु रू0 5.00 लाख प्रति जनपद स्वर्ण प्रमाणीकरण हेतु, 8 जनपदों को रू0 3.00 लाख प्रति जनपद रजत प्रमाणीकरण हेतु तथा 10 जनपदों को रू0 2.00 लाख प्रति जनपद कांस्य प्रमाणीकरण हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी है। भारत सरकार द्वारा पदक प्राप्त होने पर राज्य स्तर से जनपदों को पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेगे।

NTF/ZTF/ STF (NDCP.4.73.SRRE.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत मेडिकल कालेज में राज्य स्तरीय गतिविधि के अर्न्तगत 02 एस0टी0एफ0 बैठक हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपद बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक इन्सटिट्यूट आफ मेडिकल साइसेज, बरेली में दिनांक 15.09.2022 को प्रस्तावित एस0टी0एफ0 बैठक हेतु 0.75 लाख की धनराशि आंबटित की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

74. Nikshay Poshan Yojana-DBT

NPY for DSTB patients & DRTB Paitents (NDCP.4.74.DBT.1)

वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500/– प्रति माह की दर से नियमानुसार निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टीफिकेट का उपयोग करते हुए डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान किया जाना है, एंव FAMS पोर्टल पर व्यय की सूचना अंकित किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2022–23 में उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

75 . PPP-DBT

Private Provider Incentive (NDCP.4.75.DBT.1)

वर्ष 2018–19 में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टीबी नोटीफिकेशन को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर डीबीटी माध्यम से उनके खाते में प्रति टी0बी0 मरीज के नोटीफिकेशन पर रू0 500/– तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रू0 500/– का प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Informant Incentive (NDCP.4.75.DBT.2)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015/24/2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बीटी0 द्वारा रू0 500/– का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Others including operating costs (OOC)

Any Public Private Mix (PP/NGO Support) (NDCP.4.75.OOC.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत एस0जी0पी0जी0आई0–लखनऊ, आर0एम0एल0 संस्थान–लखनऊ एवं एस0आर0एम0एस0 –बरेली में फालोअप सर्विसेज (According to MOU) हेतु धनराशि नियमानुसार दिया जाना है। जनपदों के राज्य/डी0एच0एस0 के माध्यम से स्वीकृत एम0ओ0यू0 के उपरान्त कार्यरत

एन0जी0ओ0 / पी0पी0 स्कीम हेतु धनराशि अनुमोदित की गयी है जिसका व्यय इस मद से नियमानुसार किया जाना है।

Public Private Support Agency (PPSA) (NDCP.4.75.OOC.1)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राज्य के 20 जनपदों (अयोध्या, आजमगढ, बहराइच, बलिया, बांदा, बारांबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गोण्डा, हरदोई, खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर एवं शाहजहांपुर) एंव 16 जनपदों (आगरा, अलीगढ, बरेली, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुरनगर, लखनऊ, मथुरा, मरेठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर एवं वाराणसी) को पेशेन्ट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेन्सी (पीपीएसए) हेतु कुल रू0 6055.50 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है। उक्त गतिविधि के क्रियान्यवन हेतु राज्य स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Multi-sectoral collaboration activities

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्विभागीय विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तर पर कार्याशालाओं का आयोजन कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Multi-sectoral collaboration activities (Any activities for collaborating with other line departments and organizations (eg: AYUSH, Directorates of Labour, Rural Development, Urban Development, Industries, PRI, Railways, etc)		
Sr.No	**Activity**	**Unit Cost of State Level Activities (In Rupees)**
1	ICDS,	50000
2	Directorates of Labour and Industries	50000
3	Education	50000
4	PRI	50000
5	Social welfare	50000
6	Railways and Ayush	50000
	Total	**300000**

76 LTBI-Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)

Screening, referral linkages and follow-up under Latent TB Infection Management (NDCP.4.76.DI.1)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Diagnosis of LTBI (NDCP.4.76.DI.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Drugs

Treatment of LTBI (NDCP.4.76.DS)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

77 DRTB-DBT

Treatment Supporter Honorarium (Rs.5000) (NDCP.4.77.DBT.2)

उप महानिदेशक, सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली के ईमेल दिनांक 19 जुलाई 2019 के साथ श्री संजीवा कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक (नाको एण्ड आरएनटीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 जेड–28015 / 24 / 2017–टीबी दिनांक 09.07.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 में उक्त मद में आवंटित धनराशि के अनुसार जनपदों द्वारा निःक्षय पोर्टल के माध्यम से डी0बी0टी0 से नियमानुसार व्यय किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

Infrastructure - Civil works (I&C)

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs (NDCP.4.77.IC)

उक्त मद में अनुमोदित धनराशि से जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई कल्चर डी0एस0टी0, आई0आर0एल0, डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, ट्रूनाट/ सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब के माइनर सिविल वर्क का कार्य आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार सम्पादित कराया जाय। राज्य स्तरीय इकाई हेतु आंवटित धनराशि सम्बन्धित जनपदों कों आंवटित धनराशि में सम्मलित है। जिसका जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs									
S.No	**District**	**DR TB Centre**	**CBNAAT**	**Truenat**	**DRTB @5000**	**CBNAAT @2000**	**Truenat @ 2000**	**C&DST /IRL**	**Amount**
1	Agra	1	5	10	5000	10000	20000	150000	185000
2	Aligarh	1	4	9	5000	8000	18000	150000	181000
3	Allahabad	2	5	14	10000	10000	28000	0	48000
4	Ambedkarnagar	1	2	4	5000	4000	8000	0	17000
5	Amethi	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
6	Amroha(JP Nagar)	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
7	Auraiya	1	1	5	5000	2000	10000	0	17000
8	Azamgarh	0	2	7	0	4000	14000	0	18000
9	Baghpat	0	1	2	0	2000	4000	0	6000
10	Bahraich	0	2	9	0	4000	18000	0	22000
11	Ballia	0	2	2	0	4000	4000	0	8000
12	Balrampur	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
13	Banda	0	1	5	0	2000	10000	0	12000
14	Barabanki	1	3	10	5000	6000	20000	0	31000
15	Bareilly	1	4	8	5000	8000	16000	0	29000
16	Basti	0	2	3	0	4000	6000	0	10000
17	Bijnour	0	3	8	0	6000	16000	0	22000
18	Budaun	0	2	7	0	4000	14000	0	18000
19	Bulandsahr	0	3	7	0	6000	14000	0	20000
20	Chandauli	0	1	5	0	2000	10000	0	12000
21	Chitrakoot	0	1	2	0	2000	4000	0	6000
22	Deoria	0	2	6	0	4000	12000	0	16000
23	Etah	1	1	7	5000	2000	14000	0	21000
24	Etawah	0	3	4	0	6000	8000	100000	114000
25	Faizabad	0	2	4	0	4000	8000	0	12000
26	Farrukhabad	0	1	7	0	2000	14000	0	16000
27	Fatehpur	0	2	8	0	4000	16000	0	20000
28	Firozabad	0	2	6	0	4000	12000	0	16000
29	Gautambudhnagar	1	3	5	5000	6000	10000	0	21000
30	Ghaziabad	0	4	11	0	8000	22000	0	30000
31	Ghazipur	0	2	4	0	4000	8000	0	12000
32	Gonda	1	2	7	5000	4000	14000	0	23000
33	Gorakhpur	0	4	9	0	8000	18000	150000	176000
34	Hamirpur	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
35	Hapur	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
36	Hardoi	0	3	9	0	6000	18000	0	24000
37	Hathras	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
38	Jalaun	0	1	6	0	2000	12000	0	14000
39	Jaunpur	1	3	14	5000	6000	28000	0	39000
40	Jhansi	0	3	5	0	6000	10000	0	16000
41	Kannauj	1	2	3	5000	4000	6000	0	15000
42	Kanpurdehat	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
43	Kanpur Nagar	1	5	13	5000	10000	26000	0	41000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	1	5	0	2000	10000	0	12000
45	Kaushambhi	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
46	Kushinagar	1	1	6	5000	2000	12000	0	19000
47	Lakhimpur Khiri	0	3	14	0	6000	28000	0	34000
48	Lalitpur	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
49	Lucknow	1	6	16	5000	12000	32000	150000	199000
50	Maharajganj	0	1	7	0	2000	14000	0	16000
51	Mahoba	0	1	2	0	2000	4000	0	6000
52	Mainpuri	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
53	Mathura	0	4	5	0	8000	10000	0	18000
54	Mau	0	2	3	0	4000	6000	0	10000
55	Meerut	2	5	6	10000	10000	12000	150000	182000
56	Mirzapur	0	2	4	0	4000	8000	0	12000
57	Moradabad	1	3	12	5000	6000	24000	0	35000
58	Muzaffarnagar	1	2	9	5000	4000	18000	0	27000
59	Pilibhit	0	2	5	0	4000	10000	0	14000
60	Pratapgarh	0	2	9	0	4000	18000	0	22000
61	Raebareli	0	2	7	0	4000	14000	0	18000
62	Rampur	0	2	16	0	4000	32000	0	36000
63	Saharanpur	0	3	12	0	6000	24000	0	30000

Initial Establishment / Refurbishment / Upgradation of Nodal DRTB centre, CBNAAT, TRUNAAT sites, IRL & CDST labs									
S.No	**District**	**DR TB Centre**	**CBNAAT**	**Truenat**	**DRTB @5000**	**CBNAAT @2000**	**Truenat @ 2000**	**C&DST /IRL**	**Amount**
64	Sambhal	0	1	7	0	2000	14000	0	16000
65	Sant Kabir Nagar	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
66	Sant Ravidas Nagar	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
67	Shahjahanpur	0	2	4	0	4000	8000	0	12000
68	Shamli	0	1	4	0	2000	8000	0	10000
69	Sravasti	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
70	Siddharth Nagar	0	2	4	0	4000	8000	0	12000
71	Sitapur	0	3	13	0	6000	26000	0	32000
72	Sonbhadra	0	1	3	0	2000	6000	0	8000
73	Sultanpur	0	1	6	0	2000	12000	0	14000
74	Unnao	0	2	6	0	4000	12000	0	16000
75	Varanasi	2	4	9	10000	8000	18000	150000	186000
	Total	**22**	**161**	**486**	**110000**	**322000**	**972000**	**1000000**	2404000
	State	0	0	0	0	0	0	350000	350000
	Grand Total	**22**	**161**	**486**	**110000**	**322000**	**972000**	**1350000**	**2754000**

Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics (NDCP.4.77.EQ.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 29 नवीन डिजिटल एक्सरे मशीन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। जिला क्षयरोग केन्द्र में स्थित कमरे जिसमें डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित की जानी है में 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर विद स्टेबलाइजर के क्रय एंव इस्टॉलेशन हेतु रू0 75 हजार प्रति डिजिटल एक्सरे मशीन कुल रू0 21.75 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त मद में 56 जनपदीय डी0आर0टी0बी0 सेन्टर हेतु 56 **ECG** मशीन, प्रति साइट 01 नग **ECG** मशीन रू0 90 हजार प्रति मशीन कुल रू0 50.40 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो। जनपदवार आवंटित धनराशि एवं उपकरणों का विवरण निम्नवत है–

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics											
S.No	**District**	**New XRAY Site**	**New 29 X Ray Machine Sites AC @75,000 per site**	**District DRTB**	**ECG for district DRTB Centre (56@90000/- per site)**	**CBNAAT Batteries @ 80000 per site (40sites)**	**Truenat machine (DUO) 300 Machine for 2022-23 (@900000/- per Machine)**	**IRL/C&DST Lab**	**C&DST Lab GB Nagar and SGPGI Lucknow Equipment**	**Prayagraj LPA Equipment**	**Amount**
1	Agra	1	75000	0	0	0	0	777000	0	0	852000
2	Aligarh	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	350000
3	Allahabad	2	150000	0	0	0	0	0	0	3100000	3250000
4	Ambedkarnagar	1	75000	0	0	0	0	0	0	0	75000
5	Amethi	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
6	Amroha(JP Nagar)	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
7	Auraiya	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
8	Azamgarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Baghpat	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
10	Bahraich	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
11	Ballia	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
12	Balrampur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
13	Banda	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
14	Barabanki	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
15	Bareilly	1	75000	0	0	0	0	0	0	0	75000
16	Basti	1	75000	0	0	0	0	0	0	0	75000
17	Bijnour	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
18	Budaun	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
19	Bulandsahr	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
20	Chandauli	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
21	Chitrakoot	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
22	Deoria	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
23	Etah	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
24	Etawah	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
25	Faizabad	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
26	Farrukhabad	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
27	Fatehpur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
28	Firozabad	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
29	Gautambudhnagar	0	0	1	90000	0	0	0	8700000	0	8790000
30	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Procurement of equipment for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics											
S.No	District	New XRAY Site	New 29 X Ray Machine Sites AC @75,000 per site	District DRTB	ECG for district DRTB Centre (56@90000/- per site)	CBNAAT Batteries @ 80000 per site (40sites)	Truenat machine (DUO) 300 Machine for 2022-23 (@900000/- per Machine)	IRL/C&DST Lab	C&DST Lab GB Nagar and SGPGI Lucknow Equipment	Prayagraj LPA Equipment	Amount
31	Ghazipur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
32	Gonda	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
33	Gorakhpur	1	75000	0	0	0	0	90000	0	0	165000
34	Hamirpur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
35	Hapur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
36	Hardoi	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
37	Hathras	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
38	Jalaun	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
39	Jaunpur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
40	Jhansi	1	75000	0	0	0	0	495000	0	0	570000
41	Kannauj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kanpurdehat	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
43	Kanpur Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
45	Kaushambhi	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
46	Kushinagar	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
47	Lakhimpur Khiri	1	75000	0	0	0	0	0	0	0	75000
48	Lalitpur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
49	Lucknow	0	0	0	0	0	0	105000	8700000	0	8805000
50	Maharajganj	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
51	Mahoba	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
52	Mainpuri	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
53	Mathura	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
54	Mau	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
55	Meerut	0	0	0	0	0	0	375000	0	0	375000
56	Mirzapur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
57	Moradabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Muzaffarnagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Pilibhit	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
60	Pratapgarh	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
61	Raebareli	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
62	Rampur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
63	Saharanpur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
64	Sambhal	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
65	Sant Kabir Nagar	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
66	Sant Ravidas Nagar	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
67	Shahjahanpur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
68	Shamli	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
69	Sravasti	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
70	Siddharth Nagar	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
71	Sitapur	1	75000	1	90000	0	0	0	0	0	165000
72	Sonbhadra	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
73	Sultanpur	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
74	Unnao	0	0	1	90000	0	0	0	0	0	90000
75	Varanasi	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000
	Total	**29**	**2175000**	**56**	**5040000**	**0**	**0**	**3192000**	**17400000**	**3100000**	**30907000**
	State	0.0	0.0	0.0	0	3200000	270000000	0.0	0.0	0	273200000
	Grand Total	**29**	**2175000**	**56**	**5040000**	**3200000**	**270000000**	**3192000**	**17400000**	**3100000**	**304107000**

राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी0यू0/डी0एम0सी0 के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब/ आई0आर0एल0 आगरा, लखनऊ, इटावा, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एंव वाराणसी हेतु कुल रू0 31.92 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है –

IRL/ C&DST Lab Equipment							
IRL/ C&DST Lab Name	**Quantity**	**Unit Cost (Rs.)**	**Total Cost (Rs.)**	**IRL/ C&DST Lab Name**	**Quantity**	**Unit Cost (Rs.)**	**Total Cost (Rs.)**
IRL Agra				**C& DST Lab Etawah**			
Horizontal Autoclave 300 Litres	1	500000	500000	Biosafety Cabinet Class II A2 with thimble duct	1	500000	500000
UPS with Battery (3 KVA)	2	60000	120000	3 KVA UPS for Biosafety Cabinet with battery pack			

pH Meter	1	20000	20000				**500000**
Water bath	1	25000	25000	**C& DST Lab Meerut**			
Digital Thermometer	12	6000	72000	sand media filter instruments + RO Water plant + water softner	1	350000	350000
Hot Plate for Slide Staning	1	40000	40000	homogenizer/ tissue grinder	1	25000	25000
			777000				**375000**
IRL Lucknow				**C& DST Lab Varanasi**			
Pipette-6	6	5000	30000	Verticle Autoclave	1	200000	200000
Desktop Computer along with UPS-1	1	75000	75000	Room AC 1.5 ton	1	40000	40000
			105000	Room AC 2.0 ton	1	60000	60000
C& DST Lab Jhansi				Photocopier with scanner (ADF)	1	100000	100000
Laminar Air Flow 4*2 including Electronic Controler & Safety	1	250000	250000	Refrigerator 400 L (2-8 C)	1	100000	100000
Hot Plate	1	10000	20000				**500000**
Computer, modem, scanner, printer, UPS etc	1	75000	75000	**C& DST Lab Gorakhpur**			
Refrigerator & AC	1	150,000	150,000	Refrigerator 140 ltrs. (2-8^{0}C)	1	90000	90000
			495000				**90000**
				C& DST Lab Aligarh			
				Milipore ultrafilteration plant	1	350000	350000
							350000

राज्य स्तरीय इकाई हेतु आंवटित धनराशि सम्बन्धित जनपदों कों आंवटित धनराशि में सम्मिलित है। जिसका जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार धनराशि व्यय किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब जी0बी0 नगर (जिम्स, ग्रेटर नोयडा) एंव लखनऊ (एस0जी0पी0जी0आई0) हेतु Liquid Culture के उपकरण के क्रय हेतु प्रति लैब रू0 55.00 लाख एंव अन्य उपकरण हेतु प्रति लैब रू0 32.00 लाख कुल धनराशि प्रति लैब रू0 87.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एंव **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार किया जायेगा।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध उक्त अनुमोदित जिसका विवरण निम्नवत है–

Liquid Culture Equipment detail with Approx unit cost for FY 2022-23				
Purpose	**Equipment**	**Quantity**	**Approx unit cost (Rs.)**	**Total approved Amount for One Lab**
Liquid Culture	Biosafety Cabinet Class II A2 with 3 KVA UPS	3	350000	1050000
	Electric Micro Incinerator	3	53000	159000
	Refrigerator 300-450 L (2-8 deg C)	1	24000	24000
	Refrigerated Centrifuge with 3KVA UPS	2	401750	803500
	Precision Balance	1	70500	70500
	MGIT 960 including Accessories, Training and Installations	1	2730000	2730000
	Printer	1	31000	31000
	UPS-3KVA	1	125000	125000
	CMC of MGIT for 2 year	1	358000	358000
	MicroMGIT Fluorescence Manual Tube reader	1	56000	56000
	Vortex Mixer	3	11000	33000
	Analytical Balance	1	60000	60000
			Total	**5500000**

Other Equipment for C&DST Lab detail with Approx unit cost for FY 2022-23					
S.No.	**Purpose**	**Equipment**	**Quantity**	**Approx Unit cost (INR)**	**Total Approved Cost for One LAB (INR)**
1	**Washing & Sterilization**	Horizontal Autoclave-300ltrs	1	380000	380000
		Vertical Autoclave-70ltrs	2	98000	196000
		Hot Air Oven-260 ltrs	1	110000	110000
2	**Supportive Equipment**	Incubator 37 Deg C	2	200000	400000
		Deep Freezer (- 86 deg C)	1	379400	379400
		Refrigerator 300-450 L (2-8 deg C)	3	25000	75000
		Deep Freezer (-20 deg C)	2	97000	194000
		Refrigerator 165-200L (2-8 deg C)	1	15000	15000
		Water bath	1	25000	25000

Other Equipment for C&DST Lab detail with Approx unit cost for FY 2022-23					
S.No.	**Purpose**	**Equipment**	**Quantity**	**Approx Unit cost (INR)**	**Total Approved Cost for One LAB (INR)**
		Water Distillation Unit	1	50000	50000
		Pipette 0.5-10ul	4	6600	26400
		Pipette 2-20ul	4	6600	26400
		Pipette 100-1000ul	4	6600	26400
		Pipette 20-200ul	4	6600	26400
		Pipette Rack	10	3000	30000
		Inspissator	1	400000	400000
		pH Meter	1	65000	65000
		Split AC with Stabilizer-1.5 TON	3	40000	120000
		Split AC with Stabilizer-2 TON	3	60000	180000
3	**Power Back Up**	UPS 3KVA	5	50000	250000
		UPS 5KVA	2	95000	190000
4	**Other Equipment**	RO Plant	1	35000	35000
		Total			**3200000**

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब, प्रयागराज हेतु LPA के उपकरण के क्रय हेतु रू0 31.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है, उक्त अनुमोदित जिसका विवरण निम्नवत है –

C&DST Lab Prayagraj LPA equipment detail with Approx cost under NTEP for FY 2022-23					
S.No.	**Purpose**	**Equipment**	**Quantity**	**Approx Unit cost (Rs.)**	**Total Approved Amount**
1	**DNA extraction**	Microliter Centrifuge	2	110000	220000
		Universal Oven 32 L	1	45000	45000
2	**Master Mix**	PCR Workstation	1	260000	260000
		Microfuge	1	15000	15000
		Deep Freezer (-20 deg C)	1	100000	100000
3	**Amplification**	PCR Workstation	1	260000	260000
		Thermocycler, 96 positions for 0.2 ml tubes	2	220000	440000
		Refrigerator 165-200L (2-8 deg C)	1	10000	10000
4	**Hybridization**	GT blot - 48	1	1220000	1220000
		Twincubator	2	200000	400000
		Water bath	1	22000	22000
		Deep Freezer (- 20 deg C)	1	98000	98000
		Refrigerator 165-200L (2-8 deg C)	1	10000	10000
Total					**3100000**

उक्त उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है। उपकरण का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत जनरल फाइनेशियल रूल 2017 एंव **Procurement** की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है।

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।

Maintenance and Management for DR TB Centre, IRL, C &DST Lab and Molecular Diagnostics Equipment (NDCP.4.77.EQ.1)

उक्त मद में जनपद/ राज्य स्तरीय ईकाई कल्चर डी0एस0टी0, आई0आर0एल0, डी0आर0टी0बी0 सेन्टर, ट्रूनाट/ सी0बी0एन0ए0ए0टी0 लैब इत्यादि एंव राज्य स्तरीय प्रयोगशाला कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब/ आई0आर0एल0 में प्रयोग किये जा रहे क्रियाशील उपकरणों के नियमानुसार रख रखाव एवं मेंटेनन्स हेतु वर्ष 2022–23 में उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है। उक्त राज्य स्तरीय प्रयोगशाला हेतु आंवटित धनराशि में सम्बन्धित जनपदों की आंवटित धनराशि में सम्मलित है। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत जनरल फाइनेशियल रूल की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना है।

Maintenance / up gradation costs for Laboratory equipments (if not covered under NHM Bio Medical Equipment Maintenance Programme/contract), CBNAAT UPS and office equipments etc.(Computer, Fax machine) FY 2022-23						
S.No	**District**	**DRTB/CBNAAT/Truenat**	**IRL/C&DST**	**Find support Equipment (AMC+ CMC**		**Total**
				AMC	**CMC**	
1	Agra	100000	750000	1085000	700000	2635000
2	Aligarh	100000	500000	830000	200000	1630000
3	Allahabad	100000	100000	0	0	200000

Maintenance / up gradation costs for Laboratory equipments (if not covered under NHM Bio Medical Equipment Maintenance Programme/contract), CBNAAT UPS and office equipments etc.(Computer, Fax machine) FY 2022-23						
S.No	District	DRTB/CBNAAT/Truenat	IRL/C&DST	Find support Equipment (AMC+ CMC		Total
				AMC	CMC	
4	Ambedkarnagar	100000	0	0	0	100000
5	Amethi	100000	0	0	0	100000
6	Amroha(JP Nagar)	100000	0	0	0	100000
7	Auraiya	100000	0	0	0	100000
8	Azamgarh	100000	0	0	0	100000
9	Baghpat	100000	0	0	0	100000
10	Bahraich	100000	0	0	0	100000
11	Ballia	100000	0	0	0	100000
12	Balrampur	100000	0	0	0	100000
13	Banda	100000	0	0	0	100000
14	Barabanki	100000	0	0	0	100000
15	Bareilly	100000	0	0	0	100000
16	Basti	100000	0	0	0	100000
17	Bijnour	100000	0	0	0	100000
18	Budaun	100000	0	0	0	100000
19	Bulandsahr	100000	0	0	0	100000
20	Chandauli	100000	0	0	0	100000
21	Chitrakoot	100000	0	0	0	100000
22	Deoria	100000	0	0	0	100000
23	Etah	100000	0	0	0	100000
24	Etawah	100000	100000	0	0	200000
25	Faizabad	100000	0	0	0	100000
26	Farrukhabad	100000	0	0	0	100000
27	Fatehpur	100000	0	0	0	100000
28	Firozabad	100000	0	0	0	100000
29	Gautambudhnagar	100000	0	0	0	100000
30	Ghaziabad	100000	0	0	0	100000
31	Ghazipur	100000	0	0	0	100000
32	Gonda	100000	0	0	0	100000
33	Gorakhpur	100000	500000	1000000	700000	2300000
34	Hamirpur	100000	0	0	0	100000
35	Hapur	100000	0	0	0	100000
36	Hardoi	100000	0	0	0	100000
37	Hathras	100000	0	0	0	100000
38	Jalaun	100000	0	0	0	100000
39	Jaunpur	100000	0	0	0	100000
40	Jhansi	100000	100000	0	0	200000
41	Kannauj	100000	0	0	0	100000
42	Kanpurdehat	100000	0	0	0	100000
43	Kanpur Nagar	100000	100000	0	0	200000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	100000	0	0	0	100000
45	Kaushambhi	100000	0	0	0	100000
46	Kushinagar	100000	0	0	0	100000
47	Lakhimpur Khiri	100000	0	0	0	100000
48	Lalitpur	100000	0	0	0	100000
49	Lucknow	100000	750000	1220000	1200000	3270000
50	Maharajganj	100000	0	0	0	100000
51	Mahoba	100000	0	0	0	100000
52	Mainpuri	100000	0	0	0	100000
53	Mathura	100000	0	0	0	100000
54	Mau	100000	0	0	0	100000
55	Meerut	100000	500000	1000000	200000	1800000
56	Mirzapur	100000	0	0	0	100000
57	Moradabad	100000	0	0	0	100000
58	Muzaffarnagar	100000	0	0	0	100000
59	Pilibhit	100000	0	0	0	100000
60	Pratapgarh	100000	0	0	0	100000
61	Raebareli	100000	0	0	0	100000
62	Rampur	100000	0	0	0	100000
63	Saharanpur	100000	0	0	0	100000

Maintenance / up gradation costs for Laboratory equipments (if not covered under NHM Bio Medical Equipment Maintenance Programme/contract), CBNAAT UPS and office equipments etc.(Computer, Fax machine) FY 2022-23						
S.No	**District**	**DRTB/CBNAAT/Truenat**	**IRL/C&DST**	**Find support Equipment (AMC+ CMC**		**Total**
				AMC	**CMC**	
64	Sambhal	100000	0	0	0	100000
65	Sant Kabir Nagar	100000	0	0	0	100000
66	Sant Ravidas Nagar	100000	0	0	0	100000
67	Shahjahanpur	100000	0	0	0	100000
68	Shamli	100000	0	0	0	100000
69	Sravasti	100000	0	0	0	100000
70	Siddharth Nagar	100000	0	0	0	100000
71	Sitapur	100000	0	0	0	100000
72	Sonbhadra	100000	0	0	0	100000
73	Sultanpur	100000	0	0	0	100000
74	Unnao	100000	0	0	0	100000
75	Varanasi	100000	500000	1220000	400000	2220000
	Total	**7500000**	**3900000**	**6355000**	**3400000**	**21155000**
	State	**0**	0	45000	600000	645000
	Grand Total	**7500000**	**3900000**	**6400000**	**4000000**	**21800000**

Drugs

Procurement of DRTB drugs (Local Procurement of second line drugs) (NDCP.4.77.DS.1)

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य एवं जनपद स्तरीय ईकाईयों में सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन के अनुमोदन/आदेश पर **Second line Anti TB** औषधि के स्थानीय क्रय हेतु कुल रू0 450.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है, जिसका उपयोग जनपद में जिला स्वास्थ समीति के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार सम्पादित कराया जाये। **उक्त के क्रय हेतु भारत सरकार के स्तर से लोकल प्रोक्योरमेन्ट हेतु प्राप्त दिशा–निर्देश के क्रम में पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेगे।**

उक्त का क्रय भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 उपलब्ध हो।

Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)

Lab Materials and consumables for DMCs (Procurement of Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL) (NDCP.4.77.DI)

उक्त मद में सामान्य क्षय रोगियों एवं एम0डी0आर0 क्षय रोगियों के बलगम परीक्षण तथा फालोअप परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं आई0आर0एल0/कल्चर डी0एस0टी0 में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 की गाइडलाइन के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा।

आई0आर0एल0–आगरा एवं लखनऊ हेतु प्रति इकाई रू0 10.00 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–अलीगढ, वाराणसी, गोरखपुर एवं मेरठ हेतु प्रति इकाई रू0 5.00 लाख, कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–इटावा, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर एवं एस0जी0पी0जी0आई0 हेतु प्रति इकाई रू0 2.00 लाख तथा कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब–जी0बी0 नगर हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित किया गया है। जनपदों को आवंटित धनराशि में उक्त धनराशि सम्मिलित है। उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अर्न्तगत वित्तीय गाइडलाइन एंव **Procurement** गाइडलाइन के अनुसार, नियमानुसार किया जायेगा।

Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL								
SN	**District**	**Trunat chips**		**IRL/ C&DST**	**CBNAAT Cartiridge (400000 cartiridge@1000/cartiridge)**	**C&DST/IRL Kit**	**Funds also for 1lkah LPA tests to be outsourced to Public/ Private labs as per the State approval.**	**In Rupees**
		MTB (400000per annum* @650/-per MTB Chip)	**Rif Chip (160000 per annum *650/- per Rif chip)**					
1	Agra	0.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000
2	Aligarh	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000
3	Allahabad	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000
4	Ambedkarnagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5	Amethi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6	Amroha(JP Nagar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7	Auraiya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8	Azamgarh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Lab Materials and consumables for molecular diagnostics and CDST, IRL								
SN	District	Trunat chips		IRL/ C&DST	CBNAAT Cartiridge (400000	C&DST/IRL Kit	Funds also for 1lkah LPA tests to be outsourced to	In Rupees
		MTB (400000	Rif Chip (160000					
9	Baghpat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	Bahraich	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
11	Ballia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
12	Balrampur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
13	Banda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
14	Barabanki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
15	Bareilly	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16	Basti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
17	Bijnour	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
18	Budaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
19	Bulandsahr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20	Chandauli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21	Chitrakoot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	Deoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
23	Etah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
24	Etawah	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000
25	Faizabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
26	Farrukhabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
27	Fatehpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
28	Firozabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
29	Gautambudhnagar	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000
30	Ghaziabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31	Ghazipur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
32	Gonda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
33	Gorakhpur	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000
34	Hamirpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
35	Hapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
36	Hardoi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
37	Hathras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
38	Jalaun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
39	Jaunpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
40	Jhansi	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000
41	Kannauj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42	Kanpurdehat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
43	Kanpur Nagar	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000
44	Kasganj (Kanshiram Nagar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
45	Kaushambhi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
46	Kushinagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
47	Lakhimpur Khiri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
48	Lalitpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
49	Lucknow	0.00	0.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	1200000
50	Maharajganj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
51	Mahoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
52	Mainpuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
53	Mathura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
54	Mau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
55	Meerut	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000
56	Mirzapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
57	Moradabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
58	Muzaffarnagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
59	Pilibhit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
60	Pratapgarh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
61	Raebareli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
62	Rampur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
63	Saharanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
64	Sambhal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
65	Sant Kabir Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
66	Sant Ravidas Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
67	Shahjahanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
68	Shamli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
69	Sravasti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
70	Siddharth Nagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
71	Sitapur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
72	Sonbhadra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
73	Sultanpur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
74	Unnao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
75	Varanasi	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000
	Total	**0.0**	**0.0**	**5100000.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**5100000.0**
	State	260000000.00	104000000.00	5000000.00	400000000.00	210000000.00	10000000.00	989000000
	Grand Total	**260000000.00**	**104000000.00**	**10100000.00**	**400000000.00**	**210000000.00**	**10000000.00**	**994100000.00**

राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त डी0टी0सी0/टी0यू0/डी0एम0सी0/पी0एच0आई0 के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।

Capacity building incl. training

Training (State and District Level) NDCP.4.77.CB

राज्य एवं जनपद स्तरीय मानव संसाधन एवं कार्यक्रम से आच्छादित मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ, ट्रीटमेंट सपोर्टर, सी0एच0ओ0, आयुष चिकित्सक, आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0, इत्यादि का नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण एन0टी0ई0पी0 की गाडलाइन तथा समय समय पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित करायी जाय। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ एवं गोरखपुर) के माध्यम से नियमानुसार सम्पादित करायी जाये।

समस्त जनपदों पर प्रशिक्षण गतिविधियॉ सम्पादित किये जाने हेतु भारत सरकार के सेन्ट्रल टी0बी0 डिवीजन/राज्य स्तर से प्राप्त प्रशिक्षण हेतु माडयूल के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना एवं प्रशिक्षण (जनपद/टीयूवार आदि) की सूचना स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी लखनऊ एवं गोरखपुर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एक्टिव केस फाइन्डिंग के गतिविधि के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षण भी निम्न आवटित धनराशि से किया जाना है, जिसका व्यय जनपदवार आवंटित धनराशि से नियमानुसार किया जाना है।

प्रशिक्षण हेतु स्टेट टी0बी0 डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस0टी0डी0सी0) आगरा को रू0 15.00 लाख एवं क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाईयों (आर.टी.पी.एम.यू. आगरा, बरेली, वाराणसी एवं गोरखपुर को रू0 01.00 लाख प्रति इकाई एवं लखनऊ को रू0 03.00 लाख) उनके सम्बंधित जनपदों में आवंटित की गई है। उक्त धनराशि संबंधित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गयी है।

राज्य/जनपद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु टी0ए0/डी0ए0, ऑनरेरियम, रिफ्रेशमेंट, प्रशिक्षण सामाग्री इत्यादि का भुगतान नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अर्न्तगत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशा0 प0 सं0 D.O. No. A–11033/101/07–Trg दिनांक 28.01.2019 एवं दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप जिला स्वास्थ समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाये। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

78 TB Harega Desh Jeetega Campaign-IEC & Printing

ACSM (State & District) (NDCP.4.78.IEC.1)

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य एवं जनपद स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। एक्टिव केस फाइन्डिंग के चरणों में होने वाली गतिविधियो के सफल संचालन हेतु अनुमोदित धनराशि का व्यय उक्त मद से नियमानुसार किया जायेगा। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP एवं संलग्नक–ए में उल्लिखित है।

Printing (ACSM) (NDCP.4.78.IEC.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रिंटिग (ए0सी0एस0एम0) के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP एवं संलग्नक–ए में उल्लिखित है।

Any other IEC/BCC activities (TB Harega Desh Jeetega Campaign)(NDCP.4.78.IEC.3)

कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य/जनपद स्तर पर जनसामान्य को क्षय रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से टी.बी. हारेगा देश जीतेगा' कैम्पेन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जनपदों द्वारा अपने जनपद की आवश्यकतानुसार गतिविधियों को संचालित कराया जाना है। उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विभिन्न गतिविधियों का विवरण DHAP एवं संलग्नक–ए में उल्लिखित है।

79 State specific Initiatives and Innovations-DBT

Travel Support for DRTB Patients (NDCP.4.79.DBT)

कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों के जॉच/भर्ती/उपचार हेतु आवागमन आदि पर व्यय महानिदेशालय के पत्र एसटीसीएस/142/2009/2936 दिनांक 16 जनवरी 2018 के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाये। जो निम्नवत है।

1. ऐसे संदिग्ध एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों जिनकी जांच के बाद एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोग की पुष्टि हो जाती है उनको निकटतम डी0एम0सी0 /कलेक्शन सेन्टर में प्रथमबार एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 कन्फर्म करने हेतु जांच के लिए सैम्पल देने जाने हेतु Patient support and Transportation पर रू0 100/– देय होगा।
2. जिन एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगियों जिनकी जांच के बाद एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोग की पुष्टि हो जाती है उनको अपने जनपद के निकटतम डी0एम0सी0/कलेक्शन सेन्टर में फालोअप सैम्पल की जांच के लिए जाने हेतु Patient support and Transportation पर रू0 100/– देय होगा।
3. एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी की जांच/भर्ती/उपचार/एडवर्स ड्रग रियक्शन हेतु अपने जनपद में स्थिति डी0टी0सी0/डी0आर0टी0बी0 सेन्टर Patient support and Transportation हेतु उसी जनपद में यात्रा करने पर रू0 300/– प्रति विजिट देय होगा।
4. अगर एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी जिनके गृह जनपद में डी0आर0टी0बी0 सेन्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हे उनके जनपद से लिंक डी0आर0टी0बी0 सेंटर पर एम0डी0आर0/एक्स0डी0आर0 क्षय रोगी की जांच/भर्ती/उपचार/एडवर्स ड्रग रियक्शन के लिए Patient support and Transportation हेतु यात्रा करने पर रू0 600/– प्रति विजिट देय होगा।

उक्त मद में जनपदवार आंवटित धनराशि का विवरण DHAP में उल्लिखित है।

192 Planning and Program Management-Program Management

Supervision and Monitoring (State and District Level) (HSS.11.194.PME.10.1)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Vehicle Operation (POL) (HSS.11.193.PME.10.2)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Vehicle hiring (HSS.11.193.PME.10.3)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Medical Colleges (Any Meetings) (NDCP.4.73.SRRE.COMM)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Office operation (Miscellaneous) (HSS.11.193.PME.10.4)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

Vehicle Operation (Maintenance) (HSS.11.193.PME.10.5)

उक्त मद में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि को राज्य स्तर पर है। जिसके सम्बंध में जनपदवार आंवटित धनराशि एंव विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन की एक चरण में विविध गतिविधियों हेतु मदवार दिशा निर्देश (अनुमोदित आर0ओ0पी0 वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुसार)

S.N	New FMR Code (Approved ROP 2022-23)	Activity Budget Head	Activity
1.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Lab Materials and consumables for DMCs	Laboratory Materials From routine NTEP budget	Purchase of sputum containers, reagents, slides, sling bags and other lab consumables etc as per NTEP guidelines for target population.
2	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Incentive for community volunteers undertaking ACF	Incentives (Honorarium) From community incentives from ACF Budget	The incentives to • The Field team members • Lab technician earmarked for microscopy of samples collected by field teams during ACF round • Honorarium to Team Supervisors, Rs. 300 / day (10 days in ACF round).
3.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Training (State and District Level) **77 DRTB** Training (State and District Level)	Training/Sensitization From routine NTEP budget	Funds for training of ACF personnel *1.* All MOs of the district – Training @ District Level *2.* All NTEP Staff – Training @ District Level *3.* LT of all DMCs – Training @ District Level *4.* All CHO's of the District- Training @ TU/ Block Level. *5.* Field team members – Training @ TU/ Block Level
4.	**73 Drug Sensitive TB (DSTB)** Printing	Printing From routine NTEP budget	Printing material for ACF (reporting Formats, Tally sheets etc)
5.	**78 TB Harega Desh Jeetega** ACSM (State & District) Printing (ACSM)	IEC/ ACSM Activities From ACF Budget	Hoardings, Banners, Wall Paintings, Posters, Pamphlets, Stickers for house door, Certificates to be given as part of school activity, etc)and other activities as enumerated below. As per the district need from the allocated budzet in the head.

Human resource - Service Delivery / Human resources for NTEP drug store/ Human Resource-Programme Management–कार्यक्रम के अर्न्तगत इस मद में राज्य एवं जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के पदों पर मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आर0ओ0पी0 2022–23 के अनुसार, नियमानुसार देय होगा।

कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित मानदेय (मूल मानदेय + लॉयल्टि बोनस (यदि लागू हो) एंव 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्वि) के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित मानदेय मे संविदा कर्मियों को संतोषजनक परफारमेन्स के अधार पर 5 प्रतिशत वेतन वृद्वि नियमानुसार देय होगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि में मासिक मानदेय, 5 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्वि (यदि लागू हो) तथा ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 /जी0एस0टी0 (यदि लागू हो) में सम्मिलित है तथा यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार नियमानुसार देय होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0टी0डी0सी0 आगरा हेतु मानव संसाधन आउटसोर्सिंग के मानदेय की धनराशि जनपद आगरा में सम्मिलित की गयी है।

मानदेय वार्षिक वृद्धि संविदा कर्मियों के 01 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर जनपद स्तर पर सक्षम समिति द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त प्रदान की जाय तथा वार्षिक वेतनवृद्वि योगदान के माह की पहली तारीख से प्रभावी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 2022–23 में अनुमन्य नहीं की गयी है।

Human Resource - HR Approved in ROP 2022-23				
S.No.	**Post Name**	**Sanctioned Posts till 2021-22**	**New position Sanctioned in ROP FY 2022-23**	**Total Sanctioned Post approved in FY 2022-23**
1	Assistant Programme Officer/ Epidemiologist	2	0	2
2	MO STC/STDC	5	2	7
3	TB HIV Coordinator	2	0	2
4	DRTB Coordinator	2	0	2
5	Accounts Officer/ State Accountant	2	0	2
6	Technical Officer- Procurement & Logistics	2	0	2
7	State ACSM / IEC Officer	2	0	2
8	State PPM (Public Private Mix) Coordinator	2	0	2
9	Data Analyst	2	0	2
10	Data Entry Operator STC	2	0	2
11	Data Entry Operator STF	1	0	1
12	Data Entry Operator IRL	6	0	6
13	Data Entry Operator C&DST	6	0	6
14	Secretarial Assistant	1	0	1
15	Driver STC	1	0	1
17	Microbiologist EQA	4	1	5
18	Microbiologist C&DST	8	0	8
19	Microbiologist IRL	8	0	8

Human Resource - HR Approved in ROP 2022-23				
S.No.	**Post Name**	**Sanctioned Posts till 2021-22**	**New position Sanctioned in ROP FY 2022-23**	**Total Sanctioned Post approved in FY 2022-23**
20	Senior LT IRL	24	0	24
21	Senior LT C&DST	24	0	24
22	Senior LT EQA	4	1	5
23	LT IRL/C&DST	9	0	9
24	SDS Pharmacist	4	0	4
25	SDS Store Assistant	8	0	8
26	Driver STDC (Out Sourcing)	1	0	1
27	Driver MMV (Out Sourcing)	5	0	5
28	Support Staff MMV (Out Sourcing)	5	0	5
29	Lab Attendant C&DST (Out Sourcing)	12	0	12
30	Helper STDC (Out Sourcing)	5	0	5
31	Sweeper STDC (Out Sourcing)	8	0	8
32	Chowkidar STDC (Out Sourcing)	11	0	11
33	Gardener STDC (Out Sourcing)	2	0	2
34	House Keeping STDC (Out Sourcing)	2	0	2
35	Electrician & Plumber (Out Sourcing)	2	0	2
36	Dhobi STDC (Out Sourcing)	1	0	1
37	Clerk STDC (Out Sourcing)	3	0	3
38	Cashier STDC (Out Sourcing)	1	0	1
39	Store Keeper STDC (Out Sourcing)	2	0	2
40	District Programme Coordinator	75	0	75
41	PPM Coordinator	89	0	89
42	PMDT TB HIV Coordinator	89	0	89
43	Accountant(including 01 STDC Agra)	76	0	76
44	STS	1197	0	1197
45	STLS	584	0	584
46	LT (including CBNAAT)	1045	0	1045
47	TB HV	562	0	562
48	Data Entry Operator	89	0	89
49	MO DTC RNTCP	10	0	10
50	Driver	16	0	16
51	DRTB SMO	23	0	23
52	DRTB Counsellor	23	0	23
53	DRTB SA	23	0	23
54	MO Medical College	36	0	36
55	LT Medical College	40	0	40
56	TB HV Medical College	36	0	36
57	Consultant RTPMU	5	0	5
58	Data Entry Operator RTPMU	4	1	5
59	Data Entry Operator STDC	0	2	2
60	Office Assistant RTPMU	4	1	5
61	Office Assistant STDC	0	2	2
Total		**4217**	**10**	**4227**

NTEP District Contractual Sanctioned Positions

SN	Post	District Programe Coordinator	PPM Coordinator	PMDT TB HIV Coordinator	Accountant (Including STDC)	STS	STLS	LT+ CBNAAT LT	TBHV	DEO	MO DTC NTEP	Driver	DRTB SMO	DRTB Counsellor	DRTB SA	MO Medical College	LT Medical College	TB HV Medical College	Consultant RTPMU	DEO RTPMU	Office Assistant RTPMU
	Name of District	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
1	Agra	1	2	2	2	27	13	34	20	2	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2	Aligarh	1	2	2	1	23	11	31	15	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Allahabad	1	2	2	1	36	18	31	25	2	1	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0
4	Ambedkarnagar	1	1	1	1	14	7	10	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5	Amethi	1	1	1	1	12	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auraiya	1	1	1	1	8	4	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Azamgarh	1	1	2	1	27	13	7	10	2	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
8	Baghpat	1	1	1	1	8	4	11	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Bahraich	1	1	1	1	22	10	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ballia	1	1	1	1	19	9	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Balrampur	1	1	1	1	12	6	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Banda	1	1	1	1	11	5	11	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
13	Barabanki	1	2	1	1	19	10	20	3	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
14	Bareilly	1	2	2	1	28	13	35	15	2	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	1
15	Basti	1	2	1	1	14	7	2	3	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	Bijnore	1	1	2	1	23	11	30	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Budaun	1	1	1	1	20	9	28	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NTEP District Contractual Sanctioned Positions																					
18	Bulandsahar	1	1	1	1	20	10	21	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Chandauli	1	1	1	1	11	6	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Chitrakoot	1	1	1	1	6	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Deoria	1	1	1	1	18	9	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Etah	1	1	1	1	10	5	17	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Etawah	1	1	1	1	12	5	18	5	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
24	Faizabad	1	1	1	1	15	7	8	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Farrukhabad	1	1	1	1	12	6	12	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
26	Fatehpur	1	1	1	1	16	8	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Firozabad	1	1	1	1	15	7	13	10	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
28	Gautambudhnagar	1	1	1	1	11	5	13	18	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
29	Ghaziabad	1	1	1	1	19	9	20	26	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
30	Ghazipur	1	1	1	1	22	11	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gonda	1	1	1	1	19	10	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Gorakhpur	1	2	2	1	27	13	7	10	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	Hamirpur	1	1	1	1	7	3	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Hapur	1	1	1	1	8	4	10	5	1	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0
35	Hardoi	1	1	2	1	25	12	18	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Hathras	1	1	1	1	9	5	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Jalaun	1	1	1	1	10	5	15	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
38	Jaunpur	1	1	2	1	27	13	17	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Jhansi	1	1	1	1	12	6	18	5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
40	JP Nagar	1	2	1	1	11	6	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kannauj	1	1	1	1	10	5	10	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
42	Kanpur Dehat	1	1	1	1	11	5	16	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Kanpur Nagar	1	2	2	1	27	13	30	35	2	1	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0
44	Kanshiram Nagar	1	1	1	1	8	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Kaushambhi	1	1	1	1	9	5	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kheri	1	2	2	1	24	10	11	2	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
47	Kushinagar	1	1	1	1	21	12	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Lalitpur	1	1	1	1	8	4	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Lucknow	1	2	2	1	29	14	39	40	2	1	1	2	2	2	5	8	4	1	1	1
50	Maharajganj	1	1	1	1	15	8	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mahoba	1	1	1	1	6	3	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Mainpuri	1	1	1	1	11	5	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Mathura	1	1	1	1	15	7	15	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mau	1	1	1	1	13	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Meerut	1	1	1	1	21	10	27	20	1	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0
56	Mirzapur	1	1	1	1	14	7	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Moradabad	1	1	1	1	18	9	17	11	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
58	Muzaffarnagar	1	1	1	1	16	8	27	10	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
59	Pilibhit	1	1	1	1	12	6	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Pratapgarh	1	1	1	1	19	9	18	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Raebareli	1	1	1	1	18	9	9	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rampur	1	1	1	1	14	7	19	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Saharanpur	1	1	1	1	21	10	26	13	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
64	Sambhal	1	1	1	1	12	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Sant Kabir Nagar	1	1	1	1	10	5	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Sant Ravidas Nagar	1	1	1	1	10	5	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Shahjahanpur	1	2	1	1	18	9	24	16	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Shamli	1	1	1	1	8	4	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Shravasti	1	1	1	1	7	3	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Siddharth Nagar	1	1	1	1	14	7	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Sitapur	1	2	2	1	27	13	13	8	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
72	Sonbhadra	1	1	1	1	11	6	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Sultanpur	1	1	1	1	14	7	11	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Unnao	1	1	1	1	18	9	2	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Varanasi	1	2	2	1	23	11	11	20	2	1	0	2	2	2	2	2	2	1	1	1
	Total	**75**	**89**	**89**	**76**	**1197**	**584**	**1045**	**562**	**89**	**10**	**16**	**23**	**23**	**23**	**36**	**40**	**36**	**5**	**5**	**5**

NTEP State level Contractual Sanctioned Positions			
S.No.	**Post Name**	**Sanctioned**	**Place of Posting**
1	Assistant Programme Officer/ Epidemiologist	2	For State TB Cell , Lucknow
2	MO STC	2	For State TB Cell , Lucknow
3	MO STDC	5	02 for STDC Agra, 01 for STDC Lucknow and 01 for STDC Gorakhpur
4	TB HIV Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
5	DRTB Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
6	State PPM (Public Private Mix) Coordinator	2	For State TB Cell , Lucknow
7	Data Analyst	2	For State TB Cell , Lucknow
8	Data Entry Operator IRL	6	For 02 IRL Agra, 01 for IRL Gorakhpur, 02 For IRL Lucknow & 01 for IRL Meerut
9	Data Entry Operator C&DST	6	For 01 Aligarh, 01 Etawah, 01 Jhansi, 01 Kanpur Nagar, 01 Prayagraj and 01Varanasi
11	Microbiologist EQA	5	For 01 IRL Agra, 01 IRL Meerut,01 IRL Gorakhpur, 01 IRL Lucknow and 01 IRL Varanasi
10	Microbiologist IRL	8	For 02 IRL Agra, 02 IRL Meerut, 02 IRL Gorakhpur and 02 IRL Lucknow
12	Microbiologist C&DST	8	For 02 in C&DST Lab,Aligarh, 01 Etawah, 01 for C&DST Lab

NTEP State level Contractual Sanctioned Positions			
S.No.	Post Name	Sanctioned	Place of Posting
			Jhansi,01 for C&DST Lab Kanpur Nagar and 01 for C&DST Lab Prayagraj and 02 for C&DST Lab Varanasi.
13	Senior LT IRL	24	For 06 IRL Agra, 06 for IRL Gorakhpur 06 for IRL Lucknow and 06 for IRL Meerut
14	Senior LT C&DST	24	For 06 C&DST Lab Aligarh, 03 C&DST Lab Etawah, 04 for C&DST Lab Jhansi, 03 C&DST Lab KanpurNagar, 02 for Prayagraj and 06 for C&DST Lab Varanasi.
15	Senior LT EQA	5	For 01 IRL Agra, 01 IRL Meerut, 01 IRL Gorakhpur, 01 IRL Lucknow and 01 IRL Varanasi
16	LT IRL/C&DST	9	03 for IRL Agra, 02 for C&DST Aligarh, 02 for IRL Lucknow and 02 C&DST Varansi
17	Lab Attendent /Assistant	12	02 for IRL Agra, 01 for C&DST Lab Aligarh, 01 for C&DST Lab Etawah, 01 for C&DST Lab Gorakhpur, 01 for C&DST Lab Jhansi, 01 for C&DST Lab KanpurNagar, 02 for IRL Lucknow, 01 for C&DST Lab Meerut, 01 for C&DST Lab Prayagraj, and 01 for C&DST Lab Varanasi.
18	Pharmasist	4	01 for SDS Agra, 01 for SDS Bareilly, 01 for SDS Lucknow and 01 for SDSVaranasi
19	SDS Store Assistant	8	2 for SDS Agra, 02 for SDS Bareilly, 02 for SDS Lucknow and 02 for SDSVaranasi

वित्तीय वर्ष 2022–23 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 02 नवीन एस0टी0डी0सी0, (एस0टी0डी0सी0 गोरखपुर एंव एस0टी0डी0सी0 लखनऊ) एंव आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित कल्चर एण्ड डी0एस0टी0 लैब का उच्चीकरण करके आई0आर0एल0 का अनुमोदन प्रदान किया है। उक्त राज्य स्तरीय ईकाईयों एंव आर0टी0पी0एम0यू0 गोरखपुर के सफल संचालन हेतु 10 नवीन पदों की स्वीकृत प्रदान की गयी है, जिसकी सूचना निम्नवत है–

SN	Post Name	No. of New Post	Remarks (Proposed in ROP 2022-24)
	State Level		For IRL Varanasi
1	Microbiologist EQA	**1**	
2	Sr. Laboratory Technician EQA	**1**	
3	MO STDC	**2**	01 post for STDC Lucknow & 01 Post for STDC Gorakhpur
4	Data Entry Operator	**3**	01 post for STDC Lucknow & 01 Post for STDC Gorakhpur and 01 Post for RTPMU Gorakhpur
5	Office Assistant (Out Sourced)	**3**	01 post for STDC Lucknow & 01 Post for STDC Gorakhpur and 01 Post for RTPMU Gorakhpur

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- राज्य स्तर/जनपद स्तर से आंवटित की जाने वाली समस्त लैब मैटिरियल/कन्जूमेबिलस का आंवटन निक्षय औषधि पर उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। अतः निक्षय औषधि पर समस्त टी0यू0/डी0एम0सी0 के द्वारा आवंटन के सापेक्ष उपयोगित का विवरण ससमय अंकित कराना सुनिश्चित करें, जिससे उपरोक्त का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा सकें।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियन्त्रण कार्यक्रम

स्टेट रिफ्रेन्स लैब मीटिंग कॉस्ट एवं ऑफिस व्यय/कन्टीजेन्सी-(NDCP.5.81.OOC.1)-

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज–एस0एन0एम0सी0 आगरा, एम0एल0बी0 झाँसी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में क्रियाशील स्टेट रिफ्रेन्स लैब को रू0 1,00,000.00 प्रति लैब की दर से धनराशि का आवंटन किया गया है जिसमें से प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब रू0 20,000.00 की धनराशि बैठक(अधिकतम रू0 5,000.00 प्रति बैठक की दर से 04 बैठकों हेतु) आहुत करने के लिये एवं शेष धनराशि रू0 80,000.00 प्रति स्टेट रिफ्रेन्स लैब कार्यालय व्यय यथा–प्रिंटिंग, स्टेशनरी एवं अन्य संचालन व्ययों (फोटोकॉपी/इन्टरनेट/कम्यूनिकेशन/स्टेशनरी) हेतु आवश्यकतानुसार इस मद का प्रयोग किया जा सकता है।इस प्रकारइस मद में कुल धनराशि रू0 5,00,000.00 का आवंटन किया गया है।

उपरोक्त बैठक में गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभागएवं माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, इन विभागों के अन्य फैकल्टी, एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स तथा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स प्रतिभाग करेंगें। साथ ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिस बैठक में हिपेटाइटिस के निदान से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।बैठक काहस्ताक्षरित कार्यवृत्त मेडिकल कालेज द्वारा राज्य मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जाये।

मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिये–मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी (फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्यूनिकेशन)/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेस/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स) (NDCP.5.81.OOC.2)–

उपरोक्त मद में मेडिकल कालेज एस0एन0एम0सी0 आगरा, एम0एल0बी0 झाँसी, बी0आर0डी0 गोरखपुर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एल0एल0आर0एम0 मेरठ एवं आई0एम0एस0 बी0एच0यू0 वाराणसी में क्रियाशीलमॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 1,60,000 की दर से धनराशि का आवंटनकिया गया है, जिसमें प्रतिमॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर रू0 40,000.00 की धनराशि बैठक (अधिकतम रू0 10,000 प्रति बैठक की दर से 04 बैठकों हेतु) आहूत करने के लिये एवं शेष धनराशि रू0 1,20,000 प्रति मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर आवश्यकतानुसार कार्यालय व्यय/कन्टिन्जेन्सी यथा–फोटोकॉपी/इन्टरनेट/कम्यूनिकेशन/स्टेशनरी/रेसिस्टेंस टेस्टिंग इन सेलेक्टेड केसेज/प्रिन्टिंग एम0 एण्ड ई0 टूल्स) एवं मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन हेतु आवंटित की गयी है। टैबलेट का क्रय हेतु पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किया जायेगा।

उपरोक्त बैठक में गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी विभाग एवं माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष, इन विभागों के अन्य फैकल्टी, एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स तथा अन्य किसी भी सम्बन्धित विभाग के फैकल्टी एवं रेजिडेन्ट डॉक्टर्स प्रतिभाग करेंगें साथ ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में हिपेटाइटिस के लक्षण, एवं उपचार विषयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विषय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त मेडिकल कालेज द्वारा राज्य मुख्यालय को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

हिपेटाइटिस 'ए' एण्ड 'ई' का प्रबन्धन (NDCP.5.83.OOC.1)–

उपरोक्त मद में मेडिकल कालेज एस0एन0एम0सी0–आगरा, जे0एन0एम0सी0–ए0एम0यू0, अलीगढ़, ए0एस0एम0सी0–अयोध्या, ए0एस0एम0सी0–बहराईच, जी0एम0सी0–बाँदा, यू0पी0यू0एम0एस0– सैफई, इटावा, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉजेल–गोरखपुर, ए0आई0आई0एम0एस0–गोरखपुर, एम0एल0बी0 एम0सी0–झाँसी, जी0एस0वी0एम0–कानपुर, के0जी0एम0यू0–लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0–लखनऊ, एल0एल0आर0एम0–मेरठ, एम0एल0एन0–प्रयागराज, एस0एस0एम0एच0एम0सी0–सहारनपुर एवं आई0 एम0एस0–बी0एच0यू0, वाराणसी के मेडिकल कालेजों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति सेन्टर रू0 1.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। इस मद में कुल धनराशि रू0 16.00 लाख का आवंटन किया गया है।

इस मद में आवंटित धनराशि का प्रयोग हिपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' के रोगियों के परीक्षण, निदान एवं उपचार हेतु किया जायेगा। हिपेटाइटिस 'ए' एवं 'ई' की जाँच, सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन, जाँच हेतु किट्स एवं

उपचार हेतु आवश्यक औशधियों का प्रोक्योरमेन्ट एवं अन्य सम्बन्धित व्यय इस मद में उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी अधिकारी वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकते हैं।

ट्रीटमेन्ट सेन्टरःमीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी (NDCP.5.83.OOC.2)–

उपरोक्त मद में प्रदेश के जनपदों केजिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज में स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर को जनपदवार आवंटित कुल धनराशि रू0 37.50 लाख का आवंटन किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों (बिजनौर, अमरोहा, रामपुर को छोड़कर) के ट्रीटमेन्ट सेन्टर को रू0 40,000.00 प्रति सेन्टर आवंटित किया गया है जिसमें से प्रति सेन्टर कुल धनराशि रू0 20,000.00 बैठक (अधिकतम रू0 5,000 प्रति बैठक की दर से 04 बैठकों हेतु) आहूत करने के लिये एवं धनराशि रू0 20,000.00 ट्रीटमेन्ट सेन्टर के कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्युनिकेशन आदि तथा अन्य कन्टिजेन्सी व्ययों हेतु आवंटित किया गया है। जनपद बिजनौर, अमरोहा एवं रामपुर के ट्रीटमेन्ट सेन्टर को रू0 80,000.00 प्रति जनपद, जिसमें से कुल धनराशि रू0 20,000.00 बैठक (अधिकतम रू0 5,000 प्रति बैठक की दर से 04 बैठकों हेतु) आहूत करने के लिये एवं धनराशि रू 60,000.00 कार्यालय व्यय यथा–स्टेशनरी, फोटोकॉपी, इन्टरनेट, कम्युनिकेशन आदि तथा आवश्यकतानुसार अन्य कन्टिजेन्सी व्ययों हेतु आवंटित किया गया है।

उपरोक्त बैठकों में ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ब्लड बैंक, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत सभी चिकित्सकों, जनपद के अन्य सरकारी व निजी चिकित्सकों तथा एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत नामित समस्त मानव संसाधन द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक में हिपेटाइटिस के लक्षण, निदान एवं उपचार विशयक जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाओं के विशय में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। बैठक का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त ट्रीटमेन्ट सेन्टर द्वारा राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाये।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि को जनपदीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्साधीक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाएगी एवं जिन जनपदों में जिला चिकित्सालयों के अतिरिक्त सी0एच0सी0 पर भी ट्रीटमेन्ट सेन्टर क्रियाशील है वहाँ पर अपने स्तर से मीटिंग कॉस्ट/कार्यालय व्यय/कन्टिजेन्सी का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

आउटरीच फॉर डिमान्ड जेनरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट/एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 आदि द्वारा वायरल हेपेटाइटिस का परीक्षण एवं उपचार (NDCP.5.81.OOC.3)–

राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जन–सामान्य को हिपेटाइटिस की निःशुल्क जाँच, निदान एवं उपचार तथा गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने के उद्देश्य से आउटरीच कैम्प का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में आउटरीच कैम्प का आयोजन जनपद के कारागार, शहरी मलिन बस्तियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा चिन्हित उच्च जोखिम समूह वाले स्थानों तथा अन्य हाई रिस्क क्षेत्रों में किया जायेगा।

उपरोक्त मद में प्रदेश के समस्त जनपदों को कुल धनराशि रु0 30.00 लाख का आवंटन किया गया है जिसमें से धनराशि रू0 7.50 लाख पूर्व में प्रेषित डैप अप्रैल–जुलाई 2022 में आवंटित की गई थी एवं धनराशि रू0 22.50 लाख शेश माह हेतु आवंटित किया गया है। सभी जनपदों द्वारा वर्ष 2022–23 में न्यूनतम 06 कैम्प आयोजित किये जायेंगें।

उपरोक्त आवंटित धनराशि रू0 22.50 लाख में से सभी 75 जनपदों (ट्रीटमेन्ट सेन्टर) को रू0 20,000 प्रति जनपद तथा मेडिकल कालेज एस0एन0एम0सी0–आगरा, जे0एन0एम0सी0–ए0एम0यू0 अलीगढ़, ए0एस0एम0सी0–अयोध्या, ए0एस0एम0सी0–बहराईच, जी0एम0सी0–बाँदा, यू0पी0यू0एम0एस0–सैफई इटावा, बी0आर0डी0–गोरखपुर, एम0एल0बी0एम0सी0–झाँसी, के0जी0एम0यू0–लखनऊ, एल0एल0 आर0एम0–मेरठ, एस0एस0एम0एच0एम0सी0–सहारनपुर एवं आई0एम0एस0–बी0एच0यू0, वाराणसी को रू0 10,000.00 प्रति मेडिकल कॉलेज तथा जनपद बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहाँपुर एवं शामली को रू0 30,000.00 प्रति जनपद अतिरिक्त आवंटित की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त बिजनौर, अमरोहा तथा रामपुर के जनपदों में सी0एच0सी0 पर क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर को रू0 20,000.00 प्रति जनपद कैम्प के आयोजन हेतु आवंटित की गई है।

जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कैम्प के आयोजन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सक, पैथालॉजिस्ट/लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, ए0एन0एम0 एवं आशा को नामित किया जायेगा, जो उपरोक्त कैम्प के सफल आयोजन हेतु अपना सहयोग प्रदान करेंगें। इस गतिविधि में जनपद के मेडिकल कालेज, जिला चिकित्सालय तथा ब्लड बैंक के मानव संसाधन, एन0जी0ओ0/सी0बी0ओ0 का भी सक्रिय सहयोग लिया जा सकता है। जिन स्थानों पर समुदाय में केस लोड की अधिकता होगी वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग (Mass Level Screening) की जायेगी।

1. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजन हेतु रू0 5,000.00 प्रति आउटरीच कैम्प की दर से धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है–

क्रमांक	गतिविधि	धनराशि प्रति कैम्प (रू0)
1	परिवहन व्यवस्था	1,000.00
2	प्रचार–प्रसार (लाउड–स्पीकर, बैनर इत्यादि) एवं बैठने की व्यवस्था	2,000.00
3	रिफ्रेशमेन्ट	1,000.00
4	अन्य संचालन व्यय (स्टेशनरी, ट्रीटमेन्ट कार्ड इत्यादि)	1,000.00
कुल धनराशि		**5,000.00**

स्क्रीनिंग किट्स एवं औषधियाँ, मुख्य चिकित्साधिकरी अधिश्ठान/मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर अथवा ट्रीटमेन्ट सेन्टर से उपलब्ध करायी जायेंगी।

2. प्रत्येक आउटरीच कैम्प के आयोजनोपरान्त कैम्प की चिकित्सक टीम के सहयोग से संलग्न प्रारूपों पर सूचना एवं हिपेटाइटिस धनात्मक रोगियों की लाइन लिस्ट संकलित कर सम्बन्धित ट्रीटमेन्ट सेन्टर जिला चिकित्सालय एवं मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/स्टेट रिफ्रेन्स लैब (मेडिकल कालेज) द्वारा राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

आउटरीच कैम्प हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र निम्नवत् है–

प्रपत्र–क

कैम्प का विवरण

1. जनपद का नाम–
2. शहर/ग्राम का नाम–
3. एम0टी0सी0/टी0सी0 का नाम–
4. कैम्प क्षेत्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम–
5. आउटरीच शिविर का दिनाँक–
6. आउटरीच शिविर के आयोजन का स्थान एवं पता–
   (आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यायलय या अन्य, विवरण दें)
7. आउटरीच शिविर में चिकित्सकीय दल का विवरण–

क्र0 सं0	चिकित्सकीय स्टाफ का नाम (पदनाम के साथ)	मोबाइल नं0
1		

8. आउटरीच शिविर हेतु हायर किये गये वाहन का विवरण –

रजिस्टर्ड एजेन्सी का नाम व पता	वाहन का नम्बर	वाहन चालक का नाम	वाहन चालक का मो0 नं0

9. आउटरीच शिविर के लाभार्थियों का विवरण–

क्र0 सं0	लाभार्थियों का विवरण	कुल	पुरूश	महिला
1	आउटरीच शिविर में पंजीकृत कुल व्यक्तियों की संख्या			
2	शिशुओं की संख्या (0 से 1 वर्ष)			
3	बच्चों की संख्या (1 से 12 वर्ष)			

4	किशोरों की संख्या (13 से 19 वर्ष)			
5	वयस्क की संख्या (20 से 59 वर्ष)			
6	गर्भवती महिलाओं की संख्या			
7	60 वर्श से अधिक व्यक्तियों की संख्या			

10. कैम्प में किट्स, औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल की स्थिति–

	सेन्टर का नाम जहाँ से किट्स, औशधियां एवं कन्ज्यूमेबल प्राप्त किये गये हैं	प्राप्त की गई औशधियों / किट्स / कन्ज्यूमेबल की मात्रा	वितरित की गई औशधियों / किट्स / कन्ज्यूमेबल की मात्रा	शेश औशधियों / किट्स / कन्ज्यूमेबल की मात्रा

प्रपत्र–ख

Special Outreach Format								
Name of District-					Month-			Remarks
S.No.	No. of Camp Organised	No. of Specialists/MOs		No. of cases	Type of Cases	Diagnostic Services Available	Drugs Available	
		Govt.	Outsourced					

प्रपत्र–ग हिपेटाइटिस धनात्मक रोगियों की लाइन लिस्ट

Table-1(D) Line List of Positive cases of Hep-B under NVHCP Month & Year :											
S.No.	Name of Districts/ MTC /TC	Date of Reporting	Patients Name	Age	Sex (M/F)	Address	Mob. No.	Reporting Unit Name	Viral load Testing Done (Yes/No)	Treatment initiated (Yes/No)	Remarks(if Any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table-(1E) Line List of Positive cases of Hep-C under NVHCP Month & Year :											
S.No	Name of Districts/MTC/ TC	Date of Reporting	Patients Name	Age	Sex (M/F)	Address	Mob. No.	Reporting Unit Name	Viral load Testing Done (Yes/No)	Treatment initiated (Yes/No)	Remarks(if Any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि को अपने स्तर से जनपद में उल्लिखित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रयोग किया जाये जिससे जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

इन्सेन्टिव फॉर पीयर एजूकेटर, एन0वी0एच0सी0पी0 (HSS.9.185.PME.1) –

उक्त मद में दिशा–निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

HBIg (NDCP.5.83.DS.2) –

उक्त मद में जनपदों को कुल धनराशि रू0 50.00 लाख **HBIg** डोसेज के क्रय हेतु आवंटन किया गया है। (संलग्नक–1) इस हेतु जनपदों से प्राप्त इन्सटीट्यूशनल डिलिवरी की मासिक रिपोर्ट में हिपेटाईटिस–बी की राज्य स्तरीय प्रिवलेन्स के आधार पर हिपेटाईटिस–बी धनात्मक गर्भवती महिलाओं की संख्या का आंकलन किया गया है। इन हिपेटाईटिस–बी धनात्मक महिलाओं के नवजात शिशुओं को लगाये जाने हेतु HBIg का क्रय प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0 के पत्रांक सं0 यू0पी0एम0एस0सी0एल0 / प्र0नि0 / 2022–23 / 811, दिनांक–22.08.2022 (संलग्नक–2) में दिये गये सुझाव के अनुसार आर0सी0 में निर्धारित दर के अनुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा। अतः जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही आर0सी0 के सापेक्ष HBIg का उपार्जन जनपद स्तर से करना सुनिश्चित करें। निकट

कालातीत अवधि के HBIg का क्रय न किया जाये तथा HBIg के प्रयोग हेतु सभी प्रसव केन्द्रों पर से निर्देश दिये जायें साथ ही उपयोग का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।

नोटः Please Refer NVHCP Technical and Operational Guidelines on prevention of Mother to Child transmission of Hepatitis B Virus

मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में अवमुक्त धनराशि HBIg को अपने स्तर से क्रय कर जनपदके एफ0आर0यू0, सी0एच0सी0 24X7, जिला चिकित्सालय जहाँ संस्थागत प्रसव की सुविधाऐं उपलब्ध हैं एवं महिला चिकित्सालयों पर शीघ्रातिशीघ्र उपलबध कराना सुनिश्चित करें जिससे जनसाधारण को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।

Interventions in babies born to HBsAg positive mothers:

- Ensure administration of birth dose hepatitis B vaccine in the anterolateral aspect to left thigh of the newborn after birth as soon as possible (within 24 hours).
- Ensure administration of HBIG 0.5 ml (100International Units) intramuscular in the anterolateral aspect of the right thigh of the newborn.

Flow chart on Operational Aspects of Prevention of Mother to Childs Transmission of Hepatitis-B Virus-

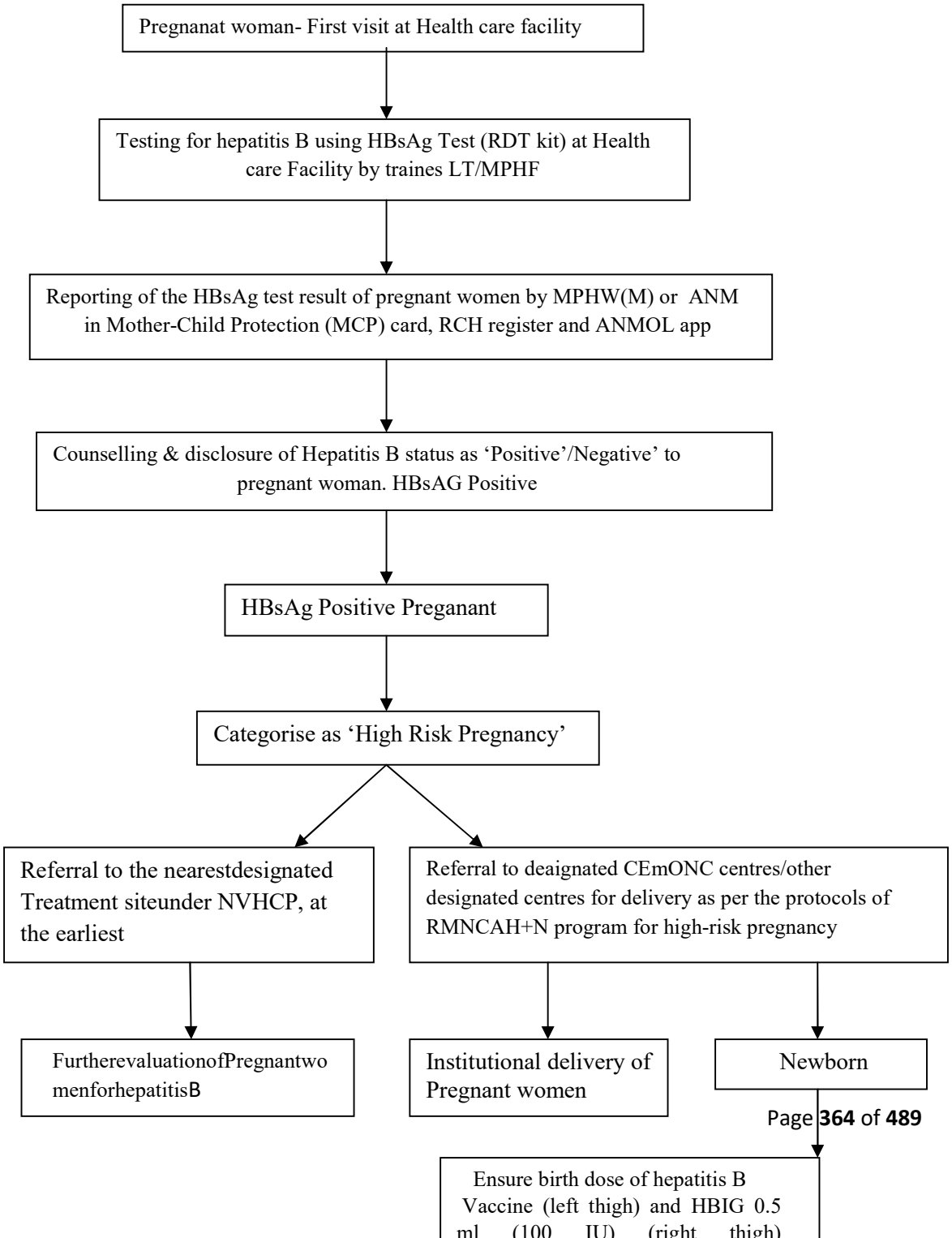

किट्स – (NDCP.5.81.DI.1)

इस मद में स्टेट रेफरेन्स लैब (मैडिकल कॉलेज) एवं वायरल लोड टेस्टिंग लेबोरेटरीज वाले जनपदों को संलग्न सूची अनुसार (संलग्नक–3) कुल धनराशि रू0 564.87 लाख का आवंटन किया गया है जिसमें से धनराशि रू0 60.00 लाख पूर्व में प्रेशित डैप अप्रैल–जुलाई 2022 में आवंटित की गई थी एवं धनराशि रू0 504.87 लाख शेश माह हेतु आवंटित किया गया है।

उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त धनराशि से हिपेटाईटिस रोगियों के स्क्रीनिंग तथा वायरल लोड परीक्षण के लिये उपयोग हेतु आवश्यक किट्स का क्रय संस्था द्वारा जनपद स्तर पर नियमानुसार किया जा सकता है। किट्स के अतिरिक्त अन्य आवश्यक कन्ज्यूमेबल्स हेतु धनराशि **FMR Code NDCP.5.81.DI.2** कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी अन्डर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी है।

भारत सरकार, एन0वी0बी0डी0सी0पी0 विभाग, एन0सी0डी0सी0 के द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक–06. 09.2021 के माध्यम से ट्रू–नाट विधि द्वारा हिपेटाइटिस बी एवं सी की वायरल लोड जांच हेतु रू0 640. 00**+GST** प्रति जांच की दर पर सहमति व्यक्त की गयी है (ई–मेल प्रति संलग्न– संलग्नक–क)।

कन्ज्यूमेबल फॉर लैबोरेटरी (NDCP.5.81.DI.2) –

इस मद में संलग्न तालिकानुसार (संलग्नक–3) कुल धनराशि रू0 80.79/– लाख का आवंटन किया गया है। प्रयोगशालाओं में स्क्रीनिंग तथा वायरल लोड टेस्टिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबल यथा– प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, किट्स फॉर **HBsAG** टाइटर, ग्रांट फॉर कैलीबरेशन ऑफ स्माल इक्विपमेन्ट्स के प्राक्योरमेन्ट एवंआवश्यकतानुसार मनी फॉर **EQAS** का प्रयोग इस मद से किया जायेगा। (यदि संस्थान/प्रयोगशाला द्वारा **Quality Check/EQAS** गतिविधियां पूर्व से ही किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत सम्पादित की जा रही हैं तो एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का प्रयोग उक्त गतिविधि हेतु नही किया जा सकता है)।कन्ज्यूमेबल तथा इनके प्रोक्योरमेन्ट की आवश्यकता का निर्धारण वायरल लोड टेस्टिंग लैब/जनपदस्तरीय नामित नोडल अधिकरी द्वारा लिया जायेगा।

कन्ज्यूमेबलस फॉर ट्रीटमेन्ट साईट्स (NDCP.5.81.DI.3) –

इस मद में कुल धनराशि रू0 37.50 लाख का आवंटन किया गया है। ट्रीटमेन्ट साईट्स में स्क्रीनिंग हेतु आवश्यकतानुसार कन्ज्यूमेबलस यथा–प्लास्टिक वेयर, री–यूज प्रीवेन्शन सिरिन्ज, इवैकुएटड वैक्यूम ट्यूब, वेस्ट डिस्पोजल बैग्स, इत्यादि का प्रोक्यारेमेन्ट इस मद से किया जा सकता है। कन्ज्यूमेबल तथा इनके प्रोक्योरमेन्ट की आवश्यकता का निर्धारण जनपद स्तरीय नामित नोडल अधिकरी/ट्रीटमेन्ट सेन्टर नोडल अधिकरी द्वारा लिया जायेगा।

इन्सेन्टिव फॉर मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट एवं लैब टेक्निशियन (HSS.9.184.C.S0905) –

उक्त मद में दिशा–निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

एन0वी0एच0सी0पी0 कार्यक्रम हेतु वर्ष 2022–23 में संविदा पर कार्यरत् मानव संसाधन के मानदेय सम्बन्धी दिशा–निर्देश (FMR Code-HSS.9.184.C.S0775, HSS.9.184.C.S0776, HSS.9.184.C.S0777, HSS.9.184.C.S0779, HSS.9.184.C.P188) –

जनपद स्तर पर एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत संचालित मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–लखनऊ, आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर एवं स्टेट रेफरेन्स लैब–लखनऊ, आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ में संविदा कर्मियों क्रमशः डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊटसोर्स), मेडिकल ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर हेतु तथा लैब टेक्निशियन एवं टेक्निकल ऑफिसर स्टेट रेफरेन्स लैब हेतु वित्तीय वर्श 2021–22 में जिन दरों पर मानदेय स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए) था उसी के अनुसार वित्तीय वर्श 2022–23 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत वेतन वृद्वि की धनराशि एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर (आऊटसोर्स) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 (वित्तीय नियमानुसार) की अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुए आवंटित की जा रही है। 5 प्रतिशत मानदेय की वेतन व्रद्वि उन कार्मिकों को देय हेगी, जिन्होंने 01 वर्श का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

नोटः–मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–आगरा, वाराणसी, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुरमेडिकल कॉलेज में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊट सोर्स) की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य स्तर से द्वारा नियमानुसार की जायेगी, तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (आऊटसोर्स) का मानदेय रू0 12,000.00 प्रति माह देय होगा एवं ई0पी0एफ0,

ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अलग से सम्मिलित करते हुए आवंटित की गई है। मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हेतु मानदेय रू0 60,000.00 प्रति माह की दर से नियुक्ति, मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर–आगरा, झाँसी, मेरठ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट हेतु मानदेय रू0 15,000.00 की दर से (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अलग से) नियुक्ति, स्टेट रेफरेन्स लैब–आगरा, वाराणसी, झाँसी एवं मेरठमेडिकल कॉलेज में लैब टेक्निशियन हेतु मानदेय रू0 15,000.00 की दर से (ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अलग से) एवं टेक्निकल ऑफिसरहेतु मानदेय रू0 25,000.00 की दर से नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य स्तर से द्वारा की जायेगी।

इन्सेन्टिव फॉर एम0ओ0, फार्मासिस्ट एण्ड एल0टी0 (HSS.9.184.C.S0905)–

उक्त मद में दिशा–निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।

ट्रेनिंग (संलग्नक–4) –

1. 03 डे ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल ऑफिसर (NDCP.5.83. CB.1)– उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् मेडिकल ऑफिसरस की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु प्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 359,850/–की धनराशि (प्रति बैच रू0–179,925/–) आवंटित की गई है। (प्रति बैच 15 मेडिकल ऑफिसर)। इस मद में कुल धनराशि रू0 21,59,100/–का आवंटन किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

2. 05 डे ट्रेनिंग ऑफ लैब टेक्नीशियन (NDCP.5.81.CB) – उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, गोरखपुर, झाँसी,लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी के माईक्रोबॉयोलॉजी विभाग में क्रियाशील वायरल लोड टेंस्टिग लैब को एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत स्टेट रिफ्रेन्स लैब, वायरल लोड टेंस्टिग लैबोरेट्री, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय लैब एवं जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु प्रति सेन्टर दो बैच हेतु रू0 535,750/– की धनराशि (प्रति बैच रू0–267,875/–) आवंटित की गई है। (प्रति बैच 15 लैब टेक्नीशियन)। इस मद में कुल धनराशि रू0–32,14,500/– का आवंटन किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

3. 01 डे ट्रेनिंग ऑफ पीयर एजूकेटर (NDCP.5.83. CB.2)–उपरोक्त मद में मण्डलीय जनपदों को यथा–आगरा, अलीगढ़, आयोध्या, आजमगढ, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी को रू0 2200/– प्रति जनपद अपने मण्डल के जनपदों के समस्त पीयर एजूकेटर की ट्रेनिंग हेतु आंवटित किये गये हैं। इस प्रकार इस मद में कुल धनराशि रू0 39,600/– का आवंटन किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

4. 01 डे ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट– (NDCP.5.83. CB.3)

उपरोक्त मद में मेडिकल कॉलेज आगरा, गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0 49,537/– की दर से एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है। इस मद में कुल धनराशि रू0 297,225/– का आवंटन किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

5. 01 डे ट्रेनिंग ऑफ डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (NDCP.5.83. CB.4)–उपरोक्त मद में एन0वी0एच0सी0पी0 के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज आगरा, झाँसी एवं लखनऊ में क्रियाशील मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर को प्रति बैच प्रति सेन्टर धनराशि रू0 65,916/– की दर से मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर, ट्रीटमेन्ट सेन्टर, जनपदीय/ब्लॉक स्तर पर कार्यरत् डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग आयोजित करने हेतु आवंटन किया गया है। इस मद में कुल धनराशि रू0 197,748/– का आवंटन किया गया है। इस प्रशिक्षण हेतु जनपदों तथा प्रतिभागियों की सूची प्रथक से प्रेशित की जायेगी।

एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 (NDCP.5.80.IEC)–

इस मद में कुल रु0 48.40 लाख की धनराशि का आवंटन संलग्न तालिकानुसार मेडिकल कालेज (संलग्नक–5) एवं जिला चिकित्सालयों (संलग्नक–6) पर किया गया है, जिसमें धनराशि रू0 7.50 लाख पूर्व में प्रेशित डैप अप्रैल–जुलाई 2022 में आवंटित की गई थी एवं धनराशि रू0 40.90 लाख शेश माह हेतु आवंटित किया गया है। उपरोक्त धनराशि का व्यय कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों में किया जाएगा।

- फ्लैक्सबैनर, 6x3 फीट, मल्टी कलर, अनुमानित दर रू0 200.00 प्रति बैनर ।
- पोस्टर (4 कलर) 30x 20 इंच, अनुमानित दर रू0 15.00 प्रति पोस्टर।
- पम्पलेट (2 कलर) A4/2, अनुमानित दर रू0 0.50 प्रति पम्पलेट।
- होर्डिग 20 x 10 फीट, अनुमानित दर रू0 4,500.00 प्रति होर्डिग प्रति माह।

फार्मेट / रजिस्टर की प्रिन्टिंग (NDCP.5.83.IEC) –

इस मद में कुल रु0 7.21 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें से मेडिकल कालेजों को रू0 10,000 / – प्रति सेन्टर एवं जिला चिकित्सालयों को रू0 8,000 / – प्रति सेन्टर की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के रिपोर्टिंग फार्मेट एवं रजिस्टर की प्रिन्टिंग हेतु किया जायेगा।

Hepatitis C Treatment Register

SN	1	2	3	4	5			6	7	8		9	10	11	12 Follow up Date and status (Months)						13	14	15	16	17
	Registration Number	Name of Patient	Age	Sex M/F/ TG	Patient"s address	District	Contact number	Guardian / Care Giver name and contact number, if any	Prior treatment history	Date of ANTI-HCV testing	Date of HCV RNA testing*	Pre Treatment HCV RNA Level	Regimen started * I, II, III	Date of start of treatment	1	2	3	4	5	6	Date of completion of Treatment	Due Date of SVR 12	SVR Done on	Result of SVR	Remarks, if any**
1									Y N																
2									Y N																
3									Y N																

* HCV RNA is done only if ANTI-HCV is positive. In case HCV RNA is not detectable, please put a line across the rest of the fields from 10-16

** In the remarks, please mention the status of patient (died, lost to follow up, stop treatment due tomedical reasons, transferred out, and referred to higher center). For any of these, also mention date.

Drug Dispension Register

Important: Separate page to be maintained for each day. Date-__/__/___

SI. No.	Patient Name	Patient Registration Number	Number of Tablets Dispensed			Patient Signature
			Regimen 1	Regimen 2	Regimen 3	

Total tablets Dispensed						

*Specify Other Drugs Used.

Signature of the pharamacist/drug dispenser:_____

Patients Testing & Treatment Cards- (साईज A4 – 2 Colour, GSM 120, Three Fold)

PATIENT TESTING & TREATMENT CARD

Registration Details

Hospital ID Number — Patient ID under program

Date of starting DAA : …./……./…….

Basic Demographic Information

Name : …… Age : …… Gender : M F TG

Address — Contact number

Aadhaar Number

Date of Anti-HCV testing — Rapid — ELISA — Other

Date of HCV Viral Load — Result

Previous Exposure to Hepatitis C Treatment — Yes — No

If yes, details

DAA — Interferon

Details

Is there Cirrhosis at Registration — No — Compensated — Decompensated

Criteria for evaluating cirrhosis (At least one)

Ultrasound — …./……../….. :Date

Fibroscan — …… (LSM Value (in kPa — …./……../….. :Date

APRI* — ……Score …… Platelet Count ……AST …./……../….. :Date

FIB-4* — ……ALT …… AST …… Age /……../….. :Date

……Score ……Platelet Count

If Decompensated cirrhosis, select basis

CP Score — Variceal Bleed — Ascites — Encephalopathy

Regimen Prescribed — Duration of Treatment

12 weeks — 24 weeks

Patient not treated at this center but transferred to higher center

Date ……Place……

*mandatory. The center must do both APRI and FIB-4 scoring.

Baseline and Follow Up Investigations

S No	Date of Visit	Hemoglobin	Platelet Count	ALT	AST	S. Bilirubin	S Albumin	INR	HCV Viral Load	Other-1 (USGetc)
1										
2										
3										
4										
5										

Follow Up Visits

Visit Number	Date of Visit	Pills Left	Any New Complaints or side effects	Any other medications	Any Remark	Next Follow up date	Signature of Doctor	Signature of Pharmacist	Patient"s Signature/ Thumb Impression
1									
2									
3									
4									
5									

Treatment Outcomes							
	Failure						
SVR Achieved (Date)	(write HCVRNA quantity)	Relapse			Lost to Follow up	Death	Other

DAA Stock-Register

Important: Separate page to be maintained for each drug. Summary should be filled on the last day of the month.
Name of the Drug/Regimen_____

Date	A	B				C	D	E	F	Remarks
	Opening Stock	Stock Received				Stock transferred out officially	Stock dispensed (consumption)	Stock expired / discarded	Balance stock	
		Quantity	batch number	Expiry date	Manufacturing date					

Monthly summary:

Stock at the start of the month / Opening Stock (A):

Reusable stock returned during the month (D):

Stock received during the month (B):

Stock dispensed (consumed) during the month (E):

Stock transferred out officially during the month (C):

Stock expired/discarded during the month (F)

Stock at the end of the month

Monthly Reporting Format –

1- Name of Centre_____ 2- Code Number_____
3- Name of the District _____
4- Name of the State _____
5- Name of the Site In-Charge _____
6- Report for the Period – Month Year

11. REGIMENS AT THE END OF THE MONTH		
Regimen	**a) Number of ADULTS alive and on treatment**	**b) Number of CHILDREN alive and on treatment**

7. Number of Hepatitis C infected people seeking care at the treatment center (Registering in Care)	**adult male**	**adult female**	**children <18 years**	**total**
7.1 Cumulative number of persons registered in Hepatitis C care at the beginning of this month				
7.2 Number of new persons registered in during this month				
7.3 Cumulative number of persons registered at the end of this month = 7.1 + 7.2				
8. Initiation of Treatment	**adult male**	**adult female**	**children <18years**	**total**
8.1 Cumulative number of patients ever started on Treatment (Number at the beginning of this month)				
8.2 Number of new patients started on Treatment during this month				
8.3 Number of patients on Treatment "transferred in" during this month				
8.4 Cumulative number of patients ever received Treatment (Number at the end of this month) = 8.1+ 8.2 + 8.3				
9. Treatment status (at the end of the month) out of all patients ever started on treatment (8.4)	**adult male**	**adult female**	**children <18years**	**total**
9.1 Cumulative number of patients who have completed treatment				
9.2 Cumulative number of patients who are currently taking treatment (9.2=9.1-(9.3+9.4+9.5+9.7+9.8)				
9.3 Cumulative number of patients who "transferred out"				
9.4 The number of all patients whose treatment status in this month is "stopped treatment" due to medical reasons				
9.5 Cumulative Number of patients who are lost to follow-up (LFU)				
9.6 The number of patients who did not return to the (Defaulter) and missed their doses in this month				
9.7 Total number of patients Referred to Higher center for further management				
9.8 number of deaths reported				
10. Sustained Virologic Response	**adult male**	**adult female**	**children <14 years**	**total**
10.1 Cumulative number of patients who are eligible for SVR (i.e have completed 12 weeks after end of treatment) have completed 12 weeks treatment (Out of 9.1)				
10.2 Cumulative number of patients who have undergone SVR out of the eligible patient (out of 10.1)				
10.3 Cumulative number of undetectable HCV RNA (out of 10.2)				

Others		
Total number of patients		

उपरोक्त सभी प्रपत्रों/रजिस्टर्स का मुद्रण जनपद स्तर पर अन्य कार्यक्रमों हेतु निर्धारित मुद्रण दरों के अनुरूप किया जा सकता है।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में जनपदीय जिला चिकित्सालयों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि को जनपद के मुख्य चिकित्साधीक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाए एवं जनपद के सी0एच0सी0 स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि से उक्त गतिविधि हेतु अपने स्तर से ट्रीटमेन्ट कार्ड/पेशेन्ट कार्ड छपवाकर अविलम्ब सी0एच0सी0 पर उपलब्ध कराया जाये।

सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट (NDCP.5.81.DI.4)–

इस मद में कुल रु0 42.00 लाख की धनराशि का आवंटन एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर किया गया है।

उपरोक्त धनराशि का व्यय एन0वी0एच0सी0पी0 के अन्तर्गत सैम्पल एवं आवश्यकतानुसार औशधियों के ट्रांसपोर्टेशन हेतु किया जायेगा। सैम्पल का ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेन्ट सेन्टर/जिला चिकित्सालयों/ब्लाक स्तरीय चिकित्सालयों/सी0एच0सी0 में धनात्मक पाये गये रोगियों की वायरल लोड परीक्षण हेतु निकटवर्ती प्रयोगशाला को किये जाने हेतु किया जायेगा। नोडल अधिकारी सैम्पल एवं औशधियों के ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम (विशेश वाहक/कूरियर/नामित व्यक्ति) जनपद स्तर पर निर्धारित करेंगे। जिला चिकित्सालयों द्वारा औशधियों एवं सैम्पल के ट्रांसपोर्टेशन का व्यय जिला स्वास्थ्य समिति के ट्रांसपोर्टेशन नियमों/दरों के अनुसार किया जायेगा।

वायरल लोड परीक्षण हेतु सैम्पल के निकटवर्ती वायरल लोड परीक्षण प्रयोगशाला पर ससमय ट्रांसपोर्टेशन हेतु किसी चिन्हित व्यक्ति को भेजे जाने की स्थिति में यात्रा व्यय का भुगतान इस मद से किया जायेगा। यदि ट्रांसपोर्टेशन हेतु वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसके किराये अथवा पी0ओ0एल0 व्यय का भुगतान भी इस मद से किया जा सकता है।

किसी कूरियर कम्पनी/पोस्ट के माध्यम से सैम्पल ट्रांसर्पोटेशन किये जाने हेतु भी इस बजट का प्रयोग किया जा रहा है। सैम्पल पैकेजिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु Standard Guidelines का पालन किया जायेगा।

नोटः मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में जनपदीय चिकित्सालयों में क्रियाशील ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि को जनपद के मुख्य चिकित्साधिक्षक के निवर्तन पर हिपेटाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रयोग हेतु अविलम्ब हस्तांतरित की जाए एवं जनपद के सी0एच0सी0 स्थित ट्रीटमेन्ट सेन्टर के लिए अवमुक्त धनराशि से उक्त गतिविधि को अपने स्तर से संचालित कर आवश्यकतानुसार सैम्पल ट्रांसपोर्टेशन कराना सुनिश्चित करें।

समस्त 75 जनपदों (ट्रीटमेन्ट सेन्टर) के वायरल लोड सैम्पलस जाँच हेतु निम्नवत् सूचीनुसार निकतवर्तीय मेडिकल कॉलेज (स्टेट रेफरेन्स लैब/वायरल लोड टेसिटिंग लैब) को संदर्भित किये जायेंगे।

Linkages of districts with 75 TCs with VLTLs			
SN	**District**	**Linkages with 75 TCs**	**12 VLTLs**
1	Agra	District Hospital-Agra	SNMC Agra
2	Aligarh	District Hospital-Aligarh	AMU Aligarh
3	Ambedkar Nagar	District Hospital-Ambedkarnagar	KGMU Lucknow
4	Amethi	District Hospital-Amethi	KGMU Lucknow
5	Amroha	District Hospital-Amroha	LLRM Meerut
6	Auraiya	District Hospital-Auraiya	KGMU Lucknow
7	Ayodhya	District Hospital-Ayodhya	RDMC Ayodhya
8	Azamgarh	District Hospital-Azamgarh	IMS BHU Varanasi
9	Badaun	District Hospital-Badaun	AMU Aligarh
10	Baghpat	District Hospital-Baghpat	LLRM Meerut
11	Bahraich	District Hospital-Behraich	ASMC Behraich
12	Ballia	District Hospital-Ballia	IMS BHU Varanasi
13	Balrampur	District Hospital- Balrampur	ASMC Behraich
14	Banda	District Hospital-Banda	GMC Banda
15	Barabanki	District Hospital-Barabanki	KGMU Lucknow
16	Bareilly	District Hospital-Bareily	AMU Aligarh
17	Basti	District Hospital-Basti	BRD Gorakhpur
18	Bhadoi	District Hospital-Bhadohi	IMS BHU Varanasi
19	Bijnor	District Hospital-Bijnor	SMMH, Saharanpur
20	Bulundshahar	District Hospital-Bulandsaher	AMU Aligarh
21	Chandauli	District Hospital-Chandauli	IMS BHU Varanasi
22	Chitrakoot	District Hospital-Chitrakoot	GMC Banda
23	Deoria	District Hospital-Deoria	BRD Gorakhpur
24	Etah	District Hospital-Etah	AMU Aligarh
25	Etawah	District Hospital-Etawah	UPUMS, Etawah
26	Farrukhabad	District Hospital-Farukhabad	UPUMS, Etawah
27	Fatehpur	District Hospital-Fatehpur	GMC Banda
28	Firozabad	District Hospital-Firozabad	SNMC Agra
29	G.B. Nagar	District Hospital- GB Nagar	LLRM Meerut

Linkages of districts with 75 TCs with VLTLs			
SN	**District**	**Linkages with 75 TCs**	**12 VLTLs**
30	Ghaziabad	District Hospital- Ghaziabad	LLRM Meerut
31	Ghazipur	District Hospital-Ghazipur	IMS BHU Varanasi
32	Gonda	District Hospital-Gonda	ASMC Behraich/RDMS Ayodhya
33	Gorakhpur	District Hospital-Gorakhpur	BRD Gorakhpur
34	Hameerpur	District Hospital-Hameerpur	GMC Banda
35	Hapur	District Hospital-Hapur	LLRM Meerut
36	Hardoi	District Hospital-Hardoi	KGMU Lucknow
37	Hathras	District Hospital-Hathras	AMU Aligarh
38	Jalaun	District Hospital-Jalaun	MLB Jhansi
39	Jaunpur	District Hospital-Jaunpur	IMS BHU Varanasi
40	Jhansi	District Hospital-Jhansi	MLB Jhansi
41	Kannauj	District Hospital-Kannauj	UPUMS Etawah
42	Kanpur Dehat	District Hospital-Kanpur Dehat	KGMU Lucknow
43	Kanpur Nagar	District Hospital-Kanpur Nagar	KGMU Lucknow
44	Kasganj	District Hospital-Kasganj	AMU Aligarh
45	Kaushambi	District Hospital-Kausambi	IMS BHU Varanasi
46	Kushinagar	District Hospital-Khusinagar	BRD Gorakhpur
47	Lakhimpur Kheri	District Hospital-Lakhimpur Kheri	ASMC Behraich
48	Lalitpur	District Hospital-Lalitpur	MLB Jhansi
49	Lucknow	District Hospital-Lucknow	KGMU Lucknow
50	Maharajganj	District Hospital-Maharajganj	BRD Gorakhpur
51	Mahoba	District Hospital-Mahoba	GMC Banda
52	Mainpuri	District Hospital-Mainpuri	UPUMS Etawah
53	Mathura	District Hospital-Mathura	SNMC Agra
54	Mau	District Hospital-Mau	IMS BHU Varanasi
55	Meerut	District Hospital-Meerut	LLRM Meerut
56	Mirzapur	District Hospital-Mirzapur	IMS BHU Varanasi
57	Moradabad	District Hospital-Moradabad	LLRM Meerut
58	Muzaffarnagar	District Hospital-Muzaffarnagar	SMMH Saharanpur
59	Pilibhit	District Hospital-Pilibhit	LLRM Meerut
60	Pratapgarh	District Hospital-Pratapgarh	RDMC Ayodhya
61	Prayagraj	District Hospital-Prayagraj	IMS BHU Varanasi
62	Raebareli	District Hospital-Raebareili	KGMU Lucknow
63	Rampur	District Hospital-Rampur	LLRM Meerut
64	Saharanpur	District Hospital-Saharanpur	SMMH Saharanpur
65	Sambhal	District Hospital- Sambhal	LLRM Meerut
66	Shahjahanpur	District Hospital- Shahjahanpur	LLRM Meerut
67	Shamli	District Hospital-Shamli	SMMH Saharanpur
68	Shrawasti	District Hospital-Shrawasti	ASMC Behraich
69	Siddharthnagar	District Hospital-Siddhartnagar	BRD Gorakhpur
70	Sitapur	District Hospital-Sitapur	KGMU Lucknow
71	Sonbhadra	District Hospital-Sonbhadra	IMS BHU Varanasi
72	Sant Kabir Nagar	District Hospital-Santkabir nagar	BRD Gorakhpur
73	Sultanpur	District Hospital-Sultanpur	RDMC Ayodhya
74	Unnao	District Hospital-Unnao	KGMU Lucknow
75	Varanasi	District Hospital-Varanasi	IMS BHU Varanasi

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

उद्देश्य

प्रदेश में कार्यक्रम कुष्ठ रोग के उन्मूलन अर्थात रोग की व्यापकता दर राज्य स्तर, जनपद स्तर तथा विकास खण्ड पर 01 रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या लाने एवं कुष्ठ रोग जनित विकलांगता (ग्रेड–2) का स्तर प्रति 10,00,000 जनसंख्या में 01 रोगी से भी कम का स्तर प्राप्त किया जाने एवं कोई भी नया कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चा विकलांग न होने पायेके राष्ट्रीय संकल्प के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2021-22 के अन्त में प्रदेश की कुष्ठ रोग की औसत व्यापकता दर **0.31** रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या है और **75** जनपदों में कुष्ठ रोग के निवारण का स्तर मार्च, 2022 के अन्त में प्राप्त कर लिया गया है।

प्रदेश मे कुष्ठ रोग की वर्तमान स्थिति

प्रदेश में वर्ष 1985-94 तक मल्टी ड्रग थेरेपी रेजीमेन परियोजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया गया और दिनांक 01-04-1995 से सम्पूर्ण प्रदेश में कुष्ठ रोग का उपचार मल्टी ड्रग थेरेपी रेजीमेन द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया, जिसके सुपरिणाम निम्नवत हैं :–

क्रमांक	विवरण	मार्च, 83 के अंत में	मार्च, 2022 के अंत में
1	अभिलेखित कुष्ठ रोगी	1,87,414	7,676
2	कुष्ठ रोग की व्यापकता दर	52.7/10,000	0.31/10,000
3	नये खोजे रोगियों में विकलांगता दर	9.3 %	1.11
4	शिशु दर	12.3 %	1.81
5.	विकलांगता दर प्रति 10,00,000 जनसंख्या पर	-	0.45

कुष्ठ रोग की व्यापकता एवं विकलांगता दर वार जनपदों का विवरण

यद्यपि गत् वर्षों मे कुष्ठ रोग के रोगियों की संख्या मे पर्याप्त कमी आई है, फिर भी अभी भी कुछ जनपदों के विकास खण्डों में व्यापकता दर 1 रोगी/10,000 जनसंख्या से कम किया जाना है एवं राज्य स्तर पर कुष्ठ रोग जनित विकलांगता (ग्रेड–2) प्रति 10,00,000 जनसंख्या में 01 रोगी से भी कम प्राप्त किया चुका है तथा जनपद स्तर पर इस लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

व्यापकता दर	अवधि वार विकास खण्डों की संख्या				
	31-03-2018	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2022
< 1	697	679	753	797	795
> 1 – 2	103	127	60	16	20
> 2 – 5	16	09	03	02	01
> 5	0	0	0	0	0

विकलांगता (प्रति 10,00,000 जनंसख्या पर)	
वित्तीय वर्ष 2020–21 (मार्च, 2021)	0.41/10,00,000 Population
वित्तीय वर्ष 2021–22(मार्च, 2022)	0.45/10,00,000 Population

वर्ष 2022–23 की महत्वपूर्ण गतिविधियॉ

नियमित कार्य :–

- जिला कुष्ठ अधिकारी एव कुष्ठ नाभिक प्रति माह कम से कम 10 दिन क्षेत्रीय भ्रमण करेगें ।
- भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य का मूल्यॉकन कर, पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। नये खोजे गये रोगियों में 10% का सत्यापन (Validation) कुष्ठ रोगियों के घर जाकर किया जायेगा।

- प्रत्येक नये रोगी के घर स्वास्थ्य कर्मी/आशा जायेगें तथा परिवार वालों तथा आस पास के 10 घरों मे रहने वाले सभी सदस्यो मे कुष्ठ के लक्षण हेतु परीक्षण करेगें (हेल्दी कॉन्टेक्ट) तदोपरान्त उसका अंकन पेशन्ट कार्ड में करेगें ।
- सभी कुष्ठ प्रभावित ग्रेड–1 एवं 2 विकलांगता के मरीजों को चिन्हित कर डिसेबिलिटी रजिस्टर में अंकित करेंगे। समय–समय पर उनको सेल्फ केयर हेतु प्रेरित करेंगे एवं आवश्यक सामग्री – सेल्फ केयर किट (मरहम पटटी, आदि) एवं एम0सी0आर0 चप्पल उपलब्ध करायेंगे। रिकान्सट्रक्टिव सर्जरी हेतु रोगियों को चिन्हित कर उन्हें रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेतु प्रेरित करेंगे।
- जिला कुष्ठ अधिकारी एम0डी0टी0 एवं रिएक्शन/ग्रेड–। अथवा डिसैब्लिटी के उपचार /नियंत्रण हेतु प्रेडिनीसोलोन एवं क्लोफाजेमीन आदि दवाईयों की उपलब्धता सभी अस्पतालों में सुनिश्चित करेंगे।
- कुष्ठ कालोनियों में रहने वाले व्यक्तियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार एम0सी0आर0 चप्पल, एड एण्ड एप्लायन्स, सेल्फ केयर किट इत्यादि प्रदान करेंगे।

कुष्ठ रोगियों की खोज एवं प्रबन्धन–इस कार्य में आशा का सहयोग लिया जाना है प्रत्येक कुष्ठ रोगी (रोग मुक्त/उपचाराधीन) के परिवार जनों एवं आस–पास के दस (10) घरों में एवं उनके निकट संपर्क में रहने वाले प्रत्येक सदस्य (वयस्क/अवयस्क व्यक्तियों) का सघन परीक्षण (कुष्ठ रोगी खोजने के लिए) करेंगे ताकि इस वित्तीय वर्ष 2022–23में कोई भी हेल्दी हाउस होल्ड कान्टेक्ट परीक्षण हेतु शेष न रहे एवं शीघ्र संदिग्ध कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति की खोज एवं उपचार कर विकलांगता से बचाया जा सके इसके अतिरिक्त Post Exposure Propylaxis के अन्तर्गत सभी हेल्दी कान्टेक्टस को (Exclusion & Inclusion Criteria के आधार पर) R-CIN की Single Dose दी जायेगी तथा इसके लिए समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग लिया जाये। Post Exposure Propylaxis की गाइड लाइन संलग्न है।

1.1.5.6 Support to institute for RCS- (NDCP.3.70.OOC- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Other Operating Cost)-किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने के निमित्त औषधि, मरहम पट्टी एवं एड एण्ड एपलायन्स आदि के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु रू0 5,000/– प्रति रोगी (कुल 10 रोगी हेतु धनराशि रू0 50,000,00) की दर से संस्था को जिला कुष्ठ अधिकारी–लखनऊ, धनराशि उपलब्ध करायेगें एवं कार्य का नियमित मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, समीक्षा करेंगें तथा भौतिक प्रगति एवं इस मद में प्रत्येक माह होने वाले व्यय का विवरण राज्य कुष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को प्रत्येक माह भेजा जायेगा।

1.2.3.1 Welfare allowance for RCS patients-(NDCP.3.70.DBT- DPMR Services: Reconstructive surgeries- DBT) - @ Rs 8000.00 per patient :- जनपद आगरा, लखनऊ, अयोध्या एवं प्रयागराज जहॉ रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी केन्द्र स्थित है, वहॉ आर0सी0एस0 कराने वाले कुष्ठ रोगियों के लिए Loss of Wages मद में उपरोक्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराने वाले प्रत्येक रोगी को चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो (irrespective of their financial status) प्रति रोगी को रू0 8000.00 तीन किश्तों में जिस जनपद में आर0सी0एस0 संस्थान स्थित है, वहॉ के जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जानाहै। प्रथम किस्त डिस्चार्ज के समय रू0 4000.00, उसके पश्चात फॉलोअप हेतु एक माह उपरान्त रोगी के उपस्थित होने पर द्वितीय किस्त रू0 2000.00, तृतीय किस्त रोगी के तीन माह पश्चात रोगी के उपस्थित होने पर रू0 2000.00 प्रदान किया जायेगा।

Incentive to ASHA-(NDCP.3.69.ASHA.1- Case detection and Management- ASHA Incentive)

3.1.1.3.2-Detection- नये कुष्ठ रोगी जिनमें विकलांगता के लक्षण नहीं हो, को आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति (Volunteer) द्वारा जॉच हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में लाने पर एवं कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर रू0 250/– मानदेय दिया जायेगा, और यदि ऐसे रोगी में विकलांगता परिलक्षित है, तो मानदेय धनराशि रू0 200/– दी जायेगी। इस योजना का प्रचार–प्रसार आई0ई0सी0 मद के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाय। आशा (कुल 5029 आशाओं हेतु) इन रोगियों को नियमित औषधि सेवन के लिए प्रेरित एवं सहयोग करेगीं ।

आशाओं की सहभागिता :–क्षेत्र में जन सम्पर्क एवं महिला मण्डल आदि की बैठकों में जनता को कुष्ठ रोग के लक्षण एवं उपचार आदि की जानकारी आशाओं द्वारा दिया जाना है। संदिग्ध कुष्ठ रोगी मिलने पर आशा उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर जॉच एवं उपचार हेतु ले जायेगीं। क्षेत्र में उपचार ले रहे कुष्ठ रोगियों से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें नियमित औषधि सेवन हेतु प्रेरित भी करेगीं । आशा कुष्ठ रोगियों के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को कुष्ठ के प्रारम्भिक लक्षण की जानकारी देगी।

3.1.1.3.2-PB (Treatment Completion)- (NDCP.3.69.ASHA.2-Case detection and Management- ASHA Incentive)

आशा द्वारा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर **केवल आशा को ही** प्रति पॉसी बैसीलरी कुष्ठ रोगी के लिए रू0 400/– (कुल 3014 आशाओं हेतु) मानदेय दिया जायेगा। **कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाय।**

3.1.1.3.2-MB (Treatment Completion)-(NDCP.3.69.ASHA.3-Case detection and Management- ASHA Incentive) आशा कुष्ठ रोगियों को निर्धारित तिथि पर उपचार हेतु सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/चिकित्सालय में नियमित रूप से जॉच एवं उपचार कराने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुष्ठ रोगी को निर्धारित अवधि में रोग मुक्त (आर0एफ0टी0) घोषित किये जाने पर केवल आशा को ही प्रति मल्टी बेसीलरी के लिए रू0 600/– (कुल 2015 आशाओं हेतु) मानदेय दिया जायेगा। कुष्ठ रोगी के केस कार्ड एवं ट्रीटमेन्ट रजिस्टर पर प्रेरक के नाम का अंकन अवश्य किया जाय।

3.1.1.3.3-Any other ASHA incentives (ASHA Sensitization)–(NDCP.3.72.ASHA- Other NLEP Components-ASHA Incentive) समस्त आाशाओं के दिशा निर्धारण के लिए अर्द्धदिवसीय संवेदनीकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में दिया जाना है। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रति प्रतिभागी रू0 100/– का व्यय अनुमन्य है।

6.1.4.3 Equipments-(NDCP.3.69.EQ-Case detection and Management- Equipment) इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में धनराशि रू0 10000/– प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत B.P. Instrument, Weighing Machine, Stethoscope, Pulse Oxymeter etc. का आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जायेगा।

6.1.4.3 MCR Protective Footwear:(NDCP.3.70.EQ.1- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Equipment)-कुष्ठ प्रभावित पैर में सुन्नता वाले व्यक्तियों को अल्सर से बचाने हेतु एम0सी0आर0 फुट वियर के क्रय हेतु रू0 400/–प्रति पेयर धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। उनमे से कुछ संस्थाऐं जो एम0सी0आर0 फुटवियर तैयार करती हैं, उनसे वित्तीय नियमो का अनुपालन करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त क्रय किया जा सकता है–

1. The Leprosy MissionNaini, Allahabad, (Phone No. 0532 2697267)
2. ALERT- INDIA, Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment- India, B-9, Mira Mansion, Sion (W), Mumbai- 400 022 email ID: alert@bom5.vsnl.net.in, alertmcr03@rediffmail.com (Phone No. 022 24033081-2, 022 24072558)
3. Sant Ravidas Charm Shilp Vikash avam Anushandhan Kendra Gawalior, Kambal Kendra Parisar, Gol Paharian Lashkar Gawalior, M.P. Fax 0751-2455454
4. Bhim leather Company, address- 102/97 Gajjupurwa jajmau, Kanpur-08010 Phone No.- 09415153923, 09454949637 , email- bhimleathercompany@gmail.com
5. Arise Global Health Care (Hitanshu: 9810307159, 9811647920) Email: ariseglobalhealthcare@gmail.com
6. Aristotal Medical Incorporation, Shop No.2, Kashi Parekh Flats: Near Panchshil Bus Stop-18, Shantinagar, Vishvakosh Marg, Usmanpura, Ahmedabad-380013,
   Email: aristotalmedicalinc@gmail.com, M-9327068607, 9925872375
7. PROFOMA (A Unit of GLRA India) Buliding No. D-375, 4th Floor, Near Vivekanand School, Anand Vihar., New Delhi-110092, Tel 011-43060990, (Ravi Krishnan- 9773587500, 8118877195, Email: ravi.profoma@gmail.com)

8. BALAJI CORPORATION , 102/97, Gajjupurwa, Jajmau, Kanpur- 208010 (UP) Mobile No. 9170007814, 7309228777, Email ID: balajicorporationmcrfootwear@gmail.com

6.1.4.3 Aids Appliances, Self Care Kit Items, Patient Welfare Items Etc. (NDCP.3.70.EQ.2- DPMR Services: Reconstructive surgeries-Equipment)-इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 में धनराशि रू0 17000/– प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। Grade-1 & Grade-2 disability के कुष्ठ रोगियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न Aids, appliances, Self Care Kit items, patient welfare items इत्यादि वस्तुओं का क्रय किया जाना है। Aids appliances आदि भी 1- The Leprosy Mission, Naini, Allahabad 2- ALERT-INDIA, Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment- India, B-9, Mira Mansion, Sion (W), Mumbai- 400022 द्वारा बनाये जाते हैं। हाथ की विकृतियों वाले रोगियों के लिए Grip Aids मुफ्त NOVARTIS द्वारा डिमान्ड भेजने पर आपूर्ति की जा सकती है। उनका पता है Novartis, Comprehensive Leprosy Care Association, Remi Building, Ground Floor 01 Veera Desai Road Andheri West Bombey 400058 email ID: clcp@vsnl.com

6.2.3.2 Supportive Drugs lab Reagent-(NDCP.3.69.DI-Case detection and Management-Daignostics)-वित्तीय वर्ष 2022–23में इस मद में धनराशि रू0 48000/– प्रति जनपद का प्राविधान किया गया है। Dressing Materials Lepra Reaction, Grade-1 & 2 Disability, Eye Complication इत्यादि जटिलताओं वालें रोगियों के लिए निम्न औषधियों का क्रय किया जाना है–Prednisolone, Clofazimine, Asprine, Acriflavin Powder, Cotton, Roller bandage, Scissors, Adhesive plaster, Zinc Tapes, Vaseline, Splints of various types Antibiotic ointment, Atropine eye ointment, Chloramphenicol eye applicaps, Antibiotic Eye drops, Prednisolone eye drops, pumice stone etc.

11.16.1 आई0ई0सी0 (NDCP.3.72.IEC.1-Other NLEP Components - IEC & Printing)-इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग निम्नवत किया जाना है–

Mass Media	Outdoor Media	Rural Media	Advocacy Meeting	Total approved
Rs. 39000/-	Rs. 23000/-	Rs. 31000/-	Rs. 5000/-	Rs. 98000/-

- **मास मीडिया (TV, Radio, Press, Education Material)** के विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार जन सामान्य एवं स्वास्थ्य कर्मियों में कुष्ठ के प्रति जागरूकता लाने हेतु चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पठन–पाठन सामग्री आदि में व्यय किया जाना है। पठन–पाठन सामग्री एलर्ट इंडिया द्वारा निर्मित की जाती है, पोस्टर इत्यादि के लिए टी0एल0एम0 मीडिया सेन्टर गाजियाबाद से सम्पर्क करें।
- **आउट डोर मीडिया–** होर्डिंग, इण्टरेक्टिव स्टाल, माइकिंग, वाल पेंटिंग इत्यादि माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार इत्यादि करें।
- **रूरल मीडिया–** ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न माध्यम द्वारा प्रचार–प्रसार उदाहरण फॉल्क शो, ग्रुप मीटिंग, डुगडुगी पिटवाना, स्वास्थ्य मेला, प्रदर्शनी, स्कूल क्विज आदि।
- **एडवोकेसी मीटिंग–**जन प्रतिनिधियों एवं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का कुष्ठ जागरूकता में सहयोग सुनिश्चित करने हेतु बैठकों के आयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

12.12.1 Printing Works-(NDCP.3.72.IEC.2- Other NLEP Components - IEC & Printing)- इस मद में एन0एल0ई0पी0 के एस0आई0एस0 एवं डी0पी0एम0आर0 के आवश्यक प्रपत्रों एव अभिलेखों के प्रकाशन हेतु धनराशि रू0 20000/– प्रति जनपद आवंटित की गयी है–

• Patients Case Card	• Identity Card-For Patients
• Sensory Assessment Card	• Monthly Progress Report Page-1 And 2 (Annexure)
• Disability Assessment Card	• MDT Stock Indent Forms
• Prednisolone Card	• MDT Stock Register
• Disability Register	• Patient Treatment Register
• Lepra Reaction & Neuritis Register	• ANM/ASHA Referral Slip Booklet
• Referral Slips	• ASHA Payment Slip
• Referral Register	• Asha Case Detection Register
• Register For Other Cases	• Any Other As Required.

14.2.14 Any other (MDT drug warehouse)- (NDCP.3.72.OOC-Other NLEP Components -OOC) एम0डी0टी0 के रख रखाव हेतु जनपद बाराबंकी में संचालित एम0डी0टी0 ड्रग हाउस के लिये 12 माह हेतु किराये की कुल धनराशि रू0 6,00,000/– का प्राविधान है।

16.1 कार्यक्रम प्रबन्धन (Programme Management) निम्न मदों में धनराशि आवंटित है :–

16.1.3.3.10 Travel expenses - Contractual Staff at District level-(NDCP.3.72.PME.4-Other NLEP Components -Planning & M&E)-राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु कुल रू0 50,000/– प्रति वर्ष की आवटित धनराशि से यात्रा भत्ता मद में उपयोग उनके द्वारा की गयी वास्तविक यात्राओं के सम्बन्ध में राजकीय नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा।

16.1.3.3.11 Mobility Support: District Cell-(NDCP.3.72.PME.5-Other NLEP Components -Planning & M&E)-जनपद स्तर पर एक वाहन के संचालन हेतु वाहन अनुरक्षण एवं डीजल क्रय मद में रू0 150,000/– की धनराशि प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल से जुलाई 2022 की 4 माह की डैप में कुल धनराशि रू0 52,50,000/– आवंटित की जा चुकी है, शेष 08 माह हेतु कुल धनराशि रू0 60,00,000/– आवंटित की जा रही है।

16.1.4.2.4 Office operation & Maintenance - District Cell–(NDCP.3.72.PME.9-Other NLEP Components -Planning & M&E) कार्यालय का रेन्ट, दूरभाष, फैक्स, इन्टरनेट डाक व्यय आदि, मद में व्यय हेतु रू0 35,000/– की धनराशि प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी है।

16.1.4.2.5 District Cell- Consumables-(NDCP.3.72.PME.10-Other NLEP Components -Planning & M&E) इस मद में रू0 30,000/– की धनराशि लेखन सामग्री, कार्यालय उपयोग समाग्री एवं अन्य कंज्यूमेबिल के क्रय हेतु समस्त जनपद को आवंटित की गयी है।

16.1.2.1.20 Review meeting- (NDCP.3.72.PME.1-Other NLEP Components -Planning & M&E) इस मद में रिव्यू बैठक हेतु रू0 25,000/– प्रति बैठक की दर से 04 बैठकों हेतु प्रत्येक जनपद को रू0 1,00,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी है।

संविदा मानव संसाधन (Human Resource)–राज्य एवं जनपद स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु संविदा कर्मियों की सेवायें भारत सरकार के टर्म आफ रेफरेन्स के आधार पर संचालित रहेंगी।

16.4.2.2.2 District Leprosy Consultant-(HSS.9.184.C.P291) उच्च प्राथमिकता वाले निम्नलिखित 45 चयनित जनपदों मे संविदा पर एक District Leprosy Consultant, का पद स्वीकृत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन District Leprosy Consultant को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा:–

1–प्रयागराज (इलाहाबाद), 2–अम्बेडकर नगर, 3–अमरोहा, 4– औरैया, 5– आजमगढ़, 6–बदायूँ, 7–बहराइच, 8–बलिया, 9–बलरामपुर, 10–बाराबंकी, 11–बरेली, 12–बस्ती, 13–बिजनौर, 14–चंदौली, 15–देवरिया, 16–अयोध्या (फैजाबाद), 17–फतेहपुर, 18–गाजीपुर, 19–गोरखपुर, 20–हमीरपुर, 21–हरदोई, 22–जालौन (उरई), 23–जौनपुर, 24–कन्नौज, 25–कानपुर देहात, 26–कानपुर नगर, 27–कौशाम्बी, 28–लखीमपुर खीरी, 29–कुशीनगर, 30–लखनऊ, 31–महराजगंज, 32–महोबा, 33–मऊ, 34–मिर्जापुर, 35–मुरादाबाद, 36–पीलीभीत, 37–रायबरेली, 38–रामपुर, 39–संतरविदास नगर, 40–शाहजहॉपुर, 41–श्रावस्ती, 42–सिद्धार्थ नगर 43–सीतापुर, 44–सोनभद्र, 45–उन्नाव।

उपरोक्त जनपदों में से 34 जनपदों में कार्यरत District Leprosy Consultant के भुगतान हेतु माह अप्रैल से जुलाई 2022 की 4 माह की डैप में कुल धनराशि रू0 72.64 लाख आवंटित की जा चुकी है, शेष 08 माह हेतु कुल धनराशि रू0 145.28 लाख आवंटित की गयी है।

8.1.1.10 Physiotherapist-(HSS.9.184.C.S0086) उच्च प्राथमिकता वाले निम्नलिखित 45 चयनित जनपदों में संविदा पर एक Physiotherapist का पद स्वीकृत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार

एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन Physiotherapist को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा :–

1–प्रयागराज (इलाहाबाद), 2–अम्बेडकर नगर, 3–अमरोहा, 4– औरैया, 5– आजमगढ़, 6–बदायूँ, 7–बहराइच, 8–बलिया, 9–बलरामपुर, 10–बाराबंकी, 11–बरेली, 12–बस्ती, 13–बिजनौर, 14–चंदौली, 15–देवरिया, 16–अयोध्या (फैजाबाद), 17–फतेहपुर, 18–गाजीपुर, 19–गोरखपुर, 20–हमीरपुर, 21–हरदोई, 22–जालौन (उरई), 23–जौनपुर, 24–कन्नौज, 25–कानपुर देहात, 26–कानपुर नगर, 27–कौशाम्बी, 28–लखीमपुर खीरी, 29–कुशीनगर, 30–लखनऊ, 31–महराजगंज, 32–महोबा, 33–मऊ, 34–मिर्जापुर, 35–मुरादाबाद, 36–पीलीभीत, 37–रायबरेली, 38–रामपुर, 39–संतरविदास नगर, 40–शाहजहॉपुर, 41–श्रावस्ती, 42–सिद्धार्थ नगर43–सीतापुर, 44–सोनभद्र, 45–उन्नाव।

उपरोक्त जनपदों में से 38 जनपदों में कार्यरत Physiotherapist के भुगतान के लियेमाह अप्रैल से जुलाई 2022 की 4 माह की डैप में कुल धनराशि रू0 70.83 लाख आवंटित की जा चुकी है, शेष 08 माह हेतु कुल धनराशि रू0 141.67 लाख आवंटित की गयी है।

8.1.1.12 Others (PMW)-(HSS.9.184.C.S0099) प्रदेश के 418 ब्लॉकों पर संविदा पर एक पैरामेडिकल वर्कर का पद स्वीकृत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट प्रतिवर्ष देय होगा साथ ही पूर्व से ही नियुक्ति संविदाधीन **PMW** को प्रत्येक वर्ष की भॉति इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में भी एक वर्ष सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 05 प्रतिशत का इन्क्रीमेन्ट देय होगा :–

SN	Name of District	Sanctioned Positions of PMW	SN	Name of District	Sanctioned Positions of PMW
1	Agra	2	38	Siddharth Nagar	6
2	Mainpuri	1	39	Sant Kabir Nagar	1
3	Mathura	1	40	Gonda	1
4	Firozabad	1	41	Bahraich	14
5	Aligarh	2	42	Shravasti	1
6	Hathras	1	43	Balrampur	5
7	Etah	1	44	Barabanki	14
8	Kasganj	2	45	Amethi	1
9	Allahabad	3	46	Faizabad	3
10	Kaushambi	8	47	Ambedkarnagar	4
11	Fatehpur	9	48	Sultanpur	1
12	Pratapgarh	2	49	Lucknow	6
13	Banda	2	50	Sitapur	19
14	Chitrakoot	0	51	Raebarely	10
15	Hamirpur	1	52	Kheri	15
16	Mahoba	2	53	Unnao	12
17	Jhansi	2	54	Hardoi	19
18	Lalitpur	0	55	Bulandshahr	1
19	Jalaun	9	56	Ghaziabad	2
20	Kanpur Nagar	9	57	Gautam Buddha Ng.	1
21	Kanpur Dehat	8	58	Meerut	1
22	Etawah	1	59	Bagpat	1
23	Auraiya	5	60	Saharanpur	1
24	Farrukhabad	1	61	Muzaffamagar	1
25	Kannauj	7	62	Deoria	12
26	Rampur	5	63	Maharajganj	12
27	Moradabad	12	64	Kushinagar	11
28	Amroha	6	65	Gorakhpur	10
29	Bijnor	8	66	Mirzapur	7
30	Azamgarh	2	67	Sonbhadra	3

31	Ballia	13	68	St. Ravidas Nagar	2
32	Mau	7	69	Jaunpur	9
33	Bareilly	14	70	Ghazipur	14
34	Badaun	17	71	Chandauli	5
35	Pilibhit	6	72	Varanasi	2
36	Shahjhanpur	14	73	Sambhal	1
37	Basti	4	74	Hapur	1
			75	Shamli	1
				District Total	**418**

उपरोक्त में से 302 कार्यरत पैरामेडिकल वर्कर्स के भुगतान हेतु 04 माह के लिये कुल धनराशि रू0 360.45 लाख का आवंटन किया जा चुका है, शेष 08 माह हेतु कुल धनराशि रू0 720.91 लाख का आवंटन किया गया है।

नोट :–

1. उपरोक्त समस्त मदों के व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के वित्तीय दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. व्यय की जाने वाली समस्त धनराशियों का अनिवार्य रूप से FAMS पर व्यय इंगित कराना तथा वार्षिक उपभोग प्रमाण पत्र राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

Sparsh Leprosy Elimination Campaign

Post Exposure Prophylaxis गाइड लाइन (यह गतिविधि सभी जनपदों में की जानी है। उक्त गतिविधि कराये जाने के लिये धनराशि व्यय किये जाने हेतु पृथक से निर्देश प्रेषित किये जायेगें।)

पृष्ठभूमि

हैनसेन बेसीलस (मायकोबैकटीरियम लेप्रे) को उच्च संक्रामकता और कम रोग जनकता और विशैला सूक्ष्म जीव माना जाता है। यह संक्रमित रोगियों के Nasal oropharyngeal स्त्राव और त्वचा में दरार के माध्यम से संक्रमण फैलाता है। इसलिए इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा इन रोगियों के साथ रहने वालों को होता है। यह अनुमान है कि अधिकांश व्यक्तियों में मायकोबैकटीरियम लेप्रे के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता होती व जिनमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। वही लोग इस बिमारी के गम्भीर रूप को विकसित करने की सम्भावना रखते हैं। जैसे कि मल्टी बेसिलरी (एम0बी0) से प्रभावित व्यक्ति। अति संवेदनशील व्यक्ति जो एम0बी0 रोगियों के सम्पर्क में रहने पर संक्रमित हो जाते हैं।

Post Exposure Chemoprophylaxis (PEC)

पी0ई0पी0 एक निवारक चिकित्सा उपचार है जोकि रोगी के संपर्क में आने के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है। यह रोग कारक के द्वारा होने वाले रोग के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से किया जाता है । कुष्ठ रोग के संक्रमण से बचने के लिए मुख्यतः उन लोगों जोकि रोगी के साथ सीधे सम्पर्क में रहते हैं उन्हें निवारक रणनीति के अन्तर्गत दवाई दी जाती है। वर्ष 2015 में दादरा और नागर हवेली में Rifampicin का परीक्षण कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों में Chemoprophylaxis के रूप में किया गया था जोकि अत्यन्त प्रभावकारी रहा।

कुष्ठ रोग से संक्रमण मुख्यतः नये व अनुपचारित रोगियों के सम्पर्क में आने से होता है। नये कुष्ठ रोगी सामान्यता जनसंख्या की तुलना में नये कुष्ठ रोगियों के घरेलु सम्पर्कों में 10 गुना अधिक है और विभिन्न श्रेणियों के पडोसियों और सामाजिक संपर्कों में कुष्ठ रोग की सम्भावना तीन और पांच के बीच है इसलिए भविष्य में कुष्ठ रोग नियंत्रण रणनीति पर मुख्य ध्यान केन्द्रीत होनी चाहिए।

Post Exposure Chemoprophylaxis किसी भी निवारक चिकित्सा उपचार को नये रोगी से सम्पर्क के तुरन्त बाद शुरू किया जाता है, ताकि रोगी और रोग के संक्रमण को रोका जा सके। कुष्ठ रोग में प्रतिरक्षात्मक रणनीति में बीमारी से संक्रमित होने वाले लोगों में एम0लेप्रे द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए Rifampicin दवा दी जाती है। 2015 में दादरा और नागर हवेली में किए गए कुष्ठ रोगियों के कान्टेक्स के लिए Rifampicin का इस्तेमाल में Chemoprophylaxis के रूप में प्रयोग किया था। जो अत्यन्त प्रभावकारी रहा।

एक मेटा विश्लेषण में कुल 66311 प्रतिभागियों के साथ आरसीटी के सारांश में यह निष्कर्ष निकाला गया कि बीमारियों का निदान करने वाले रोगियों के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग की घटनाओं को कम करने में Chemoprophylaxis प्रभावी है। Chemoprophylaxis ने कुष्ठ रोग के खिलाफ 60 प्रतिशत सुरक्षा प्रदान की।

प्रदेश के समस्त जनपदों में जितने भी नये कुष्ठ रोगी खोजे जा रहे हैं, उनके सभी हेल्दी कान्टेक्टस (03 घर सामने, 03–03 घर दायें–बायें एवं रोगी का स्वंय का घर कुल 10 घरों में) को पोस्ट एक्पोजर प्रोफाइलेक्सिस के अन्तर्गत नीचे दिये गये Inclusion & Exclusion Criteria के आधार पर Rifampicin की एकल खुराक अपने सामने दी जानी है। दी जाने वाले डोज निम्नलिखित है :–

- 35 किलो से अधिक वजन हेतु 600 एम0जी0
- 20 से 35 किलो से अधिक वजन हेतु 450 एम0जी0
- 20 किलो से कम वजन हेतु 10 से 15 एम0जी0 प्रति किलोग्राम

पात्रता मानदंड

जिन्हें Rifampicin **दी जानी है** (Inclusion Criteria)] विवरण निम्नवत् है–

1. एक व्यक्ति जो पिछले 1 वर्ष में कुष्ठ रोग के नए खोजे गये कुष्ठ रोगी के साथ तीन माह से अधिक और 20 घण्टे प्रति सप्ताह के लिए सामाजिक गतिविधियां रखता/रह रहा है।
2. 02 वर्ष से अधिक आयु के कान्टेक्ट को ही Rifampicin दी जानी हैं।

जिन्हें Rifampicin **नहीं दी जानी है** (Exclusion Criteria) विवरण निम्नवत् है–

1. गर्भवती महिलाओं (पीईपी डिलीवरी के बाद दी जा सकती है)
2. पिछले दो वर्षों में किसी भी कारण से Rifampicin थेरेपी प्राप्त करने वाले लोग (उदाहरण के लिए तपेदिक (टी0बी0) या कुष्ठ कुष्ठ उपचार या किसी दूसरे इन्डेक्स केस के संपर्क के रूप में Rifampicin ली हो।
3. यकृत विकारों के इतिहास वाले लोग (जिन्हें पीलिया, दांए तरफा पेट में दर्द और सूजन, पैरों और टखनों में सूजन, पीली रंग की मल) गुर्दे संबंधी विकार (जिनकें मूत्र उत्पादन में गिरावट, पैरों से सूजन और एंकल, जिनको उच्च बीपी हो)।
4. कुष्ठ रोगों के संभावित लक्षण या लक्षण वाले लोग।
5. क्षय रोग से ग्रसित व्यक्तियों जोकि उपचार ले रहे हों और जिन लोगों में टी0बी0 के सम्भावित लक्षण हों (जिन रोगियों में निम्न लक्षण हैं उनकी टी0बी0 के लिए जांच की जानी चाहिए– दो हफ्ते से अधिक समय तक खांसी, रात में पसीना, अस्पष्टीकृत बुखार, बजन का घटना।
6. तीव्र बुखार (बीमारी) के साथ व्यक्ति।

पोस्ट एक्स्पोजर प्रोफिलेक्सिस Rifampicin के साथ (डायरेक्ट ऑर्ब्जेड Rifampicin सुपरवाइज्ड (DORS)

एलसीडीसी के दौरान पाए गऐ मामले की पुष्टि के बाद, पी0एच0सी0 एम0ओ0उक्त सबसेंटर से सम्बंधित एमपीडब्ल्यू को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचित करेगा।

⇩

पी0एम0डब्लू0 आशा के साथ पुष्टि किये गये रोगी के घर का भ्रमण करेगा।

⇩

रोगी के घरेलू और करीबी सम्पर्कों को पहचान लिया जाएगा और कुष्ठ रोग के लिए जांच की जाएगी, किसी भी संदिग्ध को पुष्टि के लिए एम0ओ0 के पास भेजा जाएगा।

⇩

कुष्ठ रोग के संदिग्ध लोगों के अलावा सभी सम्पर्कों को किसी भी Exclusion criteria के आधार परचुना जायेगा।

⇩

Inclusion criteriadks पूरा करने वाले सम्पर्कों को रिफाम्पिसिन Chemoprophylaxis की एकल खुरादा दी जाएगी।

⇩

अगर संदिग्ध मामलों की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें कुष्ठ रोगी के रूप में माना जाएगा और उन्हें एमडीटी दिया जाएगा और उनके भी सम्पर्कों को पीईपी के लिए चिन्हित किया जायेगा।

⇩

यदि घर पर कोई सम्पर्क उपलब्ध नहीं है तो Exclusion criteria का मूल्यांकन पी0एम0डब्लू0 द्वारा पारिवारिक सदस्यों की सहायता से किया जायेगा और उसकीच्तवचीलसंजपबखुराक आशा को सौप दी जायेगी। सभी मामलों में पीईपी की खुराक अपने सामने दी जायेगी।

सम्पर्क स्क्रीनिंग यदि Index case एक बच्चा है।

यदि Index case एक बच्चा (≥ 2 yrs और <14yrs) है, तो Eligibility Criteria for PEP (पी0ई0पी0 के लिए पात्रता मानदण्ड) में दिये गये सभी बिन्दुओं (Inclusion Criteria & Exclusion Criteria) पर अमल किया जायेगा। लेकिन इसके पहले रोगी बच्चे के साथ स्कूल में पढने वाले सहपाठियों जो उसके मोहल्ले में रहने वाले हैं उनके घर का भ्रमण किया जायेगा और कुष्ठ रोग के लिए उनकी जांच की जायेगी और पी0ई0पी0 के लिए उनकी पात्रता की जांच की जायेगी।

यदि घर पर सम्पर्क उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्ति की पात्रता की जांच पी0एम0डब्लू0 द्वारा परिवार के सदस्यों से की जायेगी उसके बाद उस व्यक्ति से सम्बंधित पात्रता प्रारूप व Rifampicin की एकल खुराक आशा को दे दी जायेगी और आशा यह सुनिश्चित करेगी कि वह एकल खुराक उस व्यक्ति को दे दी जाय और उसका पात्रता प्रारूप भर दिया जाय और भरा हुआ प्रारूप पी0एम0डब्लू0 को जमा कर दिया जायेगा।

यदि किसी संदिग्ध को कुष्ठ रोग होने का संदेह है तो उस सम्पर्क को उसके निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

यदि सम्पर्क को कुष्ठ रोग की पुष्टि होती है तो दिशा–निर्देशों के अनुसार मरीज का एम0डी0टी0 के साथ इलाज किया जाएगा। यदि कुष्ठ रोग नहीं है तो उसे सम्पर्क पी0ई0पी0 दिया जायेगा।

सुरक्षा/प्रतिकूल घटना प्रबन्धन (Adverse event management)

Rifampicin की एकल खुराके बाद प्रतिकूल घटनाएं शायद ही कभी होती हैं। सम्भवतः प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं पेट का खराब होना, सीने में जलन, उल्टी, सिरदर्द, उनींदापन, या चक्कर आना है तो मानक उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित की जानी है। पी0एम0डब्लू0, अपने भ्रमण के दौरान लोगों को यह अवश्य बतायेगें कि इस दवा के कारण उनके मूत्र, पसीने, लार या आंसू का रंग लाल हो सकता है और इससे कोई हानि नहीं होती है।

एक प्रतिकूल घटना के मामले में प्रक्रिया

Rifampicin देने के उपरान्त यदि ऊपर बताये गये लक्षणों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया दिखायी देती है तो वह व्यक्ति पी0एच0सी0 के एम0ओ0 को रिपोर्ट करेगा। जोकि उसका प्रबन्धन करेगा या निकटतम अस्पताल में संदर्भित करेगा।

निगरानी और पर्यवेक्षण

कुष्ठ रोग के लिए Contact की स्क्रीनिंग चिकित्सा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि कान्टेक्ट के स्क्रीनिंग के दौरान Exclusoion and Incusion Criteria को उपयोग उचित ढंग से किया जा रहा है।चिकित्सा अधिकारीब्वदजंबज थ्वतउको स्वीकार और हस्ताक्षर करेगा और प्रतिकूल घटना प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार होगा।

Rifampicin की खरीद

1. Rifampicin की खरीद जनपद स्तर पर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित/प्राविधानित धनराशि से नियमानुसार की जायेगी।
2. Rifampicin आवश्यक मात्रा की गणना एल0सी0डी0सी0 के दौरान खोजे गये रोगियों के अनुसार की जायेगी। (20 कान्टैक्ट प्रति केस)
3. स्टाक की गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना सबसे कम बोलीदाता के आधार पर आपूर्तिकर्ता का चयन करें।
4. आपूर्तिकर्ता को एक लिखित अनुरोध करें।
5. मात्रा की जांच करें, प्राप्त हुई औशधि की समाप्ति (Expiry) की जांच करें।
6. Rifampicin का रिकार्ड बनाए रखें।
7. औशधि को जनपद स्तर पर वितरित करें।

रिपोर्टिंग

फील्डस्तर पर पी0एम0डब्लू0 द्वारा डेटा संग्रह किया जायेगा और भरे हुए प्रारूप प्रत्येक दिन फील्ड या सबसेन्टर से पी0एच0सी0 पर जमा किये जायेगें। पी0एच0सी0 के मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरे गये प्रारूप की जांच की जायेगी और जिले से राज्य को सभी डेटा संकलित कर भेजे जायेगें।राज्य के स्तर पर डीईओ द्वारा एक्सेल प्रारूप में डेटा संकलित किया जायेगा। इसके अलावा, एस0एल0ओ0, सलाहकार–एन0एल0ई0पी0, फिर से 10 प्रतिशत Random (क्रम रहित) जांच से डेटा की सटीकता और पूर्णता की जांच करेगें। इसके अलावा डेटा सीएलडी को निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्रेषित करेगें–

1) कुल संख्या सूचकांक के मामलों की।
2) कुल संख्या सम्पर्कों की जांच।
3) कुल संख्या के सम्पर्कों में कुष्ठ रोग के रूप में निदान किया गया।
4) कुल संख्या पी0ई0पी0 के लिए योग्य सम्पर्कों की।
5) कुल संख्या पी0ई0पी0 के डी0ओ0आर0एस0 के रूप में प्रशासित।

Annexure I, II, III& IV (Contact Form) are attached. रिपोर्टिंग प्रपत्र पेंज नम्बर–15 पर संलग्न है।

Annexure I

Operational Definitions	
Chemoprophylaxis	Post- exposure prophylaxis with one or more antibiotics given to contacts of an infectious disease case. A single dose of rifampicin is used to reduce the risk of developing leprosy in contacts of leprosy patients (index cases)
Contact	Someone who has had prolonged regular or interrupted contact with an index case during the last one year. The time period of contact will be 3 months (cumulative) and 20 hrs/wk.
Contact category	This is based on physical proximity to the index case. The categories are family contacts, household contacts, neighbour contacts and social contacts.
	Family contact comprise of all family members. However, if a family member has been away due to reasons eg work or education during the last 1 year, then he will not be included among contacts.
	Household contacts would comprises of are all people living in 3 houses on either side and 3 houses across the street from the index case.
	Neighbour contacts would comprise of are all people living in 3 houses on either side and 3 houses across the street from the index case.
	Social contacts are all people with whom the index case is in contact for more than 20 hrs per week for a cumulative of 3 months or more.
Contact screening	Examination of a contact having been in physical proximity to the index case to determine if they have signs or symptoms of leprosy.
Leprosy patient	A leprosy patient is defined as someone who has one of three cardinal signs and has not completed a course of MDT. A new case of leprosy is defined as someone who has one of three cardinal signs and has not consumed even a single dose of MDT/ started a course of MDT.
	This definition is in the national guidelines and based on the WHO definition.

Single-dose rifampicin prophylaxis	Post-exposure prophylaxis in which a single dose of rifampicin, with dosage based on weight, is given to contacts of an index case. In this document single dose rifampicin, with dosage based on weight, is given to contacts of an index cases. In this document single dose rifampicin prophylaxis is referred as Post-Exposure- Prophylaxis(PEP).
	> 35 kg- 600 mg
	20-35 kg- 450 mg
	<20kg-10-15 mg/kg
Index case	Any confirmed case diagnosed for the first time as leprosy case.

Annexure II

Human Resources: role and responsibilities

S.No.	Staff Involved	Roles and Responsibilities
1	MPW/PMW/ASHA	• Find index leprosy patient • Carry out house visit • Confirm the start of MDT for index case • Inform about leprosy prevention and chemoprophylaxis • List 10 neighbourhood contacts on contact form • Collect data on contact form • Screen for leprosy • Bring contacts suspected for leprosy to MO • Record referral in contact form • Check eligibility for PEP(PMW/MPW) • Give PEP if eligible (PMW/MPW) • Record eligibility and SDR in contact form • Refer to PHC in case of adverse events
2	NMS/PHN	Supervision of field activity of MPW/PMW/ASHA
3	MO PHC	• Examine contacts suspected of leprosy or TB • Responsible for distribution of rifampicin • Management of adverse reactions
4	DLO/State Leprosy Officer (NLEP)	• Leprosy expert supervision of field level staff and Mos. • Give training

Annexure III

SAMPLE FORMATS

INDEX CASE INFORMATION :

Name: DOB:

Gender:

Date of Diagnosis:

Registration number:

Type of leprosy (PB-MB):

Disability : Y/N

Date of start of MDT :

Annexure IV

CONTACT FORM:

Name: DOB:

Gender:

Registration No. of contact:

Registration number of index case:

Date of contact screening:

Type of contacts: relative/ neighbour/ social temporary

Inclusion criteria for rifampicin:

Person has been living/working/ having social activities for more than three months Y/N

1. Age≥ 2 years. Y/N

Exclusion criteria:

1. Pregnancy Y/N
2. Rifampicin therapy for any reason in the last two years (e.g. for tuberculosis (TB) or leprosy treatment, or as a contact from another index case) Y/N
3. History of liver disorder (ask for H/o jaundice, right side abdominal pain and swelling, swelling in legs and ankles, pale coloured stool)Y/N
4. History of renal disorders (ask for H/o decreased urine output, swelling in legs and ankles, H/o high BP)Y/N
5. Possible signs and/ or symptoms of leprosy Y/N
6. Presence of acute febrile illness. Y/N

Whether eligible for chemoprophylaxis:

Date of Rifampicin administered- __/ __/ __

Name:_____

Sign of MPW/PMW:_____

Reporting format for PEP

S.No.	Particulars	No.
1.	Total no. of index cases	
2.	Total no. of contacts screened	
3.	Total no. of contacts diagnosed as leprosy	
4.	Total no. of contacts found eligible for PEP	
5.	Total no. of PEP administered as DORS	

1. जिन जनपदों में कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का संचालन किया गया है, उन जनपदों को छोड़कर प्रदेश के अन्य शेष जनपदों में इस गतिविधि का संचालन किया जाना है।

A. **Focused Leprosy Campaign for Hot Spot Area-** जिसके अन्तर्गत जहां पर एक भी कुष्ठ रोग से हुई विकलांगता का केस निकलता है, तब उस ग्रामीण क्षेत्र के उस ग्राम में सभी घरों के सभी सदस्यों का परीक्षण एवं शहरी क्षेत्र में आस–पास के 300 घरों में सभी हाउस होल्ड का परीक्षण किया जाय तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाय। रिपोर्टिंग प्रपत्र पेंज नम्बर–16 पर संलग्न है। (जहाँ पर एक भी विकलांग कुष्ठ रोगी निकलता है वह क्षेत्र **Hot Spot Area** कहलाता है) प्रत्येक विकलांग कुष्ठ रोगी का साक्षात्कार लेकर प्रपत्र जल्द से जल्द अधिकतम 15 दिन तक भरा जाना है, इसके लिए प्रपत्र पेज संख्या–26 एवं 27 पर उपलब्ध है।

B. **Special Plan for Hard to Reach Area-** इसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर पहुंचा जाना अत्याधिक कठिन है उन स्थानों पर जागरूकता लाने के लिए माइकिंग एवं लीफलेट (बुकलेट, हैंडबिल, हैंडआउट, फोल्डर इत्यादि) के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाय तथा प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर सूचना महानिदेशालय को प्रेषित की जाय।

C. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व

कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।

D. योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन

एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी यूनिट का निर्धारण किया जायेगा। जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिश्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा :–

- प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 युनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।
- नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

E. सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समुह में अनौपचारिक योजना संवेदनीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशाप का सम्पादन किया जायेगा जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के अनुसार संदिग्ध कुश्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
- कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामाग्रियों का वितरण।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुश्ठ रोगी की पहचान।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।
- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।
- सम्वर्ती निगरानी
- किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
- हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा (तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हार्ड टू रीच एरिया (एच0टी0आर0ए0) एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां कुष्ठ रोग के लिए एक अच्छा निगरानी तन्त्र स्थापित करना मुश्किल होता है। वहां की भौगोलिक प्रशासनिक राजनीतिक व अन्य कारणों से ऐसे स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मी का पहुंचना व कार्य करना कठिन होता है और इसके अलावा उस समुदाय के सदस्य भी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा नहीं उठा पाते हैं।
- योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन
- एच0टी0आर0ए0 हेतु योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन युनिट के लिए ग्राम या शहरी युनिट का निर्धारण किया जायेगा। जो कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को पहचानेगी व चिन्हित करेगी और उन्हीं जरूरतों के आधार पर योजना बनायी जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी युनिटों जिनकी एक जैसी विशेष जरूरतें होगी उनका एक समूह बनाया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में किया जायेगा :–
  - ✓ प्रत्येक एच0टी0आर0ए0 यूनिट के लिए नोडल व्यक्ति की पहचान की जायेगी।
  - ✓ नोडल व्यक्ति के परामर्श से समुदाय के सदस्यों का नामांकन और एच0टी0आर0ए0 टीम का निर्धारण किया जायेगा।

F. सभी एच0टी0आर0ए0 टीम का एक समुह में अनौपचारिक योजना संवेदनीकरण कम ट्रेनिंग वर्कशाप का सम्पादन किया जायेगा जिसमें निम्नवत् बिन्दुओं को प्रमुखता देनी हैं :–

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाशा के अनुसार संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान, उपचार, आई0ई0सी0 और अन्य एन0एल0ई0पी0 के अन्तर्गत सेवायें।
- कुष्ठ रोग से सम्बंधित जानकारियां, एम0डी0टी0 दवाईयों तथा अन्य सामाग्रियों का वितरण।
- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की परिभाषा के आधार पर (कार्यक्रम के अनुसार) संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पहचान।

- संदिग्ध कुष्ठ रोगी की पुष्टि वहां के स्थानीय चिकित्सक द्वारा की जायेगी।
- सभी पुष्टि किये हुए कुष्ठ रोगियों का पूर्ण उपचार तुरन्त किया जायेगा।
- रिएक्शन अथवा किसी भी प्रकार की अन्य जटिल स्थिति से निपटने के लिए संदर्भन तंत्र की स्थापना।

सम्वर्ती निगरानी

1. किसी अन्य उद्देश्य से जो भी सर्वे एच0टी0आर0ए0 टीम में उनके द्वारा डेटा का एकत्रीकरण।
2. हेल्थ केयर डिलेवरी सिस्टम द्वारा(तृतीय लेवल सहित) डेटा का एकत्रीकरण।
3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निगरानी भ्रमण।

National Leprosy Eradication Program

Format for Focused Leprosy Campaign

(This format is to be filled by the Health worker during his/her field visits for case detection)

No. of Grade 2 Cases in the month of _____

No. of FLCs done against the above number _____

1. Name :
2. Age :
3. Sex :
4. Village/Urban Area:
5. Block :
6. District:
7. State:
8. Date of Detection of disability :
9. Date of FLC conducted :
10. Household Covered:
11. Population covered :
12. Suspects identified:
13. Suspects examined :
14. Total New Cases Detected:
15. Grade 2 cases:
16. Child cases:
17. Child grade 2 cases:

Kindly note : Data collected by you is very important to assess the quality of the campaign which in turn will help in determining if more patients are still hidden in the community or not. Hence, you are requested to maintain trustworthiness while following above mentioned instructions during the visits to sites.

Performa for New Leprosy Cases reported with Grade-II disability

(Interview should be personal talk and not in public)

State:

Personal Details

1-Name of the Patient:

2-Mobile No. : **3- Age:** **4- Sex (M/F):**

5-Religion: **6- SC/ST:**

7-Education (1-Illiterate, 2-1st-5th standard, 3-Middle School (6th-8th), 4-High School(9th-10th), 5-Intermediate, 6-Post High School or Diploma/Graduate, 7- Post Graduate, 8- Professional) (Kindly write the no.)

8- Occupation (1-Unemployed, 2- Unskilled, 3-Semi-Skilled/Skilled, 4- Clerical, 5- Shop owner, 6-Farmer, 7-Semi- professional, 8- Professional, 9- Other(specify) : (Kindly write the no.):

Demographic Details

9- Rural/Urban Area:
10-Village/Urban Area Name:
11-Kutcha/Pakka house:
12- Block:
13-District:
14- Migratory/ non migratory:
15-No. of Family members:
16- Family Income (per annum)
17- Per Capita Income:

Case Details

18. History of contact with leprosy case (Y/N):
19. Relation, if yes (1- family, 2-relative, 3-friend, 4-neighbor, 5-known, 6-co-workers, 7- others (specify)) (Kindly write the no.) :
20. 1st observance of leprosy symptoms (month-year):
21. Date of diagnosis:
22. Diagnosed by (1-ASHA, 2-NMA, 3-MO, 4-Hakeem, 5-PP, 6-Doctor, 7- Others(specify) (Kindly write the no.) :
23. Duration of delay in starting treatment at Government Health Care System (after noticing the symptoms (in days):
24. Clinical Type (PB/MB) (to be filled by health worker):
25. First point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
26. Duration of delay (in weeks) from time of noticing symptoms to seeking treatment at first point of care:
27. Cost incurred, if any:
28. Second point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
29. Duration of delay (in weeks) between visiting first point of care to second point of care:
30. Cost Incurred, if any :
31. Third point of care (1- Hakeem, 2-Faith healer, 3-PP, 4-Govt. Health Centre, 5- Hospital, 6- Medical college, 7- other(specify)) Kindly write the no.):
32. Duration of delay(in weeks) between visiting second point of care to third pint of care.
33. Cost Incurred, if any :
34. Date of reporting in the present Health Care System(If different from first point of care):
35. Reasons for not reporting in Govt. Health Care System directly after noticing the symptoms (1- Lack of information about the disease, 2- Non- availability of doctor at the health facility, 3-Loss of wages, 4-Fear/Stigma, 5- Financial constraints, 6-Treated by multiple Practioners, 7- Treatment by faith healers, 8-Any other (specify) (Kindly write the no.):
36. From where the case came to know about Govt. Health Care System (1- News, 2- Neighbours, 3-Relatives, 4-Friends, 5- Others(specify)) (Kindly write the no.):
37. From where the case came to know about Leprosy (1- News, 2- Neighbours, 3- Relatives, 4-Friends, 5-Others(specify) (Kindly write the no.):
38. Is the case aware about anybody having the same symptoms in his/her locality/area:
39. If yes, how many such people does he/she know:
40. Recommendations made by him/her.

Observation of the interviewer and conclusion:

Signature and designation of the Interviewer:

(Date)

ABSULS

आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

(यह गतिविधि प्रदेश के सभी जनपदों में किया जाना है)

ASHA

BASED

SURVEILLANCE

LEPROSY

SUSPECTS

आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख हेतु विवरणः–

"आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख का उद्देश्य"

1. संदिग्ध कुष्ठ रोगियो की सक्रीय देख–रेख उन क्षेत्रों में भी हो जहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सूचना NIL/शून्य हो ।
2. प्राथमिकता के आधार पर आशा द्वारा कुष्ठ रोगियों का खोजा जाना।
3. गाँव स्तर पर कुष्ठ रोगियों को खोजने हेतु संचालित गतिविधियों की निगरानी व पर्यवेक्षण मे सुधार लाना।

ABSULS (आशा द्वारा संदिग्ध कुष्ठ रोगियों की देख–रेख) हेतु निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

आशा द्वारा मासिक बैठक मे स्वयं हस्ताक्षर कर **ABSULS** प्रारूप एस–1 (दो प्रतियोंमे भरा जायेगा) इस प्रारूप मे खोजे गये संदिग्ध कुष्ठ रोगियो की संख्या जिनको आशा द्वारा पूर्व माह मे संदर्भित किया गया है लिखा जायेगा।

ABSULS प्रारूप एस–1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी को दिया जायेगा और वह इसका संकलन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर **ABSULS** प्रारूप एस–2 में करेगें, जो दो प्रतियों में भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूपएस–2 जिला कुष्ठ अधिकारी को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजे जायेगें और जिले के अनुसार रिर्पाट का संकंलन **ABSULS** प्रारूप एस–3 में करेंगें, जो दो प्रतियों मे भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूप एस–3 राज्य कुष्ठ अधिकारी को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजा जायेगा और राज्य के अनुसार रिर्पाट का संकंलन ABSULS प्रारूप एस–4 में करेगें, जो दो प्रतियों में भरा जायेगा।

ABSULS प्रारूपएस– 4 सी0एल0डी0 नई दिल्ली, को विष्लेषण व विवेचना हेतु भेजा जायेगा।

इन सभी प्रारूप **ABSULS** प्रारूप एस–1 (संलग्नक–1) **ABSULS** प्रारूप एस–2 (संलग्नक– 2) **ABSULS** प्रारूप एस–3 संलग्नक – 3) **ABSULS** प्रारूप एस–4 (संलग्नक –4) जोकि मुख्यतः इसी कार्य हेतु बनाये गये है। इन प्रारूपो को सख्ती से उस प्रारूप मे नामित कर्मियो द्वारा भरा/संकलित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये **ABSULS** प्रारूप एस–1 मे पहले तीन कॉलम उस उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा तथा अन्तिम दो कॉलम आशा द्वारा भरा जायेगे। प्रत्येक प्रारूप दो प्रतियों मे भरे जायेगे जिससे उसकी एक कॉपी ए0एन0एम0 के पास व दूसरी कॉपी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को जमा की जायेगी जिसमे की आशा का नाम ए0एन0एम0 द्वारा चिन्हित कर दिया जायेगा। जोकि उस गाँव के भ्रमण के लिये चुनी गई है।

अन्य सभी प्रारूप वह भी अत्यन्त सरल व स्वतः स्पष्ट हैं, उनको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियो द्वारा दो प्रतियों मे भरा जायेगा। जिससे उसकी एक कॉपी उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी कॉपी को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

ABSULS की देख–रेख विभिन्न स्तरों पर तत्काल पर्यवेक्षकों द्वारा की जायेगी, जिसका क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जाना हैः–

स्तर 1– सर्वप्रथम ए0एन0एम0 द्वारा बिना चयन किये हुए आशा के गाँव को चिट की विधि द्वारा चुना जायेगा, जोकि उसके उपकेन्द्र मे आता हो। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जबतक उस ए0एन0एम0 के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव में उसके द्वारा कम से कम एक बार भ्रमण न कर लिया जाये) ए0एन0एम0 द्वारा चुने गये गाँव के पाँच स्थान का भ्रमण किया जायेगा (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **दसवे दिन** किया जायेगा) इसका उद्देश्य यह है कि –

1. आशा द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नही इसकी पुष्टि करने हेतु।
2. आशा के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है।

यह सारी सूचनाये ए0एन0एम0 द्वारा चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ **ABSULS** प्रारूप एम–1 पर साझा की जायेगी।

स्तर 2–चिकित्साधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) द्वारा बिना चयन किये हुए चिट की विधि द्वारा किसी एक ए0एन0एम0 को चुना जायेगा। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जबतक की सारी ए0एन0एम0 जोकि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे है कम से कम एक बार चिट विधि के द्वारा चुन न ली जाये) और उसके बाद चिकित्साधिकारी द्वारा उस गाँव का भ्रमण किया जायेगा जिसमे की ए0एन0एम0 द्वारा भ्रमण किया गया है। (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **बीसवे दिन** किया जायेगा) इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि–

1. ए0एन0एम0 द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नही इसकी पुश्टि करने हेतु।
2. ए0एन0एम0 के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है ।

यह सारी सूचनायें चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा **ABSULS** प्रारूप एम–2 पर जिला कुष्ठ अधिकारी के साथ साझा की जायेगी।

स्तर 3–जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा बिना चयन किये हुए चिट की विधि द्वारा चिकित्साधिकारी, (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) को चुना जायेगा। (एक नाम की चिट को एक ही बार निकाला जायेगा जबतक की सारे चिकित्साधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) जोकि उस जनपद में है, कम से कम एक बार चिट विधि के द्वारा चुन न लिये जाये) और उसके बाद जिला कुश्ठ अधिकारी द्वारा **उस गाँव** का भ्रमण किया

जायेगा जिसमे की चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा भ्रमण किया गया है। (यह भ्रमण प्रत्येक माह के **तीसवे दिन** किया जायेगा) इसका उद्देश्य यह है कि–

1. चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रत्येक घर का एक महीने की अवधि मे भ्रमण किया जा रहा है अथवा नही इसकी पुष्टि करने हेतु।
2. ए0एन0एम0 के द्वारा दिये गये परिणाम अथवा खोज की पुष्टि हेतु।
3. अन्य रोगी की खोज हेतु यदि है तो यह सारी सूचनाये जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा **ABSULS** प्रारूप एम–3 पर राज्य कुष्ठ अधिकारी के साथ प्रेषित की जायेगी।

स्तर 4–राज्य कुष्ठ अधिकारी एवं सी0एल0डी0 नई दिल्ली के अधिकारियो द्वारा अपने नियमित भ्रमण के दौरान उन गाँवो का भ्रमण किया जायेगा जोकि जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा पहले से ही भ्रमण किये जा चुके है। जिससे की जो जानकरी जिला कुष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई है उसकी पुष्टि की जा सके।

जो भी जानकारियाँ प्रत्येक स्तर द्वारा जमा की गई है। उनकी पुनः जाँच व पुष्टि अत्यन्त आवश्यक है। अतः यहाँ कुल तीन देख–रेख प्रारूप है, **ABSULS** प्रारूप एम–1 (संलग्नक–1) **ABSULS** प्रारूप एम 2 (संलग्नक–2) **ABSULS** प्रारूप एम–3 (संलग्नक–3) जोकि मुख्यतः इसी कार्य हेतु बनाये गये है। जिसको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियो द्वारा भ्रमण के पश्चात दिये गये प्रारूप की प्रतिलिपि पर भरा जायेगा। जिससे उसकी एक प्रतिलिपि उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी प्रतिलिपि को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

उदाहरण के लिये **ABSULS** प्रारूप एम–1 उस उपकेन्द्र की ए0एन0एम0 द्वारा बिना चयन किये हुए किसी भी गाँव का भ्रमण करने के पश्चात भरा जायेगा। उसकी एक कॉपी ए0एन0एम0 के पास व दूसरी कॉपी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपने हस्ताक्षर से जमा करेगी।

सामान्ता अन्य देख–रेख प्रारूप, जोकि अत्यन्त सरल व स्वतः स्पष्ट है, उनको प्रत्येक स्तर पर नामित कर्मियो द्वारा दो प्रतियों मे भरा जायेगा। जिससे उसकी एक कॉपी उसी स्तर पर रहे तथा उसकी दूसरी कॉपी को उच्च स्तर पर आगे भेजा जा सके।

ABSULS एम–3 प्रारूप के आधार पर राज्य कुष्ठ अधिकारी अपनी रिर्पोट संकलित करके प्रत्येक माह एम0पी0आर0 के साथ सी0एल0डी0 नई दिल्ली को प्रेषित करेगी।

यहाँ यह भी तथ्य संज्ञान में लाना है कि यह देख–रेख तन्त्र संदिग्ध कुष्ठ रोगियो हेतु बनाया गया है। जिससे की आशा द्वारा गाँवो मे संदिग्ध कुष्ठ रोगियो की खोज बढ़ायी जा सके। जिसकी पुष्टि की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन और पुष्टि के पश्चात उपचार की प्रक्रिया राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुसार बिना किसी बदलाव के किया जायेगा।

ABSULS को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिये अन्य गतिविधियाः–

1. **ABSULS** को क्रियान्वयन करने के पश्चात पहली मासिक बैठक मे संदिग्ध रोगियो के बारे मे (जोकि संलग्नक **VIII** मे दिया गया है) आशा का संवेदिकरण (प्रशिक्षण) किया जाये।
2. **आशा के पास संदर्भन पर्ची की उपलब्धता व आशा के द्वारा** संदिग्ध रोगियो का संदर्भन उसी माह मे सुनिश्चित करे। (जोकि संलग्नक **IX** मे दिया गया है)

ABSULS S1 यह प्रारूप आशा के द्वारा मासिक बैठक मे भरा जायेगा			
ए0एन0एम0 का नाम:..... सब सेन्टर.....			रिर्पोट का माह:.....
यह ए0एन0एम0 के द्वारा भरा जायेगा			यह आशा के द्वारा भरा जायेगा
क0 सं0	आशा का नाम	गाँव/क्षेत्र	पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह

ABSULS S2 यह प्रारूप चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा ABSULS S जोकि उसके अधिकार क्षेत्र मे है भरा जायेगा
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:..... चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम: ..... रिर्पोट का माह: .....
पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह

ABSULS S3 यह प्रारूप जिला कुष्ठ अधिकारी के द्वारा ABSULS S2 के आधार पर जोकि र मे है भरा जायेगा
जिले का नाम का नाम:..... जिला कुष्ठ अधिकारी का नाम: ..... रिर्पोट का माह: .....
पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह

ABSULS S4 यह प्रारूप राज्य कुष्ठ अधिकारी के द्वारा ABSULS S3 के आधार पर जोकि र मे है भरा जायेगा
राज्य का नाम:..... राज्य कुष्ठ अधिकारी का नाम: ..... रिर्पोट का माह: .....
पहचाने गये संदिग्ध रोगी और उसको संदर्भित करने का माह

ABSULS M1

यह प्रारूप ए0एन0एम0 के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौरान भरा जायेगा

ए0एन0एम0 का नाम:.....

सब सेन्टर.का नाम: .....

रिर्पोट का माह: .....

भ्रमण की तिथि:.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	आशा का नाम	कुष्ठ रोग के लिये आशा द्वारा किये गये भ्रमण की पुष्टि	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संदर्भन	पहच अन्य रोगी

ABSULS M2

यह प्रारूप चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौर

चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम:.....

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाम: .....

रिर्पोट का माह: .....

भ्रमण की तिथि:.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	ए0एन0एम0 का नाम	कुष्ठ रोग के लिये ए0एन0एम0 द्वारा किये गये भ्रमण की पुष्टि	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संदर्भन	पहच अन्य रोगी

ABSULS M3 यह प्रारूप जिला कुष्ठ अधिकारी के द्वारा निरिक्षण भ्रमण के दौरान भरा
जिला कुष्ठ अधिकारी का नाम:..... जिले का नाम: ..... रिर्पोट का माह: ..... भ्रमण की तिथि:.....

भ्रमण किये गये गाँव का नाम	चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	कुष्ठ रोग के लिये चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा किये गये भ्रमण	पहचाने गये संदिग्ध रोगी की पुष्टि व संदर्भन	पहच अन्य रोगी

संदर्भन पर्ची का प्रारूप जोकि आशा के द्वारा संदिग्ध रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संदर्भन	
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संदिग्ध रोगी संदर्भन पर्ची	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संदिग्ध
माह/वर्ष:.....	माह/वर्ष:.....
माह का क0 सं0:.....	माह का क0 सं0:.....
दिनाँक:.....	दिनाँक:.....
संदिग्ध का नाम:.....	संदिग्ध का नाम:.....
उम्र:.....	उम्र:.....
लिंग (महिला/पुरूष).....	लिंग (महिला/पुरूष).....
पिता/पति का नाम:.....	पिता/पति का नाम:.....
पता:.....	पता:.....
मोबाईल नम्बर:.....	मोबाईल नम्बर:.....

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आई0डी0एस0पी0 कार्यक्रम

संविदा मानव संसाधन का मानदेय–

1. **एफ0एम0आर0 कोड संख्याः–(HSS.9.1.84.C.P290, HSS.9.1.84.C.SO550, HSS.9.1.84.C.P299, HSS.9.1.84.C.P358)-** आई0डी0एस0पी0 के अन्तर्गत संचालित जिला सर्विलांस इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों क्रमशः एपिडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाटामैनेजर एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर का जिन दरों पर मानदेय जो वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत (लॉयल्टी बोनस सम्मिलित करते हुये) उसी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि 5 प्रतिशत की वेतनवृद्धि की धनराशि एवं डाटा इन्ट्री आपरेटर (जिला स्वास्थ्य समिति/आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से) हेतु ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की अतिरिक्त धनराशि सम्मिलित करते हुये आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतनवृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।
   नोटः– कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में रिक्त एपिडिमियोलॉजिस्ट एवं डाटा मैनेजर के पदों पर नियुक्ति राज्य स्तर से तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिगं के माध्यम से किया जायेगा, तथा डाटा इन्ट्री आपरेटर का मानदेय रू0 12000/– प्रतिमाह देय होगा एवं ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित करते हुये आवंटित की गई है।

2. क्षमतावर्धन (NDCP.1.63.CB):-

I. चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण– (NDCP.1.63.CB.1):–

इस मद में धनराशि का उपयोग प्रदेश के जनपदों में चिकित्साधिकारियों के आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटाइण्ट्री, डाटा विश्लेषण, आउटब्रेक रिपोर्टिग प्रिपरेशन, सबमिशन एवं आउटब्रेक रिस्सपान्स एवं केस डेफिनेसन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए कुल धनराशि रू0 23.58 लाख आवंटित की गई है। प्रति बैच अधिकतम 20 प्रतिभागियों द्वारा ही प्रतिभाग किया जायेगा।

प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु प्रति ब्लाक एक चिकित्साधिकारी, जिला मुख्यालय से जिला सर्विलॉस अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रति नगरीय प्राथमिक चिकित्सालय से एक चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्नतालिका के अनुसार किया जायेगाः–

Medical officer Batch Cost at District

Sl no	Activity	Rate	No of participants	Days	Total
1	Food of particioants	250	20	1	5000
2	Food of Trainer working Lunch	200	4	1	800
3	Course Material and Contingency	300	20	1	6000
4	trainers Honorarium	600	4	1	2400
5	**Total cost**				**14200**
6	**sub total 1to 5 @ 15%**				**2130**
	Grand Total				**16330**

II. आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर डाटा इन्ट्री हेतु प्रशिक्षण-(NDCP.1.63.CB.2):-

इस मद में धनराशि का उपयोग प्रदेश के जनपदों में जिला डाटा इण्ट्री आपरेट–आई0डी0एस0पी0, एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों यथा–आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, इटावा, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर एवं लखनऊ के राजकीय मेडिकल कालेजों में तैनात आई0डी0एस0पी0 ऑपरेटर एवं प्रति ब्लॉक एक डाटा इण्ट्री ऑपरेटर हेतु आई0एच0आई0पी0 एवं ओ0पी0डी0 रजिस्टर पर डाटा इण्ट्री एवं डाटा विश्लेषण एवं आउटब्रेक इनबेस्टिगेशन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण के लिए कुल धनराशि रू0 14.77 लाख आवंटित की गई है। प्रति बैच अधिकतम 20 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु व्यय निम्नतालिका के अनुसार किया जायेगाः–

Batch Cost at District

Sl no	Activity	Rate	No of participants	Days	Total
1	Food of particioants	250	20	1	5000
2	Food of Trainer working Lunch	200	4	1	800
3	Course Material and Contingency	300	20	1	6000
4	trainers Honorarium	600	4	1	2400
5	**Total cost**				**14200**
6	sub total 1to 5 @ 15%				2130
	Grand Total				**16330**

3. प्लानिंग एण्ड मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्युवेशन (NDCP.1.63.PME) :-

I. आई0डी0एस0पी0 मीटिंग– (NDCP.1.63.PME.1)

इस मद से जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 की वित्तीय तथा भौतिक समीक्षा हेतु बैठक आहूत करने के लिये रु0 4000.00 प्रति जनपद एवं मण्डलीय जनपदो हेतु रु0 8000.00 प्रति मण्डलीय धनराशि आंवटित की जा रही है। जनपद ईकाई की बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी, जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट, आई0डी0एस0पी0, जिला डाटा मैनेजर, आई0डी0एस0पी एवं जिला डाटा इन्ट्री आपॅरेटर, आई0डी0एस0पी तथा आवश्यकतानुसार अन्य व्यक्ति प्रतिभाग करेंगे तथा बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे।

मण्डलीय जनपदो में अपर निदेशक/मण्डलीय सर्विलांस अधिकारी की अध्यक्षता में मण्डल के समस्त जनपदो की त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा बैठक की जाएगी, तथा बैठक सम्पूर्ण कराने का दायित्व मण्डल स्तर पर तैनात ई0आई0एस0 आफिसर द्वारा पूर्ण की जाएगी तथा बैठक की हस्ताक्षरित कार्यवृत्त राज्य मुख्यालय को समयबद्ध रुप से उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करेगें।

II. मोबिलिटी–(Mobility:- Travel Cost, POL, Mobility cost on need basis) (NDCP.1.63.PME.3)

इस मद में जनपद स्तर पर डिजीज सर्विलांस गतिविधियों के भ्रमण के लिये, सर्विलांस एवं रिपोर्टिंग को सुदृढ़ीकृत किये जाने हेतु आवश्यक भ्रमण, मोबिलिटी, ट्रैवेल कॉस्ट आदि के लिये धनराशि का आंवटन 9 माह हेतु किया गया है। उपलब्ध बजट के सापेक्ष 8 माह के लिए उपलब्ध बजट के सापेक्ष अधिकतम रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भांति/जनपद स्तर पर टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी से नियामनुसार टैक्सी परमिट वाहन हायर कर सकते है अथवा उपलब्ध शासकीय वाहनों हेतु पी0ओ0एल0 के लिए किया जा सकता है।

सर्विलॉन्स गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण एवं मण्डल स्तर अनुश्रवण हेतु मण्डलीय जनपदों पर सर्विलांस हेतु चिन्हित मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु मण्डलीय जनपदों को रु0 30000.00 प्रति माह की दर से अतिरिक्त धनराशि का आवंटन 9 माह हेतु किया जा रहा है।

आर0ओ0पी0 2022–23 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्षा जनपद स्तरीय कर्मचारी व अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिमतम रू0 15,000.00 वार्षिक तथा मण्डल स्तरीय कर्मचारी/अधिकारी अधिकारियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 हेतु अधिमतम रू0 50,000.00 वार्षिक हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि का आवंटन उपरोक्त धनराशि के व्यय विवरण एफ0एम0आर0 में

अंकित कराने पर आवश्यकतानुसार राज्य स्तर से अवमुक्त की जायेगी। प्रयोग किये जा रहे वाहन का विवरण तत्काल निम्न प्रारुपानुसार राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा–

क्र0सं0	जनपद का नाम	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं0/मालिक का नाम एवं मो0नं0	वाहन प्रयोग करने की माह व तिथि
1	2	3	4	5

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल स्तरीय अधिकारियों हेतु अवमुक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ससमय स्थानान्तरण करवाना सुनिश्चित करेगें।

III. **आपरेशनल व्यय (NDCP.1.63.PME.4)-(Expanses on - telephone, communication, Broad Band, weekly alert, office expance, meeting & other Misc. expanses):-** इस मद में धनराशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा संशोधित आर0ओ0पी0 प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग जिला सर्विलान्स इकाई आई0डी0एस0पी0 के द्वारा किया जायेगा।

IV. **वार्षिक ए0एम0सी0-(Expanses on - Minor repair, AMC of IT equipments expanses):- (NDCP. 1.63.PME.5)** इस मद से ऑफिस उपकरणों की मरम्मत, उपकरणों की ए0एम0सी0, हेतु रू0 10000.00 प्रतिवर्ष प्रति जनपद धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस प्रकार कराना सुनिश्चित करें कि ऑफिस के समस्त उपकरण क्रियाशील रहें तथा धनराशि का पूर्ण व्यय वित्तीय वर्ष में किया जा सके।

4. डायग्नोस्टिक (NDCP.1.63.DI) :–

I. **Reimbursement based payment for laboratory tests (NDCP.1.63.DI.1):-** इस मद के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 2.00 लाख प्रति रेफरल मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित की गयी है। इस धनराशि से संक्रामक रोगों के आउट–ब्रेक होने की स्थिति में उक्त मेडिकल कालेजों से लिंक जनपदों द्वारा आउट–ब्रेक के कम से कम 10 प्रतिशत भेजे गये नमूनों का परीक्षण किये जाने में होने वाले व्यय का रिम्बर्समेंट उक्त धनराशि से किया जायेगा। यह रिम्बर्समेंट जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रेशित किये गये बिल के सापेक्ष जनपद मुख्यालय स्तर से किया जाये।

II. **FMR CODE- (EXPENSES ON ACCOUNT OF CONSUMABLE, OPERATING EXPENSES, OFFICE EXPENSES, MISCELLAENOUS ETC.)-(NDCP.1.63.DI.2) -** इस मद के के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 2.00 लाख धनराशि प्रति रेफल लैब हेतु आवंटित की गयी है, जिसे सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों को जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार के संचारी रोग होने की स्थिति में चिन्हित मेडिकल कालेज से सम्बद्ध जनपदों द्वारा यदि कोई नमूनें परीक्षण के लिए भेजे जाते है, तो उसके परीक्षण हेतु आवश्यक कन्जुमेबिल्स, आफिस व्यय, उपकरण की माइनर मरम्मत अन्य सम्बन्धित व्यय हेतु उक्त धनराशि का प्रयोग किया जा सके। इस धनराशि के प्रयोग के सम्बन्ध में एन0सी0डी0सी0, दिल्ली के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

1 Annual grant of Rs 200000/- to each of the identified state referral lab to ensure performance standards. This amount could be utilized for the following:

- Procurement of kits and reagents
- Remuneration of part time staff / overtime
- Minor expenses on maintenance and repair of equipment
- Date collection and communication (phone / internet)
- Office expenses
- Expenditure will be monitered by respective SSO in coordination with state lab coordinator.

Note: no procurement of equipment is allowed from these funds.

III. **सैम्पल ट्रान्सपोटेशन–(NDCP.1.63.DI.3):–** इस मद में रू0 34000.00 प्रति जनपद धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसका उपयोग जनपद में होने वाले आउट–ब्रेक एवं अन्य रोगों की जॉच से

सम्बन्धित नमूनों को प्रयोगशाला में भेजने में किया जायेगा। प्रयोगशाला को प्रेषित किये जाने वाले सैम्पल की पैकिंग सामग्री एवं इसकी परिवहन हेतु व्यय भी इस मद से किया जायेगा।

5. अन्य ऑपरेटिंग कास्टः–(NDCP.1.63.OCC)

I. **प्रोत्साहन राशिः- (NDCP.1.63.OCC.1)** राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की संकलित मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील चिकित्सा इकाईयों (निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाईयों, राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को सम्मिलित करते हुये) की संकलित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 05 तारीख तक राज्य को उपलब्ध कराये जाने विशयक निर्देश महानिदेशालय के पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/रैबीज/2019/ 6325, दिनांक 24.10.2019 व पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/रैबीज/2019/6829, दिनांक 18.11.2019 द्वारा निर्गत किये गये।

जनपदों की संकलित रिपोर्ट राज्य को प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (सं0रो0)/जिला सर्विलान्स अधिकारी व जिला इपिडेमियोलॉजिस्ट को उत्तरादायित्व निर्धारित किये जाने विषयक निर्देश पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/ 2020/417 दिनांक 27.01.2020 द्वारा निर्गत किये गये। जनपदों में जिला सर्विलॉन्स अधिकारी/मुख्य चिकत्साधिकारी (सं0रो0) व इपिडेमियोलॉजिस्ट के संचारी रोग से सम्बन्धित अन्य कार्यों/कार्यक्रमों में अधिक व्यस्तता रहने के कारण एन0आर0सी0पी0 की मासिक प्रगति का प्रेषण ससमय न होकर विलम्बित होता है। उक्त के दृष्टिगत जनपद स्तर पर आई0डी0एस0पी0 इकाई में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर को रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त इकाईयों की मासिक रिपोर्ट को संग्रहीत कर संकलित करने एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य का उत्तरादायित्व निम्नवत निर्धारण किया जाता है–

- आई0डी0एस0पी0 इकाई के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जनपद में रैबीज कार्यक्रम हेतु क्रियाशील समस्त चिकित्सा इकाईयों से मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (हेल्थ फैसिलिटी मासिक सारांश फार्मेट) पर संग्रहीत की जायेगी।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उपरोक्त इकाईयों की संग्रहीत रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर संकलित रिपोर्ट को इपिडेमियोलॉजिस्ट/जिला सर्विलॉन्स आफिसर/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से अवलोकित करायी जायेगी।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उपरोक्तनुसार अवलोकित संकलित रिपोर्ट की हस्ताक्षरित हार्ड कापी व साफ्ट कॉपी (EXCEL) में प्रत्येक दशा में 03 तारीख तक राज्य को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये कार्य को सम्पादित करना।
- व्यय की जाने वाली समस्त धनराशियों का अनिवार्य रूप से FAMS पर व्यय इंगित कराना सुनिश्चित करें।

<u>आई0एच0आई0पी0 पोर्टल की यू0 आर0 एल0 :https://idsp-nhp-gov-in//#!/</u>

लॉगइन हेतु यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड – समस्त जनपदों को उनके रिपोर्टिंग इकाईयों (सरकारी एवं निजी क्षेत्र) को उपलब्ध कराने हेतु भेजा जा चुका है।

आई0 एच0 आई0 पी0 पोर्टल पर रिपोर्टिंग की क्रियाविधि'– उपलब्ध कराये गए यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग इन करने के पश्चात फार्म पी (चिकित्साधिकारीगण द्वारा प्रीजम्पटिव सर्वेलेंस/अनुमानित निदान आधारित), फार्म एल (प्रयोगशाला सर्वेलेंस/प्रयोगशाला पुष्ट निदान आधारित) एवं फार्म एस (सिन्ड्रोमिक सर्वेलेंस/उपकेंद्र स्तर से) के रोग सम्बन्धी आंकड़े प्रतिदिन आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर अपलोड किये जाते हैं। समय से प्राप्त रोग सम्बन्धी इन आँकणों का उपयोग रोगों के आउट ब्रेक के प्रभावी नियंत्रण मे ंकिया जाता है।

आउटब्रेक/इवेंटएलर्ट– समस्त स्तरों, यथा– उपकेंद्र, ब्लॉक, जनपद आदि से आउट ब्रेक/ इवेंट एलर्ट की रियल टाईम रिपोर्टिंग पोर्टल पर की जाती है, जिसका उपयोग आउट ब्रेक के त्वरित एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु किया जाता है।

अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ–आई0एच0आई0पी0 पोर्टल पर अन्य प्रासंगिक सूचनाएँ जैसे– मानव संसाधन, प्रशिक्षण की स्थिति, आकस्मिक/अत्यावश्यक औषधियों, उपकरणों की स्थिति आदि की सूचनाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम

1. **प्लॉनिंग मॉनिटरिंग एण्ड इवेल्यूवेशन (NDCP.6.84.PME):–** वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार के स्तर से रैबीज कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु इस मद में स्वीकृत रू0 89.00 लाख की धनराशि का उपयोग निम्न गतिविधियों के सम्पादन में किया जाना हैः–

क–मोबिलिटी (NDCP.6.84.PME.1):–

उक्त मद में प्रति माह रू0 10000/– (रू0 दस हजार मात्र) की दर से आठ माह हेतु रू0 80,000/– (रू0 अस्सी हजार मात्र) धनराशि आवंटित की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की सर्विलॉन्स से सम्बन्धित गतिविधियों के सम्पादन, टी0ए0/डी0ए0 तथा रैबीज संदिग्धों में नमूनों के ट्रान्सपोर्ट्रेशन इत्यादि हेतु किया जायेगा।

ख–आपरेशनल व्यय (NDCP.6.84.PME.2)

कार्यक्रम के अर्न्तगत उक्त मद में कार्यक्रम के सुचारू सफल संचालन हेतु कार्यालय प्रयोग में होने वाले छोटे व्यय यथाः इंटरनेट रिचार्ज/एन्टी वायरस/स्टेशनरी डॉगल व अन्य अनुसांगिक व्यय हेतु रू0–2000/–प्रति माह की दर से 12 माह हेतु प्रति जनपद रू0 24000/– (रू0 चौबीस हजार मात्र) का बजट अवमुक्त किया गया है। उपरोक्त धनराशि का उपयोग आई0डी0एस0पी0 सेल द्वारा रैबीज कार्यक्रम के अर्न्तगत ऑफिस एवं प्रशानिक व्यय हेतु किया जा सकेगा।

ग–समीक्षा बैठक (NDCP.6.84.PME.2)–

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग कार्यक्रम की प्रगति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक व जिला अधिकारी की अध्यक्षता में वार्षिक समीक्षा बैठक हेतु किया जायेगा।

जिला अधिकारी की अध्यक्षता में प्रति वर्ष एक समीक्षा बैठक आहूत की जानी है। इस बैठक में जनपद स्तर पर गठित जूनोटिक समिति के सदस्यो के साथ कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील समस्त जिला/ब्लॉक/नगरीय/ग्रामीण/चिकित्सा इकाइयों के प्रमुख/मुख्य अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सकों मण्डलीय/जनपद पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट व जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु रू0 5000/– प्रति वर्ष की दर से धनराशि ऑवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान एवं अन्य व्यवस्थाओं में किया जायेगा।

मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में रैबीज कार्यक्रम के प्रति क्रियाशील इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक, फार्मसिस्ट व कार्यक्रम में कार्य कर रही स्टॉफ नर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस बैठक में जनपद स्तरीय प्रशिक्षक को भी अवश्य आमंत्रित

किया जाए। इस हेतु सकल धनराशि रू0–5000/– आंवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान हेतु किया जायेगा। इस बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण तथा शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई–मेल **mdupnrhm@gmail.com, rabiesup@gmail.com** पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. क्षमता वृद्धिकरण (NDCP. 6.84.CB) प्रशिक्षण–

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद में रैबीज रोग के प्रति क्रियाशील व उपचार और टीकाकरण प्रदान कर रही इकाइयों (मेडिकल कालेज व नगरीय स्वास्थ्य इकाईयों को सम्मिलित करते हुए) के चिकित्साधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लेडी हेल्थ विजिटर व बी0सी0पी0एम0 की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को NRCP कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार उपचार व टीकाकरण प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये प्रशिक्षकों में से 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रति बैच धनराशि रू0 31050/– की धनराशि आवटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः–

Training at District					
Sl No	**Particulars**	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Total Amount**
1	Per Diem to participants	300	30	1	9000
2	Food for Participants	200	30	1	6000
3	Food for Trainers	150	4	1	600
4	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
5	Contingent (Printing, etc)	300	30	1	9000
					27000
	Institutional Overheads	15%			4050
Total					**31050**

चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय, पैराचिकित्सा कर्मियों व क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की क्षमता संवृद्वीकरण किया जायेगा। मण्डलीय/जनपदीय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

3. प्रचार–प्रसार एवं मुदृणः– (NDCP.6.84.IEC & Printing):–

क. प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (NDCP.6.84.IEC & Printing.1):– इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जन समुदाय को रैबीज रोग के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नतालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	सइज	दर	स्थलवार साधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्साल	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
बैनर	6”x3”	200/-	30	5	15	-	-	**2**
पोस्टर	30”x20”	15/-	500	50	50	10	10	10
स्टीकर	A4	1/-	1000	100	500	100	50	20
पम्फलेट्स	A4/2	0.50/-	5000	-	1000	-	-	100

होर्डिंग		4500/-	6	-	1	-	-	-
फ्लायर	A4/2	1/-	प्रति आशा 2 फ्लायर					
विश्व रैबीज दिवस (28.09.2022) के आयोजन हेतु								**10000/-**

जिला मुख्यालय को आबंटित 6 होर्डिंग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है–

1. रेलवे स्टेशन
2. बस स्टैन्ड
3. जिला कलेक्ट्रैट कार्यालय
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय
5. जिला चिकित्सालय
6. जनपद द्वारा प्रचार प्रसार के दृश्टिगत चिन्हित अन्य कोई भीड़ भाड़ वाला स्थान।

इस हेतु अधिकतम रु0 4500/– प्रति होर्डिंग की दर सेतीन बार होर्डिंग लगवाने हेतु बजट का प्रावधान किया गया, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

विश्व रैबीज दिवस के आयोजन हेतु आवंटित की गई धनराशि रू0 10000/– को जन सामान्य को रोग के प्रति संवेदीकृत किये जाने हेतु गोष्ठी, वाद–विवाद प्रतियोगिता जागरूकता रैली इत्यादि के आयोजन में नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

ख. मुद्रण एफ0एम0आर0 कोड- (NDCP.6.84.IEC & Printing.2):- इस मद में आवंटित धनराशि का प्रयोग रैबीज कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखन हेतु उपयोगित की जाने वाली सामग्री के मुद्रण हेतु किया जायेगा। रैबीज रोग के प्रति क्रियाशील इकाईयों पर जानवरों/कुत्तो द्वारा काटे गये ग्रसितों के सम्बन्ध में जानकारी व उपचार विवरण के अभिलेखन हेतु, रैबीज की पूर्व प्रेषित कार्ययोजना के साथ उपलब्ध कराये गए प्रारूपानुसार लेखन सामग्री मुद्रित करायी जायेगी। मुदित करायी जाने वाली सामग्री व दर का विवरण निम्नवत् हैः–

क0स0	**लेखन सामग्री**	**दर**	**साइज**	**केन्द्रो पर उपलब्धता**		
1	ऐनिमल/डाग बाइट एक्सपोजर रजिस्टर	रू 200 प्रति रजिस्टर	200 पृश्ठ	सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र	ब्लॉक स्तर इकाई	जनपद स्तरीय चिकित्सालय
				02 रजिस्टर		06 रजिस्टर
2	पोस्ट ट्रीटमेण्ट कार्ड	रू 2 प्रति कार्ड	A-4 Size	डेप में उपलब्ध बजट के अनुरूप		

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- **सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।**

6- Program for Prevention & Control of Leprospirosis

1. **प्रचार–प्रसार की गतिविधियॉ (NDCP.7.85.IEC):–**

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग, जनसमुदाय को लैप्टोस्पाइरोसिस के प्रति जागरूक किये जाने संबंधित प्रचार–प्रसार हेतु किया जायेगा। इस हेतु प्रचार–प्रसार के विभिन्न साधनों को उपयोगित किया जाये, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। तालिका में कॉलम संख्या 01 में वर्णित साधन को उनके सम्मुख अंकित संख्या में जनपद मुख्यालय, जिला चिकित्सालय, ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र तक उपलब्ध कराया जाना है।

साधन का नाम	सइज	दर	स्थलवारसाधनों की संख्या					
			जनपद मुख्यालय	जिला चिकित्सालय	ब्लॉक इकाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र	नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बैनर	6”x3”	200/-	20	05	05	-	-	
पैम्फलेट	A4/2	0.50/-	5000	0	1000			100
होर्डिंग	20”x10”	4500/-	06	-	01	-	-	-
फ्लायर	A4/2	1/-	प्रति आशा 2 फ्लायर					

जिला मुख्यालय को आवंटित होर्डिंग निम्न स्थानों पर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित स्थानों पर लगवाई जा सकती है।

1. बस स्टैन्ड
2. जिलाकलेक्ट्रैटकार्यालय
3. मुख्य चिकित्साअधिकारीकार्यालय
4. जिलाचिकित्सालय
5. जनपद द्वारा प्रचार–प्रसार के दृश्टिगत चिन्हित अन्य कोईभीड़ भाड़ वालास्थान।

होर्डिंग हेतु अधिकतम रु0 4500/– प्रति होर्डिंग की दर से एक होर्डिंग हेतु बजट का प्राविधान किया गया है, जिसे जनपद पर जनसूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से अथवा निर्धारित की गई मानक दरों अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित की गई मानक दरो, में जो न्यूनतम हो, के अनुसार होर्डिंग लगवाने पर व्यय किया जायेगा।

2. **समीक्षा बैठक (रिब्यू बैठक एवं ट्रेबल) (NDCP.7.85.PME.1)-**

मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जाने वाली मासिक समीक्षा बैठक में चिकित्सा इकाइयों के प्रभारियों, चिकित्सक व फार्मासिस्ट द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस हेतु धनराशि रू0 6000/– की दर से धनराशि ऑवटित की गयी है, जिसका प्रयोग बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सूक्ष्म जलपान व अन्य व्यवस्थाओं में किया जा सकेगा। इस बैठक को उपस्थित प्रतिभागियों के कार्यक्रम के प्रति क्षमता वृद्धिकरण व शंका निवारण किये जाने हेतु भी उपयोगित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बैठकों के कार्यवृत्त ई–मेल mdupnrhm@gmail.com & rabiesup@gmail.com पर बैठक समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 कार्य दिवसों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. **मोबिलिटी सपोर्ट (NDCP.7.85.PME.2):–**

जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस सम्बन्धित गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण अथवा जनपद में लैप्टोस्पाइरोसिस के पुष्ट रोगी की सूचना प्राप्त होने पर केस इन्वेस्टीगेशन व अन्य सर्विलांस गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु, जनपद की इम्पैन्लड एजेन्सी से दैनिक दर पर गाड़ी को किराये पर लेने हेतु आकस्मिकता की स्थिति में उपयोगित किया जा सकेगा। इस हेतु सकल धनराशि रू0 10000/– प्रति जनपद का आवंटन किया गया है।

4. **चिकित्साधिकारियों को प्रशिक्षण (NDCP.7.85.CB):–**

इस मद में आवंटित धनराशि का उपयोग जनपद की इकाइयों के चिकित्साधिकारी, बी0सी0पी0एम0, एवं लेडी हेल्थविजिटर की क्षमता संवर्द्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने में किया जायेगा। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को Leptospirosis कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्गत किये गये गाइडलाइन्स के अनुसार लक्षण, उपचार व रोकथाम के उपायों को प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया जायेगा व तदनुरूप ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच 30 प्रतिभगियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा व राज्य स्तर से पूर्व में प्रशिक्षित किये गये 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रतिबैच धनराशि रू0 31050/– की धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नांकित तालिका में हैः–

Training at District					
Sl No	**Particulars**	**Rate**	**No of Participants**	**Days**	**Total Amount**
1	Per Diem to participants	300	30	1	9000
2	Food for Participants	200	30	1	6000
3	Food for Trainers	150	4	1	600
4	Honorarium to Trainers	600	4	1	2400
5	Contingenct (Printing, etc)	300	30	1	9000
					27000
	Institutional Overheads	15%			4050
Total					**31050**

चिकित्सक एवं पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अपनी इकाई के अन्य चिकित्सकीय/पैराचिकित्सा कर्मियों का क्षमता संवेदीकरण किया जायेगा। जनपदों द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्ययोजना से राज्य मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा ताकि राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा सके।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- **सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।**

7. मलेरिया

1. **District VBD Consultant (HSS.9.184.C.P294):-**

इस मद के अंतर्गत 18 जनपदों में संविदा पर कार्यरत District VBD Consultant (1 for each District) के मानदेय हेतु रू0 36962.00 प्रतिमाह की दर (last year 2021-22 approved honorarium Rs 33602.00 per month with 5% annual increment + 5% loyalty Bonus on last years approved honorarium i.e. 33602.00 per month= Rs 1680 + Rs1680=Rs 3360) से 18 पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि एवं लॉयलिटी बोनस सम्मिलित करते हुए 12 माह की अवधि के लिये वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 79.84 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत की वेतन बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो। जिन जनपदों में District VBD Consultant के पद स्वीकृत हैं उनके नाम निम्नवत हैं–

1. Prayagraj (Allahabad), 2. Bahraich 3. Ballia 4. Banda 5. Deoria 6. Lucknow 7. Ghazipur 8. Kanpur Nagar 9. Maharajganj 10. Mirzapur 11. Moradabad 12. Muzaffarnagar 13. Saharanpur 14. Sambhal 15. St. Ravidas Nagar (Bhadohi) 16. Shamli 17. Sonbhadra and 18. Varanasi

2. **State VBD Consultant (HSS.9.184.C.P174):-**

इस मद के अंतर्गत राज्य स्तर पर वर्ष 2022–23 हेतु संविदा पर कार्यरत State VBD Consultant के मानदेय हेतु रू0 34558.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह की अवधि के लिये कुल रू0 4.15 लाख की धनराशि (5% annual increment + 5% loyalty Bonus on last year's 2021-22 approved honorarium i.e. 31416 per month= Rs 1571 + Rs 1571=Rs 3142.00) आवंटित की गयी है।

3. **ASHA Incentive/ Honorarium for Malaria (NDCP.2.64.ASHA)**

इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 272.02 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसका व्यय आशाओं को मलेरिया की रक्त पट्टिका बनाने अथवा आर0डी0टी0 किट से मलेरिया जांच करने पर रू0 15/– प्रति जांच तथा रू0 75/– प्रत्येक केस के पूर्ण आमूल उपचार एवं फालो–अप हेतु दिये जायेंगे।

4. **A- Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) (NDCP.2.64.PME)-**

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 298.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है जिसमें से वेक्टर बॉर्न डिजीज कन्ट्रोल कार्यक्रम के सफल मॉनीटरिंग, सुपरविजन एवं इवैलुएशन एवं एपीडेमिक प्रिप्रेयर्डनेस हेतु जनपदीय अधिकारियों यथा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वेक्टर बॉर्न एवं जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य सम्बन्धित स्टॉफ को, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रति माह) के अनुसार, 12 माह के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु प्रत्येक जनपद को रु0 3.96 लाख (रु0 396000.00) की धनराशि आवंटित की गयी है।

5. **B- Monitoring, Evaluation and Supervision and epidemic preparedness (only mobility expences) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.PME)-**

इस मद के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद को रू0 3.96 लाख की धनराशि, मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के मोबिलिटी सपोर्ट, 12 माह के लिये किराये पर एक वाहन (टैक्सी कोटे के अन्तर्गत) लिये जाने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रति माह) के अनुसार आवंटित की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में क्रियाशील 09 जोनल एण्टोमोलोजिकल यूनिट के मोबिलिटी सपोर्ट हेतु कुल रु0 35.64 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

6. **Printing of recording and reporting forms/registers for Malaria (NDCP.2.64.IEC.2)-**

प्रत्येक जनपद को रु0 30000.00 की धनराशि रिकार्डिंग एवं रिर्पोटिंग फार्मस् एवं रजिस्टर इत्यादि की प्रिन्टिंग के लिये स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार उक्त मद में कुल रु0 22.50 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

7. **A- Training / Capacity Building (Malaria) (NDCP.2.64.CB.1)-**

- इस मद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कुल रू0 128.65 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें से रु0 126.40 लाख जनपदों को आवंटित किया गया है तथा रु0 2.25 लाख की धनराशि राज्य स्तर पर आरक्षित की गयी है। मलेरिया/वी0बी0डी0 कन्ट्रोल कार्यक्रम में ग्रामीण एवं अरबन आशाओं, ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संवेदीकरण एवं दक्षता स्तर में सुधार हेतु प्रशिक्षण के लिये जनपदों को प्रदान की गयी धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- 1000 से अधिक मलेरिया धनात्मक केसेस (वर्ष 2021 की एपिडिमियालॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार) वाले 3 जनपदों–बरेली, बदायूं एवं सोनभद्र में प्रति ब्लाक 7 बैच तथा 500 से 1000 मलेरिया धनात्मक केसेस वाले 2 जनपदों–शाहजहांपुर एवं हरदोई में 5 बैच प्रति ब्लाक, 100 से 500 मलेरिया धनात्मक केसेस वाले 11 जनपदों–मीरजापुर, अलीगढ़, सीतापुर, प्रयागराज, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, बिजनौर, वाराणसी, खीरी एवं गौतमबुद्ध नगर में 4 बैच प्रति ब्लाक तथा 100 से कम मलेरिया केस वाले 59 जनपदों में 3 बैच प्रति ब्लाक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बैच बनाया जायेगा।

- प्रत्येक बैच में लगभग 20–25 प्रतिभागी रहेंगे जिनमें 20–22 आशाओं तथा 2 से 3 ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक बैच के लिए रू0 4500.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें प्रशिक्षक को रू0 500.00 मानदेय देय होगा तथा प्रत्येक आशा को आने–जाने एवं प्रशिक्षण मानदेय हेतु रू0 100.00 की धनराशि उसके खाते में देय होगी तथा रू0 50.00 की धनराशि प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के जलपान व्यवस्था में व्यय की जायेगी।

Training & capasity building 2022-23 U.P.						
S. No.	**Name of District**	**No. of Blocks**	**Batches/Block**	**Total Batches**	**Expenditure/Batch**	**Total Expenditure**
1	Bareilly	15	7	105	4500	472500
2	Agra	15	3	45	4500	202500
3	Aligarh	12	4	48	4500	216000
4	Allahabad	20	4	80	4500	360000
5	Ambedkar Nagar	9	3	27	4500	121500
6	Amethi	16	3	48	4500	216000
7	Auraiya	7	3	21	4500	94500
8	Azamgarh	22	3	66	4500	297000
9	Badaun	15	7	105	4500	472500
10	Bagpat	6	3	18	4500	81000
11	Bahraich	14	3	42	4500	189000
12	Ballia	17	3	51	4500	229500
13	Balrampur	9	3	27	4500	121500
14	Banda	8	3	24	4500	108000
15	Barabanki	15	3	45	4500	202500
16	Basti	14	3	42	4500	189000
17	Bijnore	11	4	44	4500	198000
18	Bulandshahar	16	3	48	4500	216000
19	Chandauli	9	3	27	4500	121500
20	Chitrakoot	5	3	15	4500	67500
21	Deoria	16	3	48	4500	216000
22	Etah	8	4	32	4500	144000
23	Etawah	8	3	24	4500	108000
24	Faizabad	11	3	33	4500	148500
25	Farrukhabad	7	4	28	4500	126000
26	Fatehpur	13	4	52	4500	234000
27	Firozabad	9	3	27	4500	121500
28	G.B.Nagar	4	4	16	4500	72000
29	Ghaziabad	4	3	12	4500	54000
30	Ghazipur	16	3	48	4500	216000
31	Gonda	16	3	48	4500	216000
32	Gorakhpur	19	3	57	4500	256500
33	Hamirpur	7	3	21	4500	94500
34	Hapur	4	3	12	4500	54000
35	Hardoi	19	5	95	4500	427500
36	Hathras	7	3	21	4500	94500
37	Amroha	6	3	18	4500	81000
38	Jalaun	9	3	27	4500	121500
39	Jaunpur	21	3	63	4500	283500
40	Jhansi	8	3	24	4500	108000
41	Kannauj	8	3	24	4500	108000
42	Kanpur Dehat	10	3	30	4500	135000
43	Kanpur Nagar	10	3	30	4500	135000
44	Kashganj	7	3	21	4500	94500
45	Kaushambi	8	3	24	4500	108000
46	Kheri	15	4	60	4500	270000
47	Kushi Nagar	14	3	42	4500	189000
48	Lalitpur	6	3	18	4500	81000

Training & capasity building 2022-23 U.P.						
S.	Name of District	No. of	Batches/Block	Total	Expenditure/Batch	Total Expenditure
49	Lucknow	8	3	24	4500	108000
50	Maharajgunj	12	3	36	4500	162000
51	Mahoba	4	3	12	4500	54000
52	Mainpuri	9	3	27	4500	121500
53	Mathura	10	3	30	4500	135000
54	Mau	9	3	27	4500	121500
55	Meerut	12	3	36	4500	162000
56	Mirzapur	12	4	48	4500	216000
57	Moradabad	8	3	24	4500	108000
58	Muzaffar Nagar	9	3	27	4500	121500
59	Pilibhit	7	3	21	4500	94500
60	Pratapgarh	17	3	51	4500	229500
61	Rae-Bareli	15	3	45	4500	202500
62	Rampur	6	3	18	4500	81000
63	Saharanpur	11	3	33	4500	148500
64	Sambhal	8	3	24	4500	108000
65	Samli	5	3	15	4500	67500
66	Shahjahanpur	15	5	75	4500	337500
67	Shravasti	5	3	15	4500	67500
68	Siddharth Nagar	14	3	42	4500	189000
69	Sitapur	19	4	76	4500	342000
70	Sonbhadra	8	7	56	4500	252000
71	St.Kabir Nagar	9	3	27	4500	121500
72	St.R.D.Nagar	6	3	18	4500	81000
73	Sultanpur	13	3	39	4500	175500
74	Unnao	16	3	48	4500	216000
75	Varanasi	8	4	32	4500	144000
Total		**820**	**252**	**2809**		**12640500**

B- Training/Capacity Building (Malaria) for Zonal Entomological units under MVCR (NDCP.2.64.CB.1)--

इस मद के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में प्रत्येक सम्बन्धित मण्डलीय जनपद– आगरा, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ झांसी, मेरठ, एवं वाराणसी को रू0 0.70 लाख की धनराशि, लगभग 70 स्टाफ–एल0टी0, एस0एल0टी0, एम0आई0, एफ0आई0, एच0आईं0 इत्यादि की 01 दिवसीय एण्टोमोलॉजिकल ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग हेतु स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में क्रियाशील 09 जोनल एण्टोमोलोजिकल यूनिट्स को ट्रेनिंग हेतु कुल रु0 6.30 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

8. IEC/BCC for malaria (NDCP.2.64.IEC.1)-

इस मद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 45.00 लाख में से जनपदों को रू0 34.60 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है तथा रू0 10.40 लाख की धनराशि राज्य मुख्यालय, स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट माध्यमों द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु आरक्षित की गई है। जनपदो को आवंटित धनराशि का उपयोग मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एकीकृत रूप से जनहित में व्यापक जनजागरूकता लाने के लिये प्रचार–प्रसार (बैनर, पोस्टर, होर्डिंग माइकिंग इत्यादि द्वारा) एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा, जिससे जनसामान्य को मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम व उन्मूलन हेतु समुचित उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।

9. Zonal Entomological units (NDCP.2.64.OOC.1)-

इस मद के अंतर्गत प्रत्येक क्रियाशील/स्थापित जोनल एण्टोमोलॉजिकल यूनिट को भारत सरकार द्वारा 01.00 लाख की धनराशि मण्डलीय कीट विज्ञान टीम के प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गयी है, जिसमें एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिंजेन्सी हेतु रु0 75000.00 प्रति यूनिट तथा ऑपरेशनल रिसर्च हेतु

रू0 25000.00 प्रति यूनिट की दर से कुल रू0 9.00 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। एन्टोमोलॉजिकल किट एवं कन्टिजेन्सी इत्यादि पर वित्तीय नियमानुसार कर व्यय किया जायेगा।

Zonal Entomological Units (in RS)						
SN	**Districts**	**Training Budget (1 Day Training of around 70 staff-SLT/LT/IC /MI/FI/HI etc. @Apox. Rs.1000/head)**	**Operational Research Budget**	**For POL/ Hiring of Vehicles @ Rs. 33000/Month/Units Max or @ approved by DHS for 12 month)**	**Entomological Kit and Contingency (Rs.50000 /Unit)**	**Entomological Budget Total**
1	Agra	70000	25000	396000	75000	566000
2	Prayagraj	70000	25000	396000	75000	566000
3	Bareilly	70000	25000	396000	75000	566000
4	Ayodhya	70000	25000	396000	75000	566000
5	Gorakhpur	70000	25000	396000	75000	566000
6	Jhansi	70000	25000	396000	75000	566000
7	Lucknow	70000	25000	396000	75000	566000
8	Varanasi	70000	25000	396000	75000	566000
9	Meerut	70000	25000	396000	75000	566000
Total Budget		**630000**	**225000**	**3564000**	**675000**	**5094000**

10. Grant for decentralized commodities (NDCP.2.64.DS)-

इस मद से औषधियाँ, आर0डी0टी0 किट मलेरिया, कीटनाशक आदि का भारत सरकार/उ0प्र0 शासन के नियमानुसार क्रय करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता की दशा में जनपदीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें। डी–सेन्ट्रेलाइज्ड कमोडिटीज़ की सूची निम्नवत है–

FMR Code	List of decentralized commodities	Approved Budget
NDCP.2.64.DS.1	✓ Chloroquine phosphate tablets	16.15 Lac
NDCP.2.64.DS.2	✓ Primaquine tablets 2.5 mg	8.07 Lac
NDCP.2.64.DS.3	✓ Primaquine tablets 7.5 mg	16.15 Lac
NDCP.2.64.DS.5	✓ Pyrethrum extract 2% for space spray (for 14 urban malaria units-Agra, Aligarh, Prayagraj, Badaun, Bulandshahar, Ghaziabad, Jhansi, Kanpur Nagar, Lucknow, Mathura, Meerut, Moradabad, Muzaffar Nagar, Varanasi)	14.00 Lac
NDCP.2.64.DS.4	RDT Malaria- bi-valent (Antigen based) (For Non Project states)	253.50 Lac (Kind grant)

उपरोक्त मदों के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक जनपद को आवंटित की गयी धनराशि से उक्त तालिका में (✓) मार्क की गयी कमोडिटीज का क्रय वित्तीय नियमों का पालन करते हुए शासन के नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

11. Operational cost for spray wages (NDCP.2.64.OOC.2)-

इस मद के अंतर्गत वर्श 2022–23 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 16 जनपदों अलीगढ़, बदायूँ, बरेली, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हरदोई, कानपुर देहात, मीरजापुर, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर एवं सोनभद्र को आवंटित 242.30 MT DDT 50% wdp द्वारा दो राउण्ड (प्रत्येक राउण्ड 75 दिन) में आई0आर0एस0 छिड़काव पूर्ण कराते हुयें मजदूरी मद में भुगतान करने हेतु रू0 347.01 लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों को आवंटित की गयी है। (As Per State Government labour norms 2021-@Rs.389.00/labour/day+18% GST) इस मद में भारत सरकार द्वारा रू0 369.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। जनपदों को आवंटित धनराशि का उपयोग, DDT 50% wdp द्वारा इनडोर रेजिडुअल स्प्रे में लगे मजदूरों की मजदूरी मद मे वित्तीय नियमानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

SN	District Name	Alloted budget in Rs
1	Aligarh	716071
2	Badaun	8564212
3	Bareilly	6444641

4	Etah	358036
5	Farukhabad	716071
6	Fatehpur	1432142
7	Gaziabad	358036
8	GB Nagar	358036
9	Hardoi	1432142
10	Kanpur Dehat	358036
11	Mirzapur	1432142
12	Paryagraj	1432142
13	Saharanpur	358036
14	Sitapur	358036
15	Sonbhadra	9308926
16	Shahjanhapur	1074107
Allocated Budget		**Rs. 34700810.00**

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के समुचित संचालन हेतु वित्तीय वर्श 2022–23 की राज्य कार्य योजना में विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि के उपयोग से सम्बंधित वित्तीय दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

7. **ASHA Incentive for referral of AES/JE cases (NDCP.2.66.ASHA)**

इस मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–24 की कार्ययोजना में रू0 5.10 लाख प्रतिवर्ष की धनराशि स्वीकृत की गई है जिसे वर्ष 2021 में रिपोर्ट किए गए ए0ई0एस0 रोगियो की संख्या के आधार पर यह मानते हुए की सभी 100 प्रतिशत केस आशाओं द्वारा संदर्भित हैं, जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है जिसका विवरण निम्नवत है–

Asha Incentive for referral of AES/JE Cases			
Old FMR 3.1.1.3.A.S04		New FMR-NDCP.2.66.ASHA	
S.No.	District	No. of AES/JE cases reported in 2021	Asha Incentive@ Rs.300 per case considering 100% referral from ASHA (Rounded Off)
1	Gorakhpur	251	0.75000
2	Deoria	229	0.69000
3	Kushinagar	299	0.90000
4	Maharajganj	178	0.53000

Asha Incentive for referral of AES/JE Cases			
Old FMR 3.1.1.3.A.S04		New FMR-NDCP.2.66.ASHA	
S.No.	District	No. of AES/JE cases reported in 2021	Asha Incentive@ Rs.300 per case considering 100% referral from ASHA (Rounded Off)
5	Basti	59	0.18000
6	Siddharthnagar	95	0.28000
7	Sant Kabir Nagar	104	0.31000
8	Baharaich	21	0.06000
9	Shrawasti	55	0.16000
10	Gonda	26	0.08000
11	Balrampur	15	0.05000
12	Azamgarh	7	0.02000
13	Mau	4	0.01000
14	Lucknow	25	0.08000
15	Sitapur	57	0.17000
16	Raebareli	50	0.15000
17	Unnao	14	0.04000
18	Hardoi	62	0.19000
19	Lakhimpurkheri	50	0.15000
20	Ayodhya	6	0.02000
21	Barabanki	25	0.08000
Total		**1632**	**4.90000**

आशा द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 के संभावित रोगियों को निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज को सन्दर्भित करने पर यदि आशा द्वारा सन्दर्भित कोई रोगी ए0ई0एस0/जे0ई0 रोगी के रूप में निदानित, पंजीकृत एवं उपचारित किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित रू0 300/– प्रति ए0ई0एस0 रोगी की दर से सम्बन्धित आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाये। आशा के खाते में यह प्रोत्साहन धनराशि समय से हस्तान्तरित की जाये। आशा को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब ना किया जाये तथा ए0ई0एस0रोगियों के सन्दर्भन हेतु आशा को प्रेरित किया जाये।

8. **ICU Establishment in Endemic Districts-Other Operating Cost (NDCP.2.66.OOC):-**

इस मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का जनपदवार विवरण निम्नवत है–

Other including Operating Costs (OOC)/Operational Cost of PICU, Mini PICU & ETC								
Old FMR-5.3.13					New FMR- NDCP.2.66.OOC			
S. No.	District	No. of PICU	No. of MINI PICU	No. of ETC	PICU Operational Exp @Rs. 25000/Unit/ PM for 12 months	MINI PICU Operational Exp @Rs. 10000/Unit/PM for 12 months	ETC@Rs.1000/ Unit/PM for 12 Months for Blood sample collection & transportation from ETC to DH	Total
1	Gorakhpur	1	3	18	3.00000	3.60000	2.16000	**8.76000**
2	Maharajganj	1	2	9	3.00000	2.40000	1.08000	**6.48000**
3	Kushinagar	1	2	13	3.00000	2.40000	1.56000	**6.96000**
4	Deoria	1	1	15	3.00000	1.20000	1.80000	**6.00000**
5	Basti	2	3	10	6.00000	3.60000	1.20000	**10.80000**
6	St. Kabir Nagar	1	2	6	3.00000	2.40000	0.72000	**6.12000**
7	Siddharthnagar	1	2	10	3.00000	2.40000	1.20000	**6.60000**
8	Behraich	1	0	10	3.00000	0.00000	1.20000	**4.20000**
9	Lakhimpur Kheri	1	0	11	3.00000	0.00000	1.32000	**4.32000**
10	Gonda	1	0	9	3.00000	0.00000	1.08000	**4.08000**
11	Azamgarh	1	0	0	3.00000	0.00000	0.00000	**3.00000**
12	Mau	1	0	0	3.00000	0.00000	0.00000	**3.00000**
13	Rae-barili	1	0	9	3.00000	0.00000	1.08000	**4.08000**
14	Sitapur	1	0	12	3.00000	0.00000	1.44000	**4.44000**
15	Hardoi	1	0	8	3.00000	0.00000	0.96000	**3.96000**
16	Shrawasti	0	0	6	0.00000	0.00000	0.72000	**0.72000**
17	Balrampur	0	0	10	0.00000	0.00000	1.20000	**1.20000**

18	Unnao	0	0	11	0.00000	0.00000	1.32000	**1.32000**
19	Lucknow	0	0	3	0.00000	0.00000	0.36000	**0.36000**
20	Barabanki	0	0	7	0.00000	0.00000	0.84000	**0.84000**
	Total	**16**	**15**	**177**	**48.00000**	**18.00000**	**21.24000**	**87.24000**

उपरोक्त तालिकानुसार 15 जनपदों में स्थापित समस्त 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 25000.00 प्रतिमाह प्रति पी0आई0सी0यू0 की दर से एवं समस्त 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु रू0 10000.00 प्रतिमाह प्रति मिनी पी0आई0सी0यू0 की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग प्रशासनिक व ऑपरेशनल व्यय यथा टेलिफोन/मोबाइल बिल, इण्टरनेट/डोंगल, वीकली एलर्ट/एनुवल डिजीज सर्विलेंस रिपोर्ट हेतु रिव्यू मीटिंग, कार्यालय व्यय, आफिस स्टेशनरी इत्यादि के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ई0टी0सी0 को सैम्पल की पैकिंग एवं सैम्पल को ई0टी0सी0 से जिला अस्पताल भेजने हेतु रू0 1000.00 मासिक की दर से 12 माह हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। यह राशि सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ब्लाक ई0टी0सी0 को निर्गत की जाएगी।

9. **Capacity Building (NDCP.2.66.CB)**

राज्य के अति संवेदनशील 20 जनपदो में, जहॉ ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई चिकित्सा इकाई यथा–पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं/अथवा ई0टी0सी0 स्थापित है आवश्यकतानुसार समय–समय पर जनपदों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों एवं पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत स्टाफ नर्सों का ए0ई0एस0/जे0ई0 केस मैनेजमेन्ट एवं उपचार हेतु जनपद एवं ब्लाक स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजनकिया जाए। उक्त प्रशिक्षण हेतु विभिन्न जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है–

तालिका–क

Capacity Building								
Old FMR 9.2.3.2.3					**New FMR NDCP.2.66.CB**			
S.No	**District**	**Number of Medical Officers**	**Number of Staff Nurses**	**Total no. of Trainees**	**Number of Batches @30 Participants/Batch (Rounded off)**	**No. of Trainers @ 3/Batch**	**Training Cost per batch**	**Total Training Cost**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9=6*8**
1	Gorakhpur	309	114	423	14	42	36860	5.16040
2	Kushinagar	160	80	240	8	24	36860	2.94880
3	Maharaj Ganj	88	74	162	5	15	36860	1.84300
4	Deoria	220	94	314	10	30	36860	3.68600
5	Basti	144	102	246	8	24	36860	2.94880
6	Siddhartha Nagar	112	78	190	6	18	36860	2.21160
7	Sant Kabir Nagar	101	52	153	5	15	36860	1.84300
8	Gonda	75	56	131	4	12	36860	1.47440
9	Shravasti	55	24	79	3	9	36860	1.10580
10	Balrampur	70	40	110	4	12	36860	1.47440
11	Bahraich	113	60	173	6	18	36860	2.21160
12	Lucknow	190	12	202	7	21	36860	2.58020
13	Hardoi	175	52	227	8	24	36860	2.94880
14	Sitapur	190	68	258	9	27	36860	3.31740
15	Rae Bareli	175	56	231	8	24	36860	2.94880
16	Lakhimur Kheri	95	64	159	5	15	36860	1.84300
17	Unnao	150	44	194	6	18	36860	2.21160
18	Azamgarh	244	20	264	9	27	36860	3.31740
19	Mau	167	20	187	6	18	36860	2.21160
20	Barabanki	183	28	211	7	21	36860	2.58020
TOTAL		**3016**	**1138**	**4154**	**138**	**414**		**50.86680**

उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैच प्रशिक्षण व्यय की गणना **RCH Training Financial Norms** के अनुसार की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है–

तालिका–ख

Calculation of Training Cost/Batch/Day				
S. No.	**Activity**	**Rate**	**No. of Participants per batch**	**Total**
1	Per diem to participants	400	30	12000
2	Food to participants	250	30	7500
3	Food to Trainers	250	3	750
4	Course Material and Contingency	300	30	9000
5	Venue Hiring (in absence of Training Institute)	1000	1	1000
6	Trainers Honorarium	600	3	1800
Subtotal (1 to 6)				32050
Institutional overheads @15%				4807.50
Grand Total				**36857.50**
Rounded off				**36860.00**

उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नवत है–

i. **प्रशिक्षण अवधि**–एक दिवसीय।

ii. **प्रशिक्षार्थी**–ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग से अति प्रभावित 20 जनपदों में कार्यरत चिकित्साधिकारी तथा पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत स्टाफ नर्स।

iii. **बैच साइज एवं बैचवार प्रतिभागियों की संख्या**– प्रत्येक बैच में अधिकतम 30 से 35 प्रतिभागी होगें। बैच की संख्या उपरोक्त 'तालिका–क' के कॉलम 6 मे उल्लिखित संख्या से अधिक न हो।

iv. **प्रशिक्षक**–उपरोक्तप्रशिक्षण राज्य द्वारा प्रशिक्षित किए गए मास्टर प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक बैच को अधिकतम 3 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

v. **प्रशिक्षण मानदेय**–प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 400.00 की दर से प्रशिक्षण हेतु मानदेय आवंटित किया गया है।

vi. **लंच**–प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों को लन्च हेतु रू0 250.00 प्रति व्यक्ति की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

vii. **प्रशिक्षण सामग्री**–इस मद में रू0 300.00 प्रति प्रशिक्षार्थी धनराशि आवंटित की गयी है जिसका प्रयोग प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सामग्री, फोटो कॉपी, फ्लिप चार्ट इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा।

viii. **प्रशिक्षक–मानदेय**–प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रतिदिन प्रति बैच रू0 600.00 की दर से मानदेय आवंटित किया गया है। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जनपद स्तर पर सहभागी संस्था के जनपदीय प्रतिनिधि का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।

ix. **प्रशिक्षण स्थल एवं तिथि**–आवंटित बजट में रू0 1000.00 प्रतिदिन प्रति बैच की दर से प्रशिक्षण स्थल हेतु धनराशि आवंटित की गयी है जिसका उपयोग जनपद अथवा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण स्थल उपलब्ध न होने की स्थिति में ही किया जाये।मुख्य चिकित्साधिकारी प्रशिक्षण के लिए स्थल का चुनाव एवं प्रशिक्षण की तिथि ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0 के साथ परामर्श करके निर्धारित करेंगे। प्रशिक्षण कक्ष में कोविड मानकानुसार न्यूनतम 30 से 35 प्रशिक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था हो।

x. **संस्थागत उपरिव्यय**–संस्थागत उपरिव्यय (Institutional Overheads) हेतु कुल प्रशिक्षण धनराशि का 15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की गयी है जिसका उपयोग प्रशिक्षण हेतु व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर एवं अन्य कन्टिन्जेंसी तथा प्रशिक्षण स्थल की साफ–सफाई, जेनरेटर हेतु डीजल इत्यादि के लिये किया जा सकता है।

xi. **कोविड प्रोटोकाल**–प्रशिक्षण के दौरान समस्त कोविड प्रोटोकाल यथा मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं सेनेटाइजर की उपलब्धता इत्यादि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xii. **प्रशिक्षण आख्या**–प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्येक बैच की प्रशिक्षण आख्या प्रशिक्षाथियों की उपस्थिति सहित राज्य मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. **Monitoring and Supervision (NDCP.2.66.PME)-**

Mobiltiy-

इस मद के अन्तर्गत ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम के अनुश्रवण, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग एवं आउटब्रेक की स्थिति में भ्रमण हेतु जनपद/ब्लॉक स्तर पर मोबिलिटी, ट्रैवल कॉस्ट आदि के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित मासिक दर (अधिकतम रू0 33000.00 प्रति माह) की दर से जनपद अयोध्या के लिये 4 माह हेतु एवं 20 जनपदों के लिये 8 माह हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में ए0ई0एस0/जे0ई0 केसेज के अधिकता के दृष्टिगत मण्डलीय जनपद गोरखपुर एवं बस्ती हेतु 2 वाहनों के लिये धनराशि आवंटित की गयी है जिसमें से 01 वाहन मण्डलीय अपर निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध रहेगा जिसका प्रयोग कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, आउटब्रेक की स्थिति में क्षेत्र भ्रमण, रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा एवं दूसरे वाहन का उपयोग जनपद/ब्लॉक स्तर पर तैनात ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सलटेन्ट अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, वी0बी0डी0 के द्वारा ए0ई0एस0/जे0ई0 कार्यक्रम से सम्बंधित कार्यों के निर्वहन हेतु किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग डी0पी0एम0यू0 यूनिट की भॉति/जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेण्डर की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एजेन्सी से नियमानुसार टैक्सी परमिट वाहन को मासिक आधार पर अनुबन्धित कर किया जाना है। शासकीय वाहनउपलब्ध होने की स्थिति में उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी।

Operational Expenses-

ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रू0 8000.00 प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग कार्यालय उपयोगार्थ स्टेशनरी के क्रय, प्रिन्टिंग, टेलीफोन, इन्टरनेट बिलों के भुगतान इत्यादि हेतु नियमानुसार किया जायेगा। उक्त मद के अन्तर्गत जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Monitoring and Supervision (NDCP.2.66.PME)				
S. No.	**Districts**	**Operational Cost @ 8000/M for 12 Months**	**Mobility @ 33000 for 8 Months (Ayodhya 4 M)**	**Total**
1	AZAMGARH	0.96000	2.64000	**3.60000**
2	BAHRAICH	0.96000	2.64000	**3.60000**
3	BALLIA	0.96000	2.64000	**3.60000**
4	BALRAMPUR	0.96000	2.64000	**3.60000**
5	BARABANKI	0.96000	2.64000	**3.60000**
6	BASTI	0.96000	5.28000	**6.24000**
7	DEORIA	0.96000	2.64000	**3.60000**
8	AYODHYA	0.96000	1.32000	**2.28000**
9	GONDA	0.96000	2.64000	**3.60000**
10	GORAKHPUR	0.96000	5.28000	**6.24000**
11	HARDOI	0.96000	2.64000	**3.60000**
12	KANPUR DEHAT	0.96000	0.00000	**0.96000**
13	LAKHIMPUR KHERI	0.96000	2.64000	**3.60000**
14	KUSHINAGAR	0.96000	2.64000	**3.60000**
15	LUCKNOW	0.96000	2.64000	**3.60000**
16	MAHARAJGANJ	0.96000	2.64000	**3.60000**
17	MAU	0.96000	2.64000	**3.60000**
18	RAEBARELI	0.96000	2.64000	**3.60000**
19	SAHARANPUR	0.96000	0.00000	**0.96000**
20	SANTKABIR NAGAR	0.96000	2.64000	**3.60000**
21	SHRAWASTI	0.96000	2.64000	**3.60000**
22	SIDDHARTH NAGAR	0.96000	2.64000	**3.60000**
23	SITAPUR	0.96000	2.64000	**3.60000**
24	UNNAO	0.96000	0.00000	**0.96000**
	Total	**23.04000**	**59.40000**	**82.44000**

11. **District AES/JE Consultant (HSS.9.184.C.P293):-**

डिस्ट्रिक ए0ई0एस0/जे0ई0 कन्सल्टेन्ट के स्वीकृत 15 पदों के सापेक्ष 7 जनपदों (गोरखपुर, बस्ती, मऊ,गोण्डा, श्रावस्ती, रायबरेली, एवं कानपुर देहात) में कार्यरत पदों हेतु वित्तीय वर्श 2021–22 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्श 2022–23 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेश 8 जनपदों (कुशीनगर, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं हरदोई) के रिक्त पदों हेतुमूल मानदेय रू0 40,000.00 मासिक की दर से 6 माह के लिये वित्तीय वर्श 2022–23 के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 05 प्रतिशत की वेतन बृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

District AES JE Consultant (16.4.2.2.2.S04)- New FMR-HSS.9.184.C.P293									
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
1	Gorakhpur	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	**7.38058**
2	Kushinagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
3	Basti	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	**7.38058**
4	St. Kabir Nagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
5	Siddharthnagar	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
6	Azamgarh	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
7	Mau	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	**7.38058**
8	Gonda	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	**7.38058**
9	Shrawasti	1	1	0	0.53251	0.02663	0.02663	0.58576	**7.02913**
10	Balrampur	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
11	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
12	Rae-barili	1	1	0	0.58576	0.02929	0.00000	0.61505	**7.38058**
13	Sitapur	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
14	Hardoi	1	0	1	0.40000	0.00000	0.00000	0.40000	**2.40000**
15	Kanpur Dehat	1	1	0	0.44100	0.02205	0.04410	0.50715	**6.08580**
Total		**15**	**7**	**8**	**7.10231**	**0.19512**	**0.07073**	**7.36815**	**69.21781**

12. **Technical Assistant (HSS.9.184.C.P295) :-**

इस मद के अन्तर्गत कुल 20 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 17 जनपदों (महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं कानपुर देहात) में कार्यरत टेक्निकल असिस्टेंट हेतु मानदेय वित्तीय वर्ष 2021–22 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि, लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) एवं पी0एफ0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। शेष 3 जनपदों (गोरखपुर, बहराईच एवं सहारनपुर) के रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 15000.00 मासिक की दर से 6 माह हेतु नियमानुसार पी0एफ0 की धनराशि सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन बृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Program Assistant/District Technical Assistant (16.4.2.2.3.S01) New FMR-HSS.9.184.C.P295										
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**PF@ 13.36%**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
1	Gorakhpur	1	0	1	0.15000	0.00000	0	0.02004	0.17004	**1.02024**
2	Maharajganj	1	1	0	0.16538	0.00827	0.016538	0.02004	0.21023	**2.52272**
3	Kushinagar	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
4	Deoria	1	1	0	0.16538	0.00827	0.016538	0.02004	0.21023	**2.52272**

5	Basti	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
7	Siddharthnagar	1	1	0	0.16538	0.00827	0.01654	0.02004	0.21023	**2.52272**
8	Azamgarh	1	1	0	0.16538	0.00827	0.01654	0.02004	0.21023	**2.52272**
9	Mau	1	1	0	0.16538	0.00827	0.01654	0.02004	0.21023	**2.52272**
10	Ballia	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
11	Behraich	1	0	1	0.15000	0.00000	0	0.02004	0.17004	**1.02024**
12	Gonda	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
13	Shrawasti	1	1	0	0.19969	0.00998	0.00998	0.02004	0.23970	**2.87639**
14	Balrampur	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
15	Lakhimpur Kheri	1	1	0	0.16538	0.00827	0.016538	0.02004	0.21023	**2.52272**
16	Rae-barili	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
17	Sitapur	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
18	Hardoi	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
19	Kanpur Dehat	1	1	0	0.21966	0.01098	0	0.02004	0.25068	**3.00820**
20	Saharanpur	1	0	1	0.15000	0.00000	0	0.02004	0.17004	**1.02024**
	Total	**20**	**17**	**3**	**3.83857**	**0.16943**	**0.10921**	**0.40080**	**4.51801**	**51.15541**

13. **Data Entry Operator (HSS.9.184.C.P365) :-**

इस मद के अन्तर्गत जे0ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कुल 19 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 10 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्वार्थनगर, मऊ, बहराईच एवं बलरामपुर) में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर हेतु वित्तीय वर्श 2021–22 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्वि तथानियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए 12 माह के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। शेष 09 जनपदों (आजमगढ़, बलिया, गोण्डा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई एवं अयोध्या) के रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 11316/– मासिक की दर सेनियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 6 माह के लिये धनराशि आवंटित की जा रही है। 05 प्रतिशत मानदेय की बृद्वि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोशजनक पूर्ण कर लिया हो।

D.E.O. (16.4.3.1.9) New FMR- HSS.9.184.C.P365													
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@ 5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5 Yrs (If applicable)**	**PF@ 13.36%**	**ESI@3.25%**	**Agency Service Charge @10% (Maximum)**	**GST@18%**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Month)**
1	Gorakhpur	1	1	0	0.11331	0.00567	0.00000	0.01590	0.00387	0.01190	0.02711	0.17775	**2.13299**
2	Maharajganj	1	1	0	0.13979	0.00699	0.00699	0.01961	0.00000	0.00000	0.00000	0.17338	**2.08054**
3	Kushinagar	1	1	0	0.13979	0.00699	0.00699	0.01961	0.00000	0.00000	0.00000	0.17338	**2.08054**
4	Deoria	1	1	0	0.11331	0.00567	0.00000	0.01590	0.00387	0.01190	0.02711	0.17775	**2.13299**
5	Basti	1	1	0	0.13979	0.00699	0.00699	0.01961	0.00000	0.00000	0.00000	0.17338	**2.08054**
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	0.13979	0.00699	0.00699	0.01961	0.00000	0.00000	0.00000	0.17338	**2.08054**
7	Siddharth nagar	1	1	0	0.10791	0.00540	0.00000	0.01514	0.00368	0.01133	0.02582	0.16928	**2.03134**
8	Azamgarh	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
9	Mau	1	1	0	0.11331	0.00567	0.00000	0.01590	0.00387	0.01190	0.02711	0.17775	**2.13299**
10	Ballia	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
11	Behraich	1	1	0	0.13979	0.00699	0.00699	0.01961	0.00000	0.00000	0.00000	0.17338	**2.08054**
12	Gonda	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
13	Shrawasti	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
14	Balrampur	1	1	0	0.11025	0.00551	0.01103	0.01547	0.00000	0.00000	0.00000	0.14225	**1.70704**
15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
16	Rae-barili	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
17	Sitapur	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
18	Hardoi	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
21	Ayodhya	1	0	1	0.11316	0.00000	0.00000	0.01512	0.00368	0.01132	0.02579	0.16906	**1.01436**
Total		**19**	**10**	**9**	**2.27548**	**0.06285**	**0.04597**	**0.31240**	**0.04838**	**0.14887**	**0.33927**	**3.23322**	**29.66936**

नोटः कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में रिक्त पदों पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित एजेन्सी द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी।

14. **Microbiologist (HSS.9.184.C.S0548):-**

इस मद के अन्तर्गत जे0 ई0 सेन्टिनल प्रयोगशालाओं हेतु माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के कुल 19 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 4 जनपदों (आजमगढ़, बलिया, गोण्डा एवं सीतापुर) में कार्यरत माइक्रोबॉयोलाजिस्ट के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 के स्वीकृति मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि एवं लॉयल्टी बोनस (यदि देय है) सम्मिलित करते हुए 12 माह हेतु तथा शेष 15 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, मऊ, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, हरदोई एवं अयोध्या) के रिक्त पदों लिए 06 माह हेतु मूल मानदेय रू0 55000/– मासिक की दर से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। 5 प्रतिशत की वेतन बृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 1 वर्ष का कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Microbiologist (8.1.13.4.S01) HSS.9.184.C.S0548									
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
1	Gorakhpur	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
2	Maharajganj	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
3	Kushinagar	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
4	Deoria	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
5	Basti	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
6	St. Kabir Nagar	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
7	Siddharthnagar	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
8	Azamgarh	1	1	0	0.69734	0.03487	0.00000	0.73221	**8.78648**
9	Mau	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
10	Ballia	1	1	0	0.69734	0.03487	0.00000	0.73221	**8.78648**
11	Behraich	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
12	Gonda	1	1	0	0.69734	0.03487	0.00000	0.73221	**8.78648**
13	Shrawasti	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
14	Balrampur	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
15	Lakhimpur Kheri	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
16	Rae-barili	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
17	Sitapur	1	1	0	0.69734	0.03487	0.00000	0.73221	**8.78648**
18	Hardoi	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
19	Ayodhya	1	0	1	0.55000	0.00000	0.00000	0.55000	**3.30000**
Total		**19**	**4**	**15**	**11.03936**	**0.139468**	**0.00000**	**11.178828**	**84.64594**

15. **Paediatricians-:(HSS.9.184.C.S0126)**

15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 एवं 7 जनपदों मे स्थापित 15 मिनी पी0आई0सी0यू0 हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में बालरोग विशेषज्ञों के कुल 67 पद स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 6 जनपदों (गोरखपुर, कुशीनगर, संतकबीर नगर, मऊ, गोण्डा एवं सीतापुर) में ऑन–लाईन बिडिंग माडल के माध्यम से तैनात 11 बालरोग विशेषज्ञों को 12 माह हेतु मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के दिशा–निर्देश पत्रांक सं0 18B/SPMU/DAP-HR/Appt./2018-19/2257, दिनांक 07.06.2018 के अनुसार देय होगा तथा शेष 56 रिक्त पदों के लिए रू0 1,20,000.00 की दर से 6 माह हेतु मानदेय आवंटित किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नवत है–

Paediatricians (8.1.2.2.S03) HSS.9.184.C.S0126									
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6 Months)**
1	Gorakhpur	1	1	0	1.500000	0	0	1.50000	18.00000
		8	3	5	1.200000	0	0	1.20000	79.20000

2	Maharajganj	7	0	7	1.200000	0	0	1.20000	50.40000
3	Kushinagar	2	2	0	2.500000	0	0	2.50000	60.00000
		4	0	4	1.200000	0	0	1.20000	28.80000
4	Deoria	5	0	5	1.200000	0	0	1.20000	36.00000
5	Basti	11	0	11	1.200000	0	0	1.20000	79.20000
6	St. Kabir Nagar	1	1	0	1.800000	0	0	1.80000	21.60000
		5	0	5	1.200000	0	0	1.20000	36.00000
7	Siddharthnagar	7	0	7	1.200000	0	0	1.20000	50.40000
8	Azamgarh	2	0	2	1.20000	0	0	1.20000	14.40000
9	Mau	1	1	0	2.100000	0	0	2.10000	25.20000
		1	1	0	2.010000	0	0	2.01000	24.12000
10	Behraich	2	0	2	1.200000	0	0	1.20000	14.40000
11	Gonda	1	1	0	1.200000	0	0	1.20000	14.40000
		1	0	1	1.200000	0	0	1.20000	7.20000
12	Lakhimpur Kheri	2	0	2	1.200000	0	0	1.20000	14.40000
13	Rae-barielly	2	0	2	1.200000	0	0	1.20000	14.40000
14	Sitapur	1	1	0	2.450000	0	0	2.45000	29.40000
		1	0	1	1.200000	0	0	1.20000	7.20000
15	Hardoi	2	0	2	1.200000	0	0	1.20000	14.40000
Total		**67**	**11**	**56**	**30.36000**	**0.00**	**0.00**	**30.36000**	**639.12000**

16. **Medical Officer (HSS.9.184.C.S0280)**

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में 06 जनपदों–आजमगढ़, मऊ, गोण्डा, रायबरेली, सीतापुर एवं हरदोई मे स्थापित 6 नवीन पी0आई0सी0यू0 हेतु मेडिकल ऑफिसर के 18 नवीन पद (3 प्रति पीकू) स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार 15 जनपदों में स्थापित 16 पी0आई0सी0यू0 हेतु मेडिकल ऑफिसर के कुल 48 पद वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान में 07 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, रायबरेली एवं सीतापुर) में कार्यरत 14 मेडिकल ऑफिसर्स हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मानदेय में नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं अर्ह कर्मियों का लायल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है। शेश 34 रिक्त पदों के लिए मूल मानदेय रू0 60,000/– मासिक की दर से 6 माह हेतु मानदेय आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो।

Medical Officer (8.1.5.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0280									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
1	Gorakhpur	3	3	0	0.76073	0.03804	0.00000	0.79877	**28.75559**
2	Maharajganj	1	1	0	0.87864	0.04393	0.00000	0.92257	**11.07086**
		1	1	0	0.66150	0.03308	0.00000	0.69458	**8.33490**
		1	1	0	0.63000	0.03150	0.00000	0.66150	**7.93800**
3	Kushinagar	1	1	0	0.87864	0.04393	0.00000	0.92257	**11.07086**
		2	0	2	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**7.20000**
4	Deoria	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
5	Basti	2	2	0	0.79877	0.03994	0.03994	0.87865	**21.08753**
		4	0	4	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**14.40000**
6	St. Kabir Nagar	3	3	0	0.60000	0.03000	0.00000	0.63000	**22.68000**
7	Siddharthnagar	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
8	Azamgarh	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
9	Mau	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
10	Behraich	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
11	Gonda	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
12	Lakhimpur Kheri	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**

Medical Officer (8.1.5.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0280									
S.No.	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment @5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
13	Rae-barili	3	1	2	0.60000	0.03000	0.00000	0.63000	**14.76000**
14	Sitapur	3	1	2	0.60000	0.03000	0.00000	0.63000	**14.76000**
15	Hardoi	3	0	3	0.60000	0.00000	0.00000	0.60000	**10.80000**
Total		**48**	**14**	**34**	**12.40828**	**0.32041**	**0.03994**	**12.76863**	**248.45775**

17. **Staff Nurse (HSS.9.184.C.S0013)**

वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में कुल स्वीकृत 1138 स्टाफ नर्स में से वर्तमान में विभिन्न जनपदों में पी0आई0सी0यू0, मिनी पी0आई0सी0यू0 एवं ई0टी0सी0 पर कार्यरत 542 स्टाफ नर्सों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि एवं अर्ह कर्मियों का लायल्टी बोनस सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेश 596 रिक्त पदों हेतु मूल मानदेय रू0 20,000/– मासिक की दर से 6 माह हेतु मानदेय आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिकों को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्त मद में जनपदवार आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Staff Nurse (8.1.1.2.S03) -HSS.9.184.C.S0013									
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@ 5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6 Months)**
1	Gorakhpur	18	18	0	0.30752	0.01538	0.00000	0.32290	69.74554
		38	38	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	121.41410
		58	0	58	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	69.60000
2	Maharajganj	19	19	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	70.11308
		38	38	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	121.41410
		17	0	17	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	20.40000
3	Kushinagar	10	10	0	0.30752	0.01538	0.00000	0.32290	38.74752
		5	5	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	18.45081
		1	1	0	0.26626	0.01331	0.01331	0.29289	3.51463
		36	36	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	115.02389
		28	0	28	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	33.60000
4	Deoria	19	19	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	70.11308
		47	47	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	150.17008
		28	0	28	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	33.60000
5	Basti	37	37	0	0.30752	0.01538	0.00000	0.32290	143.36582
		1	1	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	3.69016
		39	39	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	124.60921
		25	0	25	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	30.00000
6	St. Kabir Nagar	18	18	0	0.30752	0.01538	0.00000	0.32290	69.74554
		31	31	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	99.04835
		3	0	3	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	3.60000
7	Siddharthnagar	19	19	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	70.11308
		56	56	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	178.92605
		3	0	3	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	3.60000
8	Azamgarh	12	12	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	38.34130
		8	0	8	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	9.60000
9	Mau	14	14	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	44.73151
		2	2	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	7.38032
		4	0	4	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	4.80000
10	Behraich	18	18	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	66.42292
		42	0	42	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	50.40000
11	Gonda	17	17	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	54.31684
		1	1	0	0.30752	0.01538	0.00000	0.32290	3.87475
		38	0	38	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	45.60000
12	Lakhimpur Kheri	14	14	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	51.66227

Staff Nurse (8.1.1.2.S03) -HSS.9.184.C.S0013									
SN	**Name of District**	**Approved Positions**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@ 5%**	**Loyalty Bonus 3Yrs/5Yrs (If applicable)**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6 Months)**
		4	4	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	12.78043
		46	0	46	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	55.20000
13	Rae-barili	5	5	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	15.97554
		51	0	51	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	61.20000
14	Sitapur	11	11	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	35.14619
		1	1	0	0.22050	0.01103	0.02205	0.25358	3.04290
		56	0	56	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	67.20000
15	Hardoi	1	1	0	0.29287	0.01464	0.00000	0.30751	3.69016
		10	10	0	0.25358	0.01268	0.00000	0.26626	31.95108
		41	0	41	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	49.20000
16	Balrampur	40	0	40	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	48.00000
17	Barabanki	28	0	28	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	33.60000
18	Lucknow	12	0	12	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	14.40000
19	Shrawasti	24	0	24	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	28.80000
20	Unnao	44	0	44	0.20000	0.00000	0.00000	0.20000	52.80000
Total		**1138**	**542**	**596**	**12.21031**	**0.41052**	**0.03536**	**12.65619**	**2552.72124**

18. **Ancillary Staff (HSS.9.184.C.S0460)-**

एन्सिलेरी स्टाफ के वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत 64 पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत 28 पदों हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के मानदेय में 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि तथा नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्श 2022–23 हेतु 12 माह के लिए धनराशि आवंटित की गयी है तथा शेश 36रिक्त पदों के लिए 6 माह का मानदेय नियमानुसार पी0एफ0, ई0एस0आई0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक देयता सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु आवंटित किया गया है। 05 प्रतिशत मानदेय की वेतन वृद्धि उन कार्मिक को देय होगी, जिन्होंने 01 वर्ष का कार्य सन्तोषजनक पूर्ण कर लिया हो। उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है–

Ancillary Staff (8.1.9.6.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0460												
S.No.	**Name of District**	**Approved Position**	**In-Position**	**Vacant Position**	**Current Salary (F.Y. 2021-22)**	**Increment@5%**	**PF@ 13.36%**	**ESI@3.25%**	**Agency Service Charge@ 10% (Maximum)**	**GST@18 %**	**Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23**	**Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)**
1	Gorakhpur	2	2	0	0.11576	0.00579	0.01624	0.00395	0.01215	0.02770	0.18159	4.35822
		1	1	0	0.11025	0.00551	0.01547	0.00376	0.01158	0.02638	0.17295	2.07539
		1	1	0	0.10500	0.00525	0.01473	0.00358	0.01103	0.02513	0.16471	1.97656
2	Maharajganj	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
3	Kushinagar	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
4	Deoria	4	4	0	0.11025	0.00551	0.01547	0.00376	0.01158	0.02638	0.17295	8.30155
5	Basti	3	3	0	0.14071	0.00704	0.01974	0.00480	0.01477	0.03367	0.22073	7.94633
		2	2	0	0.13401	0.00670	0.01880	0.00457	0.01407	0.03207	0.21022	5.04531
		1	1	0	0.12763	0.00638	0.01790	0.00436	0.01340	0.03054	0.20021	2.40255
		1	1	0	0.11576	0.00579	0.01624	0.00395	0.01215	0.02770	0.18159	2.17911
		1	1	0	0.10500	0.00525	0.01473	0.00358	0.01103	0.02513	0.16471	1.97656
6	St. Kabir Nagar	3	3	0	0.14071	0.00704	0.01974	0.00480	0.01477	0.03367	0.22073	7.94633
		1	1	0	0.12763	0.00638	0.01790	0.00436	0.01340	0.03054	0.20021	2.40255
7	Siddharthnagar	2	2	0	0.14071	0.00704	0.01974	0.00480	0.01477	0.03367	0.22073	5.29756
		2	2	0	0.12763	0.00638	0.01790	0.00436	0.01340	0.03054	0.20021	4.80511
8	Azamgarh	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
9	Mau	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
10	Behraich	4	4	0	0.12155	0.00608	0.01705	0.00415	0.01276	0.02909	0.19068	9.15241
11	Gonda	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217

Ancillary Staff (8.1.9.6.S01) New FMR-HSS.9.184.C.S0460												
S.No.	Name of District	Approved Position	In-Position	Vacant Position	Current Salary (F.Y. 2021-22)	Increment@5%	PF@ 13.36%	ESI@3.25%	Agency Service Charge@ 10% (Maximum)	GST@18 %	Total Monthly Salary for F.Y. 2022-23	Total Annual Salary (for In-Position-12Months & for Vacant-6Months)
12	Lakhimpur Kheri	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
13	Rae-barili	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
14	Sitapur	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
15	Hardoi	4	0	4	0.10102	0.00000	0.01350	0.00328	0.01010	0.02302	0.15092	3.62217
Total		**64**	**28**	**36**	**2.63178**	**0.08613**	**0.36311**	**0.08833**	**0.27179**	**0.61941**	**4.06055**	**98.46506**

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार से समय समय पर प्राप्त दिशा–निर्देशों तथा राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार नियमानुसार उसी मद में किया जायेगा, जिस मद में धनराशि अवमुक्त की गई है।
- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।
- संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. कालाजार

IEC/BCC/Advocacy for Kala-azar (NDCP.2.65.IEC)

उपरोक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु आई0ई0सी0 तैयार करने के लिये जनपदवार दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/– की दर से प्रत्येक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/प्रभावित गांव हेतु बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है।
2. **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू 5.25/– की दर से प्रत्येक प्रभावित गांव में पोस्टर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर में कराया जाना अनिवार्य है। उक्त धनराशि में पोस्टर को चिपकायें जाने की दर भी सम्मिलित है।
3. **Sticker-** इस मद में प्रति स्टिकर अधिकतम रू 0.50/– की दर से प्रत्येक कालाजार प्रभावित ब्लाक में प्रति आशा हेतु 100 स्टिकर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप A4/4 प्रन्टिंग में कराया जाना अनिवार्य है।
4. **Wall Writing-** सूचना विभाग की दरों पर वॉल राइटिंग कराना सुनिश्चित करे।

5. नुक्कड़ नाटक, ड्रम बीटिंग एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

Case search/Camp Approach (NDCP.2.65.OOC.1)

केस सर्च कैम्प का मुख्य उद्देश्य कालाजार के नए/छिपे हुए रोगियों का पता लगाकर उनको पूर्ण रुप से उपचारित कर रोग के स्त्रोत को समाप्त करना है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों पर करें। इस कार्य को अपने निर्धारित क्षेत्र/गांव में कराने की समस्त जिम्मेदारी ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की होगी। इसका पर्यवेक्षण जनपदीय वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सलटेण्ट (वी0बी0डी0 एवं जे0ई0 कन्सलटेण्ट न होने की स्थिति में जिला मलेरिया अधिकारी–VBD staff) द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु जनपद स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

1. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों का कालाजार रोग के प्रति संवेदीकरण/प्रशिक्षण।
2. जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक प्रभावित ब्लॉक से 02 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर आशाओं के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। जनपद स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक को ब्लॉक पर ए0सी0डी0 के प्रशिक्षण हेतु (प्रति बैच–40 से 50 आशाओं) धनराशि रू0 500/– देय होगा।
3. जनपद के सी0डी0ओ0/बी0डी0ओ0/पंचायती राज/शिक्षा/आई.सी.डी.एस. इत्यादि विभागों के अधिकारियों/निजी चिकित्सालयों एवं डायग्नोस्टिक सेण्टरों के प्रतिनिधियों का संवेदनीकरण।
4. आंगनबाड़ी कार्यकत्री/आशा को रोग के लक्षणों से परिचित कराकर कालाजार के संदिग्ध रोगी चिन्हित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षित सदस्य अपने कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य कैम्प के माध्यम से अथवा घर–घर जाकर करेंगें–
    - बुखार के रोगी जो 02 सप्ताह से अधिक अवधि से ज्वर से ग्रसित है उनका निकटतम पी0एच0सी0 पर सन्दर्भन करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओ के कार्यकर्ताओ को भी प्रशिक्षण देकर खोज अभियान में प्रतिभागी बनायें।
    - पूर्व में कालाजार से ग्रसित रोगी के शरीर अथवा चेहरे पर चकत्ते दाग इत्यादि होने पर उनके पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस (PKDL) की पुश्टि हेतु निकटतम पी0एच0सी0 पर संदर्भन करेंगे।
    - ब्लाक स्तर पर आशा को केस सर्च के आयोजन से पूर्व प्रशिक्षण कराया जाए, जिस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षार्णी को मानदेय के रूप में रू0 100/– की धनराशि उसके खाते में देय होगी। केस सर्च के दौरान ए0सी0डी0 हेतु आशा को रू0 100/– प्रत्येक 50 घरों के भ्रमण के उपरान्त ए0एन0एम0/सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि आशा के बैंक खाते में देय होगी। एक्टिव केस सर्च (ए0सी0एस0) वर्श में 04 बार, फरवरी–मार्च, मई–जून, अगस्त–सितम्बर एवं नवम्बर–दिसम्बर माह में की जाएगी।
    - आशा द्वारा प्रत्येक कालाजार रोगी (VL&PKDL) को चिकित्सालय ले जाने तथा उसकी पुश्टि के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 500.00 दिया जाएगा। भारत सरकार के राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP(KA)NHM /EPC/MSG Dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।
    - कालाजार प्रभावित ग्रामों तथा उनके सीमावर्ती ग्रामों में कालाजार रोगी की खोज के उपरान्त प्रत्येक 03–04 ग्रामों के मध्य कैम्प का आयोजन किया जाए, जिससे क्षेत्र में खोजे गए रोगी की RK-39 kit से पुश्टि की जा सके तथा रोगी को ट्रीटमेंट सेन्टर पर संदर्भित किया जाए। कैम्प आयोजन हेतु ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा टीम बनाकर वाहन से क्षेत्र में भेजी जाएगी। प्रत्येक कैम्प के आयोजन हेतु अधिकतम धनराशि रू0 10000/– की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत टीम की यात्रा एवं कैम्प की प्रगति के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु किराए पर वाहन (vehicle hire) लिया जा सकेगा, जिसकी दरें एन0एच0एम0 की अनुमोदित दरों के अनुसार होगा।

- प्रत्येक कालाजार धनात्मक केस की सी0आई0एफ0 चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं PKDL केस का इलाज प्रारम्भ करने से पहले आई एग्जामिनेशन जेकलिस्ट भरा जायेगा। जिस हेतु उसे धनराशि रू0–200/– देय होगी। प्रत्येक धनात्मक रोगी के 01 माह, 06 माह एवं 12 माह पर फ्लोअप का दायित्व चिकित्सा अधिकारी का होगा।
- विगत 03 वर्शो में जिन गांवों में कालाजार रोगी पाये गये है, उनकी सूची बनाकर उन गांवों एवं उनसे समीपवर्ती ग्रामों में अवश्य खोज अभियान चलायें। कालाजार रोगी का गांव जिस उपकेन्द्र (Sub Center) के अन्तर्गत आता हो, उस उपकेन्द्र को ईकाई मानकर संपूर्ण उपकेन्द्र में खोज अभियान का संचालन किया जाए।

5. कालाजार प्रभावित जनपद के प्रत्येक पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों में RK-39 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं जॉच किये संभावित रोगियों का विवरण सर्वेलेन्स रजिस्टर पर अंकित करेंगे।
6. इस मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु पठन–पाठन सामग्री pamphlet, booklet, patient identity card, referral slip, register, reporting formats, transportation of logistics आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाये।
7. खोज अभियान के दौरान व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
8. सभी कालाजार रोगियों की HIV& TB की जांच करायी जाए तथा धनात्मक पायी जाने की दशा में यथोचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से राज्य मलेरिया/वी.बी0डी0 मुख्यालय, उ0प्र0 को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। HIV& TB की जांच की रिपार्ट सी0आई0एफ0 के साथ लगाा कर रखें।

Spray Pumps and accessories (NDCP.2.65.EQ)

इस मद मे आवंटित धनराशि का उपयोग अवशेशी कीटनाशक छिडकाव हेतु आवश्यक स्प्रे–पम्प रिपेयर, स्पेयर पार्ट की खरीद] बाल्टी, मग, छोटी/कम वजन तौलने की डिजिटल मशीन आदि सामग्री की व्यवस्था नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

Operational cost for spray including spray wages (NDCP.2.65.OOC.2)

इस मद में आवटित धनराशि का उपयोग, छिडकाव कराने वाले मजदूरों को कीटनाशी के छिड़काव की मजदूरी के (रू0 403/– प्रतिदिन की दर से) भुगतान हेतु किया जायेगा। वर्श में 02 चक्र में छिड़काव किया जायेगा–मार्च–अप्रैल एवं अगस्त–सितम्बर। प्रत्येक आई.आर.एस. स्प्रे राउण्ड में संबंधित आशा को जनजागरण एवं आई.आर.एस. में सहयोग हेतु रू 200.00 देय होगा।

प्रत्येक नये कालाजार अथवा पी.के.डी.एल. के रोगी की पुष्टि होने पर उसके ग्राम अथवा मोहल्ले में फोकल आई.आर.एस. स्प्रे किया जाएगा।

Monitoring and Evaluation (NDCP.2.65.PME.1)

मूल्याकंन एवं अनुश्रवण की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हेतु जिला स्तर से कार्ययोजना बनाकर राज्य स्तर पर प्रेशित की जाए। ए0सी0एम0ओ0, वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी/ सहायक मलेरिया अधिकारी/मलेरिया निरीक्षक/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी/जीव विज्ञानी/ फाइलेरिया निरीक्षक/वी0बी0डी0 कन्सल्टेण्ट गतिविधियों के दौरान माह में कम से कम 15 दिन क्षेत्र का भ्रमण करेंगे एवं अपनी भ्रमण आख्या संबंधित प्रपत्रों के साथ राज्य स्तर पर प्रेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

एण्टोमोलॉजिकल टीम के द्वारा एण्टोमोलॉजिकल सर्वे करने हेतु हुए व्यय का भुगतान भी इसी मद के द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर एवं राश्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न होने वाली कार्यशाला में प्रतिभाग करने पर होने वाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जा सकेगा। ए0सी0डी0 एवं आई0आर0एस0 के दौरान एन0एच0एम0 की दरों के अनुरूप चार पहिया किराए पर लिया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम मासिक दर धनराशि रू0 35000/– होगी।

Training for spraying (NDCP.2.65.OOC)

इस मद के अंतर्गत धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय टी0ओ0टी0 एवं आई.आर. एस. छिड़काव कराने वाले कर्मचारी/आशा के प्रशिक्षण एव छिड़काव की गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु कार्य पर नियमानुसार किया जाये। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में

प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 200/– अनुमन्य होगा।

Kala-azar loss of wages (NDCP.2.65.DBT)

कालाजार के रोगी को रोग की पुश्टि के उपरान्त उपचार पूर्ण होने पर रू 500.00 एवं पी.के.डी.एल. की पुश्टि होने पर रू 4000.00 Loss of wages के रूप में दिया जाएगा, जिसका भुगतान दो सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करे। भारत सरकार के राश्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एम0एस0जी0 की पंचम बैठक दिनांक 27.02.2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में पत्रांक–03-94/2014-NVBDCP (KA) NHM/ EPC/MSG dated 03-07-2018 के अनुपालन में अप्रैल 2018 से प्रभावी माना जाए।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

10. फाइलेरिया

State Task Force, State Technical Advisory Committee meeting, district coordination meeting – (NDCP.2.68.PME.3)

जनपद के District Coordination Committee की बैठक में सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। मैपिंग करने वाले non endemic जनपदों के लिये धनराशि रू0 10,000.00 एवं एम0डी0ए0 और TAS वाले जनपदों के लिये धनराशि रू0 25,000.00 अनुमन्य है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के पूर्व 02 बैठकें, मध्य में 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है जिससे कार्यक्रम संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण समयान्तर्गत किया जा सके। TAS कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक, 01 बैठक, NBS, PRE TAS, TAS के उपरान्त की जानी है। मैपिंग करन वाले non endemic जनपदों में कार्यक्रम के पूर्व 01 बैठक अन्त में 01 बैठक करनी है। समस्त आयोजन गाइड लाइन्स के अनुसार संम्पादित कराये जाये।

डी0सी0सी0 की प्रत्येक बैठक के लिए धनराशि रू0 5,000/ अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

Printing of forms/registers for Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.IEC.1)

इस मद में आवंटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत प्रपत्रों एवं परिवार–पंजिका इत्यादि में वहन किया जायेगा। परिवार–पंजिका को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि परिवार–पंजिका जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्रय नियमावली का अनुपालन करते हुये मुद्रण कराया जाये जिसके लिए भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अधिकतम धनराशि रू0 15.00 अनुमन्य है।

आई0डी0ए0 हेतु चयनित जनपदों में औषधि आइवरमेक्टिन की निर्धारित/उचित खुराक देने के लिए आवश्यक फ्लैक्स मेजरिंग टेप (रंगीन प्रिंट) को छपवाकर तैयार कराने के लिए इस मद में आवंटित बजट का उपयोग करे।

Flex Measuring Tape- (आई0डी0ए0 जनपदों हेतु) फ्लैक्स मेजरिंग टेप 12 सेमी0 चौडा एवं 180 सेमी0 लम्बा (रंगीन प्रिंट 04 कलर) में होगा, जिसका अधिकतम मूल्य रू0 25/– (रूपया पच्चीस मात्र) होगा।

परिवार पंजिका एवं फ्लैक्स मेजरिंग टेप को मुद्रित कराने के उपरान्त, शेश धनराशि से फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) छपवाकर प्रत्येक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को 10 ब्रोशर/लीफलेट जन प्रतिनिधियों (ग्राम प्रधान इत्यादि) को जागरूक कराने के उददेश्य से उपलब्ध करवायी जाए।

<u>परिवार पंजिका मुद्रण संबंधी आवश्यक निर्देश–</u>

प्रत्येक परिवार पंजिका को 250–300 व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए पर्याप्त होना चाहिए एवं 01 पेज पर 25 से अधिक नामों के अंकन की व्यवस्था न हो (अधिकतम 25 लाईन प्रति 1–4 पेज अर्थात् प्रत्येक परिवार पंजिका में 12 पेज या 06 पन्ने व्यक्तियों के नामों के अंकन के लिए एवं 02 पेज 04 कलर में लिम्फोडिमा एवं हाइड्रोसील के चित्रों के लिए तथा 04 पेज दिशा–निर्देशों के लिए)। परिवार पंजिका का कवर पेज एवं 02 रंगीन पेज (फाइलेरिया रोग के चित्रों हेतु) 190 जी0एस0एम0 के तथा शेष पेज 70 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है।

अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट गैर सरकारी डी0ए0 एवं सुपरवाइजर के लिये आई0डी0 कार्ड की छपाई का प्राविधान रखा गया है जो कि एम0डी0ए0 राउण्ड के दौरान तक ही बैद्ध रहेगा। आई0डी0 कार्ड 190 जी0एस0एम0 का होना अनिवार्य है एवं प्लास्टिक होल्डर और रिबन के साथ होगा।

इसके अतिरिक्त डी0ए0 प्रशिक्षण मॉडयूल की छपाई के लिये सभी 50 जी0एस0एम0 जनपदों के 758 ब्लाक/अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट में रू0 500.00 प्रति ब्लाक अर्बन आर0आई0 प्लानिंग यूनिट के दर से 380000 की धनराशि स्टेट पर रखी गयी है।

Monitoring & Evaluation (Post MDA assessment by medical colleges (Govt.&private) /ICMRinstitutions)(@Rs.35000 each MDA district)-(NDCP.2.68. SRRE.4)-

इस मद में जनपदों को रू0 35000.00 की धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त कार्य मेडिकल कालेज (सरकारी एवं प्राइवेट)/आई0सी0एम0आर0 इन्स्टीट्यूशन द्वारा किया जायेगा। एम0डी0ए0 कार्यक्रम सम्पन्न होने के एक माह बाद इसे कराया जायेगा तथा दो माह की अवधि के अंदर पूर्ण कराना होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होगा। जिन जनपदों में उपरोक्त कार्य गत वर्ष में सम्पादित कर लिया गया है। वो मेडिकल कॉलेज को इस मद से अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करें।

Morbidity Management (NDCP.2.68.IEC.2)

इस मद के अर्न्तगत मॉरबिडिटी मैनेजमेन्ट के कार्य संपादित किए जाएगे। जिसमें–

- लिम्फोडिमा मैनेजमेंट के लिए रू0 500.00 प्रति रोगी (बाल्टी, टब, मग, साबुन, छोटी तौलिया व एन्टी बैक्टिरियल या एन्टीफंगल क्रीम)तथा फाइलेरिया क्लीनिक के लिए न्यूमैटिक पम्प, लिम्फोडिमा मैनेजमेंट हेतु विशेश कम्प्रेशन बैण्डेज आदि के क्रय हेतु निर्धारित है। फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट को जेम–पोर्टल से क्रय किया जाए (यदि फाइलेरिया एम0एम0डी0पी0 किट जेम–पोर्टल पर उपलब्ध न हो तो उक्त किट की उपलब्धता हेतु जेम पोर्टल पर उसकी मांग अनिवार्य रूप से डाल दी जाए)।
- हाइड्रोसील ऑपरेशन कैम्प में एम0डी0ए0 अभियान के दौरान चिन्हित एवं लाइन लिस्ट किये गये हाइड्रोसील रोगियों को शल्य चिकित्सा प्रदान करने के लिए अधिकतम रू0 750.00 प्रति रोगी निर्धारित है। रू0 750.00 में से चिकित्सक/सर्जन का मानदेय रू0 250.00 स्टाफ नर्स का मानदेय रू0 50.00, दो अटेन्डेट प्रत्येक को मानदेय रू0 25.00, रोगी की औशधि हेतु रू0 300.00 एवं रोगी की ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था हेतु रू0 100.00 दिया जाना है। एम0डी0ए0 कार्यक्रम के दौरान लाइन–लिस्ट किए गए समस्त

हाइड्रोसील केसेस का ऑपरेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि मांग के सापेक्ष उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि जनपद के सरकारी चिकित्सालयों में शल्य चिकित्सक न हो तो निजी चिकित्सालयों से शल्य चिकित्सकों को बुलाकर, कैम्प आयोजित करते हुए रोगियों का ऑपरेशन कराया जाए एवं चिकित्सकों को भुगतान उक्त मापदण्डों के अनुसार उनके बैंक खाते में किया जाए।

- इस मद में आवटित धनराशि को फाइलेरिया से ग्रसित रोगियों के उपचार हेतु सामग्री, उपकरण तथा समुचित देखभाल (हॉस्पिटल बेस्ड एवं सेल्फ केयर) एवं हाइड्रोसील के रोगियों की शल्य–चिकित्सा पर व्यय किया जाना है।

Mobility support for Rapid Response Team (NDCP.2.68.PME.1)

इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0 अभियान के अंतर्गत जनपद के रैपिड रिस्पॉस टीम के वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।

Monitoring & supervision-Lymphatic Filariasis (NDCP.2.68.PME.2)

इस मद में आवटित धनराशि को जनपद में एम0डी0ए0/NBS/Pre TAS/TAS अभियान के दौरान जनपदीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु वाहन व्यवस्था/पी0ओ0एल0 पर व्यय किया जाना है।

Micro filaria Survey (@Rs. 13200 each Block/ Urban RI Planning Unit) (NDCP.2.68. SRRE.3)-

एम0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रभावित प्रत्येक जनपद को माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु धनराशि रू0 13200.00 आवंटित की गई है। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे/नाइट ब्लड सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लाक एवं प्लानिंग यूनिट में 01 सेण्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता तथा प्रति स्थल रू0 300.00 स्लाइड जांच (रू 1.00 प्रति स्लाइड की दर से) हेतु एवं रू0 3600.00 प्रत्येक ब्लाक एवं अर्बन ब्लाक एवं अर्बन आर0आई प्लांनिग यूनिट कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक स्लाइड, कॉटन, स्प्रिट, स्टेन एवं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। माइक्रोफाइलेरिया सर्वे की गतिविधि एम0डी0ए0, Pre TAS एव मैपिंग हेतु करना अनिवार्य है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगो में ही किया जायेगा। माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पाये गये एम0एफ0 धनात्मक रोगियों की सूची बनवाते हुये single dose therapy (DEC+ALB+IVR) से उपचार कराना सुनिश्चित कराये।

Microfilaria survey budget details-

S.no	NBS Budget Details (Bold)	NBS at 2 sites with 600 slides (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 2 Sites.	1800
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 2 Sites.	7200
3	Honorarium for examination of Slides to Technician.	600
4	Replenishment of slides, stain, cotton swab, lancet, pencil marker etc. (Contingency)	3600
Total		**13200**

Additional MF Survey (NDCP.2.68.SPPE.1)

जो भी ब्लॉक अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर MF Rate <1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी से पूर्व एडिशनल MF survey सर्वे करेंगे। अगर FTS की उपलब्धता होती है तो यह सर्वे FTS के द्वारा किया जाएगा अन्यथा सर्वे की गतिविधि नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से की जाएगी। एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे हेतु प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में 02 सेन्टीनल एवं 01 रैण्डम स्थलों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्थल 04 व्यक्तियों (पैरामेडिकल, टेक्नीशियन एवं सहायक) के लिए प्रति स्थल स्थल 06 दिन के लिए रू0 150.00 प्रतिदिन के आधार पर मानदेय एवं प्रति व्यक्ति प्रति स्थल रू0 225.00 यात्रा भत्ता एवं रू0 7000.00 प्रत्येक प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन आर0आइ प्लानिंग यूनिट पर कन्टीजेन्सी भुगतान हेतु निर्धारित

है। कन्टीजेन्सी भुगतान से आवश्यक कॉटन, स्प्रिट, स्टेन ,वं लैन्सेट आदि पर व्यय होना है। यह सर्वे 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में ही किया जाएगा। सर्वे में पाये गये FTS positive लोगों में नाइट ब्लड सर्वे के माध्यम से एम0एफ0 जांच की जाएगी। एम0एफ0 धनात्मक रोगियों को सूची बनवाते हुए single dose therapy (DEC + ALB + IVR) से उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Table 2: Block wise implementation of Pre TAS activity budget table:

SN	Pre TAS Budget Details	Pre TAS at 3 sites with 900 valid samples. (300 at each site)
1	TA Rs.225 x 4 Persons x 3 Sites.	3060
2	Honorarium Rs.150 x4 Persons x 6 Days x 3 Sites.	10800
3	Replenishment of marker pen cotton swab, lancet, pencil, gloves etc. (Contingency)	7000
Total		**20860**

ICT Survey / TAS Activity: (NDCP.2.68.SPPE.1)

जो भी ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट एडिशनल माइक्रो फाइलेरिया सर्वे में पास हो जाते हैं यानी प्रत्येक साइट पर एम0एफ0 रेट < 1 आता है वह ICT/TAS सर्वे की एक्टिविटी करवाएंगे। सभी पास हुए ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जो कि पास पास हो, उनको जोड़कर एक यूनिट के रूप में बनाते हुए 500000 की जनसंख्या वाले समूह के EU (Evaluation Unit) बनायेगे। TAS गतिविधि में पास होने के उपरांत एम0डी0 की गतिविधि बंद करते हुए सर्विलांस जारी रखेंगे अन्यथा एम0डी0 की तैयारी करेंगे। TAS की गतिविधि के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक EU के लिए धनराशि रू0 2,62,500.00 अनुमन्य है।

Post-MDA surveillance (NDCP.2.68. SRRE.5)

जो जनपद तीनों TAS गतिविधि पूर्ण कर चुके हो उनके यहां ब्लॉकवार नाइट ब्लड सर्वे, की गतिविधि जारी रहेगी इस गतिविधि को सुचारु रुप से चलाने हेतु धनराशि रुपया 70000.00 प्रति EU अनुमन्य है।

(Training/Sensitization of district level officers on ELF & Drug administrator including Peripheral health workers) (NDCP.2.68.CB)

- इस मद में जनपदों को आवंटित धनराशि से जनपद स्तरीय अधिकारीगण/ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण/पैरामेडिकल कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों/ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के एक दिवसीय प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
- जनपद स्तरीय प्रशिक्षण में प्रत्येक ब्लॉक से 02–03 सदस्य, जो प्रशिक्षण देने में कुशल हो, प्रतिभाग करेंगे एवं ब्लॉक स्तर पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे (अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा)। जनपद स्तरीय प्रशिक्षक (02), जो राज्य स्तर पर आहूत टी0ओ0टी0 में प्रशिक्षित किए गए है, को प्रशिक्षण हेतु धनराशि रू0 500/– देय होगा एवं प्रशिक्षण में प्रति प्रतिभागी के भोजन एवं जलपान हेतु धनराशि रू0 100/– अनुमन्य होगा।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में अधिकतम 40 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरों का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक ब्लॉक एवं अर्बन क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक आर0आई0 यूनिट हेतु माइक्रोप्लान विकसित कराने हेतु मीटिंग कराने तथा प्रतिदिनं रिपोर्ट तैयार कराकर प्रेषित करने के लिए प्रति ब्लॉक/आर0आई यूनिट (अर्बन क्षेत्र) धनराशि रू0 2000/– अनुमन्य है। यह धनराशि बी0सी0पी0एम0/अर्बन कोर्डिनेटर/HS/BHW को देय होगी। जिला स्तर पर नामित व्यक्ति को रू0 2000.00 धनराशि रिपोर्ट कम्प्लिशन एवं रिपोर्टिंग हेतु अनुमन्य है।
- माइक्रोप्लान कंप्यूटराइज कराने एवं छायाप्रति (05कापी) कराने हेतु प्रत्येक ब्लॉक/आर0आई0 यूनिट हेतु धनराशि रू0 2000.00 निर्धारित किया गया है, जिसमें माइक्रोप्लान बनाना तथा उसकी छायाप्रति (कुल 05 प्रति) कराया जाना सम्मिलित है।

- दवा सेवन हेतु बनायी गई 02 सदस्यीय टीम को प्रशिक्षित किया जाएगा एवं प्रत्येक टीम को प्रशिक्षित होने पर धनराशि रू0– 100/– देय होगा एवं प्रशिक्षक (टी0ओ0टी0 द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षक) को प्रति बैच धनराशि रू0 500/– देय होगा।
- लाभार्थियों को दवा सेवन हेतु प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को फाइलेरिया रोग संबंधी विवरण पुस्तिका (Brochure) उपलब्ध करवायी जाए।
- MMDP गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी endemic जिलों को धनराशि रू0 100000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा। जिला एवं ब्लाक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट जहां भी फाइलेरिया के मरीज हो, वहां प्रशिक्षण को करवाना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए धनराशि रू0 20,000.00 एवं प्रत्येक ब्लाक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट स्तरीय प्रशिक्षण के लिए रू0 5,000.00 अनुमन्य है। इस मद में उपलब्ध शेष धनराशि का उपयोग जनपद स्तर पर मीडिया संवेदीकरण (प्रिंट मीडिया, आकाशावाणी, अन्य स्थानीय रेडियों एवं टी0वी0 चैनल) हेतु आयोजित कार्यशाला में किया जाए तथा यह कार्यशाला, कार्यक्रम के 02–04 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से करा ली जाए।
- TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को धनराशि रू0 50000.00 अनुमन्य है। NBS/Pre TAS/TAS सभी गतिविधियों से पूर्व प्रशिक्षण का होना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी0 स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। इस धनराशि से सूक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायेगा।
- मैपिंग करने वाले non endemic जिलों में कार्यक्रम को सुचारू रू॰ से चलाने के लिए प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी TAS करवाने वाले जिलों को रू0 25000.00 धनराशि अनुमन्य है। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का होना सुनिश्चित करें। इस धनराशि से में सक्ष्म जलपान, लॉजिस्टिक एवं बैठक में आने वाले अन्य व्ययों का वहन किया जायगा। इस प्रशिक्षण के लिए संबंधित लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक सहायक स्टॉफ एवं समस्त वी0बी0डी स्टॉफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

Honorarium for Drug Administrator including ASHA & Supervisors involved in MDA (NDCP.2.68.ASHA)-

- Drug Administrators house-to-house भ्रमण कर लाभार्थियों की रजिस्टर में सूची अनुसार डी0ई0सी0 एंव अल्बेन्डाजॉल औशधियॉ, एम0डी0ए0 के दिशानुसार मात्राओं मे सेवन करायेगे। औषधि का सेवन कराने से पूर्व बैच नम्बर अवश्य नोट कर लें।
- प्रत्येक टीम में 02 Drug Administrator होंगे, जिनका कार्य 01 दिन में 125 लाभार्थियों (लगभग 25 घर) को अपने सामने औशधि सेवन कराना है, जिस हेतु प्रत्येक 125 लाभार्थियों को दवा सेवन से आच्छादित करने पर प्रत्येक टीम को धनराशि रू0–250 मानदेय देय होगा। प्रत्येक पर्यवेक्षक (Supervisor) को प्रत्येक दिन के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रति टीम धनराशि रू–50 देय होगा। (यदि आशा के क्षेत्र में 1250 जनसंख्या से कम है तो 10 दिन से कम का ही माइक्रोप्लान बनाए।) ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर को मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना अनिवार्य है। 01 पर्यवेक्षक द्वारा 01 दिन में अधिकतम 06 टीमें ही पर्यवेक्षित की जाएगी।
- जनपद के द्वारा फाइलेरिया मद में उपलब्ध कराये गये बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण निर्धारित प्रारूपों पर राज्य स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय विवरण में फाइलेरिया मद में आवंटित धनराशि के सोपक्ष अलग–अलग कार्यकलापों का उल्लेख कराते हुये उन पर व्यय की गई राशि के साथ साक्ष्य स्वरूप भुगतान के वाउचर/रसीद की हस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ, भ्रमण के दौरान भारत सरकार एवं राज्य मुख्यालय स्तर से आपके जनपद में आने वाली टीमों को भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जायें। फाइलेरिया कार्यक्रम से सम्बन्धित जनपदों में विगत वर्षो की कितनी राशि अवशेष है, का भी विवरण उपलब्ध करायें।

Specific IEC/BCC for Lymphatic Filariasis at State, District, PHC, Sub-centre and village level including VHSC/Gks for community mobilization efforts to realize the desired durg compliance of 85% during MDA-(NDCP.2.68.IEC.3)

आई0ई0सी0 तैयार करने हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

- **Banners-** इस मद में प्रति बैनर अधिकतम रू0 150/–(एक सौ बीस रूपया मात्र) की दर से प्रत्येक उपकेन्द्र हेतु 02 बैनर बनवाना सुनिश्चित करें, जिसकी न्यूनतम माप 6X3 फिट के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है।
- **Posters-** इस मद में प्रति पोस्टर अधिकतम रू0 5.25 (पॉच रूपया पच्चीस पैसे मात्र) की दर से प्रत्येक आशा हेतु 10 पोस्टर बनवाकर चिपकाना सुनिश्चित करें। यह पोस्टर मेपलिथो पेपर (80 जी0एस0एम0) पर होंगे जिसकी न्यूनतम माप 30X20 इंच के साथ प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में कराया जाना अनिवार्य है, जिसमें रू0 5/– (पांच रूपया मात्र) प्रिन्टिंग मूल्य एवं रू0 0.25 (पच्चीस पैसे मात्र) चस्पा करने का मूल्य है। (200 पोस्टर्स का पैकेट तैयार किया जाए)
- **Brochure-** यह विवरण पंजिका A/4 साइज आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर 03 फोल्ड में होगी तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.50/– (दो रूपया पचास पैसे मात्र) होगा। 200 विवरण पंजिका का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- **Leaflet-** यह पत्रक A/4 साइड आर्ट पेपर 100 जी0एस0एम0 पर प्रिन्टिंग मल्टी कलर (04 कलर) में होगा तथा प्रिंटिग दोनो तरफ होगी। इसका अधिकतम मूल्य रूपया 2.00/– (दो रूपया मात्र) होगा। 200 पत्रक का 01 पैकेट तैयार किया जाए।
- ग्राम प्रधान के सहयोग से डुग्गी पिटवाना एवं अन्य प्रचार–प्रसार साधनों के माध्यम से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रचार–प्रसार को गति प्रदान करे।

Contingency support (NDCP.2.68.PME.4)

- इस मद से स्टेशनरी क्रय (चॉक, मार्कर पेन, रस्सी गोद, पेन इत्यादि) तथा औशधियों को राज्य मलेरिया मुख्यालय से लाने एवं जनपदीय मुख्यालय से ब्लॉक स्तर तक आपूर्ति हेतु परिवहन संबंधी व्यय का भुगतान किया जा सकता है।
- मैपिंग करने वाले non endemic जिलों कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 25000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का आवागमन, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट में नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है।
- TAS की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि रू0 50000.00 अनुमन्य है। इस धनराशि से लॉजिस्टिक का वितरण, फॉर्मेट की छपाई एवं प्रचार–प्रसार सामग्री की छपाई के लिए किया जाना है। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक/अर्बन आर0आई प्लानिंग यूनिट मे नाइट ब्लड सर्वे के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 1000.00 अनुमन्य है। नाइट ब्लड सर्वे में उत्तीर्ण होने के बाद PRE TAS और TAS गतिविधि के प्रचार–प्रसार के लिए धनराशि रू0 10000.00 अनुमन्य है।

नोट– मुद्रण कार्य हेतु टेण्डर करते समय दिए गए मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए व मानकों के साथ किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। समस्त सामग्री के मुद्रण उपरान्त उसकी प्राप्ति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए, जिससे राज्य स्तर पर गठित टीम द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जा सके। भौतिक सत्यापन के उपरान्त ही सामग्री का वितरण कराया जाए।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में

तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

11.डेंगू एवं चिकनगुनियां

NDCP.2.67 (NVBDCP) (Dengue & Chikungunya)

1. **Dengue and Chikunguny case management (NDCP.2.67.OOC.1)**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में इस मद में प्रति जिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय हेतु रू0 10000/– की दर से धनराशि स्वीकृत की गई है।

जिला चिकित्सालय एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिन्हित डेंगू/संचारी रोग वार्डों को मच्छर/वेक्टर रोधी बनाया जायेगा, जिस हेतु इस मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग खिड़कियों पर जाली लगाने, वार्ड में उपलब्ध सभी बेड हेतु LLIN (मच्छरदानी) लगाने एवं मच्छर को भगाने/मारने वाली मशीन हेतु किया जाना है।

2. **Other incentive to ASHAs (for Dengue & Chikungunya) in urban**

भारत सरकार से clarification प्राप्त होने के उपरान्त जनपदों को पृथक से दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेगें।

3. **Asha incentive for Dengue & Chikungunya (NDCP.2.67.ASHA)-**

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में उपरोक्त दोनों मद Asha incentive for Dengue & Chikungunya (ग्रामीण आशाओं हेतु) एवं Other incentive to ASHAs for Dengue & Chikungunya (शहरी आशाओं) हेतु पांच उच्च संचरण (High transmission Season) वाले महीनों के लिए हेत रू0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशी स्वीकृत की गयी है।

डेंगू संक्रमण के खिलाफ कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध ना होने की दशा में, सोर्स रिडक्शन (स्रोत कटौती) ही डेंगू उन्मूलन का मुख्य आधार है। हालाँकि, मानव संसाधन की कमी और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण लार्वा स्रोत में कमी की गतिविधियाँ आवश्यकतानुसार नहीं की जाती हैं। इसलिए, डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी आवश्यक है। अतः आशा कार्यकत्रियों से लगभग 5 महीने (जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) तक चलने वाले उच्च संचरण के मौसम के दौरान घरेलू प्रजनन जाँच और लार्वा स्रोत कटौती के रूप में कार्य कराया जाएगा। आशा द्वारा घर–घर भ्रमण कर घरेलू प्रजनन जाँच एवं लार्वा स्रोत कटौती में मदद करने के साथ समुदाय में वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में रू0 200/– प्रति माह प्रति आशा की दर पर धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी 75 जिलों में 5 माह हेतु माइक्रोप्लान बनाकर आशा कार्यकत्री द्वारा घर–घर भ्रमण कर निम्न गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगीं–

1. मच्छरों के प्रजनन की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु जैसे पानी की टंकी, डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनशेशन प्लेट, और एयर कंडीशनर्स ,फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निष्प्रयोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच करना एवं लार्वा स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित किया जाना
2. समुदाय को वेक्टर बार्न डिजीज नियंत्रण उपायों के बारे में जागरूक करना

4. Support for implementation of NVBDCP

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में ''वेक्टर नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन'' के तहत घरेलू ब्रीडर चेकर्स **दैनिक आधार** पर अधिकतम 100 दिनों के लिए हायर करने के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मद में स्वीकुत धनराशि का उपयोग राज्य में वास्तविक श्रम मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। **उक्त कार्य हेतु अर्बन आशा व डी0बी0सी0 को कार्य योजना में एक क्षेत्र में एक साथ ना लगाया जाये अर्थात दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया जाये जिससे कि किसी प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो सके।** न्यून्तम अर्हता हाई स्कूल विज्ञान वर्ग अथवा इन्टरमीडियेट जीव विज्ञान वर्ग को प्राथमिकता देते हुये दैनिक मजदूरी के आधार पर डी0बी0सी0 हायर कर यह कार्य कराया जाये।

एक सफल एडीज एजिप्टी वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए लार्वा स्रोत कमी गतिविधियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों में स्रोत कटौती गतिविधियों को करने के लिए घरेलू ब्रीडर चेकर्स (Domestic breeder checkers) को दैनिक आधार पर अधितम 100 दिनों (20 दिन प्रति माह कुल 5 माह हेतु) के लिए हायर किया जाना है जिनके द्वारा माइक्रोप्लान के अनुसार घर घर जाकर Aedes aegypti लार्वा की breeding के प्रमुख स्रोत जैसे डेजर्ट पानी कूलर, रेफ्रिजरेटर के नीचे कन्डेनशेशन प्लेट, और एयर कंडीशनरस ,फूलों के गुलदस्ते और चींटी–ट्रैप, टिन्स, बोतलें, बाल्टी या अन्य निष्प्रयोज्य सामान जैसे प्लास्टिक कप इत्यादि की जांच कर उनसे रुके हुए पानी को हटाए जाने के साथ–साथ स्रोत कटौती (सोर्स रिडक्शन) की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

5. Dengue NS1 antigen kit (NDCP.2.67.DS)-

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग प्रदेश में स्थापित/कियाशील एस0एस0एच0 लैब हेतु 1 से 5 दिन तक के डेंगू के संभावित बुखार के मरीजों की जांच एलाइजा विधि द्वारा कराये जाने के लिये आवश्यक **एनएस 1 एलाइजा किट्स के क्रय** नियमानुसार किया जायेगा।

6. Apex Referral Labs recurrent (NDCP.2.67.SRRE .1)

एपेक्स रेफरल लैब एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ हेतु रू0 300000.00 (रू0 तीन लाख) एवं एपेक्स रेफरल लैब के0जी0एम0यू0, लखनऊ हेतु रू0 300000.00 (रू0 तीन लाख) की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसका व्यय **इंगित एपेक्स** लैब द्वारा किया जायेगा।

7. Sentinel surveillance Hospital recurrent (NDCP.2.67.SRRE .2)

इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच हेतु स्थापित 68 सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल लैब हेतु रू0 1.00 लाख प्रति सेन्टीनल सर्विलेन्स हॉस्पिटल की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस धनराशि का उपयोग कन्ज्यूमेबल के क्रय, उपकरणों की मरम्मत एवं कन्टीजेन्सी पर किया जायेगा। यह धनराशि एस0एस0एच0 लैब के उपयोगार्थ है और यह धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से व्यय की जायेगी। अतः इसे सी0एम0एस0 को शीघ्र ही स्थानान्तरित कर दिया जाये एवं धनराशि के व्यय होने के उपरान्त सम्बन्धित से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की जाये।

District wise name of SSH lab – 2022

S.No.	District	S.No.	Name of SSH Labs
1	Agra	1	S.N Medical College, Agra
		2	District Hoshpital, Agra
2	Aligarh	3	J.N. Medical College, Aligarh
		4	District Hospital, Aligarh
3	Ambedkarnagar	5	MMR Govt. Medical College, Ambedkarnagar
4	Amethi	6	District Combined Hospital
5	Ayodhya	7	District Hospital, Ayodhya
		8	Rajarshi Dashrath Autonomous State Medical College (RDSASMC)
6	Azamgarh	9	District Hospital, Azamgarh
7	Badaun	10	District Hospital, Badaun
		11	Govt. Medical College Badaun
8	Baghpat	12	District Hospital, Baghpat
9	Bahraich	13	CMS, Distt. Hospital, Bahraich

10	Ballia	14	District Hospital, Ballia
11	Balrampur	15	District Hospital, Balrampur
12	Banda	16	District Hospital, Banda
13	Bareilly	17	District Hospital Bareilly
14	Basti	18	District Hospital, Basti
15	Bijnor	19	District Combined Hospital
16	Chitrakoot	20	District Hospital, Chitrakoot
17	Deoria	21	District Hospital, Deoria
18	Etawah	22	Rural P.G.I Safai, Etawah
19	Etah	23	Autonomous state medical college (ASMC)
20	Firozabad	24	District Hospital, Firozabad
21	GB Nagar	25	Authority Hospital, G.B.Nagar (NOIDA)
		26	Post graduate institute of child health (PGICH)
22	Ghaziabad	27	District Hospital, Ghaziabad (M.M.G Govt.)
23	Gonda	28	District Hospital Gonda
24	Gorakhpur	29	District Hospital, Gorakhpur
		30	RMRC Gorakhpur
25	Hamirpur	31	District Hospital, Hamirpur
26	Hardoi	32	District Hospital Hardoi
27	Hathras	33	Bagla District Combined Hospital
28	Jalaun	34	Govt. Medical College Jalaun
29	Jaunpur	35	District Hospital, Jaunpur
30	Jhansi	36	MLB Govt. Medical College, Jhansi
31	Kannauj	37	Govt. Medical College, Kannauj
32	Kanpur Nagar	38	GSVM Medical College, Kanpur Nagar
		39	U.H.M. Hospital, Kanpur Nagar
33	Kasganj	40	District Combined Hospital
34	Kushinagar	41	District Hospital, Kushinagar
35	Lalitpur	42	District Hospital, Lalitpur
36	L. Kheri	43	District Hospital, Lakhimpur Kheri
37	Lucknow	44	Regional Lab, Swasthya Bhawan, Lucknow
		45	PG RML Institute, Gomti nagar Lucknow
38	Maharajganj	46	District Hospital, Maharajganj
39	Mainpuri	47	District Hospital, Mainpuri
40	Mathura	48	District Hospital Mathura
41	Mau	49	District Hospital, Mau
42	Meerut	50	L.L.R.M Medical College Meerut
		51	District Hospital Meerut
43	Moradabad	52	District Hospital Moradabad
44	Muzaffarnagar	53	District Hospital, Muzaffarnagar
45	Partapgarh	54	District Hospital, Partapgarh
46	Prayagraj	55	MLN Medical College, Prayagraj
47	Raebareli	56	District Hospital, Raebareli
48	Rampur	57	District Hospital, Rampur
49	St. Kabeer Nagar	58	District Hospital, St. Kabir Nagar
50	Saharanpur	59	Distt. Hospital Saharanpur
		60	Govt. Medical College, Saharanpur
51	Shahjahanpur	61	District Hospital Shahjahanpur
52	Shamli	62	District Combined Hospital
53	Shravasti	63	District Hospital, Shravasti
54	Siddharthnagar	64	District Hospital, Siddharthnagar
55	Sitapur	65	District Hospital, Sitapur

56	Sonbhadra	66	District Hospital, Sonbhadra
57	Varanasi	67	Instt. of Medical Sciences, BHU Varanasi
		68	District Hospital, Varanasi (Pt. Deen Dayal Hosp)

8. IEC/BCC for Social mobilization (NDCP.2.67.IEC)

इस मद के अंतर्गत प्रदेश में डेंगू एवं चिकनगुनिया के बचाव हेतु प्रचार–प्रसार के लिए रू0 20000/– प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का व्यय डेंगू व चिकनगुनिया के संबंध में जानकारी व जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रचार–प्रसार में किया जायेगा और यह एक्टिविटी अन्य वेक्टर बार्न डिजीज के साथ इन्टीग्रेट की जायेगी।

9. Inter-sectoral convergence (NDCP.2.67.OOC.2)

इस मद के अंतर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित की जा रही है, जिसका व्यय डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं संगठनों की बैठक कर डेंगू से बचाव एवं नियन्त्रण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने हेतु किया जायेगा।

10. Monitoring/supervision and Rapid response (NDCP.2.67.PME.1)

इस मद के अंतर्गत जनपदों द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग क्षेत्र भ्रमण हेतु मोबिलिटी सपोर्ट एवं रिपोर्टिंग के सुदृढ़ीकरण इत्यादि हेतु किया जायेगा। जनपद एवं परिधिगत स्तर पर मल्टी डिस्प्लीनरी रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा सेन्टीनल लैब से प्राप्त डेंगू धनात्मक रोगियों के सत्यापन एवं केस आधारित निरोधात्मक कार्यवाही की जानी है। साथ ही वेक्टर नियन्त्रण कार्यवाही कार्य योजना 2022 एवं **NVBDCP guidelines** के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार, समय पर सन्दर्भन तथा सूचना संग्रहण एवं सूचना संप्रेषण सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में कार्यरत एसीएमओ वी0बी0डी0/जिला मलेरिया अधिकारी व अन्य हेतु कार्ययोजना के अनुसार कार्य सम्पादन, क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक्तानुसार **उक्त मद से वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था की जायेगी। यदि राजकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त कार्य हेतु इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग वाहन को कार्य दिवस के हिसाब से नियमानुसार किराये पर लेने हेतु किया जा सकता है।**

11. Epidemic preparedness (NDCP.2.67.PME.2)

इस मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग की रोकथाम एवं महामारी की दशा में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी, रैपिड रिस्पान्स टीम एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के संवेदीकरण हेतु NVBDCP की दिशा–निर्देश के अनुसार उपयोग की जायेगी तथा डेंगू एवं चिकनगुनियां कार्ययोजना 2022 के अनुसार कार्य सम्पादित कराते हुये आशा/आई0एफ0डब्ल्यू0/एस0एफ0डब्ल्यू0 /हायर्ड घरेलू ब्रीडर चेकर्स का संवेदीकरण कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर डेंगू संभावित रोगियों के सीरम सैंपल जांच हेतु नजदीकी एस0एस0एच0 लैब में भेजने पर होने वाले व्यय का भुगतान राजकीय मापदण्ड/नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- सभी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर से आशा एवं आशा संगिनियों का ससमय भुगतान के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये पत्र संख्या एस0पर0एम0यू0/सी0पी0/लिजिट रिलीज/2022–23/130 /2900 दिनांक 29.07.2022 में निहित दिशा–निर्देशों (बी0सी0पी0एम0–एम0आई0एस0 पोर्टल) के अनुरूप करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
- जनपद स्तर पर क्रय–भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये तथा ऐसे स्पेशिफिकेशन बनाये जाये जिसके कम से कम दो ओ0ई0एम0 जेम पोर्टल पर उपलब्ध हो।

ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में कार्यरत् संविदा मानव संसाधन के लिये आवंटित धनराशि

- ए0ई0एस0–जे0ई0 रोग की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के JE /AES Ward 12 and Ward 100 में संविदा मानव संसाधन के लिये आर0ओ0पी0 2022–23 में अनुमोदित धनराशि एवं मानव संसाधन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये बजट भार के अनुसार जनपद स्तर हेतु धनराशि रू0 424.00 लाख जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर को अवमुक्त/आवंटित की गयी है। रू0 141.08 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, गोरखपुर को 04 माह की डैप में आंवटित किया जा चुका है। शेष धनराशि रू0 282.93 लाख जनपद गोरखपुर की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु आवंटित किया जा रहा है।
- **निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार, जनपदवार आंवटित धनराशि के सापेक्ष एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करते हए संगत मद में तत्काल FAMS Portal पर अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा व्यय की सूचना FAMS Portal पर अंकित न होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**
- **संविदा पर मानव संसाधन मद में आवंटित बजट के सापेक्ष जनपद स्तर पर कार्यरत/वास्तविक मानव संसाधन/पदों को ही नियमानुसार ससमय मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। जनपदों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग से निर्गत दिशा–निर्देशानुसार आउटसोर्स रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रकिया करते हुये तथा अन्य पदों की अद्यतन स्थिति से इस कार्यालय को 07 कार्य दिवसों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।**

गैर संचारी रोग कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत FMR- NCD.2.97.OOC -Targeted interventions at community level Activities & interventions targeted at schools, colleges, workplaces, out of school adolescents, urban slums and suicide prevention. पर रू0 12.00 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है, जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

(अ) मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण अपने जनपद की **08** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक चयनित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर प्रतिवर्ष 01 वृहद शिविर का आयोजन करवाना सुनिश्चित करेंगें, जिस हेतु प्रति शिविर रू0–50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे शिविर के आयोजन पूर्व चिकित्सक के आगमन की सूचना का प्रचार–प्रसार एवं शिविर के दिन मरीजों के लिये समुचित बैठने एवं जल इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी। अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी रू0 50,000.00/(रू0 पचास हजार मात्र) चिन्हित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यक्रम हित में धनराशि का सदुपयोग किया जा सके। (8X50000= 4,00,000.00) शिविर में मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलॉगता प्रमाण–पत्र भी निर्गत किये जाने के प्रयास, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयास एवं उपचार किया जायेगा।

(ब) साथ ही चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेष मानसिक स्वास्थ्य दिवसों पर वृहद शिविरों का आयोजन अधिकतम् रूपये 50,000.00/शिविर की दर से आयोजित किये जायेगें। शिविरों का आयोजन निम्नलिखित 12 दिवसों में से किन्हीं 08 पर किया जायेगा :–

1. उत्तर प्रदेश मन–चेतना दिवस – जनवरी माह के प्रथम बृहस्पतिवार को।
2. चिल्ड्रेन मेंटल हेल्थ सप्ताह – 01 से 07, फरवरी तक।
3. 30 मार्च – विश्व बाइपोलर दिवस।
4. 02 अप्रैल – विश्व ऑटिस्टिक दिवस।
5. 24 मई – सीजोफ्रेनिया दिवस।
6. 26, जून – इन्टरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एण्ड इलिसिट ट्रैफिकिंग।
7. 10, सितम्बर– सुसाइड प्रिवेंशन दिवस।
8. 21 सितम्बर – अल्ज़ाइमर दिवस एवं सप्ताह।
9. 02 अक्टूबर – नेशनल एण्टी ड्रग एडीक्शन दिवस।
10. नवम्बर के प्रथम बुधवार को – स्ट्रेस अवेयरनेस दिवस।
11. 17 नवम्बर – नेशनल इपिलेप्सी दिवस।
12. 03 दिसम्बर – इन्टरनेशनल डे आफ **परसरन विद डिएबिलिटी।**

(स) प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 विशाल जागरूकता शिविर का आयोजन **10 अक्टूबर (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस)** के अवसर पर किया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी हेतु प्रयास किया जाये। इस शिविर के लिये अधिकतम् **रू0–1.00/लाख** (रूपया एक लाख मात्र) की धनराशि का प्राविधान किया जाता है, जिस हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत् हैं :–

1. शिविर से एक माह पूर्व ही वृहद प्रचार–प्रसार की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये।
2. शिविर मे आने वाले मरीजों एवं आमजनों के बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, मंदबुद्वि बच्चो के लिये फल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. मानसिक मन्दित बच्चों को मानसिक विकलॉगता प्रमाण–पत्र मुख्य अतिथि के माध्यम से वितरित कराने का प्रयास किया जाये।

(द) विद्यालय कार्यक्रम – प्रत्येक जनपद में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की जागरूकता एवं स्क्रीनिंग हेतु विद्यालय कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं एवं उपचार, हेल्थ क्लब बनवाया जाना, मन–दूत, मन–परी बनाया जाना इत्यादि संबंधी कार्यवाहियॉ की जायेगी। जिस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक के सहयोग से सर्वप्रथम प्रत्येक जनपद में 24 विद्यालयों (कक्षा 6 से कक्षा 12 तक) का चयन किया जायेगा। तदोपरान्त विद्यालय जागरूकता एवं स्क्रिनिंग कार्यक्रमों का आयोजन रू0–10,000.00 प्रति कार्यक्रम की दर से किया जायेगा। संबंधित विद्यालय में प्रधानाचार्य के सहयोग से मनदूत एवं मनपरी नामित करवाये जायेंगें, जिन्हें लाइफ स्किल/कोपिंग स्किल, मानसिक समस्याओं के लक्षण एवं पहचान संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. अरबन स्लम क्षेत्रों में जागरूकता एवं उपचार शिविर का आयोजन। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**
2. वर्क प्लेसेस स्ट्रेस मैनेजमेंट शिविर का आयोजन। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**
3. प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करना है जहॉ झाड़–फूँक होती हो यथा–मज़ार इत्यादि। जहॉ के प्रभारी से लिखित अनुमति के उपरान्त वहॉ भी चिकित्सकीय शिविर लगाया जाए। ऐसे स्थानों पर लगने वाले बैनर पर ''दुआ से दवा तक'' लिखवाया जायेगा। **(अधिकतम् रूपया–5,000.00 प्रति शिविर)**

क्रम सं0	गतिविधि का नाम	प्रति गतिविधि दर (रूपया)	कुल धनराशि	कुल धनराशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वार्षिक वृहद शिविर	50,000.00	50,000.00X8=400000.00	400000.00
2	मानसिक स्वास्थ्य दिवसो पर	50,000.00	50,000.00X8=400000.00	400000.00
3	मानसिक स्वास्थ्य दिवस	1,00,000.00	1,00,000.00 X1 = 100000.00	100000.00
4	विद्यालय कार्यक्रम	10,000.00	10,000.00X24=240000.00	240000.00
5	अरबन स्लम शिविर	5,000.00	60000.00	60000.00
6	दुआ से दवा तक	5,000.00		
7	स्ट्रेस मैनेजमेंट एट वर्क प्लेसेस	5,000.00		
8	उच्चाधिकारियों हेतु जन स्वास्थ्य एवं जनहित में आयोजित किये जाने वाले अन्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	5,000.00		

FMR- NCD.2.97.CB -Training of PHC Medical Officers, Nurses, Paramedical Workers & Other Health Staff working under NMHP- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 की धारा–29 एवं धारा–31 के अनुपालन में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु इस मद में जनपद आगरा को रू0–1,15,000,00.00/(रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) तथा जनपद वाराणसी को रू0–70,000,00.00/(सत्तर लाख़ मात्र) एवं जनपद बरेली को को रू0–1,15,000,00.00/(रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की जा रही है। जनपद आगरा को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा को, जनपद वाराणसी को आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी द्वारा मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी तथा जनपद बरेली को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक चिकित्सालय, बरेली को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा। जिससे उक्त संस्थानों द्वारा पी0एच0एम0एस0 चिकित्साधिकारियों, उपचारिकाओं, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि को मानसिक स्वास्थ्य विधा में एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में उपभोग किया जायेगा।

Old FMR -9.5.16.1/ New FMR NCD.2.97.CB- Training of PHC Medical Officers, Nurses, Paramedical Workers & Other Health Staff working under NMHP – इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु राज्य स्तर पर कमिटेड के रूप में रक्षित धनराशि से जनपद आगरा को रू0 05.00 लाख, जनपद बरेली को रू0 16.00 लाख, जनपद लखनऊ को रू0 41.00 लाख तथा जनपद वाराणसी को रू0 38.00 लाख आवंटित किया जा रहा हैं। जनपद आगरा को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा को, जनपद बरेली को आवंटित धनराशि को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली द्वारा मानसिक चिकित्सालय, बरेली को, जनपद लखनऊ को आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ को तथा जनपद वाराणसी को आवंटित धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी द्वारा मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा। जिससे उक्त संस्थानों द्वारा पी0एच0एम0एस0 चिकित्साधिकारियों, उपचारिकाओं, पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि को मानसिक स्वास्थ्य विधा में कराये गये/कराये जाने वाले एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपभोग किया जायेगा।

FMR- NCD.2.97.PME.3- Operational expenses of the district centre : rent, telephone expenses, website etc. इस मद पर वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0–10,000.00 की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 के अनुपालन एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पीटिशन सिविल वाद सं0–924/2019 गौरव बंसल बनाम भारत सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक जनपद में मानसिक स्वास्थ्य हेतु हेल्प–लाईन सेवाएं आरम्भ किया जाना है। जिस हेतु गाइडलाइन पृथक से जारी की जायेगी।

FMR- NCD.2.97.PME.4– Miscellaneous/Travel/Contingency इस मद पर वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 05.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस मद में आवंटित धनराशि का निम्नानुसार उपयोग किया जा सकता है–

(अ) मिसलेनियस एवं कंटिनजेंसी मद से जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में आवश्यक सामग्री का क्रय एवं अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यो का निष्पादन किया जा सकता है।

(ब) ट्रैवल मद में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड विजिट के उपयोगार्थ वाहन हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है। आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक–केन्द्र शिविर हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्राविधानित नियम/उपनियमों के अनुसार वाहन की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आउट–रीच कार्यक्रम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर के आयोजन हेतु वाहन उपलब्ध कराना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगें।

पी0आई0एल0–4112/2018 इन द मैटर आफ रिगार्डिंग एब्यूज आफ गर्ल इन ए वूमेन शेल्टर होम इन देवरियॉ बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–आर–1950/60–1–18, दिनांक– 20/09/2019, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र सं0–ए.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एन.सी.डी./2018–19/6908–2, दिनांक –26/09/2018 एवं महानिदेशालय के पत्र सं0– 9फ/मा0स्वा0/2018–19/2189, दिनांक– 27/09/2018, के अनुपालन में जनपद में उपस्थित किशोर–किशोरी एवं बाल–महिला गृहों में मानसिक परीक्षण/काउंसलिंग एवं उपचार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

FMR- NCD.2.97.IEC.1 , एवं FMR- NCD.2.97.IEC.2 - Translation of IEC material and distribution & Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement

उक्त मद में रू0–4,00,000/(रूपये चार लाख मात्र) प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। जिसके अन्तर्गत Translation of IEC material and distribution मद में 02.00 लाख प्रति जनपद तथा Awareness generation activities in the community, school, workplaces with community involvement मद में रू0 02.00 लाख प्रति जनपद का आवंटन किया गया है। जिसके उपभोग से आई0ई0सी0 संबंधित गतिविधियों यथा समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, बिल–बोर्ड, लोकवाहनों पर बोर्ड, पैम्फलेट, स्टीकर्स इत्यादि विकसित करना एवं स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्थानों पर लगवाये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। इस मद का उपयोग जन जागरूकता कार्यक्रम आदि हेतु किया जा सकता है। अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा। प्रचार–प्रसार संबंधी प्रोटोटाईप राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व में ही जनपदों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है।

अन्य दिशा–निर्देश :–

1. जिला डी0एम0एच0पी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित नियमों/उपनियमों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 एवं काउंसलिंग की सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जनपद चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग (अथवा अन्य समुचित स्थान) में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 शैय्याओं (10 शैय्या पुरूषों हेतु एवं 10 शैय्या महिलाओं हेतु) का चिन्हीकरण भी करेगें। शैय्याओं के चिन्हिकरण से तात्पर्य यह है कि शैय्याओं के इंचार्ज एम.डी./फिजिशियन ही रहेंगें परन्तु उनके मरीज/रोगी जोकि हिस्टीरियॉ, अवसाद एवं अन्य मनोविकार से पीड़ित होगें, उन्हे

वह उन चिन्हित शैय्याओं पर ही भर्ती करेंगें जिससें उन रोगियों को मनोचिकित्सक/मनोवैज्ञानिक को बुलाकर दिखाया जा सकें।

4. **मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, समस्त उ0प्र0 का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा कि वह मेंटल हैल्थकेयर एक्ट, 2017 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।**
5. मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार हेतु एक ईमेल आई0डी0 बनवाना सुनिश्चित करें यथा–dmhp(name of District)@..... और राज्य स्तर पर अपना ईमेल आई.डी. उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6- कार्यक्रम से संबंधित पत्राचार, मासिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रेषण राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ईमेल आई0डी0– statenmhp.up@gmail.com पर किया जायेगा।

2. राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

सामान्य जनता को तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–2008 (11वी पंचवर्षीय योजना) में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यो के 42 जनपदों में प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है।

तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंर्तगत मुख्यतः निम्न पांच गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है–

- तम्बाकू नियंत्रण कानून का अनुश्रवण, प्रवर्तन एवं रिपोर्टिंग की गतिविधियॉ।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार की गतिविधियॉ।
- विद्यालय गतिविधियां।
- प्रशिक्षण/जागरूकता की गतिविधियॉ।
- तम्बाकू नशा उन्मूलन की गतिविधियॉ

कार्यक्रम के अर्न्तगत अच्छादित प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में एक जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 को जिला नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 नामित किया जायेगा। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम हेतु योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मानिटरिंग करने और भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा। जहॉ जनपद सलाहकार, साइकोलॉजिस्ट, समाजिक कार्यकर्ता एवं आउटर्सोसिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री आपरेटर कार्यरत् होगें। प्रत्येक जनपद के जनपद चिकित्सालय में एक तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र की स्थापना की जायेगीं, जहॉ कार्यक्रम के अन्तर्गत् साईकोलॉजिस्ट/काउंसलर कार्यरत् होगें।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत जनपदों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.1& Training Programme-

1. जनपद स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं तम्बाकू नियंत्रण हेतु उनकी क्षमता का विकास करना DTCC की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है।
2. तम्बाकू नियंत्रण हेतु संबंधित जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन (यथा– जनपद प्रशासन, चिकित्सक, नर्स, आशा, पुलिस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विद्यालय के शिक्षक, स्वयं सेवी संगठनों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नगर महापालिका आदि) करना।
3. जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में तम्बाकू प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, तम्बाकू के प्रकारों, तम्बाकू प्रयोंग से आर्थिक–सामाजिक कारण, तम्बाकू छोड़ने के लाभ, आदि को रखना चाहिए।

4. प्रशिक्षण हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की धनराशि आंवटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 को भली–भॉति लागू करने हेतु सम्बंधित विभागों यथा–रेल विभाग, खेल, नगर–निगम/परिषद, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के विभिन्न कार्मिकों का Orientation of Stakeholder Organizations के अन्तर्गत 02 उन्मुखीकरण कार्यशाला का 0आयोजन किया जाना है। जिस हेतु एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.1 पर रू0 40,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।
- तम्बाकू नियंत्रण एवं सी0ओ0टी0पी0ए0 अधिनियम, 2003 के सम्बध में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ ए0एन0एम0 आदि का Training of Health Professionals के अन्तर्गत 02 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.2 पर रू0 40,000.00 (रूपये चालीस हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।
- जनपद प्रशासन के अधिकारियों यथा, पुलिस विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नगर पालिका/निगम, कर विभाग, शिक्षा विभाग आदि का Orientation of Law Enforcers के अन्तर्गत 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाना है, जिस हेत एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.104.CB.3 पर रू0 60,000 (साठ हजार) की धनराशि आंवटित की गई है।

<u>एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.4 –Training of PRI's representatives/Police Personnel/ Transport Personnel/Teacher/ NGO personnel/other stakeholders</u>

उक्त मद के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि को प्रशिक्षित किया जाना है, जिस हेतु रू0 30000.00 (रूपये तीस हजार) की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण मद में आंवटित धनराशि में से उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप द्वारा कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

<u>एफ0एम0आर मद सं0 NCD.4.104.CB.5–Other Trainings/Orientations - sessions incorporated in other's training-</u>

उक्त मद के अन्तर्गत प्रतिभागियों के रूप में विभिन्न विभागों/संस्थाओं के प्रतिनिधियों यथा जनपद प्रशासन, एन0एस0एस0, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0ओ0, आई0एम0ए0, आई0डी0ए0, शिक्षक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत, पंचायती राज, शिक्षा विभाग, लोकपरिवहन, पुलिस विभाग आदि में आयोजित कार्यशाला में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तम्बाकू नियंत्रण हेतु <u>प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण</u> कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिस हेतु रू0 3.30 (रूपये तीन लाख तीस हजार) प्रति जनपद की दर से धनराशि का आंवटन किया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर से प्रशिक्षण मद में आंवटित धनराशि में से उपरोक्त निर्धारित प्रशिक्षण कराने के उपरान्त यदि धनराशि शेष रह जाती है तो आप द्वारा कार्यक्रम हित एवं जनहित में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

<u>एफ0एम0आर0 मद सं0–NCD.4.104.IEC.2–(SBCC/IEC for NTCP)–</u>

- जन सम्पर्क एवं जन जागृति हेतु जनपदवार एवं मदवार रू0–7,00,000.00 (रूपये सात लाख) प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को सामान्य जनता की जागरूकता हेतु जन जागरूकता के मिश्रित माध्यमों का उपयोग करना चाहियें। तम्बाकू सेवन से होनें वालें दुष्प्रभावों पर सन्देश हेतु स्वास्थ्य मेला, होर्डिंग, हाथ विल, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पारम्परिक/लोक मीडिया, रेडियों आदि का प्रयोग करना चाहियें।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया के साथ समन्वय स्थापित कर सकतें है।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पोस्टर एवं स्टैण्डी का प्रयोग करके मोबाइल प्रदर्शनी किट विकसित कर सकती है। जिसमें कुछ आडियों विजुअल माध्यमों का प्रयोग करकें इसे और आकर्षक बनाया जा

सकता है। इस मोबाइल प्रदर्शनी किट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।

- साईनेज पर चित्रों के माध्यम से सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के विभिन्न प्राविधानों को दर्शाया जा सकता है।
- स्वयं सेवी संगठनों, आशा, स्वंय सहायता समूहों, एवं यूथ क्लब आदि को तम्बाकू नियंत्रण हेतु आयोजित की जानें वाली गतिविधियों में प्रतिभाग करनें के लियें प्रेरित किया जाना चाहियें जिससें तम्बाकू नियंत्रण की जागरूकता अधिक से अधिक लोगों मे हो।
- जिला सलाहकार के सहयोग से समाज में तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के विषय में जागरूकता हेतु सॉइकोंलॉजिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता को हर सप्ताह दो बार क्षेत्रीय भ्रमण करना अनिवार्य होगा।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या कोड संख्या–NCD.4.104.IEC.1– Printing of Challan Books

एफ0एम0आर0 कोड संख्या कोड संख्या–NCD.4.104.IEC.1 चालान बुक का मुद्रण (Printing of Challan Books) मद के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन हेतु 350 प्रतियॉ प्रति जनपद जुर्माने की रसीद एवं चालान बुक की छपाई हेतु प्रति चालान एवं जुर्माना बुक 60 रू0 का बजट उपलब्ध है। वर्णित रसीद बुक एवं चालान बुक विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराते हुयें अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आपेक्षित है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.OCC.1– School Programme

विद्यालय कार्यक्रम हेतु प्रति जनपद रू0–7.00 लाख की धनराशि आंवटित की गई है।

तम्बाकू नियंत्रण हेतु जनपद में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के जागरूकता हेतु कार्यक्रम कराया जाना है।

विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत निबन्ध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया जाना चाहिये। वृत्त चित्र/ फिल्मों, कठपुतली के खेल आदि से विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहियें।

विद्यालय कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार धनराशि का आंवटन किया गया है–

1. 20 पब्लिक विद्यालय हेतु रू0 5,000.00 प्रति विद्यालय।
2. 40 प्राइवेट विद्यालय हेतु रू0 5,000.00 प्रति विद्यालय।
3. 20 पब्लिक विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम हेतु रू0 5,000.00 प्रति कार्यक्रम।
4. 20 प्राइवेट विद्यालय में विद्यालय की अन्य गतिविधियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम रू 5,000.00 प्रति कार्यक्रम।
5. 40 संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन कालेज एवं विश्वविद्यालय हेतु रू0–5,000.00 प्रति कार्यक्रम।

उक्त विद्यालय कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में लिए गये विद्यालयों के अतिरिक्त पृथक से चिन्हित विद्यालयों में विद्यालय कार्यक्रम सम्पादित किया जायेगा।

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (NCD.4.105.OCC.1):–

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत एफ0एम0आर0 संख्या–NCD.4.105.OCC.1 पर रू0 3.00 लाख प्रति जनपद अनुमोदित की गयी है, जिसमें अधिकतम रू0 5000/– प्रति विद्यालय के अनुसार प्रति जनपद नयूनतम 60 विद्यालय कार्यक्रम किया जाना है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022–23 में विद्यालय कार्यक्रम हेतु चिन्हित विद्यालयों के अतिरिक्त विद्यालयों को लिया जायेगा। जिसे जनपद स्तर पर शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (Tobacco Free Educational Institution (ToFEI)) हेतु प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है।

1–18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों को न बेंचना।

2–शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए।

3–विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान प्रतिबन्धित होना चाहिए।

4–सभी विद्यालयों में सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–4 एवं 6 का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रत्येक जनपद के जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करवाते हुए प्रत्येक तिमाही महानिदेशालय को प्रेषित की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से उक्त की प्रगति रिपोर्ट महानिदेशालय स्तर पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.1&District level Coordination Committee meeting-

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.1 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष जनपद स्तरीय समन्वय समिति की 2 बैठक कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 2,000.00 (दो हजार मात्र)/बैठक के अनुसार रू0–4,000.00 धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.2–Monitoring Committee meeting on Section 5–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.2 के अन्तर्गत अधिनियम, 2003 की धारा–5 हेतु गठित अनुश्रवण समिति की 04 बैठक कराया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु रू0 15,00.00 (पन्द्रह सौ रूपये मात्र) की धनराशि प्रति बैठक के अनुसार रू0– 6,000.00 धनराशि का आवंटन किया गया है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या, NCD.4.106.PME.3& Enforcement Squad Meeting–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.3 के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रवर्तन हेतु गठित इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड (सचल/प्रवर्तन दल) की 1 बैठक प्रति तिमाही कराया जाना है, जिस हेतु रू0 20 ,000.00 (बीस हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या, NCD.4.106.PME.4–Misc./Office Expences for District Tobacco Cell–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.4–Misc./Office Expences के अर्न्तगत रू0 5.00 लाख (पांच लाख मात्र) प्रति जनपद की धनराशि आंवटित की गई है, जिसका उपभोग कार्यालयोपयोगी सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री का क्रय अथवा सेवाओं हेतु किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.PME.5 – Mobility Support For DTCC–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.5 Mobility Support For DTCC मद के अर्न्तगत मोबिलिटी सर्पोट हेतु रू0 35000.00 प्रति माह की दर से 12 माह हेतु कुल 4.20 लाख/जनपद की धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपभोग राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मूल्याकंन एव अनुश्रवण हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए किया जा सकता है। वाहन का प्रयोग प्रवर्तन, छापेमारी एंव कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य गतिविधियों में भी किया जा सकता है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.PME.6 – Monthly meeting with the hospital staff –

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.6 Monthly meeting with the hospital staff मद के अन्तर्गत प्रत्येक माह चिकित्सक, नर्स एवं चिकित्सालयों के कर्मचारियों के साथ तम्बाकू नियंत्रण हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु रू0 4000.00/माह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 48000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.IEC.1 –Weekly FGD with the tobacco users–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.IEC.1 Weekly FGD with the tobacco users मद के अन्तर्गत तम्बाकू का प्रयोग करनें वालों के साथ साप्ताहिक फोकस ग्रुप डिस्कशन हेतु बैठक किया जाना है, जिस हेतु रू0 1000.00/सप्ताह की दर से 12 माह हेतु कुल रू0 52000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या NCD.4.106.DS–Procurement of Medicine & Consumables for TCC

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.DS Procurement of Medicine & Consumables for TCC मद के अन्तर्गत रू0 50,000.00/– प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।

अन्य व्यय (Contingency/Miscellaneous)–

एफ0एम0आर0 कोड संख्या–NCD.4.106.PME.7 Mobility Support for TCC के अन्तर्गत तम्बाकू उन्मूलन की गतिविधियॉ यथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार हेतु भ्रमण, एफ0जी0डी0 के आयोजन हेतु भम्रण तथा उन्मूलन संबधी अन्य गतिविधियों में आवागमन हेतु रू0 5000.00/माह की दर से 12 माह हेतु रू0 60000.00 की धनराशि आंवटित की गई है।

एफ0एम0आर0 कोड संख्या– NCD.4.106.PME.8 Office Expenses for TCC के अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद हेतु जनपदवार रू0 1.00 लाख/जनपद की धनराशि आंवटित की गई है। तम्बाकू

नियंत्रण हेतु उक्त मद द्वारा विविध व्यय जैसे– संचार, कार्यालयोपयोगी सामग्री, (Office Consumables) आदि पर व्यय किया जा सकता है।

मानव संसाधन (Manpower Support)–

जिला सलाहकार (District Consultant)–HSS.9.184.C.P324

जनपदों में कार्यरत जिला सलाहाकार अपने तैनाती जनपद के साथ ही आवंटित जनपदों में जिला नोडल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करके सभी विभागों समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का सफल संचालन कराते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करना एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति संवेदीकृत कराना तथा जनपद के समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 स्तर से कार्यक्रम के अर्न्तगत आवंटित बजट, राज्य स्तर से प्रेषित संक्षिप्त दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार स्तर से प्रदत्त गाइडलाइन का अवलोकन करते हुए नियमानुसार एवं समयार्न्तगत सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पन्न कराते हुए आवंटित बजट का शत–प्रतिशत उपभोग कराना सुनिश्चित करेंगें साथ ही आवंटित जनपदों के सम्बन्धित जिला नोडल अधिकारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

सामाजिक कार्यकर्ता,(Social Worker)–HSS.9.184.C.S0570

सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करना है। (कृपया कार्यक्रम की गाइडलाइन्स के पृष्ठ संख्या–52–53 का अवलोकन करें।)

उक्त के अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा साइकोलॉजिस्ट को सहायता प्रदान करेंगें।

जिला सलाहकार से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यक्रम संचालन एवं कार्यक्रम से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों में सहयोग करेंगें।

कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रस्तावित निर्धारित विद्यालय कार्यक्रम को कार्ययोजना तैयार कर गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करेंगें तथा ससमय रिपोर्ट प्रेषित करेंगें।

कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठकों को आयोजित कराने में सहयोग तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर अन्य कार्यक्रमों अथवा विभागीय कार्यशालाओं/बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित सेशन रखना तथा बैठक/कार्यशाला में उपस्थित लोगों को जागरूक करने का कार्य।

साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर–HSS.9.184.C.S0529

जनपद में कार्यरत साइकोलॉजिस्ट/काउन्सलर द्वारा Tobacco Cessation Centre का प्रभावी संचालन कराया जायेगा, साथ ही टी0बी0–टोबैको गाइडलाइन का भी अनुपालन कराया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त जिला अस्पताल में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्र में कार्य करना एवं जो व्यक्ति तम्बाकू का उपयोग कर रहे है, उन्हे तम्बाकू छोड़ने हेतु प्रेरित/काउंसलिग करना तथा तम्बाकू छोड़ने हेतु उन लोगों को भारत सरकार के टोल फ्री नं0–1800112356 पर पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किये जाने का कार्य।

सप्ताह में एक दिन जिला सलाहकार एवं सोशल वर्कर की सहायता से ग्राम स्तर पर एफ0जी0डी0 किया जाना, जिसकी प्रगति रिपोर्ट सोशल वर्कर के द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रारूप ससमय प्रेषित की जाये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के अर्न्तगत साइकोलाजिस्ट/काउन्सलर पद का नाम एक ही है।

<u>अन्य निर्देशः–</u>

1–जनपद सलाहकार जनपद के सभी विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए कार्ययोजना बनाकर नोडल अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/विद्यालय कार्यक्रम में स्वंयसेवी संस्था के सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।

2–जनपद सलाहकार समस्त विभागों में सी0ओ0पी0टी0ए0–2003 के समस्त प्राविधानों/धाराओं एवं जे0जे0सी0 एक्ट–2015 की धारा–77 का जनपद में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें, साथ ही सप्ताह में एक दिन होने वाली एफ0जी0डी0 कार्यक्रम मे प्रतिभाग करेगें।

3–जनपद सलाहकार एवं सोशल वर्कर के द्वारा शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए द्वारा ''तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान'' ऑपरेशनल गाइडलाइन एवं महानिदेशालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 02.09. 2021 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रिपोर्ट के साथ पृथक से प्रेषित की जायेगी।

4–सोशल वर्कर विद्यालय कार्यक्रम का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करना/करवाना सुनिश्चित करेंगें।

5–सोशल वर्कर द्वारा साइकोलॉजिस्ट की सहायता से ग्रामीण स्तर पर सप्ताह में एक दिन होने वाले एफ0जी0डी0 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनपद सलाहकार के सहयोग एवं दिशा–निर्देशानुसार करेंगे।

6–जिला नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का व्यय नियमानुसार प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

7–जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके क्रम में जिला नोडल अधिकारी के दिशा–निर्देश में जिला सलाहकार द्वारा कार्यक्रम की कार्ययोजना बनाकर जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– जनपद सलाहकार आपरेशनल गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही एवं जिन जनपदों में वर्तमान समय तक DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय समिति का गठन नहीं किया गया है, का गठन करवाना सुनिश्चित करेंगें।

9– जनपद सलाहकार यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षिण संस्थानों में यलो लाइन सम्पादन करवाना सुनिश्चित करेगें।

10– जनपद सलाहकार अपने आंवटित जनपद के साथ–साथ अन्य जनपद का कार्य जोकि पूर्व में आंवटित किये गये है, उसी के अनुसार आंवटित जनपद में DLCC/इन्फोर्समेन्ट स्कवायड का गठन, प्रशिक्षण एवं ससमय रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगें।

3. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) Programme

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्व की भांति संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1– National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPHCE के अनुसार ही किया जायेगा।

2– जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में सुनिश्चित करें।

3– जिला 10 बेडेड जीरियाटिक यूनिट एवं ओ0पी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPHCE में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

5– National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

<u>जिला अस्पताल हेतु</u> :–

- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.99.EQ Machinery & Equipments For DH मद पर जनपदों–आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, इटावा, अयोध्या, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, लखीमपुर–खीरी, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी हेतु रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। उपकरणों का क्रय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	उपकरण
1	ECG Machine
2	Defibrillator
3	Multi- channel Monitor
4	Non Invasive Ventilator
5	Shortwave Diathermy
6	Ultrasound Therapy
7	Cervical traction (intermittent)
8	Pelvic traction (intermittent)
9	Tran electric Nerve stimulator (TENS)
10	Adjustable Walker.

- एफ0 एम0 आर0 कोड संख्या– NCD.3.99.CB CGA Module Training of M.O., SN & Physiotherapist under NPHCE मद पर जनपद लखनऊ एवं वाराणसी में प्रशिक्षण सम्पादित कराये जाने के लिये प्रशिक्षण हेतु रू0 30.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। भविष्य में उक्त धनराशि को जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ एवं वाराणसी द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को प्रशिक्षण हेतु स्थानान्तरित की जायेगी।
- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.102.IEC.2 Celebration of Days:- ie International day for older persons पर रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित

की गयी है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा RoP- 2022-24 में निम्न निर्देश दिये गये है– "IEC activities & celebration of IDOP at all districts by conducting multispecialty camps (with provision of geriatrician, Orthopedic, Ophthalmology, ENT, Dental, Neuro & Phychiatry etc.) for comprehensive geriatric assesment for 15 days in the month of October at DH level. State has 10.2% population of elderly above 60 year of age"

- प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.102.IEC.1 Public Awareness & IEC for NPHCE पर रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु :–

- एफ0 एम0 आर0 कोड NCD.3.100.EQ Machinery & Equipments For CHC मद पर भारत सरकार द्वारा कुल 37 ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु धनराशि अनुमोदित की गई है, जहाँ पर फिज़ियो से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान की जा रही है, अतः रू0 0.50 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की धनराशि आवंटित की गयी है। उपकरणों का क्रय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	उपकरण
1	Nebulizer
2	Glucometer
3	Shortwave Diathermy
4	Cervical traction (intermittent)
5	Walking for gait training equipment
6	Walking Sticks/Calipers
7	Shoulder Wheel
8	Pulley
9	Walker (ordinary)
10	Cervical traction (manual)

7– मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायें।

8– National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2023 के पूर्व कर लिया जाये।

अन्य निर्देश–

9– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उक्त रिपोर्ट को राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें।

10– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

11– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0एच0सी0ई0 कार्यक्रम का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिपोर्ट (मासिक/त्रैमासिक) समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

4. राष्ट्रीय बधिरता बचाव व रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम (एन0पी0पी0सी0डी0) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में 56 जनपदों (आगरा, बॉदा, बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, बस्ती, आजमगढ़, बहराइच, बरेली, फैजाबाद, झॉसी, कानपुरनगर, मेरठ, मिर्जापुर, शाहजहॉपुर, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, इटावा, श्रावस्ती, देवरिया, रायबरेली, जौनपुर, मथुरा, हाथरस, बलिया, ललितपुर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, भदोही (सन्त रविदास नगर), सोनभद्र, बदायूँ, बागपत, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली, फरूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, गोंण्डा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, प्रतापगढ़ उन्नाव, मऊ एवं सीतापुर) में पूर्व की भॉति एवं 19 नये जनपदों (***एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कौशाम्बी, पीलीभीत, महोबा, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, सन्तकबीर नगर, महाराजगंज, औरय्या, हापुड़, शामली, सम्भल, अमरोहा एवं चित्रकूट***) में संचालित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त/अनुमोदित धनराशि का प्रयोग संगत एफ0एम0आर0कोड के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा जिसका विवरण निम्न है–

1. **FMR- HSS.9.184.C.S0555, HSS.9.184.C.S0620 तथा HSS.9.184.C.S0625** में जनपद स्तरीय संविदा कर्मियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 का मानदेय स्वीकृत है। कार्यक्रम से सम्बन्धित उपरोक्त सभी जनपदों के चयनित 01 जिला चिकित्सालय स्तर पर निम्नलिखित तीन संविदा कर्मी अनुमोदित हैं–

Audiologist, FMR- HSS.9.184.C.S0555 में आडियोलाजिस्ट– 01 पद प्रति जनपद 30,000 प्रति माह मानदेय पर।

Audiometric Assistant, FMR- HSS.9.184.C.S0620 में आडियोमीट्रिक असिस्टेंट –01 पद प्रति जनपद 15,000 प्रति माह मानदेय पर।

Instructor for Hearing Imapired Children, FMR- HSS.9.184.C.S0625 में इन्स्ट्रक्टर फार द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन–01 पद प्रति जनपद 15,000 प्रति माह मानदेय पर।

उपरोक्त तीनों पदों पर संविदा कर्मियों की भर्ती रिक्तियों के अनुसार राज्य स्तर से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा की जायेगी। पूर्व से कार्यरत उपरोक्त संविदा कर्मियों का मानदेय 01 वर्ष पूर्ण होने पर 5 प्रतिशत वृद्धि एवं नियमानुसार लोयल्टी बोनस के साथ भुगतान किया जायेगा।

2- **FMR- HSS.9.184.C.S0214**–वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर0ओ0पी0 में जनपद रामपुर में कार्यक्रम संचालन हेतु चयनित जिला चिकित्सालय में संविदा पर एक ई0एन0टी0 सर्जन 80,000 हजार रूपये प्रति माह के मानदेय पर अनुमोदित है। ई0एन0टी के पद पर भर्ती मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–179/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/वाक्–इन/2020–21/4106 दिनांक 16.10.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाना है। यह पद जिला चिकित्सालय पर नियमित ई0एन0टी0 सर्जन के नियुक्ति होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा।

3. जनपद स्तर पर सभी मानव संसाधन के मानदेय हेतु आवंटन किया गया है, किन्तु कार्यरत मानव संसाधन का मानदेय ही अवमुक्त किया जायेगा। शेष रिक्त पदों पर भर्ती होने के उपरान्त मानदेय अवमुक्त किया जायेगा।

4. Screening of Deafness (Infrastructure-Civil works (I&C), FMR- NCD.11.121.IC– कार्यक्रम संचालन हेतु जनपद–गौतमबुद्धनगर, कन्नौज, सीतापुर एवं कुशीनगर के चयनित 01 जिला चिकित्सालय में साउण्ड प्रूफ कक्ष निर्माण हेतु प्रति जनपद रू0 1.00 लाख अनुमोदित हैं। साउण्ड प्रूफ कक्ष के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने हेतु धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना है।

5. **Screening of Deafness (Equipment (Including Furniture, Excluding Computers)), FMR- NCD.11.121.EQ**– कार्यक्रम संचालन हेतु 19 नये जनपद (एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कौशाम्बी,

पीलीभीत, महोबा, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, सन्तकबीर नगर, महाराजगंज, औरय्या, हापुड़, शामली, सम्भल, अमरोहा एवं चित्रकूट) के चयनित 01 जिला चिकित्सालय के लिए उपकरण/औजारों के क्रय हेतु रू0 20.00 लाख एवं प्रति सीएचसी एवं पीएचसी किट क्रय हेतु रू0 20 हजार एवं जनपद कानपुर देहात के लिए रू0 27.80 लाख, मुरादाबाद के लिए रू0 04.00 लाख अनुमोदित हैं। जिला चिकित्सालय सम्वर्धन में उपकरण क्रय के अन्तर्गत एक इण्डिजिनस डिजिटल आडियोमीटर, दो माइक्रोड्रिल सेट, दो सेट माइक्रोसर्जरी औजार, एक सर्जिकल आपरेटिंग माइक्रोस्कोप, एक इम्पिडॉस आडियोमीटर और एक ओ0ए0ई0 एनालाइजर एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 किट का राज्य स्तर पर UPMSCL द्वारा नियमानुसार क्रय कर जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

सीएचसी किट हेतु आडियोमीटर का क्रय नही किया जाना है।

6. **Screening of Deafness (Capacity building incl. training), FMR- NCD.11.121.CB**– इस मद के अन्तर्गत कार्यक्रम से सम्बन्धित बजट फॉट के अनुरूप जनपदों में भारत सरकार की आपरेशनल गाइडलाईन के अनुसार जनपद के बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ का एक दिवसीय, स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी का दो दिवसीय, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाइजरों का एक दिवसीय, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट इत्यादि का एक दिवसीय और प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का एक दिवसीय सेन्सीटाइजेशन ट्रेनिंग अनुमोदित है। आपरेशनल गाइडलाईन के अनुसार अभी तक छूटे हुए प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया जाये। सम्बन्धित प्रशिक्षण माड्यूल संलग्न है। बाल रोग एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण जनपद के ई0एन0टी0 सर्जन द्वारा जिला चिकित्सालय में एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सुपरवाइजरों, ग्रास रूट लेवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाणी कार्यकर्ता, ट्रेन्ड बर्थ अटेन्डेन्ट, प्राइमरी स्कूल टीचर तथा बधिरता से ग्रसित बच्चों के अभिभावकों का सेन्सीटाइजेशन प्रशिक्षण स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

7. **Management of Deafness (IEC & Printing), FMR- NCD.11.122.IEC**- सम्बन्धित 75 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है, जो जनपद स्तर पर आई0ई0सी0/बी0सी0सी0 गतिविधि में भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाईन के अनुसार व्यय की जायेगी।

5. नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम

1. कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
2. मद सं0 **NCD 8** पर **Diagnostics/ Consumables** हेतु प्रति जनपद के जिला चिकित्सालयों में रू0 5.00 लाख की दर से समस्त जनपदों को धनराशि आवंटित की गई है। क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।
3. मद सं0 **NCD** 8 पर **Other Operating Cost/Equipment /Instrument** हेतु नये 39 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में रू0 7.00 लाख की दर से भारत सरकार स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NOHP के **Equipment /Instrument** क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गई है। क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करें।
4. जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला ओरल हेल्थ सेल/जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 द्वारा उक्त कार्यक्रम का संचालन किया जायेगा। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलता पूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of

NOHP में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

6. वर्ष 2022–23 में प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु एफ0एम0आर0 कोड–NCD 8 IEC पर रु0 5.00 लाख की धनराशि प्रचार–प्रसार सामग्री के मुद्रण के लिए आवंटित की गई है।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस तथ्य का विशेष ध्यान दिया जाये कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।
8. जिला स्वास्थ्य समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2023 के पूर्व कर लिया जाये।
9. जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा National Oral Health Programme का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. जनपदों द्वारा कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिर्पोट प्रति माह इस कार्यालय एवं महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Dental Lab की स्थापना हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों हेतु दिशा–निर्देश

1- मद सं0 **NCD 8** पर **Consumables** हेतु जिला चिकित्सालयों में रू0 5.00 लाख की दर से प्रदेश के मडलीय जनपदों को धनराशि आवंटित की गई है। क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

2- मद सं0 **NCD** 8 पर **Equipment** हेतु जिला चिकित्सालयों में रू0 15.00 लाख की दर से प्रदेश के मण्डलीय जनपद हेतु धनराशि आवंटित की गई है। क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

6. नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार स्तर से नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर कार्यक्रम पूर्व में संचालित 15 जनपद क्रमशः–रायबरेली, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर–खीरी, फैजाबाद, सुल्तानपुर इटावा, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, जालौन बहराइच, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं मथुरा में संचालन किये जाने के साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा निम्न 15 नये जनपदों में कार्यक्रम का संचालन कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है–

1–आगरा	2–प्रयागराज	3–बाराबंकी	4–बरेली
5–बस्ती	6–अम्बेडकरनगर	7–वाराणसी	8–गोरखपुर
9–बुलन्दशहर	10–आजमगढ़	11–गोण्डा	12–हरदोइ
13–मुरादाबाद	14–शाहजहांपुर	15–सीतापुर	

National Programme for Palliative Care (NPPC) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines of NPPC के अनुसार ही किया जायेगा।

1– जनपदों में कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा की जायेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।

2– जनपद में उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रशासनिक / वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines of NPPC में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार जिला–स्वास्थ्य–समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

4— वर्तमान समय में कोविड—19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर कोविड—19 माहमारी हेतु जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

NCD.9.119.IC–Non-Recurring (Renovation of PC unit /OPD/ beds/ miscellaneous equipments etc.)

उक्त मद में जिला चिकित्सालय (पुरूष) में Renovation of PC unit/OPD/beds/miscellaneous/ equipments हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से नये 15 जनपदों क्रमशः आगरा, प्रयागराज, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, अम्बेडकरनगर, वाराणसी, गोरखपुर, बुलन्दशहर, आजमगढ़, गोण्डा, हरदोई मुरादाबाद, शाहजहांपुर एवं सीतापुर हेतु आंवटित की गयी है, जिस हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश निम्नवत् है—

राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से जनपदीय चिकित्सालयों में पैलिऐटिव केयर वार्ड की स्थापना हेतु उपकरणों तथा वार्ड में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं सम्बन्धी सामग्री एवं व्यवस्था हेतु अनुमोदित सूची निम्नवत् है—

Sl. No.	Indicative list of Equipments
1	Ordinary fowlers beds
2	Regular mattresses
3	1-2/ward bed (to prevent pressure sores) or air mattresses
4	Couch for the caregivers
5	Side Table
6	Moveable green curtain
7	Bed Cardiac Trolley
8	Examination couch
9	Wheel Chair
10	Walker 01 or 02 number
11	Basic Gynae Examination setup
12	Basic ENT Examination setup
13	Nursing Station- Tables & Chairs
14	Oxygen pipe line
15	Dressing trolly
16	Commode chair
17	Medicine trolly
18	Oxygen concentrator
19	Oxygen cylinder with trolly
20	First aid kit including small cut open sets etc
21	Intravenous stands
22	Sphygmomanometer (B.P. Instrument)
23	Examination light
24	Torch (Battery Operated)
25	Suction Machine
26	Pulse oximeter
27	Television & Computer
28	Weighing Machine
29	Thermometer
30	Surgical Drums

जनपदों द्वारा 10 बेडेड पैलिऐटिव केयर वार्ड की स्थापना/सुदृढ़िकरण हेतु उपरोक्त उपकरणों/सामग्री का आवश्यकतानुसार क्रय किया जा सकता है।

पैलिऐटिव केयर वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति के दृष्टिगत् मरीजों हेतु उक्त वार्ड में चौड़े दरवाजे का स्नानघर एवं शौचालय की भी व्यवस्था की जाये, जिससे कि व्हीलचेयर के मरीजों को असुविधा का सामना न करना पड़े।

वार्ड के पास रोगियों के परिवार के सदस्यों हेतु 01 रसोईघर, स्नानघर एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था भी किया जाये।

NCD.9.119.CB–Training of PHC Medical officers, Nurse, Paramedical workers, & other Health Staff at State Level

उक्त मद में मेडिकल ऑफिसर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य हेल्थ वर्कर के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जनपद–लखनऊ को रू0 36.00 लाख की धनराशि आंवटित की गयी है। उक्त धनराशि को भविष्य में जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को स्थानान्तरित की जायेगी।

NCD.9.119.IEC.1–IEC for District:-

उक्त मद में प्रचार–प्रसार हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद की दर से कार्यक्रम से आच्छादित 30 जनपदों हेतु आंवटित की गयी है।

NCD.9.119.PME–Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication etc :-

उक्त मद में Misc. Travel / POL/ Stationery / Communication हेतु पुराने जनपदों–झांसी, ललितपुर एवं लखीमपुर–खीरी तथा 15 नये जनपदों क्रमशः 1–आगरा, 2–प्रयागराज, 3–बाराबंकी, 4–बरेली, 5–बस्ती, 6–अम्बेडकरनगर, 7–वाराणसी, 8–गोरखपुर, 9–बुलन्दशहर, 10–आजमगढ़, 11–गोण्डा, 12–हरदोई 13–मुरादाबाद, 14–शाहजहांपुर एवं 15–सीतापुर हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।

NCD.9.119.DS–Drugs for NPPC:-

उक्त मद में पुराने जनपदों में से जनपद झांसी, ललितपुर एवं लखीमपुर–खीरी तथा 15 नये जनपदों क्रमशः 1–आगरा, 2–प्रयागराज, 3–बाराबंकी, 4–बरेली, 5–बस्ती, 6–अम्बेडकरनगर, 7–वाराणसी, 8–गोरखपुर, 9–बुलन्दशहर, 10–आजमगढ़, 11–गोण्डा, 12–हरदोई 13–मुरादाबाद, 14–शाहजहांपुर एवं 15–सीतापुर हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गयी है, जिसके क्रम में पैलिऐटिव केयर के मरीजों को उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई गाइडलाइन के पृष्ठ सं0 07 के अनुसार Morphine, Codeine, Oxycodone, Hydrocodone, Fentanyl and their salts. औषधि अत्यंत आवश्यक है,

अन्य निर्देशः–

1. भारत सरकार स्तर से प्रदत्त ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये त्रैमासिक प्रारूप पर ससमय राज्य पैलिएटिव केयर सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 की ई–मेल–state.nodal.nppc@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
2. जिला नोडल अधिकारी कार्यक्रम के अर्न्तगत मदवार एवं गतिविधिवार आवंटित धनराशि का नियमानुसार प्रत्येक दशा में मार्च, 2023 तक शत–प्रतिशत व्यय कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला एन0सी0डी0सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0पी0सी0 कार्यक्रम का वित्तीय कार्य सम्पादित किया जायेगा।
4. (प्रत्येक जनपद में नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर (एन0पी0पी0सी0)हेतु एक ईमेल बनाने का कष्ट करें यथा–nppc (Name of District)@gmail) उदाहरण के लिए–nppcfaizabad@gmail.com
5. जिला एन0सी0डी0 सेल द्वारा प्रत्येक तिमाही प्रेषित की जाने वाली त्रैमासिक रिपोर्ट अगले माह की 05 तारीख को ई–मेल–state.nodal.nppc@gmail.comपर प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

7. राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रू0 **406.06** लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मदवार कुल रू0 **203.44** लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों को DHAP के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम (NIDDCP) प्रदेश के चिन्हित 24 एंडेमिक जनपदों (आगरा, अलीगढ, आजमगढ, बुलन्दशहर, बहराइच, बरेली, बस्ती, बिजनौर, देवरिया, अयोध्या, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, लखीमपुर–खीरी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, शाहजहॉपुर, रामपुर, सहारनपुर एवं पीलीभीत) में संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों को आयोडीन युक्त नमक का उपयोग, उसकी कमी से होने वाले दुष्परिणाम एवं आयोडीन की कमी दूर करने के उपाय के बारे में जागरूक करना है। इसी संदर्भ में प्रदेश के 24 एंडेमिक जनपदों में आशाओं द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना निर्धारित किया गया है एवं राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक–09/09/2022 को प्राप्त की जा चुकी है।

आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा ही नही वरन बहरापन, गूँगापन, मानसिक विकृतियाँ तथा अपंगता जैसी व्याधियाँ भी होती है, जिनका निदान सम्भव नही है। उपरोक्त विकृतियों के बचाव हेतु नमक का सार्वभौमिक आयोडीनीकरण (USI-Universal Salt Iodisation) सर्वाधिक व्यवहारिक, प्रभावी एवं सस्ता उपाय है। सार्वभौमिक आयोडीनीकरण 1986 से कुछ क्षेत्रों में शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा 15 मई, 2006 से आयोडीन रहित नमक की बिक्री एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गयी है।

उपभोक्ता स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा कम से कम 15 पी0पी0एम0 होना आवश्यक है, अतः प्रयोग किये जाने वाले नमक में आयोडीन की मात्रा की जॉच किया जाना अनिवार्य है। वर्ष 2022–23 में उक्त कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैः–

1–<u>आशा को अपने कार्य क्षेत्र में नमक की जॉच हेतु दिशा निर्देश</u>

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को समुदाय तक पहुँचाने एवं उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जागरूक करने में आशा की अहम भूमिका है।

- प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके द्वारा 50 घरों के नमक के नमूनों की जॉच की जायेगी, जिससे आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग हेतु जागरूकता एवं आयोडीनयुक्त नमक की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा सके। उक्त जाँचे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर, आँगनबाडी केन्द्र, स्कूल तथा घरों में उपयोग किये जाने वाले नमक में की जायेगी।
- प्रत्येक आशा को माह में कम से कम 50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच करना अनिवार्य है तथा उसके उपरान्त ही रू. 25.00 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा।
- उपकेन्द्रो/प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सम्बन्धित आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के द्वारा प्रतिमाह आशा द्वारा किये गये नमक की जाँच के नमूनों का सत्यापन करने के पश्चात ही आशाओं को भुगतान किया जायेगा।
- आशाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नमक के नमूनों की जॉच की मासिक रिपोर्ट उपकेन्द्र की आशा संगिनी/ए0एन0एम0 के माध्यम से प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिले के नोडल अधिकारी (आई0डी0डी0) को प्रेषित की जायेगी, जो संकलित रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगें।

2– आशाओं द्वारा नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच की विधि हेतु दिशा निर्देश

नमक में आयोडीन की मात्रा की जाँच ''साल्ट टेस्टिंग किट'' से होती है। इस किट का उपयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

- सर्वप्रथम एक से दो चम्मच नमक लेना है, जिसमें बडी सफेद रंग की शीशी से 1–2 बूँद टेस्ट घोल को मिलाना है।
- इसके उपरान्त नमक में उपलब्ध आयोडीन की मात्रा के अनुसार, नमक का रंग हल्का नीला से गहरा स्याही में परिवर्तित हो जायेगा।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट के अनुसार नमक के रंग की तुलना करते हुए उसमें उपलब्ध आयोडीन की मात्रा राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा प्राप्त कराये गये रिपोर्टिंग प्रारूप पर लिखें।
- न्यूनतम स्वीकार योग्य आयोडीन की मात्रा उत्पादक स्तर पर 30 पी0पी0एम0 एवं उपभोक्ता स्तर पर 15 पी0पी0एम0 होनी चाहिए।
- नमक अगर क्षारीय है या उसमें कोई क्षारीय केमिकल का मिश्रण है तो नमक में टेस्ट घोल को मिलाने के उपरान्त भी नमक के रंग में कोई भी परिवर्तन नही होगा, जबकि उस नमक में आयोडीन मिला हो सकता है। इस स्थिति में निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
- 1–2 चम्मच नमक लें, उसमें 1 बूँद अम्लीय द्रव (पुनः जाँच) घोल छोटी शीशी से मिलायें।
- 1–2 बूँद टेस्ट घोल (सफेद बडी शीशी) मिलायें।
- किट बाक्स पर उपलब्ध चार्ट से नमक के रंग में आये बदलाव की तुलना करें।

3– किट की आपूर्ति–FMR Code- RCH.8.62.DS (Old FMR- 6.2.1.7)

आशाओं को प्रतिमाह जनपदीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत नियुक्त नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नमक के नमूनों में आयोडीन की मात्रा की जाँच हेतु साल्ट टेस्टिंग किट (STK) उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक साल्ट टेस्टिंग किट से लगभग 100 नमक के नमूनों की जाँच हो सकती हैं। अतः प्रत्येक आशा को प्रतिमाह एक साल्ट टेस्टिंग किट दी जायेगी, जिससे कि कार्य बाधित न हो और ससमय नमक के नमूनों की जाँच करने के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जा सके। साल्ट टेस्टिंग किट (STK) की आपूर्ति राज्य स्तर से सम्बन्धित जनपदों को पूर्व वर्षो की भांति वर्ष 2022–23 में भी प्रबन्ध निदेशक–उ0प्र0, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेषन सूडाभवन, 7/23 सेक्टर–7 गोमती नगर एक्सटेन्शन, लखनऊ द्वारा साल्ट टेस्टिंग किट क्रय एवं वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

4– आशा प्रतिपूर्ति राशि – FMR Code- RCH.8.62.ASHA (Old FMR- 3.1.1.2)

आशा द्वारा किये जा रहे कार्यो के आधार पर उक्त अनुमोदित गतिविधि में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा। प्रतिपूर्ति राशियों के ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यो को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेगी तथा अपनी गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान करेंगी।

आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधि (नमक नमूनों का परीक्षण) के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में रू. 25.00 प्रतिमाह (50 घरों के नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी गतिविधि (नमक के नमूनों में आयोडीन की जाँच) का विवरण आशा पेमेण्ट वाउचर में अंकित (अन्य कालम)/अथवा इस हेतु चिन्हित कालम में किया जायेगा।

5–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- क्लस्टर बैठक में आशाओं को साल्ट टेस्टिंग किट से नमक के नमूनों की जाँच हेतु समस्त जानकारी दी जायेगी एवं जिन आशाओं द्वारा अच्छा कार्य किया जायेगा उनको प्रोत्साहित किया जायेगा।

- भ्रमण के दौरान ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा ए0एन0एम0 से आशाओं की नमक के नमूने की रिपोर्ट प्राप्त करके उनके द्वारा किये गये कार्य का समय–समय पर सत्यापन किया जायेगा।

6– प्रचार–प्रसार. FMR Code- RCH.8.62.IEC (Old FMR- 11.1.7)

प्रदेश के सम्बन्धित 24 एण्डेमिक जनपदो को रू0 25000.00 की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग ग्लोबल आई0डी0डी0 दिवस–21st October, 2022 पर अधिक से अधिक विभागों के अधिकारियों एव मीडिया प्रभारियों, एन0जी0ओ0 इत्यादि की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन करने हेतु किया जाय तथा जनपद के मुख्य समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरूकता बढाई जाय। इसके अतिरिक्त अन्य प्रचार–प्रसार सम्बन्धी कार्य भी इसी धनराशि से कराया जा सकते हैं।

7– Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) FMR- RCH.8.62.DI

नमक का नमूँना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे। जनपदो को नमक के नमूने भेजने हेतु रु0 500/प्रतिमाह/प्रति जनपद की दर से (6000/वर्ष) **Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)** धनराशि निर्गत की गई है।

8– प्रति माह जॉच हेतु नमक के नमूँने एकत्र कर कार्यालय अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 को भेजने हेतु दिशा–निर्देश :–

- सील बन्द प्लास्टिक के लिफाफे में नमक (पाउडर/बडगरा) के नमूनों को ग्रामीण एवं शहरी घरों एवं फुटकर विक्रेताओं से प्रतिमाह 50 नमूनों को एकत्रित कर संस्थान में जॉच हेतु प्रेषित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि जनपद के अधिकाश भागो से नमूने सम्मिलित कर लिये जायें।
- प्रत्येक नमक नमूने की मात्रा 100 ग्राम होनी चाहिए।
- एकत्र किये गये नमूनों में से 25 ग्रामीण क्षेत्र से, 15 शहरी क्षेत्र के घरों से, 07 ग्रामीण फुटकर विक्रेता से एवं 03 शहरी फुटकर विक्रेता से होने चाहिए।
- नमक नमूनों के लिफाफे को सीलन एवं धूप से दूर रखना आवश्यक है अन्यथा नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जायेगी।
- विवरण प्रपत्र से मिलान करते हुए ही नमक के नमूनों के लिफाफे पर नमक का ब्रान्ड एवं क्रम संख्या डालें।
- एकत्र किये गये नमक के नमूनों का विवरण, दिये गये प्रपत्र पर बिन्दुवार विस्तृत रूप से अंकित किया जाये।

- **जनपद का नाम ..... माह .....**

क्रम संख्या	नमूँना एकत्र करने वाले कर्मचारी का नाम व पदनाम	नमूँना एकत्र करने का दिनॉक	नमक के ब्रान्ड का नाम	ग्रामीण/शहरी		राशन वितरण केन्द्र का नाम व पता	नमक का प्रकार (पाउडर अथवा बडगरा)
				परिवार के मुखिया का नाम (यदि नमूँना घर से लिया गया हो)	फुटकर विक्रेता का नाम व पता		
01							

- नमक का नमूना एकत्र करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पत्र वाहक अथवा कोरियर से संस्थान में प्राप्त कराना सुनिश्चित करे।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।

- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियन्त्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8. राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रू0 **12969.40** लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मदवार मानव संसाधन मद में 04 माह का मानदेय रू0 **151.95 लाख** की धनराशि आवंटित की जा चुकी है एवं शेष मानव संसाधन मद में 08 माह का मानदेय सहित कार्यक्रम में कुल शेष रू0 **5117.67** लाख की धनराशि सम्बन्धित जनपदों को DHAP के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम में होने वाली निम्न गतिविधियों में होने वाले व्यय की दरों को निम्नानुसार अनुमोदित किया है जिनके अनुसार ही कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश निम्नवत् हैंः–

क्र0स0	Old FMR CODES	NEW FMR CODE	मद का नाम	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित दर प्रति इकाई (रूपयें में)
1-	15.4.2	NCD.1.88.OOC.1	Cataract Operations in NGO & PVT. sector.	Rs.2000/per oprt
2-	6.2.4.1	NCD.1.87.DI.1	Cataract Operations in Govt Sector	Rs.1000/per oprt
3-	15.4.3.1	NCD.1.89.OOC.1	Diabitic Retinopathy (1181 cases)	2000/per oprt
4-	15.4.3.2	NCD.1.89.OOC.2	Childhood Blindness (1173 cases)	2000/per oprt
5-	15.4.3.3	NCD.1.89.OOC.3	Glaucoma (1167 cases)	2000/per oprt
6-	15.4.3.4	NCD.1.89.OOC.4	Keratoplasty (352 cases)	7500/per oprt
7-	15.4.3.5	NCD.1.89.OOC.5	Vitreoretinal Surgeary (352 cases)	10000/per oprt
8-	2.3.3.2	NCD.1.93.EQ.1	Free Spectacles School Childrens	350/per Spec
9-	2.3.3.3	NCD.1.94.EQ.1	Free Spectacles to Old Persons in govt. hospitals	350/per Spec
10-	2.3.2.4	NCD.1.92.OOC	Cornea Collection by Eye Banks	2000/Pair of Cornea
11-	6.1.5.1	NCD.1.95.EQ.2	For New Vision Centre on PHC/CHC	100000/ Centre.

- राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/09/2022 को प्राप्त की जा चुकी है।
- FMR Code No– **NCD.1.88.OOC.1** (Old FMR- 15.4.2) में एन0जी0ओ0/प्राईवेट क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 2000/ऑपरेशन की दर से धनराशि का भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.87.DI.1** (Old FMR- 6.2.4.1) में राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु रू0 1000/ऑपरेशन की अधिकतम दर से आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्री का क्रय किया जाना है।

- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.1** (Old FMR-15.4.3.1) में Diabitic Retinopathy वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा हेतु चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.2** (Old FMR-15.4.3.2) में Childhood Blindness होने वाले नेत्र रोगो के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जानाहै।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.3** (Old FMR-15.4.3.3) में Glaucoma के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्सालयों को रू0 2000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.4** (Old FMR-15.4.3.4) में Keratoplasty के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालय कों रू0 7500.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.89.OOC.5** (Old FMR-15.4.3.5) में Vitreoretinal Surgery के ऑपरेशन की चिकित्सा एवं इलाज की सुविधा चुने हुए एन0जी0ओं0/प्राईवेट चिकित्सालयों रू0 10,000.00 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.93.EQ.1** (Old FMR-2.3.3.2) में स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 350.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि समस्त जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में आवंटित की जा रही है जिसके अन्तर्गत एन0पी0सी0बी0 एण्ड वी0आई0 एवं आर0बी0एस0के0 के समस्त आयुवर्ग के बच्चों को चश्मा वितरित करने हेतु धनराशि उपलब्ध है।
- FMR Code- **NCD.1.94.EQ.1** (Old FMR-2.3.3.3) में राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (रिफ्रैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण रू0 350/चश्में प्रति लाभार्थी की दर से आवंटित की जा रही हैं।
- FMR Code- **NCD.1.92.OOC** (Old FMR-2.3.2.4) में नेत्र बैंको द्वारा कॉर्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000.00 प्रति जोड़ी की दर से किया जाना है।
- FMR Code- **NCD.1.95.EQ.2** (Old FMR-6.1.5.1) में प्रदेश के 75 जनपदों में विज़न सेन्टरों पर उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, नियमानुसार उपकरणों का क्रय किया जाना है।
- FMR Code- **HSS.9.184.C.S02** (Old FMR-8.1.3.5) में जनपदों में नेत्र शल्यकों हेतु कार्यरत पदों पर 12 माह का मानदेय देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं नवीन पदों पर रू0 66000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा।
- FMR Code- **HSS.9.184.C.S0610** (Old FMR-8.1.13.16) जनपदों में कार्यरत Ophth Assistant हेतु कार्यरत पदों पर 12 माह का मानदेय देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं रिक्त पदों पर रू0 12000.00 प्रतिमाह की दर से 6 माह मानदेय प्रदान किया जायेगा।
- **FMR Code- HSS.9.184.C.S0520** (Old FMR-8.1.13.1) में जनपदों में कार्यरत ग्रीफ काउंसलर हेतु कार्यरत पदों पर 12 माह का मानदेय देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है एवं नवीन पदों पर रू0 15000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय प्रदान किया जायेगा।
- **FMR Code - HSS.9.184.C.P360** (Old FMR-16.4.3.1.9) में 54 जनपदों में कार्यरत संविदा डाटा इंट्री आपरेटर हेतु कार्यरत पदों पर 12 माह का मानदेय देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है। प्रदेश के शेष 21 जनपदों के आउटसोर्स एजेंसी डाटा इंट्री आपरेटर को अनुमन्य मानदेय में जी0एस0टी0, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य कर देय होगा यदि किसी जनपद में संविदा/एजेंसी डेटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा पद रिक्त हुआ है तो जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी से नियमतः डेटा ऑपरेटर की सेवा प्राप्त की जायेगी।

- **FMR Code- NCD.1.96.PME.1** (Old FMR-16.1.5.3.16) में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्यालय व्यय (स्टेशनरी, कन्ज्यूमेटिल्स, टेलीफोन एवं इन्टरनेट रेन्ट, कन्ज्यूमेबिल्स, कन्टिन्जेन्सी, मीटिग, बैठक व अन्य कार्यालय व्यय, आदि) हेतु रू0 100000.00 तक की धनराशि वर्ष 2022–23 में प्रति जनपद व्यय किया जाना है।
- **NCD.1.96. IEC - IEC of EDF, WSD,World Glaucoma day @ Rs 1.00 lacs for district- के अन्तर्गत जनपदों द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पक्की वॉल राईटिग जिला चिकित्सालय, पुरूष/महिला, मुख्य चिकित्साधिकारी– प्रांगण, जिलाधिकारी कार्यालय–प्रांगण, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय–प्रांगण एवं सम्बन्धित आई0एल0ओ0 नेत्र चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने वाले सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमानुसार वॉल राईटिग करायी जायेगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में निम्नवत् दिवसों में बैठक आयोजन में धनराशि नियमतः व्यय की जायेगी–**

जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैंः–

- नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
- विश्व दृष्टि दिवस (अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
- विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय, इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि जनपद स्तर के लिए अनुमोदित नही की गई है। धनराशि प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिसको भारत सरकार द्वारा दिशा–निदेर्शो को **npcbvi.gov.in** से अपलोड किया जा सकता है, जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

- **NCD.1.93.EQ.2 SES Liabilities from FY 2019-20 to 2020-21- में उपरोक्त तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों हेतु चश्मों के मद में रू0 350.00 की दर से लम्बित धनराशि मद में जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है अतः सम्बन्धित जनपदों द्वारा लम्बित मद में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर वित्तीय नियमों के दृष्टिगत धनराशि व्यय शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।**
- **NCD.1.94.EQ.2 - Old Age Spectacles Liabilities from FY 2020-21- में उपरोक्त तालिकानुसार सम्बन्धित जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धों हेतु चश्मों के मद में रू0 350.00 की दर से लम्बित धनराशि मद में जनपदों को धनराशि आवंटित की गयी है अतः सम्बन्धित जनपदों द्वारा लम्बित मद में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर वित्तीय नियमों के दृष्टिगत धनराशि व्यय शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।**
- **NCD.1.96.CB Liability for Trachoma of Districts 2019-20- प्रदेश में जनपद मेरठ, फर्रूखाबाद एवं बरेली हेतु लम्बित भुगतान मद में Trachome Training मद में अनुमन्य धनराशि सम्बन्धित जनपदों द्वारा लम्बित मद में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर वित्तीय नियमों के दृष्टिगत धनराशि व्यय शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।**
- **NCD.1.96.PME.2 Liability for Office Expences of Districts 2019-20- प्रदेश में जनपद प्रतापगढ़ हेतु लम्बित भुगतान मद में कार्यालय व्यय मद में अनुमन्य धनराशि लम्बित मद में पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर वित्तीय नियमों के दृष्टिगत धनराशि व्यय शत–प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।**

मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र – FMR Code- NCD.1.87.DI.1 (Old FMR-6.2.4.1) **एवं स्वैच्छिक संस्था– FMR Code- NCD.1.88.OOC.1** (Old FMR-15.4.2)

- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान प्रक्रिया के लिए अग्रसारित किया जाये।

- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर दो वर्ष हेतु हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 45 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, इसके उपरान्त कोई भी दावा भुगतान योग्य नही माना जायेगा तथा देर से प्राप्त बिल भुगतान हेतु अनुमन्य नही होंगें। भुगतान से पूर्व 5 प्रतिशत केसों का जनपद स्तर से भौतिक सत्यापन कराये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नही किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यक्रिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशन सरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय के मानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 20 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 20 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 60 प्रतिशत स्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद द्वारा उपरोक्त अनुपात मंद परिवर्तन नहीं कर सकते है, यदि जनपद द्वारा मंद परिवर्तन पाया जाने कि स्थिति में उसे वित्तीय अनियमियता की श्रेणी में माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जनपद की होगी।

मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा– FMR Code-NCD.1.89.OOC.1 (Old FMR-15.4.3.1) **से NCD.1.89.OOC.5** (Old FMR-15.4.3.5) **तक**

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2022–23 हेतु रोगानुसार प्राप्त लक्ष्यों को प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का इलाज सम्भव हो उन्हें स्वीकृत धनरशि नियमतः आवंटित किया जा रहा है।

- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।

  उपरोक्त रोगो के इलाज में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- मोतियाबिन्द हेतु स्क्रीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिश्चित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंग किये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।
- उक्त के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा–निदेर्शो को **npcbvi.gov.in** पर अपलोड किया जाता है, तो उनका शत–प्रतिशत अनुपालन जनपद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण FMR Code- NCD.1.93.EQ.1 (Old FMR- 2.3.3.2)

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के (ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 1–19 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 350.00 की अधिकतम धनराशि प्राविधानित की गई है।
- सभी स्कूलों की दो–दो अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर (जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चे के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्र परीक्षणोपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा कार्ड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक नेत्र दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- बच्चों एवं बुजुर्गो को प्रदान किये जाने वाले चश्मों की अधिकतम स्वीकृति रू0 350 की सीमा के भीतर क्रय हेतु नियमतः टेन्डर कराया जाय, जिससे कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में बच्चों एवं बुजुर्गो के चश्मो का लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि जनपद स्तर से शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।
- स्कूली बच्चों को उपर्युक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्र शल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

- सी0एच0ओ0 द्वारा, बी0एस0डब्ल्यू, हेल्थ सुपरवाइजर एवं आशा बहुओं द्वारा फिगर काउटिग के माध्यम से नेत्र रोगियों को प्राथमिक रूप से चिन्हित करते हुये सूची बनाकर ब्लाक स्वास्थ्य इकाई पर संदर्भित किया जायेगा तद्उपरान्त ब्लाक स्वास्थ्य इकाई पर राजकीय नेत्र सहायक, संविदा नेत्र सहायक एवं प्रत्येक शनिवार को आर0बी0एस0के0 में तैनात नेत्र सहायकों का भी सहयोग प्राप्त करते कर्न्फममेट्री नेत्र परीक्षण करते हुये मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु लाभार्थी एवं चश्मा लाभार्थियों को चिन्हित कर नेत्र चिकित्सा सेवा प्रदान की जायेगी।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/नोडल, नेत्र द्वारा प्रत्येक ब्लाक इकाई पर मानकों के अनुसार ब्लाईड रजिस्टर पर समस्त सूचनायें अंकित की जायेगी साथ ही साथ राजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों में मोतियाबिन्द ऑपरेशन की नेत्र सुविधा एवं प्रगति रिपोर्ट को मानकों के अनुसार सम्पादित कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/नोडल, नेत्र द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियेत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत डेटा ऑपरेटर के सहयोग से HMIS पोर्टल पर राजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों द्वारा सम्पादित मोतियाबिन्द ऑपरेशन की प्रगति रिपोर्ट का प्रबन्धन प्रतिमाह मॉनिटर किया जायेगा।
- राजकीय, एन0जी0ओ0 एवं प्राईवेट चिकित्सालयों द्वारा सम्पादित समस्त मोतियाबिन्द ऑपरेशनों को HMIS पोर्टल पर शत–प्रतिशत प्रगति सूचना प्रतिमाह अंकित की जायेगी।

राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग (निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण– FMR Code- NCD.1.94.EQ.1 (Old FMR- 2.3.3.3)

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृष्टिदोष से ग्रसित 45 वर्ष आयु से अधिक के मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी वर्ष 2022–23 में 1 लाख चश्में रू 350.00 प्रति चश्मे की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है। उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्र शल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिर्पोट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्ट FMR Code- NCD.1.92.OOC (Old FMR- 2.3.2.4)

जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000.00 प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्र बैक द्वारा रू0 1000.00 प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

प्रदेश के जनपदों में प्रति जनपद एक विज़न सेन्टर्स की स्थापना

- वित्तीय वर्ष 2022–23 प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक चयनित विजन सेंटर को गुणवत्ता एवं प्रभावी संचालन के लिये सम्बन्धित व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् उपकरणों के नियमतः क्रय कर विजन सेन्टर को क्रियान्वित किया जायेगा।
- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- नेत्र उपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष प्रति जनपद 01 नवीन विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का

चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति को अधिकृत किया जाता हैं।

- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000.00 की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार निम्न तालिका में प्रदर्शित किट क्रय की जानी है।

Equipment/Furnishing					
1	**Tonometers(Schiotz)**	4	**Trail Lens Sets with Trail Frames**	7	**Furnishing & Fixtures**
2	**Direct Ophthalmoscope**	5	**Snellen & Near Vison Charts**	8	**Slit Lamp**
3	**Illuminated Vision Testing Drum**	6	**Battery Operated Torch(2)**	9	**EPilation Forceps Xylocaine Eye Drops 4%**
Maximum Assistance = Rs. 100000					

- उपरोक्त सामग्री का क्रय एन0एच0एम0 के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाये।

मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आवंटित धनराशि का प्रयोग

राजकीय क्षेत्र में कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रख–रखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो www.npcbvi.gov.in and mohfw.nic.in के अनुसार देय होगें। सभी जनपदों से यह अपेक्षा की जाती है कि नेट पर उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध भारत सरकार की नई गाईड लाईन की प्रति डाउनलोड कर कार्यालय में रखें तथा कार्यक्रम की अनुमोदित मदों एवं दरों के अनुसार ही संचालन सुनिश्चित करायें।

- राजकीय क्षेत्र में होने वाले आपरेशनों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों का क्रय उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी नवीनतम क्रय नियमों तथा भारत सरकार की उक्त वेबसाईट पर जारी गाईड लाईन में उल्लिखित क्रय प्रक्रिया के अनुसार कर चिकित्सालयों को समय से उपलब्ध करा दिये जायें, ताकि आपरेशनों के समय चिकित्सालयों में प्रयोग होने वाली सामग्री (कल्ज्यूमेबिल्स, लेन्स, दवायें, माईनर उपकरण/औज़ार का क्रय एवं अन्य कन्ज्यूमेबिल्स) की कमी के कारण चिकित्सालयों में नेत्रशल्यकों/मरीजों को परेशानी न हो।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद में पूर्व से कार्यरत संविदा चिकित्सक, पैरा मैडिकल एवं डी0ई0ओ0 को वर्ष 2022–23 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं ई0पी0एफ0 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष राज्य स्तर पर उपलब्ध धनराशि की लॉयलिटी बोनस के सम्बन्ध में मानव संसाधन इकाई, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित संविदाकर्मी को मानदेय सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता एवं दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि की सीमा तक जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, अंधता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा वित्तीय नियमों को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय/भुगतान किया जायेगा।उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

9. राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2022–23 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रू0 **11941397.00** की धनराशि अनुमोदित की गई है तद्क्रम में जनपदवार व मदवार मानव संसाधन मद में 04 माह का मानदेय रू0 **2419332.00** की धनराशि आवंटित की जा चुकी है एवं शेष मानव संसाधन मद में 08 माह का मानदेय सहित कार्यक्रम में कुल शेष रू0 **9522065.00** की धनराशि सम्बन्धित जनपदों को DHAP के माध्यम से आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम जन सामान्य से जुड़ी एक समस्या है जो फ्लोराइड तत्व की सामान्य (1पी0पी0एम0) से अधिक मात्रा में शरीर में लगातार प्रवेश करने से होती है। फ्लोराइड तत्व पीने के पानी, खाद्य पदार्थों कारखानों से निकले दूषित पदार्थों इत्यादि के लम्बे समय तक सेवन के कारण शरीर में प्रवेश कर दाँतो, हड्डियों एवं अन्य अंगो को प्रभावित कर विकृति उत्पन्न करता है, जो आगे चल कर अपरिवर्तनीय स्थाई अपंगता के रूप में विकसित होता है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्ष 2016–17 में सम्मिलित किया गया है। जनपद **प्रतापगढ, उन्नाव, मथुरा, फिरोजाबाद, रायबरेली** में यह कार्यक्रम वर्ष 2009–2010 से चलाया जा रहा है। वर्ष 2017–2018 में इस कार्यक्रम का पाँच अतिरिक्त जनपदों **आगरा, सोनभद्र, झाँसी, वाराणसी, गाजीपुर** में भी विस्तार किया गया है। इस कार्यक्रम के वर्ष 2022–23 में संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियां कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 09/09/2022 को प्राप्त की जा चुकी है।

1–जनपद में फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र की स्थापना

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद स्तर पर पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा नोडल अधिकारी के साथ बैठक कर चिकित्सालय में फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम हेतु एक कक्ष चिन्हित करेंगे। जिसके बाहर फ्लोरोसिस उपचार केन्द्र नाम का एक बोर्ड लगाया जायेगा तथा फ्लोरोसिस से सम्बन्धित समस्त जानकारियों को पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सालय में तैनात एक फिजीशियन/बालरोग चिकित्सक को राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चिकित्सा प्रभारी नामित किया जायेगा।

ii. नवीन जनपदों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सालय में स्थान चिन्हित कर लें एवं प्रयोगशाला स्थापित कर के राज्य स्तर पर सूचित करें।

iii. प्रभारी चिकित्सक इस कार्यक्रम का अलग से एक ओ0पी0डी0 रजिस्टर रखेंगे तथा सभी सम्भावित फ्लोरोसिस प्रभावितों को पुष्टि हेतु मूत्र जाँच के लिए लैब में भेजेंगे।

iv. प्रयोगशाला में संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन द्वारा फ्लोरोसिस प्रभावितों के मूत्र नमूनों तथा क्षेत्र से प्राप्त जल नमूनों की जाँच आयनमीटर से की जायेगी।

v. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रभावितों को आवश्यक उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जायेगी।

vi. सभी प्रभावितों की मासिक रिपोर्ट "फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम" के परामर्शदाता तथा लैब टेक्नीशियन के सहयोग से चिकित्सालय से प्राप्त कर नोडल चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र पर राज्य स्तर पर अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेंगे।

2–प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की स्क्रीनिंग

i. मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी के माध्यम से समस्त अधीक्षक/एम0ओ0आई0सी0 के साथ एक बैठक आहूत कर उन्हें अपने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची (ए0एन0एम0 के क्षेत्रवार) बैठक में लाने के निर्देश देगें तथा इस कार्यक्रम के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगें।

ii. प्रत्येक ब्लाक पर कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/एच0वी0 को कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूली बच्चों की स्क्रीनिंग व आई0ई0सी0 का प्रभारी बनाया जायेगा। यह जिला परामर्शदाता के साथ मिलकर अपने ब्लाक के 10 प्राथमिक पाठशाला प्रतिमाह के दर से रोस्टर बनायेंगें। प्रत्येक तीन माह के इस रोस्टर को सभी ब्लाकों से प्राप्त कर जिला नोडल अधिकारी को प्राप्त कराना जिला परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा।

iii. तीन माह का यह रोस्टर सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिससे वह आशा आदि को पूर्व से सूचित कर स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था करवा सके। एक माह में यथा सम्भव 10 अलग–अलग ए0एन0एम0 के क्षेत्रों के स्कूल आच्छादित किये जायें।

iv. प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 100 बच्चों की फ्लोरोसिस के लक्षणों हेतु जाँच की जायेगी, जिसके रिकार्ड के लिये रजिस्टर बनाया जायेगा। प्रभावित बच्चों को जिला पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय पर उपचार हेतु संदर्भित किया जायेगा।

v. जिस स्कूल में टीम स्क्रीनिंग करेगी उसी क्षेत्र के न्यूनतम 4 हैण्डपम्प से पानी के नमूने भी एकत्र कर निर्धारित प्रारूप पर जनपद पर स्थापित लैब में भिजवाये जायेगें।

vi. ब्लाक के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, ए0एन0एम0 तथा एच0वी0 से निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कर माह की 25 तारीख तक परामर्शदाता को प्राप्त करायेगें जिससे परामर्शदाता सभी ब्लाकों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर माह की 30 तारीख तक नोडल अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ को ई–मेल (adshi1972@gmail.com) पर प्रेषित करेगें। इसी प्रकार NPPCF उपचार केन्द्र की उपलब्धि की रिपोर्ट भी परामर्शदाता एकत्रित करेगे एवं प्रतिमाह संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर भरकर त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेगे।

3–जल निगम से समन्वय

जिला नोडल अधिकारी तथा जिला परामर्शदाता जलनिगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर ब्लाकवार/ग्राम सभावार क्षेत्र के सभी हैण्ड पम्पों के विषय में सूचना एकत्र करेगें एवं फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था हेतु की जाने वाली कार्यवाही की अद्यतन जानकारी लेगें तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह राज्य स्वास्थ्य संस्थान को प्रेषित करेगें।

4–वित्तीय स्वीकृतियाँ

i. **मानव संसाधन–** जनपदीय परामर्शदाता एवं लैब टेक्नीशियन के कार्यरत पदों पर 12 माह का मानदेय देय 05 प्रतिशत मानदेय वृद्धि एवं देय लॉयलिटी बोनस सहित धनराशि आवंटित की गयी है।

ii. **Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) FMR code- NCD.10.120.DI** (Old FMR- 1.3.2.3) - प्रति जनपद रू0 0.50 लाख की दर से रू0 5.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

iii. **Drugs -Budget for Procurement done by States FMR code- NCD.10.120.DS** (Old FMR- 1.1.6.4) - प्रति जनपद रू0 1.00 लाख की दर से रू0 10.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा आवंटित की जा चुकी है। जिसे दंत चिकित्सा, विकृत हड्डियों के सुधारात्मक उपचार हेतु औषधि प्रदान करने तथा पुनर्वास इत्यादि पर व्यय किया जा सकेगा।

iv. **समन्वय बैठक (Coordination meeting at district level) FMR code- NCD.10.120.PME** (Old FMR- 16.1.2.1.12) के अन्तर्गत प्रति जनपद रू0 40,000.00 की दर से रू0 4.00 लाख की धनराशि एन0एच0एम0 द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

v. **प्रचार प्रसार (IEC & Printing)– FMR code- NCD.10.120.IEC** (Old FMR- 11.4.11) भारत सरकार द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु प्रति जनपद रू0 2.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गई है तद्सम्बन्ध में आई0ई0सी0 हेतु होडिग, वॉल राईटिग, पम्पप्लेट, बुकलेट, रैली आदि में मानकोनुसार प्रचार–प्रसार मद हेतु नियमतः व्यय किया जायेगा।

5–प्रशिक्षण

जनपदों में परामर्शदाता एवं एल0टी0 की नियुक्ति होते ही राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0, लखनऊ को सूचित करें जिससे भारत सरकार द्वारा NIN Hyderabad में उनका प्रशिक्षण कराया जा सके। फ्लोरोसिस प्रभावितों का इलाज कठिन है, अतः रोकथाम ही सर्वोपरि है। उसके लिये क्षेत्र में प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार विज्ञापन दिये जायें एंव ग्राम सभाओं में वॉल पेंटिंग के माध्यम से अपील करें कि वे अपने गाँव में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिये गम्भीर प्रयास करें।

जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

पूर्व से कार्यरत संविदा परामर्शदाता एवं एल0टी0 को वित्तीय वर्ष 2022–23 में 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि को सम्मिलित करते हुये कुल मानदेय धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है एवं लॉयल्टी बोनस के सम्बन्ध में मानव संसाधन अनुभाग, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मियों को लॉयल्टी बोनस का भुगतान नियमानुसार किया जाय।

वित्तीय प्रबन्धन

- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- किसी भी कर्मी को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासना देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में DHAP के सापेक्ष वित्तीय आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अनुरूप FAMS के माध्यम से राष्ट्रीय फ्लोरोसिस बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

10.ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड डिसआर्डर प्रबन्धन कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश में ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम संचालन हेतु डैप के माध्यम से जनपदों को आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निम्नवत है–

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.DI–**के अन्तर्गत
  1. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में रक्तकेन्द्र जे0एल0एन0 मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़, तथा के0जी0एम0यू, लखनऊ में पूर्व से स्थापित केमील्यूमिसेंन्स उपकरण तथा जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ एवं प्रयागराज, आर0एम0एल0 चिकित्सा संस्थान, लखनऊ को प्रदत्त करायी जा रही केमील्यूमिसेंन्स उपकरण के द्वारा परीक्षण हेतु प्रति रक्त यूनिट रू0 250 मात्र की दर से आवंटन किया जा रहा है।
  2. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में परिधिगत इकाईयों में संचालित समस्त रक्तकेन्द्रों को विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग किट्स एव ब्लड बैग्स की उपलब्धता हेतु रू0 424.27 लाख की धनराशि साथ ही के0जी0एम0यू, लखनऊ को टेस्टिंग पैड हेतु रू0 150.27 लाख की धनराशि कुल रू0 574. 27 लाख मात्र आवंटन किया जा रहा है। जिसका उपयोग किसी अन्य श्रोत (राज्य स्तर अथवा भारत सरकार) द्वारा टेस्टिंग किट्स एव ब्लड बैग्स की उपलब्धता न कराये जाने अथवा आवश्यकता की दशा में रक्तकेन्द्रों द्वारा उपयोगित किया जायेगा।
- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.OOC1–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में थैलेसीमिया प्रबन्धन हेतु निम्न तालिकानुसार 17 केन्द्रों को रू0 1000.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है–

S.N.	Name of Districts	Name of Medical College	No. of Patient registered	Establishment of Day Care	Manpower support under day care centre (Remuneration)	Budget for Iron chelation	Budget for Leukofilteration	Budget for investigation	Contingency	Total Budget to center
1	Agra	Agra Medical College	70	0	0	1680000	2100000	210000	50000	4040000
2	Allahabad	Allahabad Medical College	50	0	0	1200000	1500000	150000	50000	2900000
3	Aligarh	JLN Medical College	100	0	672000	2400000	3000000	300000	50000	6422000
4	Bareilly	District Hospital	160	0	0	3840000	4800000	286000	50000	8976000
5	Gorakhpur	Gorakhpur Medical College	50	0	672000	1200000	1500000	150000	50000	3572000
6	Kanpur	GSVM Kanpur	76	0	672000	1824000	2280000	228000	50000	5054000
7	Lucknow	Lucknow KGMU*	150	0	672000	3600000	4500000	450000	50000	9272000
8		Lucknow SGPGIMS*	400	0	672000	9600000	12000000	1200000	50000	23522000
9		RMLIMS, Lucknow	50	250000	672000	1200000	1500000	150000	50000	3822000
10	Meerut	LLRM Meerut Medical College	70	0	672000	1680000	2100000	210000	50000	4712000
11	Varanasi	Varanasi Medical College	141	0	672000	3384000	4230000	423000	50000	8759000
12	Jhansi	MLB Medical College	30	0	0	720000	900000	90000	50000	1760000
13	GB Nagar	Superspeciality pediatric Institute, NOIDA	100	0	672000	2400000	3000000	300000	50000	6422000
14		GMIC, GB Nagar	31	250000	0	744000	930000	93000	50000	2067000
15	Bulandsahar	District Hospital	30	0	0	720000	900000	90000	50000	1760000
16	Saharanpur	District Hospital	70	0	0	1680000	2100000	210000	50000	4040000
17	Azamgarh	District Hospital	50	0	0	1200000	1500000	150000	50000	2900000
Total			**1628**	**500000**	**6048000**	**39072000**	**48840000**	**4690000**	**850000**	**100000000**

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.154.OOC2**– के अन्तर्गत
  1. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हीमोफीलिया प्रबन्धन हेतु नोडल संस्थान हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को संचालन के दैनिक कार्यालय व्यय एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
  2. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में प्रदेश में Hemophilia Strenthening in UP के क्रियान्वयन हेतु रू0 51.36 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है।
  3. भारत सरकार द्वारा बजट की स्वीकृति के क्रम में हिमैटोलॉजी विभाग एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के द्वारा एन0एच0एम0 पोषित दो परियोजनाओं Strategies towards Early Diagnosis एवं Improving Treatment Adherence in Thalassemia हेतु क्रमशः रू0 7.90 लाख एवं रू0 7.65 लाख का आवंटन किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संस्थान से उक्त दोनो परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की त्रैमासिक आख्या अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुए स्टेट ब्लड सेल, एस0पी0एम0यू0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.154.IEC**– के अन्तर्गत
  1. प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहन, रक्तकेन्द्र से सम्बन्धित आई0ई0सी0/रक्तकेन्द्र हेतु आवश्यक अभिलेखों का निर्माण एवं रक्तदान से सम्बन्धित विशेष दिवसों (14 जून, 01 अक्टूबर आदि) के अन्तर्गत विभिन्न प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 25,000/– की दर से कुल रू0 25.00 लाख मात्र का आवंटन किया गया है।
  2. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को ब्लड डिसआर्डर (हीमोफीलिया तथा हिमोग्लोबीनोपैथी) के सम्बन्ध में जनमानस को जागरूक करने तथा सम्बन्धित विशेष दिवसों (17 अप्रैल, 08 मई) के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 20,000/– की दर से कुल रू0 15.20 लाख मात्र का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.155.OOC– (राजकीय चिकित्सालयों/ चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त एवं रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता हेतु)– उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 09** के अन्तर्गत प्रदेश के 71 जनपदों के राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान में संचालित 98 रक्तकेन्द्रों को राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों को रक्त/रक्त अवयव की निःशुल्क उपलब्धता कराने हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज के सापेक्ष प्रति यूनिट की दर से प्रतिपूर्ति धनराशि (Free Blood Compensation amount) आवंटित की जा रही है, जोकि रक्तकेन्द्र द्वारा मरीजों को निर्गत की जाने वाली रक्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटित है। निजी/चैरिटेबल चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को निर्गत होने वाली रक्त यूनिटों पर राजकीय दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रोसेसिंग चार्जेज लागू होंगे। **किसी भी दशा में राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीजों से प्रोसेसिंग चार्ज न लिया जाय।**

  उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग Processing/User charges के उपयोग हेतु पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप रक्तकेन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु यथा उपकरण के रख–रखाव, आवश्यकतानुसार किट/ब्लड बैग/रिएजेन्ट/कन्ज्यूमेबल/हिमोग्लोबीन एस्टीमेशन किट व पैड आदि की उपलब्धता, रक्तकेन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक दैनिक आवश्यकता की उपलब्धता हेतु रेकरिंग के रूप (रक्तकेन्द्र एवं बी0सी0टी0वी0 में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति) में तथा Hospital transfusion Committee या रक्तकेन्द्र हेतु चिकित्सालय स्तर पर गठित समकक्ष समिति से अनुमोदन प्राप्त कर रक्तकेन्द्र के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.DI**– के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चिन्हित 25 केन्दों के0जी0एम0यू0, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ, आर0एम0एल0 चि0 लखनऊ, डॉ एस0पी0एम0 चि0 लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, एम0एल0एन0 चि0 संस्थान, प्रयागराज, एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चि0 संस्थान,

झांसी, ए0एम0यू0 अलीगढ, जी0एस0वी0एम0, कानपुर, यू0एच0एम0 चि0 कानपुर, एस0एन0 चि0 संस्थान आगरा, पी0एल0शर्मा चि0 मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चि0 संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चि0, इटावा, चि0 संस्थान, फिरोज़ाबाद, जिला चि0 मथुरा, जिला चिकित्सालय बरेली, जि0 चि0 गोरखपुर, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, वाराणसी, पं0 डी0डी0यू0 चि0, वाराणसी, ट्रामा सेन्टर बी0एच0यू0 वाराणसी एवं आई0एम0एस0,बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित रक्तकेन्द्र के रक्त यूनिटों की एडवान्स प्री ट्रॉन्सफ्यूजन टेस्टिंग निम्नानुसार की जानी है–

पूर्व की भांति रक्तकेन्द्र जी0एस0वी0एम0, कानपुर यू0एच0एम0 चि0 कानपुर, एस0एन0 चि0 संस्थान आगरा, एस0एस0पी0एच0 एन्ड पी0जी0टी0आई0, जी0बी0 नगर, एम0एल0बी0 चि0 संस्थान, झांसी, पी0एल0शर्मा चि0 मेरठ, एल0एल0आर0एम0 चि0 संस्थान, मेरठ, रिम्स आर सैफई, इटावा, जिला चि0, इटावा, चि0 संस्थान, फिरोज़ाबाद, जिला चि0 मथुरा तथा जिला चिकित्सालय बरेली के रक्त यूनिटों का परीक्षण ए0एम0यू0 अलीगढ़ में स्थापित उपकरण के माध्यम से किया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त रक्तकेन्द्र डॉ एस0पी0एम0 चि0 लखनऊ रक्तकेन्द्र के रक्त यूनिटों का परीक्षण के0जी0एम0यू0, लखनऊ में स्थापित उपकरण से किया जाना है तथा एम0एल0एन0 चि0 संस्थान, प्रयागराज, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय, वाराणसी तथा पं0 डी0डी0यू0 चि0, वाराणसी के रक्त यूनिटों का परीक्षण आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी में स्थापित उपकरण से किया जाना है। रक्तकेन्द्र जि0 चि0 गोरखपुर, बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के रक्त यूनिटों का परीक्षण आर0एम0एल0आई0एम0एस0 चि0 लखनऊ में स्थापित उपकरण के माध्यम से किया जाना है। एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के रक्त यूनिटों का एडवान्स प्री–ट्रॉन्सफ्यूजन टेस्टिंग परीक्षण उनके द्वारा अपने प्रस्ताव के क्रम में नियमानुसार अभिकर्मक किराया प्रक्रिया (Reagent Rental) के आधार पर रक्तकेन्द्र स्तर पर ही किया जाना है।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ द्वारा उनके प्रस्ताव आई0डी0 नैट परीक्षण के क्रम में उनके द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में चिकित्सालय स्तर पर प्रक्रिया सम्पादित नही की जा सकी अतः रक्तकेन्द्र, बलरामपुर चि0 के रक्त यूनिटों का परीक्षण आर0एम0एल0आई0एम0एस0 चि0 लखनऊ में स्थापित उपकरण के माध्यम से किया जाना है।

उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में एन0एच0एम0, उ0प्र0 को प्रेषित एडवान्स प्री ट्रॉन्सफ्यूजन टेस्टिंग परिक्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षण/परीक्षणों हेतु नही किया जायेगा। यदि चिकित्सा संस्थान/इकाई द्वारा ऐसा किया जाता है तो उक्त कृत्य वित्तीय अनियमितता के अन्तर्गत आच्छादित होगा।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.OOC–** के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों को Rational Use of Blood & Blood Products पर CME के आयोजन हेतु प्रति रक्तकेन्द्र रू0 15,000/– की दर से कुल रू0 14.40 लाख मात्र का आवंटन किया गया है। जिसके अन्तर्गत रक्ताधान से सम्बन्धित न्यूनतम 100 मेडिकल तथा पैरा मेडिकल (स्टाफ नर्स आदि) को उन्नमुखिकृत/प्रशिक्षित किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.157.OOC–(बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग)–** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 18 मण्डलीय जनपद के राजकीय रक्तकेन्द्र पर स्थापित बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग (Maintenance, Servicing etc.) के लिए प्रति जनपद रू0 9.0 लाख मात्र की दर से (रू0 75000/– प्रति माह प्रति बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0, बी0सी0टी0वी0 स्टाफ के मण्डल के अतिरिक्त अन्य जनपदो में शिविर आयोजन हेतु भ्रमण की दशा में डी0ए0 (चिकित्साधिकारी–रू0 350/दिन, लैब टेक्नीशियन व पी0आर0ओ0–रू0 150/दिन एवं ड्राइवर व अटेन्डेन्ट–रू0 100/दिन की दर से) व अन्य रेकरिंग हेतु) धनराशि का आवंटन किया गया है। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांस्पोटेशन वैन के संचालन (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु), वार्षिक बीमा एवं आवश्यकता की दशा में वैन की मरम्मत हेतु व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त आवंटित बजट के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से ही किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.156.OOC–(ब्लड स्टोरेज यूनिट के रेकरिंग हेतु)**– के अन्तर्गत रक्त भंण्डारण इकाई में आवश्यकतानुसार केमिकल्स, रीजेन्ट, ग्लासवेयर्स, कन्ज्यूमेबल, स्टेशनरी, अभिलेख एवं रिकार्ड निर्माण आदि हेतु एवं रक्त भंण्डारण इकाई में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर द्वारा आयोजित बैठक/प्रशिक्षण/समीक्षा/कार्यशाला आदि में प्रतिभागिता करने की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 की प्रतिपूर्ति रेकरिंग मद में प्रदत्त धनराशि से किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.DI–** के अन्तर्गत
  1. प्रदेश में हिमोग्लोबीनोपैथी प्रबन्धन के दृष्टिगत राजकीय चिकित्सा केन्द्रों के अन्तर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रथम त्रैमास में हिमोग्लोबीनोपैथी (थैलेसीमिया आदि) की **निःशुल्क** स्क्रीनिंग प्रदान करने हेतु सी0बी0सी0 परीक्षण हेतु प्रति परीक्षण रू0 50 प्रति तथा HbA2 परीक्षण हेतु रू0 250 प्रति की दर से राजकीय चिकित्सालयों को कुल रू0 2250.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।
  2. प्रदेश में संस्थान जनपद आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ (04), मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज में एन0एच0एम0 द्वारा प्रदत्त **HPLC** उपकरणों तथा 11 मण्डलीय चिकित्सालयों के अन्तर्गत प्रदत्त करायी जा रही **HPLC** उपकरण से हिमोग्लोबीन वैरिएन्ट के परीक्षण के लिए आवश्यक Consumables, Reagents & Chemicals की उपलब्धता हेतु रेकरिंग मद में प्रति परीक्षण रू0 250 प्रति की दर से कुल रू0 1250.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत हिमोग्लोबीनोपैथी के उपरोक्तानुसार प्रारम्भिक परीक्षण सी0बी0सी0 परीक्षण तथा HbA2 परीक्षण से प्राप्त संभावित ग्रसितो तथा उनके Spouse के पुष्टि परीक्षण एवं हिमोग्लोबीन वैरिएन्ट के परीक्षण **HPLC** उपकरण के माध्यम से सम्पादित कराये जाने है।
- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC2–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों हेतु आउटडोर स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु प्रति शिविर रू0 2500.00 मात्र की दर से कुल रू0 77.78 लाख का आवंटन किया जा रहा है।
- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC3–** के अन्तर्गत
  1. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत पी0आर0ओ0 के कम्यूनीकेशन एवं यात्रा के प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1000.00 मात्र की दर से कुल रू0 2.16 लाख का आवंटन किया गया है।
  2. भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में कार्यरत काउन्सलर (एन0एच0एम0 तथा यूपीसैक से सहायतित) के कम्यूनीकेशन एवं यात्रा के प्रतिपूर्ति हेतु प्रति माह रू0 1500.00 मात्र की दर से कुल रू0 16.02 लाख का आवंटन किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रतिपूर्ति नियुक्ति रक्तकेन्द्र के प्रभारी के Varification के पश्चात देय होगी।

- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.IEC4–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों में रक्तदान करने वाले प्रत्येक रक्तदाता को Refreshment उपलब्ध कराने के लिए प्रति रक्तदाता रू0 25.00 मात्रा की दर से कुल रू0 175.50 लाख मात्र की धनराशि का आवंटन किया गया है।
- **एफ0एम0आर0 मद HSS.2.158.OOC1–(ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु)–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के 14 राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित रक्तकेन्द्रों में स्थापित ऐसे उपकरण जिनकी वारंटी अवधि समाप्त हो चुकी है, के रख–रखाव हेतु ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए कोम्पोनेन्ट युक्त रक्तकेन्द्रों को रू0 4.5 लाख की दर से तथा नान कोम्पोनेन्ट युक्त रक्तकेन्द्रों को रू0 2.5 लाख की दर कुल रू0 57.00 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया है।

S.N.	District	Blood Center Name	Type	Allocated Budget in Rs.
1	Agra	SN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
2	Aligarh	JN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
3	Allahabad	MLN Med. Coll.	BCSU	450,000.00
4	Ambedkar Ngr	Govt Medical College	DLBB	250,000.00
5	Etawah	RIMS,R Saifai	BCSU	450,000.00
6	Gorakhpur	BRD Med. Coll.	BCSU	450,000.00
7	Jhansi	MLB Med. Coll.	BCSU	450,000.00
8	Kannauj	Govt Medical College	DLBB	250,000.00
9	Kanpur Nagar	GSVM Med. Coll.	BCSU	450,000.00
10	GB Nagar	SSPH & PGTI	DLBB	250,000.00

S.N.	District	Blood Center Name	Type	Allocated Budget in Rs.
11	Lucknow	SGPGIMS	BCSU	450,000.00
12	Lucknow	KGMU	BCSU	450,000.00
13	Meerut	LLRM Med. Coll.	BCSU	450,000.00
14	Varanasi	IMS,BHU	BCSU	450,000.00
Total				**5,700,000.00**

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या HSS.2.158.IEC4–** के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों के अन्तर्गत संचालित रक्तकेन्द्रों के द्वारा ई–रक्तकोष पर Daily Reporting एवं Stock updation के लिए Internet Support हेतु प्रति माह रू0 1000.00 की दर से कुल रू0 12.00 लाख का आवंटन किया गया है।

ब्लड सर्विसेज के अंतर्गत मानव संसाधन का मानदेय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2022–23 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद सं0 **8.1.14.1, 8.1.14.2, 8.1.14.4, 8.1.14.5, 8.1.16.6** एवं **8.1.16.7** पर **ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज सेन्टर एवं बी0सी0टी0वी0** एवं एफ0एम0आर0 मद सं0 **8.1.15.13** पर **हिमोफिलिया ट्रीटमेन्ट सेन्टर** के मानव संसाधन के मानदेय हेतु कुल **रू0 4112.12 लाख** की धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मानव संसाधन अनुभाग के संस्तुति एवं राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के क्रम में परिधिगत इकाईयों में पूर्व से कार्यरत मानव संसाधन हेतु 12 माह एवं नवीन/रिक्त पदों हेतु 06 माह के मानदेय एवं नियमानुसार Loyality, Increment, ESI/EPF/GST (सेवा प्रदाता एजेन्सी हेतु) का आवंटन किया जाना है। जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु उच्चाधिकारियों से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मानदेय हेतु कुल आवंटन में से जनपदो को पूर्व में 04 माह हेतु धनराशि **कुल रू0 1178.07 लाख** का आवंटन किया जा चुका है। दिनांक 09.09.2022 को आहूत राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 08 माह के लिए अवशेष धनराशि रू0 2503.60 लाख डैप के माध्यम से आवंटित किया गया है।

आवंटित की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं मद में किया जाएगा जिस मद के लिए धनराशि आवंटित की गई है।

- ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित मानव संसाधन हेतु Annual Increment, ESI/EPF/GST, Loyality आदि के सम्बन्ध में राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश अनुरूप समस्त अर्ह कर्मियों को Annual Increment, ESI/EPF/GST, Loyality आदि नियमानुसार प्रदत्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। ब्लड सर्विसेज के अन्तर्गत अच्छादित मानव संसाधन के लायल्टी हेतु नियमानुसार अर्ह कर्मियों के लॉयल्टी आगणन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 को Base Year रूप में अंकित करते हुए आगणन किया जाय।
- मानव संसाधन के मानदेय निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय की सम्बंधित मानव संसाधन की नियुक्ति ब्लड सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकेन्द्र मे ही है एवं तकनीकी तथा गैर तकनीकी मानव संसाधन द्वारा उनके कार्य एवं दायित्वों के अंतर्गत सम्बन्धित इकाईयों में अनवरत योगदान प्रदान किया जा रहा है।
- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन को निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियुक्ति किये गये रक्तकेन्द्र में ई–रक्तकोष का संचालन किया जा रहा है एवं दैनिक स्टाक इन्ट्री की जा रही है।

11. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग

वित्तीय वर्ष 2021–22 में National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के 30 जनपदों क्रमशः झांसी, जालौन, ललितपुर, रायबरेली, फर्रूखाबाद, लखीमपुर–खीरी, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर, आगरा, सीतापुर, मेरठ, बदायूँ, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अमरोहा, फिरोजाबाद, जी0बी0 नगर, मैनपुरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गाजियाबाद एवं बहराइच के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15 नये जनपदों क्रमशः अमेठी, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बुलन्दशहर, इटावा, अयोध्या, गोण्डा, जौनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद एवं प्रतापगढ़ में **पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग** के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1– पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines के अनुसार ही किया जायेगा। जोकि ई–मेल के माध्यम से समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व में भेजी जा चुकी है, जिसे आपको पुनः ई–मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।

2– जनपदों में कार्यक्रम का संचालन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में पूर्व से ही संचालित जिला एन0सी0डी0 सेल के द्वारा उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। जिला नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 उक्त कार्यक्रम के नोडल होगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करवाना सुनिश्चित करें।

3– भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या, जिनकी आयु 30 वर्ष अथवा 30 वर्ष से अधिक होगी, की स्क्रीनिंग की जायेगी।

4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला–स्वास्थ्य–समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय–प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार करेगें।

5– वर्तमान समय में कोविड–19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 माहमारी हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

6– कार्यक्रम से आच्छादित उक्त 45 जनपदों में निम्न तालिका के अनुसार उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये है–

Sl. No.	Name of districts	No. of 100 % SC	For Drugs & supplies for Universal Screening of NCDs	For Training for Universal Screening for NCDs	For Printing activities for Universal Screening of NCDs - printing of cards and modules	For Procurement of Universal Screening Equipment (No. Of Sc) Non- recurring
1	Allahabad	555	555	-	-	0
2	Farrukhabad	192	192	-	-	0
3	Gorakhpur	590	590	-	-	0
4	Jalaun	286	286	-	-	0
5	Jhansi	326	326	-	-	0
6	Lalitpur	198	198	-	-	0
7	Raebareli	327	327	-	-	0
8	Varanasi	312	312	-	-	0
9	Fatehpur	309	309	-	-	0
10	Shrawasti	133	133	-	-	0
11	Saharanpur	338	338	-	-	0
12	Agra	383	383	-	-	0
13	Sitapur	448	448	-	-	0
14	Meerut	293	293	-	-	0

15	Lakhimpur Khiri	387	387	-	-	0
16	Sultanpur	232	232	-	-	0
17	Badaun	370	370	-	-	0
18	Barabanki	353	353	-	-	0
19	Unnao	348	348	-	-	0
20	Hardoi	432	432	-	-	0
21	Muzaffarnagar	286	286	286	-	0
22	Aligarh	352	352	352	-	0
23	Amroha	172	172	172	-	0
24	Firozabad	220	220	220	-	0
25	GB Nagar	108	108	108	-	0
26	Mainpuri	203	203	203	-	0
27	Pilibhit	196	196	196	-	0
28	Shahjahanpur	310	310	310	-	0
29	Ghaziabad	144	144	144	-	0
30	Bahraich	310	310	310	-	0
31	Amethi	271	-	-	271	271
32	Balrampur	214	-	-	214	214
33	Bareilly	413	-	-	413	413
34	Basti	267	-	-	267	267
35	Bulandshahar	390	-	-	390	390
36	Etawah	338	-	-	338	338
37	Faizabad	255	-	-	255	255
38	Gonda	338	-	-	338	338
39	Jaunpur	499	-	-	499	499
40	Kanpur Nagar	390	-	-	390	390
41	Lucknow	336	-	-	336	336
42	Mathura	261	-	-	261	261
43	Mirzapur	265	-	-	265	265
44	Moradabad	286	-	-	286	286
45	Pratapgarh	360	-	-	360	360
Total		**13996**	**9113**	**2301**	**4883**	**4883**

National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों हेतु पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग को चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी मदवार एवं जनपदवार धनराशि के सापेक्ष संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

8– **FMR Code NCD.5.110.EQ.1-** Drugs & supplies for Universal Screening of NCDs:- For VIA For gloves, cotton swabs, distilled water, acetic acid and For OVE- wooden sticks, gloves, cotton, gauze मद पर रू0 14000.00/उपकेन्द्र की दर से पुराने 30 जनपदों हेतु धनराशि आंवटित की गई है।

9– **FMR Code NCD.5.110.IEC.6-** Printing activities for Universal Screening of NCDs - printing of cards and modules मद पर रू0 9,331.00/उपकेन्द्र की दर से 15 नये जनपदों हेतु धनराशि आंवटित की गई है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

10– **FMR Code NCD.5.110.EQ.2-** Procurement for Universal Screening of NCDs मद पर रू0 24,000.00/उपकेन्द्र की दर से निम्नलिखित तालिकानुसार उपकरणों के क्रय हेतु 15 नये जनपदों हेतु धनराशि आंवटित की गई है, जिसका उपभोग 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक दशा में कर लिया जाये–

Sl. No.	Particular	Amount
1	Equipment for HT (Sphygmomanometer)	1000.00
2	Equipment for VIA (examination Lamp, cusco's speculum, autoclave, torch)	20000.00
3	Equipment for OVE (Mouth mirror LED torch)	3000.00

11— **FMR Code NCD.5.110.IEC.7-** IEC/BCC for Universal NCD Screening मद पर रू0 5000.00/उपकेन्द्र की दर से समस्त जनपदों हेतु धनराशि आंवटित की गई है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार—प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।

12— **FMR Code NCD.5.110.CB.3-** Training for Universal Screening for NCDs मद पर रू0 15,404.00/उपकेन्द्र की दर से जनपदों मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अमरोहा, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मैनपुरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, एवं बहराइच हेतु धनराशि आंवटित की गई है साथ ही जनपद—लखनऊ को रू0 100.00 लाख की धनराशि आंवटित की गई है, उक्त धनराशि को भविष्य में जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान को प्रशिक्षण हेतु स्थानान्तरित की जायेगी।

13— मुख्य चिकित्साधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि मदवार आवंटित धनराशि से अधिक का व्यय नही किया जाये।

14— National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में जिला—स्वास्थ्य—समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2023 के पूर्व कर लिया जाये।

15— किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपदीय नोडल अधिकारी एन0पी0सी0डी0सी0एस0 (एन0सी0डी0) पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगें।

12. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) Programme

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष 2022—23 में पूर्व की भांति संचालित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1— National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार के स्तर से निर्गत Operational Guidelines (Revised 2013-2017) के अनुसार ही किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी अपने अधीन अपर मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारी, एन0सी0डी0 नामित करेगें। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह उक्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जनपद में करायें।

3— जिला एन0सी0डी0 क्लीनिक में प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से एवं क्लीनिकल कार्यो पर नियंत्रण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी Operational Guidelines (Revised 2013-2017) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगें।

4— मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला—स्वास्थ्य—समिति को उपलब्ध कराये गये बजट का उपभोग Operational Guidelines (Revised 2013-2017) में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेगें तथा क्रय सम्बन्धित कार्य वर्तमान में उपलब्ध क्रय—प्रक्रिया जिला—स्वास्थ्य—समिति के माध्यम से नियमानुसार करेगें।

5— वर्तमान समय में कोविड—19 वैश्विक माहमारी के दृष्टिगत् भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर कोविड—19 माहमारी हेतु जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

6— कार्यक्रम से आच्छादित 75 जनपदों में चिन्हित किये गये जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों की संख्या की सूची संलग्न है।

7— National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में जिला—स्वास्थ्य—समिति को जारी की गयी धनराशि का मदवार एवं जनपदवार विवरण संलग्न है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः—

जिला एन0सी0डी0 सेलः–

- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.PME.1 Monitoring Evaluation & Supervision मदपर प्रत्येक जनपद के जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.PME.3 TA/DA/POL मद पर प्रत्येक जनपद के जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.PME.2 Contingency मद पर प्रत्येक जनपद के जिला एन0सी0डी0 सेल हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.IEC.1 IEC/BCC मद पर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 3.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है, अवमुक्त धनराशि का उपभोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 में प्रचलित प्राविधानों के अनुसार ही प्रचार–प्रसार के मुद्रण हेतु किया जायेगा।
- एफ0एम0आर0 कोड–NCD.5.110.CB.1 Training at District Level मद पर जनपद–लखनऊ को छोड़कर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 1.50 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है। जनपद–लखनऊ को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु रू0 118.50 लाख की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसे भविष्य में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज/संस्थान में प्रशिक्षण हेतु स्थानान्तरित किया जायेगा।

जिला एन0सी0डी0 क्लीनिकः–

- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.107.DI Drugs & Supplies मद पर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 2.40 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आवंटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.107.PME Miscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc. मद पर प्रत्येक जनपद हेतु रू0 1.00 लाख प्रति जनपद की दर से धनराशि आंवटित की गई है।

सी0एच0सी0 एन0सी0डी0 क्लीनिकः–

- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.108.DI Drugs & Consumables for CHC NCD Clinic मद पर संलग्न तालिकानुसार रू0 0.40 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.108.PME Miscellaneous cost for communication, monitoring, T.A, DA, POL, Contingency etc.for CHC NCD Clinic मद पर संलग्न तालिकानुसार रू0 1.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.DI.2 Laboratories, Drugs & Consumables at PHC level मद पर संलग्न तालिकानुसार रू0 5000.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.DI.3 Laboratories, Drugs & Consumables at subcentre level मद पर संलग्न तालिकानुसार रू0 5000.00 प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.IEC.3 Patient Referral card at PHC level मद पर संलग्न तालिकानुसार रू0 2500.00/रू0 500.00 पेशेन्ट रेफरल कार्ड प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।
- एफ0 एम0 आर0 कोड–NCD.5.110.IEC.4 Patient Referral card at SC level पर संलग्न तालिकानुसार रू0 2500.00/रू0 500.00 पेशेन्ट रेफरल कार्ड प्रति उपकेन्द्र की दर से धनराशि आंवटित की गयी है।

8– मुख्य चिकित्साधिकारी को इस तथ्य का विशेष ध्यान देना है कि जनपदवार एवं मदवार आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नही किया जाये।

9– National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिला–स्वास्थ्य–समिति को जारी की गयी धनराशि का उपभोग कार्यक्रम के हित में 31 मार्च, 2023 के पूर्व कर लिया जाये।

अन्य बिन्दुः–

11– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत इपिडिमियोलॉजिस्ट द्वारा एन0सी0डी0 कार्यक्रमों यथा– एन0पी0सी0डी0सी0एस0, एन0पी0एच0सी0ई0, एन0पी0पी0सी0 एवं पी0बी0एस0 आदि की प्रेषित की जाने

वाली मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट का इपिडिमियोलॉजिकल स्टडी करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित करेंगें साथ ही साथ एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अर्न्तगत दिये गये स्क्रीनिंग लक्ष्य को हासिल करते हुए भौतिक प्रगति सुनिश्चित करेंगें।

12– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इपिडिमियोलॉजिस्ट/ जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ जनपद में कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनपद स्तरीय भ्रमण एवं समस्त रिर्पोटिंग इत्यादि का कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

13– जिला एन0सी0डी0 सेल में कार्यरत जिला फाइनेन्स कम लॉजिस्टिक सलाहकार द्वारा एन0पी0सी0डी0सी0एस0, एन0पी0एच0सी0ई0, एन0पी0पी0सी0 एवं पी0बी0एस0पी0 आदि कार्यक्रमों का समस्त वित्तीय कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

14– जिला एन0सी0डी0 सेल/क्लीनिक में कार्यरत डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा जिला एन0सी0डी0 सेल से सम्बन्धित समस्त रिर्पोर्ट समसय राज्य एन0सी0डी0 सेल को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

वित्तीय लेखा पुस्तकों का रख–रखाव, आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुशासन स्थापित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट

भारत सरकार द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट को राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के प्राविधान उसी प्रकार से लागू हैं, जैसा कि उसमें वर्णित है, जब तक किसी प्राविधान के लिए अन्यत्र दिशा निर्देश जारी न किये जायें।

मैनुअल/कम्प्यूटराईज लेखा पुस्तकों का रख–रखाव

ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में निर्धारित वित्तीय लेखा अभिलेखों का रख–रखाव जिला स्वास्थ्य समिति, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, सब सेन्टर, वी0एच0एस0एन0सी0 एवं अन्य चिकित्सा इकाई स्तर पर किया जाय।

जिला स्वास्थ्य समितियों, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, जिला अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा इकाईयों में हस्तलिखित कैश/बैंक बुक एवं PFMS Advice /Cheque Issue Register तैयार किया जाना अनिवार्य है। साथ ही अन्य मूल वित्तीय प्रपत्र एवं रजिस्टर जैसे–बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त की पत्रावली/रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, बिल/बाउचर, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि का समुचित रूप से रख–रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निम्नानुसार निर्धारित समयान्तराल पर वित्तीय अभिलेख तैयार कर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर करवाते हुए अभिरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाएः–

क्रम संख्या	विवरण	समयान्तराल	प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी व्यक्ति
1	चेक निर्गत रजिस्टर/पी0एफ0एम0एस0 Advice रजिस्टर	प्रतिदिन	पी0एफ0एम0एस0 मेकर/चेकर आई0डी0 यूजर
2	मैनुअल बैक बही (जिला स्वास्थ्य समिति के समस्त कार्यक्रम)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
3	मैनुअल बैंक बही (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/जिला अस्पताल का लेखाकार
4	मैनुअल बैक बही (डी0पी0एम0यू0)	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
5	बैंक समाधान विवरण	मासिक	जिला डॉटा कम लेखा सहायक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक/जिला अस्पताल का लेखाकार
6	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (जिला स्वास्थ्य समिति/जिला अस्पताल)	प्रतिदिन	लेखा लिपिक
7	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (डी0पी0एमयू0)	प्रतिदिन	जिला डॉटा कम लेखा सहायक
8	पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
9	बैंक बही/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना	प्रतिदिन	लेखा लिपिक

	(जिला स्वास्थ्य समिति)		
10	बैंक बही/खाता बही (टेली प्रिन्ट आउट)/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स् एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (डी0पी0एमयू0)	प्रतिदिन	जिला डेटा कम लेखा प्रबन्धक
11	बैंक बही/खाता बही (टेली प्रिन्ट आउट)/पत्रावली/सपोर्टिंग बिल वाउचर्स एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र को तैयार करना (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0)	प्रतिदिन	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक

वित्तीय वर्ष 2020–21 तक जिला स्वास्थ्य समितियों, जिला अस्पताल एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 द्वारा Tally ERP-09 का डेटा बैकअप स्वयं सम्बन्धित इकाई के द्वारा तथा जनपद की समस्त इकाईयों का टेली डॉटा डी0पी0एम0यू0 द्वारा अभिरक्षित किया जायेगा। राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति के टैली डॉटा का बैकअप अभिरक्षित किया जायेगा।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति को सिंगल नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति हेतु सिंगल नोडल एकाउन्ट एवं समस्त स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयों (इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी) हेतु Zero balance Subsidiary Account (ZBSA) के बैंक खाते खोले गए है। नई व्यवस्था के अन्तर्गत पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/ लेखा/ 2020–21/ 12–टी0सी0/ 3869–75 दिनांक 28.09.2021 के माध्यम से लेखा पुस्तको के रख–रखाव हेतु निर्देशित किया गया है।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2014–15/210/7108–2 दिनांक 05.10.2015 एवं 174–75 दिनांक 12.04.2017 के माध्यम से जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में वित्तीय एवं लेखांकन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत लेखाधिकारी/लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा आबंटित वित्तीय/लेखांकन कार्य निष्पादित किया जायेगा।

- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में डेटा कम लेखा सहायक (एन0यू0एच0एम0) द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।
- जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में जिला डेटा कम लेखा सहायक द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
- नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अन्तर्गत आच्छादित कार्यक्रमों के वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में फाईनेन्स कम लॉजिस्टिक कन्सलटेन्ट द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।
- कम्युनिकेबल डिजीज के आच्छादित कार्यक्रमों का वित्त एवं लेखांकन सम्बन्धी समस्त कार्य जिला लेखा प्रबन्धक के निर्देशन में लेखाकार (एन0टी0ई0पी0) द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय)

जिला अस्पताल में वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए जिला अस्पताल में लेखाकारो की तैनाती की गयी है। जनपदों के जिला अस्पताल मे तैनात 97 लेखाकारों का मानदेय, एफ0एम0आर0 कोड HSS.9.184.C.P275 में डी0एच0ए0पी0 के माध्यम से आवंटित धनराशि रू0 2,72,01,842.00 से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयेल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि/कार्यावधि/मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है।

पत्रांक संख्या–एन0एचम0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/बैम/2014–15/213/3923–75 दिनांक 17.07.2013 के अन्तर्गत जिला हॉस्पिटल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये नियुक्त लेखाकार के कार्य एवं दायित्व को निर्धारित किया गया है।

लेखाकार (जनपदीय चिकित्सालय) के कार्य एवं दायित्वः–

1. जिला चिकित्सालय से संबंधित समस्त लेखांकन मैनुअल एवं कम्प्युटराइज्ड कार्य।
2. पी0एफ0एम0एस0 में मेकर आई0डी0 का प्रयोग करके समस्त भुगतान तैयार करना।
3. पी0एफ0एम0एस0 लॉग/चेक ईशु रजिस्टर तैयार करना।
4. मैनुअल बैंक बुक तैयार की जायेगी।
5. मासिक बैंक समाधान विवरण तैयार करना।
6. एफ0एम0आर0, कमिटेड रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएं।
7. एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जायेगा।

लेखाकार (डी0पी0एम0यू0)

जिला स्वास्थ्य समिति के वित्तीय अभिलेखों के रख–रखाव के लिए डी0पी0एम0यू0 मे लेखाकारो की तैनाती की गयी है। मद संख्या HSS.09.184 (16.4.2.1.7) में जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु 94 लेखाकारों के पदो (जनपद गाजियाबाद एवं मण्डलीय जनपद हेतु 02 लेखाकार प्रति जनपद तथा अन्य जनपदों हेतु 01 लेखाकार प्रति जनपद) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके परिपेक्ष में 94 लेखाकारों को 06 माह का मानदेय धनराशि रू 1,12,80,000.00 का डी0एच0ए0पी0 माध्यम से आवंटित धनराशि से आहरित की जायेगी। वार्षिक वृद्धि एवं लॉयेल्टी का भुगतान राज्य स्तर से निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जायेगा। नियुक्ति की तिथि/कार्यावधि/मूल्यांकन के आधार पर वास्तविक मानदेय का निर्धारण करते हुए मानदेय का भुगतान किया जायेगा। डी0एच0ए0पी0 में आवंटित मानदेय बजट मात्र है। डी0पी0एम0यू0 लेखाकार द्वारा जिला लेखा प्रबंधक की दिशा निर्देशन मे आवंटित वित्तीय कार्य निष्पादित किया जायेगा।

फाईनेन्शियल एण्ड एकाउन्टिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम (एफ0ए0एम0एस0)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन एवं लेखा पुस्तकों के रख–रखाव हेतु Finance and Account Management System (FAMS) सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से Accounting, Auditing, ROP/DHAP/BHAP, Expenditure & Release इत्यादि व्यवहारित किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक स्तर पर ऑन लाईन समस्त रिपोर्ट उपलब्ध रहेगी। राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन डी0एच0ए0पी0 (डैप) तैयार किया जायेगा, जिसके उपरान्त जनपद स्तर पर बी0एच0ए0पी0 (बैप) तैयार किया जायेगा। वित्तीय लेन–देन की एकाउन्टिंग इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर की जायेगी तथा एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर तैयार एक्सल शीट को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करके भुगतान किया जायेगा। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से तैयार प्रिन्ट पेमेन्ट एडवाईज् की संख्या एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। टी0डी0एस0/जी0एस0टी0/ई0पी0एफ0 इत्यादि जिनका भुगतान चेक/नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाता है। भुगतान पश्चात, भुगतान विवरण एवं दिनांक एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल पर अंकित की जायेगी। बैंक समाधान विवरण एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार किया जायेगा।

एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर का पी0एफ0एम0एस0 से इन्टीग्रेशन के पश्चात् वित्तीय लेन–देन/भुगतान की समस्त प्रविष्टि केवल एकाउन्टिंग इन्ट्री सॉफ्टवेयर पर की जायेगी। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से किसी भी प्रकार के भुगतान सम्पादित नहीं किये जायेगें।

एफ0ए0एम0एस0 में निम्नलिखित Modules को सम्मिलित किया गया हैः–

1- Budget Module
2- Account Module
3- Audit Module
4- MIS Module
5- User Management Module (Utility Module)
6- Beneficiary Employee/Vendors Management Module
7- Master Module
8- Help desk Module
9- Integration Module

समस्त स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम एफ0ए0एम0एस0 सॉफ्टवेयर से तैयार एक्सेल फाइल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश पत्र संख्याः 145–5 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा दिये जा चुके हैं। राज्य स्तर पर एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से तैयार एफ0एम0आर0, एस0एफ0पी0 एवं अन्य वित्तीय रिपोर्ट्स के आधार पर समीक्षा की जायेगी।

केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0

पत्र संख्या एन0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/लेखा/रख–रखाव/2014–15/206/175–4 दिनांक 12.04.2017, 1787–4 दिनांक 01.06.2017 एवं 4230–4 दिनाक 31.07.2017 के माध्यम से केन्द्रीयकृत वेतन/मानदेय तथा ई0पी0एफ0 के भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

- प्रत्येक माह का देय मानदेय/वेतन का भुगतान अगामी माह की 07/10 तारीख तथा ई0पी0एफ0 का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के मार्च माह का देय वेतन/मानदेय एवं ई0पी0एफ0 का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा।
- कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित कार्यक्रम के बैंक खातों से जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के बैंक खाता में हस्तान्तरित की जायेगी। तत्पश्चात ई0पी0एफ0ओ0 को कारपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस बैंक खाता के संयुक्त हस्ताक्षरी द्वारा अपना–अपना आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके भुगतान किया जायेगा।
- जनपद के अर्न्तगत मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन आने वाली स्वास्थ्य ईकाइयों (सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/उपकेन्द्र इत्यादि) पर कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी के मानदेय/वेतन का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से किया जायेगा।
- मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों, जिला अस्पतालों, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों एवं मेडिकल कालेजों एवं अन्य संस्थान जो कि मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन नही आते हैं, उन इकाइयों में कार्यरत एन0एच0एम0 संविदा कर्मियों, जिनका वेतन रु0 15000.00 प्रति माह तक है या/एवं ई0पी0एफ0 की देयता है, उनका मानदेय भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति से ई0पी0एफ0 की कटौती नियमानुसार करते हुए किया जायेगा एवं शेष कर्मियों जिन पर ई0पी0एफ0 लागू नही है, के मानदेय/वेतन का भुगतान उनकी तैनाती इकाईयों/संस्थाओं से किया जायेगा।
- जनपद के अन्दर कार्यरत कर्मियों, जिनके मानदेय/वेतन का नियमानुसार भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति स्तर से किया जाएगा, का वेतन रजिस्टर जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर तैयार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जाये।

पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (Public Financial Management System)

वित्तीय व्यवहार, लेनदेन एवं भुगतान में पारदर्शिता लाने आनलाईन ससमय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत सराकर द्वारा जारी पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी0एफ0एम0एस0) वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाईयों (उपकेन्द्र एवं वी0एच0एन0सी0 को छोडकर) द्वारा समस्त धनराशियों का भुगतान/अवमुक्त/स्थानान्तरण (राज्य एवं केन्द्र सरकार के ट्रेजरी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि जैसे–आयकर, व्यापार कर, अन्य कटौतिया/वैधानिक देयताओं एवं लोक निर्माण विभाग, आर0ई0एस0 एवं अन्य सरकारी विभाग को छोडकर) पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/187/5067 दिनांक 4.02.2015 एवं 8.04.2015 के अनुरूप किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को लागू करने का उद्देश्य मध्यस्थ को भुगतान न करके सीधे सम्बन्धित लाभार्थी, अधिकारी/कर्मचारी एवं आपूर्तिकर्ता एवं सेवा प्रदाता के खाते में भुगतान पी0एफ0एम0एस0 वेव पोर्टल के माध्यम से ई–पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के द्वारा किया जाना है। इस सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0/2012–13/लेखा/ पी0एफ0एम0एस0/187/ 1380–ए दिनांक 11.06.2015 एव पत्र संख्या–एस.पी.एमयू./एन0आर0एच0एम0 /लेखा / पी0एफ0एम0एस0 /187/2017–18/1787–6 दिनांक 28.05.2018 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। जब तक उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं

पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति का पंजीकरण पी0एफ0एम0एस0 वेब पोर्टल पर नहीं किया जाता है, तब तक इनको धनराशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। उपकेन्द्र एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति एवं महिला आरोग्य समिति द्वारा अपने व्यय का भुगतान चेक या नियमानुसार अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

भारत सरकार के डी0ओ0 संख्याः जेड–28015/2021–22/एन0एच0एम0 –फाईनेन्श दिनांक 14.04.2021 के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्कीम यू0पी0 27, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन स्कीम यू0पी0 70 एवं PM-ABHIM स्कीम यू0पी0 213 में सिंगल नोडल एजेन्सी/सिंगल लोडल एकाउन्ट तथा Zero Balance Subsidiary Account की व्यवस्था लागू की गयी। एस0एन0ए0 व्यवस्था के अन्तर्गत पी0एफ0एस0 पोर्टल पर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति की आहरण सीमा निर्धारित की जाती है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जनपद की अन्य इम्प्लीमेंटिंग एजेसी की आहरण सीमा निर्धारित की जाती है।

पत्र संख्या–4572 दिनांक 26.09.2022 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु समस्त इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सियों के बैंक खाते के समस्त हस्ताक्षरी के द्वारा Class Type-3, User Type-Organizational, Certificate Type- Both डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाना है। पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल की यूजर्स आई0डी0 एवं पासवर्ड तथा डिजिटल सिग्नेचर के सम्बन्ध में निम्नलिखित सावधानी रखी जानी आवश्यक है–

1. **पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन, मेकर, चेकर यूजर्स द्वारा आई0डी0 पासवर्ड किसी के साथ साझा न किया जाए। आई0डी0 एवं पासवर्ड व्यक्तिक होता है, इसलिए स्थानांतरण/कार्यमुक्त किये जाने की स्थिति में तत्काल एड़मिन द्वारा आई0डी0 को डिसिबल किया जाए।**
2. **पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन, मेकर, चेकर यूजर्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह या उससे कम समय पर आवश्यकता अनुसार पासवर्ड बदला जाए।**
3. **पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के एडमिन यूजर्स द्वारा प्रत्येक सप्ताह या उससे कम समय पर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित एजेन्सी के मेकर/चेकर की स्थिति की समीक्षा किया जाए।**
4. **डिजिटल सिग्नेचर धारक द्वारा डिजिटल सिग्नेचर एवं पिन किसी के साथ साझा नहीं किया जाए।**
5. **जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक माह जनपद के समस्त बैंक खातों के बैंक समाधान विवरण तैयार किये जाने की समीक्षा मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से करायी जाए।**
6. **इंप्लीमेन्टी एजेन्सी के प्रथम एवं द्वितीय बैंक खाते के हस्ताक्षरी प्रत्येक सप्ताह या उससे कम समय पर आवश्यकता बैंक समाधान विवरण की समीक्षा की जाए।**

आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था (इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम)

आन्तरिक नियंत्रण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत मण्डलीय/जनपद स्तर पर वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। जिनके कार्य एवं दायित्व निम्न हैः–

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय लेन देनों में आन्तरिक नियंत्रण एवं पारदर्शिता लाने के लिये शासनादेश संख्या–637/सेक –5–पांच– 2016–320/2011 टी0सी0 दिनांक 17.05.2016 के अन्तर्गत जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालयों में तैनात वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से निम्नवत कार्य दायित्व निर्धारित किये गये हैंः–

(क) मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारियों से एन0एच0एम0/राज्य बजट से सम्बन्धित समस्त लेखा सम्बन्धी कार्य लिये जायें, क्योकि वित्त लेखा अधिकारियों को उक्त कार्यों की विशिष्टता प्राप्त है और वे विभाग में वित्तीय अनुशासन को सुदृढ करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते है। समस्त जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यो में सहायता करने, लेखा–अभिलेखों को पूर्ण कराने, प्रत्येक माह एफ0एम0आर0 भेजने, वित्तीय मामलों में परामर्श देने के लिये जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जिला लेखा प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी है। जिला लेखा प्रबन्धक जनपदों में एन0एच0एम0 से सम्बन्धित धनराशि के व्यय एवं उनका लेखा–जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होगें। वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में वित्तीय परामर्श से

सम्बन्धित पत्रावलियां जिला लेखा प्रबन्धक के पास नहीं आती है, जिसके कारण वित्तीय नियंत्रण शिथिल रहता है।

(ख) एन0एच0एम0 से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियाँ सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारियों के लिपिकों द्वारा तैयार कराकर सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी व डी0ए0एम0 के माध्यम से वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करें, जो मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(ग) राज्य बजट की समस्त पत्रावलियां जिसमें वित्तीय उपाशय निहित हो, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखा अधिकारियों के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्रस्तुत की जाए, जिससे वित्तीय उपाशयों में वित्त एवं लेखा अधिकारियों का मंतव्य अवश्य लिया जाए तथा क्रय एवं टेण्डर सम्बन्धित समस्त कार्य वित्त एवं लेखा अधिकारियों की सहभागिता से कराये जाये। यह प्रक्रिया प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु की जाये।

(घ) वित्त एवं लेखा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय के लेखों के रख–रखाव, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी, व्यय विवरण तैयार करना एवं समय से महानिदेशालय को भेजना, बचत–व्ययाधिक्य का विवरण तैयार करना इत्यादि समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

(च) उपरोक्त समस्त उत्तरदायित्व वित्तीय हस्तपुस्तिका–5, अध्याय–18 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित वित्त एवं लेखा अधिकारियों के उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालय में वही होंगे, जो विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक के होते हैं

बैकिंग व्यवस्था एवं बैक खातों का संचालन

- वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा निर्देशित नवीन बैंकिंग व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या–1252/पाँच–9–2014–9(32)/07 दिनांक 09.10.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार बैक खातों का संचालन किया जाय। इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/ लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित/अवमुक्त की जाये। नेशनल अरबन हेल्थ मिशन के बैक खातों का संचालन पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2015–16/6589 दिनांक 07.09.2015 के अनुसार किया जाये।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार सितम्बर 2021 से सिंगल नोडल अकाउन्ट व्यवस्था लागू की गयी जिसके क्रम में पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/ लेखा/ 2019–20/ 85/3074–03 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति एवं अन्य इकाईयों पर Zero Balance Subsidiary Account भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये है। जिला स्वास्थ्य समिति स्तर पर भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये Zero Balance Subsidiary Account में पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/ लेखा/2014–15/3867–75 दिनांक 02.12.2014 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ निर्धारित संयुक्त हस्ताक्षरी के साथ बैंक खाता का संचालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/लेखा/2019–20/बैंक/12–टी0सी0 /7688–02 दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से 15वें वित्त आयोग स्कीम के संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति (इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी–आई0ए0) के Zero Balance Subsidiary Account भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये है, जिसका संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/लेखा/2019–20/बैंक/12–टी0सी0 /7688–02 दिनांक 28.02.2022 के माध्यम से PM-ABHIM स्कीम के संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति (इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी–आई0ए0) के Zero Balance Subsidiary Account भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये है, जिसका संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

- पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / 2019–20 / 85 / 3075–03 दिनांक 31.08.2021 के माध्यम से कोविड ई0सी0आर0पी0–2 स्कीम के संचालन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति (इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी–आई0ए0) के Zero Balance Subsidiary Account भारतीय स्टेट बैंक में खोले गये है जिसका संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ कोविड का कार्य देख रहे अपर मुख्य चिकित्साधिकारी संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0 / लेखा / बैंक / 2020–21 / 12 / 2835–2, दिनांक 02.09.2020 के माध्यम से State Bank of India की स्थानीय शाखा में DHS Non-NHM का Saving Bank Account खोले जाने तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित फण्ड इस खाते में अन्तरण करके पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से व्यय किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये है। Non-NHM Saving Bank Account का संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं पूर्णकालिक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी (द्वितीय हस्ताक्षरी) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्णकालिक वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / वित्त एवं लेखाधिकारी तैनात नहीं है, वहाँ पर इनकी तैनाती होने तक, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के अन्य अधिकारी, जो उप–मुख्य चिकित्साधिकारी ग्रेड से कम न हो, द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी होगें।
- आशा, आशा संगिनी एवं शहरी आशा (राज्य बजट) योजना राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संचालित की जा रही है। पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 /एन0एच0एम0 / लेखा / बैंक / 2021–22 / 12 / बैंक / राज्य बजट / 6855, दिनांक 27.01.2022 के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति को भारतीय स्टेट बैंक में बचत बैंक खाता खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं उक्त बचत बैंक खाते का संचालन मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (आर0सी0एच0) की संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है।
- पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / लेखा / इन्टरनेट / 2020–21 / 279 / 3697–03, दिनांक 22.09.2021 के माध्यम से ई0पी0एफ एवं ई0एस0आई0 के भुगतान हेतु जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से बचत खाता इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा सहित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निकटवर्ती शाखा में खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिससे केवल ई0पी0एफ0 / ई0एस0आई0 का भुगतान किया जाना है। इण्टरनेट बैंकिंग सुविधा सहित खोले गये बैंक खाते को मेकर एवं चेकर के माध्यम से संचालित किया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा चेकर की आई0डी0 तथा बैंक खाते के द्वितीय हस्ताक्षरी द्वारा मेकर की आई0डी0 का प्रयोग किया जायेगा। उक्त बचत बैंक खाता के संचालन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम हस्ताक्षरी) एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक (द्वितीय हस्ताक्षरी) को नामित किया जाता है। जिन जनपद में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का पद रिक्त है, वहाँ जिला लेखा प्रबन्धक (द्वितीय हस्ताक्षरी) होंगें। जिला लेखा प्रबन्धक का पद भी रिक्त हाने की स्थिति में जिला कम्यूनिटी प्रोसेस प्रबन्धक (द्वितीय हस्ताक्षरी) होंगें।

रोगी कल्याण समिति का वैधानिक अंकेक्षण

प्रदेश की समस्त रोगी कल्याण समिति का पंजीकरण समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है। चूंकि रोगी कल्याण समिति अलग से पंजीकृत संस्था है, अतः अलग से वैधानिक आडिट कराया जाना आवश्यक है। राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा आर0के0एस0 ऑडिट हेतु देय अधिकतम् ऑडिट फीस का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष (जिसका ऑडिट किया जाना है)	राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक की तिथि	रोगी कल्याण समिति का स्तर	फीस (प्रतिवर्ष / प्रति आर0के0एस0)
31.03.2016 तक	28.05.2015	ब्लॉक स्तरीय	रु0 500.00
		जनपद स्तरीय	रु0 1500.00
2016–17	14.01.2016	ब्लॉक स्तरीय	रु0 1000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 2000.00
2017–18 2018–19 2019–20	25.01.2017	ब्लॉक स्तरीय	रु0 2000.00
		जनपद स्तरीय	रु0 3000.00

राज्य ऑडिट कमेटी की बैठक में जनपद/ब्लाक रोगी कल्याण समिति की वैधानिक अंकेक्षण वार्षिक अधिकतम सीमा तक निर्धारित की गई है।

कान्करेन्ट आडिट

भारत सरकार द्वारा जारी ''ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट'' में कॉन्करेन्ट आडिट सिस्टम की व्यवस्था की गयी है, जिसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के खातों की मासिक जाँच जिला स्वास्थ्य समिति से नियुक्त कान्करेन्ट आडीटर द्वारा की जाती है तथा कान्करेन्ट आडिट की रिपोर्ट मासिक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाती है।

जिला आडिट कमेटी के सदस्यों का विवरणः–

Person	**Designation in Committee**
District Magistrate	Chairman
Chief Medical Officer	Member-Secretary
Senior Finance & Account Officer / Finance & Account Officer	Member
District Accounts Manager	Member
Representative from NDCP (at least one)	Member

जिला आडिट कमेटी के प्रमुख कार्यः–

- Selection and appointment of District concurrent auditors (in concurrence with the State Audit Committee)
- Monitoring timely audits at the district level and timely submission of audit reports
- Discussing the key audit findings with district concurrent auditor and District Accounts Manager and suggest appropriate actions
- Monitoring whether adequate follow up action is being taken by the District Accounts Manager on the audit observations
- Monitor whether ATR has been prepared by the DAM/ CMO and given to the auditor and whether the same has been vetted and sent by the auditor within the requisite time limit
- Carrying out an assessment of the audits in case the auditors are being considered to be reappointed with intimation to State Audit Committee (SAC).
- Renewal of the auditors' contracts with intimation to SAC.

कान्करेन्ट ऑडिट रिपोर्ट

जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के कान्करेन्ट आडीटर के टी0ओ0आर0 में दर्शाये गये समस्त कार्य कराए जायें। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराई जाय। जनपद द्वारा अगले माह की 15 तारीख तक मासिक कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध करायी जाय।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठकः–

जिला ऑडिट कमेटी की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 6 बैठके आयोजित की जानी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ऑपरेशनल गाईडलाईन फॉर फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट को वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय द्वारा अपनी बैठक दिनांक 06.06.2012 में अनुमोदनानुसार पत्रांक–एन0आर0एच0एम0/एस0पी0एम0यू0/कॉन ऑडिट/2012.13/174/583–11 दिनांक 25.06.2012

के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला ऑडिट कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी सहित वित्त एवं लेखाधिकारी तथा जिला प्रबन्धक (लेखा) सम्मिलित है। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कम से कम साल में 06 बार की जानी है, जिसमें कान्करेन्ट ऑडिट में की गयी संस्तुतियों और खामियों पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मुख्य एजेण्डा बिन्दु

जिला ऑडिट कमेटी का सदस्य सचिव होने के नाते मुख्य चिकित्साधिकारी का यह दायित्व है कि नियमित अन्तराल पर जिला ऑडिट कमेटी की बैठक आहूत करायें। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में एजेन्डा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए–

1. जिला कांकरेन्ट आडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स।
2. आडिट कार्य की समीक्षा।
3. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को आडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
4. जनपद की समस्त इकाईयों के लेखा पुस्तकों के रख–रखाव की समीक्षा।
5. आडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा।
7. बड़े कार्य/सेवाएं के टेंडर की समीक्षा भी की जाये।
8. दस लाख से अधिक के टेंडरों की प्रक्रिया एवं वैघता का कांकरेन्ट आडिट से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाये।
   ''कॉन्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाये कि जी0एफ0आर0 प्रकिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन का पालन हो रहा है या नहीं और Fair Comptition allow किया गया है। इस प्रकिया से सम्भावित अनियमितता/कदाचार पर रोक लग सकेगी, कान्करेन्ट ऑडिट में किसी अनियमितता प्रकाश आने पर जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को सूचित किया जाये, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''
9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार।

ऑडिट फीस का भुगतान

जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कान्करेन्ट आडीटर की आडिट फीस हेतु एफ0एम0आर0 कोड संख्या HSS.11.193 में Planning & Programme Management System के अंतर्गत कान्करेन्ट आडिट हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त "Operational Guideline of Financial Management" में दिये गये प्राविधानों एवं टी0ओ0आर0 के अनुरूप आडिट निष्पादन के उपरान्त किया जाना है। कॉन्करेन्ट ऑडीटर को फीस का भुगतान त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जाय। इसके साथ ही यदि किसी कारणवश जनपदीय स्वास्थ्य समिति/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदीय कान्करेन्ट आडीटर के कार्य को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इस स्थिति में जनपद के कान्करेन्ट आडीटर की फीस का भुगतान देय नहीं होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा विभाग की अन्य योजनाओं में वित्तीय अनुशासन लागू किया जानाः–

आम जनता को लाभ पहॅचाने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन में शासन/एन0एच0एम0 का बहुत बड़ा बजट जनपद को निर्गत किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति की देख रेख में किया जाता है। योजना के कियान्वयन तथा बजट के व्यय में वित्तीय अनुशासन बना रहे तथा किसी तरह का भ्रष्टाचार/गबन इत्यादि न हो, इसके लिये प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/कॉ0ऑडिट/ 2019–20/412/6111–2 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 के माध्यम से योजना कियान्वयन/कय प्रकिया के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैंः–

1. जिला ऑडिट कमेटी द्वारा बड़े कार्य/सेवाएं के टेण्डर की समीक्षा की जाय।
2. दस लाख से अधिक के टेंडरों की प्रक्रिया एवं वैघता का कांकरेन्ट आडिट से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाये।

''कॉन्करेन्ट ऑडिट में यह अवश्य देख लिया जाये कि जी0एफ0आर0 प्रकिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन का पालन हो रहा है या नहीं और Fair Comptition allow किया गया है। इस प्रकिया से सम्भावित अनियमितता/कदाचार पर रोक लग सकेगी, कान्करेन्ट ऑडिट में किसी अनियमितता प्रकाश आने पर जिलाधिकारी/मिशन निदेशक–एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को सूचित किया जाये, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।''

3. जिला ऑडिट कमेटी की नियमित बैठक कराते हुए जनपदीय कॉन्करेन्ट आडिटर द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर निराकरण एवं सुधारात्मक कार्यवाही कर ए0टी0आर0 राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन को ससमय उपलब्ध कराई जाय।
4. जिला ऑडिट समिति की बैठक के कार्यवृत्त एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर 01 सप्ताह के भीतर अपलोड करना।
5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में न करके अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जा रही है जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
6. नियमित अन्तराल पर क्रय न करते हुए बिना मांग निर्धारण के मार्च माह के अंतिम सप्ताह में वृहद् मात्रा मे क्रय किया जाना।
7. राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार सेवाएं/कार्य को ई–टेन्डरिंग/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान है, परन्तु जनपदों में ई–टेंडर/टेंडर/कोटेशन प्रक्रिया एवं जेम पोर्टल से बचने के लिए बिलों को टुकड़ो में विभाजित करते हुए क्रय किया जा रहा है, **जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
8. टेंडर के माध्यम से चयनित फर्मो से अर्नेस्ट मनी डिपोजिट, सिक्योरिटी धनराशि, परफॉर्मेन्स गारंटी को एफ.डी/एन०एस०सी०/डी०डी० के रूप में प्राप्त नहीं किया जा रहा है। टेंडर फीस को जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा नहीं किया जा रहा है।
9. ऑडिट रिपोर्ट से संज्ञान में आया है कि टेंडर प्रक्रिया में फर्मो के पास तकनीकी योग्यता न होने के बावजूद चयनित कर लिया जा रहा है।
10. जनपदों द्वारा फर्मों (बिडर) के मध्य कॉम्पटीशन को कम करने के लिए टेंडर का विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में नहीं निकाला जा रहा है तथा टेंडर नियमों का अनुपालन न करते हुए बहुत कम अवधि में टेंडर को खोल दिया जाता है।
11. जनपदों में बिना बिल/वाउचर/सपोर्टिंग पेपर के अनियमित रूप से धनराशि भुगतान की जा रही है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
12. वित्तीय वर्ष में नया टेंडर नहीं करके पांच से छः वर्ष पुराने टेंडर को नवीनीकरण कर दिया जा रहा है।
13. **जनपदों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किराये पर ली गयी कारों के स्थान पर मोटर साइकिल/स्कूटर/ट्रैक्टर के नंबर पर भुगतान कर दिया है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।**
14. आर. बी. एस. के. एवं सपोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अंतर्गत बिना टैक्सी परमिट के वाहन, बहुत पुराने वाहन जो कंडम स्थिति में है तथा जिनका फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं है, उनके नम्बरों पर भुगतान कर दिया जा रहा है।
15. ऑडिट के दौरान परिलक्षित हुआ है कि जनपदों द्वारा कमिटेड लायबिलिटी के अन्तर्गत धनराशि रक्षित कराये बिना गत वर्षों का भुगतान किया जा रहा है।
16. पेट्रोल पंप से जनरेटर के लिए डीजल प्राप्त किया जाता है, **परन्तु डीजल प्राप्त करने तथा उसकी लॉग बुक में इंट्री की प्रक्रिया उचित नहीं है। सी०ए० फर्म द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि डीजल प्राप्त करने के पश्चात उसकी मात्रा की जाँच के लिए एक प्रणाली बनाई जाए। जनरेटर की लॉग बुक में डीजल की खरीद एवं खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है।**
17. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में एक ही वित्तीय वर्ष में तीन से चार माह के अन्तराल पर, एक से अधिक बार रू0 1,400.00/रु0 1,000.00 की धनराशि का अनियमित भुगतान किया जा रहा है, **जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।**
18. जे0एस0वाई0 तथा नसबंदी लाभार्थियों के खाते में भुगतान न करके आशा के खाते में जे0एस0वाई0 की धनराशि हस्तांतरित की जा रही है।

19. स्टाफ द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बावजूद अनियमित रूप से उसके खाते में वेतन का भुगतान किया गया है।
20. बैंक समाधान विवरण में लम्बित चेक/पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका समाधान नहीं किया जा रहा है, जबकि बैंकिंग गाईडलाईन के अनुसार तीन माह से अधिक पुरानी चेकों तथा दस दिन पुरानी पी0एफ0एम0एस0 एड्वाइस का समाधान हो जाना चाहिए, जिससे सही बैंक बैलेन्स ज्ञात किया जा सके।
21. विभिन्न इकाईयों पर अनस्पेन्ट बैलेन्स के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि अवशेष है, जिसके व्यय की समीक्षा नहीं की जा रही है।
22. विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को दी गयी अग्रिम धनराशि की समीक्षा नहीं की जा रही है संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर या रिफंड प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन किया जाना चाहिए।
23. एक ही फर्म से अलग–अलग प्रकृति के कार्यो को बिना उनके रजिस्ट्रेशन को चेक किये कराया जा रहा है। फर्म द्वारा मध्यस्थ की तरह कार्य किया जा रहा है। जिससे सेवाएं/कार्य को मार्केट दर से अधिक दर पर कराया जा रहा है।
24. फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये बिना ही भुगतान कर दिया जा रहा है। "paid & cancel" की स्टाम्प नहीं लगायी जा रही है।
25. कांकरेन्ट आडिटर के समक्ष ऑडिट के दौरान वित्तीय रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा है।
26. फर्म के खाते में भुगतान न करके प्रोपराइटर के खाते में भुगतान कर दिया गया है।
27. जी०एस०टी०एन० बिल प्राप्त न होने के बावजूद जी०एस०टी० का भुगतान किया गया है।
28. कोटेशन में कोट की गयी दर बाजार मूल्य से अधिक है।
29. अनरजिस्टर्ड फर्म को अनियमित भुगतान किया गया है।
30. जनपद द्वारा आयुष औषधि का क्रय एनएचएम के अंतर्गत सूचीबद्ध की गयी फर्म से न करके अनधिकृत फर्म से किया गया है। उक्त फर्म से गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया था।
31. राज्य ऑडिट कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी आर0के0एस0 ऑडिट फीस से अधिक दर पर भुगतान किया जा रहा है, अधिक दर से भुगतान की गयी है, जो कि गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता है।
32. आर०के०एस० सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया है। आर0के0एस0 सोसायटी का पैन नम्बर प्राप्त नहीं किया गया है और प्रारंभ से अब तक का आयकर रिटर्न भी सोसायटी द्वारा फाइल नहीं किया गया है।
33. आयकर/जीएसटी नियमों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जा रही है, टी0डी0एस0 काटने के पश्चात समय से जमा नहीं किया जा रहा है। त्रैमासिक/मासिक टी0डी0एस0 रिटर्न को जमा नहीं किया जा रहा है।
34. पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/10229–3 दिनांक 03.02.2018 के माध्यम से मेडिकल कॉलज स्तर पर एक बैंक बचत खाता रखने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में बैंक खाता का प्रचलन सुनिश्चित करें।
35. पत्र संख्या – एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/लेखा/2017–18/9461–75 दिनांक 08.12.2017 के माधयम से भुगतान/धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। तदनुसार ब्लॉक एवं इकाइयों को फण्ड ट्रान्सफर तथा सेवाएं/कार्य के भुगतान की पत्रावली को वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित करें।
36. पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/पी0एफ0एम0एस0/1782–6 दिनांक 28.05.18 के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0 संचालन में चेकर/मेकर एवं उनके कार्य व दायित्वों का निर्धारण किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

<u>जनपद स्तर पर कान्करेंट ऑडिट रिपोर्ट के सापेक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य दायित्व निर्धारण एवं नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठक :–</u>

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/कॉ0ऑडिट/ 2019–20/386/87–3 दिनांक 17.04.2020 द्वारा कान्करेन्ट आडिट रिपोर्ट पर ससमय कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

क्र०सं०	किये जाने वाले कार्य	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1.	ऑडिटर द्वारा दी गयी मासिक ऑडिट टिप्पणी को **'Material' audit observations** एवं **'Non-Material' audit observations** में बांटा जाना।	जिला लेखा प्रबंधक।
2.	**Audit Observations** पर अनुपालन आख्या बनाने के लिए संबंधित प्रोग्राम अधिकारी/यूनिट वार विवरण बनाकर सम्बंधित को प्रेषित किया जाना।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी।
3.	**Audit Observations की अनुपालन आख्या बनाना।**	1. **मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हेतु सम्बंधित पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी/जिला लेखा प्रबंधक/ जिला कम्युनिटी प्रबंधक/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त लेखाधिकारी/ अपर मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्साधिकारी। 2. **जिला (महिला/पुरुष/संयुक्त) अस्पताल स्तर** पर संचालित कार्यक्रम हेतु पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी/ एन०एच०एम० लेखाकार /सी०एम०एस०। 3. **अपर निदेशक कार्यालय** के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हेतु सम्बंधित पटल सहायक/प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी /अपर निदेशक। 4. **ब्लाक स्तर पर** एम०ओ०आई०सी०/द्वितीय हस्ताक्षरी/ब्लाक लेखा प्रबंधक/ ब्लाक कम्युनिटी प्रबंधक/ ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक। 5. **अन्य इकाइयाँ :–** पटल सहायक/लेखाकार /प्रोग्राम अधिकारी/नोडल अधिकारी /प्रभारी अधिकारी।
4.	विभिन्न प्रोगाम/यूनिट से प्राप्त अनुपालन आख्या को समेकित करना।	**जिला लेखा प्रबंधक**
5.	अनुपालन आख्या पर **आपरेशनल गाइड लाइन फार फाईनेन्सिअल मैनेजमेंट में दिए गए प्रावधानों, वित्त पथ, जी0एफ0आर0 प्रकिया/सी0वी0सी0 गाईडलाईन/क्रय मैनुअल एवं Fair Comptition allow** के परिपेक्ष्य में राय देना। अनुपालन आख्या स्वीकृत/अस्वीकृत की टिप्पणी, कारणों को अंकित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। ***"Noted for future"*** जैसी अनुपालन आख्या स्वीकार न की जाए, एन एच एम में प्रारंभ से ऑडिट कॉम्पलायंस के नाम पर यही उत्तर दिया जाता है। इस प्रकार के जवाब स्वीकार कर लेने से लोगों में वित्तीय अनियमितता करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है।	जिला लेखा प्रबंधक/वित्त लेखाधिकारी
6.	अनुपालन आख्या के सापेक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर जिला ऑडिट कमेटी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना। जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में गबन /गंभीर वित्तीय अनियमितता के प्रकरण पर जांच कराकर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करना।	मुख्य चिकित्साधिकारी
7.	जिला ऑडिट कमेटी द्वारा कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश का	मुख्य चिकित्साधिकारी/

	अनुपालन कराना।	अपर निदेशक/जिलाधिकारी
8.	एक्शन टेकन रिपोर्ट को कान्करेन्ट आडिटर से वेटिंग कराकर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय को प्रेषित करना।	जिला लेखा प्रबंधक/मुख्य चिकित्साधिकारी

कान्करेन्ट आडिट **observations** एवं अनुपालन आख्या/एक्शन टेकन रिपोर्ट समय से करवाने/ऑडिट में आ रही समस्यों पर विचार – विमर्श हेतु नियमित अंतराल पर समीक्षा बैठक करवाने हेतु निम्नलिखित अवधि निर्धारित की गयी है।

क्र०सं०	प्राधिकारी	बैठक का अंतराल (न्यूनतम)
1.	मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव जिला आडिट कमेटी	मासिक
2.	अपर निदेशक	मासिक
3.	जिला आडिट कमेटी	दो माह के अंतराल पर
4.	जिला स्वास्थ्य समिति (जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही तथा ऑडिट से सम्बंधित अन्य समस्याओं की समीक्षा हेतु)	मासिक अंतराल पर
5.	मिशन निदेशक, एन०एच०एम० की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर जनपदीय अधिकारियों एवं जनपदीय ऑडिटर के साथ समीक्षा बैठक	त्रैमासिक
6.	राज्य आडिट कमेटी	त्रैमासिक

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यालय के पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/कॉ0ऑडिट/ 2019–20/386/86–2 दिनांक 17.04.2020 द्वारा **कान्करेंट ऑडिट के अनुपालन में त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु समस्त जनपदों द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक एम०आई०एस० रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी**।

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कार्यक्रमों की वैधानिक सम्प्रेक्षा

एन0एच0एम0 के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के वैधानिक आडिट के उपरान्त भारत सरकार को आडिट रिपोर्ट, ऑडिटेड बैलेन्स शीट एवं आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय। वैधानिक अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैः–

1. आडिट टीम के पहुँचने के पूर्व ही जनपद/ब्लॉक एवं अन्य कार्यालयों में रखे अभिलेखों को अद्यतन करा लें तथा आडिट टीम के पहुँचने पर टीम के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करायें।
2. जनपद के लेखों के रख–रखाव हेतु जनपद के जिला लेखा प्रबन्धक (DAM) को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाते हुये समस्त अभिलेख प्राप्त करवा दें।
3. आडिट टीम के 'रफनोट' (मेमो) में अंकित आपत्तियों को स्थल पर ही दूर करायें, उन्हें कदापि अनुत्तरित न छोड़ें।

लेखा पुस्तकों के अन्तिमीकरण के दिशा–निर्देश

1. कैश एवं बैंक बुक को ससमय पूर्ण किया जाना।
2. सभी कार्यक्रमों के खाता बही ससमय तैयार किया जाना।
3. सभी कार्यक्रमों के जर्नल, खाता बही बनाया जाना चाहिए एवं सभी प्रारंभिक अवशेष के साथ ही साथ समायोजन प्रविष्टियों और अग्रिम प्रविष्टियों का लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार समायोजन कर पूर्ण किया जाना।
4. वाउचर क्रमानुसार संख्या में होना चाहिए।

5. बैंक समाधान विवरण ससमय तैयार कर बैंक बुक की आकृति सामंजस्य करना। साथ ही साथ सभी असंगत बैंक प्रविष्टियों को पहचान कर ससमय समाधान करें।
6. त्रैमासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण एवं मासिक ट्रायल बैलेंस Concurrent ऑडिटर के द्वारा प्रमाणित कराना।
7. वैधानिक आडिट के प्रारंभ से पहले प्रत्येक स्तर पर प्राप्ति, भुगतान एवं आय और व्यय खाते बैलेंस शीट में अंगीकृत कर ले।
8. फंड प्राप्त एवं अन्तरण का विवरण ससमय तैयार कर मिलान कर ले।
9. वैधानिक अंकेक्षण के प्रारंभ से पूर्व राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्रेषित अनुदेश के अनुसार कृत कार्यवाही तैयार कर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
11. अग्रिम धनराशि का विश्लेषण कर उसका समाधान ससमय कराना सुनिश्चित करें।
12. एन.एच.एम. के अन्तर्गत सभी कार्यक्रमों की पी0एफ0एम0एस0 लॉग रजिस्टर/चेक बुक रजिस्टर बैंक खाता के हस्ताक्षरी से सत्यापित कराना।
13. एन0एच0एम0 के अन्तर्गत अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन करना।
14. महत्वपूर्ण अनुबंध/सहमति, ज्ञापन रजिस्टर में पंजीकृत कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना ।
15. स्टॉक रजिस्टर वैधानिक (स्टेच्यूटरी) अंकेक्षण के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. टी०डी०एस० की कटौती की धनराशि एवं रिटर्न को ससमय जमा किया जाना चाहिए।
17. एफ.एम.आर./स्टेटमेंट ऑफ़ फंड पोजीशन का मिलान कर Concurrent ऑडिटर से प्रमाणित कर लें।
18. समस्त जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय इकाइयों के खाता बहियों का रख–रखाव टैली ई०आर०पी०–9 पर कराना सुनिश्चित करें।
19. वी0एच0एस0एन0सी0 एवं उपकेन्द्रों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखें।
20. रोगी कल्याण समिति से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति एवं ब्लॉक स्तरीय सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर अभिरक्षित रखे।
21. रोगी कल्याण समिति की वैधानिक आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को अभिरक्षित रखें।
22. कांकरेंट आडिट रिपोर्ट की एक प्रति जिला स्वास्थ्य समिति को अभिरक्षित रखें।

अन्य वित्तीय दिशा–निर्देश

- धनराशि व्यय/अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0 एन0आर0एच0एम0/2013–14/3367–75 दिनांक 3.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम/मद में जितनी धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अनुमति के बिना स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) कदापि न किया जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न हो।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण करायें।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें, जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के सापेक्ष व्यय की गई धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए लेखा पुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ.एम.आर में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूटरी आडिटर, महालेखाकार के आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट मैनुअल (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा इन निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गई धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय सर्टिफिकेशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तर पर वित्तीय आंतरिक नियंत्रण का अनुशासन बनाए रखने के लिए एवं वित्तीय कार्य को प्रोत्साहन करने के लिये पूरे प्रदेश में से तीन जिला स्वास्थ्य समिति एवं तीन ब्लॉक स्तरीय इकाइयों को वित्तीय सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित कर पुरस्कृत किए जाने हेतु वित्तीय सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 की आर०ओ०पी० में एफ०एम०आर० कोड HSS.13.197 में State Specific Programme, innovations & intervations सिस्टम के अंतर्गत रु 15.00 लाख की धनराशि राज्य स्तर पर आवंटित किये जाने एवं वित्तीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित जनपदों को अग्रिम कार्यवाही हेतु आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

पुरस्कृत धनराशि

1. प्रथम पुरस्कार–500000.00
2. द्वितीय पुरस्कार–300000.00
3. तृतीय पुरस्कार–200000.00

- प्रथम स्थान पाने वाले जनपद को धनराशि रू0 300000.00 (तीन लाख) तथा ब्लॉक को धनराशि रू0 200000.00 (दो लाख) पुरस्कारस्वरुप दिया जायेगा।
- द्वितीय पुरस्कार पाने वाले जनपद को धनराशि रू0 200000.00 (दो लाख) तथा ब्लॉक स्तरीय

इकाई को धनराशि रू0 100000.00 (एक लाख) दिया जायेगा।

- तृतीय पुरस्कार के अंतर्गत जनपद को धनराशि रू0 125000.00 (एक लाख पच्चीस हजार) तथा ब्लॉक को धनराशि रू 75000.00 (पचहत्तर हजार) पुरस्कारस्वरूप प्रदान किया जायेगा।

पुरस्कार की धनराशि का प्रयोगः–

पुरस्कार की धनराशि से संबंधित इकाई द्वारा 80 प्रतिशत धनराशि को लैपटॉप, फर्नीचर, स्टेशनरी इत्यादि पर वहन किया जायेगा। 20 प्रतिशत की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में सम्बन्धित इकाई द्वारा व्यय किया जायेगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया दिये गये दिशा–निर्देशों की प्रति समस्त जनपदीय ए0सी0एम0ओ0/कार्यक्रम अधिकारियों, जनपदीय चिकित्सालयों के एस0आई0सी0/सी0एम0एस0 व सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करा दें तथा दिये गये निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे एवं योजनाओं को ससमय निर्धारित मानकानुसार प्रत्येक स्तर पर संचालित किया जा सके। आवंटित धनराशि का व्यय एन0एच0एम0 की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अनुसार किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं/गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय हो। किसी भी दशा में उपलब्ध कराई गई धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में न किया जाय। यदि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः–एस0पी0एम0यू0/नियोजन/17/2022–23/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एन0एच0एम0), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0–टी0एस0यू0, लखनऊ
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
8. महानिदेशक–प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक/अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक